पंचदश माला, खंड 18, अंक 16

बुधवार, 24 अगस्त, 2011
2 भाद्रपद, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 83
Dated 29 April 2014

सत्यमेव जयते

(खण्ड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

कमला शर्मा
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 18, आठवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 16, बुधवार, 24 अगस्त, 2011/2 भाद्रपद, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 304	1–33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 305 से 320	37–138
अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680	138–563
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	563–567
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
14वां प्रतिवेदन	567
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	567
श्री अश्विनी कुमार	567–568
नियम 377 के अधीन मामले.	568
(एक) देश में सर्राफा बाजार को विनियमित किए जाने की आवश्यकता।	
श्री एन.एस.वी. चित्तन	568–569
(दो) कालीकट और बंगलुरु के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 212 पर स्थिति वायानाड पास को चौड़ा किए जाने तथा वायनाड को केरल के अन्य भागों से जोड़ने वाली विद्यमान वैकल्पिक सड़कों को खोले जाने की आवश्यकता।	
श्री एम.आई. शानवास	569–570
(तीन) हरियाणा के भिवानी में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता।	
श्रीमती श्रुति चौधरी	570
(चार) आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में एक और केन्द्रीय विद्यालय खोलने तथा इस जिले में विद्यमान केन्द्रीय विद्यालय के लिए पूर्णकालिक शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता।	
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	570–571
(पांच) राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन को एक विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता।	
श्री इज्यराज सिंह	571–572

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(छह) राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए इस प्रांत में पेयजल परियोजनाओं पर कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता।

श्री हरीश चौधरी 572

(सात) मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में डाबरा ब्लॉक से गुजरने वाली चार लेन वाली सड़क पर उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया 572-573

(आठ) राजस्थान के झालावाड बारां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अफीम उत्पादकों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता।

श्री दुष्यंत सिंह 573

(नौ) गुजरात में वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 574

(दस) ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए नीति बनाए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती दर्शना जरदोश 574-575

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत पत्राचार पाठ्यक्रम और सतत शिक्षा संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन का नियमित भुगतान किए जाने की आवश्यकता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय 575-576

(बाहर) बिहार में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को अन्य राज्यों में कार्यरत शिक्षकों के बराबर मानदेय का भुगतान किए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती अश्वमेध देवी 576

(तेरह) पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में नौका बनाने वालों के कल्याण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता।

श्री डॉ. रत्ना डे 576

(चौदह) तमिलनाडु के कोयंबटूर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अर्जन प्रक्रिया में निवासियों और आम जनता के हितों का ध्यान रखे जाने की आवश्यकता।

श्री पी.आर. नटराजन 576-577

(पंद्रह) उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में 'धनगर' अनुसूचित जाति का हिन्दी भाषा में नाम ठीक किए जाने की आवश्यकता।

श्री जयंत चौधरी 577-578

(सोलह) तमिलनाडु की इंटीगरल कोच फैक्ट्री, पेरम्बुर में प्रशिक्षित शिक्षुओं की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता।

श्री पी. लिंगम 578-579

विषय **कॉलम**

(सत्रह) पूर्वी रेलवे के सियालदाह-लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना, सियालदाह-डायमंड हार्बर और सियालदाह-केनिग लाइनों पर रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने तथा सियालदाह दक्षिण खंड में रेल लाइनों के आमान परिवर्तन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

श्री तरूण तंडल 579

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति 579

डॉ. मुरली मनोहर जोशी 579-606

डॉ. के.एस. राव 606-622

श्री मुलायम सिंह यादव 622-629

श्री शरद यादव 633-643

श्री दारा सिंह चौहान 643-645

श्री बसुदेव आचार्य 645-650

डॉ. रत्ना डे 650-651

श्री भर्तृहरि महताब 651-654

श्री प्रबोध पाण्डा 654-657

श्री शेर सिंह घुबाया 657-660

डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 660-661

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 661-664

श्रीमती पुतुल कुमारी 664

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी 664-665

श्री कमल किशोर 'कमांडो' 665

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह 665-668

श्री पन्ना लाल पुनिया 668

श्री ए. सम्पत 668-671

श्री भक्त चरण दास 671-675

श्री हर्ष वर्धन 675-676

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 676-679

श्रीमती संतोष चौधरी 679-681

डॉ. मिर्जा महबूब बेग 681-682

श्री अर्जुन राम मेघवाल 682-683

विषय **कॉलम**

श्री शैलेन्द्र कुमार 683-684

श्री प्रेमदास 684

डॉ. संजीव गणेश नाईक 685-686

श्री एस.एस. रामासुब्बू 686-687

श्री देवेन्द्र नागपाल 687-689

श्री एम.बी. राजेश 689-690

डॉ. निर्मल खत्री 690-691

श्री शरीफुद्दीन शारिक 691-696

श्री पी. करूणाकरन 696-697

श्री संजय धोत्रे 697-698

श्री अनंत कुमार हेगड़े 698-701

श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट 701

डॉ. तरूण मंडल 701-703

श्री घनश्याम अनुरागी 703-705

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 705-706

श्री सी. राजेन्द्रन 706-708

श्रीमती ज्योति धुर्वे 708

श्री नारनभाई कछाड़िया 709

श्री रमाशंकर राजभर 709-710

श्री वीरेन्द्र कुमार 710-711

डॉ. थोकचोम मैन्या 711-713

श्री मोहन जेना 714

डॉ. चार्ल्स डिएस 715

श्री लक्ष्मण टुडु 715-716

श्री एच.डी. देवेगौडा 730-736

कार्य मंत्रणा समिति

29वां प्रतिवेदन 657

विषय **कॉलम**

अनुबंध–I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 737

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 738-746

अनुबंध–II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 748

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 748-750

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

बुधवार, 24 अगस्त, 2011/2 भाद्रपद, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 301, श्री भूदेव चौधरी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। शांत हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 301, श्री भूदेव चौधरी।

[हिन्दी]

परमाणु सुरक्षा

***301. +श्री भूदेव चौधरी:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समुद्रतट के समीप स्थित परमाणु विद्युत केंद्रों के संबंध में किए गए तट संरक्षण उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास परमाणु संयंत्रों से होने वाले विकिरण रिसाव को रोकने के लिए नवीनतम उपकरण हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औद यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है;

(घ) क्या न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गठित कृतिक बल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) तटीय क्षेत्रों में परमाणु बिजलीघरों का डिजायन, भूकंप, सुनामी तूफानी लहरों, तरंगों की तीव्रता, बाढ़ों ज्वार-भाटा आदि से संबद्ध तकनीकी प्राचलों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। अत:, संयंत्रों को, डिजायन आधारित ऐसी संभावित घटनाओं से निपटने के लिए सुविधाओं से सुसज्जित किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) इनमें, रिक्टर और सहायक भवनों के भीतर और बाहर अवस्थित क्षेत्र विकिरण मॉनीटर शामिल हैं। विविकरण मॉनीटरन का कार्य, आस-पास के 30 किलोमीटर के क्षेत्र में वायु, जल, मिट्टी, फसलों, मछली, मांस आदि में विभिन्न विकिरण संबद्ध प्राचलों को मॉनीटर करने के लिए स्थापित पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से भी किया जाता है।

(घ) और (ङ) कृतिक बल की मौजूदा उपबंधों के विस्तार से संबंधित सिफारिशों, उदाहरणार्थ प्राथमिक ऊष्मा संचरण प्रणाली और वाष्प जनित्रों में शीतलक जल की वृद्धि के लिए बाह्य स्रोतों के माध्यम से अवयवों को जोड़ने के लिए व्यवस्थाओं का प्रावधान करना; अधिक लंबी अवधि के लिए महत्वपूर्ण प्राचलों की मॉनीटरिंग हेतु निश्चेष्ट विद्युत स्रोतों/बैटरी प्रचालित युक्तियों की अवधि में वृद्धि करना; जल के भंडारों में वृद्धि; तटीय बचाव के अतिरिक्त उपाय करना आदि क्रियान्वित की जा रही हैं। भूकंपनीय गतिविधि के बारे में महसूस होते ही स्वचालित शट-डाउन, तारापुर परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2 के संरोधन के अक्रियकरण आदि से संबंधित सिफारिशों के संबंध में, मामले को अनुमति/अनुमोदन के लिए नियामक प्राधिकरण के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री भूदेव चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदया: मेरे मूल प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने परमाणु सुरक्षा के संबंध में जिन उपायों की चर्चा की है, वह पूर्णत: भ्रामक है तथा स्पष्ट है। जापान

में आए भूकंप एवं सुनामी के कारण वहां परमाणु रियेक्टरों को हुए नुकसान के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसी सदन में 14 मार्च, 2011 को यह बयान दिया था कि देश के सभी परमाणु संयंत्रों की समीक्षा की जाएगी। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सीधा प्रश्न है कि प्रधान मंत्री जी के बयान के बाद सरकार ने ऐसे कौन-कौन से कदम उठाए हैं जिनसे हमारे देश को जापान जैसी दुर्घटनाओं से बचाया जा सके?

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: महोदया, फुकुशिमा प्रकरण के बाद हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने परमाणु ऊर्जा विभाग से कहा कि उन्हें सुरक्षा उपायों की समीक्षा करनी होगी। इस संबंध में, माननीय प्रधान मंत्री ने हमारे देश में नाभिकीय स्थापनाओं की सुरक्षा के बारे में एक पुनरीक्षा बैठक भी आयोजित की । परमाणु ऊर्जा विभाग में तथा उसके विभिन्न नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में सरकार ने हमारे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की जांच करने के लिए कार्यबलों/समितियों की नियुक्ति की।

इसके अलावा, हमारी सरकार में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने एक समिति गठित की। बीएआरसी ने भी एक समिति गठित की। इस प्रकार, अपने स्वयं के प्रेक्षणों के प्रयोजन के लिए उनके द्वारा दो समितियां गठित की गई हैं। गठित किए गए चार कार्य-बलों ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। उनकी पहली सिफारिश है कि 'भूकंपीय गतिविधि को भांपते हुए स्वचालित रिएक्टरों को प्रवर्तन बंद कर देना चाहिए।' संयंत्रों को स्वत: ही बंद किए जाने की सिफारिश भी की गई। उनकी दूसरी सिफारिश यह है कि 'एक लंबी अवधि के लिए महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी करने के लिए परोक्ष ऊर्जा स्रोत/बैट्री चालित उपस्करों की अवधि में वृद्धि की जाए।' उनकी तीसरी, सिफारिश यह है कि 'रिएक्टरों को शीतल अवस्था में रखने के लिए ठंडे जल की पंपिंग के प्रयोजनार्थ व्यवस्थाएं की जाएं।' उनकी चौथी सिफारिश है कि 'जल आपूर्ति को तैयार रखते हुए जल तालिका का संवर्धन किया जाए ताकि इसका प्रयोग किसी आपातकालीन स्थिति में किया जा सके।' उनकी पांचवीं सिफारिश है कि 'ऐसे संयंत्रों के मामले में, जो तारापुर, कल्पक्कय और कुंदनकुलम में स्थित हैं, तट को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए।' जब कभी सुनामी आती है, तो बाढ़ आती है समुद्री-चक्रवात आते हैं, अतिरिक्त जल प्रवाह होते हैं और ज्वार की लहरें उठती हैं तथा जल-संयंत्रों में पानी को घुसने से रोकने के लिए तट की सुरक्षा करने के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाने अपेक्षित हैं। यह सिफारिश भी की गई है। इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिए जाने की सिफारिश भी की गई है। इसके अलावा, प्रशिक्षण देने वाले कार्मिकों के लिए संगठित संरचनात्मक प्रशिक्षण की सिफारिश भी की गई है।

एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिश है 'टीएपीएस- 1 और 2 समावेशन की निष्क्रियता।'

इसका उद्देश्य नाइट्रोजन को निषेचित करना है तथा इसका उद्देश्य इसे ठंडा रखने के लिए हाइड्रोजन द्वारा रिएक्टर का प्रवाह सुनिश्चित करना है। इस प्रणाली की सिफारिश भी की गई है। कुल लगभग नौ सिफारिशों में से, छह को क्रियान्वित किया जा रहा है तथा तीन के लिए परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की अनुमति अपेक्षित है, जिसके लिए हमने उन्हें आवेदन किया है।

इसके अलावा, माननीय प्रधान मंत्री जी की समीक्षा बैठक के पश्चात् विभाग को इस सभी तथ्यों को परमाणु ऊर्जा विभाग और साथ ही नाभिकीय विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए कहा गया है ताकि जनता इस बात से अवगत हो सके कि कार्य-बल समिति द्वारा किन-किन कार्यों को पूरा किया गया है तथा इन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए हम अपनी ओर से क्या-क्या उपाय कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री भूदेव चौधरी: अध्यक्ष महोदया, भोपाल में हुई गैस त्रासदी को देश के लोग भूले भी नहीं है, पिछले दिनों 22 अगस्त की रात्रि में पुन: क्लोरीन गैस का रिसाव होने से लगभग 36 लोग बीमार हो गए, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि सुरक्षा पुख्ता की गई है तो पुन: रिसाव होने के क्या कारण हैं तथा जो लोग इस रिसाव के लिए जवाबदेह हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: महोदया, यह प्रश्न नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित नहीं है। यह गैस के रिसाव से संबंधित है। इस बात का वर्तमान प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री रायापति सांबासिवा राव: मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे देश के पास अत्यंत व्यापक और समृद्ध घरेलू नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम है तथा हमें आशा है कि हम वर्ष 2020 तक 20,000 मेगावाट तथा वर्ष 2032 तक 60,000 मेगवाट की नाभिकीय क्षमता हासिल कर लेंगे।

माननीय मंत्री जी ने भी अत्यंत विस्तार से उत्तर दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह ली है। यदि हां, तो हमारे नाभिकीय संयंत्रों की चाक-चौबंद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन विशेषज्ञों की क्या राय है?

मैं इस प्रश्न का उत्तर भी जानना चाहता हूं। क्या आप आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में कोई नाभिकीय संयंत्र आरंभ करने जा रहे हैं?

श्री वी. नारायणसामी: महोदया, जहां तक नाभिकीय सुरक्षा का संबंध है, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में समय-समय पर भाग लेते हैं तथा हम उनसे तकनीकी सलाह प्राप्त करके अपने सुरक्षा उपायों को अद्यतन बना रहे हैं।

इसके अलावा, घरेलू स्तर पर अपने नाभिकीय सुरक्षा उपायों में सुधार लाने के प्रयोजनार्थ परमाणु ऊर्जा विभाग तथा नाभिकीय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा समय-समय पर समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। जहां तक सुरक्षा उपायों का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में, कलपक्कम क्षेत्र में दिसम्बर 2004 में सुनामी आने के पश्चात्, संयंत्र केवल तीन दिन के लिए बंद किया गया था तथा चौथे दिन संयंत्र का कार्य उन सुरक्षा उपायों के कारण आरंभ हो गया था जो हमने अपने नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में लागू किए थे। अत: यह एक अनवरत प्रक्रिया है। सुरक्षा उपायों में सरकार द्वारा समय-समय पर सुधार किया जाता रहा है।

उन माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए जो यह जानना चाहते हैं कि क्या आंध्र प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव है, श्रीकाकुलम जिले में कोवाडा में 1000 मेगावाट क्षमता के लगभग 6 रिएक्टर स्थापित किए जाने की योजना बनाई जा रही है और इस संबंध में समस्त तैयारियां की जा रही हैं।

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष महोदया, प्रश्न उठाने के लिए मुझे अनुमति प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। यह प्रश्न विशेष रूप से समुद्र तटीय संयंत्रों से संबंधित है। आपकी अनुमति से, क्या मैं समुद्रतटों से दूर-स्थित संयंत्रों के बारे में प्रश्न पूछ सकता हूं, जो समुद्र-तटों के किनारे स्थित नहीं है और विशेष रूप से, उदाहरण के लिए, मैं राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उल्लेख करना चाहता हूं। ऐसे छह संयंत्र पहले से ही विद्यमान हैं। अब सातवां संयंत्र स्थापित होने जा रहा है। मैंने इस कारण प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था कि जहां तक नाभिकीय ऊर्जा के प्रति प्रधान मंत्री की प्रतिबद्धता का संबंध है, मुझे आशा है कि वे इसे मान्यता देंगे तथा वास्तव में उन्होंने जापान में घटी घटनाओं से हमें मिले सबक के बारे में अपनी चिंताओं को मान्यता दी है क्योंकि यह ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं का एक संयोजन है जिसने वह संकट पैदा किया है। मुझे आशा है कि वे इस बात से पूर्णत: अवगत है कि जापान में ऐसी भूमि कई किलोमीटर तक फैली हई है जो रहने योग्य नहीं है।

अत: मैं यह कहूंगा कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को मिलाकर छह पहले ही रावतभाटा में विद्यमान हैं और सातवां स्थापित किया जा रहा है जो रावतभाटा में चम्बल पर स्थित होगा, अत: उसे भी कृपया ध्यान में रखिए। चम्बल अंतत: यमुना में मिलती है। भगवान न करे कि यदि इन संयंत्रों में से किसी भी एक में खराबी आ जाती है तो इसके परिणाम काफी गंभीर होंगे। क्योंकि नाभिकीय संयंत्रों के पीछे तर्क यह है कि यदि एक खराब हो जाता है तो सभी को बंद करना होता है। यह केवल पर्यावरणीय परिणामों के संदर्भ में ही कोई दलील नहीं है, क्योंकि कोटा वहां से केवल 60 कि.मी. की दूरी पर है। क्या सरकार ने इन मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार किया है, या इन पर केवल औपचारिकता निभाई है? इस संबंध में एक वक्तव्य जारी होना चाहिए कि हम इन सभी सदस्याओं से अवगत हैं तथा हमने इस संबंध में उपयुक्त उपाय किए हैं।

श्री वी. नारायणसामी: जहां तक राजस्थान में और विशेष रूप से रावतभाटा में स्थित उन ऊर्जा संयंत्रों का संबंध है, जिनका उल्लेख माननीय वरिष्ठ सदस्य ने किया है, एनपीसीआईएल न केवल समुद्रतट पर बल्कि समुद्र से दूर स्थित सभी ऊर्जा संयंत्रों के सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर रहा है। वस्तुत: सरकार द्वारा गठित की गई चार कार्य-बल समितियां न केवल समुद्र-तटीय ऊर्जा संयंत्रों को कवर करती हैं बल्कि वे समुद्रतट से दूर स्थित ऊर्जा संयंत्रों को भी कवर करती हैं। उनके द्वारा सुझाए गए उपायों पर, उन विद्यमान सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त, जो भूकंप और साथ ही भीतर आने वाली उच्च लहरों के कारण नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के संरक्षण के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हैं, पर्याप्त विचार किया जा रहा है। हमारे देश के वैज्ञानिकों के प्रेक्षणों के अनुसार हमारे देश में हवाओं का वेग अत्यंत उच्च है जिनका भी कुछ विशिष्ट प्रकार का प्रभाव होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्थल और ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के संबंध में सभी प्रकार के सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

माननीय वरिष्ठ सदस्य की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि संरक्षा उपायों की जारी प्रक्रिया में जहां तक राजस्थान का संबंध है, दो रिएक्टर 7वां और 8वां बन रहे हैं जहां 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर प्रौद्योगिकी अपनाया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय वरिष्ठ सदस्य भी जानते हैं, तारापुर संयंत्र के पश्चात् पूर्व में राजस्थान संयंत्र चालू किया गया था। संस्था उपाय करना एक अनवरत प्रक्रिया है। पठार अवस्थिति और उपलब्ध जल संसाधन का ध्यान रखते हुए, इन

सभी चीजों पर विचार किया जाता है और संयंत्रों की संस्था के प्रयोजनार्थ न्यूक्लियद पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संस्था उपायों का उन्नयन किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदया, हम माननीय जसवंत सिंह जी द्वारा अप-तटीय संयंत्र और देश के भीतर अवस्थित संयंत्र दोनों के संबंध में उठाए गए मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेते हैं। संस्था अपेक्षाएं और संस्था की चिंताएं सरकार और परमाणु ऊर्जा विभाग के ध्यान में प्रमुख है।

जापान की त्रासदी के पश्चात्, मैंने परमाणु ऊर्जा विभाग से कहा कि वे एनपीसीआईएल, बार्क और परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड दोनों द्वारा प्रत्येक संयंत्र की संरक्षा संबंधी विशेषताओं की जांच करे। इसलिए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सरकार इस तथ्य से पूर्णतः अवगत है कि जबकि हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेट अप को बढ़ाए जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम परमाणु सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह समझौता नहीं करेंगे। यह एक अनवरत प्रक्रिया है और परमाणु ऊर्जा विभाग को भी मेरा अनुदेश है कि उन्हें यह सुनिश्चित कहना चाहिए कि हमारी सुविधाएं वैश्विक दर्जे की हो और संरक्षा अपेक्षाओं के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता है।

शेख सैदुल हक: महोदया, माननीय प्रधान मंत्री ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में संरक्षा मानकों के मुद्दे पर उत्तर दिया है किन्तु इस पर मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है। जैतापुर में एक आंदोलन हुआ है। जैतापुर विद्युत संयंत्र युरोपीय प्रेशराइज्ड रिएक्टर प्रौद्योगिकी के आधार पर फ्रांसीसी कंपनी आरेवा द्वारा बनाया जाएगा। ऐसे रिएक्टरों को विश्व में किसी दूसरे स्थान पर ऑपरेशन के लिए चालू नहीं किया गया है। इसलिए, नए रिएक्टरों की विश्वसनीयता और संरक्षा के बारे में प्रश्न उठता है। जापान में जिस तरह के खतरा का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि उक्त परियोजना में किस तरह के सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं जहां ऐसी प्रौद्योगिकी उपयोग की जा रही है जिसे विश्व में किसी दूसरी जगह परखा भी नहीं गया है। वे यह भी बताएं कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम में सुधार कर लोगों की जमीन हथियाने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्यक्ष महोदया: यह एक अलग मुद्दा है।

श्री वी. नारायणसामी: महोदया, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक जैतपुर विद्युत संयंत्र का संबंध है, संयंत्र लगाने के समय संरक्षा अपेक्षाओं पर विचार किया गया था। यह समुद्र तल से 30 मीटर ऊपर पठार में है।

माननीय सदस्य उस प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहे थे जिसे अपनाया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक जैतपुर विद्युत संयंत्र का संबंध है, इसमें ईपीआर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। वस्तुतः फ्रांस में एन-4 प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है। जर्मनी मैं कॉनबाल प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है। मैं माननीय सदस्य को स्मरण दिलाना चाहूंगा कि चीन भी एक संयंत्र बना रहा है जहां यह उसी ईपीआर प्रौद्योगिकी को अपना रहा है। फिनलैंड ने पहले ही एक संयंत्र बनाया है। अतः हमारे देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी इस प्रकार है-दबाव युक्त भारी जल प्रौद्योगिकी प्रशीति जल प्रौद्योगिकी और ववथन जल प्रौद्योगिकी। इन सभी तीनों प्रौद्योगिकीयों को हमारे देश के कुल 23 रिएक्टरों में उपयोग में लाया जा रहा है। इस प्रौद्योगिकी को सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों में से एक माना जाता है। जब चीन इसे ले रहा है, हमारा देश भी अब इसका अनुकरण कर रहा है चूंकि फ्रांसीसी सरकार के सौजन्य से हमारे विभाग न्युक्लिर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इस प्रौद्योगिकी पर विचार किया जा रहा है। मेरे विचार में, 'यह प्रौद्योगिकी हमारे लिए उपयुक्त रहेगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए। सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगराम गीते: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हम बेस्ट टैक्नालॉजी जैतपुर के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल टैक्नोलॉजी का नहीं है, जब नेचुरल केलेमिटी होती है, फूकूशीमा का उदाहरण हमारे सामने है, उस स्थिति में सारी टैक्नोलॉजी फेल हो जाती है। जब इस प्रकार से आपदा होती है तो सारी टैक्नोलॉजी फेल हो जाती है। सरकार जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को दस हजार मेगावाट का करने जा रही है, उससे जो खतरा होगा उसे रोकने के लिए आपने क्या उपाय किया है?

यह एक नेचुरल आपदा है और दूसरा हमारे देश को सबसे बड़ा थ्रेट आतंक, दहशत और टेररिज़्म का है। ऐसे समय में वेस्ट कोस्ट हमेशा खतरे में रहा है, चाहे 92 का बम ब्लॉस्ट हो, सारा आरडीएक्स वेस्ट कोस्ट से आया हुआ है। उसके बाद मुंबई में ताज पर जो हमला हुआ, वह हमला भी वेस्ट कोस्ट से हुआ। पाकिस्तान से जो सारे आतंकवादी आए थे, वे वेस्ट कोस्ट से आए, महाराष्ट्र के रायगढ़ के उरन में वे पहुंचे और वहां से वे कोलाबा के ताज तक जा पहुंचे हैं। इसलिए हमेशा वेस्ट कोस्ट आतंकवाद, टेररिज़्म को थ्रेट रहा है। ऐसे में यदि पावर प्लांट पर टेररिज़्म अटेक होता है तो हमारी टैक्नोलॉजी क्या करेगी, मैं प्रधानमंत्री जी से इसका जवाब चाहता हूं?

[अनुवाद]

डॉ. मनमोहन सिंह: अध्यक्ष महोदया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अपने देश में नए संयंत्र का निमार्ण करने के क्रम में हमारा प्रयास होगा कि हम यह सुनिश्चित करें कि इन संयंत्रों का डिजाइन पैरामीटर विश्व में कहीं भी उपलब्ध सर्वोत्तम संरक्षा मानकों के अनुरूप हैं। इसलिए, मैंने कहा है कि जहां तक संरक्षा अपेक्षाओं का संबंध में, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता और कोई समझौता नहीं होगा।

आतंकवादियों और हमारे देश के प्रति अन्य विद्रोही तत्वों से खतरे के संबंध में, हमें पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। हम प्रश्नकाल में यह चर्चा नहीं कर सकते कि आतंकवादी संबंधी खतरे से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए किंतु सभी सुरक्षा पूर्वोपाय-जो मानवीय रूप से संभव है-हमारे नाभिकीय संयंत्र की सुरक्षा करने में स्थापित होगा जैसा कि विभिन्न सिंचाई संयंत्रों, सिंचाई परियोजनाओं और अन्य परियोजनाओं सहित सभी संवदेनशील संस्थापनाओं के मामले में होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह कहना कि परमाणु खतरा है हमें देश की आर्थिक, और सामाजिक प्रगति और तकनीकी विकास को रोकना पड़ेगा और हमें नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग नहीं करना चाहिए और हमें उपलब्ध क्षमताओं का दोहन नहीं करना चाहिए बहुत सम्मानपूर्वक मेरा निवेदन है कि यह निराशापूर्ण सलाह होगा। मैं नहीं मानता हूं कि इससे क्षितिज पद उपलब्ध चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी क्षमताओं के साथ न्याय होता है।

नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मुफ्त/रियायती यात्रा

***302. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन श्रेणी के यात्रियों को इस समय नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मुफ्त/रियायती यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके कारण हुए राजस्व घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एलायंस एअर और एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों द्वारा मुफ्त/रियायती यात्रा के दुरूपयोग के मामलों का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पता चले मामलों का ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का विचार अपनी संकटमय वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस समय दी जा रही मुफ्त/रियायती यात्रा सुविधा की समीक्षा करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) मुफ्त/रियायती यात्रा सुविधा के दुरूपयोग किए जाने को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) घरेलू सेक्टरों पर नि:शुल्क/रियायती टिकटें उपलब्ध कराये जाने वाले यात्रियों की श्रेणियों का ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है। एयर इंडिया भी विज्ञापन/बिक्री सवंर्धन के भाग के रूप में संगठनों तथा एसोसिएशनों को नि:शुल्क प्रमोशनल अभियान टिकटें उपलब्ध कराती हैं तथा शिकायतों से उत्पन्न दावों के निपटान के लिए भी व्यक्तियों को नि:शुल्क टिकटें उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) चूंकि नि:शुल्क/रियायती टिकटें स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती हैं, इसलिए, इससे किसी प्रकार के राजस्व की हानि नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) उत्तर के भाग (ग) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

घरेलू सेक्टरों पर नि:शुल्क/रियायती टिकट की पेशकश किए जा रहे यात्रियों की श्रेणियों का ब्यौरा

क्र.सं.	श्रेणी	मूल्य किराये पर छूट
1.	सशस्त्र बल रियायत	50%
2.	सामान्य आरक्षित इंजीनियरिंग बलों के कार्मिक	50%
3.	युद्ध में विकलांग व्यक्ति	75%
4.	युद्ध में विधवाओं के लिए रियायत	75%
5.	अति बहादुर पुरस्कार-सशस्त्र बल	75%
6.	अर्द्धसैनिक बलों को रियायत	50%
7.	पुलिस कार्मिक-वीरता के लिए पुलिस पदक विजेता	75%
8.	गैलेंटरी अवार्ड के लिए-'नागरिक	75%
9.	विद्यार्थी रियायत	50%
10.	वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत	50%
11.	नेत्रहीन रोगियों के लिए रियायत	50%
12.	कैंसर रोगियों के लिए रियायत	50%
13.	लोको मोटर अशक्तता	50%
14.	राष्ट्रीय खेल-कूद गतिविधियों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए रियायत	50%
15.	अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के लिए रियायत	50%
16.	भारत रत्न विजेताओं के लिए रियायत	100%
17.	गोल्डन ट्रिब्यूट कार्डधारक (भारत के सांविधिक सभा के जीवित सदस्य)	100%
18.	पूर्व-अंडमान स्वतंत्रता सैनिकों या पूर्व-अंडमान स्वतंत्रता सैनिकों की विधवायें	100%

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान रियायत टिकटों की ओर दिलाना चाहता हूं जो भारी अनियमितताओं और आर्थिक आपदा के बावजूद एअर इंडिया जारी कर रही है। अग्रेतर: कर्मचारियों को नियमित तौर पर अपने वेतन से भी वंचित रखा गया है।

इस महती सभा में इस मुद्दे पर बहुत अधिक चर्चा हुई थी। अत: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे कर्मचारियों को बल्कि उनके परिजनों को भी कैसे टिकट जारी कर रहे हैं? सभी तरह की अनियमितताएं हो रही है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट

करना चाहूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि इसकी निगरानी और जांच की जानी चाहिए। साथ ही, इस प्रयोजनार्थ आपके द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

श्री वी. नारायणसामी: महोदया, मैंने उत्तर के अनुबंध/उपाबंध में विशिष्ट रूप से उन लोगों की श्रेणियों के बारे में उत्तर दिया है जिन्हें रियायती टिकटें और नि:शुल्क टिकटें भी दी गई हैं।

महोदया, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित और गोल्डेन ट्रिब्यूट कार्ड धारकगण, संविधान सभा के जीवित सदस्यों को शत-प्रतिशत नि:शुल्क टिकटें दी गई हैं। भूतपूर्व अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों और भूतपूर्व अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को शत प्रतिशत नि:शुल्क टिकट दिया जाता है किन्तु गृह मंत्रालय द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जा रही है। जहां तक सशस्त्र बलों का संबंध है, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्सेज, युद्ध में नि:शक्त व्यक्ति; युद्ध-विधवाओं को छूट, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित सशस्त्र बल और अर्द्धसैनिक बल के व्यक्तियों का भी उल्लेख किया गया है और जिस तरह का सहयेाग इन्हें दिया गया है, यह बाजार के बदलते हुए किराए के आधार पर है, किन्तु उन्हें ईंधन अधिभार और करों का भी भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा, छूट की प्रतिशतता का भी इसमें उल्लेख किया गया है।

जहां तक श्रेणी 1 से 6 का संबंध है, सर्वाधिक प्रकाशित किराया जिसमें उन्हें सर्वाधिक राजस्व की संदायगी करनी पड़ती है। इसमें निबल ईंधन अधिभार और कर भी शामिल नहीं है।

इसके अलावा, माननीय सदस्य की चिंता एयर इंडिया के कर्मचारियों के बारे में है। एयर इंडिया के कर्मचारी विलय से पूर्व और विलय के पश्चात् कतिपय रियायतें प्राप्त करते रहे हैं। इसके अनुसार, संबंधित कर्मचारी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, अविवाहित पुत्री, तथा भाईयों एवम् बहनों सभी को उस श्रेणी में शामिल थे। विलय के पश्चात् परिवार के अन्य सदस्यों या परिवार में दूर के रिश्तेदारों को यह सुविधा दी जाए या नहीं, उसकी समीक्षा की जा रही है। अब 'परिवार' का भाग कहे जाने वाले सभी व्यक्तियों को परिभाषित कर दिया गया है।

माननीय सदस्य की चिंता पूर्णतया वैध है क्योंकि अन्य एयर लाइंस की तुलना में जहां रियायत संबंधित कर्मचारी, उनके जीवन साथी (पति/पत्नी) तथा बच्चों को दी जाती है-एयर इंडिया में रियायत दूर के सदस्यों को भी दी जा रही है। इसलिए, एयर इंडिया की एचआर समिति इसको देख रही है। वे इसकी समीक्षा कर रहे हैं तथा वे इस पर अपनी सिफारिशें देंगे।

एयर इंडिया की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमें कई मुद्दों पर पुनर्विचार करना होगा जिसमें एयर इंडिया के कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों को दी जा रहीं रियायती टिकटें शामिल हैं। परिवार के दूर के सदस्यों को रियायती टिकटें दी जाएं या नहीं, इससे संबंधी मुद्दा समिति के समक्ष है। जैसे ही समिति अपनी सिफारिशें देती है, सरकार द्वारा वे क्रियान्वित की जाएंगी। ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: पाटसाणी जी, कृपया अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। कुछ रिकार्ड में नहीं जा रहा है, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: महोदया, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या कोई उचित निगरानी तंत्र है क्योंकि धन का दुरूपयोग हुआ है?

श्री वी. नारायणसामी: जहां तक निधियों के दुरूपयोग का प्रश्न है, समय-समय पर जब कभी भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। उसके अलावा, जहां तक एयर इंडिया का संबंध है, इस सम्मानित सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्तावप पर उत्तर देते समय हमने कायाकल्प योजना तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना के बारे मं भी उल्लेख किया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक समिति गठित की गई है। माननीय वित्त मंत्री मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता कर रहे हैं। एयर इंडिया का पुनरूद्धार करने के लिए सरकार द्वारा सभी उपाय किए जा रहे हैं। माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए मत पर विचार किया जाएगा।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: अध्यक्ष महोदया, मेरे प्रश्न के दो भाग हैं। उत्तर में मद संख्या 8 का संदर्भ देते हुए, अभी अभी माननीय मंत्री ने सदन को यह बताया कि भूतपूर्व अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों या भूतपूर्व अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को मूलभूत किराए में 100 प्रतिशत छूट का लाभ दिया गया है। महोदया, स्वतंत्रता सेनानियों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं चाहिए। भारत में केवल कुछ ही स्वतंत्रता सेनानी या उनकी विधवाएं बची हैं। ऐसा 100 प्रतिशत छूट का लाभ उनको भी दिया जाना चाहिए।

अब मैं प्रश्न के भाग 'ख' का उल्लेख करता हूं, मदुरई तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मदुरई और आसपास के क्षेत्रों से विदेश जाने वाले यात्रियों के ट्रैफिक की अत्यधिक संभावना है। फिलहाल, एयर इंडिया त्रिचि से खाड़ी और अन्य देशों के लिए उड़ानें भर रही हैं। चूंकि मदुरई और आसपास के अन्य क्षेत्रों से ट्रैफिक की अत्यधिक संभावना है, इसलिए महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री इस एयर इंडिया की उड़ान को मदुरई से त्रिचि होते हुए खाड़ी देशों तक चलाने के लिए कदम उठाएंगे।

श्री वी. नारायणसामी: महोदया, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों से बहुत सी मांगें हैं। वे मांग करते रहे हैं कि उन्हें या उनकी विधवा को एयर इंडिया द्वारा रियायती किराए के लाभ भी दिए जाएं। जहां तक भूतपूर्व अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि एयर इंडिया द्वारा दी गई रियायत की प्रतिभूति गृह मंत्रालय द्वारा की जा रही है। हम यह गृह मंत्रालय से इसमें दी गई रियायत के लिए प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए, एयर इंडिया को इससे कोई हानि नहीं हो रही है। अत:, यह बड़ा प्रश्न है जहां तक स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवा का संबंध है। वास्तव में, हमारी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पति/पत्नी के लिए रेलवे रियायत दी है। यह बड़ा मुद्दा है। इसका निर्णय नीतिगत स्तर पर किया जाएगा।

जहां तक मदुरई का संबंध है, मदुरई एयरपोर्ट की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और लाभप्रदता पर विचार करते हुए, माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: धन्यवाद मैडम, एयर इंडिया की स्थिति बहुत विकट है। पिछले सप्ताह आपने...*(व्यवधान)* हमारे समय में यह प्रॉफिट में थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप इधर देख कर बोलिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: मैडम, आप ने पिछले सप्ताह ही कॉलिंग अटेन्शन पर चर्चा कराई थीं। मैं आपका ध्यान दिलाते हुए एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एक तरफ एयर इंडिया बहुत घाटे में है और दूसरी तरफ एयर इंडिया फ्री पासेज दे रही है। आपने जवाब में एकदम नो-नो कर के जवाब दिया है। मैडम, यह जवाब सही नहीं है। सदन में सदस्य जब क्वैश्चन करते हैं तो वे जवाब की अपेक्षा रखते हैं और यह गोलमटोल जवाब है।

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): اسپیکر صاحبہ ، ائر انڈیا کی حالت بہت خراب ہے، پچھلے ہفتہ آپ نے (مداخلت)۔۔ہمارے وقت میں یہ پروفٹ میں چل رہی تھی۔۔(مداخلت)۔۔

میڈم، آپ نے پچھلے ہفتہ ہی کالنگ اٹینشن پر بحث کروائی تھی۔ میں آپ کا دھیان دلاتے ہوئے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو ائر انڈیا بہت گھاٹے میں ہے اور دوسری طرف ائر انڈیا فری پاسز دے رہی ہے۔ آپ نے جواب میں ایک دم نو۔نو کر کے جواب دیا ہے۔ میڈم، یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ ایوان میں ممبر جب سوال پوچھتے ہیں تو وہ جواب کی امید کرتے ہیں توقع کرتے ہیں، اور یہ گول مٹول جواب ہے

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: मेरा आप के माध्यम से यह प्रश्न है कि क्या सरकार यह निर्णय करेगी कि जब तक एयर इंडिया घाटे में है तब तक क्या आप इस तरह का मुफ्त टिकट देना बंद करेंगे? क्या इसकी घोषणा मंत्री जी यहां कर सकते हैं?

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: मैंने माननीय सदस्य डॉ. पाटसाणी जी का उत्तर देते समय माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त चिंता का पहले ही उत्तर दे दिया है। मानव संसाधन समिति का गठन कर दिया गया है। यह उस प्रश्न के संदर्भ में है कि क्या एयर इंडिया के कर्मचारियों के सदस्य को दी गई रियायत जारी रखी जाए या नहीं तथा इस संबंध में अर्थव्यवस्था उपायों को लाया जाए अथवा नहीं। समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। जैसे ही समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, सरकार उस पर निर्णय लेगी। इसलिए, उनकी चिंता हमारी चिंता है।

उच्च शिक्षा का स्तर

***303. +श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
श्री ओम प्रकाश यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विश्वविद्यालयों का स्तर विश्व के बेहतरीन विश्वविद्यलयों के समकक्ष लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्यमान कार्यक्रम/सुविधाएं उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कम/उचित खर्च पर दिलाने में समर्थ हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अमरीका में उच्च शिक्षा के लिए लाने जाने वाले समस्त विदेशी छात्रों में चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है जो वहां अध्ययन कर रहे छात्रों का 15 प्रतिशत है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विश्वविद्यालयों में समन्वय स्थापित करने और मानक निर्धारित करने का अधिदेश है, भारतीय विश्वविद्यालयों में एकेडेमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है और शिक्षा सुधारों के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे सेमेस्टर प्रणाली का प्रारंभ, पाठ्यचर्या का नियमित अद्यतन और विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस), आदि जिसे अधिकांश केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने कार्यान्वित किया है। यूजीसी ने भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण के स्तर को सुधारने के लिए उपाय" विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक स्टॉफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा 2010 में मानकों को बनाए रखने के लिए उपाय" के बारे में विनियम भी जारी किए हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी), जो यूजीसी द्वारा स्थापित के बारे में प्रत्यायित करती है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, तकनीकी संस्थानों द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को प्रत्यायित करता है।

(ख) और (ग) उचित लागत पर उच्चतर तकनीकी शिक्षा की पहुंच में सुधार करने के मामले में, विभिन्न राज्य स्तर की शुल्क नियतन समितियों द्वारा निर्धारित शुल्क ढांचा माननीय उच्चतम न्यायालय के संगत निर्णयों के अनुसार लागू होता है। शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम, ऋण स्थगन अवधि के दौरान आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के छात्रों जिन्होंने एक प्रतिशत की ब्याज सहायता के साथ शैक्षिक ऋण लिया है, को ब्याज के भुगतान के लिए सहायता प्रदान करती है। यू.जी.सी. अनु. जातियों, अनु. जनजातियों, महिलाओं इत्यादि को छात्रवृत्तियां भी देता है। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की स्कीम में, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने वाले स्कूलों को सहायता प्रदान की जाती है। उनमें पढ़ने वाले बच्चे, इन स्कूलों के मानदण्डों के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।

(घ) और (ङ) मंत्रालय ऐसे आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, काउंसिल ऑफ ग्रेजुएट स्कूल्स (सीजीएस) की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेजुएट शिक्षा के लिए एक यूएस संगठन, जिसकी सूचना को इंटरनेट से लिया गया है, यूएस ग्रेजुएट स्कूलों में प्रत्याशित छात्रों के प्रवेश में चीन से 23% और भारत के छात्रों में 8% वृद्धि रही है।

(च) भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा के स्तरों में सुधार एक सतत प्रयास है। 11वीं योजना में, योजना-आबंटन में पर्याप्त वृद्धि का उद्देश्य मौजूदा उच्चतर और तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं की गुणवत्ता तथा अवसंरचना में सुधार करना और अछूते राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तथा योजना और वास्तुकला विद्यालय इत्यादि जैसी गुणवत्तापरक संस्थाएं स्थापित करना है। शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिए यू.जी.सी. द्वारा निधियां प्रदान की गई हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए उन्नत वेतन पैकेज कार्यान्वित किए गए हैं ताकि शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित और बनाए रखा जाए।

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: एक विद्यार्थी के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षा उसका जीवन संवारने में भविष्य के लिए बहुत आत्मविश्वास देगी। प्रत्येक वर्ष, लगभग तीन मिलियन विद्यार्थी उच्च शिक्षा में प्रवेश ले रहे हैं परन्तु दुर्भाग्यवश केवल 30-40 हजार विद्यार्थी गुणवत्ताप्रद शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्या यह हमारे देश में संकाय के अभाव के कारण है? बहुत सी संस्थाओं को भी अनुमति दी गई है और कम से कम निजी संस्थाएं मानक के मामले में समतुल्य हैं। जब हम गांवों में जाते हैं तो हम बहुत से एमबीए

या एमबीए विद्यार्थियों को देखते हैं। वे स्नातक हो चुके हैं परन्तु गुणवत्ताप्रद शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हम विदेशी विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। परन्तु हम कुछ स्थानों में पीएचडी डिग्री भी प्राप्त करेंगे। परन्तु डॉक्टोरेट उपरांत पीएचडी डिग्री भी विदेश में लोकप्रिय है। गुणवत्ताप्रद शिक्षा देने में समस्या क्या है?

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः हां, महोदया, मैं उसी पर आ रहा हूं। महोदया आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि हम विश्व की तुलना में मानकों में सुधार कैसे कर सकते हैं। भविष्य में, केवल दो ही महाशक्तियां होंगी अर्थात् भारत और चीन। परन्तु चीन हमसे आगे है। हम किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं कि जिससे हम इसके समतुल्य हो जाएं।

श्री कपिल सिब्बलः गणमान्य सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और हम सोचते हैं कि हम सभी को हमारी शैक्षिक संस्थाओं में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता से चिंतित होना चाहिए। समस्या का एक पहलू यह है कि कुछ वर्षों में, हम पहुंच के मुद्दों पर जोर देते रहे हैं और गुणवत्ता पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं सोचता हूं कि कुछ अत्यधिक गुणवत्ताप्रद शैक्षिक संस्थाएं हैं परन्तु वे बहुत कम हैं। मुख्य रूप से समस्या इस देश में उत्पन्न होती है कि इंजीनीयरिंग कॉलेजों तथा मेडिकल कॉलेजों के रूप में दी जा रही अधिकतर तकनीकी शिक्षा निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित की गई है।

लगभग 90% सभी अभियांत्रिकी संस्थान निजी क्षेत्र में है तथा लगभग 50% चिकित्सीय संस्थान निजी क्षेत्र में है। गुणवत्ता संबंधी शिक्षा देने हेतु गुणवत्ता संबंधी कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे पास पर्याप्त शिक्षक भी नहीं है जिनके पास अपेक्षित पीएचडी की डिग्रियां हों। अवसंरचना में पर्याप्त निवेश नहीं हुआ है तथा उपस्कर में पर्याप्त पूंजीगत निवेश भी नहीं हुआ है। पाठ्यचर्या जो विश्व मानदण्डों के अनुसार हो के संदर्भ में शिक्षा प्रणाली संबंधी कोई पाठ्यक्रम तथा सुधार नहीं हुआ है। पर्याप्त अनुसंधान भी नहीं हो रहा है। यही तो समस्या है। मेरे विचार से, राष्ट्र को अवश्य ही गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की ओर बढ़ना चाहिये। हमारे पास एनएएसी तथा एनबीए नामक एजेंसियां हैं-यू.जी.सी. संस्थानों हेतु एनएएसी तथा अभियांत्रिकी तथा तकनीकी संस्थानों हेतु एनबीए। परन्तु प्रत्यामन अपने आप में अनिवार्य नहीं हैं। मैंने संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित किया है जिस पर विचार-विमर्श किया जायेगा। इसमें उच्च शिक्षा के सभी तकनीकी तथा अन्य संस्थानों का प्रत्यायन अनिवार्य होगा। यदि एक बार इसे अनिवार्य बना दिया जाता है और मानदण्ड निर्धारित हो जाते हैं तो वे तकनीकी संस्थान अथवा अन्य संस्थान-जो उन मानदण्डों के अनुरूप नहीं है-को उन मानदण्डों का अनुपालन करने हेतु समय दिया जायेगा। यदि वे अनुपालन नहीं करते हैं तो संस्थान को चलाने की अनुमति वापिस ले ली जायेगी। हमें ये सख्त उपाय करने होंगे। इसके अतिरिक्त, अन्य अनुपालनीय उपाय हैं जैसे कि शिक्षा में और ज्यादा धन का निवेश करना, निजी क्षेत्र को इसमें लाने हेतु अनुरोध करना, इस बात पर जोर देना कि पीएचडी से कम कोई भी व्यक्ति पढ़ाने के लिये पात्र नहीं होगा, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा तथा एसएलईटी का होना, ये सभी उपाय किये जायेंगे। परन्तु मेरे विचार से हमें इसे और ज्यादा सख्त बनाना होगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विश्वविद्यालयों में एक प्रणाली बनाई जाये जिसमें सेमेस्टर प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों को एक पाठ्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम में जाने की अनुमति दी जाती जाये। ताकि विद्यार्थियों की वास्तविक रूप से अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों जहां शिक्षक अभूतपूर्ण ढंग से अच्छे हैं, में पाठ्यक्रमों तक पहुंच हो सकें।

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि भारत के किसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को विश्व के विश्वविद्यालयों के समकक्ष लाने के लिये तीन चुनौतियों का सामना करना होता है। ये हैं योग्यता, गतिशीलता तथा अनुरूपता। उसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री के अनुरोध करूंगा कि वे हमें उन कदमों के बारे में बतायें जिन्हें भारत सरकार उठाने जा रही है।

श्री कपिल सिब्बलः महोदया, मैं रिकार्ड के आधार पर यह बात कह रहा हूं कि विश्व के अन्य हिस्सों में वे विश्वविद्यालय जिन्हें विश्व स्तर के विश्वविद्यालय कहा जाता है कुछेक वर्षों में स्थापित नहीं हुई अथवा वे विश्व स्तर के विश्वविद्यालय नहीं बन पाये। यदि आप वास्तव में विश्व के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों की ओर देखे तो आप पायेंगे कि उन्होंने जहां वे आज हैं वहां पहुंचने हेतु उन्होंने सौ से ज्यादा अथवा 120 अथवा 200 वर्षों का समय लिया है। यहां पर यही समस्या है क्योंकि शिक्षा का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है तथा ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रणाली में आ रहे हैं परन्तु हमारे पास उन्हें खपाने के लिये पर्याप्त गुणवत्ता संबंधी संस्थान नहीं हैं। हमें यहां एक बात करने की जरूरत है और मैं इस सभा के प्रतिष्ठित सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे वास्तव में अपनी राज्य सरकारों, मुख्यमंत्रियों तथा शिक्षा मंत्रियों से तेजी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करें कि भारत में दोनों निजी तथा सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक सेमेस्टर प्रणाली लागू हो ताकि विद्यार्थियों की गतिशीलता को मूर्त रूप दिया जा सके। गतिशीलता को अमली जामा पहनाने हेतु अनुमति देने का केवल यही तरीका है।

जहां तक गुणवत्ता का संबंध है, हमें इसके साथ दो स्तरों पर निपटने की आवश्यकता है। हमें अवश्य ही यह सुनिश्चित करना चाहिये कि संस्थानों में दुराचार समाप्त हो। इसलिये हमारे पास शिक्षा कदाचार विधेयक है जिसको पहले ही संसद में पुर:स्थापित किया जा चुका है और यह इस सभा में चर्चा हेतु आ भी रहा होगा। इस प्रकार के सभी विज्ञापन जो संस्थानों की वास्तविकता अथवा गुणवत्ता परिलक्षित नहीं करते हैं, उन लोगों के साथ शिक्षा कदाचार अधिनियम के माध्मय से निपटा सकता है तथा साथ ही हमें अनिवार्य मान्यता संबंधी प्रक्रिया के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। हमने हाल ही में शिक्षकों के वेतन में अत्यधिक वृद्धि की है। वास्तव में, शिक्षन संस्थान के एक पदधारी को आईएएस में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की तुलना में आज ज्यादा वेतन मिलता है। यहां उपाय के तौर पर अन्य भी है, जहां उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान तथा संकाय भी है जहां जाकर वे परामर्श देने के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय क्षतिपूर्ति करने के पात्र भी हैं।

अंत में हमारे पास विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों हेतु भारत सरकार, द्वारा शुरू किये गये बड़े सहायता संबंधी कार्यक्रम हैं जिनमें उत्कृष्टता प्रबल संभावनाएं हैं। उन सभी उपायों को किया जा रहा है। परन्तु, मेरे विचार से, इसके लिए राष्ट्रीय प्रयास और सभी राजनैतिक दलों तथा सभी राज्य सरकारों को प्रयास करने होंगे।

एक बात जो मैं पुन: रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि जबकि ग्यारहवीं योजना में केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा में निवेश के लिये शिक्षा मंत्रालय के फैसले हेतु अत्यधिक संसाधन दिये है, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा संबंधित निवेश नहीं किया जा रहा है। मेरा यह कहना है कि राज्य सरकारों द्वारा अनुकूल संबंधित प्रतिबद्धता इस राष्ट्रीय प्रयास में अत्यधिक मदद करेगी।

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इनकी काफी सकारात्मक सोच है। मैं जानना चाहता हूं कि विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा में गरीब व्यक्तियों के बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं?

श्री कपिल सिब्बल: मैडम, माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। हमारे देश में सरकार ने नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम का भी गठन किया है। वहां गरीब तबके के लोगों को स्कॉलशिप मिलती है।...*(व्यवधान)* हमारी इंटरेस्ट सबवैंशन स्कीम भी है।...*(व्यवधान)* जहां तक प्राइवेट सैक्टर में फीस का सवाल है, वहां स्टेट गवर्नमैंट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर स्टेट लैवल कमेटीज़ का गठन किया है। उन स्टेट लैवल कमेटीज़ द्वारा फीस पर पाबंदी भी लगाई जाती है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को मिल-जुलकर एक एजुकेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन गठित करने की चेष्टा करनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं कि हिन्दुस्तान में ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसके पास फीस देने के लिए अगर पैसा नहीं है, तो उस वजह से उसे शिक्षा न मिले।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप सब शान्त हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: मैं इस बारे में आपसे सहमत हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वर्तमान में झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात् झारखंड सरकार ने भारत सरकार के पास बीआईटी, सिन्दरी को आईआईटी में कन्वर्ट करने के लिए एक योजना भेजी। उस योजना को यहां भेजे हुए काफी समय हो गया है। साथ ही साथ धनबाद डिस्ट्रिक्ट में आईएसएम को आईआईटी का दर्जा देने का एक प्रस्ताव भी हमने भारत सरकार को दिया था। चुनाव के समय वहां राहुल जी गए थे। उन्होंने भी आश्वस्त किया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस पर सरकार क्या चिंतन कर रही है और आगे क्या निर्णय लेगी?

श्री कपिल सिब्बल: मैडम, आज जो सवाल पूछा जा रहा है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं, हमने इस बात को एक एक्सपर्ट कमेटी को दिया हुआ

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है कि उसकी मान्यता किस तरह हो। उस बारे में अभी पूरी तरह निर्णय नहीं हुआ है। जैसे ही निर्णय हो जाएगा, हम आपको जरूर बताएंगे।

श्री लालू प्रसादः मैडम, मूल प्रश्न को देखा जाए। इसमें लिखा गया है कि भारतीय विश्वविद्यालयों का स्तर विश्व स्तर पर लाने के लिए क्या पहल की जा रही है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि भारत के किसी भी गरीब का बच्चा वंचित नहीं होगा। राइट टू एजुकेशन के तहत आपने बढ़िया से ज़िबह कर दिया है गरीब बच्चों को और लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। दसवीं तक कोई परीक्षा नहीं, नो नीड ऑफ अटेंडेंस, 12वीं में भी परीक्षा ऑप्शनल है। इससे गरीब और दबे-कुचले लोगों के बच्चे तो ज़िबह हो गए, वे आएंगे कहां? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसको आप रिव्यू करेंगे या नहीं करेंगे, आपका क्या इरादा है? बड़ी चतुराई से गरीब के बच्चों के लिए नो नीड ऑफ अटेंडेंस कर दिया। आप उनको खिचड़ी खिलाते हैं जिससे अटेंडेंस हो, बच्चे स्कूल आएं और अब आपने यह व्यवस्था कर दी है कि अटेंडेंस होना जरूरी नहीं है, ग्रेडिंग करेंगे और दसवीं तक परीक्षा नहीं होगी। अब ग्रेडिंग होगी, परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है और गांव के बच्चों के माता-पिता बोलेंगे कि हमारे बबुआ-बबुनी पास हो गए। 12वीं तक भी परीक्षा ऑप्शनल है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अब आप प्रश्न पूछिए।

श्री लालू प्रसादः जब हमारे बच्चों ने यह समझ लिया कि हमारी परीक्षा नहीं होगी, अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, खाना मिले या न मिले, वह अलग बात है।...*(व्यवधान)* इतना बढ़िया तरीके से शिक्षा का अधिकार लाए, इतनी बड़ी सिम्पैथी दिखाई और नीचे ही उनकी गर्दन काटकर भुजरी-भुजरी करके फेंक दिया। यह बहुत खतरनाक काम हुआ है। अगर इसका रिव्यू नहीं होगा, तो अगले दस साल में गांव का भारत निरक्षर हो जाएगा और शहरों में रहने वाले लोग ही आगे आएंगे।...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बलः मैडम, वैसे तो यह सवाल आज सदन में उठाए गए सवाल से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं इसका जवाब देता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग शांत हो जाइए। माननीय मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बलः मैडम, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि यह सोचना गलत है कि पहली कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक कोई टेस्ट नहीं होता, ऐसा उसमें लिखा भी नहीं है। यह कहना भी गलत है कि उनकी अटेंडेंस जरूरी नहीं है। ये बातें हमारे कानून में, राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं लिखी गयी हैं। हमने यह सोचा और यह सिर्फ हमने नहीं सोचा, एक्सपर्ट कमेटी ने यह प्रावधान रखा कि बच्चे की परीक्षा हर महीने होनी चाहिए, न कि आठ साल के बाद एक इम्तिहान हो। हर महीने कांप्रेहेंसिव एंड कंटीनिवस इवैल्यूएशन होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* यह प्रावधान उसमें लिखित है।...*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्य को आंकड़े बताना चाहूंगा कि राइट टू एजुकेशन आने के बाद जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ी है कम नहीं हुई है।...*(व्यवधान)* संख्या ज्यादा हुई है।...*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्य को आंकड़े दिखा दूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बलः दूसरी बात यह है कि ड्रॉप आउट रेट में भी कमी आई है। आम आदमी के ऊपर राइट टू एजुकेशन का प्रभाव अच्छा है और इसमें कोई तथ्य नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः मंत्री जी जो कह रहे हैं, उसके अलावा किसी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: श्री एस.डी. शारिक।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: शारिक साहब, आप अपना प्रश्न पूछिए।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(*व्यवधान*) *

अध्यक्ष महोदया: केवल उनके प्रश्न को ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री शरीफुद्दीन शारिक: मैडम, ऑनरेबल वजीर तालीम ने मुल्क में तालीम के म्यार को, स्टेंडर्ड को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास स्कीम्स हैं, उन पर रोशनी डाली। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जो महसूस की जा रही है सारे मुल्क में, कि तालीम का म्यार रोज-ब-रोज गिरता जा रहा है, हर जगह गिरता जा रहा है चाहे वह प्राइवेट सेक्टर है, चाहे पब्लिक सेक्टर है। इस गिरते हुए म्यार को सम्भालने के लिए हमें देखना है कि हमारे तरीके तालीम भी पुराना है, हमारा तर्जे तालीम भी पुराना है, हमारे ट्रेनिंग के तरीके भी पुराने हैं, हमारे सैलेबस भी बहुत पुराने हैं। इन सब चीजों को बदलने के लिए क्या यह मुनासिब होगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात पर सोचेगी कि हम नए और मौजूदा जमाने के तकाज़ों को जैरे-नजर रखकर, एक एजुकेशन कमीशन कायम कर लें और उसकी रिपोर्ट के तहत इसी निजाम में तब्दीलियां करें?

جناب شریف الدین شارق (بارہمولہ): میڈم، آنریبل وزیر تعلیم نے ملک میں تعلیم کے معیار کا اسٹینڈرڈ بڑھانے کے لئے مختلف جو گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس اسکیمس ہیں، ان پر روشنی ڈالی۔ لیکن ایک بات ماننی پڑے گی، جو محسوس کی جا رہی ہے سارے ملک میں کہ تعلیم کا معیار روز بروز گرتا جا رہا ہے، ہر جگہ گرتا جا رہا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے یا پبلک سیکٹر ہے۔ اس گرتے ہوئے معیار کو سنبھالنے کے لئے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا طریقہ تعلیم بھی پرانا ہے، ہمارا طرز تعلیم بھی پرانا ہے، ہمارے ٹریننگ کے طریقے بھی پرانے ہیں، ہمارے سلیبس بھی بہت پرانے ہیں۔ ان سب چیزوں کو بدلنے کے لئے کیا یہ مناسب ہوگا اور گورنمنٹ آف انڈیا اس بات پر سوچے گی کہ ہم نئے اور موجودہ زمانے کے تقاضوں کو زیر نظر رکھ کر ایک ایجوکیشن کمیشن قائم کر لیں اور اس کی رپورٹ کے تحت اس نظام میں تبدیلیاں کریں۔۔۔

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: निश्चय ही। वास्तव में, एक काम जिसे हम करने का प्रयास कर रहे हैं वह है संपूर्ण परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना। संपूर्ण परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना होगा पाठ्यक्रम में भी सुधार करना होगा; अकादमिक सुधार करने होंगे। शासी प्रणालियों में भी सुधार करना होगा; शैक्षणिक संस्थानों को और ज्यादा स्वतंत्रता देनी होगी। कुलपति की नियुक्ति की प्रणाली सरकार से दूर करनी होगी-ये सभी सुधार हो रहे हैं। हम ये सुधार कर रहे हैं तथा उन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं। विद्यालय प्रणाली में भी अब हमारे पास विज्ञान में एक समान पाठ्यक्रम होने जा रहा है जो भारत के सभी विद्यालयों तथा भारत सभी बोर्डों में मान्य होगा; हमारे पास कॉमर्स में एक समान पाठ्यक्रम होने जा रहा है जो भारत के सभी विद्यालयों तथा बोर्डों को मान्य होगा। इसे सभी बोर्डों द्वारा स्वीकार किया गया हैं हमारे यहां सीओबीएसई बैठक हुई थी जिसके माध्यम से इसे स्वीकार किया गया है। वह प्रक्रिया चल रही है। मैं सभी राज्य सरकारों से उस प्रक्रिया में भाग लेने तथा सहयोग देने के लिये अनुरोध करता हूं।

डाक और तार सेवाएं

***304. श्री मानिक टैगोर:**
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने डाक और तार कार्यालय बंद हुए हैं;

(ख) सरकार का विचार इसके परिणामस्वरूप रिक्त हुए स्थान का उपयोग किस प्रकार करने का है;

(ग) क्या मोबाइल टेलीफोन और इंटरनेट जैसे अन्य बेहतर संचार साधनों का डाक और तार सेवाओं पर प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पारम्परिक संचार सेवाओं को विशेषकर देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान बंद किए गए डाकघरों की सर्किल-वार संख्या अनुबंध-I में दी गई है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 में 31.07.2011 तक बंद किए गए तारघरों की सर्किल-वार संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

(ख) डाक विभाग की विभागीय भवनों में अतिरिक्त जगह किराए पर देने की नीति है। इस नीति के अनुसार, अतिरिक्त जगह को केंद्रीय/राज्य सरकार के संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, बैंकों एवं प्रतिष्ठित संस्थानों से खुली निविदा आमंत्रित कर वर्तमान बाजार दर पर किराए पर दिया जाता है। किराए के भवनों के संबंध में, डाकघर वे बंद होने के कारण खाली हुई जगह को संबंधित भू-स्वामी को लौटा दिया जाता है।

उन अधिकांश किराए के भवनों को, जहां तारघर कार्यरत थे, खाली कर दिया गया है और ऐसे तारघरों को बंद करने के उपरांत संबंधित भू-स्वामियों को लौटा दिया गया है। तारघरों के बंद होने के कारण खाली किए गए अन्य भवनों को बी.एस.एन.एल. के हित में इसके कार्यालय एवं प्रचालन आवश्यकताओं हेतु प्रयोग में लाया गया है।

(ग) और (घ) मोबाइल टेलीफोन एवं इंटरनेट के डाक सेवाओं पर प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान पारंपरिक डाक में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है। ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	पंजीकृत डाक		गैर-पंजीकृत डाक	
	संख्या (करोड़ मदों में)	परियात में कमी (%)	संख्या (करोड़ मदों में)	परियात में कमी (%)
2005-06	20.85		649.21	
2006-07	21.73	(-)4.22	645.98	0.49
2007-08	19.98	8.05	619.13	4.16
2008-09	19.82	0.80	634.27	(-)2.44

मोबाइल टेलीफोन, इंटरनेट आदि के कारण तार परियात में भारी गिरावट आई है। पिछले पांच वर्षों की तार परियात की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	प्रतिदिन बुक किए गए औसत टेलीग्रामों की संख्या	परियात में कमी (%)
1.	2006-07	21785	
2.	2007-08	18595	14.64
3.	2008-09	16774	9.79
4.	2009-10	9488	43.44
5.	2010-11	8513	10.27

(ङ) पारंपरिक संचार सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के ग्रामीण एवं दूर-दराज के इलाकों में डाक नेटवर्क को बनाए रखा गया है। ग्रामीण इलाकों में, जहां कहीं औचित्यसम्मत था, नेटवर्क का विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा डाक नेटवर्क के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से विभाग ने डाक नेटवर्क इष्टतमीकरण परियोजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त, सभी ग्रामीण डाकघरों को आईटी-समर्थित बनाने के लिए ग्रामीण आईसीटी परियोजना है।

तार सेवाओं के संबंध में, बी.एस.एन.एल. ने 1585 डायल करते हुए फोनोग्राम सुविधा प्रदान की है और यह सुविधा सभी बी.एस. एन.एल. फोनों पर उपलब्ध है।

अनुबंध-I

बंद किए गए डाकघरों की संख्या

सर्किल	2007-08	2008-09	2009-10
आंध्र प्रदेश	0	1	4
असम	0	0	2
बिहार	0	0	2
छत्तीसगढ़	0	0	2
दिल्ली	0	0	0
गुजरात	0	1	0
हरियाणा	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	1
जम्मू और कश्मीर	0	0	0
झारखंड	0	0	0
कर्नाटक	0	0	0
केरल	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	0	0
महाराष्ट्र	6	1	1
पूर्वोत्तर	0	0	0
ओडिशा	0	0	0
पंजाब	0	0	0
राजस्थान	0	1	0
तमिलनाडु	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	0	2
उत्तराखंड	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	0	0
कुल	6	4	14

अनुबंध-II

2008-09, 2009-10, 2010-11 के दौरान और 31 जुलाई 2011-12 तक बंद किए गए तारघर

क्र.सं.	सर्किल का नाम	बंद किए गए तारघर			
		2008-09	2009-10	2010-11	31 जुलाई, 2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	00	00	00
2.	आंध्र प्रदेश	182	09	00	00
3.	असम	270	00	03	00
4.	बिहार	159	10	00	00
5.	चेन्नई टेलीफोन	00	03	01	01
6.	छत्तीसगढ़	81	00	00	00
7.	गुजरात	09	08	00	00
8.	हरियाणा	04	04	00	03
9.	हिमाचल प्रदेश	361	01	00	00
10.	जम्मू और कश्मीर	35	01	00	00
11.	झारखंड	11	00	00	00
12.	कर्नाटक	1419	83	00	00
13.	केरल	834	14	35	00
14.	मध्य प्रदेश	19	02	00	01
15.	महाराष्ट्र	45	149	03	02
16.	पूर्वोत्तर-I	10	54	05	00
17.	पूर्वोत्तर-II	59	05	00	00
18.	ओडिशा	470	01	03	00
19.	पंजाब	15	02	08	02
20.	राजस्थान	99	04	01	00

1	2	3	4	5	6
21.	तमिलनाडु	596	171	00	00
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	96	25	00	00
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	10	72	01	00
24.	उत्तरांचल	142	00	01	00
25.	पश्चिम बंगाल	1982	26	00	00
26.	एनटीआर-दिल्ली	03	15	09	01
	कुल	6931	659	70	10

श्री मानिक टैगोर: महोदया, बड़ी संख्या में डाकघर तथा डाकतार कार्यालय बंद हो चुके हैं। पिछले तीन वर्षों में, 24 डाकघर तथा 7670 डाकतार कार्यालय बंद हो चुके हैं। दूसरी ओर, ऐसी खबरें हैं कि सरकार डाक विभाग में बैंकिंग तथा अन्य सेवाओं को शामिल करने पर विचार कर रही है। जब इतने कार्यालय बंद हो चुके हैं तो क्या सरकार एक पुनरुद्धार योजना के बारे में सोचेगी क्योंकि उन्हें निजी क्षेत्र की कूरियर कंपनियों से अधिक खतरा है? सरकार द्वारा बड़ी संख्या में इन कार्यालयों को बंद किया जा रहा है और इसे रोका जाना चाहिए। क्या सरकार के पास कोई पुनरुद्धार योजना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): पिछले तीन वर्ष में, विभाग ने किसी भी डाकघर को बंद नहीं किया है; ऐसे केवल 24 मामले हैं, जहां कार्यालयों को बंद किया गया है–इन सभी 24 मामलों में या तो भू-स्वामियों ने विभाग पर कानूनी कार्यवाही की है अथवा डाकघरों की स्थिति इतनी जीर्ण-शीर्ण है कि उनका चलते रहना सुरक्षित नहीं था। नीति के अंतर्गत हम किसी डाक घर को बंद नहीं करते। महोदया, आपके माध्यम से मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि देश में 1,55,000 डाकघर हैं, पूरे भारत में हमारे 5,80,000 कर्मचारी हैं। डाक विभाग दशकों से महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। परन्तु प्रौद्योगिकी के अस्तित्व में आने के बाद, डाक घरों का मुख्य कार्य घट रहा है। परन्तु हमने डाक घरों के आधुनिकीकरण की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की है। हम डाक घरों के आधुनिकीकरण, नेटवर्क तथा कंप्यूटरीकरण पर 1877 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। हम बहुत सी अन्य सेवाएं आरंभ करने पर भी विचार कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि डाक विभाग के पास इस समय लगभग पांच करोड़ मनरेगा खाते हैं। हम यूआईडी के पंजीयक हैं, हम जनगणना 2011 के आधिकारिक संचार-तंत्र भागीदार हैं, और हम बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाएं आरंभ करने पर भी विचार कर रहे हैं क्योंकि वित्तीय समावेशन का हमारी सरकार का एजेंडा देश के हर कोने में मौजूद बहुत से डाक घरों द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।

श्री मानिक टैगोर: माननीय मंत्री महोदय ने जानबूझकर डाकतार कार्यालयों को छोड़ दिया, जोकि बंद हो गए हैं। इनकी संख्या लगभग 7,670 है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन कर्मचारियों का क्या होगा जो वर्षों से इस विभाग में कार्य कर रहे हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें समायोजित कर लिया गया है अथवा किसी नौकरी के बिना उन्हें घर भेज दिया गया है?

मैं मंत्री महोदय से एक बार फिर यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, न कि शहरी क्षेत्रों में, डाकतार कार्यालयों को बंद होने से रोकने की क्या सरकार की कोई नीति है।

श्री सचिन पायलट: महोदया, मैं अपने युवा सहयोगी को यह बताना चाहता हूं कि डाकतार कार्यालय बीएसएनएल विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं तथा यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में कतिपय कार्यालय, जिनका इस्तेमाल डाकतार तथा फोनोग्राफ सेवाओं के लिए होता था, उन्हें एसएमएस, इंटरनेट तथा मोबाइल फोन के कारण बंद करना पड़ा। आज इस देश में 85 करोड़ मोबाइल कनेक्शन हैं। अत: मांग कम हुई है। तीन वर्ष पूर्व प्रतिदिन 18,500 तार भेजे जाते थे तथा आज यह आंकड़ा 9000 से कम है।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एक भी कर्मचारी को सेवा से हटाया नहीं गया है। उन सभी को लाभकारी सेवाओं

में पुन: नियोजित किया गया है। जिन परिसरों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया, वहां भी लगभग 7000 से अधिक लोगों की सेवाओं का इस्तेमाल अब बीएसएनएल द्वारा टेलीफोनी तथा मोबाइल सेवाओं के अलावा संसाधन जुटाने हेतु सेवा केन्द्र उपलब्ध कराने तथा अतिरिक्त सेवाएं प्रदान रकने के लिए किया जा रहा है। अत: इनमें से कोई भी कार्यालय वास्तव में बंद नहीं हुआ है। उन्हें वापस बीएसएनएल के हवाले कर दिया गया है तथा एक भी कर्मचारी को निकाला नहीं गया है।

श्री भर्तृहरि महताब: युवा मंत्री महोदय से हमारे देश के ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में डाक सेवाओं की स्थिति के बारे में जानकर अच्छा लगा। परन्तु उत्तर में सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "परंपरागत डाक की पद्धति समाप्त होती जा रही है। मोबाइल फोन और इंटरनेट के कारण तार में बहुत कमी आई है।" ये दोनों वाक्य हमारी डाक सेवाओं की स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या परंपरागत डाक नेटवर्क कूरियर सेवा के साथ स्पर्धा नहीं कर पा रहा है। डाक विभाग के ढीले-डाले रवैये के कारण कूरियर सेवा ने डाक और राजस्व के उसके एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो डाकघरों कमी जीण-शीर्ण स्थिति डाकघरों में गिने-चुने कार्मिकों तथा सड़कों पर लगे डाक बक्सों को देखते हुए परंपरागत डाक में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री सचिन पायलट: मैडम, यह कुछ हद तक विडंबना का इश्यू है कि जहां हमारी टैली-डैंसिटी बढ़ रही है, जहां हमारे ब्रॉड-बैंड इंटरनेट की सेवाएं बढ़ रही हैं, वहां लोग अब चिट्ठी और डाक का उपयोग कम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि प्राइवेट कुरियर कंपनीज पोस्टल डिपार्टमेंट को कम्पटीशन दे रही हैं, तो यह बात सच है लेकिन मुझे सभी को बताते हुए खुशी है कि हमारे डिपार्टमेंट का जो स्पीड पोस्ट विभाग है, उसमें 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हर साल हो रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्पीड पोस्ट नेटवर्क को और मजबूत बनाएं। हम लोग उसके लिए सेंटर्स खोल रहे हैं और हम लोगों ने उसके लिए एयरक्रॉफ्ट्स को लीज पर लिया है ताकि हम समय पर पार्सल और आर्टिकल्स पहुंचा सकें।

जहां तक माननीय सदस्य ने कोर-बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कहा है, उसके लिए समय के साथ-साथ हम सभी को बदलना होगा और हमने कोशिश की है कि हमारे लाखों जो एम्प्लाइज हैं उन्हें नयी वर्दी दी हैं और पोस्ट-ऑफिसेज के लुक एंड थिंक के साथ-साथ उनके अंदर क्षमताएं बढ़ाने के लिए काफी पैसा हमने दिया है ताकि हमारे लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि डाक विभाग ने जो सदियों से, दशकों से देश को सेवा दी है उसमें कोई कमी आयेगी। माननीय सदस्य को बताते हुए मुझे खुशी है कि पिछले दो सालों में उडत्रेसा में हमने 22 नये डाकखाने खोले हैं।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: मैडम, माननीय मिनिस्टर ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग की काफी रोजी पिक्चर हमारे सामने रखी है।

[अनुवाद]

उन्होंने लाखों कार्यालयों तथा खर्च किए जा रहे करोड़ों रुपयों का उल्लेख किया है। परन्तु, अधिकांश डाक घर, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही जर्जर अवस्था में हैं।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल के लिए केवल एक ही मिनट बचा है। इसलिए, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदया कुछ सकारात्मक कदम उठाएंगे, जिससे कि लोगों को डाकघर जाने के लिए 8 से 10 मील तक चलकर न जाना पड़ें। क्या वह नए डाकघरों को खोलने तथा नए लोगों को नियुक्त करने के लिए कदम उठाएंगे?

[हिन्दी]

श्री सचिन पायलट: मैडम, नये पोस्ट-ऑफिसेज खोलने को जो नये मापदंड हैं, उसमें दो तरह के इलाके हैं। जो नॉर्मल इलाके हैं वहां हम चाहते हैं वहां हम चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिसेज 33 प्रतिशत यानी एक-तिहाई रैवेन्यू होना चाहिए लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिली इलाके हैं वहां पर हम केवल 15 प्रतिशत कोस्ट-रिकवरी मैनडेट करते हैं। असम के अंदर पिछले दो सालों में हमने 19 पोस्ट-ऑफिसेज खोले हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: मैं असम की बात नहीं कर रही हूं। मैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड तथा हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रही हूं।

श्री सचिन पायलट: हर जगह ही पर्वतीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र तथा दुर्गम क्षेत्र हैं, नए डाकघरों को खोलने के लिए बहुत

ही सरल मापदण्ड हैं, जोकि एक सतत् प्रक्रिया है। परन्तु, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूर्वोत्तर में केवल डाकघर ही नहीं बल्कि जितने भी संचार माध्यमों को स्थापित किया जा सकता है, उन्हें स्थापित किया जाएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मध्याहन भोजन योजना

***305. श्री वैजयंत पांडा:**
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्याहन भोजन योजना विद्यालय में भोजन मुहैया कराने वाला विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितने विद्यालयों को शामिल किया गया है और कितने बच्चों को ऐसा भोजन दिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार मध्याहन भोजन योजना को देश के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित गैर-सहायता प्राप्त तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम में और सुधार करने का है ताकि विद्यालयों में विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के प्रवेश को बढ़ावा दिया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) मध्याह्न भोजन योजना से वर्तमान में 11.92 लाख सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायाता प्राप्त स्कूलों, सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों और मदरसों तथा मकताबों में 10.46 करोड़ बच्चे लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जनजातीय तथा अल्पसंख्यक क्षेत्रों में गैर-सहायता प्राप्त निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के विस्तार के मुद्दे की जांच के लिए 2009 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(ङ) और (च) सरकार ने निम्नलिखित को शामिल करने के लिए 2009-10 में मध्याह्न भोजन योजना में संशोधन किए:

(i) उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए खाद्य मानदंडों में ऊर्ध्वगामी संशोधन

(ii) दालों, सब्जियों, तेल, नमक तथा मसालों एवं ईंधन की आपूर्ति हेतु भोजन पकाने की लागत में वृद्धि

(iii) प्रत्येक रसोइए-सह-सहायक के लिए 1000/-रुपए प्रतिमाह के मानदेय का अलग प्रावधान

(iv) रसोई-सह-भंडारगृह के निर्माण की लागत प्लिंथ एरिया के आधार पर तथा फ्लैट इकाई लागत के स्थान पर दरों की राज्य अनुसूची

(v) विशेष श्रेणी के 11 राज्यों अर्थात 8 पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में इन राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुरूप परिवहन सहायता

(vi) जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों की लागत के भुगतान का विकेन्द्रीकरण।

मध्याह्न भोजन योजना में प्रावधान है कि रसोइए-सह-सहायक की भर्ती करते हुए लाभवंचित समूहों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक श्रेणियों के व्यक्तियों को वरीयता दी जानी चाहिए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में लाभवंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के सदस्यों के साथ स्कूल प्रबंध समिति का गठन करना अनिवार्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मॉडल नियमों के अनुसार स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों से स्कूल में मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने की अपेक्षा की जाती है।

स्वतंत्र मानीटरिंग संस्थाओं को उनकी रिपोर्ट में जाति तथा लिंग के आधार पर होने वाले किसी भेदभाव की रिपोर्ट देने के विशेष निर्देश दिए गए हैं।

परमाणु ऊर्जा उत्पादन

***306. श्री रामसिंह राठवा:**
श्री पी.के. बीजू:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ परमाणु विद्युत संयंत्र अपनी क्षमता के अनुसार परमाणु विद्युत का उत्पादन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौराइन इन संयंत्रों द्वारा संयंत्र-वार इनकी उत्पादन क्षमता की तुलना में कितनी मात्रा में परमाणु विद्युत का उत्पादन किया गया है; और

(घ) देश में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इन संयंत्रों से विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) 4780 मेगावाट स्थापित क्षमता वाले 20 नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों में से 19 प्रचालनरत हैं। एक रिएक्टर (पहला दाबित भारी पानी रिएक्टर, राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1), नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तारित शट-डाउन की स्थिति में है। 2840 मेगावाट क्षमता वाले दस रिएक्टर जिनमें, कैगा उत्पादन केन्द्र-1 से 4 (4×220 मेगावाट) तथा तारापुर परमाणु बिजलीघर-3 तथा 4 (2×540 मेगावाट) शामिल है, में स्वदेशी ईंधन को ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है, जोकि आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, इन्हें ईंधन की आपूर्ति के अनुरूप अपेक्षाकृत कम विद्युत स्तरों पर प्रचालित किया जा रहा है। शेष नौ रिएक्टर जोकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के सुरक्षोपायों के अधीन हैं, ये आयातित ईंधन को काम में लाया जाता है। ये रिएक्टर निर्धारित क्षमता पर काम कर रहे हैं।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार, नई खानें तथा संसाधन सुविधाएं खोलकर, स्वदेशी ईंधन आपूर्ति में वृद्धि करने का प्रयास कर रही हैं। सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2009-10 से लेकर स्वदेशी ईंधन की आपूर्ति में वृद्धि हुई है।

विवरण

यूनिट	क्षमता मेगावाट	उत्पादन मिलियन यूनिट में			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 जुलाई, 2011 तक
तारापुर परमाणु बिजलीघर-3	540	1922	2787	3582	1551
तारापुर परमाणु बिजलीघर-4	540	2030	2754	3124	875
मद्रास परमाणु बिजलीघर-1	220	732	938	1260	312
मद्रास परमाणु बिजलीघर-2	220	785	1108	980	427
नरोरा परमाणु बिजलीघर-1	220	740	818	1228	407
नरोरा परमाणु बिजलीघर-1	220	0	0	658	236
कैगा-1	220	1157	1011	1259	461
कैगा-2	220	1079	1111	988	443
कैगा-3	220	452	1112	1334	403
कैगा-4	220	-	-	295	562

टिप्पणी:

1. नरोरा परमाणु बिजलीघर-2 को 18.12.2007 से 06.09.2010 तक नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण (आरएंडएम) के लिए शट-डाउन किया गया था।
2. कैगा-4 ने 20.01.2011 को वाणिज्यिक रूप से प्रचालन शुरू किया था।
3. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, मद्रास परमाणु बिजलीघर-1, नरोरा परमाणु बिजलीघर-2 और तारापुर परमाणु बिजलीघर-4 को अनुरक्षण कार्यों के लिए शट-डाउन किया गया था।

[हिन्दी]

कोयला खानों में आग लगने तथा उनके धंसने की घटनाएं

***307. श्री भीष्म शंकर** उर्फ **कुशल तिवारी:**
श्री राम सुन्दर दास:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कोयला क्षेत्रों/कोयला खानों में आग लगने और उनके धंसने की घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक कोयला खान-वार तथा राज्य-वार तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक खान में यह आग कितने समय से लगी हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इसके परिणामस्वरूप जानमाल तथा कोयले के नुकसान का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कोयला खान-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितनी कोयला खाने बंद हुई हैं या उन्हें बंद किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) प्रभावित लोगों को मुआवजा देने, अन्यत्र बसाने तथा उनका पुनर्वास करने और साथ ही भविष्य में आग लगने तथा धंसने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी, हां। जैसा कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा सूचित किया गया है, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दुर्घटनाओं का कोयला खान-वार और राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	राज्य	खान/क्षेत्र	कोयला कं.	कारण
1	2	3	4	5
2008	महाराष्ट्र	बीसी 3 एंड 4 पिट, बल्लरपुर एरिया	डब्ल्यूसीएल	आग
		एचएलसी-1, चन्द्रपुर एरिया		
	मध्य प्रदेश	थिसगौरा खान, पेंच एरिया	एसईसीएल	धंसाव
		गोविन्दा यूजी		
		जुमना 11/12 इंक		
	झारखंड	सेन्दरा बांसजोरा कोलियरी	बीसीसीएल	आग
		गोधर		
		तेतुलमारी		
		काकेनी		

1	2	3	4	5
	पश्चिम बंगाल	संग्रामगढ़, सालनपुर	ईसीएल	आग एवं धंसाव
	झारखंड	सेन्दरा बांसजोरा कोलियरी	बीसीसीएल	आग
2009		जेलगोरा कोलियरी		
		बरारी कोलियरी		
		मुरूलीडीह 20/21 पिट्स		
	महाराष्ट्र	सास्ती यूजी, बल्लरपुर एरिया	डब्ल्यूसीएल	आग
		सिलवेरा यूजी, नागपुर एरिया		
	मध्य प्रदेश	मोहन कोलियरी, कान्हा एरिया		
		पेंच इस्ट इनक्लाइन, रावनवारा खास कोलियरी पेंच एरिया		
	झारखंड	गोधर	बीसीसीएल	
		गोधर		
		सेन्दरा बांसजोरा कोलियरी		आग
		न्यू आकाशकिनारी कोलियरी		
		बसतीमाता दही बारी कोलियरी (ओसीसी)		
		घानूडीह कोलियरी (ओसीपी)		
		राजापुर कोलियरी (ओसीपी)		
		कूरीडीह ब्लॉक-IV कोलियरी		
2010	पश्चिम बंगाल	पारसकोल (वेस्ट) कजोरा	ईसीएल	धंसाव
	महाराष्ट्र	एनएमसी-III, माजरी एरिया	डब्ल्यूसीएल	आग
		साओनर-II, नागपुर एरिया		
		दुर्गापुर रैयतवारी कोलियरी, चन्द्रापुर एरिया		
	मध्य प्रदेश	मोहन कोलियरी, कान्हा एरिया		
	छत्तीसगढ़	अंजन हिल यूजी	एसईसीएल	स्वतः तापन
		राजागामर 6 एवं 7		
		ढेलवाडीह		

1	2	3	4	5
	पश्चिम बंगाल	छातीमंडगा, श्रीपुर	ईसीएल	धंसाव
	महाराष्ट्र	साओनर-II, नागपुर एरिया	डब्ल्यूसीएल	आग
		एचएलसी-1, चन्द्रपुर एरिया	डब्ल्यूसीएल	आग
	मध्य प्रदेश	मोहन कोलियरी, कान्हा एरिया		आग
		पेंच ईस्ट इन्कलाइन, रावनवारा खास कोलियरी पेंच एरिया		आग
2011	छत्तीसगढ़	एनसीपीएच कोलियरी	एसईसीएल	स्वत: तापन
		राजगमर		
	मध्य प्रदेश	जमुना 9 से 10		धंसाव
		बांसदेवपुर	बीसीसीएल	आग
		तेतुलमारी		

(ग) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल):

1. संग्रामगढ़ कोलियरी (सामदी), सालनपुर क्षेत्र, मार्च, 2009 से।

2. कुनुस्तोरिया कोलियरी, कुनुस्तोरिया क्षेत्र को 31.10. 2009 को स्वत: तापन के कारण अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था। इस खान को 05.04.2011 को सफलतापूर्वक पुन: खोला गया है और सामान्य उत्पादन क्रियाकलाप 08.04.2011 को शुरू किए गए हैं।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीससीएल):

झरिया कोलफील्ड में आग का इतिहास 1916 से है जब आग की घटना भौरा कोलियरी के बारे में सूचित की गई थी।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)

उत्तर (क) और (ख) में यथा उल्लिखित खाने जहां भूमिगत खान में आग की घटनाएं हुई थीं, इस समय उस स्थान को अस्थायी रूप से बंद अथवा करने के बाद प्रचालन में है, जहां उस एक खान अर्थात पेंच ईस्ट इनक्लाइन (रावनवारा खास कोलियरी) मध्य प्रदेश राज्य में पेंच एरिया को छोड़कर आग/स्वत: तापन हुई थी, जिसे 20.02.11 को आग के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है तथा खान को फिर से खोला जाएगा जैसे ही खान के भीतर आग खत्म हो जाती है और बंद खान के भीतर ऑक्सीजन कम हो जाता है। एक बार खान पुन: खुल जाने पर खान के अंदर पड़ी मशीनरी को कोयला उत्पादन पुन: शुरू करने के लिए प्रचालित किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) घटनाओं के ब्यौरे उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में दिए गए हैं। तथापि, खान में आग और धंसाव के फलस्वरूप जान-माल और कोयले की क्षति का आकलन सीआईएल द्वारा किया जाता है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में हुई घटनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल):

मास्टर प्लान के अनुसार, एक आकलन किया गया है कि लगभग 37 मि.ट. अच्छी कोटि का कोकिंग कोयला नष्ट हुआ है और 1453 मि.ट. कोयला आग के कारण बंद पड़ा है।

ईसीएल (पश्चिम बंगाल): छातिमंदगा (2011) में, 5 लोगों और पारस कोल (पश्चिम) (2010) में 4 लोगों की मृत्यु धंसाव के कारण हुई। राष्ट्रीयकरण के पूर्व की अवधि के दौरान अवैज्ञानिक

खनन के कारण अस्थिर स्थान के मामलों की पहचान 2661 करोड़ रु. की अनुमानित राशि के लिए अगस्त, 2009 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ईसीएल का रानीगंज कोयला बेस्ट क्षेत्र में आग, धंसाव, पुनर्वासन और अवसंरचना में परिवर्तन से संबंधित मास्टर प्लान में की गई है।

डब्ल्यूसीएल: भूमिगत खान आग की घटनाओं में लोगों के मृत्यु का कोई मामला नहीं हुआ है। भूमिगत पैनलों में आग/स्वतः तापन की घटना के बाद, उन्हें अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ऐसे पैनलों को पैनल के भीतर तापन/आग के कोई संकेत न मिलने के बाद फिर से खोला जाता है। तत्पश्चात्, इन पैनलों से कोयला निकाला जाता है। अतः उन प्रक्रियाओं में किसी कोयले अथवा सम्पत्ति की हानि नहीं होती है।

एसईसीएल: ऐसी स्वतः तापन तथा धंसाव की सामान्य घटना के कारण उक्त अवधि के दौरान जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(च) सरकार द्वारा प्रभावित लोगों को मुआवजा देने, अन्यत्र बसाने और पुनर्वासित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

रानीगंज और झरिया के खनिज क्षेत्रों में आग और धंसाव के मुद्दों का समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने आग संबंधी समस्याओं, धंसाव समस्याओं और सतही अवसंरचना में परिवर्तन से निपटने के लिए अगस्त, 2009 में एक मास्टर प्लान का अनुमोदन किया है जिसका कार्यान्वयन 9773.84 करोड़ रु. की अनुमानित निवेश से क्रमशः 10/12 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। आसनमोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) और झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) को रानीगंज कोलफील्ड्स (आरसीएफ) से लगभग 30,000 परिवारों और झरिया कोलफील्ड्स (जेसीएफ) से लगभग 79,000 परिवारों को गैर-कोयलाधारी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत सुरक्षित टाउनशिप में पुनर्वासित के लिए य्मशः पश्चिम बंगाल सरकार और झारखंड सरकार के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में अभिज्ञात किया गया है। मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार जेसीएफ में 595 स्थलों और आरसीएफ में 135 स्थलों की पहचान की गई है जिन्हें आग/धंसाव से प्रभावित क्षेत्रों के कारण पुनर्वासित किए जाने का प्रस्ताव है।

सहायक कंपनियों द्वारा इस प्रकार की आग की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- **भूमिगत खान के लिए:**
  - ✤ सीमें स्वतंत्र संवातन व्यवस्था वाली पैलन प्रणाली से खनित की जा रही हैं।
  - ✤ कृत्रिम पैनल बनाने के लिए सेक्शनेलाइजेशन स्टॉपिंग्स का निर्माण जहां खनन बिना पैनल प्रणाली से किया जाता है।
  - ✤ गिरे हुए कोयले, शेल और अन्य कार्बन वाली सामग्रियों को नियमित रूप से हटाया जाता है।
  - ✤ पैनल अलग हो जाता है जैसे ही उसे गोब्ड आउट किया जाता है।
  - ✤ दाब मात्रा (पीक्यू) सर्वेक्षण तकनीकी/वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है।
  - ✤ हवा का मौके पर नमूनाकरण तथा उसका विश्लेषण सांविधि के अनुसार सभी भूमिगत खानों में किया जा रहा है।
  - ✤ टेली-मानीटरिंग प्रणालियां कुछ भूमिगत खानों में स्थापित की जाती हैं।
  - ✤ स्टोन डस्टिंग की जा रही है।
  - ✤ नियमित भूमिगत निरीक्षण और पुरानी खदान निरीक्षण खान अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाता है।
  - ✤ खान की सुरक्षा स्थिति में सुधार लाने तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर आवधिक विशेष सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।
  - ✤ बंद क्षेत्रों के भीतर वातावरण तथा कार्य संबंधी वातावरण की सतत मानीटरिंग उचित उपकरणों की सहायता से की जा रही है।
  - ✤ आग से निपटने के लिए आपातकालीन संगठन योजना सांविधि के अनुसार प्रत्येक खान में विद्यमान है।
  - ✤ बचाव केन्द्र/कक्ष आदि सभी खानों के लिए चौबीस घंटे आपातकालीन सेवाओं से पूर्णतः लैस हैं।
- **ओपनकास्ट खानों के लिए**
  - ✤ कोल फेस को सही ढंग से रखा जाता है।
  - ✤ उचित जल छिड़काव कोल फेसों पर किया जाता है जो स्वतः तापन के लिए ग्राहय हैं।

- **धंसाव की घटना को रोकने के लिए उठाए गए कदम:**

    - ✤ पैनलों के ऊपर ओवरलाइंग क्षेत्रों के रूप में धंसाव की नियंत्रित प्रणाली बसे हुए लोगों और अन्य ढांचों से मुक्त है। खानों में जहां रेत भराई एक पद्धति है, रेत भराई सही रूप से करना सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है।

    - ✤ निर्मित क्षेत्र में खदानें सीमित होती हैं ताकि धंसाव से बचा जा सके। यदि किसी कारण से ढांचों अथवा भारी ट्रैको के लिए कोई खतरा देखा जाता है तो मुआवजा और पुनर्वासन की व्यवस्था, खान प्रबंधन द्वारा कंपनी की अनुमोदित आर-आर नीति के अनुसार की जाती है।

    - ✤ जिन निर्मित क्षेत्र, में लोग रहे रहे हैं, उनमें प्रत्यक्ष धंसाव की अनुमति डीजीएमएस द्वारा ऐसे ढांचों के नीचे पिल्लरों की निकासी के लिए नहीं दी ज़ाती है।

    - ✤ धंसाव क्षेत्रों में जल प्रवाह पर निगरानी रखी जाती है ताकि सतही जल भूमिगत खानों में न जाए।

[अनुवाद]

डाकघरों में वित्तीय सेवाएं

*308. **श्री के. शिकुमार** उर्फ **जे.के. रितीशः**
श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोडः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस समय डाकघरों में विभिन्न प्रकार की कौन-कौन सी वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं;

(ख) क्या ये सेवाएं आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या डाक विभाग का विचार बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) डाक विभाग डाकघरों के माध्यम से मुख्यत: दो प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ये हैं, विभाग की अपनी वित्तीय सेवाएं (जैसे मनीआर्डर, डाक जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा) और एजेंसी अथवा साझेदारी के आधार पर प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं। इन सेवाओं में वित्त मंत्रालय की तरफ से लघु बचत योजनाएं, पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण की ओर से नई पेंशन स्कीम और अंतर्राष्ट्रीय धनांतरण सेवा शामिल हैं।

(ख) और (ग) इन सेवाओं की आर्थिक व्यवहार्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ऐसी विभिन्न सेवाओं पर विभाग द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए खर्च का पता नहीं लगाया जा सकता।

(घ) और (ङ) डाक विभाग द्वारा डक बैंक स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच करवाने का प्रस्ताव है। तथापि, यह प्रस्ताव अभी वैचारिक स्तर पर ही है।

कोयला ब्लॉकों का विकास

*309. **श्री यशवंत लागुरीः**
श्री एस. अलागिरीः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में चलाई जा रही केन्द्रीय कोयला परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी कितनी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूरी कर ली गई हैं;

(ग) विभिन्न कंपनियों को आबंटित रक्षित कोयला ब्लॉकों के विकास में राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकारी तथा निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों ने उन्हें आबंटित कोयला ब्लॉकों को सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार विकसित नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने उक्त कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू की है या उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) 20 करोड़ रु. और उससे अधिक की लागत वाली कोयला और लिग्नाइट परियोजनाएं (सभी उत्पादक), जिन्हें कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	राज्य	कंपनी	पूर्ण परियोजनाओं की सं.	चल रही परियोजनाओं की सं.	परियोजनाओं की कुल सं.	परियोजनाओं की कुल सं. (राज्य-वार)
1.	छत्तीसगढ़	एसईसीएल	14	15	29	29
2.	मध्य प्रदेश	एसईसीएल	08	06	14	27
		एनसीएल	03	04	07	
		डब्ल्यूसीएल	05	01	06	
3.	झारखंड	ईसीएल	02	01	03	
		बीसीसीएल	07	00	07	31
		सीसीएल	05	16	21	
4.	पश्चिम बंगाल	ईसीएल	08	09	17	17
5.	उत्तर प्रदेश	एनसीएल	02	01	03	03
6.	महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	18	07	25	25
7.	ओडिशा	एमसीएल	10	09	19	19
8.	तमिलनाडु	एनएलसी	00	03	03	03
9.	राजस्थान	एनएलसी	00	01	01	01
	कुल		82	73	155	155

(ख) पूरी की गयी 82 परियोजनाओं में से 51 कार्यक्रमानुसार पूरी की गयी हैं।

(ग) से (ङ) आबंटित किए गए कुल 194 कोयला ब्लाकों में से 28 कोयला ब्लाकों में उत्पादन आरंभ हो गया है और शेष 166 कोयला ब्लाकों में से अन्त्य उपयोग

संयंत्र/ब्लॉक विकास के विभिन्न स्तरों में हैं। इन ब्लाकों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटित कोयला ब्लॉकों की संख्या	उत्पादन वाले कोयला ब्लॉकों की संख्या
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	01	01
2.	आंध्र प्रदेश	01	00
3.	छत्तीसगढ़	39	07

1	2	3	4
4.	झारखंड	51	04
5.	मध्य प्रदेश	25	02
6.	महाराष्ट्र	24	08
7.	उड़ीसा	33	01
8.	पश्चिम बंगाल	20	05
	कुल	194	28

विकास की ब्लॉक/कंपनी-वार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(च) और (छ) समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान 19 कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द किया गया है जिनका राज्य-वार और कंपनी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसी भांति, कार्यक्रम के अनुसार कोयला ब्लॉकों को विकसित न करने वाले कोयला ब्लॉक आबंटितियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और कंपनी-वार जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

यूएमपीपी क्षेत्र में आबंटित कोयले की सूची

छत्तीसगढ़

राज्य (ब्लाक)	आबंटन की तारीख दिन/माहा वर्ष	निर्धारित किया गया	ब्लॉक का नाम	आबंटिती का नाम	ब्लॉकों की संख्या	सरकारी/ निजी	अन्त्य उपयोग परियोजना	लंबित लक्ष्यों की स्थिति	बलॉक जीआर मि.ट. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
छत्तीसगढ़	09.09	2006	पिन्दराखी	अकलतारा पावर लि.	1	निजी	यूएमपीपी	विकासकर्ता द्वारा एमपी. एफसी/ईएमपी, कोयला ब्लॉक तैयारी जैसे सभी-कार्यकलाप किए जाएंगे। विकासकर्ता का चयन अभी तक नहीं किया गया है। नो गो वन क्षेत्र	421.5
छत्तीसगढ़	09.09.2009	2006	पुटा परोगिया	अकलतारा पावर लि.	1	निजी	यूएमपीपी	वही	692.16
कुल					2				
झारखंड									
झारखंड	20.07.2007	2006	किरनदारी बीसी	झारखंड यूएमपीपी	1	निजी	यूएमपीपी	एफसी (चरण-1), ईएमपी, एमएल एवं एलए लंबित हैं।	972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
झारखंड	26.06.2009	2006	मौर्या	जेएसईबी	1	निजी	यूएमपीपी	प्रतियोगी बोली को माध्यम से एसपीपी का चयन अभी नहीं किया है। बीजी प्रस्तुत किया जाना लंबित है।	22535
कुल					2				
मध्य प्रदेश									
मध्य प्रदेश	26.10.2006	अल्ला पहचान	छत्रसाल	विद्युत वित्त निगम लि.	1	निजी	यूएमपीपी	एफसी ईएमएल एवं एलए लंबित है। एनओईएफ के निदेशानुसार चरण-2 वन स्वीकृति के लिए ईएमपी रोकी गयी। नो गो वन क्षेत्र।	150
मध्य प्रदेश	13.09.2006	अल्ला पहचान	मेहेर	विद्युत वित्त निगम लि.	1	निजी	यूएमपीपी	एमएल एवं एलए लंबित है। एमओईएफ द्वारा नो गो वन क्षेत्र घोषित किए गया	402
मध्य प्रदेश	13.09.2006	अल्ला पहचान	मेहेर-अमलोहरी विस्तार	विद्युत वित्त निगम लि.	1	निजी	यूएमपीपी	एमएल एवं एलए लंबित है। एमओईएफ द्वारा नो गो वन क्षेत्र घोषित किए गया	198
कुल					3				
महाराष्ट्र									
महाराष्ट्र	17.07.2008	2006	भिवकुण्ड	महाजेनको	1	निजी	पावर	डिलिंग मार्च 2011 में पूरी की गयी। अंतिम जीआर अप्रैल 2011 में संभावित है। एमओईएफ ने परियोजना को तीन वैकल्पिक स्थल की सलाह दिया है।	100
कुल					1				
ओडिशा									
ओडिशा	13.09.2009	मीनाक्षी	विद्युत वित्तत निगम लि.		1	निजी	यूएमपीपी	विकासकर्ता के चयन की प्रक्रिया अभी चयनित नहीं की गयी है। नो गो वन क्षेत्र	285
ओडिशा	13.09.2009	मीनाक्षी बी	विद्युत वित्तत निगम लि.		1	निजी	यूएमपीपी	विकासकर्ता के चयन की प्रक्रिया अभी चयनित नहीं की गयी है। नो गो वन क्षेत्र	250
ओडिशा	13.09.2009	मीनाक्षी की डीप साइड	विद्युत वित्तत निगम लि.		1	निजी	यूएमपीपी	विकासकर्ता के चयन की प्रक्रिया अभी चयनित नहीं की गयी है। नो गो वन क्षेत्र	350
ओडिशा	13.09.2009	बनखुई	साखीगोपाल इन्टीग्रेटेड पावर		1	निजी	यूएमपीपी	कोयला ब्लॉकों के विकास से संबंधित सभी कार्यकलाप विकासकर्ता द्वारा किए जाएंगे जिसका चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के आधार पर टेरिफ के माध्यम से किया जाएगा।	800
कुल					4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश									
मध्य प्रदेश	21.06.1996	विज्ञापन रहित	गोटीटोरिया ईस्ट एंड वेस्ट	बीएलए	2	निजी	पृथक	उत्पादन ब्लॉक	9.233
कुल					2				
महाराष्ट्र									
महाराष्ट्र	08.10.2003	विज्ञापन रहित	वरोरा (साउथ)	फील्ड माइनिंग एंड इस्पात लि.	1	निजी	वाणिज्यिक	विगत अनुमोदन के लिए परियोजना रोकी गई है। कोई वन भूमि शामिल नहीं है।	18

इस्पात क्षेत्र में आबंटित कोयले की सूची

छत्तीसगढ़									
छत्तीसगढ़	20.06.1996	विज्ञापन रहित	गारे-पालाम-IV/1	जेएसपीएल	1	निजी	आयरन एंड स्टील	उत्पादक ब्लाक।/पीआरसी प्राप्त किया गया	124
छत्तीसगढ़	21.06.1996	विज्ञापन रहित	गारे-पालाम-IV/5	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	उत्पादक ब्लाक।	126
छत्तीसगढ़	16.08.1999	विज्ञापन रहित	गारे-पालाम-IV/4	जायसवाल नेको लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	उत्पादक ब्लाक	125
छत्तीसगढ़	25.04.2000	विज्ञापन रहित	गारे-पालाम-IV/7	रायपुर एलोयज एंड स्टील लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	उत्पादक ब्लाक	156
छत्तीसगढ़	04.06.2006	विज्ञापन रहित	चोतिया	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	उत्पादक ब्लाक। पीआरसी प्राप्त किया गया	34.48
छत्तीसगढ़	13.01.2006	विज्ञापन रहित	गारे-पालाम-IV/6	जेएसपीएल एंड नलवा स्पांज आयरन लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी (चरण-II), एमएल एवं एल, एमएल का पूर्व अनुमोदन कोयला मंत्रालय में लंबित है।	156
छत्तीसगढ़	13.01.2006	विज्ञापन रहित	गारे-पालाम-IV/8	जायसवाल नेको लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	चरण-II वन स्वीकृति, एमएल, एल लंबित है। नो गो वन क्षेत्र	107.2
छत्तीसगढ़	13.01.2006	विज्ञापन रहित	मदनपुर एन	अल्ट्राटेक लि. एंड अन्य	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी/ईएमपी स्वीकृति एमएल एवं एलए लंबित हैं। एमओईएफ ने नो गो वन क्षेत्र घोषित किया है।	179
छत्तीसगढ़	13.01.2006	विज्ञापन रहित	मदनपुर एस	हिन्दुस्तान जिंक लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी/ईएमपी स्वीकृति एमएल एवं एलए लंबित हैं। एमओईएफ ने नो गो वन क्षेत्र घोषित किया है।	175.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
छत्तीसगढ़	13.01.2006	विज्ञान रहित	मदनपुर एस	हिन्दुस्तान जिंक लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी/ईएमपी स्वीकृति एमएल एवं एलए लंबित हैं। एमओईएफ ने नो गो वन क्षेत्र घोषित किया है।	175.65
छत्तीसगढ़	13.01.2006	विज्ञान रहित	नैकिया I, II	स्पात गोदावरी लि. एंड अन्य	2	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी/ईएमपी स्वीकृति एमएल एवं एलए लंबित हैं। एमओईएफ ने नो गो वन क्षेत्र घोषित किया है।	243
छत्तीसगढ़	21.11.2008	06 नवंबर 2006	भास्करपारा	इलैक्ट्रोथर्म (इंडिया) लि. ग्रासिम इंडस्टीज लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	पिछला अनुमोदन, एफसी चरण-I ईएमपी, एमएल, एलए लंबित है।	47.91
छत्तीसगढ़	03.06.2009	06 नवंबर 2006	रजागमर डीपसाईड (साउथ ऑफ फुलाकडीन नाला)	एनआईएल, टोमवर्थ स्टील	1	निजी	आयरन एंड स्टील	जीआर की खरीद की गयी और एमपी प्रस्तुत किया गया। सभी अन्य कार्यकलाप लंबित हैं।	61.7
छत्तीसगढ़	05.08.2008	06 नवंबर 2006	केसला नार्थ	राठी उद्योग लि.	1	निजी		एमएल अनुदान, एफसी/ईएमपी स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण लंबित हैं।	36.15
कुल					14				
झारखंड									
झारखंड	26.02.1996	विज्ञापन रहित	तासरा	आईआईएससीओ/सेल	1	निजी	आयरन एंड स्टील	उरुपादन नवंबर 2009 से आरंभ किया गया।	285
झारखंड	09.04.2007	9 सितंबर 2005	सीतानाला	सेल	1	निजी	आयरन एंड स्टील	ईएमपी, एमएल एवं एलए लंबित है। कोई वन भूमि शामिल नहीं है।	108.8
झारखंड	01.10.1999	विज्ञापन रहित	ब्रह्मडीह	कैस्टोन लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	कोयला मंत्रालय केक अंतिम निर्णय के लिए ओपनिंग अनुमति की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। कंपनी के पास अपना इस्पात संयंत्र नहीं है।	2.22
झारखंड	29.09.2003	विज्ञापन रहित	कथौटिया	ऊषा मार्टिन लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	उत्पादन दिसंबर 2008 में आरंभ हुआ	29.76
झारखंड	13.05.2005	विज्ञापन रहित	मोहतरा	जयसवाल नेको लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी एमएल और एलए लंबित है	215.78
झारखंड	26.05.2005	विज्ञापन रहित	ब्रिन्दा, ससई और मेरल	अभिजीत इन्फ्रा प्रा.लि.	3	निजी	आयरन एंड स्टील	विगत अनुमोदन एमएल, एफसी (चरण) एलए लंबित है। मेराल ब्लाक में कोई वन भूमि शामिल नहीं है।	78.12
झारखंड	07.07.2005	विज्ञापन रहित	पर्वतपुर सेन्ट्रल	इलैक्ट्रोस्टील कास्टिंग लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	उत्पादन दिसंबर 2008 में आरंभ हुआ	231.22
झारखंड	08.07.2005	विज्ञापन रहित	लालगढ़	डोमको	1	निजी	आयरन एंड स्टील	खनन योजना के अनुमोदन के लिए विकास कार्य रोक दिया गया।	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
झारखंड	11.08.2005	विज्ञापन रहित	कोतरी बसतपुर	टाटा स्टील लि.	2	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी, एमएल एवं एलए लंबित है। नो गो वन क्षेत्र।	250.39
झारखंड	24.08.2005	विज्ञापन रहित	लोहारी	ऊषा मार्टिन लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	विगत अनुमोदन एमएल एफसी (चरण) एलए लंबित है। मेराल ब्लॉक में कोई वन भूमि शामिल नहीं है।	9.99
झारखंड	02.09.2005	विज्ञापन रहित	चित्रपुर नार्थ	कॉर्पोरेट इस्पात एलास लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एमएल एफसी (चरण) एलए लंबित है।	212.01
झारखंड	13.01.2006	विज्ञापन रहित	नार्थ धादू	इलैक्ट्रास्टील कास्टिंग लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एमसी ईएमपी एमएल एवं एलए लंबित है।	923.94
झारखंड	13.01.2006	विज्ञापन रहित	डुमरी	नीलाचल आयरन एंड बजरंग इस्पात	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी (चरण-) ईएमपी एमएल एवं एलए लंबित है।	18
झारखंड	25.04.2006	विज्ञापन रहित	बून्दु	रूंगटा	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी (चरण-) ईएमपी एमएल एवं एलए लंबित है। नो गो वन क्षेत्र	102.1
झारखंड	14.05.2008	9 सितम्बर 2005	चोरीटांड तैलिया	रूंगटा माइन्स लि. सनफ्लेग आयन स्टील लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी (चिरण-) ईएमपी एमएल एवं एलए लंबित है।	27.42
झारखंड	05.06.2008	9 सितम्बर 2005	रोहने	जेएसडब्ल्यू स्टील भूषण पावर एंड स्टील एंड जय बालाजी इंडस्ट्रीज	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी, ईएमपी एमएल एवं एलए लंबित है। कोकिंग कोयला ब्लॉक। नो गो वन क्षेत्र	249.99
झारखंड	05.08.2008	6 नवम्बर 2005	मचरकुण्डा	बिहार स्पंज आयरन लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	भूमि अंतरण मुद्दे के कारण एमएल, एलए ईएमपी, एफसी लंबित है।	23.86
झारखंड	20.11.2008	6 नवम्बर 2005	राजहारा नार्थ (सेंटल एंड ईस्टर्न)	मुकुद लिमिटेड दिनी आयरन एंड स्टील लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एमपी अनुमोदन ईएमपी, एमएल एवं एलए लंबित है।	17.09
कुल					21				
मध्य प्रदेश									
मध्य प्रदेश	29.05.2007	9 सितंबर 2005	रावनवारा नार्थ	एसकेएस इस्पात लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	विगत अनुमोदन एफसी, ईएमपी स्वीकृति एमएल अनुमोदन और भूमि अधिग्रहण लंबित है। अपूर्ण जीआर	174.07
मध्य प्रदेश	01.08.2007	9 सितंबर 2005	ब्रह्मपुरी	पुष्प इस्पात	1	निजी	आयरन एंड स्टील	विगत अनुमोदन एफसी, ईएमपी एमएल एवं एलए लंबित है।	55.05
मध्य प्रदेश	05.08.2008	6 नवंबर 2006	ठाडला-II ठाडसी-III	मैस्को स्टील लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी (चरण-I)ईएमपी एमएल एवं एलए लंबित है।	17.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	21.11.2008	6 नवंबर 2006	थेसगोरा-बी/ रुद्रपुरी	कमल स्पोज, रेवती सीमेंट लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	ईएमपी, एलएल एवं एलए लंबित है। वन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। पेंच टाइगर रिजर्व के कारण परियोजना में विलंब हुआ।	45.04
मध्य प्रदेश	12.10.2009	6 नवंबर 2006	उर्तन नार्थ	जेएसपीएल	1	निजी	आयरन एंड स्टील	सभी लक्ष्य लंबित है।	
कुल					8				
महाराष्ट्र									
महाराष्ट्र	25.04.2001	विज्ञापन रहित	मरकी-मंगली-I	बी.एस. इस्पात लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	उत्पादन मार्च 2011 से आरंभ हुआ	34.34
महाराष्ट्र	08.10.2003	विज्ञापन रहित	चिनौरा	फील्डमाइनिंग एंड इस्पात लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	विगत अनुमोदन प्रदान करने के लिए परियोजना रोकी गयी। कोई वन भूमि शामिल नहीं है।	20
महाराष्ट्र	29.10.2003	विज्ञापन रहित	माजरा	गोदवाना इस्पात लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी एवं एलए लंबित है।	31.5
महाराष्ट्र	28.03.2005	विज्ञापन रहित	बेलगांव	सनफ्लैग आयरन एंड स्टील का. लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	उत्पादन वाले ब्लॉक/ईयूपी इस्पात संयंत्र अभी तैयार नहीं है।	15.3
महाराष्ट्र	06.09.2005	विज्ञापन रहित	मरकी मंगली-II-IV	श्री वीरांगना इस्पात लि.	3	निजी	आयरन एंड स्टील	एमएम-II एवं एलए के लिए एफसी (चरण-I) लंबित है। सीसीओ के लिए ओपनिंग अनुमति। 2011 तक आरंभ होने की संभावना है।	19
महाराष्ट्र	13.01.2006	विज्ञापन रहित	निरद मालेगाव	गुप्ता मेटलिक्स एंड पावर	1	निजी	आयरन एंड स्टील	विगत अनुमोदन ईएमपी स्वीकृति एमएल लंबित है।	19.5
महाराष्ट्र	20.02.2007	9 सितंबर 2005	कोसर डोंगरगांव	चमन मैटलिक्स लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	ईएमपी एमएल एवं एलए लंबित है।	22.51
महाराष्ट्र	21.11.2008	6 नवंबर 2006	गोंडखारी	महाराष्ट्र सिमलेस, धारीवाल इंफ्रास्टक्चर कोसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1	निजी	आयरन एंड स्टील	ईएमपी, एलए, एलए एवं एमएल का विगत अनुमोदन लंबित है। कोई वन भूमि शामिल नहीं है।	98.71
महाराष्ट्र	29.05.2009	6 नवंबर 2006	खप्पा विस्तार	सनफ्लैग आयरन स्टील लि. डालमिया सीमेंट लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी (चरण-I) ईएमपी, एमएल एवं एलए लंबित है।	84.72
ओडिशा									
ओडिशा	16.08.1999	विज्ञापन रहित	उत्कल-बी2	मोनेट इस्पात एवं एनर्जीउ लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी, एमएल एवं एलए लंबित है	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ओडिशा	29.09.2003	विज्ञापन रहित	उत्कल बी।	जिन्दल स्टील एंड पावर लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एमएल एवं एलए लंबित है	228.4
ओडिशा	12.11.2003	विज्ञापन रहित	जामखनी	भूषण लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	विगत अनुमोदन एमएल एफसी एवं एलए लंबित है।	80
ओडिशा	29.11.2005	विज्ञापन रहित	उत्कल ए	एमसीएल एंड अन्य	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी, ईएमपी एवं एलए लंबित है।	269.6
ओडिशा	13.01.2006	विज्ञापन रहित	बिजहाल	भूषण लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी (चरण-I) ईएमपी, एमएल एवं एलए लंबित है।	130
ओडिशा	13.01.2006	विज्ञापन रहित	पतरापाडा	भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एमपी, एफसी, ईएमपी, एमएल एवं एलए लंबित है।	1042
ओडिशा	07.02.2006	विज्ञापन रहित	राधिकापुर ईस्ट	टीएसआईएल एंड अन्य	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी (चरण-I) ईएमपी, एमएल एवं एलए लंबित है।	115
ओडिशा	25.04.2006	विज्ञापन रहित	राधिकापुर वेस्ट	रूगटा एंड अन्य	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एमएल का विगत अनुमोदन एफसी, ईएमपी एमएल एवं एलए लंबित है। कोयला मंत्रालय ने उत्पादन की नियामक तारीख संशोधित किया है।	210
कुल					8				
पश्चिम बंगाल									
पश्चिम बंगाल	20.02.2007	9 सितम्बर 2005	बिहारीनाथ	बाकुरा डीआरआई माइनिंग मैन्युफैक्चर्स कं. प्रा.लि.	1	निजी	आयरन एंड स्टील	जीईईसीएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से स्टे आर्डर प्राप्त किया है। जिसमें कोयला मंत्रालय पर खान के विकास से आबंटन की रोक लगायी गयी है।	95.16
पश्चिम बंगाल	06.12.2007	विज्ञापन रहित	अर्धग्राम	सोवा इस्पात, जयबालाजी स्पोंज	1	निजी	आयरन एंड स्टील	एफसी, एमएल, एलए लंबित है।	122
पश्चिम बंगाल	03.07.2009	6 नवंबर 2006	अंदल ईस्ट	भूषण स्टील, जय बालाजी, रशमी सीमेंट	1	निजी	आयरन एंड स्टील	ड्रिलिंग दिसंबर, 2010 से आरंभ की गयी। 23000 मी. ड्रिलिंग पूरा हो गयी है।	700
पश्चिम बंगाल	06.10.2009	6 नवंबर 2006	मोइरा मधुजोर	रामस्वरूप लौह उद्योग लि. एंड अन्य	1	निजी	आयरन एंड स्टील	जीआर की खरीद और कोयला मंत्रालय को खान योजना प्रस्तुत किए जाने को छोड़कर सभी लक्ष्य लंबित है।	686.2
कुल					4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सीमेंट क्षेत्र में आवंटित कोयले की सूची									
मध्य प्रदेश									
मध्य प्रदेश	29.05.2007	9 सितंबर 2005	सिआल घोगरी	प्रिज्म सीमेंट लि.	1	निजी	सीमेंट	एमएल (प्रतिपादन) एवं एलए लंबित है। एमएल प्रतिपउदन के लिए ओपनिंग अनुमति रोकी गयी है।	30.38
मध्य प्रदेश	17.09.2007	9 सितंबर 2005	मांडला नार्थ	जयप्रकाश एसोसिएट लि.	1	निजी	सीमेंट	विगत अनुमोदन, ईएमपी, एफसी, एमएल एवं एलए लंबित है।	194.96
मध्य प्रदेश	12.08.2008	6 नवंबर 2006	बिक्रम	बिरला कॉर्पोरेशन लि.	1	निजी	सीमेंट	एफसी/ईएमपी स्वीकृति, एमएल प्रदान करना और एलए लंबित है।	20.98
कुल					3				
महाराष्ट्र									
महाराष्ट्र	17.06.2009	6 नवंबर 2006	चालेगांव	आईएसटी स्टील एंड पावर गुजरात अंबुजा सीमेंट लफार्ज इंडिया लि.	1	निजी	सीमेंट एंड आयरन स्टील	एमपी अनुमोदन, एफसी, ईएमपी, एमएल एवं एलए लंबित है।	106.74
महाराष्ट्र	29.05.2009	6 नवंबर 2006	बंदेर	एएमआर आयरन एंड स्टील्स, सेंचुरी टेक्सटाईल्स	1	निजी	सीमेंट एंड आयरन स्टील	एफसी/ईएमपी (टीओआर), एमपी, एमएल, एलए लंबित है।	126.11
कुल					2				
विद्युत के लिए आबंटित कोयले की सूची									
आंध्र प्रदेश	06.12.2005	विज्ञापन रहित	तडिचेरला गिधमुरी	एपीजेनको	1	सरकारी	पावर	एफसी चरण-1 ईएमपी, एमएल, एल लंबित है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एससीसीएल एवं एपीजेनको को एजीजेनको द्वारा रखे गए सभी कोयला ब्लाकों को विकसित करने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया है	61.28
छत्तीसगढ़									
छत्तीसगढ़	23.09.2006	विज्ञापन रहित	पातेरिया एंड गिधमुरी	सीएसईबी	2	सरकारी	पावर	एफसी, ईएमपी एलए, एमएल लंबित	349.52
छत्तीसगढ़	25.01.2006	विज्ञापन रहित	तलाईपल्ली	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन	1	सरकारी	पावर	एफसी, ईएमपी, एलए लंबित हैं	965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
छत्तीसगढ़	02.08.2006	जीडी आफर 2005	परसा	छत्तसीगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	1	सरकारी	पावर	एमओईएफ से एमसीएल स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात पीएल जारी किया जिएगा दिसंबर, 2010 में प्राप्त वनभाग के लिए	150
छत्तीसगढ़	02.08.2006	जीडी आफ 2005	गारे-पालमा, सेक्टर-	टीएसईबी एंड	1	सरकारी	पावर	24788 भी गहराई वाले 58 बोरहोलों की ड्रिलिंग की गयी है। ड्रिल किए जाने वाले बोरहोलों की संख्या 171 है। मार्च 2011 तक ड्रिलिंग का लक्ष्रू 29000 मी. है और जीआर जून, 2012 तक होने की संभावना है।	768
छत्तीसगढ़	19.05.2007	ट्रैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली 2006	परस्सा ईस्ट	राजस्थान राज्य विद्युत	1	सरकारी	पावर	एफसी ईएमपी, एमएल एवं एलए लंबित है। एमओईएफ द्वारा नो गो वन क्षेत्र घोषित किया गया।	180
छत्तीसगढ़	19.05.2007	ट्रैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली 2006	कांताबासन	राजस्थान राज्य विद्युत	1	सरकारी	पावर	एफसी ईएमपी, एमएल एवं एलए लंबित है। एमओईएफ द्वारा नो गो वन क्षेत्र घोषित किया गया।	180
छत्तीसगढ़	01.07.1998	विज्ञापन रहित	गारे-पालमा-एंड	जिछल पाव लि.	2	निजी	पावर	उत्पादक ब्लाक/पीआरसी प्राप्त किया गया	226
छत्तीसगढ़	06.11.2007	06 नवंबर 2006	दुर्गापुर /सारया	डीबी विद्युत लि.	1	निजी	पावर	एफसी एवं ईएमपी स्वीकृति, एमएल एवं एलए लंबित है।	91.67
छत्तीसगढ़	06.11.2007	06 नवंबर 2006	सयांग	एईएस छत्तीसगढ़ इनर्जी पावर लि.	1	निजी	पावर	वन स्वीकृति के अभाव में पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करना लंबित है। नो गो वन क्षेत्र	150
छत्तीसगढ़	06.11.2007	06 नवंबर 2006	दुर्गापुर/ताराईमर	बाल्को	1	निजी	पावर	एफसी (चरण-2), इएमपी एमएल, एलए लंबित है।	211.37
छत्तीसगढ़	22.01.2008	06 नवंबर 2006	फतेहपुर ईस्ट	जेएलडी यवतमन इनर्जी लि. आरकेएम पावर ग्रीन, बीसा पावर लि. ग्रीन इनफ्रा. प्रा.लि. वंदना विद्युत लि.	1	निजी	पावर	7.11.2010 को ड्रिलिंग पूरी की गयी। अंतिम जीआर जनवरी 2011 में प्राप्त किया जाना था।	450
छत्तीसगढ़	06.02.2008	06 नवंबर 2006	फतेहपुर	प्रकाश इंडस्ट्री लि. एंड एसकेएस इस्पात लि.	1	निजी	पावर	अन्वेषण अभी आरंभ नहीं किया गया। नो गो वन क्षेत्र	120
छत्तीसगढ़	21.11.2008	पेशकाश के बिना जीडी	गरे पलाम सेक्टर-3	गोवा इंड्री डेव. का लि.	1	निजी	पावर	एफसी (चरण-2), इएमपी, एमएल, एलए लंबित है। नो गो वन क्षेत्र	210
कुल									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
झारखंड									
झारखंड	28.12.2001	विज्ञापन रहित	पचवाड़ा सेंट्रल	पेनम	1	सरकारी	पावर	उत्पादन आरंभ। पीआरसी प्राप्त किया गया	562
झारखंड	03.11.2003	विज्ञापन रहित	बदाम	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	1	सरकारी	पावर	एफसी एलए लंबित है।	144.63
झारखंड	11.10.2004	विज्ञापन रहित	पकरी बरवाडीह	एनटीपीसी लि.	1	सरकारी	पावर	एलए की पूर्णतया और रेलवे लिंड की पूर्णता की शर्त पर कोयला उत्पादन सित. 2012 तक आरंभ होने की संभावना है।	1600
झारखंड	26.04.2005	विज्ञापन रहित	पंचवाड़ नार्थ	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	1	सरकारी	पावर	कोयला मांलय का विगत अनुमोदन, एमएल, एफसी, (चरण-1) और एलए लंबित है।	609.35
झारखंड	13.01.2006	विज्ञापन रहित	नोडल पार	टीवीएनएल	1	सरकारी	पावर	एफसी, एमएल और एलए लंबित है नो गो वन क्षेत्र	191
झारखंड	02.08.2006	जीडी पेशकर 2005	राजबर ई एंड डी	टीवीएनएल	1	सरकारी	पावर	अपर्इ ब्लाक। मैसर्स इन्दू प्रोजेक्ट्स लि. हैदराबाद और साउथ वेस्ट पिनाकिन हरियाणा को खन एवं भू-विज्ञान विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से अवार्ड किया गया। ड्रिलिंग कार्य आरंभ किया गया।	385
झारखंड	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	उमरा पहाडी टोला	जेएसईबी एंड बीएसएसडीसी	1	सरकारी	पावर	24.01.2011 को झारखंड सरकार द्वारा पूर्वेक्षण लाइसेंस जारी किया गया।	700
झारखंड	07.01.2002	विज्ञापन रहित	तोकी सुद नाथ उप ब्लाक	जीटीके पावर	1	निजी	पावर	एफसी (चरण-2) एवं एलए लंबित है।	92.3
झारखंड	20.02.2007	9 सितंबर 2005	चकला	एसार पावर लि.	1	निजी	पावर	एफसी (चरण-1) ईएमपी, एमएल लंबित है। नो गो वन क्षेत्र	83.05
झारखंड	20.02.2007	9 सितंबर 2005	जीतपुर	जेएसपीएल	1	निजी	पावर	एफसी (चरण-1) एमएल निष्पादन, एल लंबित है।	81.09
झारखंड	01.08.2007	9 सितंबर 2005	ट्रबेड	हिंडालको टीपीएल	1	निजी	पावर	एफसी, ईएमपी, एमएल, एलए लंबित है।	189
झारखंड	06.11.2007	06 नवंबर 2006	अशोक कलकत्ता सेन्ट्रल	एसार पावर लि.	1	निजी	पावर	लातेहार जिले में आने वाली भाग के लिए नया पीएल आवेदन 10.02.2011 को प्रस्तुत किया गया।	110
झारखंड	06.11.2007	06 नवंबर 2006	पताल ईस्ट	भूषण पावर एंड स्टील लि.	1	निजी	पावर	ड्रिलिंग अभी आरंभ नहीं किया गया।	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
झारखंड	096.01.2008	06 नवंबर 2006	महुगिरी	सीईएससी एव जेस इन्फ्रा कैपिटल प्रा.लि.	1	निजी	पावर	अगस्त 2011 तक 8000 मी. ड्रिलिंग किए जाने की संभावना है। नव दिसं., 2001 तक जीआर संभावित है।	220
झारखंड	09.01.2010	06 नवंबर 2006	शेरगढ	आरसेलर मित्तल लि. एंव जीवीके पावर लि.	1	निजी	पावर	20.09.2010 तक पीएल प्रदान किया गया। ड्रिलिंग कार्य 5.6.2011 से आरंभ कि गया। 230 मी. ड्रिलिंग की गयी	150
झारखंड	17.01.2010	06 नवंबर 2006	अमरकोण्डा-मुर्गा डांगल	जिंदल स्टील एवं पावर लि. एव गगन स्पोज आयरन प्र.लि.	1	निजी	पावर	स्थानी समस्या के कारण ड्रिलिंग रोकी गयी। मेसर्स जी.एल. अटवान एंड कंपनी लि. को 1.3.2011 को पुन कार्य आदेश दिया गया और शीघ्र ही ड्रिलिंग आरंभ होने की संभावना है।	410
झारखंड	28.05.2009	06 नवंबर 2006	गणेशपुर	टाटा स्टील लि. आधुनिक थर्मल इनर्जी	1	निजी	पावर	ईएमपी, एमएल, एलए लंबित है।	137.88
झारखंड	28.05.2009	9 सिंबर 2005	मेदनीराय	रूगटा माईनिस, कोहीनूर स्टील	1	निजी	पावर	एमपी, खानन पट्टा वन स्वीकृति/ईएमपी तथा भूमि अधिग्रहण लंबित है।	86.4

सीमेंट क्षेत्र में आबंटित कोयले की सूची

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश	29.05.2007	9 सिंबर 2005	सिआल घोघरी	प्रिज्म सीमेंट लि.	1	निजी	सीमेंट	एमएल (प्रतिपादन) एवं एलए लंबित है। एमएल प्रतिपादन के लिए आपेनगि अनुमति रोकी गई है।	30.38
मध्य प्रदेश	17.09.2007	9 सितंबर 2005	मांडला नार्थ	जय प्रकाश एसोसिएट लि.	1	निजी	सीमेंट	विगत अनुमेदन, ईएमपी, एफसी, एमएल एवं एलए लंबित है।	194.96
मध्य प्रदेश	12.08.2008	6 नवंबर 2006	विक्रम	विरला कॉर्पोरेशन लि.	1	निजी	सीमेंट	एफसी/ईएमपी स्वीकृति, एमएल प्रदान करना और एलल लंबित है।	20.98
कुल					3				

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र	17.06.2009	6 नवंबर 006	बंदेर	एएमआर आयरन एंड स्टील्स, सेंचूरी टेक्सटाईल्स, जे.के सीमेंट	1	निजी	सीमेंट एंड आयरन स्टील	एफसी/ईएमपी (टीओआर), एमपी, एमएल, एलए लंबित हैं।	126.11
कुल					2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
विद्युत के लिए आबंटित कोयले की सूची									
आंध्र प्रदेश									
आंध्र प्रदेश	06.12.2005	विज्ञापन रहित	ताडिचेर्ला	एपीजेनको	1	सरकारी	पावर	एफसी, चरण-1, ईएमपी, एमएल, एल लंबित है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एससीसीएल एवं एपीजेनको को एपीजेनको द्वारा रखे गए सभी कोयला ब्लाकों को विकसित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया है	61.28
छत्तीसगढ़									
छत्तीसगढ़	23.09.2004	विज्ञापन रहित	पतोरिया एवंड गिधमुरी	सीएसईबी	2	सरकारी	पावर	एफसी, ईएमपी, एलए, एमएल लंबित है। नो गो वन क्षेत्र	349.52
छत्तीसगढ़	25.01.2006	विज्ञापन रहित	तलाईपल्ली	नेशनल थार्मल पावर कॉर्पोरेशन	1	सरकारी	पावर	एफसी, ईमएपी, एलए लंबित है।	965
छत्तीसगढ़	02.08.2006	जीडी आफर 2005	परसा	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	1 1	सरकारी सरकारी	पावर पावर	एमओईएफ से एफसीएन स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात पीएल जारी किया जाएगा। दिसंबर, 2010 में प्राप्त वनभाग के लिए	150
छत्तीसगढ़	02.08.2008	जीडी आफर 2005	गारे-पालमा, सेक्टर-	टीएसईबी एंड एमएसएमसी लि.	1	सरकारी	पावर	24788 मी गहराई वाले 58 बोरहोलो की ड्रिलिंग की गयी है। ड्रिल किए जोन वाले बोरहोलों की संख्या 171 है। मार्च 2011 तक ड्रिलिंग का लक्ष्य 29000 मी. है और जीआर जून, 2012 तक होने की संभावना है।	768
छत्तीसगढ़	19.05.2007	ट्रैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली 2006	परसा ईस्ट	राजस्थान राज्य विद्युत	1	सरकारी	पावर	एफसी, ईएमपी, एमएल एवं एलए लबित हैं। एमओईएफ द्वारा नो गो वन क्षेत्र घोषित किया गया।	180
छत्तीसगढ़	19.05.2007	ट्रैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली 2006	कांताबासन	राजस्थान राज्य विद्युत	1	सरकारी	पावर	एफसी, ईएमपी, एमएल एवं एलए लबित हैं। एमओईएफ द्वारा नो गो वन क्षेत्र घोषित किया गया।	180
छत्तीसगढ़	01.07.1998	विज्ञापन रहित	गारे-पालमा-एंड	जिंदल पाव लि.	2	निजी	पावर	उत्पादक ब्लाक/पीआरसी प्रप्त किया गया	226
छत्तीसगढ़	06.11.2007	06 नवंबर 2006	दुर्गापुर /सारया	डीबी विद्युत लि.	1	निजी	पावर	एफसी एवं ईएमपी स्वीकृति, एमएल एवं एलए लंबित है।	91.67
छत्तीसगढ़	06.11.2007	06 नवंबर 2006	सयांग	एईएस छत्तीसगढ़ इनर्जी पावर लि.	1	निजी	पावर	वन स्वीकृति के अभाव में पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करना लंबित है। नो गो वन क्षेत्र	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
छत्तीसगढ़	06.11.2007	06 नवंबर 2006	दुर्गापुर/तराईमर	बाल्को	1	निजी	पावर	एफसी (चरण-2), इएमपी एमएल, एलए लंबित है।	211.37
छत्तीसगढ़	22.01.2008	06 नवंबर 2006	फतेहपुर ईस्ट	जेएलडी यवतमन इनर्जी लि. आरकेएम पावर ग्रीन, बीसा पावर लि. ग्रीन इनफ्रा. प्रा.लि. वंदना विद्युत लि.	1	निजी	पावर	7.11.2010 को ड्रिलिंग पूरी की गयी। अंतिम जीआर जनवरी 2011 में प्राप्त किया जाना था।	450
छत्तीसगढ़	06.02.2008	06 नवंबर 2006	फतेहपुर	प्रकाश इंडस्ट्री लि. एंड एसकेएस इस्पात लि.	1	निजी	पावर	अन्वेषण अभी आरंभ नहीं किया गया। नो गो वन क्षेत्र	120
छत्तीसगढ़	21.11.2008	पेशकाश के बिना जीडी	गरे पलाम	गोवा इंन्ड्री डेव. का लि.	1	निजी	पावर	एफसी (चरण-2), इएमपी, एमएल, एलए लंबित है। नो गो वन क्षेत्र	210
कुल					15				
झारखंड									
झारखंड	28.12.2001	विज्ञापन रहित	पचवाड़ा सेंट्रल	पेनम	1	सरकारी	पावर	उत्पादन आरंभ। पीआरसी प्राप्त किया गया	562
झारखंड	03.11.2003	विज्ञापन रहित	बदाम	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	1	सरकारी	पावर	एफसी एलए लंबित है।	144.63
झारखंड	11.10.2004	विज्ञापन रहित	पकरी बरवाडीह	एनटीपीसी लि.	1	सरकारी	पावर	एलए की पूर्णतया और रेलवे लिंड की पूर्ता की शर्त पर कोयला उत्पादन सित. 2012 तक आरंभ होने की संभावना है।	1600
झारखंड	26.04.2005	विज्ञापन रहित	पंचवाड़ नार्थ	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	1	सरकारी	पावर	कोयला मंालय का विगत अनुमोदन, एमएल, एफसी, (चरण-1) और एलए लंबित है।	609.35
झारखंड	13.01.2006	विज्ञापन रहित	नोडल पार	टीवीएनएल	1	सरकारी	पावर	एफसी, एमएल और एलए लंबित है नो गो वन क्षेत्र	191
झारखंड	02.08.2006	जीडी पेशकर 2005	राजबर ई एंड डी	टीवीएनएल	1	सरकारी	पावर	अपराई ब्लाक। मैसर्स इन्दू प्रोजेक्ट्स लि. हैदराबाद और साउथ वेस्ट पिनाकिन हरियाणा को खन एवं भू-विज्ञान विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से अवार्ड किया गया। ड्रिलिंग कार्य आरंभ किया गया।	385
झारखंड	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	उमरा पहाडी टोला	जेएसईबी एंड बीएसएसडीसी	1	सरकारी	पावर	24.01.2011 को झारखंड सरकार द्वारा पूर्वेक्षण लाइसेंस जारी किया गया।	700
झारखंड	07.01.2002	विज्ञान रहित	लोकी सुद नाथ उप ब्लाक	जीदीके पावर	1	निजी	पावर	एफसी (चरण-2) एवं एलए लंबित है।	92.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
झारखंड	20.02.2007	9 सितंबर 2005	चकला	एसार पावर लि.	1	निजी	पावर	एफसी (चरण-1) ईएमपी, एमएल लंबित है। नो गो वन क्षेत्र	63.05
झारखंड	20.02.2007	9 सितंबर 2005	जीतपुर	जेएसपीएल	1	निजी	पावर	एफसी (चरण-1) एमएल निष्पादन, एल लंबित है।	81.09
झारखंड	01.08.2007	9 सितंबर 2005	टूबेड	हिंडालको टीपीएल	1	निजी	पावर	एफसी, ईएमपी, एमएल, एलए लंबित है।	189
झारखंड	06.11.2007	06 नवंबर 2006	अशोक कलकत्ता सेन्ट्रल	एसार पावर लि.	1	निजी	पावर	लातेहार जिले में आने वाली भाग के लिए नया पीएल आवेदन 10.02.2011 को प्रस्तुत किया गया।	110
झारखंड	06.11.2007	06 नवंबर 2006	पताल ईस्ट	भूषण पावर एंड स्टील लि.	1	निजी	पावर	ड्रिलिंग अभी आरंभ नहीं किया गया।	200
झारखंड	096.01.2008	06 नवंबर 2006	महुगिरी	सीईएससी एव जेस इन्फ्रा कैपिटल प्रा.लि.	1	निजी	पावर	अगस्त 2011 तक 8000 मी. ड्रिलिंग किए जाने की संभावना है। नव दिस., 2001 तक जीआर संभावित है।	220
झारखंड	09.01.2010	06 नवंबर 2006	सेरगढ	आरसेलर मित्तल लि. एंव जीवीके पावर लि.	1	निजी	पावर	20.09.2010 तक पीएल प्रदान किया गया। ड्रिलिंग कार्य 5.6.2011 से आरंभ कि गया। 230 मी. ड्रिलिंग की गयी	150
झारखंड	17.01.2010	06 नवंबर 2006	अमरकोण्डा-मुर्गा डगल	जिंदल स्टील एवं पावर लि. एव गगन स्पोज आयरन प्रा.लि.	1	निजी	पावर	स्थानी समस्या के कारण ड्रिलिंग रोकी गयी। मेसर्स जी.एल. अटवान एंड कंपनी लि. को 1.3.2011 को पुन कार्य आदेश दिया गया और शीघ्र ही ड्रिलिंग आरंभ होने की संभावना है।	410
झारखंड	28.05.2009	06 नवंबर 2006	गणेशपुर	टाटा स्टील लि. आधुनिक थर्मल इनर्जी	1	निजी	पावर	ईएमपी, एमएल, एलए लंबित है।	137.88
झारखंड	28.05.2009	9 सिंबर 2005	मेदनीराय	रूगटा माईनिस, कोहीनूर स्टील	1	निजी	पावर	एमपी, खानन पट्टा वन स्वीकृति/ईएमपी तथा भूमि अधिग्रहण लंबित है।	86.4
कुल					18				
मध्य प्रदेश									
मध्य प्रदेश	12.04.2006	विज्ञापन रहित	महान	एसार पावर एवं हिंडालको	1	निजी	पावर	एमएल, एफसी (चरण 1) एवं एलए लंबित है। नो गो वन क्षेत्र	226.08
मध्य प्रदेश	02.08.2006	2005	मरा 2 महान	एमसीटी संस्कार, दिल्ली अन्य	1	सरकारी	पावर	एमआईएफ से पूर्वेक्षण के लिए सख्त अनुमति के बावजूद राजय सरकार से पूर्वेक्षण लाइसेंस की प्रतीक्ष है।	955
कुल					2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र									
महाराष्ट्र	10.11.2003	विज्ञापन रहित	बराज 1-4, किलोनी एवं मनोरा दीप	कर्नाटक पावर कार्पो. लि.	6	सरकारी	पावर	उत्पादक ब्लाक	152.52
महाराष्ट्र	06.11.2007	06 नवंबर, 2006	लोहारा वेस्ट एवं लोहारा विस्तार	अदानी पावर लि.	1	निजी	पावर	विगत अनुमोदन एफसी, ईएमपी, एमएल एवं एलए लंबित है। एमओईएफ के ईएसी ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए उक्त परियोजना पर विचार नहीं करने का निर्णय लिया और अदानी पावर लि. को नया कोयला ब्लाक आंबटित करने के लिए विचार करने हेतु कोयला मंत्रालय को पत्र लिखा। नो गो वन क्षेत्र	169.832
कुल					7				
ओडिशा									
ओडिशा	27.08.2004	विज्ञापन रहित	उत्कल ई	नेशनल एलों कंपनी लि.	1	सरकारी	पावर	एफसी (चरण-1) एमएल एवं एलए लंबित है।	194
ओडिशा	25.01.2006	विज्ञापन रहित	दुलंगा	एमटीपीसी लि.	1	सरकारी	पावर	एफसी, ईएमपी, एलए लंबित है। नो गो वन क्षेत्र।	260
ओडिशा	06.02.2006	जीडी पेशकश 2006	महानदी एवं मछकटा	एमएसईबी एंड जीएसईबी	2	सरकारी	पावर	एफसी (चरण-2), ईएमपी, एमएल एवं एलए लंबित है।	1200
ओडिशा	10.11.2005	जीडी पेशकश 2006	ताबीरा 2	एमसीएल एंड एनएलसी एंड अन्य	1	सरकारी	पावर	एफ, ईएमपी, एल लंबित है। नो गो वन क्षेत्र।	
ओडिशा	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	नैनी	जीएमडी एंड पीआईपीडीआईसीएल	1	सरकारी	पावर	जीआर तैयारी के लिए कार्यदेश 25.01.2011 को सीएमपीडीआई को अवार्ड किया गया और यह अगस्त 2011 तक संभावित है।	152.33
ओडिशा	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	मदाकनी बी	एएमएमडीसीएल एंड एमएमटीसीएल, टीएनईबी, ओएमसी	1	सरकारी	पावर	एफसी, एमएल एवं एलए प्रदान किए जाने हेतु लंबित है।	1200
ओडिशा	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	चेंदीपाडा एवं चेंदीपाड 2	यूपीआरवीएलएल सीएमडीसी एमपीजीसीएल	2	सरकारी	पावर	विगत अनुमेदन एफसी, ईएमपी एमएल लंबित हैं	1589
ओडिशा	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	बेतरडी वेस्ट	जीपीसीएल, कैएसईबी ओएचपीसीएल	1	सरकारी	पावर	एमएल, एफसी, एलएल एवं ईएमपी लंबित है।	601.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ओडिशा	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	दीप साइड आफ मनोहर 2	ओपीजीसीएल	1	सरकारी	पावर	अभी ड्रिलिंग आरंभ किया जाना है। नो गो वन क्षेत्र	181.68 350
ओडिशा	25.02.1994	विज्ञापन रहित	तालाबीरा 1	हिंडालको इंड्रीस्ज लि.	1	निजी	पावर	उत्पादक ब्लाक	22.55
ओडिशा	29.05.1988	विज्ञापन रहित	उत्कल सी	उत्कल सी	1	निजी	पावर	एफसी (चरण 2), एमएल, एलए लंबित है।	208.77
ओडिशा	09.01.2008	06 नवंबर 2006	मंदाकिनी	मोनेट इस्पात जिंदल फोटो लि. टाटा पावर लि.	1	निजी	पावर	विगत अनुमोदन एफसी ईमपी, एलए एवं एमएल लंबित है।	290.52
ओडिशा	17.01.2008	06 नवंबर 2006	रामपीरा एवं रामपी या डीप साईड	स्टरलाईट एनर्जी, जीएमआर एनर्जी, आरसेलर मित्तल एनर्जी, लेनको गुफ लि., नवभारत पावर रिलयंस एनर्जी लि.	2	निजी	पावर	ड्रिलिंग तो लिए वन स्वीकृति लंबित है। नो गो वन क्षेत्र	645.26
कुल					17				
पश्चिम बंगाल									
पश्चिम बंगाल	10.08.1993	विज्ञापन रहित	सरसा तोली	सईएससी/इटी कोल माईनिंग लि.	1	सरकारी	पावर	उत्पादक कोयला ब्लाक	140.47
पश्चिम बंगाल	14.07.1995	विज्ञापन रहित	तारा ईस्ट	डब्ल्यूबीएसईबी/बीईसीएम एल	1	सरकारी	पावर	उत्पादक कोयला ब्लाग	84.47
पश्चिम बंगाल	17.04.1996	विज्ञापन रहित	तारा वेस्ट	डब्ल्यूबीपीडीसीआईएन/ बीईसीएमएल	1	सरकारी	पावर	उत्पादक कोयला ब्लाक	125.71
पश्चिम बंगाल	23.06.2003	विज्ञापन रहित	बरजोरा जी, चक एवं बदुलिया	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	3	सरकारी	पावर	बरजोर ब्लाक में उत्पादन आरंभ। एफसी (चरण-1), एलए गंगारामचक एवं बदुलिया के लिए लंबित है।	22
पश्चिम बंगाल	03.03.2005	विज्ञापन रहित	बरजोरा (नार्थ), के-जोयदेव	डीवीसी	2	सरकारी	पावर	खगरा जोयदेव-एलए लंबित है। फरवरी, 2012 तक उत्पादन आरंभ होने की संभावना है। (2) बरजोरा नार्थ कोयला ब्लाक में मार्च 2011 से उत्पादन आरंभ किया गया।	281.64
पश्चिम बंगाल	27.02.2009		ईस्ट ऑफ दमबोरिया	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	1	सरकारी	पावर	जीआर खरीदा गया है। सभी लक्ष्य लंबित है।	337
पश्चिम बंगाल	10.07.2009	06 नवंबर 2006	गोरगडीह एबीसी	हिमाचल पहमेद्य पावर एंड जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	1	निजी	पावर	एफसी/ईएमपी, एमएल एवं एलए लंबित है।	131.7
कुल					10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु आबंटित कोयले की सूची									
अरुणाचल प्रदेश									
अरुणाचल प्रदेश	28.10.2003	पेशकश के बिना	नामची नामकुक	एपीएमडीसी	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	उत्पादक ब्लॉक	27
कुल					1				
छत्तीसगढ़									
छत्तीसगढ़	14.08.2003	विज्ञापन रहित	तारा	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव. कार्पो. लि.	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	एफसी (चरण-1) ईएमपी, एमएल करना एवं एलए लंबित है। नो गो वन क्षेत्र	259.47
छत्तीसगढ़	02.08.2006	जीडी पेशकाश 2006	गारे पलमा सेक्टर 1	सीएमपीसी	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	मईसीएल द्वारा कुल 123 बोरहोल ड्रिलिंग पूरी कर ली गई। कुल मीटर क्षेत्रफल 42967 मि.ट. है और एक अन्स 9 बोरहोलो की ड्रिलिंग की प्रक्रिया चल रही है। (5 एमईसीएल एवं 2 डीजीएल)	900
छत्तीसगढ़	02.08.2006	जीडी पेशकश 2005	मोरगा 1	एमएसएमसी लि.	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	एमओईएफ ने 22.6.2010 के अपने पत्र द्वारा वन मंजूरी देना अस्वीकृत कर दिया। नो गो वन क्षेत्र।	250
छत्तीसगढ़	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	मोरगा 3	एमपीएसएमसीएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	पीएल वन मंजूरी के अध्यधीन 15.09.2010 को दिया गया। नो गो वन क्षेत्र ड्रिलिंग अभी शुरू नहीं किया गया है।	350
छत्तीसगढ़	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	सोन्डीहा	सीएमडीसी	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	12 बोरहोलो को ड्रिल किया गया है। कोयले के नमूने सीएफआरआई को जांच के लिए भेजे गए हैं और जीआर अगस्त, 2011 में पूरे कर लिए जाने की आशा है। नो गो वन क्षेत्र	35
छत्तीसगढ़	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	सोन्डीहा	सीएमडीसी	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	विस्तृत अन्वेषण पूरा कर लिया गया। जीआर मार्च, 2010 में पूरा कर लिया गया। लक्ष्यों की प्रगति विभिन्न चरणों में है।	70
छत्तीसगढ़	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	शकरपूर (बट्ट गांव 2 विस्तार)	सीएमडीसी	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	एफसी, ईएमपी, एमएल, एवं एलए लंबित है।	80.13
छत्तीसगढ़	25.07.2007	जीडी पेशकश	शकरपुर (बट्ट गांव 2 विस्तार)	सीएमडीसी	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	एमओईएफ द्वारा नो गो वन क्षेत्र घोषित किया गया। सीसीएफ (नोडल), रायपुर ने 27.7.2010 को मोरगा 4 वन मंजूरी प्रस्ताव पंजीक. ति. किया। डीएफओ, केडई द्वारा वन प्रस्ताव लौटा दिया गया।	35
झारखंड									
झारखंड	30.01.2006	विज्ञापन रहित	सुगिया, रोता, बुराकप्प	जेएमएमडीसीएल	3	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	एफसी (चरण-1), एलए और एमएल लंबित है। सुगिया ब्लॉक और बुराखाप एवं रोता ब्लॉक अन्वेषण अभी शुरू नहीं हुआ है।	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
झारखंड	02.08.2006	जीडी पेशकश 2005	सरिया खोया टांण	बीआरकेबीएनएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। प्रगति धीमी है।	202
झारखंड	02.08.2006	जीडी पेशकश 2005	लातेहार	ज्जेएसएमडीसीएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	ड्रिलिंग अभी तक नहीं शुरू हुआ है।	220
झारखंड	02.08.2006	जीडी पेशकश 2005	पिंडादेव पुर खोवा टांड	ज्जेएसएमडीसीएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	ड्रिलिंग अभी तक नहीं शुरू हुआ है।	110
झारखंड	02.08.2006	जीडी पेशकश 2005	गोंविया	एमएमटीसी	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	एमएमटीसी ने 14 कोरवेल ड्रिल कियचा एवं व्यवहार्यता रिपार्ट तैयार किया। गहरी यूजी खान एवं मल्टीसीमे वहा है।	355
झारखंड	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	पतरातू	जेएसएमडीसीएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	ड्रिलिंग अभी तक नहीं शुरू हुआ है।	450
झारखंड	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	रोबोडीह ओसीपी	जेएसएमडीसीएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	एमपी अनुमोदन, एफसी, इएमपी, एल एवं एमएल लंबित हैं।	1333
झारखंड	11.04.2008	पेशकश के बिना	जोगेश्वर खास जोगेश्वर	जेएसएमडीसीएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	एफसी, ईएमपी, एल एवं एमपी अनुमोदन लंबित है। गो गोव वन क्षेत्र	84.03
कुल					10				
मध्य प्रदेश									
मध्य प्रदेश	12.01.2006	विज्ञापन रहित	अमालिया एवं अमालिया नाथ	एमपीएसएमसीएल	2	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	अमीलिया नार्थ-एफसी, एमएल एवं एलए लंबित हैं। अमीलिया-एफसी, एमएल एवं एलए लंबित हैं। नो गो वन क्षेत्र	242
मध्य प्रदेश	02.08.2006	जीडी पेशकश 2005	डोगरी ताल 2	एमपीएसएमसीएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	एमपी, ईएमपी, एमएल एवं एलए लंबित हैं। चरण-1 खनन में कोई वन भूमि शामिल नहीं है।	175
मध्य प्रदेश	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	विचारपुर	एमपीएसएमसीएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	ड्रिलिंग सितंबर, 2010 में पूरी हो गई। जीआर मार्च, 2011 में तैयार कर ली गई। खनन पूर्व सभी क्रियाकलापों विभिन्न चरणों में है।	36
मध्य प्रदेश	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	सहरपुर (डब्ल्यू)	एनएमडीसी	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	ड्रिल किया हुआ ब्लाक/संशोधित खनन योजना शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी। राजस्व वन भूमि शाहपुर पश्चिम और पूर्व ब्लाक के अंतर्गत पड़ता है। यह मामला डीएफओ शादोल, उमरिया के पास लंबित है।	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	सुलीयारी	एएपीएमडीसी	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	15900 मि.ट. की कुल मी. क्षेत्रफ के साथ 85 बोर होलो में ड्रिलिंग कार्य पूरी कर ली गई भं 1 बोर होल में ड्रिलिंग प्रगति पर है। ड्रिलिंग, जून, 2011 में पूरे होने की आशा है। जीआर अक्तूबर, 2011 तक	75
मध्य प्रदेश	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	सारपुर (ईस्ट)	एनएमडीसी	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	ड्रिल किया हुआ ब्लाक। संशोधित खनन योजना शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी। राजस्व वन भूमि शाहपुर पश्चिम एवं पूरब ब्लॉक अंतर्गत आता है यह मामला डभएफओ शादो, उमरियाक पास लंबित है।	
मध्य प्रदेश	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	मंडाला साउथ	एमपीएसएमसीएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	एफसी (चरण-1) ईएमपी, एलए, एमएल एवं एलए लंबित हैं।	72
मध्य प्रदेश	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	मरकी बरका	एमपीएसएमसीएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	ड्रिलिंग पूरा कर ली गई। जीआर मार्च, 2011 को पूरी की गई ईएमपी के लिए टीओआर अनुमोदित किया गया।	80
मध्य प्रदेश	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	समरिया/पीपरिया	एमपीएसएमसीएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्कि	एमएल, ईएमपी, एफसी, एल लंबित हैं । नो गो वन क्षेत्र एमओईएफ द्वारा घोषित किया गया।	38.62
कुल					10				
महाराष्ट्र									
महाराष्ट्र	02.08.2006	जीडी पेशकश 2005	मरकी जारी जामीनी अदकोरी	एमएसएमसीएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	अन्वेषण कार्य डीजीएम द्वारा किया जा रहा है ओर पूरा कर लिया गया है। जीअबार पूरा कर लिया गया है और दिसंबर, 09 तक पूरा होगा। खान योजना तैयार किया जा रहा है।	11
महाराष्ट्र	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	वरोरा	एमएसएमडीसीएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	एमपी अनुमोदन, ईएमपी और एमएल, एल लंबित है।	73
कुल					2				
ओडिशा									
ओडिशा	12.12.2003	विज्ञापन रहित	उत्कल डी	उड़ीसा मइनिंग कार्पो. लि.	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	एफसी एवं एमएल लंबित है।	153.31
ओडिशा	02.08.2006	जीडी पेशकश 2006	नवगाव-तेलीसाही	ओएमसी एवं एपीएमसी लि.	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	आर ब्लॉक। ड्रिलिंग नवंबर, 2010 में पूरा किया गया और जीआर मई, 2011 में पूरे किए जाने की आशा थी	733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम बंगाल									
पश्चिम बंगाल	14.01.2005	विज्ञापन रहित	ट्रासदमोहर	डब्ल्यूबीएमडीसी लि.	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	खान विकास कार्य 1.3.2011 को फिर से शुरू हुआ। कंपनी ने अक्तू, 2011 से कोयला उत्पादन शुरू करने का आश्वासन दिया।	103.15
पश्चिम बंगाल	02.08.2006	जीडी पेशकश 2005	इच्छापुर	डब्ल्यूबीएमटीडीसीएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	ड्रिलिंग क्रियाकलाप मार्च, 2010 से फिर से शुरू हुआ और मार्च 2011 तक 251419 मि.ट. ड्रिल किया गया।	335
पश्चिम बंगाल	02.08.2006	जीडी पेशकश 2005	कुलटी	डब्ल्यूबीएमटीडीसीएम	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	ड्रिगि पुन: जून, 2010 में शुरू हुआ। मार्च, 2011 तक 14316 मि.ट. पूरा हुआ।	210
पश्चिम बंगाल	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	जगन्नाथपुर ए	डब्ल्यूबीएमडीसीएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	ड्रिलिंग अगस्त, 2010 में पूरा हुआ और जीआर नवंबर, 2010 में पूरा हुआ। प्रारंभिक क्रियाकलाप शुरू हुआ।	273
पश्चिम बंगाल	25.07.2007	जीडी पेशकश 2006	जगन्नाथपुर बी	डब्ल्यूबीएमडीसीएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	ड्रिलिंग जुलाई, 2010 में पूरा हुआ। जीआर पूरा किया गया।	176
पश्चिम बंगाल	27.12.2007	पेशकश के बिना	सीतारामपुर	डब्ल्यूबीएमटीडीसीएल	1	सरकारी	सरकारी वाणिज्यिक	एमईसीएल द्वारा अन्वेषण शुरू किया गया।	210
कुल					6				
सीटीएल क्षेत्र में आबंटित कोयले की सूची									
ओडिशा									
ओडिशा	27.02.2009	21 जून, 2008	रामचंडी प्रोन्नत	जेएसपीएल	1	निजी	सीटीएल	आरई ब्लॉक। अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए 0.9512 हेक्टेयर के लिए वन परिवर्तन प्रस्ताव सीसीसीएफ में 3.5.2011 को फाईल में लगाया गया। फाईल का प्रोसेस डीएफओ स्तर पर है।	1500
ओडिशा	27.02.2009	21 जून, 2008	नाथ ऑफ	स्ट्रेजिग	1	निजी	सीटीएल	निर्दिष्ट भंडारों का लगभग 8 कि.मी. प्रमाणित भंडारों का 10 वर्ग कि.मी. पर आधारित खनन योजना 25.02.2011 को एमओसी को प्रस्तुत किया गया है।	1500

विवरण-II

आबंटन रद्द किए गए कोयला ब्लॉकों का ब्यौरा

क्र.सं.	कंपनी का नाम	आबंटित ब्लॉक	राज्य	आबंटन की तारीख	अन्त्य उपयोग	आबंटन रद्द किए जाने की तारीख
1.	गुजरात राज्य विद्युत कॉर्पोरेशन लि.	जयनगर	गुजरात	02.08.2006	पावर	2008
2.	दामोदर वैली निगम	कस्ता (ईस्ट)	पश्चिम बंगाल	03.03.2005	पावर	मई, 2009
3.	बिनानी सीमेंट लि.	दत्तिमा	मध्य प्रदेश	05.09.2008	सीमेंट	27.04.2010
4.	मुरली इंडस्ट्रीज और ग्रेस इंडस्ट्रीज	लोहरा (ईस्ट)	महाराष्ट्र	27.6.2008	वाणिज्यिक	28.06.2010
5.	महाराष्ट्र राज्य खान निगम लि.	अगरजारी	महाराष्ट्र	25.07.2007	वाणिज्यिक	28.06.2010
6.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	महल	झारखंड	09.12.2005	स्टील	07.03.2011
7.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	तेनुघा-झारकी	झारखंड	10.09.2008	स्टील	07.03.2011
8.	भाटिया इंटरनेशनल लि.	वरोरा वेस्ट (नार्थ)	महाराष्ट्र	20.02.2007	स्पोंज	30.05.2011
9.	आंध्र प्रदेश विद्युत जनरेशन निगम लि.	अनेस्तीपाली	आंध्र प्रदेश	20.02.2007	पावर	30.05.2011
10.	आंध्र प्रदेश विद्युत जनरेशन निगम लि.	पुंकुला-चिल्का	आंध्र प्रदेश	20.02.2007	पावर	30.05.2011
11.	आंध्र प्रदेश विद्युत जनरेशन निगम लि.	पेनगडप्पा	आंध्र प्रदेश	29.05.2007	पावर	30.05.2011
12.	श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि.	भंडक (वेस्ट)	महाराष्ट्र	27.11.2003	पावर	31.05.2011
13.	नेशनल थार्मल पावर कॉर्पोरेशन	चट्टी बरियातू	झारखंड	25.01.2006	पावर	14.06.2011
14.	नेशनल थार्मल पावर कॉर्पोरेशन	केरनदारी	झारखंड	25.01.2006	पावर	14.06.2011
15.	नेशनल थार्मल पावर कॉर्पोरेशन	चट्टी बरियातू (साउथ)	झारखंड	25.7.2007	पावर	14.06.2011
16.	नेशनल थार्मल पावर कॉर्पोरेशन	ब्राहम्णी	झारखंड	25.01.2006	पावर	14.06.2011
17.	नेशनल थार्मल पावर कॉर्पोरेशन	चिचरो पतसिमल	झारखंड	25.01.2006	पावर	14.06.2011
18.	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	बनहारडीह	झारखंड	02.08.2006	पावर	14.06.2011
19.	दामोदर वैली निगम	साहारपुर जमरपाणि	झारखंड	25.07.2007	पावर	14.06.2011

विवरण-III

कोयला ब्लॉक आबंटितियों को वर्ष-वार और राज्य-वार जारी किए गए कारण बताओं नोटिस का ब्यौरा

क्र.स.	पार्टी का नाम	आबंटन की तारीख	आबंटित ब्लॉक	राज्य	निजी	समीक्षा बैठक मार्च, 2008	समीक्षा बैठक अक्तू., 2008	समीक्षा बैठक 2009	समीक्षा बैठक 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कार्पो. लि.	06.12.2005	टाडीचेरला-I	आंध्र प्रदेश	जी			जारी	जारी
2.	आंध्र प्रदेश विद्युत जनरेशन निगम लि.	20.02.2007	अनेस्तीपाल	आंध्र प्रदेश	जी			जारी	जारी
3.	आंध्र प्रदेश विद्युत जनरेशन निगम लि.	20.02.2007	पुंकुला चिल्का	आंध्र प्रदेश	जी			जारी	जारी
4.	आंध्र प्रदेश विद्युत जनरेशन निगम लि.	29.05.2007	पेनगडप्पा	आंध्र प्रदेश	जी			जारी	जारी
5.	अरुणाचल प्रदेश मिनरल देव, कॉर्पो.	28.10.2003	नामची नामपुक	आंध्र प्रदेश	जी				
6.	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव, कॉर्पो. लि.	14.08.2003	तारा	छत्तीसगढ़	जी			जारी	जारी
7.	छत्तीसगढ़ स्टेट विद्युत बोर्ड	23.09.2004	गिडमुरी	छत्तीसगढ़	जी				जारी
8.	हिंदुस्तान जिंग लि. और अन्य	13.01.2006	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी				जारी
9.	अक्षय इन्वेसमेंट प्रा.लि.	13.01.2006	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी				जारी
10.	छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर लि.	13.01.2006	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी				जारी
11.	छत्तीसगढ़ इलैक्ट्रिसीटी का.लि.	13.01.2006	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी				जारी
12.	एमएसपी स्टील एंड पावर लि.	13.01.2006	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी				जारी
13.	छत्तीसगढ़ कैप्टिव कोल माईनिंग लि. (कंर्सोटियम ऑफ पांच कंपनी)	13.01.2006	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी				जारी
14.	इस्पात गोदावरी	13.01.2006	नाकिया I + नाकिया II	छत्तीसगढ़	पी				जारी
15.	इण्ड एग्रो सेनर्जी	13.01.2006	नाकिया I + नाकिया II	छत्तीसगढ़	पी				जारी
16.	श्री नकोडा इस्पात	13.01.2006	नाकिया I + नाकिया II	छत्तीसगढ़	पी				जारी
17.	वंदना ग्लोबल लि.	13.01.2006	नाकिया I + नाकिया II	छत्तीसगढ़	पी				जारी
18.	श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लि.	13.01.2006	नाकिया I + नाकिया II	छत्तीसगढ़	पी				जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	जायसवाल नेको लि.	13.01.2006	गारेपालमा IV/8	छत्तीसगढ़	पी				जारी
20.	अल्ट्राटेक लि.	13.01.2006	मदनपुर (नॉर्थ)	छत्तीसगढ़	पी				जारी
21.	सिंघल इन्टरप्राइजेज	13.01.2006	मदनपुर (नॉर्थ)	छत्तीसगढ़	पी				जारी
22.	नवभारत कोलफील्ड्स लि.	13.01.2006	मदनपुर (नॉर्थ)	छत्तीसगढ़	पी				जारी
23.	वंदना एनर्जी एंड स्टील प्रा.	13.01.2006	मदनपुर (नॉर्थ)	छत्तीसगढ़	पी				जारी
24.	प्रकाश इण्डस्ट्री लि.	13.01.2006	मदनपुर (नॉर्थ)	छत्तीसगढ़	पी				जारी
25.	अंजनी स्टील प्रा.लि.	13.01.2006	मदनपुर (नॉर्थ)	छत्तीसगढ़	पी				जारी
26.	छत्तीसगढ़ कैपिटव कोल माईनिंग लि. (कंर्सोटियम ऑफ पांच कंपनी)	13.01.2006	मदनपुर (नॉर्थ)	छत्तीसगढ़	पी				जारी
27.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	02.08.2006	नरसा	छत्तीसगढ़	पी			जारी	जारी
28.	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव. कॉर्पो. लि.	02.08.2006	गारेपालमा, सेक्टर-I	छत्तीसगढ़	पी			जारी	
29.	महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग का.	02.08.2006	गारेपालमा, सेक्टर-II	छत्तीसगढ़	पी		जारी	जारी	जारी
30.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	02.08.2006	गारेपालमा, सेक्टर-II	छत्तीसगढ़	पी		जारी	जारी	जारी
31.	मध्य प्रदेश स्टे माइनिंग	02.08.2006	मोरगा-I	छत्तीसगढ़	जी				
32.	गुजरात मिनरल डे. कार्पो.	02.08.2006	मोरगा-II	छत्तीसगढ़	जी			जारी	जारी
33.	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव. कार्पो. लि.	25.07.2007	शंकरपुर भाटगांव-II	छत्तीसगढ़	जी			जारी	
34.	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग का.	25.07.2007	मोरगा-III	छत्तीसगढ़	जी			जारी	
35.	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग का.	25.07.2007	मोरगा-IV	छत्तीसगढ़	जी			जारी	
36.	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव. कार्पो. लि.	25.07.2007	सोंधिया	छत्तीसगढ़	पी			जारी	
37.	जेएलडी यावतमल एजर्नी लि.	23.07.2008	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़	पी			जारी	
38.	आर.के.एम. पावर जन.प्रा.लि.	23.07.2008	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़	पी			जारी	
39.	वीसा पावर लि.	23.07.2008	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़	पी			जारी	
40.	ग्रीन इन्फ्रा प्रा.लि.	23.07.2008	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़	पी			जारी	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	वंदना विद्युत लि.	23.07.2008	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़	पी			जारी	
42.	एसकेएस इस्पातल एंड पावर लि.	06.02.2008	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़	पी				जारी
43.	प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.	06.02.2008	फतेहपुर	छत्तीसगढ़	पी				जारी
44.	जीवीके पावर(गोविंदबाल साहिब) लि.	07.01.2002	फतेहपुर	छत्तीसगढ़	पी				जारी
45.	नेशनल थर्मल पावर का.	11.10.2004	झारखंड	छत्तीसगढ़	पी				जारी
46.	जायसवाल नेको लि.	13.05.2005	झारखंड	छत्तीसगढ़	पी				जारी
47.	डेस्को स्मोकलेस्य फ्यूल प्रा. लि.	08.07.2005	लालगढ़ (नार्थ)	झारखंड	पी				जारी
48.	टिस्को	11.08.2005	कोतरे-बंसतपुर	झारखंड	पी				जारी
49.	टिस्को	11.08.2005	पचमो	झारखंड	पी				जारी
50.	ऊषा मार्टिन लि.	24.08.2005	लोहरी	झारखंड	पी				जारी
51.	कॉर्पोरेट इस्पात लि.	02.09.2005	चित्तासुर	झारखंड	पी				जारी
52.	कॉर्पोरेट इस्पात लि.	09.12.2005	महल	झारखंड	जी				जारी
53.	झारखंड इस्पात प्रा.लि.	13.01.2006	नार्थ दादू	झारखंड	पी				जारी
54.	पवनजय स्टील एंड पावर जनरेशन प्रा.लि.	13.01.2006	नार्थ दादू	झारखंड	पी				जारी
55.	इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग लि.	13.01.2006	नार्थ दादू	झारखंड	पी				जारी
56.	आधुनिक एलाइंज एंड पावर लि.	13.01.2006	नार्थ दादू	झारखंड	पी				जारी
57.	तेनूघाट विद्युत निगम लि.	13.01.2006	गोन्डुलपारा	झारखंड	पी				जारी
58.	दामोदर वेली कॉर्पोरेशन	13.01.2006	गोन्डुलपारा	झारखंड	पी				जारी
59.	निनानचल आयरन एंड पावर जन.	13.01.2006	डुमरी	झारखंड	पी				जारी
60.	बजरंग इस्पात प्रा.लि.	13.01.2006	डुमरी	झारखंड	पी				जारी
61.	नेशनल थर्मल पावर का.	25.01.2006	तलाईपली	झारखंड	जी				जारी
62.	नेशनल थर्मल पावर का.	25.01.2006	केरन्दारी	झारखंड	जी				जारी
63.	नेशनल थर्मल पावर का.	25.01.2006	चट्टी बरियातू	झारखंड	जी				जारी
64	एनटीपीसन+सीआईएलजेवी	25.01.2006	ब्रह्मनी	झारखंड	जी				जारी
65.	एनटीपीसी+सीआईएलजेवी	25.01.2006	चिचररू पटसीमल	झारखंड	जी				जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66.	झारखंड स्टेट मिनरल डेव. कार्पो. लि.	30.01.2006	सुगिआ क्लोस्ड माइन	झारखंड	जी				जारी
67.	झारखंड स्टेट मिनरल डेव. कार्पो. लि.	30.01.2006	राउता क्लोज माइन	झारखंड	जी				जारी
68.	रूंगटा माईन्स लि.	25.04.2006	बुन्दू	झारखंड	जी				जारी
69.	एमएमटीसी	02.08.2006	गोमिया	झारखंड	जी				जारी
70.	झारखंड स्टेट मिनरल डेव. कार्पो. लि.	02.08.2006	पिन्डरा देबीपुर-खाउवतन्द	झारखंड	जी				जारी
71.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम	02.08.2006	सरिया कोयातांद	झारखंड	जी				जारी
72.	तेनूघाट विद्युत निगम लि.	02.08.2006	राजबर इएण्डडी	झारखंड	जी				जारी
73.	झारखंड स्टेट इलै. बोर्ड	02.08.2006	बनहरडीह	झारखंड	जी				जारी
74.	झारखंड स्टेट मिनरल डेव. कार्पो. लि.	02.08.2006	लतेहर	झारखंड	जी				जारी
75.	जिन्दल स्टील एंड पावर लि.	20.02.2007	जीतपुर	झारखंड	जी				जारी
76.	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन	25.07.2007	छाती बरियातू साउथ	झारखंड	जी				जारी
77.	दामोदर वेली कॉर्पोरेशन	25.07.2007	साहरपुर जमरपानी	झारखंड	जी			जारी	जारी
78.	झारखंड स्टेट इलै. बोर्ड	25.07.2007	छाती बरियातू	झारखंड	जी			जारी	जारी
79.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम	25.07.2007	छाती बरियातू	झारखंड	जी			जारी	जारी
80.	झारखंड स्टेट मिनरल डेव. कॉर्पो. लि.	25.07.2007	पतराजू	झारखंड	जी				जारी
81.	झारखंड स्टेट मिनरल डेव. कॉर्पो. लि.	25.07.2007	रेबोडीह ओसीपी	झारखंड	जी				जारी
82.	अर्सेलर मित्तल इंडिया लि.	09.01.2008	सारेगढ़हा	झारखंड	पी			जारी	जारी
83.	जीवीके पावर (गोविंदवाल साहिब) लि.	09.01.2008	सारेगढ़हा	झारखंड	पी			जारी	जारी
84.	सीईएससी लि.	09.01.2008	महुगढ़ी	झारखंड	पी			जारी	
85.	जास इन्फ्रा. केपिटल प्रा.लि.	09.01.2008	महुगढ़ी	झारखंड	पी			जारी	
86.	जिन्दल स्टील एंड पावर लि.	17.01.2008	अमरकोण्डा मुर्गादंगल	झारखंड	पी			जारी	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87.	गगन स्पांज आयरन प्रा.लि.	17.01.2008	अमरकोण्डा मुर्गादंगल	झारखंड	पी			जारी	
88.	झारखंड स्टेट मिनरल डेव.कार्पो. लि.	11.04.2008	जोगेश्वर एंड खास जोगेश्वर	झारखंड	जी				जारी
89.	बिहार स्पांज आयरन लि.	05.08.2008	मच्छरकुंद	झारखंड	पी			जारी	जारी
90.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	10.04.2006	महन	मध्य प्रदेश	पी				
91.	एस्सार पाव लि.	12.04.2006	महन	मध्य प्रदेश	पी				जारी
92.	हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज	12.04.2006	महन	मध्य प्रदेश	पी				जारी
93.	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन	02.08.2006	डोंगरी तल-ii	मध्य प्रदेश	जी			जारी	
94.	एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली	02.08.2006	मारा ii महन	मध्य प्रदेश	जी			जारी	
95.	प्रिज्य सीमेंट लि.	29.05.2007	सियाल घोघरी	मध्य प्रदेश	पी	जारी			
96.	एसकेएस इस्पात लि.	29.05.2007	रावनवारा नार्थ	मध्य प्रदेश	पी			जारी	जारी
97.	आंध्र प्रदेश स्टेट मिनरल डेव.कार्पो.लि.	25.07.2007	सायलयारी	मध्य प्रदेश	जी			जारी	जारी
98.	मध्य प्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पो.	25.07.2007	मरकी बरका	मध्य प्रदेश	जी			जारी	
99.	मध्य प्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पो.	25.07.2007	सेमारिया/पिपरिया	मध्य प्रदेश	जी			जारी	
100.	मध्य प्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पो.	25.07.2007	बिच्छारपुर	मध्य प्रदेश	जी			जारी	
101.	मध्य प्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पो.	25.07.2007	मंडला साउथ	मध्य प्रदेश	जी			जारी	
102.	पुष्प स्टील एंड माईनिंग लि.	16.07.2007	ब्रहमपुरी	मध्य प्रदेश	पी			जारी	जारी
103.	मिडैस्ट इन्टरग्रेटिड स्टील्स लि.	05.08.2008	टांडसी-III एंड टांडसी-I (एक्स.)	मध्य प्रदेश	पी				जारी
104.	बिनानी सीमेंट लि.		दातिमिया	मध्य प्रदेश	पी			जारी	
105.	हरियाणा पावर जनरेशन का. लि. (एचपीजीसीएल)	02.08.2006	मारा II महन	मध्य प्रदेश	जी			जारी	जारी
106.	गोदवाना इस्पात लि.	29.10.2003	माजरा	महाराष्ट्र	पी				जारी
107.	श्री विधानाथ आर्युवेद भवन लि.	27.11.2003	भंदक वेस्ट	महाराष्ट्र	पी				जारी
108.	विरांगना स्टील लि.	06.09.2005	मर्की मंगली-II	महाराष्ट्र	पी				जारी
109.	विरांगना स्टील लि.	06.09.2005	मर्की मंगली-III	महाराष्ट्र	पी				जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110.	विरांगना स्टील लि.	06.09.2005	मर्की मंगली-IV	महाराष्ट्र	पी				जारी
111.	गुप्ता मेटालिक्स एंड पावर लि.	13.01.2006	नारेद मेलगांव	महाराष्ट्र	पी			जारी	जारी
112.	गुप्ता कोलफील्ड एंड वाशरीज लि.	13.01.2006	नारेद मेलगांव	महाराष्ट्र	पी			जारी	जारी
113.	चमन मेटालिक्स लि.	20.02.2007	कोसर डोंगरगांव	महाराष्ट्र	पी			जारी	
114.	भाटिया इन्टरनेशनल लि.	20.02.2007	वरोरा वेस्ट (नार्थ)	महाराष्ट्र	पी	जारी			जारी
115.	महाराष्ट स्टेट माईनिंग लि.	25.07.2007	वरोरा	महाराष्ट्र	जी				जारी
116.	महाराष्ट्र सीमेलेस लि.	21.11.2008	गोंदखारी	महाराष्ट्र	पी			जारी	
117.	धारीवाल इन्फ्रा प्रा.लि.	21.11.2008	गोंदखारी	महाराष्ट्र	पी			जारी	
118.	कैसोराम इंडस्ट्रीज लि.	21.11.2008	गोंदखारी	महाराष्ट्र	पी			जारी	
119.	मुरली इंडस्ट्रीज ग्रेस		लोहिया ईस्ट	महाराष्ट्र	पी			जारी	
120.	हिंडाल्को इंडस्ट्री	25.02.1994	तालाबीरा-I	उड़ीसा	ओ				
121.	उत्कल कोल लि. (फारमर्ली आईसीसीएल)	29.05.1998	उत्कल-सी	उड़ीसा	पी				जारी
122.	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि.	16.08.199	उत्कल-बी 2	उड़ीसा	पी				जारी
123.	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	29.09.2003	उत्कल बी 1	उड़ीसा	पी				जारी
124.	भुषण लि.	12.11.2003	जमखानी	उड़ीसा	पी				जारी
125.	उड़ीसा माईनिंग का.	1.12.2003	उत्कल-बी	उड़ीसा	पी			जारी	जारी
126.	नाल्को	27.08.2004	उत्कल 'ई'	उड़ीसा	पी			जारी	जारी
127.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	10.11.2005	तालाबीरा II	उड़ीसा	जी				जारी
128.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	10.11.2005	तालाबीरा II	उड़ीसा	जी				जारी
129.	हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज	10.11.2005	तालाबीरा II	उड़ीसा	जी				जारी
130.	महानदी कोलफील्ड लि.	29.11.2005	उत्कल-ए	उड़ीसा	जी				जारी
131.	जेएसडब्ल्यू स्टील लि./	29.11.2005	उत्कल-ए	उड़ीसा	जी				जारी
	जिंदल थर्मल पावर लि.	29.11.2005	उत्कल-ए	उड़ीसा	जी				जारी
132.	जिन्दल स्टेनलेस स्टील लि.	29.11.2005	उत्कल-ए	उड़ीसा	पी				जारी
133.	श्याम डीआरआई लि.	29.11.2005	उत्कल-ए	उड़ीसा	जी				जारी
134.	भुषण लि.	13.01.2006	भिजहान	उड़ीसा	पी				जारी
135.	महावरी फेसे	13.01.2006	भिजहान	उड़ीसा	पी				जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136.	भुषण स्टील एंड स्ट्रीप्स लि.	13.01.2006	पतरापारा	उड़ीसा	पी				जारी
137.	आधुनिक मेटलिक्स लि.	13.01.2006	पतरापारा	उड़ीसा	पी				जारी
138.	दीपक स्टील एंड पावर लि.	13.01.2006	पतरापारा	उड़ीसा	पी				जारी
139.	आधुनिक कॉर्पोरेशन लि.	13.01.2006	पतरापारा	उड़ीसा	पी				जारी
140.	उड़ीसा स्पांज आयरन लि.	13.01.2006	पतरापारा	उड़ीसा	पी				जारी
141.	एसएमसी पावर जनरेशन लि.	13.01.2006	पतरापारा	उड़ीसा	पी				जारी
142.	श्री मेटलिक्स लि.	13.01.2006	पतरापारा	उड़ीसा	पी				जारी
143.	वीसा स्टील लि.	13.01.2006	पतरापारा	उड़ीसा	पी				जारी
144.	नेशनल थर्मल पा. का.	25.01.2006	दुलंगा	उड़ीसा	पी				जारी
145.	टॉटा स्पांज आयरन लि.	07.02.2006	राधीकपूर (ईस्ट)	उड़ीसा	पी				जारी
146.	स्काव इंडस्ट्रीज लि.	07.02.2006	राधीकपूर (ईस्ट)	उड़ीसा	पी				जारी
147.	एसपीएस स्पांज आयरन लि.	07.02.2006	राधीकपूर (ईस्ट)	उड़ीसा	पी				जारी
148.	रूंगटा माइन्स	25.04.2006	राधीकपूर (ईस्ट)	उड़ीसा	पी				जारी
149.	ओसीएल इंडिया लि.	25.04.2006	राधीकपूर (ईस्ट)	उड़ीसा	पी				जारी
150.	ओसिएन इस्पात लि.	25.04.2006	राधीकपूर (ईस्ट)	उड़ीसा	पी				जारी
151.	उड़ीसा माईनिंग का.	02.08.2006	नौगांव तेलीसाही	उड़ीसा	जी			जारी	
152.	आंध्र प्रदेश माईनिंग का.	25.07.2007	मंदाकनी बी	उड़ीसा	जी			जारी	जारी
153.	असम मिनरल डेव. का.	25.07.2007	मंदाकनी बी	उड़ीसा	जी			जारी	जारी
154.	मेघालय मिनरल डेव का.	25.07.2007	मंदाकनी बी	उड़ीसा	जी			जारी	जारी
155.	तमिलनाडु स्टेट इलै. बोर्ड चेन्नई	25.07.2007	मंदाकनी बी	उड़ीसा	जी			जारी	जारी
156.	उड़ीसा माईनिंग का.	25.07.2007	मंदाकनी बी	उड़ीसा	जी			जारी	जारी
157.	उड़ीसा पावर जन. का.	25.07.2007	मंदाकनी बी	उड़ीसा	जी				
158.	उड़ीसा पावर जन. का.	25.07.2007	डिपसाइड मनोहरपुर	उड़ीसा	जी				
159.	गुजरात मिनरल डेव. का.	25.07.2007	नैनी	उड़ीसा	जी			जारी	
160.	पीआईपीडीआईसीएल	25.07.2007	नैनी	उड़ीसा	जी			जारी	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161.	स्ट्रेलाइट एनर्जी लि. (आईपीपी)	17.01.2008	रामपया एंड डिप साइड ऑफ रामपिया	उड़ीसा	पी			जारी	जारी
162.	जीएमआर एनर्जी (आईपीपी)	17.01.2008	रामपया एंड डिप साइड ऑफ रामपिया	उड़ीसा	पी			जारी	जारी
163.	अर्सलर मित्तल इंडिया लि. (सीपीपी)	17.01.2008	रामपया एंड डिप साइड ऑफ रामपिया	उड़ीसा	पी			जारी	जारी
164.	लेन्को ग्रुप लि. (आईपीपी)	17.01.2008	रामपया एंड डिप साइड ऑफ रामपिया	उड़ीसा	पी			जारी	जारी
165.	नवभारत पावर प्रा.लि. (आईपीपी)	17.01.2008	रामपया एंड डिप साइड ऑफ रामपिया	उड़ीसा	पी			जारी	जारी
166.	रिलायंस एनर्जी लि. (आईपीपी)	17.01.2008	रामपया एंड डिप साइड ऑफ रामपिया	उड़ीसा	पी			जारी	जारी
167.	दामोदर वेली का.	03.03.2005	बरजोरा (नार्थ)	पश्चिम बंगाल	जी				जारी
168.	दामोदर वेली का.	03.03.2005	कगरा जॉयदेव	पश्चिम बंगाल	जी				जारी
169.	वंकुरा डीआरआई माईनिंग मैन्यूफ्रैक्चर कं. प्रा.लि.	20.02.2007	बिहारीनाथ	पश्चिम बंगाल	पी	जारी	जारी	जारी	
170.	पश्चिम बंगाल पावर डेव. का. लि.	27.02.2009	ईस्ट आर्फ दमगोरिया (कल्याणनेशवरी)	पश्चिम बंगाल	जी				जारी

आदर्श डिग्री महाविद्यालय

***310. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:**
डॉ. कृपारानी किल्ली:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आदर्श डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना संबंधी कार्य-विधि को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन महा विद्यालयों द्वारा देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में विद्यमान सुविधाओं और स्तर में किस प्रकार से सुधार लाए जाने की आशा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) सरकार ने देश के विभिन्न 374 अभिनिर्धारित शैक्षिक रूप से पिछड़े उन जिलो में, जहां सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, प्रत्येक में एक मॉडल डिग्री कॉलेज खोलने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। प्रत्येक कॉलेज के लिए पूंजीगत लागत 8 करोड़ रु. तक हो सकती है, जिसकी भागीदारी केन्द्र तथा राज्यों के बीच 1:2 के अनुपात में होगी। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 1:1 है। भूमि की लागत तथा आवर्ती लागत को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) और (घ) वर्ष 2010-11 में 19.95 करोड़ रु. तथा वर्ष 2011-12 में 17.29 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(ङ) इस योजना का अभिप्रेत, शैक्षिक रूप से अल्प-सेवित जिलों में कॉलेजों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करना है ताकि उच्चतर शिक्षा की पहुंच में वृद्धि हो सके। ये कॉलेज समावेशी, समानता तथा गुणवत्तामूलक उच्चतर शिक्षा का विस्तार करेंगे और इससे सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि भी होगी।

[हिन्दी]

राज्यों को रॉयल्टी

***311 श्री अशोक कुमार रावत:**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को अनुषंगी कंपनी-वार तथा राज्य-वान कितनी राशि की रॉयल्टी का भुगतान किया गया है एवं इस समय रॉयल्टी की कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से रॉयल्टी की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(घ) राज्य सरकारों को उपर्युक्त राशि का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार इस समय किसी संबंधित राज्य सरकार को भुगतान करने के लिए कोई रायल्टी बकाया नहीं है। चालू वर्ष (जून, 2011 तक) सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा राज्य सरकारों को भुगतान की गयी रायल्टी राज्य-वार और सहायक कंपनी-वार नीचे दिए अनुसार है:-

(करोड़ रु. में)

राज्य	सीआईएल की सहायक कंपनियां	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (जून 2011 तक)
1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	एमसीएल	773.07	859.63	936.66	264.51
पंश्चिम बंगाल	ईसीएल	9.37	9.53	9.63	2.95
	बीसीसीएल	0.07	0.06	0.05	0.02
	उप जोड़	9.44	9.60	9.68	2.97
झारखंड	ईसीएल	130.27	145.54	162.95	45.34
	बीसीसीएल	375.94	412.14	508.28	136.33
	सीसीएल	561.01	584.66	613.28	175.45
	उप-जोड़	1067.22	1142.34	1284.51	357.12

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	501.80	514.08	499.82	135.71
मध्य प्रदेश	एनसीएल	631.24	660.56	633.51	102.61
	डब्ल्यूसीएल	102.42	101.80	96.02	25.86
	एसईसीएल	216.52	218.88	231.61	75.75
	उप-जोड़	950.18	981.24	961.14	204.22
छत्तीसगढ़	एसईसीएल	894.19	943.07	1011.35	290.10
उत्तर प्रदेश	एनसीएल	114.95	149.29	168.83	30.85
असम	एनईसी	20.62	28.26	29.25	9.18
कुल योग		4331.46	4627.50	4901.24	1294.66

(ख) जी, नहीं

(ग) और (घ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर विकास शुल्क/प्रयोक्ता विकास शुल्क

***312. श्री आर. थामराईसेलवन:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न विमानपत्तनों पर विकास शुल्क/प्रयोक्ता विकास शुल्क वसूल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार देश में सभी विमानपत्तनों पर विकास शुल्क/प्रयोक्ता विकास शुल्क को विनियमित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, मुंबई में विकास शुल्क की समीक्षा संबंधी प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित हवाई अड्डों पर प्रयोक्ता विकास शुल्क वसूल किया जाता है:

(i) बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, देवनहल्ली-रु. 260/- प्रति प्रस्थानकर्ता घरेलू यात्री और रु. 1070/- प्रति प्रस्थानकर्ता अंतर्राष्ट्रीय यात्री की दर से।

(ii) राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, शमशाबाद-रु. 430/- प्रति प्रस्थानकता घरेलू यात्री और रु. 1700/- प्रति प्रस्थानकर्ता अंतर्राष्ट्रीय यात्री की दर से।

(iii) अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद-रु. 110/- प्रति प्रस्थानकर्ता घरेलू यात्री और रु. 415/- प्रति प्रस्थानकर्ता अंतर्राष्ट्रीय यात्री की दर से।

(iv) त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूवनंतपुरम-रु. 575/- प्रति प्रस्थानकर्ता अंतर्राष्ट्रीय यात्री की दर से।

(v) जयपुर हवाईअड्डा-रु 910/- प्रति प्रस्थानकर्ता अंतर्राष्ट्रीय यात्री और रु. 150/- प्रति प्रस्थानकर्ता घरेलू यात्री की दर से।

(vi) अमृतसर हवाईअड्डा- रु. 910/- प्रति प्रस्थानकर्ता अंतर्राष्ट्रीय यात्री और रु. 150/- प्रति प्रस्थानकर्ता घरेलू यात्री की दर से।

(vii) उदयपुर हवाईअड्डा- रु. 150/- प्रति प्रस्थानकर्ता घरेलू यात्री की दर से।

(viii) वाराणसी हवाईअड्डा- रु. 975/- प्रति प्रस्थानकर्ता अंतर्राष्ट्रीय यात्री और रु. 150/- प्रति प्रस्थानकर्ता घरेलू यात्री की दर से।

(ix) मंगलौर हवाईअड्डा-रु. 825/- प्रति प्रस्थानकर्ता अंतर्राष्ट्रीय यात्री और रु. 150/- प्रति प्रस्थानकर्ता घरेलू यात्री की दर से।

(x) त्रिची हवाईअड्डा- रु. 360/- प्रति प्रस्थानकर्ता अंतर्राष्ट्रीय यात्री और रु. 150/- प्रति प्रस्थानकर्ता घरेलू यात्री की दर से।

(xi) विजाग हवाईअड्डा-रु. 150/- प्रति प्रस्थानकर्ता घरेलू यात्री की दर से।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 22क के अनुसार, भारत सरकार पहले आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली पर, दिनांक 01.03.2009 से रु. 1300/- प्रति प्रस्थानकर्ता अंतर्राष्ट्रीय यात्री और रु. 200/- प्रति प्रस्थानकर्ता घरेलू यात्री की दर से और सीएसआई हवाईअड्डा, मुंबई पर दिनांक 01.04.2009 से रु. 600/- प्रति प्रस्थानकर्ता अंतर्राष्ट्रीय यात्री आसैर रु. 100/- प्रति प्रस्थानकर्ता घरेलू यात्री की दर से-जिसमें सभी कर शामिल हैं-इन हवाईअड्डों के विकास के वित्त पोषण संबंधी कमी को पूरा करने के प्रयोजन से, विकास शुल्क की उगाही और संग्रह की अनुमति दे चुकी थी। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय के 26.04.2011 के निर्णय और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के 01.06.2011 के निर्णय के अनुसार, सीएसआई हवाईअड्डा, मुंबई और आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली पर विकास शुल्क की उगाही और संग्रह क्रमश: 27.04.2011 और 01.06.2011 से बंद कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रमुख हवाईअड्डों के लिए विकास शुल्क/प्रयोक्ता विकास शुल्क का विनियमन, विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

(ङ) और (च) विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, जिसकी स्थापना प्रमुख हवाईअड्डों पर विकास शुल्क समेत वैमानिकी प्रभारों का निर्धारण करने के उद्देश्य से की गई है, को हाल ही में मैसर्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा.लि. और मैसर्स मुंबई एयरपोर्ट प्रा.लि. की ओर से क्रमश: आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली और सीएसआई हवाईअड्डा, मुंबई पर विकास शुल्क की समीक्षा संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

मोबाइल उपभोक्ता

***313. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:**
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का पृथक-पृथक तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करने संबंधी अपने सामाजिक दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पहाड़ी, जनजातीय और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित देश के प्रत्येक भाग में मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान और दिनांक 30.06.2011 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वायरलैस कनेक्शनों की राज्यवार संख्या संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) किसी सेवा क्षेत्र में कवरेज मानदंड से संबंधित सार्वभौमिक अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएएलएल) समझौते की शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया गया है कि:

श्रेणी "क", "ख" और "ग" सेवा क्षेत्र लाइसेंस (लाइसेंसी) के लिए लागू

लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि:

(i) कम से कम 10 प्रतिशत जिला मुख्यालय (डीएचक्यू) को प्रथम वर्ष में कवर किया जाएगा और 50 प्रतिशत

जिला मुख्यलयों को लाइसेंस की प्रभावी तारीख से तीन वर्षों के अन्दर-अन्दर कवर कर लिया जाएगा।

(ii) लाइसेंसधारक को जिला मुख्यालयों के स्थान पर जिले में किसी अन्य कस्बे को कवर करने की अनुमति भी दी जाएगी।

(iii) जिला मुख्यालयों/कस्बों के कवरेज से तात्पर्य होगा कि नगर निगम की सीमाओं के अन्दर वाले क्षेत्र के कम से कम 90 प्रतिशत भाग को अपेक्षित गली एवं भवन के अन्दर कवरेज मिलना चाहिए।

(iv) जिला मुख्यालयों को लाइसेंस की प्रभावी तारीख से कार्रवाई के लिए लिया जाएगा।

(v) कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालयों/कस्बों की पसंद और जिला मुख्यालयों/कस्बों का 50 प्रतिशत से अधिक आगे विस्तार करना, कारोबारी निर्णय के आधार पर, लाइसेंसधारक पर निर्भर करेगा।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों के अनिवार्य कवरेज की कोई अनिवार्यता नहीं है।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम के तहत, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कुछ सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं (यूएसपी) नामत: भारती एयरटेल, एयरसैल, वोडाफोन, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), आइडिया और रिलायंस द्वारा मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने में विलंब रहा है।

कंपनियों के साथ किए गए यूएसओएफ करार के खंड-VII के अनुच्छेद 2.4 में निहित प्रावधानों के अनुसार, सेवा बंद किए जाने के कारण मोबाइल सेवाओं में आए व्यवधान की अवधि के कारण कुछ कंपनियों पर दंड लगाया गया है।

अनुच्छेद 2.4 में प्रावधान किया गया है कि "एक तिमाही में सात दिन तक की अवधि के लिए मोबाइल सेवाओं में व्यवधान की स्थिति में कोई दंड देय नहीं होगा। तिमाही में सात दिन से अधिक की अवधि के लिए मोबाइल सेवाओं में व्यवधान की स्थिति में 500 रुपये प्रति दिन की दर से दंड की व्यवस्था होगी। तथापि, यदि किसी तिमाही में 45 या इससे अधिक दिन की अवधि तक व्यवधान आता है तो पूरी तिमाही के लिए दंड का भुगतान करना होगा।"

विभाग, लंबित बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) को शीघ्र चालू करने के लिए फील्ड स्तर पर, संचार लेखा नियंत्रक, दूरसं.ार विभाग और मुख्यालय स्तर पर प्रशासक, यूएसओएफ की मार्फत इस स्कीम की नियमित रूप से समीक्षा करता है। साथ ही, विभाग ने, यूएएसएल शर्तों के तहत, इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर विचार करने और यदि आवश्यक हो तो, समुचित अगले उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है।

(ङ) और (च) यूएसओ निधि की साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम में विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों, जहां कोई मौजूदा फिक्स्ड वायरलैस या मोबाइल कवरेज नहीं है, में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु 27 राज्यों के 500 जिलों में 7353 (7871 से संशोधित) अवसंरचना स्थलों/टावरों की स्थापना करने और उनका प्रबंधन करने हेतु सरकारी सहायता का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, पहाड़ी, जनजातीय और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित, 2000 या अधिक की आबादी वाले गांवों या ग्राम समूहों, जिनमें मोबाइल कवरेज नहीं है, में टावर की स्थापना हेतु विचार किया गया। सफल बोलीदाताओं के साथ दिनांक 01.06.2007 से प्रभावी समझौतों पर मई, 2007 में हस्ताक्षर किए गए। इस स्कीम के तहत, दिनांक 31.07.2011 तक 7353 टावरों में से 7289 यानि 99.12% टावरों की स्थापना की गई है। इस प्रकार सृजित अवसंरचना मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा साझा की जा सकती है। मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा दिनांक 31.07.2011 तक 15469 बीटीएस चालू किए गए हैं।

विवरण

निम्नलिखित तारीख की स्थिति के अनुसार वायरलैस टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	31.03.009			31.03.010			31.03.011			30.06.011		
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	8,300,223	22,104,444	30,404,667	13,997,896	31,626,868	45,624,764	19,948,230	40,728,606	60,676,836	21,129,006	41,431,968	62,560,974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	असम	2,286,166	3,524,792	5,810,958	4,672,027	4,084,026	8,756,053	6,165,370	5,505,341	11,670,711	6,707,669	5,981,555	12,689,224
3	बिहार	7,650,898	13,327,294	20,978,192	15,659,337	21,313,914	36,973,251	23,969,459	29,571,782	53,541,241	25,809,402	31,527,438	57,336,840
4	गुजरात	8,285,825	15,824,524	24,110,349	11,333,535	21,015,614	32,349,149	16,191,620	30,766,023	46,957,643	16,851,583	31,967,272	48,818,855
5	हरियाणा	4,316,815	5,585,545	9,902,360	6,287,019	7,847,780	14,134,799	8,453,901	11,935,606	20,389,507	9,030,428	12,160,091	21,190,519
6	हिमाचल प्रदेश	2,104,119	1,216,569	3,320,688	2,866,435	2,118,938	4,985,373	3,981,081	3,234,851	7,215,932	4,114,101	3,256,349	7,370,450
7	जम्मू और कश्मीर	1,362,699	2,141,285	3,503,984	2,243,813	3,303,464	5,547,277	2,532,862	3,221,424	5,754,286	2,520,586	3,299,041	5,819,627
8	कर्नाटक	4,674,972	18,868,751	23,543,723	8,368,893	28,763,838	37,132,731	12,575,235	36,874,476	49,449,711	12,683,630	38,537,527	51,221,157
9	केरल	6,564,396	9,835,737	16,400,133	9,088,380	15,106,241	24,194,621	11,520,335	19,840,673	31,361,008	12,018,058	20,739,332	32,757,390
10	मध्य प्रदेश	5,623,673	14,975,337	20,599,010	10,500,949	21,478,816	31,979,765	16,034,520	29,790,654	45,825,174	17,150,039	30,984,193	48,134,232
11	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	12,063,903	19,281,420	31,345,323	18,755,276	24,760,705	43,515,981	27,448,882	34,267,364	61,716,246	28,869,050	35,695,119	64,564,169
12	पूर्वोत्तर	865,167	2,484,634	3,349,801	2,429,935	2,879,915	5,309,850	3,171,722	4,012,855	7,184,577	3,458,983	4,295,336	7,754,319
13	ओडिशा	3,954,374	4,732,916	8,687,290	6,717,082	8,554,645	15,271,727	9,441,253	12,974,116	22,415,369	10,205,573	13,495,734	23,701,307
14	पंजाब	5,008,959	9,872,625	14,881,584	6,672,556	13,424,334	20,096,890	9,255,279	19,505,996	28,761,275	9,796,795	20,353,395	30,150,190
15	राजस्थान	7,819,413	14,937,329	22,756,742	15,459,433	18,281,446	33,740,879	19,631,014	23,469,365	43,100,379	20,314,007	24,159,938	44,473,945
16	तमिलनाडु (चैन्ने को छोड़कर)	7,496,233	20,282,279	27,778,512	11,373,746	30,961,571	42,335,317	14,515,021	42,214,978	56,729,999	15,324,366	44,162,273	59,486,639
17	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	9,626,209	17,523,324	27,149,533	18,730,358	25,301,630	44,031,988	27,727,283	35,952,102	63,679,385	29,954,765	37,620,097	67,574,862
18	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	5,713,605	13,780,414	19,494,019	10,080,537	20,566,318	30,646,855	15,343,797	30,423,211	45,767,008	16,644,837	32,669,375	49,314,212
19	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	8,084,234	7,573,651	15,657,885	14,552,595	10,612,794	25,165,389	23,564,334	16,097,183	39,661,517	24,684,164	17,510,149	42,194,313
20	कोलकाता	1,042,267	10,600,745	11,643,012	721,672	15,680,202	16,401,874	917,022	22,296,367	23,213,389	916,226	22,719,146	23,635,372
21	चैन्ने	72,755	9,156,574	9,229,329	71,962	11,275,433	11,347,395	66,626	12,835,988	12,902,614	66,233	13,210,672	13,276,905
22	दिल्ली	38	21,980,035	21,980,073	344,276	27,955,314	28,299,590	1,096,043	37,725,561	38,821,604	1,328,291	39,849,403	41,177,694
23	मुंबई	126	19,233,276	19,233,402	0	26,481,884	26,481,884	0	34,799,906	34,799,906	0	36,501,350	36,501,350
	अखिल भारत कुल	112,917,069	278,843,500	391,760,569	190,927,712	393,395,690	584,323,402	273,550,889	538,044,428	811,595,317	289,577,792	562,126,753	851,704,545

नोट:

1. पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) लाइसेंस क्षेत्रों के आंकड़ों में क्रमश: अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तराखंड के टेलीफोन शामिल हैं क्योंकि निजी दूरसंचार सेवाप्रदाता केवल लाइसेंस क्षेत्रवार डाटा ही उपलब्ध कराते हैं।

2. आइडिया टेलीकम्युनिकेशन ने तमिलनाडु लाइसेंस क्षेत्र में चैन्ने हेतु जीएसएम फोन शामिल किए हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड में जनशक्ति

***314. शेख सैदुल हक:**
डॉ. बलीराम:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों में इस समय कंपनी-वार कुल कितने व्यक्ति नियोजित हैं;

(ख) क्या पिछले कुछ समय से इन कंपनियों के नियमित कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष का तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों ने विभागीय कार्यों की तुलना में खुले मुहाने वाली कोयला खानों में कार्यों को आउटसोर्स करने के उच्च प्रतिशत के कारणों का मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने इससे उत्पन्न हुए सामाजिक और आर्थिक आयामों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) 01.07.2011 की स्थिति के अनुसार, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों की कुल संख्या नीचे दी गयी है:-

कंपनी	कर्मचारियों की संख्या
1	2
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	79890
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	67451
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	51739
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	58853
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	77716
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	21403
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	16495
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	2588
कोल माइन्स प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.	3091
दानकुन कोल काम्प्लेक्स	578
कोल इंडिया लिमिटेड (मुख्यालय)	1003
कुल	380807

(ख) और (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों की संख्या नीचे दिए अनुसार है:-

कंपनी	2008-09 (1.4.2009)	2009-10 (1.4.2010)	2010-11 (1.4.2011)
1	2	3	4
ईस्टर्न, कोलफील्ड्स लिमिटेड	90470	85617	81128
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	76369	71838	67934
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	56553	54057	52285
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	62492	60870	59043
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	81434	79781	78009

1	2	3	4
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	20869	20978	21425
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	16450	16373	16209
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	2962	2820	2622
कोल माइन्स प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.	3065	3156	3102
दानकुन कोल काम्प्लेक्स	620	600	582
कोल इंडिया लिमिटेड (मुख्यालय)	1066	1048	1008
कुल	412350	397138	383347

(घ) और (ङ) सीआईएल ने बाह्य एजेंसियों को कार्य अवार्ड करके चुनिंदा खानों में कुछ कार्य-कलाप आरंभ किए हैं। कार्य का इस प्रकार अवार्ड करना वस्तुत: आउटसोर्सिंग नहीं है। यह प्रचालकों सहित मशीनरी और उपकरण को किराए पर लेना मात्र है। कोयले की बढ़ रही मांग तथा प्रचालनों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचालनों की बेहतर अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के मद्देनजर सीआईएल ने अपनी कुछ खानों में ऐसे कार्यकलाप आरंभ किए हैं ताकि कोयला उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया जा सके। अधिकांशत: ओपनकास्ट खानों में ऐसे उपायों के माध्यम से आरंभ किए गए प्रमुख कार्यकलाप सीआईएल की सहायक कंपनियों में ऐसी खानों में कोयला उत्पादन, ओवरबडेन (ओबी) रिमूवल और कोयले की ढुलाई आदि से संबंधित है।

(च) जी, नहीं। कोल इंडिया लि. द्वारा ऐसा कोई अध्ययन किया गया है।

(छ) से (ज) उपर्युक्त (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्प्रसंस्करण क्षमता

***315. श्री एम.बी. राजेश:**
श्री पी. कुमार:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परमाणु अपशिष्ट/प्रयुक्त ईंधन की पुनर्प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण सुविधा वाले परमाणु संयंत्रों का संयंत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने निकट भविष्य में देश में उत्पन्न होने वाले परमाणु अपशिष्ट/प्रयुक्त ईंधन के निपटान के लिए आवश्यक पुनर्प्रसंस्करण क्षमता का कोई अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परमाणु संयंत्रों की देश में ही पुनर्प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण की क्षमता में आवश्यकतानुसार वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र सहित कुछ परमाणु संयंत्रों की पुनर्प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण क्षमता में पहले ही वृद्धि कर दी है;

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी संयंत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या परमाणु अपशिष्ट के निपटान के लिए किसी अन्य देश ने तकनीकी सहायता देने की पेशकश की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) आज की तारीख में, नाभिकीय भुक्तशेष ईंधन पुनर्संसाधन/अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन संयंत्र निम्नलिखित स्थलों पर अवस्थित हैं:

क्र.सं.	स्थल का नाम		प्रचालनरत संयंत्रों का ब्यौरा
1	2		3
1.	ट्रांबे, महाराष्ट्र	क.	अनुसंधान रिएक्टर के धात्विक ईंधन को पुनर्संसाधित करने के लिए एक प्लूटोनियम संयंत्र।

1	2		3
		ख.	एक अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन संयंत्र
2.	तारापुर, महाराष्ट्र	क.	विद्युत रिएक्टर भुक्तशेष ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र-प्रीफ्री-1 तथा 2
		ख.	उपर्युक्त संयंत्रों से निकले अपशिष्ट पदार्थों के हस्तन के लिए मेल खाती हुई क्षमता की अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन सुविधाएं।
3.	कलपाक्कम, तमिलनाडु	क.	दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पीएच-डब्ल्यूआर्ज) से निकले भुक्तशेष ईंधन को पुनर्संसाधिक करने के लिए कपाक्म पुनर्संसाधन संयंत्र (केएआरपी)।
		ख.	कलपाक्कम पुन-र्संसाधन संयंत्र और कलपाक्कम स्थित अन्य सुविधाओं से निकले अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के लिए केन्द्रीकृत अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन सुविधा (सीडब्ल्युएमएफ)।

(ख) भारत 'संवृत्त ईंधन चक्र' नीति का अनुसरण करता है। पहले चरण (दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्युआर)) से निकले भुक्तशेष ईंधन को, यूरेनियम तथा प्लूटोनियम जैसे विखण्डनशील तत्वों को प्राप्त करने के लिए पुनर्संसाधित किया जा रहा है, जिनमें से प्लूटोनियम बाद में फास्ट रिएक्टर (दूसरा चरण) ईंधन का प्रमुख घटक बनेगा। वर्तमान में मौजूद और भविष्य के लिए योजनाबद्ध, पुनर्संसाधन क्षमता, फास्ट रिएक्टर ईंधन की आवश्यकता के अनुरूप है।

हमारे रिएक्टरों से निकलने वाले वार्षिक भुक्तशेष ईंधन के अनुरूप विभिन्न किस्मों और क्षमताओं के पुनर्संसाधन तथा अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन संयंत्रों का भी निर्माण किया गया है/निर्माण किया जा रहा है/निर्माण किए जाने की योजना है।

भारतीय मूल के ईंधन का संसाधन सुरक्षोपायों रहित संयंत्रों में किया जा रहा है, और विदेशी मूल के ईंधन को संसाधित करने के लिए सुरक्षोपायों वाले पुनर्संसाधन संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा।

(ग) से (ङ) (i) विद्युत रिएक्टर ईंधन पुनर्संसाधन (प्रीफ्री)-2 की स्थापना करके तारापुर स्थित पुनर्संसाधन क्षमता में वृद्धि की गई थी।

(ii) कलपाक्कम स्थित पुनर्संसाधन क्षमता को, प्रीफ्री-3ए की स्थापना करके दुगुना किया जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन संयंत्र डब्ल्युआईपी-3ए में क्षमता को उसके अनुरूप बढ़ाया जाएगा।

(iii) वर्तमान पुनर्संसाधन क्षमता को वर्ष 2018 तक तीन गुणा करने के लिए, एकीकृत नाभिकीय पुनर्चक्रण संयंत्र का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया है। इस संयंत्र का निर्माण तारापुर में किया जाएगा और इसके अंतर्गत सभी पुनर्संसाधन और अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन कार्यकलाप शामिल होंगे।

(iv) सुरक्षोपायों के अधीन विदेशी मूल के ईंधन को पुनर्संसाधित करने के लिए एकीकृत नाभिकीय पुनर्चक्रण संयंत्र के निर्माण के लिए डिजाइन संबंधी कार्यकलाप शुरू किए जा रहे हैं।

(v) फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑक्साइड ईंधन को पुनर्संसाधित करने के लिए फास्ट रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा प्रारंभ की जा रही है।

(च) जी, नहीं।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा वीजा देने से इनकार करना

***316. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान में ननकाना साहिब की यात्रा करने के इच्छुक विभिन्न राज्यों के सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान द्वारा समय पर वीजा जारी नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और गत दो वर्षों के दौरान कितने मामलों में वीजा देने से इनकार किया गया था; और

(घ) सिख तीर्थयात्रियों की ननकाना साहित की यात्रा को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) से (घ) तीर्थयात्रियों सहित अन्य भारतीय राष्ट्रिकों को पाकिस्तान जाने के लिए वीजा प्रदान करना पाकिस्तान सरकार का विशेषाधिकार है। भारत से ननकाना साहिब सहित पाकिस्तान में अन्य स्थलों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या "धार्मिक स्थलों की यात्रा से संबंधित द्विपक्षीय प्रोतोकोल-1974" द्वारा शासित होती है।

"धार्मिक स्थलों की यात्रा से संबंधित प्रोतोकोल" के अंतर्गत धार्मिक स्थलों एवं तीर्थयात्रियों की संख्या दोनों में वृद्धि के एक प्रस्ताव पर पिछले 6 वर्षों से पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की जा रही है। दिनांक 23-24 जून, 2011 को भारत व पाकिस्तान के बीच इस्लामाबाद में आयोजित सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान दोनों देश मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए तथा उन्होंने धार्मिक स्थलों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने सहित कई क्षेत्रों में सहयोग संवर्धित करने के उपायों पर चर्चा की। दिनांक 27 जुलाई, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों मंत्रियों ने कई क्षेत्रों में सहयोग संवर्धित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसवमें धार्मिक स्थलों की यात्रा को सुविधाजनक बनाना भी शामिल है। पाकिस्तान के साथ वर्तमान द्विपक्षीय वीजा करार को संशोधित करने पर भी चर्चा की जा रही है, जिसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों सहित दोनों देशों के बीच यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने में सहायता मिलेगी।

सरकार उपयुक्त संभारतंत्रीय एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ संपर्क करके भारतीय तीर्थयात्रियों की पाकिस्तान यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए वचनबद्ध है।

मार्गों की लाभप्रदता

***317. श्री सतपाल महाराज:**
श्री ए. सम्पत:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय नेशनल एविएशन कंपनी और इंडिया लिमिटेड/एयर इंडिया द्वारा कितने मार्गों पर परिचालन किया जाता है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मार्गों की लाभप्रदता के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या एयर इंडिया ने घरेलू बाजार विशेषकर टीयर-II कस्बों में मजबूत पकड़ बनाकर अपने राजस्व में वृद्धि करने की परिकल्पना की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) एयर इंडिया और इसकी अनुषंगी कंपनियां 144 घरेलू और 127 अंतर्राष्ट्रीय नगर-युग्म संपर्क ऑफर करते हुए औसतन 277 घरेलू और 203 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान सहित 63 भारतीय शहरों और 33 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए प्रचालन करती है।

(ख) और (ग) एअर इंडिया आवधिक रूप से अपने नेटवर्क पर सेवाओं के यात्री लोड फैक्टर के विमान वहन/वित्तीय निष्पादन की मॉनीटरिंग करती है और अपने निष्पादन में सुधार का प्रयास करती है। जब कभी भी किसी सेवा में बार-बार नकद घाटे बढ़ते हैं, तो एअर इंडिया घाटों के कारणों का विश्लेषण करती हैं और, अपने नेटवर्क के लिए ऐसी सेवाओं की रणनैतिक महत्ता के आधार पर, इस निर्णय पर पहुंचती है कि ऐसी सेवाएं जारी रखी जाएं या हटा ली जाएं। इस प्रकार के विश्लेषणों के परिणामस्वरूप एअर इंडिया ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अनेक मार्गों पर सेवाएं बंद की हैं। घाटा उठाने वाली सेवाओं की वांछनीयता अथवा अन्यथा प्रचालनों को बंद करने का निर्णय करते समय, एअर इंडिया उन संबद्ध सेवाओं द्वारा फीडर ट्रैफिक के जरिए अपनी अन्य सेवाओं में दिए गए राजस्व अंशदान को ध्यान में रखती हैं।

एअर इंडिया ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर अपने प्रचालनों की लाभप्रदता में सुधार के तौर-तरीकों की निरन्तर जांच की है। पिछली कुछ अनुसूचियों में किए गए यौक्तिकरण के उपायों से एयरलाइनों को होने वाले अनुमानित लाभों का सारांश नीचे दिया गया है:

जिस अनुसूची में उपाय किए गए	अनुमानित वार्षिक लाभ (करोड़ रुपए में)
ग्रीष्म 2009	555.00
शरद् 2009	496.00
ग्रीष्म 2010	14.00
शरद् 2010	586.00
ग्रीष्म 2011	123.00
कुल	1774.00

(घ) और (ङ) जी, हां। एअर इंडिया ने अपने राजस्व और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि करने के उद्देश्य से घरेलू बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए अपने नैरो बॉडी वाले विमान बेड़े की उपयोगिता में वृद्धि करने की योजना बनाई है। एयरलाइन की कायाकल्प योजना (टर्न अराउंड प्लान) में कुछ छोटे विमानों के अर्जन की परिकल्पना की गई है, जिनसे एयरलाइन अपनी सेवाएं श्रेणी-2 के शहरों तक विस्तारित कर सकेगी, जहां एयरलाइन के मौजूदा बेड़े में शामिल बड़े जेट विमानों द्वारा सेवा प्रदान किया जाना आर्थिक रूप से संभव नहीं होता। अपनी शरद् अनुसूची 2011 से, एयरलाइन पहले ही अनेक नये मार्गों की योजना बना चुकी है जैसे हैदराबाद-विजयवाडा, बंगलौर-विशाखापट्टनम, पुणे-इंदौर और दिल्ली-गया मार्ग।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश

***318. श्री धर्मेन्द्र यादव:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में अब तक किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) शोध कार्य के प्रयोजनार्थ कुल कितने प्रतिशत निवेश निर्धारित किया गया है/उपयोग में लाया गया है;

(घ) क्या भारत में विदेशी सहायता से स्थापित विश्वविद्यालयों और विदेशियों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा शोध कार्य को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उपर्युक्त विश्वविद्यालयों में शोध कार्य पर समुचित ध्यान देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, एक विधायी प्रस्ताव नामत: विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश तथा प्रचालन हेतु विनियमन) विधेयक, 2010 संसद में पेश किया गया है। प्रस्तावित विधान में विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश तथा प्रचालन को विनियमित करने के लिए एक तंत्र-व्यवथा अपनाए जाने का प्रावधान किया गया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अप्रैल, 2006 से मार्च, 2009 तक वित्त वर्ष-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) वर्तमान में किसी केन्द्रीय विनियामक विधान के अभाव में, भारत में कार्य कर रही विदेशी शिक्षा संस्थाओं के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं है तथा इस संबंध में आंकड़ों को केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता एवं मात्रा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान के कायाकल्पन हेतु प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में एक शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया था इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, विश्वविद्यालयों में विज्ञान आधारित शिक्षा एवं अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्रवाई शुरू की गई है। विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग (यूजीसी) उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करता है जैसे उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय, उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेज, विशेष सहायता कार्यक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान हेतु अवसरंचना के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता, अनुसंधान करने वालों विद्यार्थियों के लिए फैलोशिप कार्यक्रम।

विवरण

अप्रैल 2006 से मार्च 2009 तक वित्त वर्ष-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दर्शाने वाला विवरण

(राशि मिलियन में)

क्र.सं.	देश	2006-07		2007-08		2008-09		कुल	
		रुपये में	यूएस $ में	रुपये में	यूएस $ में	रुपये में	यूएस $ में	रुपये में	यूएस $ में
1.	कनाडा	0.92	0.02	0.00	0.00	1.53	0.03	2.44	0.05
2.	फ्रांस	0.00	0.00	2.26	0.01	0.00	0.00	0.26	0.01
3.	जर्मनी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
4.	इजराइल	0.05	0.00	0.00	0.00	0.91	0.02	0.96	0.02
5.	जापान	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	0.15	6.11	0.15
6.	दक्षिण कोरिया	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
7.	लकजमबर्ग	0.00	0.00	41.87	1.06	0.00	0.00	41.87	1.06
8.	मॉरीशस	1834.64	40.88	1116.68	27.22	9656.60	199.46	12607.92	267.56
9.	नीदरलैण्ड	206.06	4.58	332.93	8.43	0.00	0.00	538.99	13.01
10.	सिंगापुर	0.00	0.00	108.55	2.73	16.75	0.41	125.30	3.14
11.	संयुक्त अरब अमीरात	20.00	0.43	10.00	0.25	5.02	0.12	35.02	0.80
12.	इंग्लैण्ड	3.65	0.08	10.47	0.26	258.42	5.97	272.53	6.31
13.	संयुक्त राज्य अमेरिका	57.19	1.29	148.38	3.64	216.71	4.61	422.27	9.54
14.	दर्शाया न गया देश	0.00	0.00	1.00	0.03	152.67	3.34	153.97	3.36
15.	यमन	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.07	3.30	0.07
	सकल योग	2122.68	47.29	1770.13	43.62	10318.40	214.18	14211.21	305.09

[अनुवाद]

प्रतिस्पर्धी बोली

***319. श्री प्रदीप माझी:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कोयला ब्लॉकों के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में उक्त बोली प्रक्रिया के पहले दौर में शामिल किए जाने वाले कोयला ब्लॉकों की पहचान कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ अंतिम रूप दिए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से आबंटित कोयला ब्लॉकों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित करने का आग्रह किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त समितियों का पहले ही गठन कर लिया है और शेष राज्यों को इसके लिए राजी करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से संसद के दोनों सदनों द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 पारित किया गया है और इसे 9 सितम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किया गया है। संशोधन अधिनियम में कायेला और लिग्नाइट धारण करने वाले क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कार्यों में लगी कंपनी को ऐसे यथा निर्धारित नियमों और शर्तों पर टोह सर्वेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे की अनुमति देने का प्रावधान है:-

(i) लौह और इस्पात का उत्पादन

(ii) विद्युत उत्पादन

(iii) खान से प्राप्त कोयले की धुलाई या

(iv) ऐसे अन्य अन्त्य उपयोग, जैसा कि केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निर्निर्दिष्ट करे।

राज्य सरकार इस धारा के अधीन प्रतिस्पर्धात्मक बोली के द्वारा नीलामी के माध्यम से यथा चयनित ऐसी कंपनी को कोयला या लिग्नाइट के संबंध में टोह सर्वेक्षण अनुमति, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे की स्वीकृति देगी बशर्ते कि प्रतिस्पर्धात्मक बोली की नीलामी कोयला या लिग्नाइट धारण करने वाले क्षेत्र पर लागू नहीं होगी जैसे:-

– जहां खनन या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए किसी सरकारी कंपनी या निगम को आबंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया जाता हो।

– जहां उक्त क्षेत्र पर किसी ऐसी कंपनी या निगम को आबंटन के लिये विचार किया जाता है जिसे टेरिफ (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित) के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के आधार पर बिजली परियोजना अवार्ड की गई हो।

(ग) और (घ) बोली पद्धति के माध्यम से आबंटन के लिए किसी ब्लॉक को निर्धारित नहीं किया गया है। इस संबंध में, अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देशों को स्टेकहोल्डरों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) से (छ) कोयला मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के खनन एवं भू-वैज्ञानिक विभागों के प्रभारी राज्य मंत्रियों की 10 अगस्त 2009 को आयोजित बैठक में, यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकारें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक समन्वय समिति गठित करें जो आबटित कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों तथा अपने अलग-अलग राज्यों में आने वाले संबंधित अन्त्य उपयोग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगी तथा अंतर-विभागीय समन्वय संबंधी समस्याओं से भी निपटेगी। हालांकि, इस संबंध में राज्य सरकारों के विचार प्राप्त नहीं हुए हैं।

ऑनलाइन वर्चुअल एजुकेशन

***320. डॉ. शशी थरूर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों की गुणवत्तापरक शिक्षा तक पहुंच के लिए देश में ऑनलाइन वर्चुअल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने भी इस मामले में कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का उच्चतर शिक्षा विभाग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम को संचालित कर रहा

है। इस योजना की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के रूप में परिकल्पना की गई है ताकि इस योजना से उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में किसी भी समय कहीं भी सभी शिक्षुओं के लिए इन्टरनेट/इन्टरानेट से उच्च गुणता वाले मानवीकृत एवं पारस्परिक ज्ञान माड्यूलों को प्रदान करने में आईसीटी का प्रभावी लाभ मिल सके। मिशन के दो मुख्य घटक हैं (क) विषयवस्तु का सृजन और (ख) संस्थाओं और शिक्षुओं के लिए शिक्षा की पहुंच के उपकरणों के प्रावधान के साथ कनेक्टिविटी। इस योजना का अभिप्रेत; उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में शहरी/ग्रामीण शिक्षकों/शिक्षुओं के अध्ययन एवं अध्यापन के प्रयोजनार्थ संगणन उपकरणों को प्रयुक्त करने तथा डिजिटल क्रांति से अछूते रहे तथा बौद्धिक अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में न आ सकने वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाने संबंधी कौशलों में अन्तर जैसे डिजिटल अन्तराल को पाटना है। यह मिशन; ई-लर्निंग के लिए समुचित शिक्षा प्रणाली, वर्चुअल प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने, ऑनलाइन परीक्षण तथा प्रमाणन, शिक्षुओं को निदर्शन तथा परामर्श देने के लिए अध्यापकों की आन-लाइन उपलब्धता, अध्ययन-अध्यापन के नए तरीके के प्रभावी प्रयोग के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण तथा उन्हें सशक्त बनाने पर बल देता है।

(ग) जी, हां। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, देश के दूरदराज के क्षेत्रों तथा देश से बाहर के छात्रों को गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में ऑनलाइन वर्चुअल शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहा है। पिछले 4 वर्षों से विभिन्न स्तरों (डिप्लोमा, डिग्री तथा स्नातकोत्तर) पर प्रमाणन संबंधी दस (10) शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने इस प्लेटफार्म से सत्ताईस (27) ऑनलाइन कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए अब तक 3315 छात्रों को पंजीकृत किया गया है। यह प्लेटफार्म पंजीकरण से प्रमाणन तक सभी कार्यकलापों के लिए एक समूचा वर्चुअल शिक्षण वातावरण प्रदान करता है।

(घ) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम

1. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एन्वायरमेन्टल लॉ (पीजीडीईएनएलडब्ल्यूओएल)
2. सर्टिफिकेट इन एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (सीएएचटीओएल)
3. प्रायोगिक एकीकृत अध्ययन में स्नातकोत्तर डिग्री (एएएआईएस)
4. भारतीय अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा: श्री अरविन्दो की दृष्टि में वैदिक अध्ययन (पीजीडीवीएसएसए)
5. स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र: श्री अरविन्दो की दृष्टि में उपनिषद (पीजीसीयूएलएसए)
6. स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र: श्री अरविन्दो की दृष्टि में वेदों का परिचय (पीजीसीआईवी)
7. एकीकृत शिक्षा में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र: चिन्तन से कर्म की ओर (पीजीसीआईईआरए)
8. ऋगवेद के अध्ययन में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र: सूर्योदय स्तुति गायन सूर्य-सावित्री (पीजीसीएमआरवीएस)
9. भगवद्गीता के अध्ययन में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र: श्री अरविन्दो की दृष्टि में (पीजीसीबीजीएसए)
10. ज्ञानवर्धक के रूप में शतरंज में प्रमाणपत्र कार्यक्रम

वर्चुअल क्लास रूप प्लेटफार्म पर आनलाइन कार्यक्रम

1. एक्यूपंक्चर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएसीपी)
2. एपरिसिएशन प्रोग्राम आन सस्टेनेविलिटी एपरिसिएशन (एपीएसएम)
3. पोषाहार सुरक्षा तथा पोषणक्षम विकास पर लीडरशिप कार्यक्रम (एलपीएनएसएसडी)
4. एपरीसिएशन प्रोग्राम आन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वैटलैण्डज (एपीएसएमडब्ल्यू)
5. मास्टर इन इन्टिलैक्चुअल प्रोपर्टी ऑफ लॉ (एमआईपीएल)
6. पीजी डिप्लोमा इन लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग (पीजीहीएलपीओ)
7. पीजी सर्टिफिकेट इन साइबर लॉ (पीजीसीसीएल)
8. पीजी डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एण्ड क्वालिटी मैनेजमेंट (पीजीडीएफएसक्यूएम)

9. पीजी सर्टिफिकेट इन सग्रीकल्चर पॉलिसी (पीजीसीएपी)

10. सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन स्पेनिश लैंग्वेज (सीपीएसएल)

11. एकेडेमिक काउंसलर ट्रेनिंग आनलाइन (एक्ट आनलाइन)

12. दूरस्थ शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (एमएडीई)

13. ई-लर्निंग में पीजी डिप्लोमा

14. लाइब्रेरी एण्ड इन्फोकरमेशन साइंस में मास्टर (एमएलआईएस)

15. पीजी डिप्लोमा इन पारटीसिपेटरी मैनेजमेंट ऑफ डिसप्लेसमैंट, रिसैटलमैंट एण्ड रिहैविलिटेशन (पीजीडीएमआरआर)

16. पीजी सर्टिफिकेट इन मेडिकल इनफोरमैटिक्स (पीजीसीएमआईएनएफ)

17. पीजी सर्टिफिकेट इन हैल्थ इन्श्योरेंस (पीजीसीएचआईएनएस)

18. पीजी सर्टिफिकेट इन लाज एप्लीकेबल टू हॉस्पीटल ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस (पीजीसीएमएल)

19. पीजी सर्टिफिकेट इन क्वालिटी मैनेजमैंट इन हेल्थ केयर (पीजीसीक्यूएमएचसी)

20. डिप्लोमा इन बिजनेस प्रोसैस आउटसोर्सिंग-फाइनेंस एण्ड एकाउंटिंग

21. पीजी डिप्लोमा इन ससटेनेबिलिटी साइंस

22. एपरीसिएशन प्रोग्राम आन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमैंट ऑफ गंगा ए सांईटिफिक एप्रोच (एपीएसएमजी)

23. लीडरशिप प्रोग्राम आन हिमालयन इकोसिस्टमज (एलपीएचईसीओ

24. मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन पालीटिकल साइंस (एमपीएस)

25. डॉक्टर ऑफ फिलासिफी इन लाइब्रेरी एण्ड इन्फोरमेशन साइंस (पीएचडी इन लाइब्रेरी एण्ड इन्फोरमेशन साइंस)

26. पीजी डिप्लोमा इन बायो-एथिक्स (आईसीएमआर प्रोजेक्ट)

27. इग्नू-एनएचआरसी ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फार पुलिस पर्सनल।

[अनुवाद]

कोयला खानों से गैस का उत्सर्जन

3451. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला खानों से निकलने वाली गैस के मानव उपयोग के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश की कोयला खानों से प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में गैस उत्सर्जित होने का अनुमान है; और

(घ) उक्त गैस को किस प्रकार से मानव खपत हेतु उपयोग में लाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कोयला खानों से निकलने वाली मीथेन गैस को कोल माइन मीथेन (सीएमएम) कहा जाता है। कोयला खनन क्षेत्र के भीतर सीएमएम विकास के लिए भारत सरकार/जीईएफ/यूएनडीपी वित्त पोषित निदर्शन परियोजना को कोयला खनन क्षेत्र से निकली गैस के उपयोग का निदर्शन करने के उद्देश्य से झारखंड स्थित भारत कोकिंग कोल लि. की मुनीडीह खान में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। उत्पादित गैस का उपयोग स्थानी तौर पर विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है।

(ग) देश में कोयला खानों से मीथेन गैस के वार्षिक उत्सर्जन के वार्षिक संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया है।

(घ) एक प्राकृतिक गैस होने के कारण सीएमएम का उपयोग विद्युत उत्पादन, वाहन चलाने तथा अन्य औद्योगिक और घरेलू प्रयोजनार्थ ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है।

यूरोपियन संघ सम्मेलन

3542. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्रसल्ज में यूरोपियन संघ (ईयू) के सम्मेलन में हुए करारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यूरोपियन संघ ने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं के अतिरेक उपाय करने की मांग की थी जिनका देश में कम मूल्य वाली जैनेरिक दवाओं की व्यवहार्यता पर प्रभाव पड़ सकता है;

(ग) क्या ईयू द्वारा मांग किए गए निवेश और वित्तीय सेवा दायित्वों का घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) 11वीं भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक 10 दिसंबर, 2010 को ब्रसल्ज में आयोजित की गयी। यह लिस्बन संधि के प्रवृत्त होने के पश्चात पहली शिखर बैठक थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री हरमन वान रोमपवाई और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री जोस मैनुएल बोरासो ने किया। इस शिखर बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया। शिखर बैठक के दौरान संस्कृति पर भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त घोषणापत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं द्वारा जारी संयुक्त एवं जलवायु परिवर्तन 2011 में होने वाली अगली भारत-यूरोपीय संघ शिक्षर बैठक में ऊर्जा, स्वच्छ विकास एवं जलवायु परिवर्तन पर 2008 की संयुक्त कार्ययोजना के परिणामों को प्रस्तुत करने पर सहमति हुई। संयुक्त वक्तव्य में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए भारत-यूरोपीय संघ करार के शीघ्र निष्पादन; 2005 में आद्यक्षर किए गए सेटेलाइट नेवीगेशन संबंधी करार को अंतिम रूप देने; और नागर विमानन करार का शीघ्र कार्यान्वयन करने का भी आह्वान किया गया। भारत यूरोपीय संघ व्यापक व्यापार एवं निवेश करार के एक महत्वाकांक्षी एवं संतुलित निष्पादन की महता पर बल दिया गया।

(ख) से (घ) भारत-यूरोपीय संघ व्यापक व्यापार एवं निवेश करार में आईपीआर से संबंधित मुद्दों पर भारत की वार्ता रणनीति के मूल सिद्धांत यह है कि भारत में ट्रिप करार द्वारा पूर्णत: सीमित के साथ-साथ आईपीआर के लिए वर्तमान कानूनी ढांचा प्रदान किया जाए। निवेश एवं वित्तीय सेवाओं पर बातचीत चल रही है। सरकार हमारे हितों को सुरक्षित रखने के प्रति प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

विमानन उद्योग में हिन्दी भाषा का उपयोग

3453. श्री गोनीपाथ मुंडे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानन उद्योग में हिन्दी में भाषा के उपयोग में लगातार कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी एयरलाइनों में हिन्दी के उपयोग पर अघोषित प्रतिबंध है;

(ग) यदि हां, तो देश में प्रचालनरत विभिन्न निजी एयरलाइनों में हिन्दी स्टाफ का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी सरकारी और निजी एयरलाइनों को अपनी वेबसाइटें हिन्दी में तैयार करने और अन्य सूचनाएं हिन्दी में उपलब्ध करवानेके बारे में अनुदेश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विमानन क्षेत्र में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) विमानन से संबंधित सरकारी संगठनों में हिन्दी के प्रयोग में कोई गिरावट परिलक्षित नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार निजी एयरलाइनों में हिन्दी भाषा के प्रयोग को विनियमित नहीं करती है।

(घ) हालांकि राष्ट्रीय वाहक में राजभाषा संवर्धन प्रकोष्ठ विद्यमान है, निजी एयरलाइनों के संबंध में इस विनियमित करना संभव नहीं है।

(ङ) हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वाहक में पर्याप्त संख्या में कार्मिकों की तैनाती की गई है, जो राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन महानिदेशालय ने ई-टिकटिंग को द्विभाषी रूप में जारी करने तथा कर्मीदल द्वारा विमान में हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उद्घोषणा किए जाने के लिए निजी एयरलाइनों को अनुदेश जारी किए हैं।

अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों का प्रशिक्षण

3454. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में पायलट के प्रशिक्षण हेतु अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले कितने उम्मीदवारों ने पंजीकरण करवाया;

(ख) उक्त अवधि में कितने प्रशिक्षु विभिन्न उड़ान स्कूलों से उत्तीर्ण हुए और इनमें से अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले कितने प्रशिक्षु थे;

(ग) क्या इन उम्मीदवारों को उड़ान स्कूलों में कभी भी प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त उम्मीदवारों को ऐसे उड़ान स्कूलों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है जहां उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु न तो पायलट और न ही इंजीनियर उपलब्ध होते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) ऐसी कोई स्कीम नहीं है, जिसके तहत अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत किया जा रहा है। इसलिए सरकार द्वारा अभ्यर्थियों के बारे में कोई डाटा नहीं रखा जाता है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रिश्वतखोरी रोकने के लिए कानून

3455. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार फॉरेन पब्लिक आफिशियल्ज और पब्लिक इन्टरनेशनल आरगनाइजेशन के अधिकारियों की रिश्वतखोरी रोकने हेतु एक कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होंगी; और

(ग) प्रस्तावित विधेयक से भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या पर कैसे निपटा जा सकेगा?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) "विदेशी लोक अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों की घूसखोरी की रोकथाम विधेयक, 2011" नामक एक विधेयक दिनांक 25 मार्च, 2011 को पहले ही संसद में पुर:स्थापित कर दिया गया है। इस विधेयक पर विचार किए जाने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इसे कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय स्थाई समिति को भिजवा दिया गया है।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

विदेशी लोक अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों की घूसखोरी की रोकथाम विधेयक, 2011 में विदेशी लोक अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों की घूसखोरी से संबंधित भ्रष्टाचार और इससे जुड़े अथवा अनुषंगिक मामलों की रोकथाम की अपेक्षा की गई है। प्रस्तावित विधान में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें हैं:-

(i) विदेशी लोक अधिकारियों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों को परितोषण दिए जाने को रोकना और इस तरह के कृत्य को, कम से कम छ: माह के कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है, सहित दंडनीय बनाना;

(ii) विदेशी लोक अधिकारियों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों द्वारा परितोषण स्वीकार करने को रोकना और इस तरह के कृत्य को, कम से कम छ: माह के कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है, सहित दंडनीय बनाना;

(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के उत्प्रेरणों और प्रयासों को भी कम से कम छ: माह के कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है, सहित दंडनीय बनाना;

(iv) केन्द्र सरकार को, प्रस्तावित विधान के प्रावधानों को लागू करने के लिए विदेशों के साथ समझौता करने के लिए शक्तियां प्रदान करना;

(v) प्रस्तावित विधान के अंतर्गत आने वाले अपराधों को प्रत्यार्पण योग्य अपराध घोषित किए जाने के लिए प्रावधान बनाना;

(vi) दोषी व्यक्तियों के अन्तरण की प्रक्रिया और आपसी सहयोग के लिए पारस्परिक व्यवस्था का प्रावधान करना;

(vii) समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश अथवा भारत में सम्पत्ति की कुर्की करने, जब्त करने और अधिहरण करने का प्रावधान करना।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत बाध्यताओं की पूरा करने के लिए घरेलू कानूनों में समर्थकारी विधान बनाना। भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुच्छेद 16 (1) एक अनिवार्य प्रावधान है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय कारोबार किए जाने के दौरान, विदेशी लोक अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों को अनुचित लाभ दिए जाने को (रिश्वत दिए जाने को) इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की संज्ञा दिया जाना अपेक्षित है। विदेशी लोक अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों की घूसखोरी की रोकथाम विधेयक, 2011 के खण्ड 4 में, विदेशी लोक अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अनुचित लाभ दिए जाने के कृत्य को दण्डात्मक अपराध घोषित करते हुए और 6 माह से 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने के रूप में सजा का प्रावधान करते हुए, इस आशय को प्राप्त करना अपेक्षित है।

आतंकवादियों का प्रशिक्षण

3456. श्री नवीन जिंदल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तईबा कश्मीर में उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए नए भर्ती किए गए आतंकवादियों को सैन्य, विस्फोटक और खुफिया प्रशिक्षण देता रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे का पाकिस्तान सरकार के साथ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य मंचों पर उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है और इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) सूचना मिली है कि लश्कर-ए-तैयबा द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन जारी है। पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन क्षेत्र से उत्पन्न आतंकवाद हमारे लिए मुख्य चिता का कारण बना हुआ है। अत: भारत ने पाकिस्तान से एक पुष्ट एवं स्थायी वचनबद्धता की मांग की है कि वह अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र का इस्तेमाल भारत के विरूद्ध आतंकी गतिविधि चलाने में सहायता करने एवं उकसाने तथा ऐसे आतंकवादी समूहों को पनाहगाह प्रदान करने के लिए नहीं करेगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों सहित अपने अन्य संवादों में पाकिस्तान द्वारा इसके नियंत्रणाधीन क्षेत्र का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध आतंकवाद न फैलाने की इसकी वचनबद्धता का सम्मान करने की आवश्यकता पर हमेशा जोर दिया है।

भारत के विदेशी मंत्री की पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ दिल्ली में 27 जुलाई, 2011 को आयोजित बैठक के दौरान मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद शांति एवं सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बना हुआ है और दोनों ने सही मायने मं इस त्रासदी का मुकाबला करने एवं इसे समाप्त करने के प्रति दोनों देशों की पुष्ट एवं पक्की वचनबद्धता दोहराई तथा इस संबंध में आतंकवाद से जुड़े अपराधियों को सजा दिलाने के लिए आतंकवाद-विरोधी मुहिम में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। सरकार के सशक्त एवं सोद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के चलते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानने लगा है कि भारत में सीमा-पार आतंकवाद में पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान सरकार इसे समाप्त करने के लिए अपने जिम्मेदारी और अपनी वचनबद्धता निभाए।

सरकार राष्ट्र की सुरक्षा की रक्षा करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है।

[हिन्छी]

फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी

3457. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन-किन स्थानों पर फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी स्थित हैं;

(ख) इन प्रयोगशालाओं में अपेक्षित और उपलब्ध सुविधाओं और अवसंरचना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी वर्षों में उक्त प्रयोगशालाओं में क्या-क्या सुविधाएं मुहैया करवाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) अंतरिक्ष विभाग का एक स्वायत्त एकक-भौतिक

अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) अहमदाबाद में स्थित है। इसके तीन अन्य परिसर थलतेज (अहमदाबाद के पास) माउंट आबू (राजस्थान) और उदयपुर (राजस्थान) में स्थित हैं।

(ख) पीआरएल खगोल विज्ञान, सौर भौतिकी, ग्रहीय विज्ञानों व गवेषणा, अंतरिक्ष व वायुमंडलीय विज्ञानों, भू-विज्ञानों तथा सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्रों में आधारभूत अनुसंधान पर कार्य कर रहा है। अनुसंधान कार्य के लिए सुविधाओं व अवसंरचनाओं के रूप में भी पीआरएल को वेधशाला दूरबीन, (जैसे अवरक्त वेधशाला, सौर दूरबीन आदि), व्यवहारकुशल मापन व विश्लेषण उपकरण (जैसे स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर, मल्टी-चैनल रिकॉर्डर, रेडियोमीटर आदि) और संगणनात्मक साधन आदि की आवश्यकता होती है। कार्यक्रमीय आवश्यकताओं के आधार पर पीआरएल में ये सुविधाएं तथा अवसंरचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं।

(ग) आने वाले वर्षों में पीआरएल में जिन प्रमुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, उनमें, माउंट आबू में एक बृहत्तर आकार की दूरबीन; त्वरित्र पिंड स्पेक्ट्रोमीटर (अहमदाबाद); हाई एन्ड क्लस्टर-कंप्यूटिंग प्रणाली, प्रगत वैज्ञानिक उपकरण और अवसंरचना सुविधाएं शामिल हैं।

भारत भाषा विकास योजना

3458. श्री के.सी. सिंह 'बाबा':
श्रीमती प्रिया दत्तः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्री वीरेन्द्र कश्यपः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी अनेक भारतीय भाषाओं के संरक्षण हेतु जो लुप्त होने के कगार पर हैं, "भारत भाषा विकास योजना" नामक एक नई स्कीम बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) भारत की जनगणना 2001 के अनुसार 22 अनुसूचित भाषाएं और 100 गैर-अनुसूचित भाषाएं हैं जिनकी कुल मिलाकर 234 सूचीबद्ध मातृभाषाएं हैं। जनगणना नीति के अनुसार केवल उन मातृभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें दस हजार से अधिक लोगों द्वारा बोला जाता है।

(ख) और (ग) 100 गैर-अनुसूचित भाषाओं के विकास और परिरक्षण के लिए भारत भाषा विकास योजना के नाम से एक योजना का प्रारूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। इस योजना को अंतिम रूप इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनसे मांगी गई सूचना नहीं भेजी गई है। उपर्युक्त योजना के प्रारूप को आगे बढ़ाने के संबंध में निर्णय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हाने वाले प्रत्योत्तरों पर निर्भर करेगा।

राज्यों द्वारा घरेलू विमान सेवा

3459. श्री दिलीप सिंह जूदेवः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने घरेलू विमान सेवाएं शुरू करने हेतु अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों के अनुरोध कब से लंबित हैं;

(ग) उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत करने में क्या कठिनाईयों आ रही हैं; और

(घ) छत्तीसगढ़ सहित, प्रत्येक उस शहर में क्या कमी पाई गई जहां से उक्त विमान सेवा शुरू करने हेतु अनुमति मांगी गई थी?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) अंतर्राज्जीय विमान सेवाएं आरंभ करके छत्तीसगढ़ के सभी 7 हवाईअड्डों/हवाईपट्टियों को जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा एक अनुरोध किया गया है। 5 से 8 अप्रैल, 2010 तक नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अधिकारियों के एक संयुक्त दल द्वारा भिलाई, बिलासपुर, अम्बिकापुर, जशपुर नगर, कोरबा, रायगढ़ तथा जगलदपुर हवाईहड्डों/हवाईपट्टियों का निरीक्षण किया गया था। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक सुधारक कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा 05. 06.2010 को प्रस्तुत की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट की जांच नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा की गई थी और उन्होंने यह अवलोकन किया था कि अनेक अवलोकनों को की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट में प्रदर्शित नहीं किया गया है, जोकि महत्वपूर्ण प्रकृति की थीं जैसे एप्रोच/टेकऑफ पाथ में अवरोधों को हटाना, रनवे पट्टी की न्यूनतम आवश्यकता, रनवे छोर सुरक्षा क्षेत्र। उपर्युक्त के अतिरिक्त, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अनुसार हवाईपट्टियों की व्यवस्था तथा अनुरक्षण के लिए पर्याप्त श्रम शक्ति तथा सुरक्षा कर्मिकों की

आवश्यकताओं को, की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। उपर्युक्त अवलोकनों के आधार पर नागर विमानन महानिदेशालय ने आगामी सुधारात्मक उपायों के लिए 09.07.2010 को राज्य सरकार को एक पत्र लिखा है। इस मंत्रालय में अन्य राज्य सरकारों से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति

3460. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना के अंतर्गत किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके एक पात्र आश्रित व्यक्ति को केवल इस उद्देश्य से नौकरी दी जाती है ताकि उसके परिवार को तत्काल राहत प्रदान की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की नियुक्ति में कितना समय लगता है;

(ग) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में यह आदेश दिया कि ऐसी नियुक्तियां बिना समय बर्बाद किए की जाएं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त योजना की समीक्षा करने का है ताकि नौकरी के इच्छुक व्यक्ति को औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् समय की बर्बादी के बगैर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस बारे में क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं; और

(च) मंत्रालयों और लक्षद्वीप सहित संघ राज्य क्षेत्रों में लंबित विभिन्न मामलों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) यह योजना, समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 09.10.1998 के का.ज्ञा. संख्या 14014/6/94-स्था. (घ) द्वारा जारी अनुदेशों की शर्तों से विनियमित होती है। रिक्तियों की उपलब्धता और योजना के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन अनुकम्पा नियुक्तियों पर विचार करने के लिए तीन वर्षों की समय सीमा निर्धारित की गई है।

(ग) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 05.04.2011 को 2006 की सिविल अपील सं 2206 में स्थानीय प्रशासनिक विभाग और अन्य बनाम एम. सैलवे नायागम @ कुमारावेलू के अनुसार मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की हैं:-

"8. आदर्श रूप से, अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति बिना गंवाए होनी चाहिए परन्तु प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी और अन्य बहुत से संगत कारण जैसे कि योजना के तहत पहले से ही लंबित दावों की संख्या और रिक्तियों इत्यादि की उपलब्धता, के कारणों से, सामान्यत: नियुक्ति कई महीनों के बाद होती है या दो से तीन वर्षों के बीच होती है। हमारा यह मंतव्य नहीं है, और ना ही यह संभव है कि जाए परन्तु इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि ऐसी नियुक्ति योजना के उद्देश्य को अवश्य पूरा करे।"

अनुकम्पा नियुक्ति को विनियमित करने वाले कार्यकारी अनुदेश, इस योजना के उद्देश्य के अनुरूप हैं।

(च) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिए लंबित मामलों के विवरणों की जानकारी, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

दूरसंचार क्षेत्र में निवेश

3461. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में, दूरसंचार क्षेत्र में राज्य-वार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की कुल आवक का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या और अधिक निवेश आकर्षित करने हेतु वित्त मंत्रालय की सहमति ले ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) दूरसंचार क्षेत्र में विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अंतर्वाह का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के परिपत्र सं. 1 के द्वारा विनियमित किया जाता है। दूरसंचार क्षेत्र के लिए मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति संलग्न विवरण-II में दी गई है। दूरसंचार सेवाओं के लिए 49% तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आटोमैटिक रूट के तहत होता है और 49% से अधिक तथा 74% तक का निवेश आर्थिक कार्य विभाग के विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के माध्यम से किया जाता है। एफआईपीबी रूट के तहत आगे वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एफआईपीबी विदेशी निवेश को अनुमोदित करने वाला नोडल निकाय है।

विवरण-I

वित्तीय वर्षवार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों (राज्यों को कवर करते हुए) को यथा-सूचित

अप्रैल, 2008 से जून, 2011

क्षेत्र-दूरसंचार

(एफडीआई के अंतर्वाह राशि करोड़ रुपयों में और मिलियन अमेरिकी डालर में)

क्र.सं.	कवर किए गए राज्य	2008-09 अप्रैल-मार्च		2009-10 अप्रैल-मार्च		2010-11 अप्रैल-मार्च		2011-12 अप्रैल-मार्च		कुल संचयी	
		रुपये	अमेरिकी डालर	रुपये	अमेरिकी डालर	रुपये	अमेरिकी डालर	रुपये	अमेरिकी डालर	रुपये	अमेरिकी डालर
1	आंध्र प्रदेश	177.56	39.18	171.91	36.03	13.62	3.03	0.00	0.00	363.08	78.24
2	गुजरात	7,294.60	1,600.97	83.40	18.26	1.00	0.22	0.00	0.00	7,378.99	1,619.46
3	कर्नाटक	365.96	82.70	136.05	28.65	102.04	22.84	182.42	41.10	786.47	175.30
4	केरल, लक्षद्वीप	2.42	0.49	0.16	0.03	0.00	0.00	0.21	0.05	2.79	0.57
5	महाराष्ट्र, दादर एवं नगर हवेली,, दमन और दीव	1,091.09	235.78	6,872.68	1,414.42	2,046.73	453.01	47.50	10.59	10,058.00	2,113.81
6	राजस्थान	1,493.53	307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.53	307.41
7	तमिलनाडु, पुडुचेरी	325.12	80.81	173.12	36.55	123.87	27.04	0.00	0.00	622.11	144.41
8	पश्चिम बंगाल, सिक्किम अंडमान एवं निकोबार द्वीवसमूह	6.44	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44	1.32
9	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.30	0.00	0.00	1.32	0.30
10	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भाग	49.59	12.36	3,623.35	756.05	3,900.35	861.63	5,192.87	1,157.75	12,766.16	2,787.79
11	गोवा	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01
12	उल्लिखित क्षेत्र	878.50	187.59	1,208.96	249.26	1,353.13	296.44	11.48	2.58	3,452.07	735.87
	कुल योग	11,684.81	2,548.63	12,269.66	2,539.26	7,542.04	1,664.50	5,434.48	1,212.08	36,931.00	7,964.48

विवरण-II

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	क्षेत्र/कार्यकलाप	अधिकतम एफडीआई/	निवेश करने का रूट
1.	बुनियादी, सेल्युलर, एकीकृत अभिगम सेवाएं, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी, वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस सर्विसेज (जीएमपीसीएस) तथा अन्य मूल्यवर्द्धित सेवाएं	74%	49% तक आटोमैटिक और 49% से अधिक एफआईपीबी के माध्यम से
2.	गेटवे सहित अथवा इसके बिना आईएसपी, रेडियो पेजिंग, एंड-टू-एंड बैंडविड्थ	74%	49% तक आटोमैटिक और 49% से अधिक एफआईपीबी के माध्यम से
3.	क. डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टावर प्रदान करने वाले अवसंरचना प्रदाता (श्रेणी-I) ख. इलेक्ट्रानिक मेल और वायस मेल	यदि ये कंपनियां विश्व के अन्य विश्व के अन्य भागों में सूचीबद्ध हों तो इस शर्त के अध्यधीन 100% कि ऐसी कंपनियां 5 वर्ष में अपनी इक्विटी का 26% भारतीय जनता के पक्ष में छोड़ देंगी।	49% तक आटोमैटिक और 49% से अधिक एफआईपीबी के माध्यम से
4.	दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण	100%	आटोमैटिक

[हिन्दी]

दिल्ली और कर्नाटक में डाकघर

3462. श्री तूफानी सरोज:
श्रीमती जे शांता:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में दिल्ली और कर्नाटक में कितने डाकघर में कार्यरत हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ डाकघर स्थायी पोस्टमास्टर और डाकियों के बिना कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) दिल्ली एवं कर्नाटक में वर्तमान में कार्यरत डाकघरों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:

डाकघर	दिल्ली सर्किल	कर्नाटक सर्किल
विभागीय डाकघर	387	1756
अतिरिक्त विभागीय डाकघर	135	8016
कुल संख्या	522	9772

(ख) और (ग) जी, हां। स्थाई पोस्टमास्टरों एवं डाकियों के बिना चल रहे डाकघरों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

सर्किल का नाम	स्थाई पोस्टमास्टरों के बिना चल रहे डाकघरों की सं.	पोस्टमैन संवर्ग में रिक्तियां
दिल्ली	27	641
कर्नाटक	116	163

(घ) रिक्त पदों पर स्थानापन्न व्यवस्था के माध्यम से तैनाती की जाती है। इन दोनों संवर्गों में रिक्त पदों को भरना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रिक्त पदों को भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार भरा जाता है।

[अनुवाद]

साक्षरता दर

3463. श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के शहरी, अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान साक्षरता दर क्या है;

(ख) क्या देश में शहरी और ग्रामीण साक्षरता दर में भारी अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या शहरी और ग्रामीण साक्षरता दर में उक्त अंतर को कम करने के लिए लागू किए गए विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) 2011 की जनगणना के अनुसार, 7+ आयुवर्ग में साक्षरता दर शहरी क्षेत्रों में 84.98 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 68.91 प्रतिशत है जो देश में शहरी और ग्रामीण साक्षरता दरों के बीच 16.07 प्रतिशत का अंतर दर्शाती है।

(घ) और (ङ) सरकार के विभिन्न साक्षरता और शैक्षिक कार्यक्रमों के कारण देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच साक्षरता दर का अंतर 2001 के 21.18 प्रतिशत से घटकर 2011 में 16.07 प्रतिशत हो गया है। इस अंतर को और भी कम करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को एक नए स्वरूप में अनन्य रूप से उन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साक्षर भारत के नाम से शुरू किया है जिनमें प्रौढ़ महिला साक्षरता 50 प्रतिशत अथवा उससे कम है।

शिक्षा और स्वास्थ्य हेतु निधि

3464. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों की स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी नीतियों के तहत इन क्षेत्रों में खर्च हेतु पर्याप्त निधियों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु राज्य सरकारों को आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा उक्त निधियों को पूर्णतया उस प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया गया है जिनके लिए ये आबंटित की गई थीं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में पिछड़ने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) का राज्यवार अनुमोदित राज्य योजना परिव्यय और व्यय दर्शाता हुआ ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अंतर्गत स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को किया गया आबंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्रक	सीएसएस के अंतर्गत केन्द्र द्वारा राज्यों/संघ रा. क्षेत्रों को आबंटित किया गया संसाधन		
	2009-10	2010-11	2011-12
स्वास्थ्य	15619.99	18201.39	20962.01
शिक्षा	26646.50	31069.75	39298.50

संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियों की मॉनीटरिंग करते हैं तथा निधियों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए निधियां जारी करते हैं। पिछड़ रहे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयोगिता में तेजी लाने के बारे में सलाह भी देते हैं जिससे कि आगे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं उनके कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जा सकें।

विवरण-I

स्वास्थ्य क्षेत्रक का राज्यवार/वर्षवार अनुमोदित राज्य योजना परिव्यय एवं व्यय

क.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09			2009-10			2010-11		
		अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय का व्यय प्रतिशत	अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय का व्यय प्रतिशत	अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय का व्यय प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	131708.82	106580.90	81.00	14 1200.31	132647.64	93.94	155042.37	150858.11	97.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	1018.00	1888.11	185.47	2900.00	5945.00	205.00	7052.00	7052.00	100.00
3.	असम	16095.00	16085.21	99.94	41211.00	41964.00	101.83	57176.00	57176.00	100.00
4.	बिहार	13850.00	11283.35	81.47	17815.00	14009.01	78.64	30000.00	8229.99	27.43
5.	छत्तीसगढ़	50203.04	28273.87	56.32	51921.04	43040.85	82.90	60910.55	57865.02	95.00
6.	गोवा	6190.75	7698.09	124.35	9081.64	9104.84	100.26	10800.00	10800.00	100.00
7.	गुजरात	84475.00	8061190	95.43	113225.00	119813.49	105.82	190000.00	189460.12	99.72
8.	हरियाणा	16385.00	16571.83	101.14	20516.00	89508.44	436.29	31276.40	33170.04	106.05
9.	हिमाचल प्रदेश	13244.17	11821.06	89.25	13356.00	11503.00	86.13	14419.00	14419.00	100.00
10.	जम्मू और कश्मीर	20340.45	17408.06	8.58	29310.44	30853.39	105.26	33608.13	33608.13	100.00
11.	झारखंड	40000.00	33000.01	82.50	40000.00	16550,00	41.38	33500.00	30872.00	80.19
12.	कर्नाटक	96438.00	85308.51	88.46	89752.00	80895.25	90.13	108676.00	108675.95	100.00
13.	केरल	11536.00	10359.43	89.80	11200.00	13484.29	120.40	17134.00	17134.00	100.00
14.	मध्य प्रदेश	26310.90	20491.63	77.88	26407.00	27592.98	104.49	38424.65	40265.65	104.79
15.	महाराष्ट्र	110150.00	63647.00	57.78	151146.00	76458.00	50.59	112612.00	112612.00	100.00
16.	मणिपुर	2617.00	2002.25	76.51	2617.00	2725.36	104.14	8270.33	9066.8स6	109.63
17.	मेघालय	6560.00	6608.52	100.74	5500.00	9709.57	176.54	10200,00	13500.00	132.35
18.	मिजोरम	10500.00	10525.52	100.24	18800.00	17493.67	93.05	6940,00	6940.00	100.00
19.	नागालैंड	2953.00	3313.00	112.19	3325.00	3373.60	101.46	4917,00	4917.00	100.00
20.	उड़ीसा	22072.70	15145.60	68.62	16786.20	16054.18	95.64	16500.00	16500.00	100.00
21.	पंजाब	9544.60	4423.74	46.35	16938.92	1552.93	9.17	15066.86	23007.74	152.70
22.	राजस्थान	35044.89	33900.18	96.73	37101.85	34272.01	92.37	47501.45	45947.12	96,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	सिक्किम	3450.00	3500.49	101.46	3553.00	3567.79	100.42	7002.13	7212.13	103.00
24.	तमिलनाडु	6315.53	62485.16	98.94	89346.36	110450.00	123.62	97554.50	144025.00	147.64
25.	त्रिपुरा	10147.00	10503.80	103.52	11548.12	14026.48	121.46	12562.04	12562.04	100.00
26.	उत्तर प्रदेश	238801.00	184739.18	77.36	190766.00	168323.52	88.24	186563.00	176479.92	94.60
27.	उत्तराखंड	27578.66	16545.81	69.99	18047.98	15201.89	84.23	30310.13	30310.13	100.00
28.	पश्चिम बंगाल	50414.90	43056.18	85.40	55265.00	56608.09	102.43	6843.00	68435.00	100.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3710.00	4260.39	114.84	5563.00	7037.75	126.51	6401.00	7360.55	114.99
30.	चंडीगढ़	466500	6562.45	140.67	4779.00	7878.72	164.86	6304.00	6304.00	100.00
31.	दादरा व नगर हवेली	2256.00	1129.24	50.05	1951.00	2066.41	105.92	2066.00	2066.00	100.00
32.	दमन और दीव	878.00	683.73	77.87	1073.00	1163.89	108.47	1148.00	1148.00	100.00
33	दिल्ली	87370.00	107637.95	123.20	101945.00	113088.85	11093	12925500	129255.00	100.00
34.	लक्ष्यद्वीप	518.00	287.07	55.42	1011.00	826.11	81.71	1250.00	1250.00	100.00
35.	पुडुचेरी	9521.52	9937.01	104.36	14919.54	16934.53	113.51	17926.34	15414.34	85.99

विवरण-II

शिक्षा क्षेत्रक का राज्यवार/वर्षवार अनुमोदित राज्य योजना परिव्यय एवं व्यय

		2008-09			2009-10			2010-11		
क.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय का व्यय प्रतिशत	अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय का व्यय प्रतिशत	अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय का व्यय प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	193001.58	102258.46	52.98	192623.21	111187.34	57.72	240640.09	225256.94	93.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	8280.00	22174.89	257.81	8256.00	23889.00	289.35	15787.20	15787.20	100.00
3.	असम	16218.00	16880.46	104.08	30274.00	25404.03	83.91	71148.00	71148.00	100.00
4.	बिहार	137822.35	129132.11	93.69	162823.00	156430.25	96.07	266868.07	267268.07	100.15
5.	छत्तीसगढ़	145611.87	128845.97	88.49	221009.32	204874.07	92.70	313196.85	297537.01	95.00
6.	गोवा	16589.00	15819.82	95.36	21302.4.2	16905.00	79.36	24928.00	24928.00	100.00
7.	गुजरात	127988.72	89707.96	70.09	155260.00	114828.11	73.96	192362.00	182625.56	94.94
8.	हरियाणा	90790.00	95596.95	105.29	119207.00	141753.89	118.91	147686.50	184456.20	124.90
9.	हिमाचल प्रदेश	30552.21	23657.90	77.43	31194.00	33488.00	107.35	32504.00	32504.00	100.00
10.	जम्मू और कश्मीर	38526.3	31162.45	80.89	64494.93	67133.35	104.09	97499.09	97499.09	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	झारखंड	105860.00	121444.63	114.72	99350.00	84169.00	84.72	112150.00	118625.00	105.77
12.	कर्नाटक	220019.00	189968.70	86.34	229773.00	211078.96	91.86	263446.00	263445.19	100.00
13.	केरल	22960.00	18386.50	80.08	25815.00	33609.34	130.19	49955.00	49955.00	100.00
14.	मध्य प्रदेश	185480.35	175843.81	94.80	217392.78	212772.24	97.87	278893.50	294633.29	105.64
15.	महाराष्ट्र	111776.98	94929.00	84.93	122662.00	97295.00	79.32	191800.00	184456.20	96.17
16.	मणिपुर	10342.95	6006.86	58.08	10227.95	10243.86	95.49	13050.48	14596.27	111.84
17.	मेघालय	14416.00	13892.71	96.37	12750.00	16109.34	126.35	17900.00	18900.00	105.59
18.	मिजोरम	14280.00	14749.15	103.29	17475.00	208[illegible]5.55	119.32	15886.00	15886.00	100.00
19.	नागालैंड	8276.00	8608.89	104.02	10341.00	11781.21	113.93	12967.00	13032.98	100.51
20.	ओडिशा	53493.40	49391.10	92.33	64173.00	70999.26	110.64	108663.57	108663.57	100.00
21.	पंजाब	37713.18	60949.20	161.61	55464.36	43540.86	78.50	75482.77	103186.05	136.70
22.	राजस्थान	74274.51	83675.43	112.66	76579.25	93211.17	121.72	148259.06	151513.63	102.20
23.	सिक्किम	14172.00	15575.25	109.90	15754.54	14935.80	94.80	19277.45	24202.41	125.55
24.	तमिलनाडु	87466.71	60357.03	69.01	93681.63	81814.00	87.33	101561.46	105372.00	103.75
25.	त्रिपुरा	16938.42	9426.91	55.65	18423.83	13707.91	74.40	15370.56	15370.56	100.00
26.	उत्तर प्रदेश	210183.00	172379.35	82.01	224256.00	216902.96	96.72	331359.00	282560.77	85.27
27.	उत्तराखंड	60312.05	59202.23	98.16	38219.57	46764.82	122.36	58841.33	58841.33	100.00
28.	पश्चिम बंगाल	93619.77	71401.31	76.27	111238.71	99629.82	89.56	163010.20	163010.20	100.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6600.00	8406.84	127.38	9837.00	12339.53	125.44	11671.00	12172.00	104.29
30.	चंडीगढ़	5301.00	619.66	106.01	4824.00	5679.51	117.73	8972.00	8972.00	100.00
31.	दादरा और नगर हवेली	2639.00	2441.08	92.50	3733.00	3426.94	91.80	3838.00	3838.00	100.00
32.	दमन व दीव	1333.00	1221.34	91.62	1540.00	2134.68	138.62	1731.00	1731.00	100.00
33	दिल्ली	104512.00	93338.11	89.31	103230.00	104791.06	101.51	115315.00	115315.00	100.00
34.	लक्षद्वीप	1640.00	2423.36	147.77	2273.00	1961.89	86.31	2110.00	2610.00	123.70
35.	पुडुचेरी	11098.72	14781.54	133.18	28703.22	19203.02	66.90	34880.00	22116.00	63.41

भटिंडा एयरपोर्ट

3465. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भटिंडा एयरपोर्ट की स्थापना का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त एयरपोर्ट का कार्य समय पर पूरा करने का है;

(ग) यदि हां, तो माह-वार निर्माण योजना और इसे पूरा करने की समय-सीमा क्या है; और

(घ) भटिंडा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) जी नहीं। भटिंडा एयरपोर्ट भारतीय वायु सेना का है जहां भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल प्रचालन के लिए एक टर्मिनल भवन और विमान पार्किंग बे/लिंक टैक्सी वे का निर्माण कर रही है। कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति पर है और इसकी मॉनीटरिंग मासिक आधार पर की जा रही है। दोनों कार्यों के लिए माह-वार योजना अनुसूची संलग्न-I और II पर उपलब्ध है और इस कार्य के मार्च, 2012 तक पूरा होने की संभावना है।

विवरण-I

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

कार्य का नाम: सिविल एन्कलेव भटिंडा पर एप्रन तथा टैक्सी वे का निर्माण

क्र.सं.	कार्य का नाम	अवधि	आरम्भ	समाप्त
1	2	3	4	5
1.	मोबिलाईजेशन तथा स्थल अनापत्ति	10 दिन	शनिवार 14.05.2011	वीरवार 26.05.2011
2.	खुदाई संबंधी कार्य	10 दिन	मंगलवार 07.062011	सोमवार 26.11.2011
3.	इंबार्कमेंट में मृदा संबंधी कार्य	5 दिन	शुक्रवार 10.06.2011	वीरवार 16.06.2011
4.	सबग्रेड की तैयारी	20 दिन	बुधवार 22.06.2011	मंगलवार 19.07.2011
5.	सकल का प्रापण	158 दिन	सोमवार 04.07.2011	वीरवार 12.012012
6.	डब्ल्यू एम एम के लिए संयंत्र का संस्थापन	16 दिन	सोमवार 04.07.2011	सोमवार 25.07.2011
7.	पीक्यूसी के लिए संयंत्र का संस्थापन	23 दिन	मंगलवार 02.08.2011	वीरवार 01.09.2011
8.	कल्वर्ट का अभिकल्प	20 दिन	सोमवार 04.07.2011	शुक्रवार 29.072011
9.	कल्वर्ट के अभिकल्प का पुनरीक्षण	10 दिन	सोमवार 01.08.2011	शुक्रवार 12.08.2011
10.	कल्वर्ट के लिए मृदा संबंधी कार्य	2 दिन	मंगलवार 16.08.2011	बुधवार 17.08.2011
11.	कल्वर्ट के लिए पीसीसी	4 दिन	वीरवार 18.08.2011	मंगलवार 23.082011
12.	कल्वर्ट के लिए स्टील सेंटरिंग, शटरिंग तथा प्लेसिंग	21 दिन	बुधवार 24.08.2011	बुधवार 21.09.2011
13.	कल्वर्ट के लिए आरसीसी	10 दिन	वीरवार 22.09.2011	बुधवार 05.10.2011
14.	एप्रन तथा टेक्सीवेके लिए डब्ल्यूएमएम बिछाना	35 दिन	बुधवार 20.072011	मंगलवार 06.09.2011
15.	आधार कंक्रीट सहित हाउसिंग बाक्स ट्रांसफॉर्म का संस्थापन	4 दिन	वीरवार 01.09.2011	मंगलवार 06.09.2011

1	2	3	4	5
16.	डीआरएलसी बीछाना	30 दिन	सोमवार 01.08.2011	शुक्रवार 09.09.2011
17.	पीक्यूसी बिछाना	80 दिन	मंगलवार 13.09.2011	सोमवार 02.01.2012
18.	जोड़ कटिंग	80 दिन	बुधवार 14.09.2011	मंगलवार 03.01.2012
19.	जोड़ फिलिंग	88 दिन	बुधवार 12.10.2011	शुक्रवार 10.02.2012
20.	पेंटिंग रनवे/टैक्सी ट्रैक/एप्रन मार्किंग	4 दिन	सोमवार 13.02.2012	वीरवार 16.02.2012
21.	स्थल क्लियरेंस तथा स्थल का सुपुर्दगी	4 दिन	शुक्रवार 17.02.2012	बुधवार 22.02.2012
22.	कमिशनिंग/सुरक्षा प्रभाव अध्ययन, विनियामक स्वीकृति, कमिशनिंग आदि	31 दिन	वीरवार 01.03.2012	शनिवार 31.03.2012

विवरण-II

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

कार्य का नाम: सिविल एन्कलेव भटिंडा पर एप्रन तथा टैक्सी वे का निर्माण

क्र.सं.	कार्य का नाम	अवधि	आरम्भ	समाप्त
1.	मोबिलाईजेशन तथा स्थल क्लियरेंस	10 दिन	शुक्रवार 04.02.2011	रविवार 13.02.2011
2.	कल्वर्ट के अभिकल्प का पुनरीक्षण	100 दिन	मंगलवार 10.05.2011	बुधवार 17.08.2011
3.	मृदा संबंधी कार्य	20 दिन	बुधवार 17.08.2011	सोमवार 05.09.2011
4.	नीव संबंधी कार्य	20 दिन	मंगलवार 06.09.2011	रविवार 25.09.2011
5.	इस्पात ढांचे की आपूर्ति	20 दिन	बुधवार 31.08.2011	सोमवार 19.09.2011
6.	कालम तथा रॉफ्टर का संस्थापना	16 दिन	मंगलवार 20.09.2011	बुधवार 05.10.2011
7.	पर्लिन तथा रूफिंग का सस्थापना	30 दिन	वीरवार 06.10.2011	शुक्रवार 04.11.2011
8.	अंतरिक फिनिशिंग	60 दिन	शनिवार 05.11.2011	मंगलवार 03.01.2012
9.	बाहरी क्षेत्र का विकास	30 दिन	बुधवार 04.01.2012	वीरवार 02.02.2012
10.	स्थल क्लियरेंस और स्थल की सुपुर्दगी	08 दिन	शुक्रवार 03.02.2012	शुक्रवार 10.02.2012
11.	प्री-कमिशनिंग तथा ट्राईल प्रचालन	46 दिन	बुधवार 15.02.2012	शनिवार 31.03.2012

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी की सीटें

3466. श्रीमती जे. शांता: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी की सीटें बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसंधान हेतु पीएचडी के छात्रों के लिए नियत/आबंटित निधियों में बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या पीएचडी के छात्रों के लिए कोई लाभकारी स्कीम लागू है/करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) भारतीय विश्वविद्यालयों में बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान के कायाकल्प के लिए सरकार द्वारा गठित कार्यबल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि भारतीय विश्वविद्यालयों से पीएच.डी. समुचित स्तरों के साथ की संख्या में, दस वर्षों की अवधि के भीतर पांच गुणा वृद्धि होनी चाहिए। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सांविधिक और स्वायत्त निकाय होने के नाते, ये विश्वविद्यालय, संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों के अंतर्गत इस विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियमों के अनुसार पीएचडी की सीटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सशक्त हैं। यूजीसी द्वारा बनाई गई अध्येतावृत्ति स्कीम के अंतर्गत, उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक पीएचडी के छात्र, जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संयुक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें शुरू में पहले दो वर्षों के लिए 16000/- रुपए प्रतिमाह (कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति) और शेष तीन वर्षों के लिए आकस्मिकता सहित 18000/- रुपए प्रतिमाह (वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति) दी जाती है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने वाले छात्रों को, जो किसी अन्य स्रोत से कोई अध्येतावृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें 10,000/- रुपए प्रतिवर्ष की आकस्मिक अनुदान के साथ विज्ञान विषयों के लिए 5000/- प्रतिमास और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए 8000/- रुपए प्रतिवर्ष की अध्येतावृत्ति दी जाती है। इस समय, अध्येतावृत्ति की दरों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

नए संकाय शुरू करना

3467. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को डॉ. हरिसिंह गौड़ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश में विभिन्न नए संकाय शुरू करने के बारे में जन प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) दर्ज सूचना के अनुसार, डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर में नए संकाय शुरू करने हेतु लोगों के किसी भी प्रतिनिधि से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय सांविधिक एवं स्वायत्त निकाय होने के कारण अपने सांविधिक प्राधिकरणों नामत: अकादमिक परिषद् तथा कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन से अपने अकादमिक कार्यक्रमों के बारे में स्वयं निर्णय लेता है। सरकार की ऐसे अकादमिक मामलों में कोई भूमिका नहीं है।

[अनुवाद]

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

3468. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भागीदारी हेतु रुचि दर्शाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं/किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भिन्न-भिन्न क्रियाकलापों और साक्षर भारत कार्यक्रम में अपनी भागीदारी और सहयोग प्रदान करने की पेशकश की है जिसमें मॉडल प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के अभिग्रहण अथवा निर्माण तथा/अथवा सतत शिक्षा और कौशल विकास हेतु सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रौढ़ और जीवनपर्यंत शिक्षा केन्द्रों को निधि प्रदान करना शामिल है।

(ग) सरकार, राज्य सरकारों के साथ विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम की कड़ाई से समीक्षा कर रही है तथा आरंभिक समस्याओं को दूर कर रही है। राज्य साक्षरता मिशन तथा इसके साथ-साथ

पंचायती राज संस्थाओं की क्षमताओं को नियमित प्रबोधन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित किया जाता है। कार्य करने वाले राज्यों को भी पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाता है।

सुरक्षा अवसंरचना का उन्नयन

3469. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानन उद्योग को बढ़ते आतंकी खतरे के बावजूद नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) सुरक्षा अवसंरचना और उपस्करों के उन्नयन हेतु प्रदत्त निधियों को उपयोग में लाने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित निधियों को इष्टतम उपयेाग हेतु क्या उपाय किए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा सुरक्षा अवसंरचना तथा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो केवल हवाईअड्डों पर संस्थापन के लिए सुरक्षा अवसंरचना तथा उपकरण हेतु मापदंड तथा पैमाने निर्धारित करता है।

अध्यापकों के रिक्त पद

3470. श्री विष्णु पद राय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में श्रेणी-वार और माध्यम-वार, प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं; और

(ख) उक्त पद कब तक भर लिए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के कुल 1792 संस्वीकृत पद हैं जिनमें से वर्तमान में 1677 पद हुए हैं। रिक्त पड़े प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के 115 पदों का श्रेणी-वार और माध्यम-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

माध्यम	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जनजाति	जोड़
हिन्दी	13	15	02	30
अंग्रेजी	23	14	02	39
बंगाली	16	20	-	36
तमिल	07	-	-	07
तेलुगू	03	-	-	03
कुल	62	49	04	115

(ख) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने इन रिक्तियों की शीघ्रतापूर्वक भरने की कार्रवाई शुरू की है।

ट्रेवल एजेंटों का कमीशन

3471. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के नागर विनियामक ने कहा है कि एयरलाइनों को उपभोक्ता से अलग लेनदेन शुल्क वसूलने की बजाय ट्रेवल एजेंटों को कमीशन देने की वर्तमान प्रणाली को जारी रखना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार के पास एजेंटों की ओर से अभी भी लंबित वास्तविक मांगें क्या हैं; और

(घ) उक्त मांगों पर कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मामला इस समय न्यायाधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय वाणिज्य दूत की हत्या की साजिश

3472. चौधरी लाल सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने अफगानिस्तान के जलालाबाद प्रांत में भारतीय वाणिज्य दूत की हत्या के लिए दो भाड़े के हत्यारों को रखा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) सरकार को इन रिपार्टों की जानकारी है कि अफगानिस्तान की सीमा से बाहर सहायता एवं शरण पा रहे आतंकी गुटों ने भारतीय हितों के विरुद्ध हमले की योजना बनाना जारी रखा है, जिसमें अफगानिस्तान स्थित राजदूतावास एवं कोंसलावास के कर्मचारियों पर हमला करना भी शामिल है। सरकार सतर्क है और ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है। सरकार अफगानिस्तान की सरकार के साथ नियमित संपर्क में भी है, जिसने अपने देश में भारतीयों को आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आश्वस्त किया है।

पाकिस्तान के नियंत्रण वाले भूभाग से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद से संबंधित भारतीय चिंताओं के बारे में पाकिस्तान को नियमित रूप से अवगत कराया गया है। भारत ने पाकिस्तान से यह भी मांग की है कि वह किसी भी प्रकार से भारत के विरुद्ध निर्देशित आतंकवादी कृत्यों के लिए अपनी जमीन का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने की पाकिस्तान के नेताओं द्वारा दी गयी प्रतिबद्धता का पूर्णत: पालन करे।

[हिन्दी]

नए पिछड़े जिले

3473. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) योजना के अंतर्गत नए जिलों को शामिल करने की स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु पहचान किए गए 250 जिलों को छोड़कर अन्य बचे हुए कोई भी जिला बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलन के वर्ग में नहीं आते हैं क्योंकि वहां कोई क्षेत्रीय असंतुलन विद्यमान नहीं है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या योजना अयोग छत्तीसगढ़ के जंजगीर-चंपा सहित देश के अन्य जिलों को शामिल करने के प्रस्ताव/मांग को स्वीकृति देगा/स्वीकृति देने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) को 2006-07 में अनुमोदित किया गया था एवं बीआरजीएफ का जिला घटक 27 राज्यों के 250 जिलों को कवर करता है। बीआरजीएफ के जिला घटक के अंतर्गत कवर किए गए जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के प्रथम चरण के अंतर्गत कवर किए गए सभी 200 जिले तथा पिछड़ों के रूप में बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन का निवारण करने पर अंतर्मंत्रालयी कार्य समूह (आईएमटीजी) द्वारा चिन्हित 170 जिले शामिल हैं। 120 जिले दोनों में समान थें एमजीएनआरईजीए के प्रथम चरण के अंतर्गत 200 जिले, तीन मापदंडों, प्रत्येक को समान महत्व, नामत: प्रति कृषि श्रमिक प्रतिफल का मूल्य, कृषि दिहाड़ी दर एवं जिलों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत, को मिलाकर पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर चिन्हित किए गए थे। आईएमटीजी द्वारा 17 सामाजार्थिक विभेदकों के आधार पर पिछड़ों के रूप में 170 जिलों को चिन्हित किया गया था।

(ग) और (घ) बीआरजीएफ के जिला घटक के अंतर्गत कवरेज हेतु जिलों के चयन के लिए अपनाए गए उपरोक्त मापदंड के तहत, छत्तीसगढ़ का जंजगीर-चम्पा जिला कवरेज हेतु पात्र नहीं हुआ। वर्तमान में कार्यक्रम को 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के

दौरान निधियन हेतु अनुमोदित किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक जिलों को कवर करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, योजना आयोग वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के प्रतिपादन की प्रक्रिया में है तथा विभिन्न संचालन समितियां एवं कार्य समूहों को इस प्रयोजनार्थ गठित किया जा चुका है। अन्य बातों के साथ-साथ, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एमजीएनआरईजीए एवं बीआरजीएफ की महत्वपूर्ण समीक्षा प्रदान करने तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में इन कार्यक्रमों हेतु संभावना, विषय, कार्यनीतियां, प्राथमिकताएं एवं आबंटनों को सुझाने के लिए ग्रामीण आजीविकाओं एवं ग्रामीण अभिशासान हेतु एक संचालन समिति गठित की जा चुकी है। विभिन्न क्षेत्र कार्यक्रमों के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए तथा 12वीं पंववर्षीय योजना में बीआरजीएफ सहित क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु संभावना, विषय, कार्यनीतियां, प्राथमिकताएं एवं आबंटनों को सुझाने के लिए क्षेत्र कार्यक्रमों पर एक कार्य समूह भी गठित किया जा चुका है।

[अनुवाद]

व्यावसायिक शिक्षा

3474. श्री जयंत चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में उद्योगों को कुशल श्रमशक्ति की कितनी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु विज्ञापन पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जैसा कि श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है, उद्योगों के सामने आ रही कुशल जनशक्ति की कमी के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना में प्रस्तावित संशोधनों में प्रचार, छवि निर्माण और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 में 50 लाख रुपयों का सांकेतिक बजट उपलब्ध कराया है।

उड़ानों की क्लबिंग

3475. श्री एस.एस. रामासुब्बु: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर इसके कुछ उड़ानों की क्लबिंग के कारण यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों से अवगत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत एक वर्ष के दौरान उक्त घटनाओं की घटना-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार/एयर इंडिया ने प्रभावित यात्रियों को कोई मुआवजा प्रदान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

[हिन्दी]

इंदौर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

3476. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपर्युक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत दिए जाने की संभावना है;

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दिए जाने के क्या करण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) द्विपक्षीय विमान सेवा करारों के अनुसार, भारतीय वाहक भारत के किसी भी स्थल से विदेशी गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, किसी भी एयरलाइन द्वारा वास्तविक प्रचालन सदैव उनके वाणिज्यिक निर्णय

के माध्यम से निर्देशित होता है। अभी तक किसी भी देश के लिए इंदौर को प्वाइंट ऑफ कॉल के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

त्रिवेंद्रम में हैंगर सेवा

3477. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में एयर इंडिया हैंगर सेवा को शुरू करने में विलंब है;

(ख) यदि हां, तो उक्त हैंगर के कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ग) विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजना संबंधी कार्य को तेज करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) जी, हां। हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा तैयार किए जा रहे टैक्सीवे निर्माण कार्य के पूरा होने में विलंब के कारण त्रिवेन्द्रम में हवाईअड्डा हैंगर के प्रचालनिक होने में विलंब हुआ। टैक्सीवे के निर्माण कार्य के सितंबर, 2011 तक पूरा होने की संभावना है।

(घ) एअर इंडिया टैक्सीवे के शीघ्र तैयार किए जाने के लिए हवाईअड्डा प्रचालक के साथ निरंतर संपर्क में है।

[हिन्दी]

मूल्यवर्धित सेवा

3478. श्री राजू शेट्टी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ दूरसंचार कंपनियां दूरसंचार विभाग के अनुमोदन के बगैर उपभोक्ताओं को मूल्यवर्धित सेवाएं (वीएएस) प्रदान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) इस मामले से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राउकेला और जेपोर हवाई पट्टी

3479. श्री जयराम पांगी
श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में राउरकेला और जेपोर हवाई पट्टी की लंबाई-चौड़ाई किसी हवाईपट्टी की अपेक्षित लंबाई-चौड़ाई के अनुरूप है तथा क्या यह वाणिज्यिक रूप से अक्षम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राउरकेला को कोलकाता तथा भुवनेश्वर से तथा जेपोर को विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर से जोड़ने का है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इन विमान सेवाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

प्रवासी भारतीय मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) उड़ीसा (ओडिशा) में राउरकेला हवाई पट्टी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) का है और इसे नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा लाइसेंस दिया गया है। इस हवाईअड्डे के रनवे का आकार पीसीएन-16 युक्त 6000 फुट X 100 फुट है और यह एटीआर किस्म के विमान प्रचालनों के लिए उपयुक्त है। उड़ीसा (ओडिशा) में जैपुर हवाईपट्टी राज्य सरकार की है और इसे डीजीसी द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(ग) से (ङ) उड़ानों के प्रचालन के संबंध में, पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के लिए सरकार द्वारा मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। बहरहाल, यह एअरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता

के आधार पर उड़ीसा (ओडिशा) के हवाईअड्डों समेत विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं। इस प्रकार, सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देश के अनुपालन के अध्यधीन एयरलाइनें देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

निजी विद्यालयों द्वारा अत्यधिक शुल्क वसूला जाना

3480. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी विद्यालय छात्रों से अत्यधिक शुल्क वसूल रहे हैं जिसके कारण गरीब छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्राथमिक विद्यालयों सहित विद्यालयों द्वारा वसूले जा रहे ट्यूशन फीस की सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ऐसी शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान 17 ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में लिए जाने वाले ट्यूशन शुल्क केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंधन उप-नियमों के अनुरूप होते हैं।

[अनुवाद]

ऋण गारंटी प्राधिकरण

3481. श्री जोस के. मणि: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा वित्त निगम (एनईएफसी) के क्षेत्राधिकार में अलग से एक ऋण गारंटी प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) एक ऋण गारंटी घटक सहित राष्ट्रीय शिक्षा वित्त निगम (एनईएफसी) की स्थापना के प्रस्ताव को योजना आयोग की सहमति के लिए भेजा गया था। इस प्रस्ताव को योजना आयोग ने सहमति प्रदान नहीं की है। अतः प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया है।

[हिन्दी]

केजीबीवी की निगरानी

3482. श्री कमल किशोर 'कमांडो': क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के शिक्षकों को पर्याप्त वेतनमान/मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन शिक्षकों को नियमित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या ये विद्यालय स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव केजीबीवी का उन्नयन केन्द्रीय विद्यालय/जवाहर नवोदय विद्यालय के स्तर पर करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के वित्तीय मानदंडों में मॉडल I केजीबीवी (100 बालिकाओं के लिए छात्रावास वाले स्कूल) तथा मॉडल II केजीबीवी (50 बालिकाओं के लिए छात्रावास वाले स्कूल) हेतु कर्मचारियों के वेतन के लिए प्रतिवर्ष 12 लाख रुपए की समेकित राशि का प्रावधान है। मॉडल III केजीबीवी (50 बालिकाओं के लिए मौजूदा स्कूलों में छात्रावास) के मामले में कर्मचारियों के वेतन के लिए 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

कार्यान्वयन करने वाले राज्य समान कर्मचारियों के लिए वेतन के प्रचलित राज्य मानदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन की मात्रा का निर्णय करते हैं।

(ग) और (घ) अध्यापकों के देय वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

(ङ) और (च) सर्व शिक्षा अभियान राजय कार्यान्वयन समिति राज्य स्तर पर केजीबीवी की कार्यान्वयन एजेंसी है। स्कूल चलाने में जहां संभव हो, स्थापित गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य अलाभभोगी निकायों को भी शामिल किया जा सकता है।

(छ) और (ज) सरकार का केजीबीवी को केन्द्रीय स्कूलों/जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर पर उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

वित्तीय उत्पादों की बिक्री

3483. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने देश में डाकघरों के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री करने हेतु वित्तीय संस्थानों और अन्य संगठनों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संस्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इससे कितनी आय अर्जित की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय भाषाओं में संयुक्त सम्मिलित प्रवेश परीक्षा

3484. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल और कृषि शिक्षा शामिल है, के क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण/संचालन की संभावना तलाशने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। समिति के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा, अखिल भारतीय मेडिकल परीक्षा और अखिल भारतीय कृषि प्रवेश परीक्षा आदि जैसी प्रवेश परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शामिल है।

कुलपति की नियुक्ति

3485. श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त विश्वविद्यालयों के लिए स्थान का चयन करने के मुद्दे पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच गंभीर मतभेद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे विश्वविद्यालयों को आबंटित भूमि का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस विवाद को एकमत से सुलझाने तथा पूर्ण विकसित केन्द्रीय विश्वविद्यालय की शीघ्र स्थापना करने हेतु कोई कदम उठाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति कर दी गई है। इस संबंध में विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (छ) अधिकांश राज्यों में स्थलों की चयन के बारे में राज्य सरकारों तथा केन्द्र के बीच में कोई गंभीर मतभेद नहीं है। नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की अवस्थिति जिन्हें अभी अंतिम रूप दिया गया है, की स्थिति संलग्नक में दी गई है। गुजरात तथा केरल में राज्य सरकारों के परामर्श से स्थलों की पहचान कर ली गई है परंतु उन्हें अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार का संबंध है, बिहार राज्य सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार की स्थापना के लिए मोतीहारी (पश्चिमी चम्पारण जिला) में भूमि देने का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय द्वारा गठित स्थल चयन समिति ने यह अनुशंसा की है कि मोतीहारी में प्रस्तावित स्थल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इस स्थान पर पहुंच तथा अपेक्षित सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना का अभाव है। केन्द्र सरकार ने अब इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया है कि वह अपेक्षित संरचना तथा हवाई सम्पर्क वाले वैकल्पिक स्थलों की पहचान करे।

विवरण

नए केन्द्रीय विधालयों की स्थिति

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम एवं पता	कुलपति का नाम	स्थिति
1.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रो. जनक पाण्डेय	अस्थायी तौर पर पटना में स्थित
2.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रो. आर.के. काले	अस्थायी तौर पर गांधीनगर में स्थित
3.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रो. मूल चंद शर्मा	महेन्द्रगढ़
4.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रो; फुरकान कामार	धर्मशला और डेहरा, जिला-कांगड़ा
5.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रो. डारलैण्डों टी. खाथिंग	रांची
6.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रो. ए.एम. पठान	गुलबर्गा
7.	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रो. अब्दुल वाहिद	श्रीनगर
8.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	डॉ. जेन्सी जेम्स	अस्थायी तौर पर कासरगोड़ में स्थित
9.	उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू और कश्मीर	प्रो. (डॉ.) सुरभि बनर्जी	कोरापुट
10.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रो. (डॉ.) जयरूप सिंह	गांव-घुड्डा, भटिण्डा
11.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रो (डॉ.) एम.एम. सालुंखे	किशनगढ़, अजमेर
12.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रो. बी.पी. संजय	थिरूवरूर
13.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू और कश्मीर	डॉ. सुधीर एस. बलोरीया	गांव-बागला, जिला सांबा
14.	डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	प्रो. एन.एस. गजभिये	सागर
15.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	प्रो. लक्ष्मण चतुर्वेदी	बिलासपुर
16.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल, श्रीनगर, गढ़वाल,	प्रो. एस.के. सिंह	श्रीनगर

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पास

3486. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस और उनकी अनुषंगी कंपनियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हवाई यात्रा हेतु मुफ्त/रियायती पास प्रदान किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना मंत्रालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और केन्द्र सरकार के अन्य कर्मचारियों को उसी तर्ज पर छुट्टी यात्रा रियायत प्रदान करने की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स और उनकी अनुषंगी कंपनियों को विभिन्न कारणों से हो रहे भारी नुकसान को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी, हां। तथापि, एअर इंडिया की सहायक कंपनी एअर इंडिया चार्टर लिमिटेड तथा एलायंस एअर में ठेके पर लगे कार्मिक, उनके ठेका समाप्त होने पर, निःशुल्क/रियायती पास के लिए पात्र नहीं हैं। पूर्ववर्ती एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपलब्ध कराये गए निःशुल्क/रियायती पासों की संख्या क्रमश संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत का लाभ देने की सरकार की कोई योजना नहीं है चूंकि उक्त रियायत अवकाश लेने के समय पर दी जाती है, जोकि सेवानिवृत्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है।

(ङ) अपने वित्तीय निष्पादन को सुधारने के अनुक्रम में, एअर इंडिया द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं यथा घाटे को कम करने के लिए मार्गों का यौक्तीकरण, भावी विभाग सुपुर्दगी की रि-शिड्यूलिंग/निरस्तीकरण, लीज क्षमता की वापिसी, जन शक्ति तथा उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन का यौक्तीकरण, संविदागत रोजगार में कटौती, सभी तकनीकी तथा प्रचालनात्मक मामलों पर सभी करारों की समीक्षा, कटौती के सभी क्षेत्रों की देखभाल के लिए टर्न अराउंड समिति (जिनमें वरिष्ठ प्रबंधन तथा यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हैं) का गठन, मौजूदा बाजार की स्थितियां आदि को प्रतिबिम्बित करने के लिए सभी प्रचालनिक तथा तकनीकी करारों में सामंजस्य स्थापित करना है।

विवरण-I

सेवानिवृत्त स्टाफ के लिए हवाई पास संबंधी रियायतों का पैमाना

	पास (अंतर्राष्ट्रीय अथवा घरेलू)			पास (घरेलू)	
सेवा पूरी करने के बाद	रियायत	पासों की संख्या	तथा	रियायत	पासों की संख्या
25 साल	100%	दो		95%	इन के लिए असीमित: स्वयं, पति/पत्नी तथा केवल 21 वर्ष तक के पुत्र) पुत्रियां (केवल अविवाहित)
	90%	दो			
	पास (अंतर्राष्ट्रीय)			पास (घरेलू)	
20 वर्ष (22.10.1997 से पहले सेवानिवृत्त)	100% 90%	एक दो	अथवा	100% 95%	एक दो
20 वर्ष (22.10.1997 से पहले सेवानिवृत्त)	100% 90%	दो दो	अथवा	100% 95%	दो दो

मृत कर्मचारी के पति/पत्नी के लिए हवाई पास संबंधी रियायतों का पैमाना

	पास (अंतर्राष्ट्रीय)			पास (घरेलू)		टिप्पणियां
20 साल	100%	एक	अथवा	100%	एक	बच्चों के लिए केवल 21 वर्ष तक के पुत्र और अविवाहित पुत्रिया ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं
25 साल	90%	एक		95%	एक	
	100%	एक	अथवा	100%	एक	
	90%	दो		95%	दो	

नोट: पात्रता या तो (क+ग) या (ख+ग) है

विवरण-II

नि-शुल्क/रियायती हवाई पासों की मंजूरी

II सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए

सेवा के वर्षों की संख्या	नि:शुल्क	रियायती
ग्रेड 16 क तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए (मुख्य प्रबंधक तक के स्तर तक) (सब्जैक्ट टू लोड आधार पर)		
15 वर्ष	01	02 -
20 वर्ष	01	03 -
25 वर्ष	02	04 -
उप प्रबंध निदेशक और उपर के लिए (फर्म आधार पर) निदेशक/महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक (सब्जैक्ट टू लोड आधार पर) (सेवा के वर्षों की संख्या चाहे जो भी हो)	02	04

परिवार:-स्वयं, पति/पत्नी, माता-पिता, भाई, बहन, बच्चे, दामाद, बहू

पी.पी.पी. प्रणाली के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

3487. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों तथा पर्यटन और वाणिज्यिक संवर्धन को प्रोत्साहन देने हेतुं सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) प्रणाली के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या कुछ विमानपत्तनों पर रनवे की लंबाई को बढ़ाने का प्रस्ताव अभी भी विचारार्थ/लंबित पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त परियोजना के कार्य को तेज करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) विमान यात्रियों में व्यापक वृद्धि, जिसका हवाईअड्डा अवसरंचना पर दबाव पड़ा है, को देखते हुए हवाईअड्डा सेक्टर में व्यापक निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से सरकार द्वारा अप्रैल, 2008 में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति की घोषणा की गई थी। अब तक भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोग के लिए महाराष्ट्र में नवी मुंबई तथा शिरडी, गोवा में मोपा, केरल में कन्नूर, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर तथा पुदुचेरी में कराइकल पर नए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु "सैद्धांतिक रूप में" अनुमति दी गई है। हवाईअड्डा परियोजनाओं के निर्माण की समय-सीमा कई कारकों, यथा भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य क्लीयरेंस की उपलब्धता, व्यक्तिगत प्रमोटरों द्वारा वित्तीय क्लोजर आदि, पर निर्भर करता है।

(घ) जी, नहीं। तथापि, रनवे का विस्तार आवश्यकतानुसार किया जाता है जोकि विमान प्रचालन की किस्म तथा भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

अंतरिक्ष में भारी उपग्रह

3488. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक नयी पीढ़ी के रॉकेटों तथा इनके रूपांतरों को डिजाइन कर रहे हैं जिससे कि अंतरिक्ष में भारी उपग्रहों की स्थापना की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय अंतरक्षि अनुसंधान संगठन साउंडिंग रॉकेट पर लगे स्क्रैमजेट का उपयोग कर एयर ब्रीथिंग तकनीक का भी परीक्षण करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भू-तुल्यकाली प्रमोचन वाहन-मार्क III (जी एस एल वी-मार्क III) नामक नई पीढ़ी रॉकेट के डिजाइन तथा विकास का कार्य शुरू कर लिया है। यह रॉकेट 4 टन वर्ग के संचार उपग्रहों को भू-स्थिर अंतरण कक्षा में प्रमोचित करने की क्षमता रखता है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रगत प्रौद्योगिकी में प्रवेश करते हुए एयर ब्रीथिंग तकनीक के क्षेत्र में इसरो ने अपने उच्च निष्पादन साउंडिंग रॉकेट में निष्क्रिय स्क्रैमजेट इंजन दहन-तंत्र उपयान को जोड़कर सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है साउंडिंग रॉकेट के साथ जोड़कर सक्रिय इंजन दहन-तंत्र का उड़ान परीक्षण 2012-13 में करने की योजना है।

'माई-स्टैंप' योजना

3489. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने 'माई-स्टैंप' नाम की योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना का विस्तार पूरे देश में करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) डाक विभाग ने 12 से 18 फरवरी, 2011

तक आयोजित विश्व डाक-टिकट प्रदर्शनी/इंडीपेक्स-2011 के दौरान "माई-स्टैंप" नामक फिलैटलिक उत्पाद की शुरुआत की थी।

(ख) "माई-स्टैंप" कस्टमाइज्ड एवं निजी डाक-टिक थी भारतीय डाक द्वारा पहली बार शुरू किया गया था। कोई भी व्यक्ति डाक-टिकट की शीट पर अपनी फोटो छपवा सकता था और इसे अनोखी फिलैटलिक स्मृति-चिह्न के रूप में संभाल कर रख सकता था अथवा पत्रों पर लगा सकता था या विशेष अवसरों पर शुभकामना संदेश के रूप में भेज सकता था।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

पासपोर्ट कॉल सेन्टर

3490. श्री एल. राजगोपाल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु केन्द्रीकृत पासपोर्ट कॉल सेन्टर खोलने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अधीन पासपोर्ट सेवा परियोजना के हिस्से के रूप में सरकार पूरे देश में 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र (जिनमें से 13 केंद्र पहले से संचालित किए जा चुके हैं) और एक बहुभाषी केंद्रीय कॉल सेंटर सुविधा स्थापित कर रही है, जो पासपोर्ट संबंधी पूछताछ, आवेदन स्तर की जानकारी देने और शिकायत निवारण सेवाएं प्रदान करने के लिए होंगी। वर्तमान में ये कॉल सेंटर मोहाली, हैदराबाद और मुन्नार में कार्य कर रहे हैं।

पक्योंग सिक्किम में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन

3491. श्री प्रेम दास राय: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेक्योंग, सिक्किम में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के निर्माण में कोई विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त विमानपत्तन को एटीआर 72 एस से ज्यादा बड़े पैमाने की सेवाओं के लिए उपयुक्त बनाए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त विमानपत्तन से विमान सेवा के संचालन तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्ग शुरू करने हेतु निजी विमान कंपनियों के साथ कोई समझौता किया गया है;

(च) यदि हां, तो विमान कंपनी-वार, मार्गवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी हां। भारी बारिश, बारंबार बंद तथा विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग को बन्द किए जाने, मृदा कार्य उपस्करों के लिए डीजल की अनुपलब्धता आदि के कारण रनवे कार्य पूरा करने में विलंब हुआ। संपूर्ण परियोजना को दिसंबर, 2012 तक पूरा किया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) उड़ानों के प्रचालन के संबंध में, पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत देश के विभान क्षेत्रों को विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान को परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के दृष्टिगत सरकार द्वारा मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर पेक्यांग हवाईअड्डा समेत विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध करायें। इस प्रकार, एयरलाइनों सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्याधीन देश में कहीं से भी प्रचालन के लिए स्वतंत्र हैं।

विमानपत्तनों पर आगन्तुकों से संबंधित डाटा संग्रहण

3492. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय से विमानपत्तनों पर आगंतुकों से संबंधित डाटा संग्रहण को सुदृढ़ करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) इस संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या ऐसे कदम से यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा होगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नए डाकघरों के लिए प्रस्ताव

3493. योगी आदित्यनाथ:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
श्रीमती कमला देवी पटले:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से नए मुख्य डाकघर और नए उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) नए डाकघरों को खोलने के बारे में न्यायमूर्ति तलवार समिति की क्या सिफारिशें हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी हां।

(ख) नए प्रधान डाकघर और नए उप डाकघर खोलने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार और स्थानवार विवरण निम्नानुसार है:

डाकघर	राज्य	स्थान
उप डाकघर	असम	एनसी हिल जिला (अब दीमा हसाव)
उप डाकघर	असम	कार्बी आंगलांग जिला
उप डाकघर	दिल्ली	बवाना, दिल्ली उत्तर डिवीजन
उप डाकघर	दिल्ली	सुभाष पैलेस, दिल्ली उत्तर डिवीजन
उप डाकघर	दिल्ली	डीडीए फ्लैट्स, कालकाजी, दक्षिण दिल्ली डिवीजन
प्रधान डाकघर	उत्तराखंड	रुद्रपुर, उधम सिंह नगर जिले का जिला मुख्यालय

(ग) असम तथा उत्तराखंड सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच क्रमशः असम तथा उत्तराखंड सर्किलों द्वारा की गई परंतु विभागीय मानदंडों के आधार पर इन प्रस्तावों को औचित्यसम्मत नहीं पाया गया। दिल्ली सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की जांच दिल्ली सर्किल द्वारा की जा रही है।

(घ) न्यायमूर्ति तलवार समिति का गठन 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य डाक विभाग के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों (जिन्हें अब ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है) के मजदूरी ढांचे और अन्य सेवा शर्तों की जांच करना था। नए डाकघर खोलने के बारे में न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशें निम्नुसार हैं;

(i) यह विवेकपूर्ण होगा कि अतिरिक्त विभागीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले डाकघरों की संख्या को अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान चरणबद्ध रूप से कम किया जाए और इस संख्या को इष्टतम स्तर पर लाया जाए।

(ii) अगले दस वर्षों तक अतिरिक्त विभागीय श्रेणी में कोई नया डाकघर नहीं खोला जाना चाहिए।

(iii) अतिरिक्त विभागीय श्रेणी में डाकधारों की संख्या घटाने की आवश्यकता है।

तथापि, नए डाकघर खोलने से संबंधित उपरोक्त सिफारिशों सहित न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा पूर्णतया अस्वीकार कर दिया गया है।

दिल्ली के टी-3 टर्मिनल पर कर्मचारियों की कमी

3494. श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री उदय सिंह:
श्रीमती उषा वर्मा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के टी-3 टर्मिनल पर वीआईपी व्यक्तियों सहित यात्रियों को वायुयान में सवार होने से पहले चेक इन काउंटर, सुरक्षा जांच, आवर्जन काउंटर पर लंबी कतार में घंटों खड़े होना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में उक्त के कारण विलंबित फ्लाइटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टी-3 टर्मिनल पर कर्मचारियों की कमी के कारण वरिष्ठ स्थान पर कनिष्ठ अधिकारियों को ड्यूटी पर तैनात किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दोषी व्यक्तियों/एजेंसियों के विरूद्ध सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(च) आईजीआई एयरपोर्ट पर टी-3 टर्मिनल के विभिन्न काउंटरों पर प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) सामान्यत: चेक-इन काउंटर, सुरक्षा जांच तथा आप्रवासन काउंटरों पर कोई लम्बी लाइन नहीं लगती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आप्रवासन के मामले में, सहायक केन्द्रीय सूचना अधिकारी-II अथवा उप-निरीक्षक स्तर के कार्मिकों की कमी के कारण, ग्रेजुएट तथा कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले कनिष्ठ आसूचना अधिकारियों/सुरक्षा सहायकों, हेड कांस्टेबलों/कांस्टेबलों को पर्याप्त प्रशिक्षण के पश्चात् काउंटर अधिकारी के रूप में भी तैनात किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) यात्रियों की संख्या में हुई वृद्धि को पूरा करने के प्रयोजन से, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के टर्मिनल-3 पर 49 आप्रवासन काउंटर (आउटबाउंड) तथा 46 आप्रवासन काउंटर (इनबाउंड) सुलभ कराये गए हैं। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त संख्या में सुरक्षा काउंटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। वीआईपी के लिए विशेष सुविधा यथा वीआईपी लाउंज तथा आप्रवासन के लिए समर्पित काउंटर बनाई गई हैं।

एअर इंडिया द्वारा कार्यों की आउटसोर्सिंग

3495. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक निजी एयरलाइन कंपनी 'इंडिगो' वर्षों से एयर इंडिया के लिए काल सेंटर और टिकट आरक्षण केन्द्र चला रही है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडिगो एयर लाइन की सभी सीटें पूरी तरह भर जाती हैं जबकि उसी मार्ग पर चलने वाले एयर इंडिया के विमान खाली रह जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो एयर इंडिया द्वारा इस कार्य के प्रबंधन के बदले कॉल सेंटरों को कार्य आउटसोर्स करने के क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2010-11 के दौरान इंडिगो एयरलाइन तथा एअर इंडिया (घरेलू) का यात्री लोड फैक्टर क्रमश: 83.6% तथा 70.6% है। यह नोट किया जाए कि इंडिगो एयरलाइन कम लागत वाली वाहक है जबकि एअर इंडिया पूर्ण सेवा प्रदाता है।

(घ) एअर इंडिया द्वारा घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कॉल सेंटर सुविधा उपलबध कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि वह इन सामान्य प्राकृति के कार्यों की आउटसोर्सिंग करके अपने स्टॉफ का प्रयोग महत्वपूर्ण प्रचालनात्मक कार्यों में कर सकें।

[अनुवाद]

अतिरिक्त हज वीजा

3496. श्री एम.के. राघवन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सऊदी अरब से देश के लिए अतिरिक्त हज वीजा पाने की स्थिति क्या है; और

(ख) वरिष्ठ नागरिक जो हज करते समय 70 वर्ष से ऊपर हैं, की सुरक्षा और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित कराने के लिए कौन-कौन सी कार्रवाई शुरू की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) भारत सरकार ने हज-2011 के लिए अतिरिक्त कोटा आबंटित करने के लिए सऊदी प्राधिकारियों से अनुरोध किया है। सऊदी प्राधिकारियों से उत्तर अभी प्राप्त होने हैं।

(ख) भारत सरकार सभी हाजियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वपक प्रबंध करती है और उन्हें चिकित्सा सेवा मुहैया कराती है। समस्याओं का सामना कर रहे भारतीय हजयात्रियों को सहायता और सेवा करने के लिए मक्का के भिन्न-भिन्न भागों में खोले गए 12 शाखा कार्यालय इनमें शामिल है। हाजियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए कोंसलावास द्वारा 24x7 हेल्पलाइन संचालित की जाती है। भारतीय हजयात्रियों की चिकित्सकीय समस्याओं को दूर करने के लिए हज के दौरान मक्का, मदीना और जद्दा हज टर्मिनल में एक 50 शय्या-वाले अस्पताल, 17 शाखा चिकित्सालय और अस्थायी चिकित्सालय कार्य करते हैं। राजदूतावास शिविरों में हज सप्ताह के दौरान मीना एवं अराफात में अस्थायी चिकित्सालय भी कार्य करते हैं। इन अस्पतालों एवं चिकित्सालयों को संचालित करने के लिए चिकित्सक एवं अर्द्धचिकित्सक अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं। इन अस्पतालों एवं चिकित्सालयों के लिए दवाओं की आपूर्ति भारत से की जाती है। इसके अलावा, जद्दा में स्थित हमारा कोंसलावास भारतीय हाजियों के लिए मोबाइल अस्पताल और एंबुलेंस की भी व्यवस्था करता है।

सीबीआई द्वारा पंजीकृत मामले

3497. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने विभिन्न शिकायतों पर कोई जांच शुरू की है तथा आईपीसी एवं भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन महानिदेशक (डीजीएच) के भूतपूर्व प्रमुख सहित कुछ पदाधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों के विरूद्ध मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन सी कार्रवाई की गई/की जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी हां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को तत्कालीन हाइड्रोकार्बन नई दिल्ली के महानिदेशक (डी.जी.एच.), और अन्यों के विरूद्ध विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई थीं प्रारंभिक जांच-पड़ताल और विश्लेषण के उपरांत तत्कालीन हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक (डी.जी.एच.) नई दिल्ली और अन्यों के विरूद्ध, 26.11.2009 को प्रारंभिक जांच (पी.ई.) 6(क)/2009- ए.सी.यू.-VIII, पी.ई. 7(क)/2009-ए.सी.यू.-VIII और पी.ई. 8 (क)/2009 ए.सी.यू.-VIII दर्ज की गई।

पी.ई. 7(क)/2009-ए.सी.यू.-VIII के निष्कर्षों के आधार पर दिनांक 30.06.2011 को एक नियमित मामला (आर.सी.) संख्या आर.सी. 8 (क)/2011-ए.सी. VIII, हाइड्रोकार्बन के तत्कालीन महानिदेशक, नई दिल्ली और अन्यों के विरूद्ध, इस आरोप के आधार पर दर्ज किया गया है कि, हाइड्रोकार्बन के महानिदेशालय (डी.जी.एच.) के अधिकारियों और अन्य गैर-सरकारी व्यक्तियों ने एक आपराधिक षड्यंत्र रचा और मैसर्ज जी. एक्स टैक्नोलोजीस, 2101, सिटी वैस्ट बिल्डिंग, सूट 900, ह्यूस्टन टी.एक्स., संयुक्त राज्य अमेरिका को, अत्याधिक लागत पर, नामांकन के आधार पर, सिसमिक स्पैकुलेशन सर्वे करने की संविदा के माध्यम से अनुमति देकर अपने पद का दुरूपयोग किया और इस प्रकार सरकार को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कानून के अंतर्गत स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार जांच करता है। सरकार की जांच-पड़ताल में कोई भूमिका नहीं होती है।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

3498. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:
श्री पूर्णमासी राम:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादकों के साथ बातचीत में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या जीवन के अन्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त की;

(ख) यदि हां, तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने/मिटाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार के संबंध में संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) संसद सदस्यों के प्रत्येक पत्र पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा तथा सरकार के पास कार्रवाई/उत्तर के लिए लंबित शिकायतों की संख्या कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) भ्रष्टाचार से लड़ने तथा सरकार की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) भंडाफोड़ करने वालों से संबंधित संकल्प, 2004 का जारी किया जाना;

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;

(iii) सतर्कता पर, वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से मंत्रालय/विभाग की निवारक उपाय के रूप में पूर्व सक्रिय भागीदारी;

(iv) निविदा और संविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा व्यापक अनुदेश जारी करना;

(v) मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता अंगीकार करने के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा संगठनों को अनुदेश जारी करना। राज्य सरकारों को सलाह देते हुए मुख्य प्रापणों में सत्यनिष्ठा समझौता स्वीकार करने के लिए दिनांक 16.06.2009 को केन्द्र सरकार ने इसी तरह के अनुदेश जारी कर दिए हैं;

(vi) ई-शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल करना;

(vii) नागरिक चार्टर जारी करना।

(viii) ऐसे उपायों पर विचार करने के लिए, जो सरकार द्वारा भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उठाए जा सकें, एक मंत्री समूह का गठन करना;

(ix) लोकसभा में लोकपाल विधेयक, 2011 का पुर:स्थापन;

(x) भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुसमर्थन;

(xi) विदेशी लोक अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों की घूसखोरी की रोकथाम विधेयक 2011 का लोकसभा में पुर:स्थापना;

(xii) न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक, 2010 का संसद में पुर:स्थापन;

(xiii) अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्र सरकार की अन्य समूह 'क' सेवाओं के सभी सदस्यों की वार्षिक अचल सम्पति विवरणियों को सार्वजनिक क्षेत्राधिकार में रखना।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियमावली में निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार; संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई, 15 दिनों में पावती भेजा जाना और तत्पश्चात 15 दिनों में उत्तर देना अपेक्षित है हालांकि सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार के संबंध में संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

लोगों को बुनियादी सुविधाएं

3499. श्री गोपाल सिंह शेखावत: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के आजादी के 6 दशक बाद भी राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों की बड़ी आजादी पयेजल, स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा और रोजगार से वंचित है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कोई ठोस कार्य योजना बनाने का इरादा रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) भारत सरकार राजस्थान सहित सभी राज्यों में वंचित आबादी को लाभान्वित करने के लिए क्रमश: पेयजल, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रकों को कवर करते हुए विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है ऐसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

(एनआरडीडब्ल्यूपी), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) एवं मध्याह्न भोजन (एमडीएम), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस)। इन कार्यक्रमों के लिए सभी राज्यों तथा राजस्थान को वर्ष 2010-11 के लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2010-11 के दौरान सभी राज्यों की तुलना में राजस्थान को 5 फ्लैगशिप कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी निधियां

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	राजस्थान	सभी राज्य
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	1099.49	8941.82
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	964.38	14184.73
3.	सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)	1461.82	19605.57
4.	मध्याह्न भोजन (एमडीएम)	461.09	8846.32
5.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	2788.82	35793.00

नई गरीबी रेखा पर असहमति

3500. श्री गणेश सिंह:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री अब्दुल रहमान:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट आई है, क्या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने नई गरीबी रेखा के लिए लाई गई योजना पैनल पर असहमति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसमें रिपोर्ट किए गए मामले का तथ्य क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 किलो कैलोरी को घटाकर 1800 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने का प्रस्ताव कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने गरीबों की जनसंख्या के निर्धारण के आधार के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी हां। सलाहकार परिषद के कुछ सदस्यों ने योजना आयोग द्वारा तेंदुलकर समिति की पद्धति के आधार पर अनुमानित गरीबी रेखा, जिसमें वर्ष 2004-05 में भारत की 37% जनसंख्या को गरीबों की श्रेणी में रखा गया है, के संबंध में शंका प्रकट की है।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा की परिभाषा परम्परागत रूप से प्रतिव्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (एमपीसीई) के मापदंड के आधार पर की गई है। योजना आयोग द्वारा गरीबी के अनुमान की पद्धति की समीक्षा समय-समय पर की गई है।

योजना आयोग ने वर्ष 1977 में "न्यूनतम आवश्यकताओं का अनुमान तथा प्रभावी उपभोग मांग" संबंधी कार्यदल (ऑलघ समिति) का गठन किया जिसने 1972-74 के मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय स्तर के अनुसार गरीबी रेखा निर्धारित की थी। ये गरीबी रेखाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कि. कैलोरी दैनिक आवश्यकता तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कि. कैलोरी प्रतिव्यक्ति दैनिक आवश्यकता के मापदंड के आधार पर प्रदान की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की बास्केट के अनुरूप हैं, सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू थी। तत्पश्चात् वर्ष 1989 में गठित "गरीबों के अनुपात तथा संख्या के अनुमान" संबंधी विशेषज्ञ समूह (लाकड़ावाला

समिति) ने अलध समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखाओं को जारी रखा और अंतर्राज्यीय मूल्य अंतराल को परिलक्षित करने के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं को राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा में विभाजित कर दिया।

तेंदुलकर समिति जिसने अपने रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की थी, ने प्रारंभिक बिन्दु के रूप में लाकड़ावाला पद्धति का अनुसरण करते हुए वर्ष 2004-05 में शहरी प्रतिव्यक्ति अनुपात 25.7% माना है। इस अनुपात के प्रत्युत्तर में एमपीसीई पर आधारित मिश्रित रिकॉल अवधि (एमआरपी) को शहरी क्षेत्रों में नई संदर्भ गरीबी रेखा बास्केट के रूप में प्रयोग किया और सिफारिश की कि ग्रामीण गरीबी रेखा को पुनःपरिकलित किया जाए जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उसी पीएलबी की मनी वैल्यू को परिलक्षित किया जा सके। तेंदुलकर समिति की पद्धति के आधार पर, अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा की गणना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह 446.68 रुपये प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति माह 578. 80 रुपए प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर की गई। तेंदुलकर समिति ने नियामक तथा पोषणकारी दृष्टिकोण से व्यय की पर्याप्तता को शामिल किया गया है। यह कहा गया है कि:

"केलोरी मानदंडों से दूर हटते हुए प्रस्तावित गरीबी रेखाओं को खाद्य, शिक्षा और स्वास्थ्य पर गरीबी रेखाओं के निकस्थ रहते हुए प्रति व्यक्ति वास्तविक निजी व्यय की पर्याप्तता की जांच करके उसकी पौषणिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य परिणामों के अनुरूप नियामक व्ययों के साथ तुलना कर वैद्य किया गया है"

समिति ने नोट किया है कि यद्यपि शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निकट वे लोग जो प्रतिदिन 2100 प्रतिव्यक्ति मूल कैलोरी मापदण्ड को पूरा कर रहे हैं, उनकी एनएसएस के 61वें दौर (2004-05) दौर अवलोकन की गई वास्तविक कैलोरी इनटेक 1796 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निकट अवलोकन की गई वास्तविक कैलोरी इनटेक 1999 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है।

(ङ) और (च) भारत संघ बनाम पीयूसीएल के मामले में सिविल रिट याचिका सं. 196/2001 की सुनवाई करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या योजना आयोग ने बीपीएल सहायता के लिए समान गरीबी अनुपात के रूप में 37.2% की सीमा निर्धारित की है, और अभी भी बीपीएल की मात्रा को निर्धारित करने के लिए 1999 के आंकड़ों का अनुसरण कर रहा है और शहरी क्षेत्रों में 20 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 11 रुपए गरीबी मापदंड के रूप में निर्धारित किए हैं। योजना आयोग ने मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब में उच्चतम न्यायालय में विस्तृत शपथपत्र दाखिल किया है।

योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए 37.2 प्रतिशत की एक समान सीमा निर्धारित नहीं की है। यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणस संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए परिवार उपभोग व्यय, को कीमतों मं अंतर की वजह से राज्य दर राज्य विभिन्न होता है, संबंधी वृहत प्रतदर्श सर्वेक्षणों के आधार पर प्रत्येक पांच वर्ष में गरीबी रेखा का अनुमान लगाता है। परिणामी गरीबी प्रतिशत भी राज्य भिन्न होते हैं। वर्ष 1993-94 के बाद, योजना आयोग ने वर्ष 2004-05 के लिए गरीबी अनुपात का अनुमान लगाया है। वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण का अगला दौर वर्ष 2009-10 में आयोजित किया गया है। योजना आयोग परिवार उपभोग व्यय संबंधी वर्ष 2009-10 के आंकड़ों, जो अब उपलब्ध हैं, के आधार पर तेंदुलकर पद्धति के अनुसार मूल्य स्तर में बदलावों को ध्यान में रखते हुए संशोधित गरीबी रेखा का अनुमान लगा रहा है।

योजना आयोग मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित करता है और तेंदुलकर समिति की कार्यपद्धति के अनुसार वर्ष 2004-05 की कीमतों पर शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा 578.80 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 446.68 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय पर अनुमानित की गई है। दैनिक आधार पर यह 2004-05 की कीमतों पर शहरी क्षेत्रों के लिए 20 रुपए प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 15 रुपए प्रतिदिन की प्रतिव्यक्ति खपत को दर्शाता है। वर्ष 2004-05 से कीमतों में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए इन्हें अद्यतन किए जाने के बाद यह राशियां काफी अधिक होंगी। अखिल भारत स्तर पर शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआईडब्ल्यू) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि मजदूरों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) को प्रयुक्त करते हुए मूल्य वृद्धि लागू करने पर जून, 2011 मूल्य स्तर पर गरीबी रेखा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 965 रुपए एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 781 रुपए आती है। 5 व्यक्तियों के परिवार हेतु यह गरीबी रेखा जून 2011 मूल्य स्तर पर शहरी क्षेत्रों में प्रतिमाह रुपए 4,824/- एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह रुपए 3,905/- होगी।

मलेशिया में कामगारों के साथ दुर्व्यवहार

3501. श्री जगदीश शर्मा:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार झारखंड/बिहार से 17 श्रमिकों के साथ मलेशिया में उनके नियोक्ता मेसर्स जे.एम. पावर कार्पोरेशन द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) मलेशिया की कम्पनी मेसर्स जे.एम. पावर कान्सट्रक्शन (एम)एसडीएन. बीएचडी., द्वारा दिनांक 28.11.2009 से 3 वर्ष की अवधि के लिए नियोजित झारखंड राज्य के सत्रह भारतीय नागरिकों ने दिनांक 22.06.2011 को क्वालालम्पुर स्थित भारतीय उच्चायोग को यह शिकायत की, कि जनवरी, 2011 से उन्हें उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। चूंकि कामगारों ने अपनी नौकरी छोड़ी दी थी, इसलिए उच्चायोग द्वारा उनके भोजन और आवास तथा देश-प्रत्यावर्तन के लिए प्रबंध किए गए।

(ग) भारतीय उच्चायोग ने उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- उच्चायोग ने तुरन्त (23.06.2011 को) नियोक्ता को मिशन परिसर में बुलाया और संबंधित भारतीय नागरिकों की उपस्थिति में मामले पर बातचीत की। नियोक्ता ने सभी देय राशि का भुगतान करने पर सहमति जताई।

- मिशन की कोशिशें से, कम्पनी द्वारा जनवरी और फरवरी माह के वेतनों का भुगतान किया गया। किन्तु कम्पनी ने अभी तक मार्च से आगे के वेतनों का भुगतान नहीं किया है, यद्यपि उसने ऐसा करने पर सहमति जताई थी।

- चूंकि संबंधित भारतीय कामगारों ने कम्पनी के साथ काम करने से इंकार कर दिया, इसलिए उच्चायोग ने उनके नियोक्ता से उनके पासपोर्ट वापस ले लिए और उन्हें अपने पास रख लिया। कामगारों को भारतीय उच्चायोग द्वारा प्रबंधित आश्रय-सह-परामर्श केन्द्र पर नि:शुल्क भोजन और आवास की सुविधा दी जा रही है। तब से 16.08.2011 को सभी सत्रह कामगारों को भारत वापस भेज दिया गया है।

- उच्चायोग ने मलेशियाई प्राधिकरणों (डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ऑफ मलेशिया और दि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ मलेशिया) का ध्यान कम्पनी द्वारा संविदा की शर्तों को पूरा न करने की और आकर्षित किया है और उनसे मामले को शांतिपूर्वक निपटाने अर्थात् देय राशि का भुगतान व देश-प्रत्यावर्तन की औपचारिकताओं को पूरा करने, के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। इसने इन मामले के संबंध में डारेक्टर जनरल ऑफ लेबर ऑफ मलेशिया के साथ एक बैठक करने की मांग भी की।

मिशन ने समस्या का समाधान करने के लिए सहायता करने हेतु, हैदराबाद स्थित संबंधित भारतीय एजेंट मै. रज्जाक एनटरप्राईसेस से भी सम्पर्क किया। एजें, मलेशिया जाने और नियोक्ता को, देय राशि का भुगतान करने और पूरी प्रस्थान औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए, मानने के लिए सहमत हो गया है।

[अनुवाद]

फरीदाबाद में एयर एंबुलैंस की दुर्घटना

3502. श्री उदय सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 25 मई, 2011 को फरीदाबाद में हुई एयर एंबुलेंस दुर्घटना मामले, जिसमें दस लोग मारे गए, की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) विमान नियम, 1937 के नियम 74 के तहत नियुक्त जांच समिति द्वारा दुर्घटना की जांच की जा रही है।

(घ) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा विभिन्न दुर्घटना निवारण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें संरक्षा ऑडिट, सर्विलांस निरीक्षण, संरक्षा सूचना का प्रचार-प्रसार, विमान संरक्षा परिपत्र/नागर विमानन अपेक्षाएं जारी करना, विमानन संरक्षा बोर्ड की स्थापना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के प्रयोजन से संबंधित एजेंसियों द्वारा विमान दुर्घटनाओं की जांच में की गई संरक्षा संबंधी सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जाता है।

विद्यालयों द्वारा वार्षिक रिटर्न

3503. श्री पूर्णमासी राम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में बिना वित्तपोषित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक अपना वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो उपनिदेशक, शिक्षा द्वारा उनकी संवीक्षा के बाद पायी गयी कमियों का ब्यौरा सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान समय पर वार्षिक रिटर्नस प्रस्तुत करने वाले विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपना वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है तथा ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान दिल्ली के क्रमश: 791, 959 एवं 844 स्कूलों ने अपना वार्षिक रिटर्नस प्रस्तुत किया है। इन रिटर्नस की लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

(घ) संबंधित उप शिक्षा निदेशक द्वारा क्रमश: वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान 64, 106 एवं 283 स्कूलों को वार्षिक रिटर्नस प्रस्तुत न करने के कारण, कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

[अनुवाद]

विमान सेवाओं को बंद करना

3504. श्री सज्जन वर्मा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस क्षेत्र में भारी यात्रियों की संख्या के बावजूद गो एयर द्वारा इंदौर और दिल्ली एवं इंदौर और मुंबई के बीच दैनिक विमान सेवा को बंद करने के क्या कारण हैं;

(ख) जिस महीने एयर इंडिया की सेवाएं बंद की गई, उस महीने कितने यात्रियों ने यात्रा की;

(ग) क्या अन्य एयरलाइनों को लाभ देने के लिए यह किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मार्ग पर एयर सेवा पुन: शुरू करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए तथा इस प्रयोग के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) गो एयर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गो एयर ने 01 सितंबर, 2010 से मुंबई-इंदौर-मुंबई सेक्टर पर हवाई सेवाएं बंद कर दी है। अगस्त, 2010 माह के दौरान उनका यात्री लोड फैक्टर मुंबई-इंदौर मार्ग पर 40% और इंदौर-मुंबई मार्ग पर 55% था। गो एयर द्वारा दिल्ली-इंदौर-दिल्ली मार्ग पर हवाई सेवाएं 15 दिसंबर, 2010 से हटा ली गई। दिसंबर 2010 माह के दौरान उनका यात्री लोड फैक्टर दिल्ली-इंदौर मार्ग पर 64% और इंदौर मार्ग पर 64% इंदौर-दिल्ली मार्ग पर 67% था।

(ङ) इस समय दिल्ली-इंदौर-दिल्ली और मुंबई-इंदौर-मुंबई मार्गों पर उपलब्ध अनुसूचित हवाई सेवाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

दिल्ली-इंदौर-दिल्ली	
जेट एयरवेज	प्रतिदिन
जेटलाइट	प्रतिदिन दो बार
इंडिगो	प्रतिदिन
मुंबई-इंदौर-मुंबई	
एअर इंडिया	प्रतिदिन
जेट एयरवेज	प्रतिदिन
जेट लाइट	प्रतिदिन दो बार
किंगफिशर	प्रतिदिन

घरेलू सेक्टर में प्रचालनों पर से विनियमन हटा लिया गया है और उड़ानों का प्रचालन संबंधित एयरलाइनों द्वारा मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत देश के

विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं मुहैया कराना एयरलाइनों पर निर्भर करता है।

नागर विमान का स्तर

3505. श्री प्रेम दासः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) द्वारा नागर विमानन के स्तर को बनाए रखने के लिए भारत के साथ कुछ अन्य एशियाई तथा कांटिनेंटल देशों की श्रेणी-I में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रैंकिंग के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं कि भारत खिसक कर श्रेणी-II में न चला जाए?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) की उनके अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन (आईएएसए) कार्यक्रम के अंतर्गत श्रेणी-1 और श्रेणी-2 की रेटिंग प्राप्त देशों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। किसी विदेशी एयरलाइन को संयुक्त राज्य अमरीका में अनुमति देने से पहले अमरीकी विधान द्वारा समर्थित अमरीका का एफएए संबंधित देश के नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)/नागर विमानन प्राधिकरण (सीएए) की संरक्षा का प्रमाणन मुहैया कराने और अपने अंतर्राष्ट्रीय विमान वाहकों पर निरन्तर निगरानी की क्षमता की सुनिश्चित करने के लिए उनका ऑडिट करता है।

(ग) एफएए द्वारा मार्च, 2009 में भारत के डीजीसीए के ऑडिट में 19 अभिमत दिए गए जो मुख्यत: इन क्षेत्रों में थे (i) डीजीसीए में योग्यता प्राप्त तकनीकी कार्मिकों की उपलब्धता; (ii) कार्मिकों के लिए तकनीकी दिशानिर्देश; (iii) निरन्तर निगरानी बाध्यताएं और (iv) संरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान। डीजीसीए से इन कमियों में सुधार किया जाना अपेक्षित था। भारत के पास 1997 से श्रेणी 1 रेटिंग है। इन क्षेत्रों में सुधार की कार्रवाईयां की गई। (i) प्राथमिक विमानन विधान; (ii) विनिर्दिष्ट प्रचालनिक विनियम; (iii) नागर विमानन प्रणाली और सुरक्षा निगरानी क्रियाकलाप; (iv) तकनीकी स्टाफ की योग्यता और प्रशिक्षण; (v) क्रियाविधियों और तकनीकी दिशानिर्देश) (vi) लाइसेंस प्रक्रिया और प्रमाणन संबंधी बाध्यताएं; (vii) निगरानी संबंधी बाध्यताएं और (viii) संरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान। एफएए द्वारा डीजीसीए द्वारा की गई कार्रवाईयों की जुलाई, 2010 में पुन: समीक्षा की गई और इसके निष्कर्षों के आधार पर, एफएए ने पुष्टि की है कि भारत श्रेणी 1 में बना रहेगा।

विवरण

11.04.2011 *एफएए फ्लाइट स्टैण्डर्ड सर्विस*
मिलर: आर79 *अंतर्राष्ट्रीय विमान संरक्षा मूल्यांकन (आईएएसए) कार्यक्रम*

देश	श्रेणी
1	2
अर्जेंटीना	1
अरूबा	1
ऑस्ट्रेलिया	1
ऑस्ट्रिया	1
बहामास	1
बांग्लादेश	2
बारबाडोस	2*
बेल्जियम	1
बेलाइज	2
बरमुडा	1
बोलीबिया	1
ब्राजील	1
ब्रूनी दर ए सलाम	1
बल्गारिया	1
कनाडा	1

1	2
केए वर्दे	1
केमैन आइलैण्ड	1
जोरडन	1
किरीबति	2*
कुवैत	1
लक्जेपबर्ग	1
मार्शल आइलैंड्स	1
माल्टा	1
मलेशिया	1
मैक्सिको	1
मोरक्को	1
नौरू	2
नीदरलैण्डस	1
नीदरलैण्ड्स एटीलीजः कुराकाऊ, सेटे मार्टिन, बोनएयर, सबा, सेंट यूस्टेरियम	1
न्यूजीलैण्ड	1
निकारागुआ	2*
नाइजीरिया	1
नॉर्वे	1
ओमान	1
चिली	1
चीन	1
कोलम्बिया	1
कोस्टा रिका	1
कोटे डी आवोएर	2

1	2
क्रोएशिय	1
चैक रिपब्लिक	1
कांगो डेमोक्रेरिक रिपब्लिक (पूर्ववर्ती जाएरे)	2*
डेनमार्क	1
डोमीनिकन रिपब्लिक	1
इक्वेडोंर	1
इजिप्ट	1
अल सल्वाडोर	1
इथोपिया	1
फिनलैंड	1
पूर्वी केरिबियन राज्यों का संगठन-पूर्वी कैरेबियन सिविल एविएशन एथोरिटी के सदस्यः एंटीगुआ एण्ड बारबुडा, डेमिनिका, ग्रेनाडा सेटे लूसिया, सेंट विसेंट और द ग्रेनेडाइन्स, सेंट किट्स और नेविस	1
पाकिस्तान	1
पनामा	1
पराग्वे	2*
पेरू	1
फिलीपीन	2
पोलैंड	1
पुर्तगाल	1
कतर	1
रोमानयिा	1

1	2
रूस	1
समोआ	1
सऊदी अरब	1
सर्विया और मोंटेनेग्रो (पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया गणराज्य)	2
सिंगापुर	1
फ्रांस	1
–गुवाडेलोपे	
–फ्रैंच पोलीनेसिया	
फिजी	1
जांबिया	2*
जर्मनी	1
घाना	2
ग्रीस	1
ग्वाटेमाला	1
गुएना	2
हैती	2*
होंडूरास	2*
हांगकांग	1
हंगरी	1
आयरलैण्ड	1
आसरलैण्ड	1
भारत	1
इंडोनेशिया	2
इस्राइल	2
दक्षिणी अफ्रीका	1
दक्षिणी कोरिया गणराज्य	1

1	2
स्पेन	1
सूरीनाम	1
स्वाजीलैण्ड	2*
स्वीडन	1
स्विट्जरलैण्ड	1
ताइवान	1
थाइलैण्ड	1
त्रिनिडाड एण्ड टौबेगो	1
टोंगा	1
टुर्की	1
यूक्रेन	2
संयुक्त अरब अमीरात	1
यूनाइटेड किंगडम	1
–एंगुइला	
–ब्रिटिश वर्जिन आइलैण्ड्स	
–मोंटेसेराट	
–टुर्क्स एण्ड कैकोस	
उरूग्वे	2*
उजबेकिस्तान	1
इटली	1
जमैका	1
जापान	1
बेनेजुएला	1
जिम्बाब्वे	2*

श्रेणी 1 – इकाओ के मानको को पूरा करती हैं।

श्रेणी 2 – इकाओ के मानकों को पूरा नहीं करती।

नोट–जो देश इस मूल्यांकन के समय अमरीका में सेवाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं, उनके लिए श्रेणी 2 निर्धारण के आगे "*" निशान लगाया जाएगा।

[अनुवाद]

भारत-पाक वार्ता

3506. श्री बलीराम जाधव:
श्री सज्जन वर्मा:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार पाकिस्तान के साथ हुई द्विपीक्षय वार्ता की संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा क्या है तथा क्रियान्वयन की क्या स्थिति है;

(ग) क्या सरकार पाकिस्तान से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों को गंभीरता से लेने का प्रस्ताव करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख)

2008

(i) व (ii) प्रधान मंत्री ने सार्क सम्मेलन के अवसर पर 2 अगस्त, 2008 को कोलंबों में तथा एशिया-यूरोप शीर्ष बैठक के अवसर पर 24 अक्तूबर, 2008 को बीजिंग में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की।

(iii) प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के अवसर पर 24 सितंबर, 2008 को न्यूयार्क में पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की।

(iv) विदेश मंत्री ने 20-21 मई, 2008 को पाकिस्तान की यात्रा की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री, श्री शाह महमूद कुरैशरी ने 27 जून, 2008 को तथा फिर 26-29 नवंबर, 2008 को नई दिल्ली की यात्रा की।

2009

(v) प्रधान मंत्री ने 16 जून, 2009 को येकातरीनबर्ग में आयोजित ब्राजील, रूस, भारत, चीन शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ-ब्रीक) के अवसर पर राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की।

(vi) प्रधान मंत्री ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक के अवसर पर 16 जुलाई, 2009 को शर्म-अल शेा में प्रधान मंत्री गिलानी से मुलाकात की।

(vii) विदेश मंत्री ने 26 जून, 2009 को त्रिस्टे (इटली) में आयोजित जी-8 आऊटरीच बैठक के अवसर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की।

(viii) विदेश मंत्री व विदेश सचिव ने सितंबर, 2009 के अंतिम सप्तह में न्यूयार्क में आयोजित यूएनजीए बैठक के अवसर पर अपने पाकिस्तानी समकक्षियों से मुलाकात की।

2010

(ix) भारत तथा पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तरीय वार्ता 25 फरवरी, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(x) प्रधान मंत्री ने अप्रैल, 2010 में भूटान में आयोजित सार्क सम्मेलन के अवसर पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से मुलाकात की।

(xi) विदेश सचिव ने 15 जुलाई, 2010 को विदेश मंत्री की इस्लामाबाद यात्रा की तैयारियों के लिए 24 जून, 21010 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश सचिव से विचार-विमर्श किया।

(xii) विदेश मंत्री ने 15 जुलाई, 2010 को इस्लामाबाद की यात्रा की।

2011

(xiii) भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता 6 फरवरी, 2011 को थिंपु में आयोजित की गयी।

(xiv) भारत और पाकिस्तान के बीच गृह सचिव/आंतरिक सचिव स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में 28-29 मार्च, 2011 को आयोजित की गयी।

(xv) भारत-पाकिस्तान की वाणिज्य सचिव स्तरीय वार्ता का पांचवां दौर इस्लामाबाद में 27-28 अप्रैल, 2011 को आयोजित किया गया।

(xvi) तुलबुल नेविगेशन परियोजना/वुल्लर बैराज पर विचार-विमर्श के लिए 12-13 मई, 2011 को इस्लामाबाद में जल सचिव स्तरीय वार्ता आयोजित की गयी।

(xvii) सर क्रीक पर अपर सचिव/महासर्वेक्षण स्तरीय वार्ता इस्लामाबाद में 20-21 मई, 2011 का आयोजित की गयी।

(xviii) सियाचीन पर रखा सचिव स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में 30-31 मई, 2011 को आयोजित की गयी।

(xix) इस्लामाबाद में 23-24 जून, 2011 को विदेश सचिव स्तर की वार्ता आयोजित की गयी थी।

(xx) और (xxi) विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में 27 जुलाई, 2011 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इसके पहले 26 जुलाई, 2011 को विदेश सचिव स्तर की वार्ता आयोजित की गयी थी।

(ग) एवं (घ) भारत ने सर्वोच्च स्तर सहित निरंतर जोर दिया है कि पाकिस्तान के लिए अपने नेतृत्व द्वारा भारत के खिलाफ आतंकवाद के समर्थन के लिए अपने नियंत्रणाधीन भूक्षेत्र के उपयोग की अनुमति न दिए जाने की वचनबद्धता को पूरा करना जरूरी है। 27 जुलाई, 2011 को पाकिस्तान की विदेश मंत्री के साथ हुई विदेश मंत्री की बैठक के दौरान मंत्रियों में सहमति हुई कि आतंकवाद शांति और सुरक्षा के लिए निरंतर खतरा बना हुआ है और इस संकट से इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में लड़ने और इसे समाप्त करने की दृढ़ और अतनुकृत वचनबद्धता को दोहराया और इस संबंध में आतंक अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को कानून के कटघरे में लाने के लिए आतंकवाद-निरोध पर सहयोग को मजबूत किए जाने की जरूरत पर सहमत हुए।

आश्रितों को रोजगार

3507. **श्री बंस गोपाल चौधरी:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त मंत्रालय और ईस्ट कोलफील्ड्स लिमिटेड के लापता कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के लिए कोई अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनुरोधों पर विचार किया है/विचार करने का प्रस्ताव करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने की कब तक संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ङ) श्री बंस गोपाल चौधरी, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) से एक अभ्यावेदन ईस्टर्न कोलफील्ड्स को प्राप्त हुआ था, जिसमें गुमशुदा कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। इस अनुरोध की जांच भारतीय अपर सॉलिसिटर जनरल के परामर्श से कंपनी की नीति और राष्ट्रीय कोयला वेतन करार (एनसीडब्ल्यूए) के प्रावधानों के सदर्भ में की गई थी। इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि एनसीडब्ल्यूए में गुमशुदा कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

मोबाइल कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

3508. **श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में मोबाइल कनेक्शन प्रदान करने हेतु कोई प्रतीक्षा सूची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मांग के आधार पर ग्राहकों को मोबाइल कनेक्शन का प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समावेशी आर्थिक वृद्धि

3509. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने समावेशी आर्थिक वृद्धि के लिए नए अनुसंधान को सुगम बनाने के लिए एक बिलियन डालर निधि का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख तक क्रियान्वयन की स्थिति क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) सार्वजनिक सूचना अवसंरचना और नवप्रवर्तन पर प्रधान मंत्री के सलाहकार श्री सेम पित्रोदा की अध्यक्षता में, प्रधान मंत्री द्वारा गठित किए गए राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिषद ने भारत में समावेशी आर्थिक विकास के लिए नवप्रवर्तन को सुगम बनाने हेतु एक बिलियन डालर का कोष सृजित करने का सुझाव दिया है। तथापि, इस आशय के औपचारिक प्रस्ताव को अभी तैयार करना और अंतिम रूप देना बाकी है।

(ख) और (ग) ब्यौरे का अभी तक निर्णय नहीं किया गया है। अत: कार्यान्वयन का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

करनपुरा कोलफील्ड विवाद

3510. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी करनपुरा कोलफील्ड पर कोयला और विद्युत मंत्रालय के बीच विवाद समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ग) राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा झारखंड राज्य में नार्थ करनपुरा कोलफील्ड के अत्यन्त संभावित कायेलाधारी क्षेत्र पर सुपर थर्मल पावर प्लांट (एसटीपीपी) की स्थापना करने के मुद्दे पर कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, एनटीपीसी और कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा चर्चा की गयी किन्तु कोई करार नहीं हो सका। एसटीपीपी के पुनर्स्थापना के मुद्दे को अब मंत्रियों के समूह (जीओएम) को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

डाकघरों के माध्यम से एमएनआरईजीएस का भुगतान

3511. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मनरेगा के अंतर्गत राज्य-वार मजदूरी के भुगतान हेतु डाकघरों में कितने खाते खोले गए; और

(ख) भारतीय डाक द्वारा इस बारे में राज्य-वार कितने लाभ मिले/मिलने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) मनरेगा के अंतर्गत डाकघरों के माध्यम से मजदूरी के भुगतान की योजना देश के 19 डाक सर्किलों (26 राज्यों एवं 5 संघ शासित क्षेत्रों) में प्रचालनात्मक है (दिल्ली, जम्मू व कश्मीर और तमिलनाडु (तमिलनाडु एवं पुडुचेरी) डाक सर्किलों को छोड़कर)।

सर्किल	शून्य-शेष खाते	बचत बैंक खाते	कुल
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	32,94,537	98,07,124	1,31,01,661
असम	13,01,924	5,26,661	18,28,585
बिहार	18,03,621	37,72,607	55,76,228
छत्तीसगढ़	31,91,844	2,86,209	34,78,053

1	2	3	4
गुजरात	17,75,570	2,52,053	20,27,623
हरियाणा	49,222	11,929	61,151
हिमाचल प्रदेश	63,844	15,072	78,916
झारखंड	18,12,829	15,04,839	33,17,668
कर्नाटक	2,98,607	13,43,189	16,41,796
केरल	1,89,731	0	1,89,731
मध्य प्रदेश	12,78,115	2,46,629	15,24,744
महाराष्ट्र	14,28,426	1,50,243	15,78,669
पूर्वोत्तर	41,7749	1,07,668	5,25,417
ओडिशा	16,16,262	15,279	16,31,541
पंजाब	2,02,261	70,651	2,72,912
राजस्थान	30,13,314	31,50,433	61,63,747
उत्तर प्रदेश	2,39,802	1,60,732	4,00,534
उत्तराखंड	1,34,199	87,611	2,21,810
पश्चिम बंगाल	51,30,858	4,44,879	55,75,737
कुल	2,72,42,715	2,19,53,808	4,91,96,523

(ख) मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान करने के लिए डाकघरों में 2,19,53,808 बचत बैंक खाते और 2,72,42,715 शून्य-शेष खाते खोले गए हैं। विभाग को चालू बचत खातों के लिए वित्त मंत्रालय से पारिश्रमिक मिलता है। वर्ष 2011-12 के लिए लागू दर 142.76 रुपये प्रति खाता प्रति वर्ष है। तथापि, शून्य-शेष खातों के लिए वित्त मंत्रालय कोई पारिश्रमिक नहीं दे रहा है।

बीएसएनएल निविदा

3512. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने रक्षा नेटवर्क के लिए टर्न- की आधार पर विशिष्ट ऑप्टिकल एनएलडी बैकबोन और ऑप्टिकल एक्सेस रूट्स के लिए ऑप्टिकल फाइबर की खरीद, आपूर्ति, खुदाई, बिछाने, स्थापित करने, परीक्षण और अनुरक्षण के लिए निविदा आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निविदा के मूल्यांकन के दौरान ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए विशिष्टताओं को बदल दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बोली को अंतिम रूप दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने फरवरी, 2010 में नेवी एक्सेस नेटवर्क (3000 किमी.) और अप्रैल, 2010 में आर्मी बैकबोन नेटवर्क (45000 किमी.) तथा आर्मी एक्सेस नेटवर्क (12000 किमी.) के लिए "रक्षा नेटवर्कों हेतु टर्न-की आधार पर, विशिष्ट ऑप्टिकल एनएलडी बैकबोन और ऑप्टिकल एक्सेस रूटों के निर्माण के लिए आप्टिकल फाइबर केबल एवं उपस्करों की प्राप्ति, आपूर्ति, खुदाई बिछाने, स्थापना, परीक्षण और रखरखाव" के लिए निविदा आमंत्रित की थी। जबकि ओएफसी की अनुमानित लागत 2000/- करोड़ रुपए थी वहीं विविदा में उल्लिखित लागत लगभग 7500 करोड़ रुपए रही।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, नहीं। ओ.एफ.सी. की अनुमानित लागत 2000 करोड़ रुपए की तुलना में निविदा में उल्लिखित लागत 7500 करोड़ रुपए हो जाने के कारण, बीएसएनएल ने बोली को अंतिम रूप नहीं दिया है।

[हिन्दी]

दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थिति

3513. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (डीसीई) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या डीसीई की वर्तमान स्थिति को दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बदल दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो नियत तारीख क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को डीसीई के छात्रों से अपने संस्थान की स्थिति के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. परन्देश्वरी): (क) से (ग) दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक पूर्व घटक था और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनुरक्षित था, को दिल्ली राजपत्र में 10 जुलाई 2009 को प्रकाशित दिल्ली राज्य विधानमंडल के अधिनियम 2009 का 6 के माध्यम से दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया गया था।

(घ) से (च) इस संस्थान की स्थिति के बारे में विभिन्न वर्गों से ज्ञापन प्राप्त हुए थे। चूंकि दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित किया गया गए राज्य विश्वविद्यालय है, अत: केन्द्र सरकार की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी है।

[अनुवाद]

नेपाल द्वारा निर्माण कार्य पर प्रतिबंध

3514. प्रो. रंजन प्रसाद यादव: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल द्वारा कोसी नदी पर एक पायलट चैनल के कार्य को रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) कोसी बराज के अधोगामी प्रवाह वाले क्षेत्र में मौजूदा प्राकृतिक चैनल को सक्रिय करने का कार्य, जो कि अप्रैल, 2011 में शुरू हुआ था, को स्थानीय लोगों के विरोध को ध्यान में रखते हुए नेपाली प्राधिकारियों द्वारा रोक दिया गया था।

(ग) इस मुद्दे पर जून, 2011 में भारत और नेपाल के अधिकारियों वाली कोसी उच्चस्तरीय समिति की विशेष बैठक में चर्चा की गयी थी। समिति ने संशोधित विस्तार क्षेत्र के साथ कार्य को पुन: शुरू करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें

3515. श्री अशोक अर्गल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने नागर विमान महानिदेशालय में किसी व्यक्ति(यों) की नियुक्ति हेतु कोई सिफारिश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी सिफारिश की गई है तथा इस बारे में क्या मानदण्ड नियत किए गए हैं;

(ग) क्या सिफारिश करने से पहले मंत्रालय से सुझाव मांगे गए थे;

(घ) यदि हां, तो मामला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सं.लो.से.आ. ने जिस व्यक्ति की सिफारिश की थी, मंत्रालय ने उक्त सिफारिशों के अनुसरण में उस व्यक्ति की नियुक्ति की; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) संबंधित भर्ती के आधार पर उपर्युक्त उम्मीदवारों के चयन के लिए इस मंत्रालय के अनुरोध पर, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने प्रचालन अधिकारी, वैमानिकी अधिकारी, सहायक प्रचालन निदेशक, उप निदेशक (विमान इंजीनियरिंग) और उड़ान प्रशिक्षण निदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशें दी हैं।

(ग) और (घ) यूपीएससी अपने खुद की चयन प्रणाली के आधार पर सिफारिशें करता है। तथापि, साक्षात्कार आयोजित करने से पहले, यूपीएसवी अन्य बातों के साथ-साथ साक्षात्कार के लिए आवेदनों की उपर्युक्तता की बाबत सुझाव मांगता है। मंत्रालय का प्रतिनिधि साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष केवल पद की आवश्यकताओं, सेवा शर्तों, कैरियर की संभावनाओं, संभावित नियुक्ति स्थलों आदि के बारे में बोर्ड को अवगत करने के लिए उपस्थिति होता है।

(ङ) और (च) किसी व्यक्ति को सिफारिशों के आधार पर नियुक्त करने से पहले, चरित्र और जीवन-वृत्त का सत्यापन कराना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त चिकित्सा बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच भी करानी पड़ती है। नियुक्ति प्रक्रिया की अनेक अवस्थाएं होती है।

राज्यों द्वारा प्राप्त किया गया आर्थिक विकास

3516. श्री कीर्ति आजाद: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में दर्ज की गई आर्थिक विकास दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उन राज्यों को प्रोत्साहन देने का विचार है जिन्होंने लक्षित आर्थिक विकास दर हासिल कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में राष्ट्रीय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मौजूदा प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थिर (2004-05) मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में विकास की दर द्वारा मापी गई विभिन्न राज्यों में दर्ज आर्थिक वृद्धि संलग्न विवरण-I पर दी गई है। चालू वर्ष (2011-12) हेतु जीएसडीपी के अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सरकार के पास वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 हेतु देश में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

विवरण-I

स्थिर (2004-05) मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर

(पिछल वर्ष की तुलना में विकास %)

क.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010.11
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5.02	5.79	9.22

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.88	14.39	एनए
3.	असम	6.82	8.08	7.38
4.	बिहार	14.70	9.30	14.15
5.	झारखंड	-2.05	5.30	6.01
6.	गोवा	9.45	13.03	एनए
7.	गुजरात	6.96	10.23	एनए
8.	हरियाणा	8.61	9.95	9.03
9.	हिमाचल प्रदेश	7.36	8.12	8.98
10.	जम्मू और कश्मीर	6.07	6.48	एनए
11.	कर्नाटक	6.13	3.88	8.00
12.	केरल	7.22	9.73	एनए
13.	मध्य प्रदेश	7.82	8.49	एनए
14.	छत्तीसगढ़	8.39	10.29	11.57
15.	महाराष्ट्र	8.36	8.08	10.47
16.	मणिपुर	6.56	7.63	6.16
17.	मेघालय	8.45	8.79	8.87
18.	मिजोरम	13.34	14.52	एनए
19.	नागालैंड	6.46	एनए	एनए
20.	ओडिशा	7.24	10.57	5.87
21.	पंजाब	6.34	7.57	7.21
22.	राजस्थान	7.09	4.30	9.69
23.	सिक्किम	16.39	31.87	8.94
24.	तमिलनाडु	4.89	9.43	11.74
25.	त्रिपुरा	5.53	5.62	5.71
26.	उत्तर प्रदेश	6.75	6.99	8.08

1	2	3	4	5
27.	उत्तराखंड	12.68	11.61	9.07
28.	पश्चिम बंगाल	4.94	8.44	एनए
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14.32	1.52	एनए
30.	चंडीगढ़	8.10	9.65	14.77
31.	दिल्ली	8.97	10.28	10.53
32.	पुडुचेरी	8.66	8.61	8.03
अखिल भारतीय जीडीपी (2004.05 आधार)		6.76	7.96	8.55

स्रोतः क्र.सं. 1-32 हेतु-संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय तथा अखिल भारत के लिए-केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

विवरण-II

02.08.2011 को वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	51025	60458
2.	अरुणाचल प्रदेश	51405	एन
3.	असम	27197	30413
4.	बिहार	16715	20069
5.	झारखंड	27132	29786
6.	गोवा	132719	एन
7.	गुजरात	63961	एन
8.	हरियाणा	78781	92327
9.	हिमाचल प्रदेश	50365	58493
10.	जम्मू और कश्मीर	30582	33056
11.	कर्नाटक	52097	59763
12.	केरल	59179	एन
13.	मध्य प्रदेश	27250	एन

1	2	3	4
14.	छत्तीसगढ़	38059	44097
15.	महाराष्ट्र	74027	83471
16.	मणिपुर	27332	29684
17.	मेघालय	43555	48383
18.	मिजोरम	45982	एन
19.	नागालैंड	एन	एन
20.	उड़ीसा	33226	36923
21.	पंजाब	60746	67473
22.	राजस्थान	34042	39967
23.	सिक्किम	68731	81159
24.	तमिलनाडु	63547	72993
25.	त्रिपुरा	35799	38493
26.	उत्तर प्रदेश	23395	26051
27.	उत्तराखंड	59584	68292
28.	पश्चिम बंगाल	41219	एन
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	74340	एन
30.	चंडीगढ़	118136	128634
31.	दिल्ली	116886	135814
32.	पुडुचेरी	88158	98719
अखिल भारत प्रति व्यक्ति एनएनआई (2004-05 आधार)		46492	54835

नोट-प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु प्रति व्यक्ति आय का माप है। अखिल भारत स्तर पर प्रति व्यक्ति आय को प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई) द्वारा मापा गया है।

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद

3517. श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और बिगड़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा के पार सैनिकों की बहुत अधिक घुसपैठ हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच विवाद को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ङ) चीन भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा संबंधी विवाद उठाता रहा है। भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में साझे तौर पर कोई चिह्नित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) नहीं है। समय-समय पर वास्तविक नियंत्रण रेखा की अवधारणा में मतभेदों के चलते ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है, जिसे टाला जा सकता था, यदि हमारे पास वास्तविक नियंत्रण रेखा की समान अवधारणा होती। सरकार नियमित रूप से सीमा कार्मिकों की बैठकों, ध्वज बैठकों तथा राजनयिक चैनलों सहित स्थापित तंत्रों के माध्यम से चीनी पक्ष के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास किसी प्रकार के अतिक्रमण का मामला उठाती रही है। दोनों ही देशों ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिक परिदृश्य में सीमा समाधान की रूपरेखा का पता लगाने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है। विशेष प्रतिनिधियों की अब तक चौहद बैठकें हो चुकी हैं। दोनों पक्षों ने कई अवसरों पर सीमा प्रश्न के अंतिम समाधान को लंबित रखते हुए भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास शांति एवं अमन-चैन बहाल करने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहरायी है। सरकार भारत की सुरक्षा से जुड़े सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए हैं और इसकी रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

[अनुवाद]

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा

3518. श्री वरुण गांधी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के बीच कोई अंतर है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा वर्ष 2004-05 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 44.68 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 578.80 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित की गई है।

योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा की परिभाषा परम्परागत रूप से प्रतिव्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (एमपीसीई) के मापदंड के आधार पर की गई है। योजना आयोग द्वारा गरीबी के अनुमान की पद्धति की समीक्षा समय-समय पर की गई है।

योजना आयोग ने वर्ष 1977 में "न्यूनतम आवश्यकताओं का अनुमान तथा प्रभावी उपभोग मांग" संबंधी कार्यदल (ऑलघ समिति) का गठन किया जिसने 1973-74 के मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय स्तर के अनुसार गरीबी रेखा निर्धारित की थी। ये गरीबी रेखाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कि. कैलोरी दैनिक आवश्यकता तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कि. कैलोरी प्रतिव्यक्ति दैनिक आवश्यकता के मापदंड के आधार पर प्रदान की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की बास्केट के अनुरूप हैं, सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू थी। तत्पश्चात् वर्ष 1989 में गठित "गरीबों के अनुपात तथा संख्या के अनुमान" संबंधी विशेषज्ञ समूह (लाकड़ावाला समिति) ने ऑलघ समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखाओं को जारी रखा और अंतर्राज्यीय मूल्य अंतराल को परिलक्षित करने के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं को राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा में विभाजित कर दिया।

तेंदुलकर समिति जिसने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की थी, ने प्रारम्भिक बिन्दु के रूप में लाकड़ावाला पद्धति का अनुसरण करते हुए वर्ष 2004-05 में शहरी प्रतिव्यक्ति अनुपात 25.7% माना है। इस अनुपात के प्रत्युत्तर में एमपीसीई पर आधारित मिश्रित रिकॉल अवधि (एमआरपी) को शहरी क्षेत्रों में नई संदर्भ गरीबी रेखा बास्केट के रूप में प्रयोग किया और सिफारिश की कि ग्रामीण गरीबी रेखा को पुनःपरिकलित किया जाए जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उसी पीएलबी की मनी वैल्यू को परिलक्षित किया जा सके।

शिकायत निवारण प्रणाली

3519 श्री दुष्यंत सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में शिकायत निवारण तंत्र अत्यंत खराब स्थिति में है और सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं में जवाबदेही का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सार्वजनिक सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार से अत्यधिक प्रभावित थे;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही निर्धारित करने के लिए विधान बनाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) देश में शिकायत निवारण तंत्र खराब स्थिति में नहीं है और सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं में जवाबदेही का अभाव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार "भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता" की इसकी नीति को कार्यान्वित करने के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय एवं वचनबद्ध है और पारदर्शिता तथा जवाबदेही में सुधार करके जीवन के सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए क्रमिक रूप से कदम उठा रही है। भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और सरकार के कार्यकरण को सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं इन कदमों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बनाना, सेवा प्रदायगी मानक और समय सीमा सहित नागरिक चार्टर संतुलित शिकायत निवारण तंत्र, ई-गवर्नेंस की शुरूआत एवं प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों का सरलीकरण, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा प्रक्रिया निविदा आमंत्रित करने और संविदा देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता पर व्यापक निर्देश जीर करना और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रमुख सरकारी अधिप्राप्ति कार्यकलापों में सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने के लिए निर्देश जारी करना शामिल है।

(ङ) सेवा का अधिकार संबंधी विधान सरकार के विचारधीन नहीं है। उपरोक्त (ग) और (घ) में प्रमाणित उपायों का उद्देश्य समयबद्ध ढंग से सेवाओं की प्रदायगी और सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही निर्धारित करना है।

प्रशिक्षक पायलट के कौशल स्तर

3520. श्री अम्बिका बनर्जी:
श्री अशोक अर्गल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशिक्षक पायलटों के उच्च कौशल के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विमान अधिनियम और नियमों में दी गई अपेक्षाओं के अलावा नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) द्वारा नागर विमानन अपेक्षा धारा 7 श्रृंखला "I" भाग "V" में चीफ फलाईंग इंस्ट्रक्टर (सीएफआई)/पायलट प्रशिक्षक प्रभारी (पीआईआई) की अतिरिक्त अपेक्षाओं को निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या डीजीसीए को नागर विमानन अपेक्षाएं जारी कर विमान अधिनियम और नियम में ऐसे बदलाव करने के लिए शक्ति प्राप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो किस अधिकार से डीजीसीए ने सीएफआई/पीआईआई की अतिरिक्त अपेक्षाएं निर्धारित की हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) वायुयान नियम, 1937 के नियम 133 क के अनुसार, भारत में पंजीकृत विमान अथवा भारत के भीतर या उसके उड़ान भरने वाले विमानों के प्रचालन, उपयोग, कब्जे, अनुरक्षण या दिक्चालन की बाबत नोटिस टू एयरमेंन (एनओटीएएमएस), वैमानिकी सूचना प्रकाशन, वैमानिकी सूचना परिपत्रों (एआईसी), विमान मालिकों और अनुरक्षण इंजीनियरों को नोटिस और नागर विमानन अपेक्षाओं के प्रचालन के जरिए विशेष निदेश जारी कर सकता है, जो वायुयान अधिनियम, 1934 या वायुयान नियम 1937 के विपरीत न हो। उड़ान प्रशिक्षण संबंधी कौशल उड़ान अनुदेशक की रेटिंग वाले पायलट के पर्यवेक्षण में अर्जित किया जाता है। तथापि, अनुदेशक पायलट का उच्चतर कौशल स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नागर विमानन अपेक्षाएं, सेक्शन 7, सीरीज आई, भाग V में मुख्य उड़ान अनुदेशक/प्रभारी उड़ान अनुदेशक की अतिरिक्त अपेक्षा निर्धारित की गई है। उड़ान अनुदेशक के विशेषाधिकारों का प्रख्यापन वायुयान नियम 1937 की अनुसूची-II, खण्ड आर में किया गया है। 1977 के परिपत्र 12 में, अनुमोदित प्रभारी अनुदेशक मुख्य उड़ान अनुदेशक की अनुपस्थिति में क्लब की फ्लाइंग संबंधी गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब के एक उड़ान अनुदेशक को प्राधिकार प्रदान किए जाने संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी

3521. श्री लक्ष्मण टुडु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की कमी है जिससे छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में ऐसे कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं और वे राज्य-वार कहां स्थित हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए/उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) दिनांक 1.08.2011 की स्थिति के अनुसार, सभी केन्द्रीय विद्यालयों (केवीएस) में 40,135 शिक्षकों की कुल संस्वीकृत संख्या में से 4,899 पद रिक्त पड़े थे। सेवानिवृत्त, त्यागपत्र, नए स्कूलों की संस्वीकृत इत्यादि के कारण ये रिक्तियां होती हैं और इन को भरने के लिए नई नियुक्ति करना, एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, संविदा आधार पर शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रावधान है ताकि छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(ग) और (घ) शिक्षकों की भर्ती, केन्द्रीय विद्यालय-वार नहीं की जाती है और भर्ती, केन्द्रीय विद्यालय संगठन में रिक्त पड़े संकलित पदों के विरूद्ध होती है। एक केन्द्रीय विद्यालय से अन्य केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षकों के स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति इत्यादि के कारण विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्तियां बदलती रहती हैं।

[अनुवाद]

नवी मुंबई में ग्रीन फील्ड विमानपत्तन

3522. श्री चंद्रकांत खैरे:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीं मुंबई में ग्रीन फील्ड विमानपत्तन के विकास की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या परियोजना के कार्यान्वयन में कोई विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस परियोजना के संबंध में प्राप्त की गई स्वीकृतियों और प्राप्त किये जाने हेतु शेष स्वीकृतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विमानपत्तन के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) भारत सरकार नवी मुंबई में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जुलाई 2007 में "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में महाराष्ट्र नगर एवं उद्योग विकास निगम लिमिटेड (सिडको) की नियुक्ति की है। सिडको ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अनेक गतिविधियां आरंभ की हैं जैसे पहाड़ियों की कटाई और भराई के जरिए भूमि विकास, ईएचवीटी लाइन की शिफ्टिंग, जल आपूर्ति, बिजली आदि प्रमोटर द्वारा पर्यावरण और विनियम क्षेत्र (सीआरजेड) संबंधी अनापत्तियों 22.11.2010 को प्राप्त की जा चुकी हैं। हवाई अड्डे के विकास के लिए भूमि की कुल आवश्यकता में से 66% (1333 हैक्टेयर) भूमि पहले से सिडको के कब्जे में है। प्रमोटर ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अन्य बोली दस्तावेज तैयार करने के लिए सलाहकार नियोजित किया है।

(ख) और (ग) जी हां। पर्यावरण संबंधी अनापत्ति, जिसके लिए आवेदन अगस्त, 2007 में दिया गया था, आवेदन के तीन वर्ष पश्चात् 22.11.2010 को प्रदान की गई। इस मामले में आगे प्रगति वन संबंधी अनापति और राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करती है।

(घ) अब तक हासिल की जा चुकी अनापत्तियों इस प्रकार हैं (i) नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी हैं; (ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से पर्यावरण और सीआ जैड की अनापति; (iii) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से अनापति प्रमाण पत्र। जो अनापत्तियां अभी हासिल की जानी हैं, वे हैं: (i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से वन संबंधी अनापत्ति; (ii) माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे की ओर से अनुमति।

(ङ) हवाई अड्डा परियोजनाओं के निर्माण के लिए समय-सीमा अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य अनापत्तियों की उपलब्धता, बोली प्रक्रिया के जरिए ग्राही का चयन और चुने हुए ग्राही द्वारा फाइनेंशियल क्लोजर आदि।

[हिन्दी]

पर्याप्त धनराशि का आबंटन

3523. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कहीं भी निर्माण कार्य की लागत मैदानी क्षेत्रों में स्थित राज्यों की तुलना में कई गुणी ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य में मौजूद कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर क्या सरकार का विचार योजनाओं के कार्यान्वयन सड़कों, भवनों और अन्य विकास निर्माण के लिए धनराशि का निर्धारण/आबंटन करने के लिए अलग से किसी बोर्ड, निकाय या केन्द्रीय एजेंसी का गठन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्य की लागत राज्य के मैदानी क्षेत्रों तथा मैदानी क्षेत्रों में स्थित अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है।

(ख) से (घ) हिमाचल प्रदेश को पहले ही विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त है। विशेष श्रेणी राज्यों की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, पहाड़ी भूभाग होते हैं और स्पष्ट रूप से भिन्न समाजार्थिक विकाससात्मक मानदण्ड होते हैं। इन राज्यों को अवसंरचना विकास करते समय भौगोलिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उपर्युक्त समस्याओं के मद्देनजर, केन्द्र सरकार विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90 प्रतिशत विशेष योजनागत सहायता अनुदान के रूप में और केवल 10 प्रतिशत ऋण के रूप में स्वीकृत करती है। विशेष श्रेणी राज्य होने के नाते, हिमाचल प्रदेश को विशेष योजनागत सहायता (परियोजनाओं से सम्बद्ध) 90:10 के अनुपात में आबंटित की जा रही है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) जो एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है, के तहत सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्र द्वारा 100% वित्तपोषण किया जाता है जबकि एआईबीपी और आरजीजीवीवाई जैसी अन्य केन्द्र प्रायोजित स्कीमों में 90:10 के अनुपात में वित्तपोषण किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) का लचीलापन, पैमाना और दक्षता को बढ़ाने के लिए इनको तर्कसंगत बनाने और पुनर्संरचना करने हेतु श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उप-समिति गठित की गई है। समिति के विचवारार्थ विषयों में *"राज्यों को, फ्लेक्सी फंड, जिसमें राज्य भी अंशदान करेंगे, से नई पहलों को आरंभ करने की छूट देने का विचार करना"* शामिल है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सहित राज्य सरकारों से पहले ही सुझाव आमंत्रित किए जा चुके हैं।

विमानपत्तनों का उन्नयन और विकास

3524. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थान-वार कुल कितने विमानपत्तन हैं;

(ख) क्या सरकार ने विमानपत्तनों के उन्नयन तथा विकास हेतु निधियां जारी की हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विमानपत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इन निधियों के दुरूपयोग के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) देश में हवाई अड्डे की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

भारत में हवाईअड्डों की सूची

क्र.सं.	हवाई अड्डा	राज्य	स्वामी
1	2	3	4
1.	आबू रोड	राजस्थान	एसजी
2.	आदमपुर	पंजाब	आईएएफ
3.	आदलाबाद	आंध्र प्रदेश	आईएएफ
4.	अगरतला (सिंगर बिल)	त्रिपुरा	एएआई
5.	आगाती	लक्षद्वीप आयसलैण्ड (यू.टी.)	एएआई
6.	आगरा (खेरिया)	उत्तर प्रदेश	आईएएफ
7.	अहमदाबाद (एसवीबीपीआई हवाईअड्डा)	गुजरात	एएआई
8.	एजवाल (लैंगपूई)	मिजोरम	एसजी
9.	अकबरपुर	उत्तर प्रदेश	एसजी
10.	आकोला	महाराष्ट्र	एएआई
11.	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	एसजी
12.	अलिन्या	अरुणाचल प्रदेश	आईएएफ
13.	इलाहाबाद (बमराउल्ली)	उत्तर प्रदेश	आईएएफ
14.	आलंग	अरुणाचल प्रदेश	एसजी
15.	अम्बाला	हरियाणा	आईएएफ
16.	अम्बारी	पश्चिमी बंगाल	पीवीटी
17.	अम्बिकापुर (दरिमा)	मध्य प्रदेश	एसजी
18.	आमला	मध्य प्रदेश	एसजी
19.	अम्मासांद्रा	कर्नाटक	पीवीटी
20.	अमरावती	महाराष्ट्र	एसजी
21.	अमृतसर (राजासांसी)	पंजाब	एएआई
22.	अरकोनाम	तमिलनाडु	नेवी

1	2	3	4
23.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	एएआई
24.	अवंतिपुर	जम्मू और कश्मीर	आईएएफ
25.	बागडोगरा (सिलीगुडी)	पश्चिम बंगाल	आईएएफ
26.	बक्शी का तालाब	उत्तर प्रदेश	आईएएफ
27.	बानर	राजस्थान	आईएएफ
28.	बनस्थली	राजस्थान	प्रा.
29.	बंगलौर (देवनहल्ली)	कर्नाटक	जेवी (प्रा./एएआई)
30.	बंगलौर (एचएएल)	कर्नाटक	एचएएल
31.	बंगलौर (आईआईएस)	कर्नाटक	प्रा.
32.	बंसवाड़ा (तिलवाड़ा)	राजस्थान	एसजी
33.	बारामती	महाराष्ट्र	एसजी
33.	बरेली	उत्तर प्रदेश	आईएएफ
35.	बैरकपुर	पश्चिम बंगाल	आईएएफ
36.	बसंत नगर	आंध्र प्रदेश	प्रा.
37.	ब्यास	पंजाब	प्रा.
38.	बेहाला	पश्चिम बंगाल	एएआई
39.	बेलगांव	कर्नाटक	आईएएफ
40.	बेल्लारी	कर्नाटक	आईएएफ
41.	बेतुल	मध्य प्रदेश	एसजी
42.	भागलपुर	बिहार	एसजी
43.	भटिंडा	पंजाब	आईएएफ
44.	भातपारा	पश्चिम बंगाल	प्रा.
45.	भावनगर	गुजरात	एएआई
46.	भिलाई	छत्तीसगढ़	प्रा.
47.	भीटा	बिहार	आईएएफ

1	2	3	4
48.	भिवानी	हरियाणा	एसजी
49.	भोपाल (राजा भोज, एयरपोर्ट)	मध्य प्रदेश	एएआई
50.	बीएचयू फ्लाइंग क्लब	उत्तर प्रदेश	बीएचयू
51.	भुवनेश्वर (बीजू पटनायक हवाईअड्डा)	उड़ीसा	एएआई
52.	भुज	गुजरात	आईएएफ
53.	बिदर	कर्नाटक	आईएएफ
54.	बीकानेर (एनएएल)	राजस्थान	आईएएफ
55.	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	एएआई
56.	बिरला ग्राम (नागडा)	मध्य प्रदेश	प्रा.
57.	बीरपुर	बिहार	एसजी
58.	बोगराजेंग	असम	प्रा.
59.	बोकारो	झारखंड	प्रा.
60.	बोरेंगाजुली	असम	प्रा.
61.	बरहार (शाहदोल)	मध्य प्रदेश	प्रा.
62.	बूरनपुर	पश्चिम बंगाल	प्रा.
63.	कालीकाट (कोझीकोड)	केरल	एएआई
64.	कार निकोबार	अंडमान द्वीप	आईएएफ
65.	छबुआ	असम	आईएएफ
66.	चंडीगढ़	संघ शासित क्षेत्र	आईएएफ
67.	चंद्रापुर	महाराष्ट्र	एसजी
68.	चैन्ने	तमिलनाडु	एएआई
69.	छंद बेट	गुजरात	एसजी
70.	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	एसजी
71.	चिल्लारी	केरल	प्रा.
72.	चिन्यासी सौर	उत्तराखंड	एसजी

1	2	3	4
73.	चोलवाराम	तमिलनाडु	आईएएफ
74.	चुशल	जम्मू और कश्मीर	आईएएफ
75.	कोचीन	केरल	नेवी
76.	कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. (सीआईएएल)	केरल	प्रा.
77.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	एएआई
78.	कूच बिहार	पश्चिम बंगाल	एएआई
79.	कडप्पा	आंध्र प्रदेश	एएआई
80.	कटक (चाबाटिया)	उड़ीसा	एआरसी
81.	डालटनगंज	बिहार	एसजी
82.	दमन	संघ शासित क्षेत्र	आईएएफ
83.	दामोहा	मध्य प्रदेश	प्रा.
84.	दपारिजो	अरुणाचल प्रदेश	आईएएफ
85.	दरभंगा	बिहार	आईएएफ
86.	दरंग	असम	आईएएफ
87.	दीसा (पालनपुर)	गुजरात	एएआई
88.	देहरादून (जोलीग्रांट)	उत्तरांचल	एएआई
89.	नई दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट (पालम)	दिल्ली	एएआई
90.	दिल्ली (सफदरजंग)	दिल्ली	एएआई
91.	देवघर	झारखंड	एसजी
92.	देवलाली	महाराष्ट्र	आईएएफ
93.	धनबाद	झारखंड	एसजी
94.	डिब्रूगढ़ (मोहनबाड़ी)	असम	एएआई
95.	दीमापुर (मणिपुर मार्ग)	नागालैंड	एएआई
96.	दिनजान	असम	आईएएफ
97.	दिव	संघ शासित क्षेत्र	यूटी

1	2	3	4
98.	दुमर डुल्लंग	असम	प्रा.
99.	दुर्ग	छत्तीसगढ़	एसजी
100.	इटावा	उत्तर प्रदेश	एसजी
101.	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	एसजी
102.	फिरोजपुर	पंजाब	आईएएफ
103.	फुरसतगंज	उत्तर प्रदेश	इग्रुआ
104.	गग्गल (कांगड़ा)	हिमाचल प्रदेश	एएआई
105.	गौचर	उत्तराखंड	एसजी
106.	गया	बिहार	एएआई
107.	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	एसजी
108.	गोवा (डबोलिंम)	गोवा	नेवी
109.	गोंदिया	महाराष्ट्र	एसजी
110.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	आईएएफ
111.	ग्रास्समोर	पश्चिम बंगाल	प्रा.
112.	गुना	मध्य प्रदेश	एसजी
113.	गुवाहाटी (एलजीबीआई एयरपोर्ट)	असम	एएआई
114.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	आईएएफ
115.	हडपसर (ग्लाइड्रोम)	महाराष्ट्र	एएआई
116.	हलवाड़ा	पंजाब	आईएएफ
117.	हमीरगढ़	राजस्थान	एसजी
118.	हरद्वार	उत्तराखंड	एसजी
119.	हाशीमारा	पश्चिम बंगाल	आईएएफ
120.	हिंडन	उत्तर प्रदेश	आईएएफ
121.	हीराकुंड	उड़ीसा	एसजी
122.	हिसार	हरियाणा	एसजी

1	2	3	4
123.	हुबली	कर्नाटक	एएआई
124.	हैदराबाद (बेगमपेट)	आंध्र प्रदेश	एएआई
125.	हैदराबाद (डिडीगुल)	आंध्र प्रदेश	एएआई
126.	हैदराबाद (हाकीमपेट)	आंध्र प्रदेश	आईएएफ
127.	हैदराबाद (शमशाबाद)	आंध्र प्रदेश	आईएएफ
128.	इंफाल (तुलीहाल)	मणिपुर	एएआई
129.	इंदौर	मध्य प्रदेश	एएआई
131.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	एएआई
132.	जगदलपुर	मध्य प्रदेश	एसजी
133.	जयपुर (सांगानेर)	राजस्थान	एएआई
134.	जैसलमेर	राजस्थान	आईएएफ
135.	जाकुर	कर्नाटक	एसजी
136.	जलगांव	महाराष्ट्र	एसजी
137	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	आईएएफ
138.	जामनगर	गुजरात	आईएएफ
139.	जमशेदपुर	झारखंड	प्रा.
140.	जशपुरनगर	मध्य प्रदेश	एसजी
141.	ज्वालापुर	पंजाब	प्रा.
142.	जयपोर	उड़ीसा	एसजी
143.	झबुआ (रणपेट)	मध्य प्रदेश	एसजी
144.	झांसी	उत्तर प्रदेश	एएआई
145.	झींगुरा	उत्तर प्रदेश	एसजी
146.	झुनझुनु	राजस्थान	एसजी
147.	जोधपुर	राजस्थान	आईएएफ
148.	जोराहाट	असम	आईएएफ

1	2	3	4
149.	जालंधर	पंजाब	आर्मी
150.	कादम्बिनी	पश्चिम बंगाल	प्रा.
151.	कैलाशहर	त्रिपुरा	एएआई
152.	कलाईकुंडा	पश्चिम बंगाल	आईएएफ
153.	कमलपुर	त्रिपुरा	एएआई
154.	कंचरपारा	पश्चिम बंगाल	आईएएफ
155.	कांडला	गुजरात	एएआई
156.	कान्हा	मध्य प्रदेश	एसजी
157.	कानपुर (कल्याणपुर)	उत्तर प्रदेश	प्रा.
158.	कानपुर (चकेरी)	उत्तर प्रदेश	आईएएफ
159.	कानपुर (सिविल)	उत्तर प्रदेश	एएआई
160.	कारद	महाराष्ट्र	एसजी
161.	कारगिल	जम्मू और कश्मीर	एएआई
162.	करनाल	हरियाणा	एसजी
163.	कसिया	उत्तर प्रदेश	एसजी
164.	क्यातर	तमिलनाडु	एसजी
165.	केशोद	गुजरात	एएआई
166.	खजुराहो	मध्य प्रदेश	एएआई
167.	खम्बालिया	गुजरात	आईएएफ
168.	किश्तवाड़	जम्मू और कश्मीर	आईएएफ
169.	कोहिनूर	पश्चिम बंगाल	प्रा.
170.	कोकराझार	असम	प्रा.
171.	कोलापानी	असम	प्रा.
172.	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	एएआई
173.	कोलकाता (एनएससीबीआई एयरपोर्ट)	पश्चिम बंगाल	एएआई

1	2	3	4
174.	कोटा	राजस्थान	एएआई
175.	कुदाल	महाराष्ट्र	प्रा.
176.	कुल्लू मनाली (भूंतर)	हिमाचल प्रदेश	एएआई
177.	कुरसेला	बिहार	प्रा.
178.	लक्खीपुर	असम	प्रा.
179.	ललितपुर	उत्तर प्रदेश	एएआई
180.	लातुर	महाराष्ट्र	एसजी
181.	लेह	जम्मू और कश्मीर	आईएएफ
182.	लोनावाला (अंबी वैली)	महाराष्ट्र	प्रा.
183.	लखनऊ (अमौसी)	उत्तर प्रदेश	एएआई
184.	लुधियाना	पंजाब	एएआई
185.	माकेबपुर	असम	प्रा.
186.	मदुरै	तमिलनाडु	एएआई
187.	मंगलौर (बाजपे)	कर्नाटक	एएआई
188.	मेचुका	अरुणाचल प्रदेश	आईएएफ
189.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	एसजी
190.	मिसा	असम	प्रा.
191.	मिठापुर (द्वारका)	गुजरात	प्रा.
192.	मुइरपुर (कोरबा)	उत्तर प्रदेश	प्रा.
193.	मुम्बई (सीएसआई एयरपोर्ट)	महाराष्ट्र	एएआई
194.	मुम्बई (जूहू)	महाराष्ट्र	एएआई
195.	मुंदरा	गुजरात	प्रा.
196.	मुजफ्फरपुर	बिहार	एएआई
197.	मैसूर (मंडाकैल्ली)	कर्नाटक	एएआई
198.	नादिरगुल	आंध्र प्रदेश	एएआई

1	2	3	4
199.	नागौर	राजस्थान	एसजी
200.	नागदा	मध्य प्रदेश	प्रा.
201.	नागपुर (सोनेगांव)	महाराष्ट्र	एएआई
202.	नैनी-सैनी	उत्तरांचल	एसजी
203.	नालिया	गुजरात	आईएएफ
204.	नांदेड	महाराष्ट्र	एसजी
205.	नारनौल	हरियाणा	एसजी
206.	नासिक रोड	महाराष्ट्र	आर्मी
207.	नीमच	मध्य प्रदेश	सीआरपीएफ
208.	न्यू लैंड्स	पश्चिम बंगाल	प्रा.
209.	न्यू तेली पाडा	पश्चिम बंगाल	प्रा.
210.	नेयवेली	तमिलनाडु	प्रा.
2011	पश्चिम लखीमपुर (लीलाबाड़ी)	असम	एएआई
212.	ओंदल	पश्चिम बंगाल	एसजी
213.	ओमनाबाद	महाराष्ट्र	एसजी
214.	ओझर	महाराष्ट्र	आईएएफ
215.	पचमार्ही	मध्य प्रदेश	एसजी
216.	पानागढ़	पश्चिम बंगाल	आईएएफ
217.	पांगा	पश्चिम बंगाल	प्रा.
218.	पन्नेरी	असम	प्रा.
219.	पंतनगर	उत्तरांचल	एएआई
220.	पठानकोट	पंजाब	आईएएफ
221.	पटियाला	पंजाब	एसजी
222.	पटना (जेपीएन एयरपोर्ट)	बिहार	एएआई
223.	फाफामऊ	उत्तर प्रदेश	आईएएफ

1	2	3	4
224.	पिलानी	राजस्थान	प्रा.
225.	पिंजोर	हरियाणा	एसजी
226.	पिर्थीगंज	उत्तर प्रदेश	एसजी
227.	पिथैरागढ़	उत्तरांचल	एसजी
228.	पांडीचेरी	उत्तरांचल	एसजी
229.	पूंछ	जम्मू और कश्मीर	आर्मी
230.	पोरबंदर	गुजरात	एएआई
231.	पोर्ट ब्लेयर (वीर सावरकर एयरपोर्ट)	अंडमान द्वीप	इंडियन रेवी
232.	प्रसादपुर (गंगा सागर)	पश्चिम बंगाल	प्रा.
233.	पुणे (लोहेगांव)	महाराष्ट्र	आईएएफ
234.	पूर्णिया	बिहार	आईएएफ
235.	रायगढ़ (सरिया)	छत्तीसगढ़	एसजी
236.	रायपुर (बैकुंठ)	छत्तीसगढ़	प्रा.
237.	रायपुर (माना)	छत्तीसगढ़	एएआई
238.	राजामुंदरी	आंध्र प्रदेश	एएआई
239.	राजहारा (धल्ली)	मध्य प्रदेश	प्रा.
240.	राजकोट	गुजरात	एएआई
241.	रजौरी	जम्मू और कश्मीर	आर्मी
242.	रामनाड	तमिलनाडु	इंडियन नेवी
243.	रामपुर हाट	पश्चिम बंगाल	आईएएफ
244.	रांची	झारखंड	एएआई
245.	रतनागिरी	महाराष्ट्र	एसजी
246.	रीवा	मध्य प्रदेश	एसजी
247.	राउरकेला	उड़ीसा	प्रा. (सेल)
248.	सहारनपुर (सारसवा)	उत्तर प्रदेश	आईएएफ

1	2	3	4
249.	सालावास	राजस्थान	आईएएफ
250.	सेलम	तमिलनाडु	आईएएफ
251.	सरानी	मध्य प्रदेश	एसजी
252.	सरदारनगर	उत्तर प्रदेश	प्रा.
253.	सौगांव	पश्चिम बंगाल	प्रा.
254.	सेदम	कर्नाटक	प्रा.
255.	शाहबाद	कर्नाटक	प्रा.
256.	शाहदोल	मध्य प्रदेश	एसजी
257.	शिलांग (बारापानी)	मेघालय	एएआई
258.	शिमला (जुब्बारहट्टी)	हिमाचल प्रदेश	एएआई
259.	शिवपुरी	मध्य प्रदेश	बीएसएफ
260.	शोलापुर	महाराष्ट्र	एएआई
261.	श्रावस्ती	उत्तर प्रदेश	एसजी
262.	सीधी	मध्य प्रदेश	एसजी
263.	सिल्चर (खुम्बीग्राम)	असम	आईएएफ
264.	सिंदरी	पश्चिम बंगाल	प्रा.
265.	सिरोही	राजस्थान	एसजी
266.	सिरसा	हरियाणा	आईएएफ
267.	सीतामनु	मध्य प्रदेश	एसजी
268.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	आईएएफ
269.	श्री सत्या साईं (प्राणसंथिनिलयम)	आंध्र प्रदेश	आईएएफ
270.	सुकेराटिंग(डम डमा)	महाराष्ट्र	आईएएफ
271.	सुल्तानपुर (अमहाई)	उत्तर प्रदेश	एसजी
272.	सूलुर	तमिलनाडु	आईएएफ
273.	सूरत (दमास)	गुजरात	एएआई

1	2	3	4
274.	सूरत गढ़	राजस्थान	आईएएफ
275.	तम्बारम	तमिलनाडु	आईएएफ
276.	तंजोर	तमिलनाडु	आईएएफ
277.	टेकनपुर	मध्य प्रदेश	बीएसएफ
278.	तेजपुर	महाराष्ट्र	आईएएफ
279.	तेजू	अरुणाचल प्रदेश	आईएएफ
280.	तिरूवंतपुरम	केरल	एएआई
281.	थोइजी	जम्मू और कश्मीर	आईएएफ
282.	तिरूचीरापल्ली (त्रिची)	तमिलनाडु	एएआई
283.	तिरूपति	आंध्र प्रदेश	एएआई
284.	तुरा	कर्नाटक	एसजी
285.	तूतीकोरीन (टुटकुडी)	तमिलनाडु	एएआई
286.	टुटिंग	अरुणाचल प्रदेश	आईएएफ
287.	उदयपुर	राजस्थान	एएआई
288.	उद्यमपुर	जम्मू और कश्मीर	आईएएफ
289.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	एसजी
290.	उतेरलयी	राजस्थान	आईएएफ
291.	उटकेला	उड़ीसा	एसजी
292.	उत्तरकाशी	उत्तरांचल	एसजी
293.	वडोदरा	गुजरात	एएआई
294.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	एएआई
295.	वेल्लौर	तमिलनाडु	एएआई
296.	विद्यानगर	कर्नाटक	प्रा.
297.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	एएआई
298.	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	नेवी

1	2	3	4
299.	वलुज	महाराष्ट्र	प्रा.
300.	वारंगल	आंध्र प्रदेश	एएआई
301.	यादगिरी	कर्नाटक	प्रा.
302.	येहलंका	कर्नाटक	आईएएफ
303.	यिंगहोंग	अरुणाचल प्रदेश	एसजी
304.	जेरो	अरूणाचल प्रदेश	एसजी
305.	अहमद नगर	महाराष्ट्र	आर्मी
306.	अखनूर	जम्मू और कश्मीर	आईएएफ
307.	अलेरू	आंध्र प्रदेश	एसजी
308.	अलवर	राजस्थान	एसजी
309.	आमर्दा रोड	उड़ीसा	आईएएफ
310.	अमरेली	गुजरात	एसजी
311.	अर्राह	बिहार	एसजी
312.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	एएआई
313.	बलूरघाट	पश्चिम बंगाल	एएआई
314.	बारबिल	उड़ीसा	एसजी
315.	बारीपाडा	उड़ीसा	प्रा.
316.	बेगूसराय	बिहार	एसजी
317.	बेहरामपुर	पश्चिम बंगाल	एसजी
318.	भबूआ	बिहार	एसजी
319.	भरतपुर	राजस्थान	एसजी
320.	भावी	राजस्थान	एसजी
3211.	बिहार शरीफ	बिहार	एसजी
322.	बिरासल	उड़ीसा	एसजी
323.	बिष्णुपुर	पश्चिम बंगाल	आईएएफ

1	2	3	4
324.	बोब्बिली	आंध्र प्रदेश	आईएएफ
325.	बूंदी	राजस्थान	एसजी
326.	बक्सर	बिहार	एसजी
327.	चाकुलिया	झारखंड	एएआई
328.	चयबासा	झारखंड	एसजी
329.	चाम्ब	जम्मू और कश्मीर	आईएएफ
330.	चपरा	पश्चिम बंगाल	आईएएफ
331.	छेला	गुजरात	आईएएफ
332.	चेतीनाड	तमिलनाडु	एसजी
333.	छपरा	बिहार	एसजी
334.	दबलान	पंजाब	प्रा.
335.	दालभुंदराह	बिहार	आईएएफ
336.	दरना कैंप	महाराष्ट्र	आईएएफ
337.	देहरी	बिहार	एसजी
338.	दाना	मध्य प्रदेश	एसजी
339.	धोलपुर	राजस्थान	एसजी
340.	धुबलिया	पश्चिम बंगाल	आईएएफ
341.	धुलिया	महाराष्ट्र	एसजी
342.	दिगड़ी	पश्चिम बंगाल	आईएएफ
343.	दोनाकोंडा	आंध्र प्रदेश	एएआई
344.	द्रांगधारा	गुजरात	एसजी
345.	दूधकुंडी	पश्चिम बंगाल	आईएएफ
346.	दुमका	झारखंड	एसजी
348.	इल्लोर	आंध्र प्रदेश	आईएएफ
349.	फलना रोड (पाली)	राजस्थान	एसजी

1	2	3	4
350.	फरीदकोट	पंजाब	एसजी
351.	फुकचे	जम्मू और कश्मीर	आईएएफ
352.	गदरा रोड	राजस्थान	एसजी
353.	गांधीनगर	मध्य प्रदेश	एसजी
354.	जिनिजीरा (होस्पेट)	कर्नाटक	एसजी
355.	गोनापुर	उड़ीसा	एसजी
356.	गोपालपुर	उड़ीसा	एसजी
357.	गुदरी	उड़ीसा	एसजी
358.	गुलबर्गा (ग्लिीडरोम)	कर्नाटक	एसजी
359.	गुरेक्स	जम्मू और कश्मीर	आईएएफ
360.	गुड़गांव	हरियाणा	आईएएफ
361.	गुस्खारा	पश्चिम बंगाल	आईएएफ
362.	हासन	कर्नाटक	एसजी
363.	हथवा	बिहार	आईएएफ
364.	हजारीबाग	बिहार	एसजी
365.	इम्फाल (कोरंजी)	मणिपुर	आईएएफ
366.	इसरडा	राजस्थान	एसजी
367.	जगतपुर	उत्तर प्रदेश	आईएएफ
368.	जथ	महाराष्ट्र	एसजी
369.	जवाई	राजस्थान	एसजी
370.	जहानाबाद	बिहार	एसजी
371.	झलावर (ब्रिजनगर)	राजस्थान	एसजी
372.	जहानगर	जम्मू और कश्मीर	आईएएफ
373.	झारसुगुडा	उड़ीसा	एएआई
374.	झिंगुरा	उत्तर प्रदेश	एसजी

1	2	3	4
375.	जोगबनी	बिहार	एएआई
376.	कल्याण	महाराष्ट्र	आईएएफ
377.	कारगिड	छत्तीसगढ़	आईएएफ
378.	कटिहार	बिहार	एसजी
379.	कवलपुर	महाराष्ट्र	एसजी
380.	क्योंझार	उड़ीसा	एसजी
381.	खंडपारा	उड़ीसा	एसजी
382.	खंडवा	मध्य प्रदेश	एएआई
383.	खड़गपुर	पश्चिम बंगाल	आईएएफ
384.	खरगौन	पश्चिम बंगाल	एसजी
385.	खवाड़ा	गुजरात	एसजी
386.	खेमकरण	पंजाब	आईएएफ
387.	खोवाई	त्रिपुरा	एएआई
388.	कोहिमा	नागालैंड	आईएएफ
389.	किशनगंज	बिहार	एसजी
390.	किशनगढ़	राजस्थान	एएआई
391.	कोलार	कर्नाटक	आईएएफ
392.	कोणार्क	उड़ीसा	एसजी
393.	लालगढ़	राजस्थान	एसजी
394.	लालपुर	मध्य प्रदेश	एसजी
395.	लीडो	असम	आईएएफ
396.	लिमड़ी	गुजरात	एसजी
397.	मधाईगंज	पश्चिम बंगाल	आईएएफ
398.	माधोसिंह	उत्तर प्रदेश	आईएएफ
399.	मधुबनी	बिहार	एसजी

1	2	3	4
400.	मालापुरा	राजस्थान	एसजी
401.	मालदा	पश्चिम बंगाल	एएआई
402.	मंतलाई	जम्मू और कश्मीर	पीवीटी
403.	मथनिया	राजस्थान	एसजी
404.	मेरता रोड	राजस्थान	एसजी
405.	मेहसाणा	गुजरात	एसजी
406.	मीरनसाहेब	जम्मू और कश्मीर	आईएएफ
407.	मीसामारी	असम	आईएएफ
408.	मोरवी	गुजरात	एसजी
409.	मोतिहारी	बिहार	एसजी
410.	मुंगेर	बिहार	एसजी
411.	मुज्जफरपुर	बिहार	एएआई
412.	नाभा	पंजाब	एसजी
413.	नागार्जुन सागर	आंध्र प्रदेश	एसजी
414.	नालगोंडा	आंध्र प्रदेश	एसजी
415.	नानकसर	पंजाब	एसजी
416.	नरिया	बिहार	एसजी
417.	नवापाड़ा	उड़ीसा	एसजी
418.	नजीरा	असम	आईएएफ
419.	नोगोंग	मध्य प्रदेश	एसजी
420.	पदमपुर	उड़ीसा	एसजी
421.	पलेल	मणिपुर	आईएएफ
422.	पंचनपुर	बिहार	आईएएफ
423.	पांडेश्वर	पश्चिम बंगाल	आईएएफ
424.	पंजगाम	जम्मू और कश्मीर	आईएएफ

1	2	3	4
425.	परसौली	गुजरात	एसजी
426.	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश	एएआई
427.	फाल्टन	महाराष्ट्र	एसजी
428.	पायाडोरा	पश्चिम बंगाल	आईएएफ
429.	पन्ना	मध्य प्रदेश	एएआई
430.	पूर्णिया	बिहार	एसजी
431.	राधनपुर	गुजरात	एसजी
432.	रायचुर	कर्नाटक	एसजी
433.	रायरंगपुर	उड़ीसा	एसजी
434.	रायसेन (चिकलौड़)	मध्य प्रदेश	पीवीटी
435.	राजवाड़ी	उत्तर प्रदेश	आईएएफ
436.	राखीकौल	मध्य प्रदेश	एसजी
437.	रंगीलुंडा	उड़ीसा	एसजी
438.	रतलाम	मध्य प्रदेश	एसजी
439.	रक्सौल	बिहार	एएआई
440.	रूपसी	असम	एएआई
441.	सदिया	असम	आईएएफ
442.	सहरसा	बिहार	एसजी
443.	सालबनी	पश्चिम बंगाल	आईएएफ
444.	सारणगढ़	पश्चिम बंगाल	एसजी
445.	सारलेक	उड़ीसा	एसजी
446.	सतना	मध्य प्रदेश	एसजी
447.	सवाई माधोपुर	राजस्थान	एसजी
448.	शाहपुर	राजस्थान	एसजी
449.	शैला	असम	एएआई

1	2	3	4
450.	शेवो	राजस्थान	एसजी
451.	शरभोग	असम	आईएएफ
452.	येरूबोली	उड़ीसा	पीवीटी
453.	तिलड़ा (कोहाका)	छत्तीसगढ़	एसजी
454.	तुसरा	उड़ीसा	एसजी
455.	उल्लुन्दुरपेट	तमिलनाडु	आईएएफ
456.	वधवान	गुजरात	एसजी
457.	वांकानेर	गुजरात	एसजी

नोट- एएआई: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
आईएएफ: भारतीय वायु सेना
आर्मी: भारतीय सेना
नौसेना: भारतीय नौ सेना
सीआरपीएफ: केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
एसजी: राज्य सरकार
पीवीटी: राज्य सरकार
जेवी: संयुक्त उद्यम
सेल: भारतीय इस्पात प्राधिकरण

विवरण-II

हवाईअड्डों के स्तरोन्नयन पर विकास के लिए नागर विमान मंत्रालय द्वारा एएआइ के पक्ष में जारी निधियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वर्ष			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 चालू वर्ष (प्रस्तावित)
निम्न हेतु बजटीय सहायता जारी की गई:				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	20.00	20.00	20.00	20.00
अन्य अति महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे जम्मू, श्रीनगर, पोर्ट ब्लेयर, अगाति हवाई अड्डा आदि।	80.25	79.15	44.55	6.00
पेक्योंग, पुडुचेरी, अगाति, जम्मू, लेह, अजमेर, ईटानगर, हवाई अड्डों आदि के लिए अनुदान सहायता	0.00	0.00	80.50	149.15
कुल योग	100.28	99.15	145.05	175.15

डाकघरों को इंटरनेट सुविधा

3525. श्री जफर अली नकवी:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सभी डाकघरों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पिछले वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण के लिए आबंटित और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां। "भारतीय डाक प्रौद्योगिकी परियोजना-2012" के अंतर्गत कनेक्टिविटी एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर 2012-13 तक देश में सभी विभागीय डाकघरों एवं शाखा डाकघरों की इलेक्ट्रॉनिकली नेटवर्किंग करने का प्रस्ताव है।

(ग) देश में पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान डाकघरों के कंप्यूटीकरण के लिए आबंटित एवं व्यय की गई निधि का उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान साइट तैयार करने पावर बैक-अप के लिए आबंटित निधि एवं व्यय की गई राशि

(रुपए करोड़ में)

सर्किल का नाम	आबंटित निधि	व्यय की गई निधि	आबंटित निधि	व्यय की गई निधि	आबंटित निधि	व्यय की गई निधि	आबंटित निधि	व्यय की गई निधि (31.07.011)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	0	0	8.1	7.58	4.23	3.81	11.7	0
असम	0	0	0.91	0.61	0.17	0.15	0.0083	0.0021
बिहार	0	0	1.7	0.98	4.9	4.41	2.84	0.51
छत्तीसगढ़	0	0	1.69	1.09	0.57	0.51	1.34	0.09
दिल्ली	0	0	2.31	1.12	0.74	0.67	0.45	1.84
गुजरात-दमन व दीव तथा नगर हवेली सहित	0	0	6.63	5.84	4.24	3.82	2.90	0.5
हरियाणा	0	0	2.08	1.37	0.71	0.64	1.18	0.02
हिमाचल प्रदेश	0	0	3.98	1.88	0.31	0.28	1.55	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0.82	0.71	0.37	0.33	0.70	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड	0	0	1.61	1.36	0.78	0.70	1.59	0.04
कर्नाटक	0	0	8.55	6.12	2.98	2.68	6.60	0
केरल-लक्षद्वीप सहित	0	0	11.07	7.88	1.81	1.63	2.78	0
मध्य प्रदेश	0	0	4.46	2.36	1.491	1.34	4.30	0.08
महाराष्ट्र-गोवा सहित	0	0	12.02	8.98	7.77	6.99	5.97	0.77
पूर्वोत्तर (मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश)	0	0	0.71	0.51	0.11	0.10	0.58	0
ओडिशा	0	0	4.95	3.0	1.03	0.93	5.55	0
पंजाब	0	0	5.53	3.99	1.83	1.65	2.03	0.0051
राजस्थान	0	0	3.84	2.45	3.18	2.86	5.87	0.17
तमिलनाडु-पुडुचेरी सहित	0	0	13.9	12.57	3.09	2.78	8.11	0.0012
उत्तर प्रदेश	0	0	5.45	5.28	11.8	10.62	6.70	0.012
उत्तराखंड	0	0	1.34	1.34	0.69	0.62	1.24	0.03
पश्चिम बंगाल-अंडमान एवं निकोबार सहित	0	0	8.28	4.95	4.85	4.37	4.33	1.36
कुल			110.11	81.97	57.65	51.89	78.32	5.43

डाकघरों के कंप्यूटरीकरण के लिए हार्डवेयर की पूर्ति केंद्रीकृत रूप से की गई है। 2008-09, 2009-10, 21010-11 एवं 2011-12 के दौरान किया गया व्यय निम्नानुसार है:

2008-09 : 72.55 करोड़ रुपये

2009-10 : 58.78 करोड़ रुपये

2010-11 : 83.78 करोड़ रुपये

2011-12 : शून्य

[अनुवाद]

एनटीएमआईएस को निधियां

3526. श्री चार्ल्स डिएस: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तकनीकी जन शक्ति तथा शिक्षा आयोजना का संभावित डाटाबेस तैयार करने हेतु नेशनल टेक्निकल मैनपावर इनफार्मेशन सिस्टम (एनटीएमआईएस) कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनटीएमआईएस को कोई अनुदान जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ अपलाइड मैनपावर रिसर्च में स्थित चौबीस नोडल केन्द्रों तथा 'लीड' केन्द्रों के कर्मचारियों के कल्याण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान निम्नानुसार अनुदान जारी किए गए हैं:-

वर्ष	राशि (रु. लाख में)
2008-09	447.998
2009-10	369.590
2010-11	306.943
2011-12 (आज की तारीख तक)	12.665

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विमान संपर्क

3527. श्री जगदीश सिंह राणा:
श्री सज्जन वर्मा:
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 'डिवीजनल' शहरों में विमान संपर्क उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विशेषरूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कोटा सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का देश के विभिन्न शहरों विशेषरूप से इंदौर तथा खजुराहो के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विमान सेवा आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही शहर-वार ऐसी सेवाओं को कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) घरेलू सेक्टर में प्रचालनों पर से विनियमन हटा लिया गया है और उड़ानों का प्रचालन संबंधित एयरलाइनों द्वारा मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यीधन वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं मुहैया कराना एयरलाइनों पर निर्भर करता हे।

इस समय देश में निम्नलिखित 82 एयरोड्रोमों/हवाई अड्डों से/के लिए अनुसूचित हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं:

हैदराबाद, रजमुंद्री, तिरूपति, विजयवाड़ा, विजाग, डिब्रुगुढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, लीलाबाड़ी, सिलचर, तेजपुर, पटना, रायपुर, दिल्ली, गोवा, अहमदाबाद, भावनगर, भुज, जामनगर, कांडला, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, वडोदरा, धर्मशाला, कुल्लू, शिमला, जम्मू, लेह, श्रीनगर, थोएसे, रांची, बंगलौर, बेलगांव, हुबली, मंगलौर, मैसूर, कालीकट, कोचीन, त्रिवेन्द्रम, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खजुराहो, औरंगाबाद, मंबई, कोल्हापुर, नागपुर, नादैड, नासिक, पुणे, इम्फाल, शिलांग, आइजौल, दीमापुर, भुवनेश्वर, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, सालेम, त्रिची, तूतिकोरिन, अगरतला, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, देहरादून, पतंनगर, बागडोगरा, कोलकाता, पोर्टब्लेयर, अगाति, चंडीगढ़ और दीव। कोटा से कोई एयरलाइन प्रचालन नहीं कर रही है।

(घ) से (च) इस समय, इंदौर और खजुराहो से निम्नलिखित हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं:-

एअर इंडिया

दिल्ली-भोपाल-मुंबई और वापसी मार्ग	प्रतिदिन
दिल्ली-वाराणसी-खजुराहो और वापसी मार्ग	प्रतिदिन

किंगफिशर

मुंबई-इंदौर और वापसी मार्ग	प्रतिदिन

जेट एयरवेज

खजुराहो-वाराणसी-दिल्ली और वापसी मार्ग	प्रतिदिन
इंदौर-भोपाल-रायपुर-कोलकाता और वापसी मार्ग	प्रतिदिन
दिल्ली-इंदौर-दिल्ली	प्रतिदिन
मुंबई-इंदौर और वापसी मार्ग	प्रतिदिन

[अनुवाद]

छात्रों का नैतिक विकास

3528. डॉ. ज्योति मिर्धा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने हाल ही में सभी कक्षाओं में पाठ्यचर्या में नैतिक शिक्षा को शामिल करने के लिए सभी विद्यालयों को एक परिपत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा परिपत्र जीर किये जाने की आवश्यकता के क्या कारण हैं;

(ग) सीबीएसई द्वारा जारी किये गये ऐसे परिपत्रों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है; और

(घ) सीबीएसई द्वारा विभिन्न कक्षाओं हेतु पाठ्यचर्या में किन पुस्तकों की सिफारिश की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा

3529. श्री एस. सेम्मलई: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में कितने अभ्यर्थियों ने अर्हता प्राप्त की;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. सहित नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेट परीक्षा में ऋणात्मक अंक प्रदान करने की पद्धति का अभ्यर्थियों को चयन करने की प्रक्रिया पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की कुल संख्या 45722 है। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

परीक्षा वर्ष	सामान्य	अ.पि.वर्ग	अ.जा./	कुल
जून, 2008	2329	969	2777	6275
दिसंबर, 2008	2473	1001	3095	6569
जून, 2009	2789	2833	3906	9528
दिसंबर, 2009	948	1318	924	3190
जून, 2010	2005	2765	2463	7233
दिसंबर, 2010	4288	4340	4299	12927

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नेट के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान करने की पद्धति दिसम्बर, 2009 में ही आरंभ की गई थी। ऋणात्मक अंक प्रदान शुरू करने के कारण अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या में तेजी से कमी आई थी। इसलिए, वर्ष 2010 से और आगे ऋणात्मक अंक प्रदान करने की पद्धति को वापस ले लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी है।

पाकिस्तान का परमाणु जखीरा

3530. श्री प्रबोध पांडा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक द्वारा जारी वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका देश परमाणु अस्त्र-शस्त्र को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का विचार कर रही है ताकि पाकिस्तानी परमाणु जखीरा गलत हाथों में न पड़े;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए मौजूदा सुरक्षा की योजना का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ङ) सरकार ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा

से संबंधित रिपोर्टें देखी हैं। सरकार को आशा है कि पाकिस्तान की सरकार अपने परमाणु भंडारों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाना जारी रखेगी। परमाणु हथियारों की सुरक्षा से संबंधित मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श के संदर्भ में भारत ने अराजक तत्वों और आतंकवादियों के हाथों में पड़ने वाले परमाणु विस्फोटकों या विखंडनीय सामग्रियों के खतरों के संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। सरकार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर नजर रखती हैं और उसे सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

एस.एस.ए. हेतु वित्तीय सहायता

3531. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री मनोहर तिरकी:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (एस. एस.ए.) हेतु विदेशों/विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वर्ष-वार और देश/एजेंसी-वार प्राप्त सहायता की कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त धनराशि को किस प्रकार उपयोग किया गया था; और

(ग) कार्यक्रम के तहत निर्धारित किये गए लक्ष्यों और अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्व बैंक, दो विकास भागीदारों नामत: यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग और यूरोपियन आयोग के साथ क्षेत्र व्यापक सहायता के रूप में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसका अर्थ है कि निधियां समेकित संसाधन पूल के रूप में उपलब्ध है न कि घटक विशिष्ट निवेश के रूप में। विदेशी सहायता प्रतिपूर्ति प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती है जिसके अंतर्गत व्यय प्रथमत: भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्ष अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसायटी के माध्यम से किया जाता है तथा उसके पश्चात पूर्व परिभाषित वार्षिक सीमा के अनुसार विदेशी एजेंसी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्व शिखा अभियान के अंतर्गत प्राप्त वर्ष-वार निधीयन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	विश्व बैंक	डीएफआईडी	ईसी
2008-2009	1033.17	346.22	195.98
2009-2010	1702.99	372.44	178.25
2010-2011	1141.19	330.55	119.84

(ग) मुख्य सर्व शिक्षा अभियान पैरामीटरों के अंतर्गत संचयी लक्ष्य और उपलब्धियां नामत: 2010-11 तक नए स्कूल खोलना, स्कूल भवनों का निर्माण, अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण और अध्यापकों की भर्ती आदि दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क.सं.	राज्य	2010-11 तक संचयी उपलब्धियां							
		नए स्कूलों का खोला जाना		स्कूल भवनों का निर्माण		अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण		अध्यापक भर्ती	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां*	लक्ष्य	उपलब्धियां*	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	8308	8006	9635	9635	62349	62109	38293	39821
2	अरुणाचल प्रदेश	2079	1126	1926	1823	3957	3953	6067	5226
3	असम	5054	5017	9853	9851	48883	48883	28793	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	बिहार	39398	32388	18010	13197	186532	175815	318804	191983
5	छत्तीसगढ़	17206	17206	19051	18480	45215	42680	57756	54985
6	गोवा	8	5	0	0	227	177	169	169
7	गुजरात	0	0	835	797	30157	29973	20052	15052
8	हरियाणा	2598	2558	2284	2210	24162	23342	11157	8936
9	हिमाचल प्रदेश	1413	1158	40	4	10259	9914	4279	3546
10	जम्मू और कश्मीर	16566	13398	11043	9046	13292	8925	41687	39739
11	झारखंड	29386	28193	29389	28677	64986	61956	104051	83486
12	कर्नाटक	11323	11091	3736	3733	49047	47699	27180	24278
13	केरल	144	0	529	529	8233	8233	2689	0
14	मध्य प्रदेश	54321	54289	44107	43703	113993	109530	168888	98287
15	महाराष्ट्र	8662	8397	18003	16982	57057	54723	41434	15311
16	मणिपुर	406	0	637	457	2592	1486	1175	0
17	मेघालय	5131	5131	3538	3042	6453	6423	13262	11977
18	मिजोरम	522	314	1146	1201	1909	1909	2242	1886
19	नागालैंड	732	236	596	333	4417	4188	3147	590
20	ओडिशा	20119	17290	17444	16982	53900	46286	89901	88442
21	पंजाब	2053	1901	1486	1373	22122	19952	14090	9694
22	राजस्थान	50590	47890	8340	8340	80265	80089	114132	94201
23	सिक्किम	112	84	95	98	559	593	566	185
24	तमिलनाडु	7995	7259	8322	8253	32063	30030	25223	29971
25	त्रिपुरा	2257	1697	1973	1973	3451	2829	6489	5694
26	उत्तर प्रदेश	45422	44773	51258	51028	272131	242281	398982	258924
27	उत्तराखंड	2573	2440	4583	3847	7466	7312	14137	5998
28	पश्चिम बंगाल	31785	21762	14382	7601	162887	153701	181088	110692
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	10	4	4	201	144	69	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	चंडीगढ़	44	18	26	20	290	206	897	785
31	दादरा और नगर हवेली	112	92	61	61	481	373	816	377
32	दमन और दीव	12	8	13	11	87	85	96	95
33	दिल्ली	12	6	12	12	2518	1737	3040	36
34	लक्षद्वीप	13	11	9	5	22	19	35	32
35	पुडुचेरी	28	10	12	12	470	441	48	36
	कुल एसएसए	366399	333764	282378	263320	1372633	1287996	1740734	1200501

*उपलब्धियों में प्रगतिरत कार्य शामिल है।

राष्ट्रीय शिक्षा योजना

3532. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय शिक्षा योजना के रूप में आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीया योजना के दौरान आज की तिथि के अनुसार देश में शिक्षा के स्तर में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार केवल 10 से 20 प्रतिशत सामान्य कॉलेज स्नातक ही रोजगार के लिए उपयुक्त है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या देश को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 2.3 मिलियन 'नालेज प्रोफेशनलों' की आवश्यकता होगी; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को विशिष्ट रूप से "राष्ट्रीय शिक्षा योजना" के रूप में वर्णित नहीं किया है। तथापि, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र और समावेशी विकास के लिए एक केन्द्रीय उपकरण के रूप में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी है। यह शिक्षा पिरामिड के सभी खंडों को शामिल करते हुए शिक्षा सेक्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यापक कार्यनीति प्रस्तुत करती है। 58264 करोड़ रुपये के दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) आबंटन की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वास्तविक योजनागत आबंटन 197570 करोड़ रुपये है जो कि दसवीं पंचवर्षीय योजना से 3.4 गुणा अधिक है।

(ग) से (छ) सरकार हमेशा अच्छी गुणवत्तामूलक शिक्षा पर ध्यान देती रही है। सरकार का प्रयास सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर और सतत् सुधार सुनिश्चित करने का रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में एक उद्देश्य शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना है। शिक्षा क्षेत्र में मांग और पूर्ति के बीच तालमेल नहीं है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नई संस्थाओं की स्थापना करके और विद्यमान संस्थाओं को स्तरोन्नत करके शिक्षा प्रणाली का व्यापक विस्तार करना है।

कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु नए दिशानिर्देश

3533. श्री रामकिशुन: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूमिगत कोयला गैसीकरण सहित विशिष्ट अंतिम उपयोग हेतु कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) कोयला ब्लॉकों के आबंटन में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से विशिष्ट अन्त्य उपयोगों के लिए कोयला ब्लॉकों के आबंटन की एक प्रणाली खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन के द्वारा लागू की गई है। कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए नए दिशा-निर्देश भारत सरकार द्वारा अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गेस्ट टीचर

3534. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी विद्यालयों में 'गेस्ट' शिक्षकों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कुछ समय बाद उनकी सेवाओं को नियमित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुसूची प्रत्येक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल में बनाए रखे जाने वाले छात्र-शिक्षक अनुपात के मानकों और मानदंडों का निर्धारण करता है। राज्य के सरकारी/स्थानीय निकायों के स्कूलों की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(3) में यह प्रावधान है कि शिक्षकों को भुगतान किए जाने योग्य वेतन और भत्ते तथा शिक्षकों की सेवा संबंधी निबंधन एवं शर्तें समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होंगे।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में भ्रष्टाचार

3535. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने ए.आई.सी.टी.ई. के उन अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की है जिनके विरूद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को ठोस साक्ष्य मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो इन अधिकारियों पर लगाई गई बड़ी अथवा छोटी शस्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी ए.आई.सी.टी.ई. के पूर्व अध्यक्ष को घोटाले में दोषी पाया है और उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ज) ए.आई.सी.टी.ई. के निष्पक्ष कार्यकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने ये मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को भेज दिए हैं जिसने 59 मामले दर्ज किए हैं जो जांच के विभिन्न चरणों में हैं।

(ङ) से (च) जी, हां। सीबीआई उपलब्ध कराई गई सूचना और रिकार्ड के अनुसार पूर्व अध्यक्ष के विरूद्ध निम्नलिखित एफआईआर दर्ज की गयी है:-

(i) आरसी-0722009(ई)0006 दिनांक 16.07.2009 (एकलोन प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद)

(ii) आरसी एमएआई 2009 ए 0056-एसी/चेन्नई दिनांक 30.10.09 (पदमावती इंजीनियरिंग कॉलेज, चेन्नई)

(iii) सीबीआई/एसीबी/सीएचजी आरसीसीएचजी 2010 ए 0021 दिनांक 02.09.2010 (कल्पना चावला इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला, पंजाब)

(छ) विभागीय जांच की जा रही है।

(ज) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने स्वयं को सुचारू बनाने के लिए सुशासन हेतु कई कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं-बेहतर पारदर्शिता के लिए प्रशासनिक, क्रियाविधि विषयक, संगठनात्मक और नीतिगत सुधार, संस्थान से शिक्षार्थी, शिक्षार्थी से प्रशासक और प्रशासक से नीति तक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का समेकन। पिछले तीन वर्ष के दौरान आरंभ किए गए विभिन्न सुधार निम्नवत हैं:-

(i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कार्यालय प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिए सुधार आरंभ किए हैं और पारदर्शिता में वृद्धि करने, सुस्पष्टता, सुगम और सुनिश्चित संचार-तंत्र के लिए ई-गवर्नेंस आरंभ किया है।

(ii) सतत मूल्यांकन हेतु वित्त के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा सेल के साथ-साथ निष्पादन लेखा परीक्षा की स्थापना की गई है।

(iii) रिकार्ड के डिजिटाइजेशन को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(iv) सतर्कता मामलों की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की गई है।

(v) अपने वेब पोर्टल www.aicte-indi.org के माध्यम से अनुमोदन प्रक्रिया के आनलाइन कर दिया गया है। विवरण को पब्लिक डोमेन में रखा गया है।

(vi) आवेदन पर आवेदन ट्रैकिंग के लिए एक विभाग शुरू किया गया है।

सी.बी.एस.ई. विद्यालयों के विरुद्ध शिकायत

3536. श्री महेश जोशी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों के विरुद्ध केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई,

(ख) इन शिकायतों की प्रकृति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों के दौरान मान्यता रद्द किए गए विद्यालयों के नाम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके संबद्ध विद्यालयों के संबंध में 540 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) ये शिकायतें भूमि संबंधी मानदंडों को पूरा न करने, अवसंरचना के अभाव, वेतन का भुगतान न करने, सेवा शर्तों का अनुपालन न करने, गैर कानूनी ढंग से सेवा समाप्त करने, स्टॉफ के डोजियर कब्जे में रखने, अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति, सेवानिवृत्त कर्मियों को नियुक्त करने, शुल्क में अत्यधिक वृद्धि करने, कैपीटेशन शुल्क तथा चंदा वसूलने, बोर्ड की परीक्षाओं में गैर-संबद्ध विद्यालयों को प्रायोजित करने से संबंधित है।

(ग) बोर्ड की सम्बद्धता उप-नियमों के उपबंधों के अनुरूप उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन स्कूलों की सम्बद्धता समाप्त की गयी उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	अकादमिक वर्ष	विद्यालय का नाम	स्थिति	कारण
1	2	3	4	5
1.	01.04.2008	जिंग स्मलटर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिंक स्मलटर पोस्ट, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	उच्चतर माध्यमिक से घटाकर माध्यमिक स्तर किया गया	असंबद्ध विद्यालयों के छात्रों को प्रायोजित करना

1	2	3	4	5
2.	01.04.2008	बोधिचर्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पश्चिम बंगाल	उच्चतर माध्यमिक से घटाकर माध्यमिक स्तर किया गया	परीक्षा उप-नियमों का उल्लंघन
3.	01.04.2008	संजय पब्लिक विद्यालय, सै. 44 बी. चंडीगढ़	संबंधन समाप्त	अनियमितताओं के कारण संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा मान्यता वापिस लिया जाना
4.	01.04.2010	से. ल्यूक्स विद्यालय, भारतनगर, राजस्थान	संबंधन समाप्त	भूमि मानदंडों को पूरा न करना
5.	01.04.2010	होली मिशन हाई स्कूल, समस्तीपुर, बिहार	उच्चतर माध्यमिक से घटाकर माध्यमिक स्तर किया गया	असंबद्ध विद्यालयों के छात्रों को प्रायोजित करना
6.	01.04.2010	स्वामी विवेकानंद पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यमुना नगर, जगाधरी, हरियाणा	संबंधन समाप्त	भूमि मानदंडों को पूरा न करना
7.	01.04.2010	रामश्रेय रॉय पब्लिक स्कूल, दरभंगा, बिहार	संबंधन समाप्त	झूठे आधार पर किया गया संबंधन
8.	01.04.2010	मॉडर्न पब्लिक स्कूल, देवघर, झारखंड	संबंधन समाप्त	भूमि मानदंडों को पूरा न करना
9.	01.04.25010	आत्रेयी इंगलिश मीडियम स्कूल, मंगोलपुर, डाकघर बालूघाट, पश्चिम दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	संबंधन समाप्त	मानदंडों का उल्लंघन तथा प्रबंधन द्वारा विद्यालयों का स्थानांतरण
10.	01.04.2011	न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल, उत्तरी श्री कृष्ण पुरी, पटना, बिहार	संबंधन समाप्त	संबंधन के मानदंडों का पूरा न होना
11.	01.04.2011	कॉस्मोपॉलीटन पब्लिक स्कूल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	संबंधन समाप्त	भूमि मानदंडों को पूरा न करना
12.	01.04.2011	पार्कवुड विद्यालय आंध्र प्रदेश	संबंधन समाप्त	एक छात्रा का यौन शोषण
13.	01.04.20011	प्रेमलोक मिशन, पटना, बिहार	संबंधन समाप्त	असंबद्ध विद्यालयों के छात्रों को प्रयोजित करना
14.	01.04.2011	ककातिया पब्लिक स्कूल, जुगुवाका, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	उच्चतर माध्यमिक से घटकार माध्यमिक स्तर किया गया	सीबीएसई की परीक्षा में असंबद्ध विद्यालयों के छात्रों को प्रायोजित करना
15.	01.04.2011	सुरेश चन्द अग्रवाल मेमोरियल विद्यालय, गुलावटी, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	संबंधन समाप्त	सीबीएसई की परीक्षा में असंबद्ध विद्यालयों के छात्रों को प्रायोजित करना
16	01.04.2011	ऋषि पब्लिक विद्यालय, बैरागीगुडा जिला रंगा रेड्डी, आंध्र प्रदेश	संबंधन समाप्त	संबंधन उप-नियमों के मानदंडों का पूरा न होना तथा अनुमोदित परिसर से विद्यालय को स्थानांतरित करना

[अनुवाद]

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामले

3537. श्री निशिकांत दुबे: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक मंत्रालय/विभाग-वार और राज्य-वार लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मामलों के निपटान में विलंब के क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा की जा रही उपचारात्मक कार्रवाई/उपायों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) सूचना केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के अधीन आवेदनों का समय पर निपटान हो, इस अधिनियम में एक अर्न्तःनिहित तंत्र मौजूद है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि यदि कोई लोक सूचना अधिकारी समय पर सूचना नहीं उपलब्ध कराता है तो उस पर केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग द्वारा 25000/- रुपये तक की शास्ति लगाई जा सकती है।

[हिन्दी]

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

3538. श्री राकेश सचान: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार कुल कितनी राशि जारी की गई;

(ख) क्या आबंटित राशि का अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के लिए वर्ष 2008-09 में उड़ीसा के लिए 558.90 लाख रुपए जारी किए हैं। यह कार्यक्रम राज्य में 31.3.2009 को बंद कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में डीपीईपी के लिए किसी राज्य को कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों में डीपीईपी निधियों के अपवर्तन का कोई मामला इस विभाग के ध्यान में नहीं लाया गया है।

[अनुवाद]

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा नए संस्थान

3539. श्री ए. गणेशमूर्तिः
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान बिहार सहित देश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा स्वीकृत नए संस्थानों/इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या कितनी है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान ऐसे संस्थानों को स्थापित करने हेतु लंबित मामलों/निवेदनों की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए संस्थानों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु ए.आई.सी.टी.ई. को निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान बिहार सहित देश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में अनुमोदित संस्थाओं की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	भारत	बिहार
2009-10	1235	8
2010-11	844	3

(ख) से (घ) वर्तमान वर्ष के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन हेतु प्राप्त सभी मामलों पर "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी शिक्षा हेतु अनुमोदन) विनियम, 2011, दिनांक 10 दिसंबर, 2010 के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम, जिन्हें अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2011-12 के अंतर्गत वर्णित किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई है। वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्त कुल 1062 आवेदनों में से 490 संस्थाओं को अनुमति प्रदान की गई है। 559 आवेदनों के लिए निरस्तीकरण पत्र जारी कर दिए गए हैं। राज्यवार लंबित मामले इस प्रकार हैं:-

गुजरात-1, हिमाचल प्रदेश-3, महाराष्ट्र-2, पंजाब-2, राजस्थान-4, उत्तर प्रदेश-1

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद उन तकनीकी संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करती है जो अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथानिर्धारित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों और मानदंडों का अनुपालन करती हैं।

इंजीनियरिंग कॉलेज और आई.एस.एम. का उन्नयन

3540. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का झारखंड राज्य में मौजूदा इंजीनियरिंग कॉलेजों और इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आई.एस.एम.) का उन्नयन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) के स्तर का करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में आई.आई.टी., कानपुर और इंजीनियरिंग कॉलेज, सिन्द्री के बीच कोई समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में झारखंड राज्य में मौजूदा इंजीनियरिंग कॉलेज और भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्तर तक क्रमोन्नत करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पार्क और फ्लाई सुविधा

3541. डॉ. मन्दा जगन्नाथ: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दिल्ली विमानपत्तन के टर्मिनल-3 पर 'पार्क और फ्लाई' सुविधा आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत क्या-क्या सुविधाएं आरंभ किए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) मैसर्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डायल), हवाई अड्डा प्रचालक ने व्यवसाय या भ्रमण करने वाले फ्रीक्वेंट ट्रैवलरों के लिए टर्मिनल-3 पर 'पार्क एन फ्लाई' सुविधा आरंभ की है। 'पार्क एन फ्लाई' सुविधा प्रतिबद्ध ग्राहक सेवा डेस्क सहित हवाईअड्डा पार्किंग सुविधा है। आईजीआई एयरपोर्ट पर बहुमंजिला कार पार्किंग में स्थित 'पार्क एन फ्लाई' सुविधा स्वच्छ विश्राम कक्षों, पेयजल, प्रतिबद्ध अग्निशमन प्रणाली, लिफ्टों, सीसीटीवी केमरों, फायर एक्जिट जैसी सुविधाओं से युक्त और अच्छी तरह प्रकाशयुक्त संरक्षित और सुरक्षित हैं।

विमानपत्तनों का निर्माण

3542. डॉ. एम. तम्बिदुरई:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री एम. पक्कीरप्पा:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री निलेश नारायण राणे:
डॉ. बलीराम:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के प्रत्येक राज्य के बड़े शहरों/जिलों में नए विमानपत्तनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है और 14 नए विमानपत्तनों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले, महाराष्ट्र में चिप्पी ग्राम और तमिलनाडु में करुर के समीप संदित इन विमानपत्तनों के कार्य की वर्तमान स्थिति का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में एक भी विमानपत्तन का प्रस्ताव नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस विमानपत्तनों के लिए संभारतंत्र और अन्य सुविधाओं का आकलन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इस प्रयोजन हेतु अभी तक स्वीकृत निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन परियोजनाओं के शीघ्र निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) विमान यात्रियों में व्यापक वृद्धि तथा हवाईअड्डा सेक्टर में व्यापक निवेश को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत, सरकार ने अप्रैल, 2008 में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा सिटी

घोषित की थी। इस नीति के अनुसार, हवाईअड्डे के विकास के लिए इच्छुक प्रमोटर को, संचालन समिति के विचारार्थ, सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। पूर्वसाध्यता अध्ययन रिपोर्ट, साइट क्लीयरेन्स, विनियामक एजेंसियों से क्लीयरेंस आदि प्राप्त करने संबंधी सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् "सैद्धांतिक रूप में" अनुमोदन प्रदान करने के लिए संचालन समिति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के आवेदन पर विचार किया जाता है।

अब तक, भारत सरकार द्वारा, गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी तथा सिन्धुदुर्ग, कर्नाटक में शिमोगा, गुलबर्गा, हासन तथा बीजापुर; केरल में कन्नूर; पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर; सिक्किम में पेक्योंग, मध्य प्रदेश में दतिया/ग्वालियर (कार्गो); उत्तर प्रदेश में कुशीनगर; पुडुचेरी में कराइकल तथा राजस्थान में जयपुर के समीप पालड़ी/रामसिंहपुरा पर, ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए "सैद्धांतिक रूप में" अनुमति प्रदान की गई है। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की वर्तमान स्थिति समेत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, महाराष्ट्र के चिपी गांव में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण हेतु भारत सरकार को राज्य सरकार से अथवा निजी व्यक्तियों से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश के शमशाबाद में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना की गई है और यह वर्ष 2008 में पहले से ही प्रचालनात्मक है।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी अनुमोदन तथा क्लीयरेंस समयबद्ध तरीके से दिया जाए। भूमि अधिग्रहण, हवाईअड्डा परियोजना का वित्त पोषण आदि समेत परियोजना विकास के लिए आवश्यक कार्रवाई संबंधित हवाईअड्डा प्रमोटरों द्वारा की जाती है। इस प्रकार, ग्रीनफील्ड का वित्त पोषण हवाईअड्डा प्रमोटर द्वारा किया गया है। तथापि, वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान सिक्किम के पेक्योंग हवाईअड्डे के निर्माण के लिए सरकार द्वारा 80.50 करोड़ रुपये सहायता अनुदान के रूप में दी गई है।

(छ) हवाईअड्डा परियोजनाओं के निर्माण की समय-सीमा कई कारकों, यथा भूमि अधिग्रहण, आवश्यक क्लीयरेन्स की प्राप्ति, बोली प्रक्रिया के माध्यम से ग्राही का चुनाव तथा ग्राही द्वारा वित्तीय क्लोजर आदि, पर निर्भर करता है। इन ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं के विकास की मॉनीटरिंग सरकार द्वारा ग्रीनफील्ड के संचालन समिति के माध्यम से की जाती है।

विवरण

ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थिति

क्र.सं.	हवाईअड्डे तथा राज्य का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	गोवा में मोपा हवाईअड्डा	भारत सरकार गोवा में मोपा में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए मार्च, 2000 में गोवा सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। राज्य सरकार इस परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया में है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, संकल्पना डिजाईन, बोली दस्तावेज, परियोजना, प्रबंधन सलाहकार संस्था आदि के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की जा चुकी है।
2.	महाराष्ट्र में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	भारत सरकार नवी मुंबई में सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए जुलाई, 2007 में महाराष्ट्र सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र शहरी एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) की नियुक्ति की है। सिडको ने हवाईअड्डे के निर्माण के लिए अनेक गतिविधियां आरंभ की हैं, जैसे पहाड़ियों की कटाई और भराई, ईएचवीटी लाइन की गिफ्टिंग, जल आपूर्ति, बिजली आदि। प्रमोटर द्वारा 22.11.2010 की पर्यावरण तथा तटवर्ती विनियम क्षेत्र (सीआरजेड) संबंधी अनापत्तियां प्राप्त की जा चुकी हैं। प्रमोटर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अन्य बोली दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में है।

1	2	3
3.	महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग हवाईअड्डा	भारत सरकार महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हवाईअड्डे के निर्माण के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। एमआईडीसी द्वारा 271 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। टेलीफोन, बिजली और जल आपूर्ति लाइनों के पथ-परिवर्तन संबंधी कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।
4.	कर्नाटक में बीजापुर, गुलबर्गा, हासन और शिमोगा हवाईअड्डे	भारत सरकार, गुलबर्गा, बीजापुर, हासन और शिमोगा में हवाईअड्डों के निर्माण के लिए कर्नाटक राज्य सरकार (जीओके) को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। इन हवाईअड्डा परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं: **शिमोगा:** राज्य सरकार और शिमोगा एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रा.लि. (एसएडीपीएल) के बीच 02.04.2008 को परियोजना विकास करार (पीडीए) किया गया। 680 एकड़ अपेक्षित भूमि का पहले ही एसएडीपीएल को सौंपी जा चुकी है और ग्राही तथा जीओके के बीच लीज डीड पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। एसएडीपीएल ने परियोजना विकास गतिविधियां, जैसे जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, अग्निशमन, सड़क सम्पर्कता संबंधी कार्रवाईयां आरंभ कर दी हैं और अन्य गतिविधियां पहले ही की जा चुकी हैं। **गुलबर्गा:** जीओके और गुलबर्गा हवाईअड्डा विकास निगम प्रा. लिमिटेड (जीएडीपीएल) के पीडीए पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। 670 एकड़ अपेक्षित भूमि पहले ही जीएडीपीएल को सौंपी जा चुकी है। जीएडीपीएल विभिन्न संगठनों/सांविधिक निकायों की ओर से आवश्यक क्लियरेंस हासिल करने की कार्रवाई आरंभ कर चुकी है। **हासन:** हासन हवाईअड्डा परियोजना मैसर्स ज्यूपिटर एविएशन एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को सौंपी गई थीं। परियोजना के लिए 960 एकड़ भूमि चिह्नित की गई थी जिसमें से 536.24 एकड़ भूमि ग्राही को सौंपी जा चुकी है। **बीजापुर:** हवाईअड्डा परियोजना के विकास के लिए जीओके और मैसर्स मार्ग एविएशन प्रा.लि. के बीच 18.01.2010 को जीडीए पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। जीओके के द्वारा 727 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। ग्राही द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से आवश्यक अनापत्तियां हासिल करने की बाबत कार्रवाई की जा चुकी है।
5.	केरल में कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	भारत सरकार केरल में कुन्नूर में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए जनवरी 2008 में केरल सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। परियोजना को निर्माण स्वामित्व और प्रचालन (बीओओ) मॉडल पर कार्यान्वित किया जाना है। केरल सरकार हवाईअड्डे के विकास के लिए मैसर्स केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किन्फ्रा) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त कर चुकी है। हवाईअड्डे के लिए 1277 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर चुकी है।

1	2	3
		हवाईअड्डे के विकास के लिए कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (कायल) नामक कंपनी स्थापित की गई है।
6.	उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	भारत सरकार उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए सितम्बर, 2009 में उत्तर प्रदेश सरकार को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। हवाईअड्डे के विकास के लिए 404 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
7.	मध्य प्रदेश में डाबड़ा हवाईअड्डा, ग्वालियर	भारत सरकार मध्य प्रदेश में दतिया/ग्वालियर जिले में डाबड़ा में एक कार्गो हवाईअड्डे के निर्माण के लिए दिसम्बर, 2008 में मैसर्स ग्वालियर कृषि कंपनी लिमिटेड को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। परियोजना हवाईअड्डे के विकास की प्रारंभिक अवस्था में है।
8.	सिक्किम में पेक्योंग हवाईअड्डा	भारत सरकार सिक्किम में पेक्योंगे में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए अक्तूबर, 2008 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। हवाईअड्डे के निर्माण कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है।
9.	राजस्थान में पालडी रामसिंपुरा हवाईअड्डा	भारत सरकार राजस्थान में पालडी/रामसिंपुरा में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डें के निर्माण के लिए फरवरी, 2010 में मैसर्स राजस्थान एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) लिमिटेड को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है।
10.	पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	भारत सरकार पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के आंदल-फरीदपुर ब्लॉक्स में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए दिसम्बर, 2008 में मैसर्स बंगाल एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट लिमिटेड को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। हवाईअड्डे का निर्माण कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है।
11.	पुडुचेरी में कराइकल हवाईअड्डा	भारत सरकार पुडुचेरी के कराइकल क्षेत्र के पोनबेथी, पुथकुडी और वेरीचिकुडी राजस्व गांवों के क्षेत्रों को कवर करने वाले स्थल पर एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए फरवरी, 2011 में मैसर्स कराइकल एयरपोर्ट प्रा.लि. लिमिटेड को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। परियोजना विकास की प्रारंभिक अवस्था में है।
12.	महाराष्ट्र में शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	भारत सरकार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी के निकट कोपरगांव तालुक के काकड़ी गांव में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए जुलाई, 2011 में महराष्ट्र विकास निगम निगम लिमिटेड (एमएडीसी) को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। एमएडीसी ने सूचित किया है कि एरिया ग्रेडिंग, रनवे के निर्माण, कार्य, एरिया लाइटिंग आदि और टर्मिनल भवन का निर्माण, रनवे लाइटिंग, बैगेज हैंडलिंग आदि से संबंधित कार्य पहले ही अवार्ड किए जा चुके हैं।

शैक्षणिक संस्थानों में एन.सी.सी.

3543. श्री अनंत कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा संचालित अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है जहां एनसीसी, एनएसएस स्काउट और गाइड हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा संचालित अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ऐसे संस्थानों की संख्या में कमी आयी है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में मौजूदा नीति क्या है और शैक्षणिक संस्थानों में उपर्युक्त को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सर्व शिक्षा अभियान का निष्पादन

3544. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्रीमती चन्द्रेश कुमारी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान के निष्पादन और केन्द्र और राज्यों के बीच इसके वित्तपोषण प्रतिमान के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मौजूदा वित्तपोषण प्रतिमान और अंतिम रूप दिए गए संशोधित वित्तपोषण प्रतिमान का ब्यौरा तथा है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के पुराने वित्तपोषण प्रतिमान को अपनाने के लिए केन्द्र सरकार से निवेदन क्या है; और

(घ) उक्त योजना के तहत चालू योजना अवधि के दौरान अधिकाधिक बच्चों को कवर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 1.4.2010 से कार्यशील हुआ है। तत्पश्चात् सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के मानकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान मानकों को संशोधित किया है।

11वीं योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार और के मध्य क्रमशः घटता हुआ निधीयन पैटर्न पहले दो वर्षों के लिए 65:35, तीसरे वर्ष के लिए 60:40, चौथे वर्ष के लिए 55:45 और तत्पश्चात् 50:50 था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के संबंध में निधीयन अनुपात 90:10 था जिसमें से केन्द्र के भाग का स्रोत सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रीय बजट में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उद्दिष्ट 10 प्रतिशत निधियां थीं। तथापि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 65:35 के संशोधित निधीयन पैटर्न को अधिसूचित किया है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों क संबंध में केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य 90:10 का निधि शेयरिंग पैटर्न जारी रहेगा।

(घ) सर्व शिक्षा अभियान, जिसका लक्ष्य देश के प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण करना है, अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। आरंभ से 31.3.2011 तक सर्व शिक्षा अभियान ने प्रारंभिक शिक्षा में अवसंरचनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है जिसमें शामिल हैं-1.95 लाख नए प्राथमिक स्कूल, 1.71 लाख नए उच्च प्राथमिक स्कूल, 13.72 लाख अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, 4.55 लाख शौचालय और 2.14 लाखपेयजल सुविधाएं/गुणवत्ता में सुधार के लिए सर्व शिक्षा अभियान ने देश में शिक्षकों के 18.89 लाख पद संस्वीकृत किए हैं और सर्व शिक्षा अभियान की कार्यान्वयन संरचना में दिए गए मानकों के अनुसार यह पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण अधिगम सामग्री और छात्रों के लिए यूनिफार्म हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

असम में पूर्व शिक्षा अभियान

3545. श्रीमती विजया चक्रवर्ती: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम राज्य में कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर से कम है और शिक्षा की गुणवता भी संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात सर्व शिक्षा अभियान के 2:1 के अपेक्षित मानदंड से कम है और क्या प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर विद्यालय बीच में ही छोड़ने की दर अधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अनुपात को बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करेगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(छ) गत दो वर्षों के दौरान असम में निर्माण किए गए अतिरिक्त कमरों की संख्या कितनी है; और

(ज) राज्य में नियुक्ति किए जा रहे अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जनगणना 2011 के अनुसार असम की साक्षरता दर 73.18 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 74.04 प्रतिशत हैं परंतु जनगणना 2011 की तुलना में, असम की साक्षरता की वृद्धि दर वर्ष 2011 के राष्ट्रीय औसत से 1.2 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा करवाए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अनुसार, असम में कक्षा III, V और VII के लिए विभिन्न विषयों में शिक्षार्थी उपलब्धि स्तर इस प्रकार है:-

विषय	कक्षा III	कक्षा V	कक्षा VII
भाषा	65.62	51.90	55.23
गणित	65.51	44.64	36.60
पर्यावरण अध्ययन	-	45.21	-
सामाजिक विज्ञान	-	-	38.11

(ग) से (ङ) असम राज्य में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के बीच का अनुपात 2.8:1 है। चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी-2008-09 (अनंतिम) के अनुसार, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर 68.28 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 42.25 प्रतिशत है। सरकार द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल है:-

(i) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत असम के लिए 5054 प्राथमिक स्कूल संस्वीकृत किए गए हैं। राज्य ने उच्च प्राथमिक स्कूलों की आवश्यकता के निर्धारण के लिए राज्य में जीआईएस मैपिंग शुरू की है।

(ii) सर्व शिक्षा अभियान, असम ने बच्चों के अवधारण और शैक्षिक प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए एक चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने की कार्रवाई शुरू की है।

(iii) सर्व शिक्षा अभियान, असम ने शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत 3496 केन्द्रों को प्राथमिक स्कूलों में स्तरोन्नत करने की कार्रवाई शुरू की है।

(iv) असम सरकार ने पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या के समाधान के लिए कक्षा-V को प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र तथा कक्षा-VIII को उच्च प्राथमिक क्षेत्र के साथ समेकित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

(v) राज्य को शिक्षक तैनाती को तर्कसंगत बनाने तथा शिक्षक भर्ती को त्वरित करने के लिए एक उद्देश्यपरक एवं पारदर्शी प्रणाली तैयार करने की सलाह दी गई है ताकि स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षक उपलब्ध हो सकें।

(vi) किशोर बालिकाओं के पढ़ाई बीच में छोड़ने की रोकथाम के लिए शिक्षण-कक्ष में स्थान के मामले में अवसंरचना विकास तथा बालिकाओं के लिए शौचालयों के प्रावधान पर भी बल दिया जाता है।

(च) वर्ष 2011-12 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्वीकृत प्राथिमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या क्रमश: 681 और 263 है।

(छ) असम में पिछले दो वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्मित अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों की संख्या वर्ष 2009-10 में 3445 और 2010-11 में 4845 है।

(ज) अभी तक, असम में कोई अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं

3546. श्रीमती अवश्वमेध देवी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनेक केन्द्रीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं और अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा

3547. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सभी को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त करने की ओर अग्रसर है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राथमिक विद्यालय का पूरा पाठ्यक्रम अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा और संख्या क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) वर्ष 2015 तक सभी बच्चे प्राथमिक स्कूल का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने में सक्षम हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार समन्वित उपाय कर रही है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो 1.4.2010 से लागू हुआ है, को 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य दाखिला प्रदान करने, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) और (ग) वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान कक्षा I से V तक शिक्षापूर्ण करने वाले बच्चों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राथमिक ग्रेड पूर्ण करने वाले बच्चों की संख्या								
	2007-08			2008-09			2009-10		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5995	5658	11653	6980	6880	13860	7279	7138	14417
आंध्र प्रदेश	747975	728842	1476817	734784	719664	1454448	649971	632962	1282933
अरुणाचल प्रदेश	15818	14313	30131	16708	15278	31986	15213	13872	29085
असम	374141	361799	735940	363187	356750	719937	362939	356200	719139
बिहार	722370	527851	1250221	747787	574746	1322533	774620	628784	1403404
चंडीगढ़	8819	7369	16188	7862	6517	14379	7869	6380	14249
छत्तीसगढ़	185604	173990	359594	203474	192682	396156	217545	206144	423689
दादरा और नगर हवेली	3143	2567	5710	3275	2786	6061	3471	2973	6444
दमन और दीव	2287	2318	4605	2393	2286	4679	2777	2661	5438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली	135058	117377	252435	143262	121856	265118	154426	130137	284563
गोवा	7690	7051	14741	8665	8682	17347	10689	10216	20905
गुजरात	465140	395773	860913	478580	415420	894000	474601	412251	886852
हरियाणा	155621	145937	301558	163433	143700	307133	155762	141101	296863
हिमाचल प्रदेश	82986	75502	158488	84643	77115	161758	80769	73251	154020
जम्मू और कश्मीर	109448	90043	199491	117590	97040	214630	132425	112924	245349
झारखंड	763657	675277	1438934	519674	458859	978533	393867	357056	750923
कर्नाटक	502389	473260	975649	338200	318264	656464	482132	457295	939427
केरल	307904	304124	612028	329955	327691	657646	322841	321548	644389
लक्षद्वीप	827	769	1596	1158	958	2116	809	769	1578
मध्य प्रदेश	515772	437459	953231	602809	536478	1139287	767497	723676	1491173
महाराष्ट्र	1020118	924578	1944696	1326277	1196986	2523263	1338080	1196098	2534178
मणिपुर	19765	18889	38654	22329	22210	44539	24970	25090	50060
मेघालय	25711	27429	53140	30332	32290	62622	38492	40526	79018
मिजोरम	11665	10994	22659	11004	10268	21272	8822	8145	16967
नागालैंड	18460	17577	36037	19338	17980	37318	18370	17431	35801
उड़ीसा	381156	349768	730924	415661	384242	799903	435499	411982	847481
पुडुचेरी	13529	13824	27353	9315	8526	17841	10510	9783	20293
पंजाब	172243	155738	327981	156793	141090	297883	182459	156681	339140
राजस्थान	751162	587850	1339012	987254	810262	1797516	784357	631258	1415615
सिक्किम	6368	6979	13347	6790	7774	14564	7657	8453	16110
तमिलनाडु	618373	582275	1200648	648504	608024	1256528	617391	575788	1193179
त्रिपुरा	40122	37697	77819	42201	39821	82022	47171	45055	92226
उत्तर प्रदेश	1534512	1415116	2949628	1621785	1558813	3180598	1578750	1548563	3127313
उत्तराखंड	81540	80055	161595	94538	90961	185499	97371	92443	189814
पश्चिम बंगाल	760377	763105	1523482	757871	764919	1522790	725647	736779	1462426
कुल	10567745	9539153	20106898	11024411	10077818	21102229	10933048	10101413	21034461

[हिन्दी]

विद्यालय स्तर पर प्रबंधन पाठ्यक्रम

3548. श्री राकेश सिंहः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विद्यालय स्तर पर प्रबंधन पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ई-गवर्नेस

3549. श्री आनंदराव अडसुलः
श्री गजानन ध. बाबरः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री रवनीत सिंहः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने नागरिक सेवाओं में सुधार और अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए ई-गवर्नेस परियोजना आरंभ की है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) ई-गवर्नेस परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) अभी तक इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) फिलीपीन, वियतनाम, मेक्सिको तथा चीन जैसे उभरते हुए देशों से सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समिर्थत सेवा (आईटी-आईटीईएस) क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। किन्तु, ध्यान देने योग्य बाजार के अवसरों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है तथा प्रतिस्पर्धी के बावजूद भारत के आईटी-आईटईएस के अपतटीय वैश्विक बाजार में वर्ष 2009 में 51% की तुलना में वर्ष 2010 में 55% तक और आगे वृद्धि हुई है।

सरकार सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजना के अंतर्गत देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए कई प्रोत्साहन देती है। आयकर अधिनियम की धारा 10कक में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थिति इकाई को मदों अथवा वस्तुओं अथवा सेवाओं के निर्यात से होने वाली कुल आय के शत-प्रतिशत लाभ पर कटौती का प्रावधान है।

डाकघरों के लिए भूमि का अधिग्रहण

3550. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वीः क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में डाकघरों हेतु भवनों का निर्माण करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में आबंटित, जारी और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा योजना स्कीम ''संपदा प्रबंधन'' के संबंध में ''भूमि की खरीद'' के कार्यकलाप के अंतर्गत, उपलब्ध निधि का उपयोग राज्य सरकारों/विकास प्राधिकरणों एवं ऐसे क्षेत्रों में भी भूखंड खरीदने के लिए किया जाता है, जहां डाकघरों को चलाने के लिए परिसरों को किराए पर लेने में विभाग को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह स्कीम पूरे भारत में लागू है। चालू पंचवर्षीय योजना के दोरान इस कार्यकलाप के अंतर्गत 15 भूखंडों की खरीद हेतु निर्धारित किया गया वित्तीय लक्ष्य 6.39 करोड़ हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान इस संबंध में आबंटित, जारी एवं व्यय की गई निधि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटित, जारी एवं व्यय की गई निधि का ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	आबंटित निधि	जारी की गई निधि	व्यय
1.	2008-09	31.98	31.98	31.98
2.	2009-10	25.51	25.51	25.51
3.	2010-11	34.13	34.13	34.13
4.	2010-12 (जुलाई, 2011 तक)	0	0	0

राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

3551. श्री पी. करुणाकरन:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (एन.ई.टी.) अर्हक शोधकर्त्ताओं को उच्च अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अजा/अजजा विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की कोई विशेष योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना से अजा/अजजा के कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) शिक्षण और शोध में प्रवेश के लिए न्यूनतम मानदण्डों को सुनिश्चित करने हेतु लेक्चररशिप पात्रता और कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति के लिए एक वर्ष में दो बार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) आयोजित करता है। नेट परीक्षा संपूर्ण देश में 66 केन्द्रों पर 77 विषयों में आयोजित की जाती है। नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी पांच वर्षों की अवधि के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति हेतु प्रथम दो वर्षों के लिए 16000/- रुपए प्रतिमाह की दर से तथा वरिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति के लिए पात्र हो जाने पर शेष तीन वर्षों के लिए 18000/- रुपए प्रतिमाह हेतु पात्र हैं।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना (आरजीएनएफ) के तहत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 2000 अभ्यर्थियों को (अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 1333 स्लॉट तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 667 स्लॉट) विज्ञान, कला और सामाजिक विज्ञान में उन्नत शिक्षण तथा शोध प्रारंभ करने में समर्थ बनाने के लिए अध्येतावृत्तियों प्रदान करता है। इसके आरंभ होने से अब तक 12,104 अभ्यर्थियों को राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान की गई हैं।

घरेलू उद्योगों को कोयले की आपूर्ति

3552. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में घरेलू उद्योगों/लघु उद्योगों द्वारा प्रति वर्ष कोयले की मांग की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां मांग के अनुसार कोयले की आपूर्ति कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो गती गत वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन उद्योगों द्वारा मांग और उन्हें आपूर्ति किए गए कोयले का वर्ष-वार, कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) अक्टूबर, 2007 की नयी कोयला वितरण नीति के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा परिगणित ऐसी यूनिटों की आवश्यकता के आधार पर राज्य नामित एजेंसियों के माध्यम से लघु तथा मध्यम उपभोक्ताओं को वितरण करने के लिए 8 मिलियन टन कोयले की वार्षिक मात्रा निर्दिष्ट की गयी है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों द्वारा कभी-कभी अधिक कोयले की मांग की जाती है, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) पिछले वर्षों में किए गए प्रेषणों के आधार पर 2008-09 से विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को वर्ष-दर वर्ष 9 मिलियन टन कोयले की निर्दिष्ट मात्रा आबंटित करती रही है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास

3553. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) के कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में आईसीएसएसआर द्वारा प्रगतिगामी योगदान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के संबंध में आईसीएसएसआर की पद्धति में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) की स्थापना वर्ष 1969 में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहन देने-विभिन्न विषयों के सुदृढ़ीकरण, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की गुणवत्ता एवं मात्रा में सुधार करने तथा राष्ट्रीय नीति-निर्माण में इनके उपयोग के लिए की गई थी। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह परिषद, अनुसंधान परियोजनाओं को आयोजित करने, अनुसंधान अध्येतावृत्तियां प्रदान करने, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान तौर-तरीकों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आयोजित करने, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों/सम्मेलनों को आयोजित करने, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में अनुसंधान का सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और शोधार्थियों को दस्तावेजी सेवाएं प्रदान करने तथा अन्य देशों में सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने का कार्य कर रही है।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद से प्राप्त पिछले तीन वर्षों का प्रगामी कार्य का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	कार्यक्रम/कार्यकलाप	इकाईयां	कार्य		
			2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	परियोजनाओं हेतु अनुसंधान अनुदान	परियोजनाओं की संख्या	148	160	160
2.	अनुसंधान अध्येतावृत्तियां	अध्येतावृत्तियों की संख्या	220	186	201
3क	अनुसंधान संस्थाओं को दिया गया अनुदान	संस्थाओं की संख्या	25	25	25
3ख	आईसीएसएसआर के क्षेत्रीय केन्द्रों को दिया गया अनुदान	केन्द्रों की संख्या	65	6	6

1	2	3	4	5	6
4	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग				
(क)	सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	39	39	31
(ख)	शिक्षा विनियम कार्यक्रम		16	22	26
(ग)	द्विपक्षीय कार्यक्रम		26	29	50
(घ)	आंतरिक एजेंसियों के सम्मेलनों/बैठकों/ कार्यक्रमों में भाग लेना	मामलों की संख्या	2	6	8
(ङ)	सम्मेलन में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता		56	43	35
(च)	विदेशों से आंकड़ों का एकत्रीकरण	व्यक्तियों की संख्या	6	6	5
(छ)	विदेश से सम्मानीय विद्वानों का आगमन		1	1	2
(ज)	भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को आयोजित करने के लिए अनुदान	मामलों की संख्या	39	34	13
5.	दस्तावेजी सेवाएं	मामलों की संख्या	4170	4500	4321
6.	प्रकाशन	प्रकाशनों की संख्या	11	12	14
	प्रकाशन अनुदान	मामलों की संख्या	62	75	85
7.	कम्प्यूटर एल्पीकेशन और अनुसंधान कार्यप्रणाली में प्रशिक्षण	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	19	18	20
8.	राष्ट्रीय सम्मेलनों हेतु अनुदान	मामलों की संख्या	48	74	83
9.	पूर्वोत्तर कार्यक्रम	राशि लाख रु. में	226.32	248.23	273.31

(ग) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के संगम ज्ञान के अनुसार इसके मुख्य उद्देश्य है:- सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना तथा सरकार या इसके बाहर इसके उपयोगकर्ताओं को सलाह देना; सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान हेतु संस्थाओं एवं व्यक्तियों को अनुदान प्रदान करना; सामाजिक विज्ञान अनुंसधान कार्यक्रमों को तैयार करने में तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यकलापों का समन्वय करना और इसलिए, यह अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक विकास एवं अनुसंधान के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। तथापि, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास से संबधित नहीं है, जिनके लिए सरकार द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) जैसी विशेष एजेंसियों का गठन किया गया है।

वीजा प्रदान करने पर प्रतिबंध

3554. श्री शिवराम गौडा:
श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन सरकार गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों को वीजा प्रदान करने हेतु अधिक प्रतिबंध आरंभ करने के लिए नया विधान लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह मामला ब्रिटिश सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर ब्रिटेन सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) ब्रिटेन सरकार ने 23 नवंबर, 2010 को कुछ उपायों की घोषणा की, जो भारत सहित गैर-यूरोपीय देशों से आने वाले श्रमिकों और विद्यार्थियों के प्रवेश को विनियमित करेंगे। ये उपाय अप्रैल, 2011 से प्रभावी हो गए।

ये उपाय गैर-यूरोपीय राष्ट्रिकों का ब्रिटेन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हैं। टायर-I (1000) और टायर-II (20,700) श्रेणियों के लिए संख्या संबंधी सीमा नियत की गयी है। टायर-I अब उद्यमियों, निवेशकों और असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्तियों के लिए प्रतिबंधित की गयी है। टायर-ii में स्नातक स्तरीय नौकरियों के लिए आने वाले सर्वाधिक कुशल श्रमिकों को शामिल किया गया है। अंत: कंपनी स्थानांतरण (आईटीसी) से संबंधित आवाजाही के मानकों को उठाकर 12 माह से अधिक की अवधि के लिए आने वाले व्यक्तियोंके लिए 40000 पाउंड के लगभग नया वार्षिक वेतन नियत करके संख्या को कम किया जाएगा। विद्यार्थियों के संबंध में नई व्यवस्था में अध्ययन बाद कार्य (पीएसडब्ल्यू) पर प्रतिबंध शामिल है।

(ग) और (घ) परिवर्तित विधान के संबंध में भारत की चिंता को ब्रिटिश सरकार के साथ समय-समय पर उठाया गया है जिसमें इस वर्ष जून में लंदन में आयोजित विदेश कार्यालय परामर्श भी शामिल है। सरकार इस मुद्दे को आगे भी उठाती रहेगी।

एयर इंडिया के पट्टे के विमान

3555. श्री के.पी. धनपालन:
श्री ए. सम्पत:
श्री बाल कुमार पटेल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया (एआई) तथा इसकी सहायक कंपनियों ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान किसी एजेंसी से पट्टा, करार पर हस्ताक्षर किए हैं/किसी एजेंसी से कोई विमान पट्टे पर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कंपनी-वार, एयरलाइन-वार पट्टा करार की अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कोई भी कंपनी "टैक्स हैवन" देशों में पंजीकृत है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान एयर इंडिया के विमानों की तुलना में पट्टे पर लिए गए विमानों द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने समझौते की शर्तों के अनुसार विमान प्राप्त किए हैं और कम से कम सम्भावित समय में इनका वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दोरान उन्हें सरकार/एयर इंडिया/एनएसीआईएल से कितनी धनराशि प्राप्त हुई?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) एयर इंडिया ने पिछले तीन वर्षों के दौरान एजेंसी के साथ विमानों के पट्टे के लिए किसी नए करार के लिए हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एयर ने आरबीएस एयरो स्पेस आयरलैण्ड लीजिंग 1 लिमिटेड तथा किलान एमएसएन 10048 लिमिटेड से क्रमश: सात वर्ष तथा पांच वर्षों के लिए दो विमान पट्टे पर लिए हैं।

(ग) उपर्युक्त विमान एक पुल के रूप में नेटवर्क पर प्रचालित वर्तमान बेड़े के भाग के रूप में है और इसलिए पट्टे के विमानों के तुलना में स्वामित्व वाले विमानों से अर्जित राजस्व का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त सभी विमानों के पट्टादाता वे कंपनियां हैं जो आयरलैण्ड के नियमों के अंतर्गत विधिवत रूप से निगमित है।

(च) और (छ) विमानों को एयर इंडिया द्वारा प्राप्त किया गया था ना कि सरकार द्वारा और एयरलाइंस की आवश्यकताओं के आधार पर सेवाओं पर लगाया गया था। इनका मासिक पट्टा किराया इस प्रकार है:

(i) सीआरजे-वीटी-आरडीई 175,0002 अमरीकी डालर

(ii) सीआरजे-वीटी-आरजेडी 181,000 अमरीकी डालर

अनुसंधान और सूचना प्रणाली

3556. श्री राधे मोहन सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत थिंक-टैंक के रूप में कार्यरत अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) की विकासशील देशों के लिए भूमिका क्या है;

(ख) इसके कार्यकरण ने विभिन्न देशों के साथ भारत के सामाजिक-आर्थिक संबंधों को किस प्रकार से मजबूती प्रदान की है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष मुद्दों को हल करने के लिए इसके द्वारा अब तक उपलब्ध कराए गए आदान का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) आरआईएस विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित एवं वित्तपोषित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्था है। यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों एवं विकासशील देशों के हित से जुड़े विकास के मुद्दों पर नीतिगत अनुसंधान में सुविज्ञ है। आरआईएस के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना तथा विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय वार्ताओं में विकासशील देशों की सहायता करना है। आरआईएस कई क्षेत्रीय पहलों की ट्रैक-II प्रक्रिया में भी जुटा हुआ है। आरआईएस के अन्य प्रमुख कार्यकलापों में नीतिगत परामर्शी सेवाएं, सम्मेलनों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करते है। आरआईएस समय-समय संदर्भित किए गए हुए नीतिगत वार्ता प्रारंभ करना, क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल है। आरआईएस समय-समय संदर्भित किये गये अनुसार, क्षेत्रिय एवं उपक्षेत्रिय सहयोग व्यवस्थाओं सहित बहुपक्षीय आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों से संबंधित मामले में भारत सरकार के एक पराशर्मी निकाय के रूप में कार्य करने के लिए भी अधिदेशित है। यह पड़ोसी देश विशेष विशेषकर श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव एवं म्यांमा तथा बहुपक्षीय समूह जैसे आसियान, पूर्व एशियाई शिखर बैठक (ईएएस), बिम्सटेक, आईओआरएआरसी, आईबीएसए, ब्रिक्स तथा विश्व मंच जैसे जी-20, जी-8 आदि के साथ भारत के आर्थिक क्रियाकलापों के लिए जानकारी भी प्रदान करता है।

(ख) अपने अध्ययनों के जरिए, आरआईएस ने दूसरे विकासशील देशों के साथ वृहत्तर क्रियाकलाप की सिफारिश की है। आरआईएस ने व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सीईपीएएस), एसएएफटीए आदि के लिए जानकारी प्रदान करने में भी सक्रिय भूमिका निभायी है, जिसके फलस्वरूप भारत का इसके सहभागी देशों के साथ आर्थिक संबंध सुदृढ़ हुए हैं। आरआईएस लोगों का लोगों के संपर्क बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ ट्रैक-II प्रक्रिया में भी सक्रिय है।

(ग) आरआईएस ने अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक, क्षेत्रीय आर्थिक, वाणिज्यिक एवं समाकलन स्वरूप के मुद्दों की समझ बढ़ाने संबंधी जानकारी भी प्रदान की है। आसियान भारत, पूर्व एशिया शिखर बैठक (चियांग मई पहल तथा ईएएस, पूर्व एशिया शिखर बैठक के सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग संबंधी जानकारी आदि), बिम्सटेक (आर्थिक सहयोग), सार्क (आर्थिक सहयोग), सीईपीईए, जी-20, आईओआर-एआरसी, श्रव्य-दृश्य सेवा के विशेष संदर्भ में सेवाओं में व्यापार से संधित भारत-ईयू ब्रोड बेस्ड ट्रेड एंड इंवेस्ट में एग्रीमेंट (बीटीआईए) वार्ता, मिकांग-गंगा सहयोग (मिकांग उप क्षेत्र के साथ भारत का हवाई संपर्क क्षमता) आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर आरआईएस अध्ययन/अनुसंधान में जुटा हुआ है तथा जानकारी प्रदान करता है।

[हिन्दी]

पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण

3557. श्री महाबल मिश्रा:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पासपोर्ट सेवा सुपुर्दगी प्रणाली के विकेन्द्रीकरण के बाद शिकायतें कम हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय पासपोर्ट अधिकारियों के लिए कोई पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करता है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित किए गए ऐसे पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को सरल बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप क्या सफलता मिली है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जी, हां। पासपोर्ट सेवा सुपुर्दगी प्रणाली के विकेंद्रीकरण के पश्चात् पासपोर्ट जारी करने में विलंब होने के संबंध में शिकायत और लोक शिकायतों की संख्या में आवेदन जमा करने और काफी कमी आयी है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2009, 2010 और 2011 (जून, 2011 तक) के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या क्रमशः 6768, 6455 और 2556 है।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) सरकार ने पासपोर्ट सेवा सुपुर्दगी प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) शुरू की है। पासपोर्ट सेवा परियोजना भारत सरकार की ई-शासन योजना के अंतर्गत 27 मिशन-मोड परियोजना में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत, सरकार ने सन्मुखी और गैर-संवेदनशील कार्यकलापों को किसी निजी भागीदार को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया है। बंगलुरू (2), मंगलौर, हुबली, चंडीगढ़, लुधियाना, अंबाला, त्रिची, तन्जावुर, तिरुनेलवेली, मंगलौर, कोयंबटूर और विशाखापट्टनम स्थित 13 पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रचालनरत हो चुके हैं। शेष पासपोर्ट सेवा केंद्रों को वर्ष 2011-12 के दौरान चरणबद्ध तरीके से प्रचालनरत किया जा रहा है।

विवरण

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम	प्रतिभागियों की संख्या	स्थान
1.	02.03.2009-07.03.2009	आधारभूत कंप्यूटर कौशल प्रशिक्षण	66	क्षे.पा.का. बंगलौर
2.	23.03.2000-28.03.2009	आधारभूत कंप्यूटर कौशल प्रशिक्षण	66	क्षे.पा.का. चंडीगढ़
3.	23.02.2010-25.02.2010	आवेदन प्रशिक्षण क्षे.पा.का. बंगलौर (बैच 1)	29	बंगलौर-पीएसके लालबाग
4.	26.02.2010-02.03.2010	आवेदन प्रशिक्षण क्षे.पा.का. बंगलौर (बैच 2)	34	बंगलौर-पीएसके लालबाग
5.	28.02.2010	आवेदन प्रशिक्षण क्षे.पा.अ./स.पा.अ.	9	बंगलौर-पीसके लालबाग
6.	26.04.2010-03.05.2010	आवेदन प्रशिक्षण क्षे.पा.का. चंडीगढ़ (बैच 1)	27	चंडीगढ़-पीएसके
7.	29.04.2010-03.05.2010	आवेदन प्रशिक्षण क्षे.पा.का. चंडीगढ़ (बैच 2)	29	चंडीगढ़-पीएसके
8.	04.05.2010-06.05.2010	आवेदन प्रशिक्षण क्षे.पा.का. चंडीगढ़ (बैच 3)	25	चंडीगढ़-पीएसके
9.	दिसंबर, 2010	कोचीन में स.पा.अ. और उ.पा.अ. के लिए कार्यशाला	16	दक्षिणी क्षेत्र
10.	02.05.2011-07.05.2011	क्षे.पा.का त्रिची के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	51	क्षे.पा.का. त्रिची
11.	07.05.2011-13.05.2011	क्षे.पा.का मदुरै के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	57	क्षे.पा.का. मदुरै
12.	16.05.2011-13.05.2011	क्षे.पा.का कोयंबटूर के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	16	क्षे.पा.का. कोयंबटूर
13.	11.06.2011-02.07.2011	क्षे.पा.का चैन्ने के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	95	क्षे.पा.का. चैन्ने
14.	12.07.2011-16.07.2011	क्षे.पा.का विशाखापट्टन के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	28	क्षे.पा.का. विशाखापट्टनम

[अनुवाद]

आरटीई एक्ट के लिए सामुदायिक जुटाव संबंधी कृतक बल

3558. श्री यशवीर सिंह:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री नीरज शेखर:

क्या **मानक संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किरण कार्निक के नेतृत्व में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का (आरटीई) अधिकार अधिनियम, 2009 हेतु सामुदायिक जुटाव संबंधी कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या आरटीई एक्ट, 2009 के उपबंधों के बारे में आम लोगों में जागरुकता की कमी के मद्देनजर आरटीई संबंधी सामुदायिक जुटाव हेतु सरकार का विचार 100 दिन का अभियान प्रारंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां यह अभियान शुरू किया जाएगा; और

(ङ) आरटीई एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा गठित समुदाय लामबंदी संबंधी कार्यबल ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को शिक्षा का अधिकार के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए समुदाय लामबंदी तथा मीडिया अभियान हेतु एक योजना की सिफारिश की है जिसमें देशभर में गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी और पंचायती राज कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए 100-दिवसीय राष्ट्रीय अभियान शामिल है।

(ङ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने का कार्य अपने हाथ में लिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सर्व शिक्षा अभियान मुख्य साधन है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत मानदंडों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है ताकि इसका प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, 2010-11 से आगे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए केन्द्र तथा राज्यों के बीच 65:35 अनुपात (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10) में एक संशोधित निधीनयन पद्धति को अधिसूचित किया गया है।

स्कूलों का निरीक्षण

3559. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने अपने क्षेत्र में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के निरीक्षण हेतु समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अब तक कितने स्कूलों का निरीक्षण किया गया है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान निरीक्षित स्कूलों के लिए कोई रिपोर्ट तैयार की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, पटना ने 19.4.2011 को एक समिति गठित की है। समिति ने अब तक 14 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों का रिकार्ड सत्यापित किया है।

(ग) और (घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट में नीचे दिये गये 11 स्कूलों के रिकार्ड को इस प्रकार क्रम से दर्शाया है:-

1. श्याम लाल डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, कंगारिया
2. कृष्णा निकेतन, कृष्णा विहार, पटना
3. सुभाष पब्लिक स्कूल, गिरिडीह, झारखंड
4. होली मिशन सेकेन्डरी स्कूल, पटना
5. ए.आर.एस. पब्लिक स्कूल, बोकारो
6. दिग दर्शन माध्यमिक स्कूल, बिहटा, पटना
7. पार्क माउंट पब्लिक स्कूल, पटना

8. संक्रेड हार्ट, मुजफ्फरपुर

9. डी.ए.वी. नदराज पब्लिक स्कूल, रांची

10. ब्लू बैल्स स्कूल, देवघर

11. मदर इंटरनेशनल अकादमी, फुलवारीशरीफ, पटना

चन्द्रशील विद्यापीठ स्कूल, कांटी, मुजफ्फरपुर का रिकार्ड ठीक नहीं था निम्नलिखित दो स्कूलों ने समिति के समक्ष स्कूल का रिकार्ड नहीं रखा:-

1. द् लीड्स एशिन सकेन्डरी स्कूल, दानापुर, कैंट, पटना

2. शिवम स्कूल बिहटा, पटना

[हिन्दी]

शुंगलू समिति रिपोर्ट

3560. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने वाली शुंगलू समिति की रिपोर्ट आगामी जांच के लिए सीबीआई को संदर्भित की जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सीबीआई ने अपनी जांच प्रारंभ कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) शुंगलू समिति की पहली स्टेंडएलोन रिपोर्ट, समुचित कार्रवाई किए जाने के लिए सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भिजवाई गई थी। इसके अलावा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार उन्होंने शुंगलू समिति की पांचवीं रिपोर्ट के संबंध में समुचित कार्रवाई किए जाने के लिए निम्नलिखित मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/प्रवर्तन निदेशालय को भिजवाए हैं:

(i) अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता की नियुक्ति-ई.के.एस.;

(ii) मैसर्ज स्विस टाइमिंग-ओमेगा को टाईम स्कोरिंग और रिजल्ट मैनेजमेंट संविदा दिया जाना

(iii) खरीद के अन्य मामले-

(क) स्वचालित जिल्द मशीन की खरीद;

(ख) मैसर्ज सलवान फर्नीचसर्स से सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य करवाया जाना;

(ग) जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में समारोह के लिए सिंथेटिक गलीचों की खरीद;

(घ) टी-शर्टों, टोपियों और टाइयों की खरीद;

(ङ) प्रचार सामग्री की खरीद (भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा में 10.66 लाख रुपए);

(च) दिनांक 31.07.2008 को आयोजित प्रैस सम्मेलन के अध्यक्ष के वाहनों की ब्रांडिंग;

(छ) वर्क स्टेशन, मेज और तत्संबंधी मदों की खरीद;

(ज) कार्यालय फर्नीचर की खरीद (1.13 लाख रुपए)

(झ) ब्लैकबेरी हैंडसेट की खरीद।

(ग) और (घ) राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज की तारीख तक कुल 17 मामलें (14 नियमित और 03 प्रारंभिक जांच) दर्ज किए हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा शूंगनू समिति के निष्कर्षों को, जहां कहीं ये लागू थे, ध्यान में रखा गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम

3561. श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य-चर्या को सभी के लिए वैध हकदारिता बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम अधिनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में हासिल किए जाने वाले प्रस्तावित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) जी नहीं। योजना आयोग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

आवेदन अस्वीकार करने संबंधी एआईसीटीई की समिति

3562. श्री अंजन कुमार एम. यादव:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ संस्थानों के आवेदन अस्वीकार करने के कारणों का पता लगाने के लिए पिछले वर्ष कोई समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच का परिणाम क्या है;

(ग) उक्त जांच के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी सफलता हासिल की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसंधान पार्कों की स्थापना

3563. श्री के. सुगुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान पार्क स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित अनुसंधान पार्कों में तीन तरह की सुविधाएं होंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 50 अनुसंधान पार्क स्थापित करने के संबंध में संकल्पना पत्र तैयार करने के लिए डॉ. टी. रामासामी, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

पोस्टकार्डों की बिक्री

3564. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:
श्री सुदर्शन भगत:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दशक में पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्र आदि की बिक्री में धीरे-धीरे कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी हां।

(ख) सभी वितरण डाकघरों में प्रत्येक वर्ष फरवरी और अगस्त में दो सप्ताह के लिए भारत के सभी डाक सर्किलों में की गई गणना के आधार पर पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र कार्ड का वर्षवार परियात निम्नानुसार है:-

वर्ष	डाक परियात (करोड़ में)	
	पोस्टकार्ड	अंतर्देशीय पत्र कार्ड
1	2	3
2001-02	195.807	224.937
2002-03	163.465	180.622
2003-04	180.563	145.507

1	2	3
2004-05	112.95	120.29
2005-06	87.46	102.49
2006-07	86.10	100.13
2007-08	78.97	96.06
2008-09	78.24	98.18
2009-10	78.86	91.73

डाक परियात की उपरोक्त प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि डाकघरों में पोस्टकार्डों और अंतर्देशीय पत्र कार्डों की बिक्री में कमी हो रही है जोकि व्यक्तिगत संचार के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी के आने के कारण हैं।

(ग) डाक पत्र के उपयोग को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देशभर में डाक प्रचालन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, मौजूदा डाक नेटवर्क को समेकित करने और उसके इष्टतम उपयोग, डाक प्रक्रियाओं के मानकीकरण और मानीटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए एक पहल की गई है। डाक की शीघ्र प्रोसेसिंग के लिए विभाग ने दिल्ली और कोलकाता में स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने के लिए भी कार्रवाई की है। जनता/ग्राहकों के एड्रेस डाटाबेस को प्रभावी रूप से व्यवस्थित करने के लिए एक एड्रेस डाटाबेस प्रबंधन परियोजना भी प्रारंभ की गई है।

डाक पारेषण और वितरण सेवाओं को सुधारने के लिए डाक विभाग द्वारा किए गए अन्य उपायों में निम्न शामिल हैं:-

क. टेस्ट पत्र और ट्रायल कार्ड भेज कर मेल रूटिंग और वितरण कार्य की नियमित मानीटरिंग की जाती है।

ख. पर्यवेक्षी स्टाफ और अधिकारियों द्वारा डाक के वितरण की अचानक जांच।

ग. कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमित अंतरालों पर लाइव डाक सर्वेक्षण और डाक पारेषण और वितरण प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाना।

घ. त्योहारों के अवसर पर भेजी जाने वाली डाक से निपटने के लिए, पर्याप्त मानवशक्ति के साथ अलग काउंटर खोले जाते हैं ताकि ऐसी डाक से शीघ्र निपटा जा सके।

ङ. पिनकोड के उपयोग को बढ़ावा देना और उसे लोकप्रिय बनाना।

च. डाक के शीघ्र वितरण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में डाकिए को वाहन प्रदान करना।

नई विमान नीति

3565. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रस्तावित नई नागर विमानन नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या ऐसे कतिपय मुद्दे हैं जिन्हें नई नीति में घोषित किया गया था परन्तु उन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो मुद्दे-वार इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) प्रस्तावित नागर विमानन नीति में निर्धारित अन्य मामलों के साथ अधिकतर मामले जिन्हें पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है, निम्नानुसार है:-

(i) हवाईअड्डों के लिए सरल एफडीआई नीति निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है।

(ii) नागर विमानन के विमान परिवहन पक्ष के लिए एफडीआई आवश्यकताओं को संशोधित किया गया है और विभिन्न सेक्टरों जैसे कार्गो, एयरलाइंस, गैर-अनुसूचित प्रचालक, एमआरओ आदि के संबंध में पृथक सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

(iii) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति की घोषणा की गई है, जो नए हवाईअड्डों की स्थापना के लिए नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित करती है।

(iv) निजी उपयोग के लिए निजी हवाईअड्डों की स्थापना हेतु उदार प्रक्रिया की घोषणा की गई है।

(v) दिनांक 12.5.2009 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

(vi) विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुपालन के मद्देनजर, निजी घरेलू एयरलाइनों को विदेशी मार्गों पर उड़ान भरने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यवस्थाओं को धीरे-धीरे उदार बनाया गया है। इन पहलों के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता में व्यापक रूप से सुधार हुआ है।

(vii) गोंदिया, महाराष्ट्र में एक नए उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की पुनर्संरचना की गई है। इन उपायों से विमान क्षेत्र में तकनीकी श्रमशक्ति के लिए बेहतर प्रशिक्षण अवसंरचना उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

वर्ष 2010-15 के लिए मंत्रालय की नीतिगत योजना तैयार की गई है और यह अब नागर विमानन मंत्रालय की वैबसाइट (www.civilaviation.nic.in) पर उपलब्ध है। नीतिगत योजना स्टेक होल्डर्स के साथ सक्रिय रूप से परामर्श करके तैयार की गई है। ध्यान दिए जाने हेतु पहचाने गए क्षेत्र हैं:-

- विश्व स्तरीय अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए
- अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप विनियामक ढांचे की स्थापना के लिए
- मौजूदा गैर-सुविधा अथवा सुविधा मुहैया कराए जा रहे क्षेत्रों को जोड़ना
- उद्योग की आवश्यकता के अनुसार कुशल जनशक्ति का विकास
- विमानन सेक्टर के ईष्टतम विकास के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का संस्थापन।

[अनुवाद]

अमरीका के साथ समझौता

3566. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका ने शिक्षा के क्षेत्र में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त समझौते से क्या लाभ होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बीएसएनएल और एमटीएनएल में कुप्रबंधन

3567. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री राजेन गोहैन:
श्री संजय सिंह:
श्री महेश जोशी:
श्री हरीश चौधरी:
श्री इज्यराज सिंह:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के मामलों की खबरें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सैम पित्रोदा समिति ने अपनी रिपोर्ट में बीएसएनएल अधिकारियों का कोई उल्लेख किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, प्राप्त की गईं शिकायतों की तत्काल जांच की/कराई

जाती है और ऐसी जांच रिपोर्टों के आधार पर और दोषी अधिकारियों द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता को देखते हुए नियमानुसार, आवश्यक दंड लगाए जाते हैं। वर्ष 2008 से 2011 (जुलाई तक) के दौरान, बीएसएनएल और एमटीएनएल में कार्यरत समूह 'क' अधिकारियों के संबंध में लगाए गए दंड की संख्या को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	बीएसएनएल				एमटीएनएल			
	बड़ी शास्ति	लघु शास्ति	चेतावनी	सरकारी अप्रसन्ता	बड़ी शास्ति	लघु शास्ति	चेतावनी	सरकारी अप्रसन्ता
2008	57	20	2	2	11	3	0	0
2009	38	10	6	1	4	2	0	0
2010	24	12	11	11	3	1	1	0
2011 (जुलाई तक)	26	2	0	0	2	0	0	0

(ग) और (घ) सैम पित्रोदा समिति ने अपनी रिपोर्ट में बीएसएनएल के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है।

[अनुवाद]

पशुओं का विच्छेन

3568. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्राणी विज्ञान संबंधी प्रयोगों हेतु पशुओं का विच्छेदन प्रतिबंधित करने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सिफारिशों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवई की गयी/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्राणी विज्ञान संबंधी प्रयोगों हेतु पशुओं का विच्छेदन प्रतिबंधित करने के मुद्दे की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), बंगलौर के निदेशक प्रो. एच.ए. रंगनाथ की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की गई है।

(ग) से (ङ) इस समिति ने शैक्षिक समुदाय और आम जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं का संज्ञान लेने और मुद्दे पर विस्तृत विचार विमर्श और अनेक बैठकें करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए समिति द्वारा तैयार किए गए विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुमोदित कर दिया है।

विवरण

तत्काल कार्रवाई

1. सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाएं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का सख्ती से अनुपालन करे।

2. सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाए, पशुओं के प्रयोग की जांच करने के लिए "विच्छेदन मानीटरिंग समितियां

(डीएमसी) स्थापित करें और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके लिए दिशानिर्देश प्रदान करे।

3. अवरस्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) दोनों कार्यक्रमों के लिए विच्छेदन और प्रयोगों के साथ-साथ नैतिक विचारों सहित जीव जातियों की संख्या के लिए पशुओं की संख्या में कमी की जाएगी। प्रयोगशाला में जन्में पशु मॉडलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. अवरस्नातमक के लिए संकाय द्वारा 'प्रदर्शन के लिए केवल एक ही जाति को अपनाया जाए' और छात्रों को विच्छेदन नहीं करना चाहिए। इसके बदले में छात्रों को क्षेत्र कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पाठ्यचर्या विकसित की जाए।

5. स्नातकोत्तर के लिए छात्रों को पाठ्यचर्या या जैव विविधिता/जैव स्तरिक इत्यादि से संबंधित परियोजना के अनुसार 'चुनिन्दा जीव जातियों' के विच्छेदन को पूरा करने का विकल्प होगा।

दीर्घकलिक कार्रवाई

1. पशु विच्छेदन के लिए वैकल्पिक तरीकों को अपनाने की दिशा में प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मानव संसाधन विकास।

2. पशु विच्छेदन, प्रायोगिक और सूचना के प्रचार हेतु वैकल्पिक तरीकों के लिए साफ्टवेयर का विकास।

3. उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उचित सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सहित शक्ति प्राप्त प्राणिविज्ञान/जीव विज्ञान विभाग।

4. जैव स्तरिक, सक्रिय जनसंख्या, मूल्यांकन और जैव विविधता इत्यादि से निर्बल/रीढ़ीदार इत्यादि से संबंधित पाठ्यचर्या।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की संवीक्षा

3569. डॉ. संजय जायसवालः क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के अधिकारियों की कड़ी संवीक्षा की है और केवल अच्छे सर्विस रिकार्ड वाले अधिकारियों को केन्द्र सरकार के अंतर्गत तैनाती का प्रस्ताव किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के अंतर्गत सेवा करने हेतु चयनित अधिकारियों को अपने-अपने राज्यों में सेवारत उसी बैच के अधिकारियों की तुलना में निम्न ग्रेड वेतन दिए जाने के क्या कारण है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे आईएएस अधिकारियों की सेवा और मंत्रालय-वार संख्या कितनी है जिन्होंने अपने-अपने राज्यों के अपने सेवा बैचमेटो की तुलना में निम्न ग्रेड वेतन पर पदभार ग्रहण किया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पदों पर नियुक्ति होने पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का वेतन, प्रत्येक अखिल भारतीय सेवा जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली 2007, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली 2007 भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2007 के संबंधित वेतन नियमों, सांविधिक नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। केन्द्रीय सचिवालय में केन्द्र सरकार के पदों पर नियुक्त, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, अनुसूची II में किए गए उल्लेख के अनुसार इन पदों से संबद्ध वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त करते हैं। संबंधित वेतन नियमों की अनुसूची II में उल्लिखित पदों से भिन्न केन्द्रीय सरकार के पदों पर नियुक्त अधिकारियों का वेतन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 में दिए गए प्रावधानों तथा भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के संबंध में इसी प्रकार के नियमों के अनुसार विनियमित होता है।

(ग) अपेक्षित सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड

3570. श्री एंटो एंटोनीः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोई विचार देश में व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त बोर्ड के मुख्यालय का प्रस्तावित स्थल क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मतुख बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के संशोधन के दौरान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड का प्रस्ताव किया गया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्ष बोर्ड के भीतर विशिष्ट प्रकोष्ठ की स्थापना की अनुशंसा की गई थी। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक

व्यावसायिक प्रकोष्ठ बनाया गया है जिसकी 4 इकाईयां नामत: (i) प्रशासनिक एवं वित्त इकाई (ii) पाठ्यचर्या और अनुसंधान एवं विकास (iii) मूल्यांकन इकाई और (iv) संबंधन इकाई है।

विदेशी छात्रों के लिए विवेकाधीन कोटे में अनियमितताएं

3571. श्री विजय बहादुर सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विदेशी छात्रों के देश में अध्ययन हेतु विवेकाधीन कोटा में अनियमितताओं के मामलों की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हीं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में विदेशी छात्रों को प्रवेश देने के लिए कोई विवेकाधीन कोटा नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में विदेशी छात्रों को सीधे प्रवेश देने संबंधी योजना (डीएएसए) के अंतर्गत एसएटी विषय प्राप्तांकों के आधार पर विदेशी छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है। यह योजना विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के लोगों/अनिवासी भारतीयों के लिए खुली है। शिक्षा वर्ष 2010-2011 के दौरान डी.ए.एस.ए. योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थानों में दाखिला लेने के लिए नेपाल के जाली, नागरिकता कार्डो और एसएटी प्राप्तांकों को प्रयोग में लाया गया था। जांच संबंधी मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौपा गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ में 11 छात्रों, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर में 19 छात्रों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर में 01 छात्र और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली में 14 छात्रों के विरूद्ध मामले दर्ज किए हैं। मामले जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं। ऐसे कदाचार को रोकने के लिए नेपाल से डी.ए.एस.ए. के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को काठमाण्डू (नेपाल) स्थिति भारतीय दूतावास और नई दिल्ली स्थित नेपाल के दूतावास से निवास के और कॉलेज बोर्ड, यू.एस.ए. में डीएएसए (2011-2012) के लिए नामोद्दिष्ट संस्थान का कोड सृजित करके भी अधिप्रमाणित सबूत (पासपोर्ट/नागरिकता कार्ड) की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए सभी छात्रों द्वारा कॉलेज बोर्ड के जरिए डी.ए.एस.ए. कार्यालय को एस.ए.टी. विषय प्राप्तांक भेजे जाएं।

[हिन्दी]

डाक जीवन बीमा

3572. श्री रमाशंकर राजभर:
श्री पी.सी. गद्दीगौदर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि तक ग्रामीण डाक जीवन बीमा धारकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार डाक जीवन बीमा योजना के अंतर्गत मजदूरों एवं असंगठित क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों को शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) आज की तारीख तक देश में ग्रामीण डाक जीवनबीमा के पालिसी धारकों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लागू नहीं।

विवरण

ग्रामीण डाक जीवन बीमा पालिसियों की राज्य-वार संख्या

क.सं.	राज्य का नाम	पालिसियों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4826703
2.	असम	248890
3.	बिहार	661554
4.	छत्तीसगढ़	257401
5.	दिल्ली	4099
6.	गुजरात	559538
7.	हरियाणा	269741
8.	हिमाचल प्रदेश	160911
9.	जम्मू और कश्मीर	67887
10.	झारखंड	499817
11.	कर्नाटक	942786

1	2	3
12.	केरल	490612
13.	मध्य प्रदेश	564806
14.	महाराष्ट्र	1706660
15.	गोवा	29013
16.	मेघालय	5931
17.	त्रिपुरा	10653
18.	मिजोरम	3239
19.	मणिपुर	2717
20.	नागालैंड	3480
21.	अरुणाचल प्रदेश	4562
22.	ओडिशा	654511
23.	पंजाब	198314
24.	राजस्थान	1037914
25.	तमिलनाडु	2933853
26.	उत्तर प्रदेश	851462
27.	उत्तराखंड	264135
28.	पश्चिम बंगाल	646950
29.	सिक्किम	3735
	कुल	17911874

[अनुवाद]

देश में पोस्ट-बॉक्स

3573. श्री सोमेन मित्राः क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में भारी संख्या में पोस्ट-बॉक्स प्रचालन में नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बंद किए गए पोस्ट-बॉक्सों की वर्ष-वार तथा राज्य-वार संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं। तथापि, देश में कुछ पोस्ट-बॉक्स प्रचालन में नहीं है।

(ख) पोस्ट-बॉक्सों के प्रचालन में न होने के कारणों में धारकों द्वारा नवीकरण न किया जाना तथा नए पोस्ट-बॉक्सों का किराए पर न लिए जाना आदि हैं। बंद किए गए पोस्ट-बॉक्सों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	सर्किल का नाम	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उन पोस्ट-बॉक्सों की संख्या जो प्रचालन में नहीं हैं।
1	2	3
1.	असम	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	शून्य
3.	बिहार	शून्य
4.	छत्तीसगढ़	ग्रामीण-शून्य
		शहरी-423
5.	दिल्ली	ग्रामीण-शून्य
		शहरी-4549
6.	गुजरात	ग्रामीण-669
		शहरी-3535
7.	हरियाणा	ग्रामीण-शून्य
		शहरी-1364

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
9.	झारखंड	ग्रामीण-शून्य
		शहरी-700
10.	जम्मू और कश्मीर	शून्य
11.	कर्नाटक	ग्रामीण-440
		शहरी-2415
12.	केरल	ग्रामीण-1091
		शहरी-1790
13.	मध्य प्रदेश	ग्रामीण-शून्य
		शहरी-556
14.	महाराष्ट्र	शून्य
15.	पूर्वोत्तर	शून्य
16.	उड़ीसा	ग्रामीण-शून्य
		शहरी-144
17.	पंजाब	ग्रामीण-शून्य
		शहरी-2586
18.	राजस्थान	ग्रामीण-141
		शहरी-1367
19.	तमिलनाडु	ग्रामीण-243
		शहरी-शून्य
20.	उत्तराखंड	ग्रामीण-शून्य
		शहरी-524
21.	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण-शून्य
		शहरी-3034
22.	पश्चिम बंगाल	शून्य

विवरण-II

क्र.सं.	सर्किल का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बंद किए गए पोस्ट-बॉक्स की संख्या
1	2	3
1.	असम	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	शून्य
3.	बिहार	शून्य
4.	छत्तीसगढ़	पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई पोस्ट-बॉक्स बंद नहीं किया गया।
5.	दिल्ली	शून्य
6.	गुजरात	2008-09 - शून्य
		2009-10 - 7 पोस्ट-बॉक्स
		2010-11 - 4 पोस्ट-बॉक्स

1	2	3
7.	हरियाणा	पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई पोस्ट-बॉक्स बंद नहीं किया गया।
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
9.	झारखंड	पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई पोस्ट-बॉक्स बंद नहीं किया गया।
10.	जम्मू और कश्मीर	शून्य
11.	कर्नाटक	2008-09 - 2 पोस्ट-बॉक्स
		2009-10 - 7 पोस्ट-बॉक्स
		2010-11 - 4 पोस्ट-बॉक्स
12.	केरल	2008-09 - 994 पोस्ट-बॉक्स
		2009-10 - 1141 पोस्ट-बॉक्स
		2010-11 - 1091 पोस्ट-बॉक्स
13.	मध्य प्रदेश	पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई पोस्ट-बॉक्स बंद नहीं किया गया।
14.	महाराष्ट्र	शून्य
15.	पूर्वोत्तर	शून्य
16.	ओडिशा	पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई पोस्ट-बॉक्स बंद नहीं किया गया।
17.	पंजाब	पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई पोस्ट-बॉक्स बंद नहीं किया गया।
18.	राजस्थान	2008-09 - 2 पोस्ट-बॉक्स
		2009-10 - 3 पोस्ट-बॉक्स
		2010-11 - 3 पोस्ट-बॉक्स
19.	तमिलनाडु	2008-09 - शून्य
		2009-10 - 37 पोस्ट-बॉक्स
		2010-11 - 206 पोस्ट-बॉक्स
20.	उत्तराखंड	पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई पोस्ट-बॉक्स बंद नहीं किया गया।
21.	उत्तर प्रदेश	पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई पोस्ट-बॉक्स बंद नहीं किया गया।
22.	पश्चिम बंगाल	शून्य

निजी ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक

3574. श्री राजेन गोहैन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के कुछ शिक्षक निजी ट्यूशन पढ़ाने में लगे हैं तथा फलस्वरूप अपने सरकारी कर्तव्यों को कम प्राथमिकता दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चूककर्ता शिक्षकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेज स्वायत्त निकाय होते हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षक संबंधित विश्वविद्यालय/कॉलेज के सेवा नियमों द्वारा शासित होते हैं। किसी शिक्षक द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित विश्वविद्यालय/कॉलेज के सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे नियमों के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

भारत का गलत मानचित्र

3575. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑस्ट्रेलिया में सरकारी वेबसाइट पर भारत का गलत मानचित्र पोस्ट किए जाने के बारे में सरकार को पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वहां रह रहे भारतीयों ने इस संबंध में अपना विरोध जताया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस गलती को स्वीकार किया है और उसे वेबसाइट से हटाने पर अपनी सहमति भी दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जी, हां। ऑस्ट्रेलियाई उत्प्रवासन एवं नागरिकता विभाग (डीआईएसी) की वेबसाइट पर भारत का गलत मानचित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों को भारत के बाहर दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। ऑस्ट्रेलियाई भारतीय परिषद ने इस संबंध में विरोध दर्ज किया है।

(ङ) और (च) जी, हां। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपनी वेबसाइट पर प्रस्तुत भारत के गलत मानचित्र को तत्काल हटा दिया है।

सीएसआर हेतु निधि

3576. डॉ. संजय सिंह:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक जवाबदेही (सीएसआर) के अंतर्गत विभिन्न दूरसंचार कंपनियों द्वारा कुल कितनी राशि निर्धारित तथा खर्च की गई;

(ख) सीएसआर के अंतर्गत इन कंपनियों में से प्रत्येक द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार कंपनियां अपने सीएसआर लक्ष्यों को पूरा नहीं कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मोबाइल टावरों का पारेषण स्तर

3577. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोबाइल टावरों के पारेषण स्तर के संबंध में कोई अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उद्योग द्वारा रखे जा रहे आंकड़ों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में दूरसंचार कंपनियां मोबाइल संचार प्रणाली के संबंध में ऐसे आंकड़े रख रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीय प्राधिकरणों को मोबाइल टॉवरों से होने वाले रेडियो आवृत्ति पारेषण के प्रतिकूल स्तरों से अपने नागरिकों की संरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक अपनाने चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण आयोग (आईसीएनआईआरपी) द्वारा तैयार किए गए "विकिरण के दुष्प्रभाव से बचाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों" का उल्लेख किया है।

दूरसंचार विभाग ने आईसीएनआईआरपी द्वारा मोबाइल टॉवरों से निकलने वाले वैद्युत-चुम्बकीय विकिरण संबंधी निर्धारित संदर्भ-स्तरों का अनुपालन करते हुए अभिगम सेवा लाइसेंसों में दिनांक 4 नवंबर, 2008 के संशोधन के तहत इस अपेक्षित निदेश को शामिल किया है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

आवृत्ति रेंज	ई-फील्ड क्षमता (वोल्ट/मीटर(वी/एम))	एच-फील्ड क्षमता (एम्पियर/मीटर(ए/एम))	विद्युत घनत्व (वाट/वर्ग मी. (डब्ल्यू/एस-एम)
400 मेगाहटर्ज से 2000 मेगाहटर्ज	1.375 एफ$^{1/2}$	0.0037 एफ$^{1/2}$	एफ/200
2 गीगाहटर्ज से 300 गीगाहटर्ज	61	0.15	10

(एफ प्रचालन की मेगाहटर्ज में आवृत्ति है)

भारत में, सेल्यूलर ग्लोबल सर्विसेज फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशन (जीएसएम) सेवाएं 900 मेगाहटर्ज और 1800 मेगाहटर्ज वाले आवृत्ति बैंड में प्रचालित की जा रही हैं। 900 मेगाहटर्ज बैंड में, अनुमत विद्युत घनत्व 4.6 वाट/वर्गमीटर है, जबकि 1800 मेगाहटर्ज बैंड के लिए अनुमत विद्युत घनत्व 9.2 वाट/वर्गमीटर है।

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 8 अप्रैल, 2010 के अपने पत्र के तहत सभी सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस)/एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों को यह निदेश दिया है कि वे वैद्युत-चुम्बकीय क्षेत्र (ईएमएफ) के विकिरण मानकों को पूरा करने के लिए अपने बेस पारेषण केंद्र (बीटीएस) के द्वारा किए गए स्वप्रमाण के माध्यम से उन संदर्भ सीमाओं/स्तरों का अनुपालन करें जो आईसीएनआईआरपी द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

(ख) अधिकांश देशों में मोबाइल टॉवरों से होने वाले उत्सर्जन के संबंध में आईसीएनआईआरपी द्वारा निर्धारित स्तरों का अनुपालन किया जा रहा है। तथापि विश्व के कुछ देशों ने अपनी पर्यावरणीय एवं भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपने देश के लिए विकिरण स्तर स्वयं निर्धारित किए हैं जिनमें से कुछ के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

देश का नाम	विकिरण आवृत्ति फील्डों हेतु प्रभावन सीमा (1800 मेगाहटर्ज बैंड)
1	2
यूएसए, कनाडा और जापान	12 वाट/वर्गमीटर
आईसीएनआईआरपी तथा यूरोपीय संघ की 1998 की सिफारिश भारत में लागू की गई	9.2 वाट/वर्गमीटर
आस्ट्रेलिया	9 वाट/वर्गमीटर

1	2
बेल्जियम	2.4 वाट/वर्गमीटर
इटली, इजरायल	1.0 वाट/वर्गमीटर
ऑकलैंड, न्यूजीलैंड	0.5 वाट/वर्गमीटर
लक्जमबर्ग	0.45 वाट/वर्गमीटर
चीन	0.4 वाट/वर्गमीटर
रूस (1970 तक) बुलगारिया	0.2 वाट/वर्गमीटर
पोलैंड, पेरिस, हंगरी	0.1 वाट/वर्गमीटर

(ग) से (ङ) भारत के सभी मोबाइल प्रचालकों द्वारा आईसीएनआईआरपी मानकों का अनुपालन किया जा रहा है तथा वे विकिरण संबंधी इन मानकों के अनुपालन के संबंध में अपने प्रत्येक टॉवर हेतु स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी नए बीटीएस स्थलों से विकिरण का उत्सर्जन दूरसंचार विभाग के संगत दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन एवं निगरानी (टीईआरएम) प्रकोष्ठों को स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही शुरू किया जाता है।

टीईआरएम प्रकोष्ठ अपने स्वयं के निर्णय के आधार पर 10% नए बीटीएस स्थलों की जांच यादृच्छिक आधार पर करता है। इसके अलावा, जिन बीटीएस स्थलों के विरूद्ध जनल शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी भी जांच टीईआरएम प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही है। यदि किसी बीटीएस स्थल में वैद्युत चुम्बकीय विकिरण संबंधी मानदंड को पूरा नहीं किया जाता है, तो प्रति बीटीएस 5 लाख रुपये की शास्ति आरोपित करने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में सेवा प्रदाताओं द्वारा टीईआरएम प्रकोष्ठ की रिपोर्ट के एक महीने की अवधि के भीतर मानदंड को अवश्य पूरा करना चाहिए, अथवा स्थल को बंद कर दिया जाए। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 6,50,400 से अधिक बीटीएस के लिए स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, टीईआरएम प्रकोष्ठ ने पहले ही बीटीएस विकिरण की जांच करना आरंभ कर दिया है तथा अब तक 4100 से भी अधिक बीटीएस की जांच कर ली गई है तथा वहां उत्सर्जित होने वाले विकिरण का स्तर निर्धारित मानकों के अंतर्गत पाया गया है।

गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट

3578. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार से गुजरात, विशेषरूप से भुज में कोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है तथा उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) भारत सरकार को ग्राम नवागांव, ताल्लुक धुनधुक, जिला अहमदाबाद, गुजरात में धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए गुजरात अवसंरचना विकास बोर्ड (जीआईडीबी) की ओर से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने जीआईडीबी के प्रस्ताव पर विचार किया है और ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए अपेक्षित स्थल संबंधी अनापति प्रदान कर दी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी

3579. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निशक्त बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में छात्र-अध्यापक का अनुपात क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर संसाधन शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है ताकि वे स्कूलों का दौरा करके उनमें नामांकित नि:शक्त बच्चों को संसाधन सहायता दे सकें और ऐसे बच्चों को संभालने के लिए सामान्य शिक्षकों को सहयोग दे सकें। देश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष रूप से प्रशिक्षित 18029 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान माध्यमिक स्तर पर विकलांगों हेतु समावेशी शिक्षा योजना के तहत विभिन्न राज्यों में भर्ती किए गए संसाधन शिक्षकों की संख्या 10764 है। छात्र-शिक्षक का निर्धारित अनुपात 5:1 है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली, दादरा व नगर हवेली तथा उत्तर प्रदेश में संसाधन शिक्षकों की कमी है।

नि:शक्त बच्चों हेतु शैक्षिक संसाधन सहायता को और मजबूत बनाने के लिए और अधिक संसाधन शिक्षकों की भर्ती करने का प्रयास किया जा रहा हैं कक्षा I-VIII में एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु योग्यता हासिल करने के बाबत किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता के रूप में डी.एड. (विशेष शिक्षा) तथा बी.एड. (विशेष शिक्षा) को शामिल करने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एस.सी.टी.ई.) ने अधिसूचित भी किया है।

आर्थिक विकास दर

3580. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगातार उच्च मुद्रास्फिति के बीच सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु आर्थिक विकास दर में कमी किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र विशेष रूप से विनिर्माण और निगमित क्षेत्र में लखित वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) पंचवर्षीय योजना तैयार करने के दौरान पूरे पांच वर्षों की अवधि के लिए अर्थव्यवस्था का विकास लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में योजना अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 9 प्रतिशत वार्षिक औसत विकास दर हासिल करने की परिकल्पना की गई है। इसके परिणाम में, योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान विकास दर प्रतिवर्ष औसत 8.1 प्रतिशत हासिल हुई है। विकास निष्पादन में यह कमी अन्य कारणों के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक संकट, खराब मानसून के कारण कृषि में निम्न विकास तथा खाद्य मूल्यों में वृद्धि के कारण आई है। वर्ष 2008-09 के दौरान विकास निष्पादन में गिरावट तथा वर्तमान घरेलू व वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में योजना हेतु विकास लक्ष्य संशोधित कर वार्षिक औसत जीडीपी विकास दर 8.1% कर दी गई है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यनीति के रूप में समावेशी विकास माडल अपनाया गया है जिसमें भौतिक व सामाजिक अवसंरचना के सृजन के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों एवं स्कीमों के विकास में वृद्धि का प्रभाव है। लक्ष्य हासिल करने के लिए अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक में विस्तृत कार्यनीति की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में व्याख्या की गई हैं तथापि, कृषि क्षेत्रक में विकास दर में तेजी लाने के उद्देश्य से कुछ शीर्ष स्कीमें हैं: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण अवसंरचना में सुधार करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) जैसी अन्य स्कीमों के कार्यान्वयन से कृषि उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा। विनिर्माण, उद्योग व सेवा क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया में तेजी लाने के उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है: प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस), औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस), भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एकीकृत अवसंरचना विकास (आईआईडी) स्कीम, सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एकीकृत अवसंरचना विकास (आईआईडी) स्कीम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमईज) को ऋण देने हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम, वित्तीय क्षेत्रक (विनियम एवं विकास) बिल 2007 लागू करना, वित्तीय समावेशन निधि एवं वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि का गठन, अवसंरचना परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण, एफडीआई नीति का

उदारीकरण, विचाराधीन राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजैड) का सृजन, कर एवं शुल्क राहत के रूप में प्रोत्साहन प्रावधान, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम (एसटीपीआई), राष्ट्रीय कौशल दक्षता विकास मिशन (एनएसडीएम) शुरू करना आदि।

पॉलीटेक्निक के उन्नयन के लिए कायिक निधियों का गठन

3581. **श्री एम.आई. शानवास:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अवसंरचना, पाठ्यक्रम सुधार, बेहतर प्रयोग सुविधाएं सहित नए पाठ्यक्रमों को जोड़ने के दृष्टिगत पॉलीटेक्नीक्स के उन्नयन हेतु किसी निकाय का गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पॉलीटेक्निक की आवश्यकता का आकलन करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) जी, नहीं। हालांकि, यह मंत्रालय ''कौशल-विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के तहत पॉलीटेक्निक उप-मिशन'' योजना पहले से ही कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत यह मंत्रालय 500 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निकों को अवसंरचनात्मक सुविधाओं के स्तरोन्नयन, आधुनिक उपकरणों के लिए तथा अप्रचलित उपकरणों को बदलने के लिए, शिक्षण, अध्ययन तथा परीक्षा प्रक्रियाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए आधुनिक सुविधाएं देने के लिए और नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए अधिकतम 2.00 करोड़ रुपये प्रति पॉलीटेक्निक की दर से एकमुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस योजना के लिए 11वीं योजना में 1000 करोड़ रुपये का योजनागत आबंटन है।

वी.आई.पी. हैलीकॉप्टर

3582. **श्री सुरेश कुमार शेटकर:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को अगले वर्ष वी.आई.पी. हैलीकॉप्टरों की पहली खेप मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन हैलीकॉप्टरों से किन उद्देश्यों की प्राप्ति होने की संभावना है; और

(घ) सरकार ने उक्त मामले के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) इस समय, आंध्र प्रदेश समेत किसी भी राज्य सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर के आयात का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के पास लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

निजी बी.एड. कॉलेजों में अनियमितताएं

3583. **श्री पशुपति नाथ सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार मौजूद निजी बी. एड. कॉलेजों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को देश में निजी बी.एड. कॉलेजों/संस्थानों द्वारा विशेष रूप से पाठ्यक्रम और शिक्षण में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान प्राप्त की गई ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने दोषी कॉलेजों/संस्थानों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार 31.03.2010 तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त प्राइवेट बी.एड. कॉलेजों की संख्या 5743 है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यकरण में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ऐसे मामलों में एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदंडों तथा अन्य शर्तों का संस्थाओं द्वारा उल्लंघन किए जाने की स्थिति में एनसीटीई अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत निरीक्षण तथा एनसीटीई अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत मान्यता का प्रत्याहरण करती

है। एनसीटीई द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर वर्ष 2010 में 404 अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों/संस्थाओं की मान्यता वापस ले ली गई थी।

विवरण

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार भारत में बी.एड. संस्थाओं का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	बी.एड. संस्थाओं की संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
आंध्र प्रदेश	476
अरुणाचल प्रदेश	2
असम	42
बिहार	44
चंडीगढ़	4
छत्तीसगढ़	105
दमन और दीव	1
दिल्ली	54
गोवा	4
गुजरात	232
हरियाणा	237
हिमाचल प्रदेश	85
झारखंड	29
कर्नाटक	365
केरल	144
लक्षद्वीप	0
मध्य प्रदेश	450
महाराष्ट्र	560
मणिपुर	5
मेघालय	2
मिजोरम	0
नागालैंड	2
उड़ीसा	0
पुडुचेरी	36
पंजाब	224
राजस्थान	794
सिक्किम	2
तमिलनाडु	682
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	1,056
उत्तराखंड	18
पश्चिम बंगाल	85
कुल योग	5,743

केवीएस में छात्रावास सुविधाएं

3584. श्री कामेश्वर बैठा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे केन्द्रीय विद्यालयों (केवीएस) की स्थान-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है जिनमें केवी संगठन द्वारा अब तक छात्रावास सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य केवीएस में छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) 9 केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) में छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन छात्रावासों की स्थान-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अन्य किसी केन्द्रीय विद्यालय में छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

छात्रावास सुविधाओं वाले केन्द्रीय विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	छात्रावास सुविधाओं वाले केन्द्रीय विद्यालयों के नाम	स्थान	राज्य
1.	कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद (बालक)	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
2.	लैंसडाउन (बालक)	जिला पौड़ी गढ़वाल	उत्तराखंड
3.	जवाहर नगर (बालक)	सीतामढ़ी	बिहार
4.	नं. 1 दिल्ली केंट (बालिका)	सदर बाजार रोड़ दिल्ली केंट	दिल्ली
5.	झज्जर (बालक)	जिला झज्जर	हरियाणा
6.	नं.1 ग्वालियर (बालक)	शक्ति नगर ग्वालियर	मध्य प्रदेश
7.	एससी केन्द्र बंगलौर (बालिका)	बंगलौर	कर्नाटक
8.	पंचमढ़ी (बालक)	पंचमढ़ी	कर्नाटक
9.	वीएसएन नागपुर (बालक)	नागपुर	महाराष्ट्र
10.	वीएसएन नागपुर (बालिका)	नागपुर	महाराष्ट्र

छात्र संघ के चुनाव

3585. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाईसी सयमाद्रि समिति ने इलाहाबद विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव कराने हेतु विनियम बनाने के लिए विद्वत परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति की सिफारिशों के आधार पर चालू वर्ष में छात्र संघ/छात्र परिषद का गठन किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इनका गठन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार वाई.सी. सिमहद्री समिति ने अपनी रिपोर्ट इस विश्वविद्यालय को प्रस्तुत कर दी है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अपनी विद्वत परिषद् (अकादमिक परिषद) के समक्ष अभी रखा जाना है। चूंकि अकादमिक परिषद् एवं अन्य सांविधिक निकाय नामत: कार्यकारी परिषद द्वारा अभी समिति की सिफारिशों पर विचार किया जाना है, इसलिए विद्यार्थी यूनियन/विद्यार्थी के गठन के बारे में निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

डीजल चालित मोबाइल टावर

3586. श्री अर्जुन राय:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार कंपनियां अपने दूरसंचार टावरों हेतु विद्युत का उत्पादन करने के लिए रियायती दरों वाले डीजल का उपयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एक वर्ष में इस हेतु कितने डीजल का उपयोग किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु रियायती दरों वाले डीजल के ऐसे दुरुपयोग को रोकने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस संबंध में क्या कार्यवही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, नहीं। दूरसंचार कंपनियों द्वारा अपने दूरसंचार टॉवरों के लिए विद्युत उत्पादन हेतु बाजार में उपलब्ध डीजल का प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

अर्थव्यवस्था में मंदी आना

3587. श्री तथागत सत्पथी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था में और मंदी आने की भविष्यवाणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) आर्थिक विकास की वास्तविक वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विशेष रूप से अमेरिका के कारण विश्व में आ रहे आर्थिक संकट के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए क्या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) पीएमईएसी ने अनुमान लगाया है कि 2011-12 में संपूर्ण आर्थिक विकास 8.2% से ज्यादा होने की संभावना नहीं है, जो जुलाई 2010 तथा फरवरी 2011 के पूर्वानुमानों, दोनों से काफी कम है। पिछले एक वर्ष के दौरान की घटनाओं ने मांग के निवेश घटक पर तुलनीय प्रभाव के साथ, विशेषत: मध्यम अवधि में, निवेशक विश्वास को कम कर दिया है। प्रत्याशित से ज्यादा स्फीतिकारी स्थिति ने सख्त वित्तीय नीति को आवश्यक बनाया है जो अल्पावधि में मांग को प्रभावित करेगी, विशेषत: उपभोक्ता वस्तुओं एवं आवास क्षेत्रक में। इन गतिविधियों के आलोक में परिषद महसूस करती है कि 2011-12 में आर्थिक वृद्धि, पूर्व में अनुमानित (9 प्रतिशत) से काफी कम होगी एवं कम विकास दर का बड़ा हिस्सा विनिर्माण एवं आवास क्षेत्रक में प्रतिबिंबित होगा।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 31 मई, 2011 को जारी किए गए राष्ट्रीय आय 2010-11 के संशोधित अनुमान वर्ष 2009-10 के लिए 8.0 प्रतिशत एवं वर्ष 2010-11 के लिए 8.5 प्रतिशत की जीडीपी विकास दर को इंगित करते हैं। सरकार सभी मुख्य सूचकों को करीब से मॉनीटर कर रही है तथा वृहद आर्थिक स्थिरता पर वैश्विक गतिविधियों के प्रभाव का सतत रूप से आकलन करती रहेगी। भारत उभरती हुई स्थिति पर तीव्रता एवं उचित रूप से प्रतिक्रिया करेगा।

भ्रष्ट अधिकारियों हेतु दंड

3588. श्री रवनीत सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों की सेवाएं बर्खास्त करने सहित दोषी सरकारी अधिकारियों को दंडित करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को शीघ्र दंडित करने के लिए यदि, आवश्यक हो तो कानूनी प्रावधानों में संशोधन करने हेतु उनकी समीक्षा कर ही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) सरकार ने अनुशासनिक/सतर्कता कार्यवाहियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जांच कर उपाय सुझाने के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की थी। समिति ने सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर निष्कर्ष पर पहुंचने में लगने वाले समय को कम करने हेतु अनेक सिफारिशें की हैं। अपनी रिपोर्ट में, समिति ने निम्नलिखित अनुशंसाएं की हैं;

- सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों में से जांच अधिकारियों के पैनल बनाना और जांच-कार्य हेतु पारिश्रमिक में वृद्धि करना;
- लघु शास्ति अनुशासनिक जांच को पूरा करने हेतु दो माह और बड़ी शास्ति अनुशासनिक जांच को पूरा करने हेतु 12 माह की समय-सीमा का निर्धारण;
- सीवीसी के साथ द्वितीय स्तर के परामर्श को छोड़ देना;
- लघु शास्ति अनुशासनिक मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श को छोड़ देना;
- राज्यों में सांविधिक दर्जे के सतर्कता आयोगों का गठन;
- बड़ी शास्ति अनुशासनिक जांच में बातचीत की शुरूआत;
- पेंशन/उपदान में कटौती सहित अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बड़ी शास्ति;
- किसी सक्षम न्यायालय में सुनवाई की शुरूआत के पश्चात् भ्रष्ट कार्यों के आरोपों पर सेवा से पदच्युति हेतु प्रावधान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 311 में संशोधन;

समिति की रिपोर्ट की जांच चल रही है।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाना

3589. श्री हरिन पाठक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाने हेतु निधियों के आबंटन के संबंध में मूल्यांकन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या योजना पैनल ने सरकार से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का आकलन करने हेतु भी अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली ने सरकार के अनुरोध पर अध्यापक शिक्षा की केन्द्र-प्रयोजित योजना का एक व्यापक मूल्यांकन किया था। अगस्त, 2009 में प्रस्तुत एनसीईआरटी की रिपोर्ट में इस योजना के संशोधन के लिए अनेक निष्कर्ष और सिफारिशें निहित हैं जिनमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, 1.4.2002 के बाद सृजित जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थनों की स्थापना, अध्यापक शिक्षा कॉलेजों तथा उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, ब्लॉक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों का पुनरूज्जीवन शामिल है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने वर्ष 2010 में अध्यापक शिक्षा की पुनर्सरचना और पुनर्गठन पर मूल्यांकन अध्ययन शुरू किया था। यह अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

सौर मोबाइल चार्जिंग स्टेशन

3590. श्री उदय प्रताप सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ऊर्जा और संसाधन संस्थान परियोजना, लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स (एल.ए.बी.एल.) के माध्यम से 5000 गांवों में सौर मोबाइल चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनमें अब तक ऐसे स्टेशनों की स्थापना की गई है; और

(ग) उन गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनमें यह सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) की "लाइटिंग ए बिलयन लाइव्स (एलएबीएल)" परियोजना के अंतर्गत इसके द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे केंद्रीकृत सौर चार्जिंग स्टेशनों (सीएससीएस) का संवर्धन करके 5000 गांवों में सौर प्रकाश वोल्टीय आधारित मोबाइल फोन चार्जिंग सुविधाएं (एसएमसीएफ) उपलब्ध कराने के लिए 29.04.2010 को टीईआरआई के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

जिन गांवों में एसएमसीएफ उपलब्ध कराए जाने की संभावना है और जिन गांवों में एसएमसीएफ उपलब्ध करा दिए गए हैं उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

सौर प्रकाश वोल्टीय आधारित मोबाइल फोन चार्जिंग सुविधाएं (एसएमसीएफ) उपलब्ध कराए जाने वाले गांवों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	गांवों की संख्या
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	1000
2.	उत्तराखंड	50
3.	बिहार	1000
4.	मध्य प्रदेश	500
5.	महाराष्ट्र	200
6.	छत्तीसगढ़	50
7.	पश्चिम बंगाल	200
8.	ओडिशा	800
9.	राजस्थान	400
10.	असम	200
11.	झारखंड	400
12.	जम्मू और कश्मीर	50
13.	अन्य राज्य (हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश)	150
	कुल	5000

*ऊर्जा और संसाधन संस्थान

विवरण-II

सौर प्रकाश वोल्टीय आधारित मोबाइल फोन चार्जिंग सुविधाएं (एसएमसीएफ) उपलब्ध कराए गए गांवों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	एसएमसीएफ उपलब्ध कराए गए गांवां की संख्या
1.	बिहार	50
2.	छत्तीसगढ़	50
3.	मध्य प्रदेश	93
4.	ओडिशा	34
5.	उत्तर प्रदेश	73
	कुल	300

[अनुवाद]

कोयले का परिवहन

3591. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खानों में निकाले जा रहे कोयले का परिवहन 1 कि.मी. की परिधि में स्थित कोयला हैंडलिंग संयंत्रों और रेलवे साइडिंगों पर विभागीय परिवहन द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) सहित कुछ कोयला कंपनियां इन नियमों का उल्लंघन कर रही हैं जिससे सरकारी खजाने को भारी हानि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त नियमों/नीति का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) जी, नहीं। कोल इंडिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि कोल इंडिया लिमिटेड की कोलियरियों में उत्पादति कोयले को 01 कि. मी. के रेडियस के भीतर स्थित कोल हैंडलिंग संयंत्रों और रेलवे साइडिंग्स में विभागीय परिवहन द्वारा/नागरिक परिवहन, ठेकेदारों/भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) परिवहन एजेंसियों को लगा करके ले जाया जाता है।

(ख) से (च) इस प्रश्न के भाग (क) के लिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पोत से लापता भारतीय

3592. श्री दारा सिंह चौहानः क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सिबु से कुचिंग जाते समय एमवी सून बी-दो पोत से भारतीय नागरिकों के लापता होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मलेशिया स्थित भारतीय दूतावास ने इस संबंध में कोई प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी हां।

(ख) 11.01.2011 को सरावाक, मलेशिया के समुद्रतट के पास काउला राजंग, सरीकेई में डूब गए समुद्री जहाज एम वीः सून बी-II के चालक दल का हिस्सा रहे भारतीय राष्ट्रिकों के सगे-संबंधियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। चालक दल में 9 भारतीय राष्ट्रिक थे, उनमें से 5 को बचा लिया गया था। शेष बचे चार का पता नहीं लच सका (बचाए गए और लापता भारतीयों के नाम और पासपोर्ट संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं)। अद्यतन सूचना के अनुसार चार लापता भारतीयों का अभी तक पता नहीं चल सका है। और मलेशियाई सरकार एवं नियोक्ता मैसर्स साउदर्न नेविगेशन एसडीएन, बीएचडी, सरावाक, मलेशिया के अनुसार उनमें से किसी का भी शव बरामद नहीं हुआ। इस प्रकार इस दुर्घटना में इन चार लापता भारतीयों के मारे जाने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।

(ग) जी, हां। भारतीय उच्चायोग, कोलालाम्पुर ने 17.01.2011 को दुर्घटना की जानकारी प्राप्त करने के बाद बचाए गए भारतीयों को स्वदेश वापस भेजने के लिए और लापता भारतीयों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया।

(घ) विवरण निम्नानुसार है:-

(i) मिशन ने बचाए गए पांच भारतीय राष्ट्रिकों को उसी दिन (24.01.2011) जब उन्हें नियोक्ताओं द्वारा मिशन में ले आया गया, आपातकालिक प्रमाणपत्र (यात्रा दस्तावेज) जारी कर दिया। उन्हें 26.01.2011 को भारत वापस भेज दिया गया।

(ii) जहां तक चार लापता भारतीयों का संबंध है, मिशन ने 17.01.2011 को (दुर्घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद) नियोक्ता (जहाजरानी कंपनी) को पत्र लिखा और बाद में मलेशियाई प्राधिकारियों को लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कहा। खोजबीन एवं बचाव आपरेशन सतत आधार पर तेज करने का आग्रह किया मलेशियाई पक्ष से इस मामले के संबंध में पुलिस की छानबीन के बारे में मिशन को अद्यतन जानकारी से अवगत कराने का भी अनुरोध किया।

(iii) मिशन ने संबंधित भारतीयों का पता लगाने में सहयोग के लिए मलेशिया के विदेश मंत्रालय, श्रम महानिदेशक, मलेशिया के मानव संसाधन मंत्रालय और मुख्य निरीक्षक, इंटरपोल, मलेशिया/रायल मलेशियाई पुलिस से संपर्क किया।

(iv) मलेशियाई पक्ष ने 21.01.2011 को सूचित किया कि वे 19.01.2011 तक संबंधित भारतीयों का पता लगा पाने में विफल रहे और इस तरह 11.01.2011 से शुरू आठ दिनों तक चले ऑपरेशन को रोक दिया गया।

(v) चूंकि चार लापता भारतीयों का पता नहीं लगाया जा सका, इसलिए मिशन ने संबंधित भारतीयों के निकटतम संबंधी को मुआवजा दिलाने के लिए नियोक्ता के साथ संपर्क किया। नियोक्ता ने 18.03.2011 को सूचित

किया कि वह मुआवजे का भुगतान कराने के लिए संबंधित बीमा कंपनी के संपर्क में है और उसने मुआवजे के लिए आवेदन पेश कर दिया है।

(vi) इस अवधि के दौरान उच्च आयोग ने कुछ लापता भारतीयों, श्री अखंड प्रताप सिंह और श्री अरुण मथुन्नी राज के परिजनों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। मिशन ने परिवारों को नियोक्ता का संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराया, ताकि वे कंपनी से सीधे संपर्क कर सकें।

(vii) मिशन ने मलेशिया की सरकार और कंपनी को जुलाई के अंत में पत्र लिखकर उनसे मामले के संबंध में पुलिस छानबीन की स्थिति की अद्यतन जानकारी देने का अनुरोध किया था और यह भी अनुरोध किया था कि उसके परिणाम और बीमा दावे के भुगतान की संभावित तारीख की जानकारी प्रदान की जाए।

विवरण

बचाए गए और लापता भारतीयों के नाम और पासपोर्ट संख्या

(क) बचाए गए पांच भारतीय राष्ट्रिकः-

(i) अथौबा बारेक्रॉन कबुई (पासपोर्ट सं. जी-3109061)

(ii) विवेक कुमार शर्मा (पासपोर्ट सं. एच-4507568)

(iii) मनीश कुमार सिंह (पासपोर्ट सं. एच-4087364)

(iv) रविन्दर दीप सिंह (पासपोर्ट सं. एच-6048457)

(v) नरोत्तम बंशियार (पासपोर्ट सं. एच-3109061)

(ख) लापता बताए गए चार भारतीयः-

(i) त्रिपाठी योगेश कुमार (पासपोर्ट सं. एच-2599608)

(ii) अरुण मथुन्नी राज (पासपोर्ट सं. एच-2640283)

(iii) विजित हजारिका (पासपोर्ट सं. एच-3821287)

(iv) अखंड प्रता सिंह (पासपोर्ट सं. एच-3107713)

[अनुवाद]

छात्रों के हितों की रक्षा करना

3593. डॉ. रत्ना डेः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार ने मान्यता रद्द किए मानद विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) कतिपय सम-विश्वविद्यालयों के घटते हुए अकादमिक स्तरों के संबंध में जन-साधारण द्वारा व्यक्त की चिंता के दृष्टिगत सरकार ने लब्धप्रतिष्ठित अकादमिक विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा इन संस्थाओं की समीक्षा करने के आदेश दिए थे। इस समीक्षा में, ऐसी 44 संस्थाओं में कमियां पाई गईं तथा इस प्रकार से उन्हें सम-विश्वविद्यालय के रूप में कार्य जारी रखने के लिए अनुपयुक्त पाया गया था। सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर इस समीक्षा समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। तथापि, यह मामला विप्लव शर्मा मामले (रिट याचिका(सी) वर्ष 2006 की 142) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को इन 44 संस्थाओं की यथा-स्थिति कायम रखने के निदेश दिए हैं। तद्नुसार, अभी तक किसी भी सम-विश्वविद्यालय संस्थान की मान्यता को रद्द नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठते।

इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि

3594. श्री आर. ध्रुवनारायणः
श्री पोन्नम प्रभाकरः
श्री विजय बहादुर सिंहः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में क्षमता और मांग के बीच भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किसी समर्पित 'इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि' का गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग में सुधार लाने के लिए राज्य में फैब सिटी की स्थापना करने के लिए सरकार से सहायता मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, आईटीईएस तथा इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग के विकास को तेज करने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए गठित कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकी की मांग में तीव्र वृद्धि घरेलू उत्पादन में वृद्धि की धीमी गति के फलस्वरूप उद्योग में मांग-आपूर्ति के अंतराल में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) एक समिति जिसमें अन्य लोगों के अलावा अध्यक्ष, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद (एनएमसीसी) तथा सार्वजनिक सूचना मूलसंरचना और नवोदभव पर प्रधानमंत्री के सलाहकार शामिल हैं, ने देश में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण के लिए पांच मुख्य सिफारिशें की हैं। इनमें से एक सिफारिश नवोदभव, अनुसंधान एवं विकास, भारतीय बौद्धिक संपदा और भारतीय माइक्रोप्रोसेसर के विकास को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी निधि (ईजीएफ) की स्थापना करने से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिकी विकास निधि (ईडीएफ) की स्थापना के लिए विस्तृत मसौदा परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) और (च) आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है कि फैबसिटी जैसे विद्यमान हार्डवेयर क्लस्टरों तथा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित क्षेत्रों पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग के विकास के लिए विचार किया जा सकता है। इस संबंध में नीति सरकार के विचाराधीन है। एक बार नीति को अंतिम रूप दिए जाने पर आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्तावों पर नीति की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

चीन द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार

3595. श्रीमती मीना सिंह:
श्री भूदेव चौधरी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों हेतु चीन की यात्रा करने वाले भारतीय शिष्टमंडल के प्रति चीन भेदभाव बरतता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिष्टमंडलों के कुछ भारतीय राज्यों के सदस्यों को प्रवेश नहीं दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भविष्य में सभी शिष्टमंडलों के साथ एक समान व्यववहार सुनिश्चित करने के लिए किस नीति का पालन किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ङ) सरकार को जम्मू व कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के भारतीय राष्ट्रिकों को नत्थी वीजा जारी करने की चीनी पद्धति की जानकारी है। पासपोर्ट से नत्थी किए गए अलग कागज पर जारी वीजा को देश से बाहर यात्रा करने के लिए वैध नहीं माना जाता है। सरकार के इस दृष्टिकोण से कि जम्मू व कश्मीर भारत का अभिन्न भाग हैं और अधिवास एवं जातीयता के आधार पर भारतीय राष्ट्रिकों के वीजा आवेदनों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चीनी सरकार को कई अवसरों पर जिसमें कि चीन के प्रधान मंत्री वेन जियावाओ की दिसंबर, 2010 में हुई भारत की यात्रा भी शामिल है, उच्च स्तरों पर स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया है।

[अनुवाद]

विशेष भर्ती अभियान

3596. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी:
श्री मानिक टैगोर:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री ए. गणेश मूर्ति:
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. सहित विभिन्न श्रेणियों हेतु रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए कोई अन्य विशेष भर्ती अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य विशेष अभियान चलाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त भर्ती के कब तक पूरा होने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) सरकार ने केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियों को भरने हेतु नवम्बर, 2008 में एक विशेष भर्ती अभियान चलाया था। इस अभियान हेतु 77,487 पिछली बकाया रिक्तियों की पहचान की गई थी जिनमें से अनुसूचित जातियों के लिए 25,560, अनुसूचित जनजातियों के लिए 28,542 और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 23,385 रिक्तियां थीं। यह तय किया गया था कि सभी पिछली बकाया रिक्तियां जून, 2011 तक भर ली जाएंगी। तथापि, समीक्षा करने पर यह पाया गया कि बड़ी संख्या में पिछली बकाया रिक्तियां अभी तक नहीं भरी गई हैं। इसीलिए अभियान दोबारा चलाया गया है। सभी मंत्रालयों/विभागों से शेष पिछली बकाया रिक्तियां दिनांक 31.03.2012 तक भर लेने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट मोबाइल टावर

3597. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री राजेन गोहैन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित पडोसी देशों ने भारतीय सीमा के 500 मीटर के दायरे में मोबाइल टावरों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पड़ोसी देशों से आ रहे सिग्नलों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट मोबाइल टावरों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या देश में सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग बांग्लादेश सहित पड़ोस देशों के मोबाइल सिम कार्डों का उपयोग कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) यह उल्लेख किया जाता है कि सीमा से मोबाइल टावरों की दूरी जो भी हो, यदि विदेशी सेवा प्रदाता का मोबाइल सिग्नल भारतीय भू-भाग के भीतर मौजूद है तो यह देश के सुरक्षा परिप्रेक्ष्य के लिए अनुकूल नहीं होगा। तथापि, रेडियों सिग्नल का प्रसार एक प्राकृतिक प्रघटना है और इसे केवल कम किया जा सकता है परंतु पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करते समय, इस बात की संभावना है कि सिग्नल दूसरे देश के भू-भाग में प्रवेश कर जाएं।

सूचना से इंगित होता है कि राजस्थान सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 10 किमी की दूरी पर पाकिस्तानी भू-भाग के भीतर "यू" फोन "टेनलोर" और "युआंग" मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल टावर संस्थापित किए गए हैं। टावरों के बीच लगभग 20-25 किमी का अंतराल है। ये टावर सौर प्रचालित बैटरियों से काम करते हैं।

यू-फोन, मोबिलिंक, जिम टेलीनोर, ओएसिस, वारिद जैसे पाकिस्तानी सेवा प्रदाताओं के मोबाइल "सिग्नल" बाड़मेर (जयसिंधार, मुनाबाओ, रोहिड़ी, खलीफो की बावरी, पी.एस गडरा रोड आदि) में भारतीय भू-भाग के भीतर उपलब्ध है। इसी प्रकार, जम्मू व कश्मीर के कुछ सीमावर्ती नगरों में पाकिस्तान के मोबाइल सेवा प्रदाताओं के सिग्नल प्राप्त होते हैं।

बांग्लादेश की सीमा पर पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर बांग्लादेश के एक्सिआटा नामक सेवा प्रदाता की ओर से व्यक्तिकरण पश्चिम बंगाल में गोसाईहाट (जिला कूच विहार) और जेडे रेलवे स्टेशन (जिला नादिया) क्षेत्रों में देखा गया है।

मोबाइल सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 500 मीटर चौड़ाई के "नो सर्विस जोन" के भीतर मोबाइल सेवा प्रदान करने की अनुमति नहीं हैं इसके अलावा, जम्मू व कश्मीर क्षेत्र में नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 10 किमी चौड़े बफर जोन में मोबाइल बेस ट्रांस-रिसीवर स्टेशन (बीटीएस) प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

(ग) रेडियो सिग्नल का प्रसार एक स्वाभाविक क्रिया है और इसे केवल कम किया जा सकता है पूरी तरह समाप्त नहीं किया

जा सकता। संबंधित देश के मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल कवरजे के लिए सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किए जाते समय अन्य देशों के भू-भाग में संकेतों का जाना संभावित है।

जैमर्स अन्य देश के मोबाइल संकेतों को रोकने के विकल्पों में से एक है। तथापि, वह दायरा जिसमें जैमर्स मोबाइल संकेतों को कारगर तीरके से रोक सकता है लगभग 3-4 किमी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट जैमर्स लगाकर पड़ोसी देशों के मोबाइल संकेतों को रोकने के लिए सीमा पर ऐसे बहुत सारे जैमर्स संस्थापित करने की जरूरत होगी। पड़ोसी देशों के मोबाइल संकेतों को रोकने के लिए कई सारे जैमर्स लगाना व्यवहारिक रूप से असंभव है। इसके अलावा, ऐसे जैमरों का प्रचालन और रख-रखाव करना कठिन है। इसके अतिरिक्त, मरूस्थलीय क्षेत्रों में व्यतिकरण के स्थान बालू के टीले के इधर से उधर होने के कारण बदलते रहेंगे, इसलिए किसी क्षेत्र विशेष में जैमरों का प्रयोग करना संभव नहीं होगा।

अत: इस समय जैमरयुक्त मोबाइल टॉवरों का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) दूरसंचार विभाग ने सीमा पार से आने वाले मोबाइल रेडियो संकेतों को नियंत्रित करने और समस्या से निजात पाने तथा व्यतिकरण को न्यूनतम करने के लिए प्रयोज्य तकनीकी समाधान प्राप्त करने हेतु इसे एक कार्य सूची मद के रूप में शुरू किया है।

भारतीय भू-भाग के भीतर अन्य देशों के मोबाइल सेवा प्रदाताओं के संकेतों को रोकने/कमजोर करने के लिए तकनीकी समाधान प्राप्त करने तथा इस बाबत उपाय सुझाने के लिए सीमार्वी क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं से संबंधित अंतर मंत्रालयी समिति/मॉनीटरिंग समूह की बैठक आयोजित की गई थी।

जैमर संस्थापित किया जाना व्यावहारिक रूप से असंभव होने के कारण, समिति ने दूरसंचार विभाग को इस मामले को आईसीटी संबंधी सार्क देशों के कार्यकारी समूह की बैठक में उठाने की सिफारिश की है। दूरसंचार विभाग ने एक अवधारणा पत्र पहले ही तैयार कर लिया है और सभी सदस्य देशों में वितरित किए जाने हेतु इसे सार्क सचिवालय को प्रस्तुत कर दिया है। इस पर सार्क कार्यकारी समूह की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग ने विदेश मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि उक्त मामले को पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ उठाया जाए और इसके अलावा इस प्रयोजनाथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की जाए जिसमें सीमापार सिग्नलों से संबंधित मुद्दे पर विचार विमर्श किया जा सके और समुचित रूप से उनका समाधान किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और मॉनीटरिंग (टर्म) प्रकोष्ठों का गठन किया है।

दूरसंचार विभाग का बेतार अनुश्रवण संगठन ऐसे क्षेत्रों का तकनीकी सर्वेक्षण करता है जहां सीमापार सिग्नल मिलने की रिपोर्ट मिलती है तथा सिग्नल मिलने की पुष्टि की जाती है ताकि उक्त मुद्दे को संबंधित देशों के समक्ष द्विपक्षीय स्तर पर उठाया जा सके।

(ङ) और (च) विदेशी राष्ट्रों से मोबाइल सिग्नलों का मिलना भारत के भू-भाग के भीतर भारतीय दूरसंचार नेटवर्क अवसंरचना से गुजरे बिना संगत देशों के मोबाइल संचार (सिम कार्डो) के उपयोग को सुगम बनाता है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय भू-भाग के भीतर व्यक्तियों/तस्करों द्वारा विदेशी राष्ट्रों (पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान) के सेवा प्रदाताओं के सिम कार्डो का गैर कानूनी रूप से उपयोग करने के बारे में सूचना मिली है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां और दूरसंचार विभाग के टर्म प्रकोष्ठ इस प्रकार के दुरुपयोग का पता लगाने और इनमें कमी करने हेतु मिलकर कार्य कर रहे हैं।

विद्यालय न जाने वाले बच्चे

3598. श्री हरीश चौधरी:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 को लागू किए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार देश में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इन बच्चों को स्कूल में पंजीकृत करने और देश में 100 प्रतिशत साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सामाजिक और ग्रामीण अनुसंधान संस्थान-आईएमआरबी अंतर्राष्ट्रीय के विशेषज्ञ यूनिट द्वारा 2009 में 6-13 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के लिए आयोजित राष्ट्रीय अखिल भारतीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश में 81.5 लाख स्कूल बाह्य बच्चे थे। बच्चों के स्कूल न जाने के बहुत से कारण हैं यथा सामाजिक-आर्थिक समस्याएं बस्तियों के आसपास स्कूलों का उपलब्ध न होना, अध्यापकों का उपलब्ध न होना तथा शिक्षा के लिए अपर्याप्त सामुदायिक गतिशीलता आदि। उपर्युक्त अध्ययन के अंतर्गत अभिनिर्धारित स्कूल बाह्य बच्चों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सर्व शिक्षा अभियान, जिसका लक्ष्य देश में प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण करना है, अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। आरंभ से 31.3.2011 तक सर्व शिक्षा तक सर्व शिक्षा अभियान ने प्रारंभिक शिक्षा में अवसंरचनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है जिसमें शामिल हैं-1.95 लाख नए प्राथमिक स्कूल, 1.71 लाख नए उच्च प्राथमिक स्कूल, 13.72 लाख अतिरिक्त शिक्षण-कक्ष, 4.55 लाख शौचालय और 2. 14 लाख पेयजल सुविधाएं/गुणवत्ता में सुधार के लिए सर्व शिक्षा अभियान ने देश में शिक्षकों के 18.89 लाख पद संस्वीकृत किए हैं और सर्व शिक्षा और अभियान की कार्यान्वयन संरचना में दिए गए मानकों के अनुसार यह पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण अधिगम सामग्री और छात्रों के लिए यूनिफार्म हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सर्व शिक्षा अभियान मानकों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया गया है।

विवरण

आईएमआरबी सर्वेक्षण, 2009 के अनुसार 6-13 वर्ष आयु के स्कूल बाह्य बच्चों की राज्य-वार संख्या

क.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	6-13 वर्ष आयु समूह के अनुमानित स्कूल बाह्य बच्चे
1	2	3
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
2	आंध्र प्रदेश	1,72,354
3	अरुणाचल प्रदेश	20,601
4	असम	2,34,983
5	बिहार	13,45,697
6	चंडीगढ़	1,974
7	छत्तीसगढ़	85,366
8	दादरा और नगर हवेली	444
9	दमन और दीव	23
10	दिल्ली	1,24,022
11	गोवा	0
12	गुजरात	1,62,355
13	हरियाणा	1,07,205
14	हिमाचल प्रदेश	2,451
15	जम्मू और कश्मीर	9,691
16	झारखंड	1,32,195
17	कर्नाटक	1,08,237
18	केरल	15,776
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	3,28,692
21	महाराष्ट्र	2,07,345
22	मणिपुर	12,222
23	मेघालय	12,655
24	मिजोरम	7,485
25	नागालैंड	8,693
26	ओडिशा	4,35,560

1	2	3
27	पुडुचेरी	993
28	पंजाब	1,267
29	राजस्थान	10,18,326
30	सिक्किम	647
31	तमिलनाडु	52,876
32	त्रिपुरा	8,434
33	उत्तर प्रदेश	27,69,111
34	उत्तराखंड	56,225
35	पश्चिम बंगाल	7,06,713
	कुल योग	81,50,618

[अनुवाद]

ऑटो ट्रैक-III प्रणाली

3599. श्री पी. लिंगम:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप मांझी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न नागर विमानन पत्तनों पर ऑटो ट्रैक (ए.टी.)-III प्रणाली अधिष्ठापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विमानपत्तनों पर ऑटो ट्रैक-III प्रणाली लगाने का उद्देश्य विमानपत्तन-वार कहां तक सिद्ध हुआ है;

(घ) उक्त प्रणाली के अधिष्ठापित पर आए व्यय का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मुंबई विमान यातायत नियंत्रण केन्द्र पर हाल ही में स्थापित ऑटो ट्रैक-III प्रणाली में कुछ खराबी आ गई है जिससे मुंबई विमानपत्तन पर विमानों के आने-जाने में बाधा आ रही है;

(च) यदि हां, तो क्या इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला तथा ऐसी खामियों से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारमूलक उपाय किए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डों पर ऑटो ट्रैक-III ऑटोमेशन सिस्टम स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त, ऑटो ट्रैक-III में उन्नत स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेशन सिस्टम के प्रावधान के अतिरिक्त, ऑटो ट्रैक-III में अनेक सुधार किए गए हैं, जैसे संवर्धित मानव मशीन संपर्क, इलैक्ट्रिक फ्लाइट स्ट्रिप, मीडियम टर्म कंफलिक्ट डीटेंशन, अराइवल मैनेजर, 32 सर्विलांस सेंसर डाट के लिए सॉफ्टवेयर विकास सुविधा प्रोसेसिंग क्षमता।

(घ) इस प्रणाली की संस्थापना पर 80.60 करोड़ रुपये (लगभग) की धनराशि व्यय की गई है।

(ङ) 3 जुलाई 2011 को मुंबई हवाई अड्डे पर एटी-III ऑटोमेशन सिस्टम में एक छोटी सी तकनीकी खामी आ गई। तथापि, 3 उड़ानों के प्रस्थान में 15-25 मिनट के विलंब को छोड़कर उड़ानों में कोई व्यवधान नहीं आया।

इस तकनीकी खामी की अवधि के दौरान, प्रचालनों को बैकअप एटी-II ऑटोमेशन सिस्टम पर अनुरक्षित किया गया। बाद में एटी-III सिस्टम में सामान्य प्रचालन आरंभ हो गए।

(च) और (छ) उपर्युक्त खामी का तकनीकी विश्लेषण इस प्रणाली के आपूर्तिकर्ता मैसर्स रेथियोन द्वारा किया गया। तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि यह खामी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक मोड्यूल में गड़बड़ की वजह से हुई। ऐसी किसी घटना से बचने के लिए सॉफ्टवेयर रिलीज में आवश्यक आशोधन किए गए हैं।

सीएसएस हेतु पद का सृजन

3600. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री गणेश सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003 में संवर्ग पुनर्गठन द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों हेतु विभिन्न ग्रेडों में कितने पदों का सृजन किया गया है;

(ख) डीओपीटी इन नए पदों को कब तक लागू करेगी; और

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों हेतु इन नए पदों को किन उपबंधों के अंतर्गत भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) वर्ष 2003 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग के पुनर्गठन पर विचार करते समय मंत्रिमंडल ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का अनुमोदन किया था:

(i) निदेशक के पदनाम वाले नए वरिष्ठ चयन ग्रेड का सृजन और केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में निदेशकों की संख्या 110 तक नियत करना (इसमें निदेशकों के 10 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाना शामिल है)

(ii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में उप सचिवों एवं अवर सचिवों की संख्या बढ़ाकर क्रमशः 330 और 1400 तक नियत करना (इसमें उप सचिव के किसी अतिरिक्त पद का सृजन नहीं किया जाना और अवर सचिवों के 54 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाना शामिल है)

(iii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारियों की संख्या 3000 तक नियत करना (इसमें अनुभाग अधिकारियों के 1405 पदों का सृजन शामिल है)।

(ख) और (ग) नई पद संरचना दिनांक 3.10.2003 से कार्यान्वित की गई थी और इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है।

यूरेनियम भंडार

3601. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री एस. सेम्मलई:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में उच्च मात्रा वाले यूरेनियम भंडारों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार और राज्य-वार देश में पाए गए यूरेनियम भंडारों की मात्रा कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त खोज पर कितना व्यय किया गया और राज्य-वार उक्त खोज कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त भंडारों से कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार नई खानें खोलने और नए प्रोसेसिंग संयंत्रों को स्थापित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) वर्तमान परमाणु ऊर्जा उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश द्वारा कितने प्रतिशत यूरेनियम का आयात किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग का एक संघटक यूनिट है, ने 30.06. 2011 की स्थिति के अनुसार 1,71,672 मीटरी टन यूरेनियम (U_3O_8) की विद्यमानता को प्रमाणित किया है। यूरेनियम के स्रोतों का स्थल-वार और राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य	निक्षेप का नाम (अवस्थिति)	प्रमाणित यूरेनियम स्रोत (मीटर टन में) ($4_3 0_8$)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	लम्बापुर	1450
	पेड्डागट्टू	7585

1	2	3
	तुमलापल्ली-रचकुंटापल्ली	63269
	कोप्पूनुरु	2761
	चित्रियाल	8473
	उप-योग	83538
छत्तीसगढ़	बोडल	1530
	जजावल	1438
	घूमड-धाबी	500
	भंडारीटोला	518
	उपयोग	3986
हिमाचल प्रदेश	राजपुरा	364
	काशा-कलाड़ी	200
	तिलेली	220
	उप-योग	784
झारखंड	जादुगुडा	5100
	जदुगुडा विस्तार (एक्सटेंशन)	1600
	भटिन	1150
	नावापहाड़	10700
	नवापहाड़ विस्तार (एक्सटेंशन)	1080
	तुमडीह	3750
	बहुरंग	5460
	बाजाता	1860
	मोललडीह	1700
	मोलडीह विस्तार (एक्सटेंशन)	1630
	तुमडीह (दक्षिण)	4850
	गीरडीह	1270
	कनालुका	1970
	निमीह	815

1	2	3
	राजगांव	1200
	नादुर	2910
	केन्द्रीय केरूआडूंगरी	1029
	सिंगोडूंगरी-बनाडूंगरी	1764
	बांगुडीह	1140
	उप-योग	50978
कर्नाटक	गोगी	4267
	वालवुजी-येल्लाक्की	415
	उप-योग	4682
महाराष्ट्र	नोगर्रा	355
	उप-योग	355
मेघालय	पीएम (डामियासियात)	9500
	खेन	5381
	गंमाघाट फ्लांगडिलोयन	1000
	तिनाई	600
	लॉरॉयन	771
	वाहट	1161
	उमागकुट	753
	उप-योग	19738
राजस्थान	रोहिल	5566
	उमरा	1160
	उप-योग	6726
उत्तर प्रदेश	नाकटु	785
	उप-योग	785
उत्तराखंड	पोखरी-टुंजी	100
	उप-योग	100
	कुल योग	1,71,672

(एक मीटरी U_3O_8=0.848 टन मीटरी टनी यूरेनियम धातु)

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, यूरेनियम के अन्वेषण के संबंध में किए गए योजनागत और गैर-योजनागत व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्षेत्र	व्यय (करोड़ रुपए में)		
	वित्त वर्ष 2008-09	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11
योजनागत	93.82	114.86	115.52
गैर-योजनागत	99.72	143.28	137.10
कुल	193.54	258.14	252.62

अन्वेषण संबंधी कार्य क्षेत्र की भू-वैज्ञानिक स्थिति के आधार पर किया जाता है और भू-वैज्ञानिक निरंतरता की वजह से समीपस्थ दो राज्यों के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है/उनमें अन्वेषण कार्य किया जाता है। अत: अन्वेषण संबंधी किसी विशेष कार्यकलाप के लिए राज्य-वार व्यय के बारे में विचार नहीं किया जाता है।

(घ) परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) द्वारा प्रमाणित यूरेनियम के भंडारों का दोहन, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल), जोकि इस विभाग का एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, द्वारा, खनन और पेषण प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। तत्पश्चात्, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र (एनएफसी), जोकि इस विभाग का एक संघटक यूनिट है, ईंधन को संविरचित करता है जिसका उपयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग के एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, नामत: न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा स्वदेश में ही विद्युत का उत्पादन करने के लिए परमाणु बिजलीघरों में किया जाता है। अत: यूरेनियम के भंडार से कोई प्रत्यक्ष आय नहीं होगी; लेकिन इस भंडार से नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों को प्रचालित किया जा सकेगा ओर बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा।

(ङ) जी, हां।

(च) वर्तमान में, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) पांच भूमिगत खानें (नामत: जादुगुड़ा, भाटिन, नरवापहाड़, तुरूमडीह और बागजात), एक विवृत खान (बंदुहुरंग) और पूर्वी सिंहभूम जिले में दो संसाधन संयंत्र (जादुगुडा और तुरूमडीह) प्रचालित कर रहा है, और सरायकेला खर्सवान जिले में मोहुलडीह में एक भूमिगत खान निर्माणाधीन है, (ये सभी झारखंड राज्य में स्थित हैं) आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली में एक भूमिगत खान और अयस्क संसाधन संयंत्र (तुललापल्ली यूरेनियम परियोजना), जिसकी क्षमता 3000 मीटरी टन प्रतिदिन (टीपीडी) अयस्क को संसाधित करने की है, निर्माण की प्रगत अवस्था में है। कर्नाटक के यदगिर जिले में गोगी नामक स्थल पर एक भूमिगत खान और संसाधन संयंत्र का कार्य परियोजना-पूर्व अवस्था में है।

(छ) वर्तमान में, यूरेनियम की अपेक्षित मात्रा का आयात, दूसरे देशों के साथ किए गए करारों के अंतर्गत, सुरक्षोपायों के अधीन वाले दस नाभिकीय रिएक्टरों में उपयोग के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इन स्रोतों का आयात करने से, भविष्य में उपयोग हेतु यूरेनियम के भंडार को जमा करने में भी सहायता मिलेगी।

एसएसए/आरएमएसए संबंधी कार्यकारी समिति का पुनर्गठन

3602. श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री रामकिशुन:
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्ष अभियान की शासी परिषद और कार्यकारी समिति के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शासी परिषद और कार्यकारिणी समिति ने गठन में संशोधन किया है। राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शासी परिषद और कार्यकारिणी समिति में वर्तमान सदस्यों के अतिरिक्त नए सदस्य शामिल किए गए हैं।

(i) राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान की शासी परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल किए गए हैं:-

शासी परिषद

(i) जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(ii) ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(iii) अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री

(iv) पंचायती राज राज्य मंत्री

(v) युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री

(vi) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(ii) राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान की शासी परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल किए गए हैं:-

कार्यकारिणी समिति

(i) सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय

(ii) सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(iii) सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय

(iv) सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग)

(v) सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(vi) सचिव, पंचायती राज मंत्रालय

(vii) सचिव, युवा कार्य और खेल मंत्रालय

(viii) सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(iii) राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान की शासी परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल किए गए हैं:-

शासी परिषद

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(iv) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय मिशन की कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल किए गए हैं:-

(i) सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय

(ii) सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग)

(iii) सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

[हिन्दी]

डीयूएमईटी-2011 का लीक होना

3603. श्री बिभू प्रसाद तराई:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित दिल्ली विश्वविद्यालय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा (डीयूएमईटी), 2011 का परीक्षा-पत्र लीक हो गया था

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली चिकित्सा परिषद ने डीयूएमईटी-2011 को रद्द करने की मांग की है और इस घटना की सीबीआई जांच की भी मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 70 से 80 विद्यार्थियों को अनुचित तरीके से सीटें मिली थी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 2011 का आयोजन स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर, विश्वविद्यालय ने उन्हें इस परीक्षा में भाग लेने वाले कतिपय अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करवाई हैं। विश्वविद्यालय ने भी इस मामले में एक जांच समिति का गठन किया है। जैसाकि जांच के परिणाम की प्रतीक्षा है, इसलिए डीयूएमईटी, 2011 में लीकेज के बारे में इस स्तर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

(ग) और (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, दिल्ली चिकित्सा संघ (न कि चिकित्सा परिषद) ने डीयूएमईटी प्रश्न पत्र के लीक होने का आरोप लगाया है और इस मामले में जांच के लिए अनुरोध किया है।

(ङ) से (छ) चूंकि जांच के निष्कर्ष अभी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उन अभ्यर्थियों यदि कोई हो की संख्या बता पाना मुश्किल है जिन्होंने अनुचित साधनों से सीटें प्राप्त की हैं। जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, जो

दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 के अन्तर्गत बनाई गई संविधियों एवं अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होता है, इसलिए विश्वविद्यालय उपयुक्त कार्रवाई करने में सक्षम है।

उच्च शक्ति प्राप्त समीक्षा समिति की रिपोर्ट

3604. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री सोमेन मित्रा:
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ऐन्ट्रिक्स (एएनटीआरआईएक्स) और मैसर्स देवास मल्टीमीडिया प्रा.लि. के मध्य रद्द समझौते की तकनीकी, वाणिज्यिक, प्रक्रियात्मक और वित्तीय पहलुओं की समीक्षा के लिए गठित की गई शक्ति प्राप्त समीक्षा समिति ने अपनी रिपार्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने त्रुटियों हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां तो सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) जी, हां। सरकारने ऐन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेसर्स देवा मल्टीमीडिया लिमिटेड के बीच की करार के तकनीकी, वाणिज्यिक, प्रक्रिया संबंधी एवं वित्तीय पहलुओं का पुनर्विलोकन करके सुधारात्मक उपाय सुझाने और यदि कोई कमी-कसर हुई हो तो उसकी जिम्मेदारी नियत करने के लिए फरवरी 10, 2011 को उच्च अधिकार पुनर्विलोकन समिति गठित की। समिति को ऐन्ट्रिक्स, इसरो एवं अंतरिक्ष विभाग में प्रवर्तमान कार्यविधियों तथा अनुमोद-प्रक्रिया की पर्याप्तता की समीक्षा करके सुधार एवं संशोधन का सुझाव देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई।

इसे उच्च अधिकार समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है। इन सिफारिशों की परख कर उसके आधार पर सरकार ने बहुत सारी कार्रवाईयां शुरू भी की हैं। आगे आवश्यकता पड़ने पर और कार्रवाई की जाएगी। अब तक जो कदम उठाए गए हैं उनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं;

(i) राजस्व विभाग और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संभावित लुप्त-प्राय एवं कृत-प्राय पर अन्वेषण शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

(ii) ऐन्ट्रिक्स-देवास करार के विविध पहलुओं की परख करके ऐसी करार पर हस्ताक्षर करने में अंतर्निहित लुप्त-प्राय एवं कृत-प्राय को पहचानने के लिए एक उच्च अधिकार टीम का गठन किया गया है।

(iii) अंतरिक्ष विभाग, इसरो एवं ऐन्ट्रिक्स के शासन एवं प्रणाली में सुधारात्मक उपाय अपनाए जा रहे हैं। उनके कार्यान्वियन की गति का अनुवीक्षण सचिव, अंतरक्षि विभाग की अध्यक्षता में एक विभागीय समिति करेगी। यह निर्णय किया गया है कि अंतरिक्ष आयोग नियमित रूप से अंतरिक्ष विभाग, इसरो तथा ऐन्ट्रिक्स के कार्यपालन की समीक्षा करेगा। अंतरिक्ष आयोग शासन एवं योजनाबद्ध सुधार के संदर्भ में बराबर सांवधिक समीक्षा हेतु यथोचित आदेश देगा। अंतरिक्ष आयोग के कार्यपालन तथा प्रभावोत्पादकता में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए।

(iv) जुलाई 07, 2011 से ऐन्ट्रिक्स के पूर्णकालिक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की गई है। ऐन्ट्रिक्स बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है। निदेशक स्तर के दो अधिकारियों को अंतरिक्ष विभाग में नियुक्त किया गया जो (i) परियोजनाओं, प्रापण तथा ऐन्ट्रिक्स संबंधी मामलों की और (ii) विधि संबंधी मामलों तथा संविदाओं की देखभाल करेंगे। अंतरिक्ष विभाग एवं ऐन्ट्रिक्स के बीच समन्वय की सुविधा के लिए सचिव, अंतरिक्ष विभाग की अध्यक्षता में एक समन्वय प्रबंधन समिति गठित की गई है।

(v) इन्सैट समन्वय समिति का पुनर्गठन किया गया है और पुनर्गठित समिति की पहली बैठक हुई है।

[अनुवाद]

पायलटों द्वारा हड़ताल

3605. श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में हड़ताल पर गए एयर इंडिया (एआई) पायलटों की मागों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार/एयर इंडिया प्रबंधन ने पायलटों की सभी मांगों को मान लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो अस्वीकृत मांगों सहित इसके क्या कारण हैं;

(घ) हड़ताल के कारण निलंबित और वेतन रोके गए पायलटों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार एअर इंडिया को बंद करने/एआई को निजीकृत करने का है ताकि निजी प्रचालकों को लाभ हो;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार/एआई प्रबंधन द्वारा भविष्य में ऐसी स्थिति में बचने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) भारतीय वाणिज्यिक पायलट संघ (आईसीपीए), जो कि पायलटों के एक भाग का प्रतिनिधित्व करता है, ने पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस तथा पूर्ववर्ती एअर इंडिया पायलटों के बीच, कार्य की परिस्थितियों तथा वेतन, प्रतिमाह डालर में नियत उड़ान घंटों के भुगतान तथा नियत सबसिस्टेंस भत्ते के भुगतान में समानता सहित अनेक मांगें की थीं।

(ख) और (ग) वेतन में समानता, कार्य परिस्थितियों, वरीतया आदि सहित मानव संसाधन एकीकरण मुद्दों की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से जांच करने के लिए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डी.एम. धर्माधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति ने इन मुद्दों की जांच का कार्य आरंभ कर दिया है और पायलट संघों सहित अन्य पक्षों के साथ बैठकें भी आयोजित की हैं।

(घ) एअर इंडिया ने 6 पायलटों और 3 कार्यपालक पायलटों को बर्खास्त किया हे। इसके अतिरिक्त 7 पायलटों को निलंबित कर दिया है और आईसीपीए के संघ की मान्यता को समाप्त कर दिया है। तथापि, पिछले निलंबन और संघ की मान्यता को रद्द किए जाने के आदेशों को वापस ले लिया गया है। हड़ताल की अवधि के लिए पायलटों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) उत्तर (ख) तथा (ग) भाग का संदर्भ लें।

मुंबई में हेलिपोर्ट

3606. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नारीमन प्वाइंट मुंबई और नेरूल, नवी मुंबई में हेलिपोर्ट की स्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने नेरूल में हेलिपोर्ट की स्थापना की अनुमति प्रदान कर दी है और नारीमन प्वाइंट मुंबई में इसे अस्वीकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार नारीमन प्वाइंट, मुंबई में हेलिपोर्ट की स्थापना के अनुरोध पर पुनर्विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नीलामी हेतु आरक्षित कोयला ब्लाक

3607. श्री विश्व मोहन कुमार:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन मानकों के अंतर्गत कुछ कोयला ब्लाकों को आरक्षित नीलामी करने का प्रस्ताव है;

(ख) ऐसे ब्लाकों की राज्य-वार संख्या क्या है और इनमें अनुमानित कोयला भण्डारों की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या उक्त नीलामी से प्राप्तियों को पूर्णतः संबंधित राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) नीलामी के लिए कोयला ब्लाकों को आरक्षित करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। इसके अलावा, बोली के माध्यम से नीलामी के अंतर्गत आबंटन के लिए अभी तक कोई कोयला ब्लॉक निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) जी, हां। प्रतियोगी बोली के माध्यम से प्राप्त समग्र लाभ को संबंधित राज्य सरकारों को अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है जहां ऐसे कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक स्थित हैं।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हज हेतु प्रतीक्षा सूची

3608. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री यशवीर सिंह:
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील:
श्री नीरज शेखर:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार हज यात्रा हेतु प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रतीक्षा-सूची अभ्यर्थियों का चयन और पुष्ट किस आधार की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि प्रतीक्षा-सूची अभ्यर्थियों का चयन पारदर्शी ढंग से किया जाए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में है।

(ख) और (ग) भारतीय हज समिति प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवारों के क्रम के अनुसार सरकारी कोटा के अंतर्गत राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को जारी अतिरिक्त सीटों/सीटें रद्द होने के कारण उपलब्ध सीटों पर प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों का चयन/पुष्टि करती है। यह प्रक्रिया चल रही है। भारतीय हज समिति द्वारा अपनाई गयी पद्धति पारदर्शी एवं निष्पक्ष है।

विवरण

क.सं.	प्रदेश/संघ शासित प्रदेश का नाम	कुल प्राप्त आवेदन
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार (संघशासित प्रदेश)	79
2.	आंध्र प्रदेश	17001
3.	असम	3951
4.	बिहार	5799
5.	चंडीगढ़	47
6.	छत्तीसगढ़	1258
7.	दादरा नगर हवेली (संघशासित प्रदेश)	28
8.	दमन और दीव (संघशासित प्रदेश)	47

1	2	3
9.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	6889
10.	गोवा	312
11.	गुजरात	32021
12.	हरियाणा	4636
13.	हिमाचल प्रदेश	95
14.	जम्मू और कश्मीर	24696
15.	झारखंड	3040
16.	कर्नाटक	12807
17.	केरल	41431
18.	लक्षद्वीप (संघशासित प्रदेश)	623
19.	मध्य प्रदेश	16163
20.	महाराष्ट्र	38822
21.	मणिपुर	467
22.	ओडिशा	786
23.	पुडुचेरी (संघशासित प्रदेश)	305
24.	पंजाब	574
25.	राजस्थान	14821
26.	तमिलनाडु	10458
27.	त्रिपुरा	134
28.	उत्तर प्रदेश	51453
29.	उत्तराखंड	3463
30.	पश्चिम बंगाल	10410
	योग	302,616

[हिन्दी]

विदेशों में श्रमिकों की मृत्यु

3609. श्री मनोहर तिरकी:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
डॉ. बलीराम:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेशों में मारे गए श्रमिकों सहित भारतीयों के परिवारों से अनुरोध/शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2010-11 में अब तक प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार इन मामलों पर किस ढंग से कार्यवाही करती है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) समय-समय पर मृतक भारतीय नागरिकों के परिवार के सदस्यों से, मृतक के शरीर को भेजने या उन्हें क्षतिपूर्ति की देयराशि दिलवाने के लिए सहायता मांगने से संबंधित अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार के अनुरोध विदेश स्थित भारतीय मिशनों को सीधे भी प्राप्त होते हैं।

(ग) विदेश स्थित भारतीय मिशनों से प्राप्त सूचना संलगन विवरण में दी गई है।

(घ) किसी भारतीय नागरिक की मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, तुरंत भारतीय मिशन से सम्पर्क करता है, जो फिर प्रायोजक और प्रायोजक कंवनी से, उन्हें तुरंत औपचारिकताएं पूरी करने और मृत शरीर को ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करने हेतु मृत्यु संबंधी कागजात भेजने का, दवाब बनाते हुए, सम्पर्क करता है। एक बार प्रायोजक अथवा मृतक के परिवार द्वारा प्राधिकृत अटार्नी द्वारा पूरे कागजात प्रस्तुत करने पर मिशन अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर देता है। अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् प्रायोजक या अटार्नी, स्थानीय प्राधिकरणों से स्वीकृति प्राप्त करते हैं और मृतक शरीर को वापस भारत ले जाने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करते हैं।

उन मामलों में, जहां मृत्यु मुआवजा राशि देय होती है, मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि मिशन उन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर, संबंधित विदेशी नियोक्ताओं, जहां आवश्यक हो, स्थानीय सरकारी प्राधिकारणों और यहां तक कि स्थानीय न्यायालयों, के साथ उठाए। पूरा होने पर, मृत्यु मुआवजे की राशि को, मृतक के परिवार को देने के लिए, निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद, राज्य सरकार को तत्काल अग्रेषित कर दिया जाता है।

इसी प्रकार, दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के मामलों में, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय मिशन, मृतक के उत्तराधिकारी को मृत्यु मुआवजे की हकदारी के बारे में सूचित करें और उन्हें मुआवजे की राशि का दावा करने के लिए मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील नियुक्त करने हेतु परामर्श/मार्गदर्शन दे। इस उद्देश्य के लिए, मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी या तो स्वयं का वकील नियुक्त करते हैं या फिर मिशन को पॉवर ऑफ अटार्नी भेजकर, उनकी ओर से वकील नियुक्त करने के लिए मिशन को प्राधिकृत करते हैं।

विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	कामगारों की मृत्यु के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या
1.	बेहरीन	04
2.	इंडोनेशिया	शून्य
3.	ईराक	12
4.	जोर्डन	शून्य
5.	कुवैत	59
6.	लेबनान	शून्य
7.	लीबिया	शिकायतों की संख्या अवगत नहीं कराई गई है
8.	मलेशिया	290
9.	कतर	391
10.	ओमान	798
11.	सऊदी अरब	2193
12.	सीरिया	03
13.	थाईलैंड	12
14.	संयुक्त अरब अमीरात	186
15.	यमन	शून्य

[अनुवाद]

होम स्कूलिंग

3610. श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई), अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित आयु सीमा के भीतर आने वाले अत्यधिक नि:शक्त बच्चों हेतु होम स्कूलिंग के लिए कोई वित्तीय राहत/सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन बच्चों के लाभ हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में छह से चौदह वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों, जिनमें नि:शक्त बच्चे शामिल हैं, के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का मुख्य साधन है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य विशेष आवश्यकताओं वाले सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। यह विशेष प्रशिक्षण, मुक्त शिक्षा प्रणाली के जरिये शिक्षा, विशेष स्कूलों और गृह-आधारित शिक्षा, जहां कहीं आवश्यक हो वहां परिभ्रमण शिक्षण, उपचारी शिक्षण, समुदाय आधारित पुनर्वास और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करता है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम के घटक में उनकी पहचान करना, शैक्षिक नियोजन, सहायक सामग्री और उपस्करण, सहायता सेवाएं, शिक्षण प्रशिक्षण संसाधन सहायता, व्यक्तिनिष्ठ शैक्षिक योजना, अभिभावक प्रशिक्षण और सामुदायिक लामबंदी, पाठ्यचर्यागत सुगमता, विशेष आवश्यकताओं के प्रति सम्भाव पैदा करना, स्थापत्य संबंधी बाधाओं को दूर करना, सहपाठी संवेदनशीलता संबंधी अनुसंधान शामिल है। इस उद्देश्य के लिए निधियों का प्रावधान 3,000 रु. प्रति बालक प्रतिवर्ष की दर से परिकलित किया गया है तथापि, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे पर वास्तविक व्यय मामला-दर-मामला अलग-अलग हो सकता है।

[हिन्दी]

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

3611. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री सज्जन वर्मा:
श्री पी. विश्वनाथन:
श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यरत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की संख्या कितनी है;

(ख) देश में केजीबीवी खोलने हेतु क्या मानदण्ड/मानक है; और

(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नए केजीबीवी खोलने हेतु प्राप्त/स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) देश में कार्यरत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की राज्य/संघ राजय-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) संशोधित मानदंडों के अनुसार, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 2009 की जनगणना के अनुसार, राष्ट्रीय औसत से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में खोले जा सकते हैं। इन ब्लॉकों के भीतर, निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है:-

(1) जहां जनजातीय आबादी की बहुलता हो, और/अथवा बड़ी संख्या में बालिकाएं स्कूल नहीं जाती हों;

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता हो, और/अथवा बड़ी संख्या में बालिकाएं स्कूल नहीं जाती हों;

(3) कम महिला साक्षरता वाले क्षेत्रों, अथवा

(4) वे क्षेत्र जिनमें छोटी, बिखरी हुई बस्तियां हैं, जो स्कूल खोले जाने के योग्य नहीं हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने के लिए प्राप्त/संस्वीकृत प्रस्तावों की राज्य/संघ राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

देश में कार्यरत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की राज्य/संघ राज्य-वार स्थिति निम्न प्रकार है:

क.सं.	राज्य	2010-11 तक संस्वीकृत कुल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या	कार्यरत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	743	737
2.	अरुणाचल प्रदेश	48	36
3.	असम	57	26
4.	बिहार	535	446
5.	छत्तीसगढ़	93	93
6.	दादरा और नगर हवेली	1	1
7.	गुजरात	86	86
8.	हरियाणा	36	9
9.	हिमाचल प्रदेश	10	10
10.	जम्मू और कश्मीर	99	79
11.	झारखंड	203	203
12.	कर्नाटक	71	64
13.	मध्य प्रदेश	207	206
14.	महाराष्ट्र	43	40
15.	मणिपुर	5	5
16.	मेघालय	10	2
17.	मिजोरम	1	1
18.	नागालैंड	11	2
19.	ओडिशा	182	157
20.	पंजाब	22	3

1	2	3	4
21.	राजस्थान	200	200
22.	तमिलनाडु	61	54
23.	त्रिपुरा	8	7
24.	उत्तर प्रदेश	746	454
25.	उत्तराखंड	28	28
26.	पश्चिम बंगाल	92	64
	सकल योग	3598	3013

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त/संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के प्रस्तावों की स्थिति

क.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	53	0	348	0
2	अरुणाचल प्रदेश	11	0	12	0
3	असम	11	0	11	20
4	बिहार	39	0	146	0
5	छत्तीसगढ़	9	0	0	0
6	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
7	गुजरात	11	0	23	0
8	हरियाणा	0	0	27	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	28	0	20	0
11	झारखंड	11	0	5	0
12	कर्नाटक	3	0	7	0
13	मध्य प्रदेश	15	0	6	1

1	2	3	4	5	6
14	महाराष्ट्र	0	0	7	0
15	मणिपुर	0	0	4	0
16	मेघालय	1	0	0	8
17	मिजोरम	0	0	0	0
18	नागालैंड	2	0	9	0
19	ओडिशा	43	0	25	0
20	पंजाब	1	0	19	0
21	राजस्थान	14	0	0	0
22	तमिलनाडु	1	0	7	0
23	त्रिपुरा	0	0	1	0
24	उत्तर प्रदेश	131	0	292	0
25	उत्तराखंड	1	0	2	0
26	पश्चिम बंगाल	5	0	28	0
	सकल योग	390	0	999	29

विनिर्माण उद्योग में नौकरी

3612. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विनिर्माण उद्योग में प्रत्येक वर्ष 20 लाख नौकरियां सृजित करने का है, जैसाकि मीडिया में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) योजना आयोग ने सदस्य (उद्योग), योजना आयोग की अध्यक्षता में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उद्योग संबंधी संचालन समिति गठित की है। इस समिति के विचारार्थ-विषयों में से एक बारहवीं योजना अवधि में औद्योगिक क्षेत्रक के त्वरित विकास हेतु ऐसी कार्यनीति तैयार करना है जो रोजगार अवसरों की वृद्धि भी सुनिश्चित करे।

विभिन्न क्षेत्रकों में, वर्तमान में जारी राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अवसंरचना विकास कार्यक्रमों से पृथक और सामूहिक रूप से रोजगार सृजन होने की आशा है। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास और अवसंरचना विकास पर विभिन्न योजनागत स्कीमों के मार्फत वस्त्र, चमड़ा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आदि जैसे श्रम सघन/रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रकों पर जोर दिया जा रहा है। सरकार, विनिर्माण क्षेत्रक के चहुंमुखी विकास के लिए विनिर्माण योजना के प्रतिपादन की प्रक्रिया में भी है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय योजनाओं संबंधी एनएसी सुझाव

3613. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद् से केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं के कार्यकरण के संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन सुझावों के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी नहीं। केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के कार्यकरण के संबंध में राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद से योजना आयोग को कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सम विश्वविद्यालयों का निरीक्षण

3614. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विशेष समिति द्वारा निरीक्षित सम विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) सम विश्वविद्यालयों के निरीक्षण हेतु गठित दलों की संख्या कितनी है और इन समितियों की संरचना क्या है;

(ग) क्या ये समितियां इनके कैम्पस का दौरा नहीं करती बल्कि उन्हें 'पावर प्रस्तुति' के लिए बुलाती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अवसंरचना, गुणवत्ता शिक्षण और अनुसंधान इत्यादि की दृष्टि से अभाव वाले सम विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) कुछ सम-विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं में शैक्षिक मानदण्डों की कमी की सामान्य चिंता के अनुसरण में सरकार ने ऐसे संस्थानों, विशेषकर उनमें अवसंरचना और शिक्षण संसाधनों (संकाय) की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को निर्देश दिया है। जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचित किया गया है, 125 विश्वविद्यालय संस्थाओं का, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 125 विशेषज्ञ समितियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। प्रत्येक समिति 5 (पांच) से 20 (बीस) सदस्यों, संगत सांविधिक परिषदों के नामितों तथा आकदमिकों द्वारा निर्मित होती हैं। इन विशेषज्ञ समितियों ने ऑन-साइट निरीक्षण किए और पाया कि 7 ऐसे संस्थाओं में अवसरंचना का और उनमें से 17 संस्थानों में संकाय स्थिति का अभाव है। जहां तक शोध का संबंध है, अधिकांश मामलों में विशेषज्ञ समिति ने यह पाया कि समग्र शोध घटक को सशक्त करने की आवश्यकता है।

आईआईटी प्रवेश प्रक्रिया

3615. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रो. दामोदर आचार्य की अध्यक्षता में आईआईटी प्रवेश प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य सिफारिशों क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) जी, हां। देश में इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए मौजूदा आईआईटी-जेईई, एआईईईई तथा अन्य राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं के संभावित विकल्पों का पता लगाने के लिए प्रो. दामोदर आचार्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आचार्य समिति की मुख्य सिफारिश में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल हैं: (i) स्कूल विज्ञान निष्पादन का पता लगाने के लिए ग्यारहवीं कक्षा के अंकों को समुचित रूप से दूसरे बोर्डों में सामान्यीकृत करके उपयोग किया जाना चाहिए (ii) राष्ट्रीय अभिरूचि पीरक्षा का प्रयोग मेधा, अभिरूचि, सामान्य जागरूकता, अवबोध एवं लिखित संप्रेषण कौशल जैसे रूचि संबंधी मापदंडों का पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए (iii) एक समेकित अंकभार निष्पादन निकाला जाना चाहिए।

व्यावसायिक पीएचडी डिग्री कार्यक्रम

3616. श्री पी. कुमारः
श्री सी. शिवासामीः
डॉ. पी. वेणुगोपालः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक व्यावसायिक पीएचडी डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ऐसे कार्यक्रम को अंतिम रूप देगी ताकि पीएचडी डिग्री की मैरिट/स्तर को कायम रखा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता कार्य ढ़ांचे के कार्य दस्तावेद में 1-10 तक 10 अर्हता स्तर, जिसमें स्तर 10 डॉक्टरल डिग्री के समकक्ष है, निर्धारित किए गए हैं।

केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा

3617. श्री आर. थामराईसेलवनः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 2011 से केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणामों को डीमैट रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी)-जून, 2011 के लिए डाटाबेस सृजित करने की प्रायोगिक परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस परीक्षा के लिए प्रमाणपत्र डीमैट रूप में उपलब्ध है।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन की स्थिति

3618. श्री विष्णु पद रायः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छठा केन्द्रीय वेतन आयोग अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी विविध श्रेणी अध्यापकों, जैसे शारीरिक शिक्षा अध्यापक, 'क्राफ्ट इन्स्ट्रकटर्स', संगीत अध्यापक, प्रयोगशाला सहायक और मुख्य अध्यापकों को उनका अधिकृत ग्रेड वेतन प्रदान किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी स्थित विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को क्या ग्रेड वेतन प्रदान किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश प्रशासन ने सूचित किया है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के भाग 'ख' वेतनमानों को केवल प्राथमिक स्कूल अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, स्नातकोत्तर अध्यापकों, उप-प्राचार्यों, प्राचार्यों, शिक्षा अधिकारियों एवं सहायक निदेशक शिक्षा के संदर्भ में ही लागू किया गया गया है। अध्यापकों/अधिकारियों की अन्य श्रेणियों को भाग "क" वेतनमान प्रदान किए गए हैं।

(ग) और (घ) इन अध्यापकों को भाग "क" वेतनमान प्रदान किए गए हैं क्योंकि अध्यापकों की ऐसी श्रेणी को भाग "ख" के वेतनमान प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(ङ) लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्य कर रहे शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का ग्रेड वेतन 4600/- रुपए है।

मोबाइल कंपनियों के लिए नोडल वेन्डर

3619. श्री पोन्नम प्रभाकरः
श्रीमती श्रुति चौधरीः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विदेशी दूरसंचार वेन्डरों से हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर कोड्स का आदान-प्रदान करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार को क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार मोबाइल कंपनियों के लिए नोडल वेन्डर की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में विभिन्न "स्टेकहोल्डरों" की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) इसके फलस्वरूप क्या लाभ और परिणाम होने की संभावना है; और

(च) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, नहीं। दूरसंचार उपस्कर और नेटवर्क सुरक्षा के संबंध में अद्यतन अनुदेशों के अनुसार विदेशी दूरसंचार वेन्डरों के लिए हार्डवेयर और साफ्टवेयर कोडों का आदान-प्रदान करना अपेक्षित नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु रिएक्टरों का निर्यात

3620. श्री नवीन जिन्दल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु रिएक्टरों का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनको इन रिएक्टरों का निर्यात किए जाने की संभावना है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार इन रिएक्टरों की अपनी भावी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त निर्यात के कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) कजाखिस्तान के साथ इस संबंध में प्रारंभिक रूप से विचार-विमर्श किया जा रहा है। अर्जित की जाने वाली संभावित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे का पता इस संबंध में प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के बाद ही लग पाएगा।

(ग) इन रिएक्टरों की भावी आवश्यकता को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में भारतीय उद्योगों से स्वदेशी आधार पर पूरा किया जा सकता है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विमान मार्गों में परिवर्तन

3621. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन नियमों का ब्यौरा तथा कुल संख्या कितनी है जिनके मार्ग मई और जून 2011 के महीनों में खराब मौसम के कारण बदले गये थे;

(ख) मार्गों में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाने के कारण यात्रियों को उपलब्ध कराई गई सुविधा के प्रकार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार मार्ग परिवर्तन करने के बारे में यात्रियों से प्राप्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) मई तथा जून, 2011 के दौरान खराब मौसम के कारण 174 उड़ानों के मार्ग परिवर्तित किया गए थे।

(ख) खराब मौसम के कारण जब कभी उड़ानों के मार्ग परिवर्तित किए जाते हैं तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) मार्ग परिवर्तित उड़ानों को समायोजित करने के लिए हवाईअड्डे के निगरानी स्तर को बढ़ाता है। इसके अलावा, एयरलाइनों के साथ मिलकर व्यस्ततम समय में आवश्यकतानुसार यात्री सुविधाएं यथा सीटिंग, पीने के पानी आदि की भी व्यवस्था करता है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा, यात्रियों की सुविधाओं

तथा एयरलाइनों द्वारा अपने यात्रियों को समय पर सूचना दिए जाने के संबंध में, विभिन्न एजेंसियों के अनुपालनार्थ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

दिशानिर्देशों में निम्नलिखित निदेश शामिल हैं:-

(i) एयरलाइनों द्वारा अन्य हवाईअड्डा एजेंसियों के समन्वयन में विभिन्न यात्री सुविधा प्रक्रियाओं की हैण्डलिंग के लिए समुचित ब्रीफिंग के साथ हवाईअड्डे पर अपने ग्राउण्ड स्टाफ बढ़ाएंगे और उनकी तैनाती करेंगे।

(ii) एयरलाइनों, विशेषकर कम लागत वाले वाहकों (एलसीसी) द्वारा विलंबित उड़ानों के यात्रियों को चाय/पानी/स्नैक्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे दिल्ली पर हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा शुरू की गई कूपन स्कीम का लाभ एयरलाइनों द्वारा यात्रियों की सुविधा के प्रयोजनार्थ उठाया जाए।

(ग) एएआई को मार्ग परिवर्तन के संबंध में यात्रियों की ओर से कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

(घ) से (च) उपर्युक्त के मद्देनजर लागू नहीं।

[अनुवाद]

परमाणु रिएक्टर

3622. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक देश में स्वदेशी आधार पर बनाये गये परमाणु रिएक्टरों की संख्या एवं ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास रूस के सहयोग से और परमाणु रिएक्टर बनाने को कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी अनुमानित क्षमता क्या है; और

(घ) नये रिएक्टरों का प्रचालन कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) देश में पहले दो नाभिकीय रिएक्टर-तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 को, संयुक्त राज्य अमरीका की एक कंपनी नामत: जनरल इलेक्ट्रिक (जीई), द्वारा बनाकर सौंप देने के आधार पर स्थापित किया गया था, और अगले दो रिएक्टरों-राजस्थान परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 का निर्माण कार्य एईसीएल, कनाडा के साथ तकनीकी सहयोग करके शुरू किया गया था। वर्ष 1974 में, भारत में शांतिपूर्ण नाभिकीय परीक्षण के बाद, कनाडा की कंपनी ने इस परियोजना को छोड़ दिया था, और भारतीय इंजीनियरों ने इन रिएक्टरों का निर्माण कार्य पूरा किया था। उसके उपरांत, 16 नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों को स्वदेशी तौर पर स्थापित किया गया है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र का यूनिट 1 और तथा 2 (केकेएनपीपी-1 तथा 2), जिनकी प्रत्येक की क्षमता 1000 मेगावाट है, को तमिलनाडु में कुडनकुलम में रूसी परिसंघ के साथ तकनीकी सहयोग करके स्थापित किया जा रहा है, वे कमीशनिंग की प्रगत अवस्था में है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने रूसी परिसंघ के साथ तकनीकी सहयोग करते हुए, कुडलकुलम में 4 × 1000 मेगावाट और पश्चिम बंगाल में हरिपुर में 6 × 1000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता वाले नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों को स्थापित करने हेतु स्थलों के संबंध में 'सैद्धांतिक रूप में' अनुमोदन दे दिया है। इन रिएक्टरों को एक ही समय में दो रिएक्टर स्थापित करके चरणबद्ध रूप में स्थापित किए जाने की योजना है।

(घ) कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र (केकेएनपीपी)-यूनिट 3 तथा 2 को 11वीं योजना के अंत में हाथ में लेने की योजना है। इन परियोजनाओं का प्रचालन निर्माण कार्य के वास्तविक रूप में शुरू होने से लेकर लगभग छ: वर्षों में किया जाएगा। अगला चरण 3 से 4 वर्ष के अंतराल के बाद शुरू किए जाने की योजना है।

विवरण

स्वदेशी तौर पर निर्मित नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों का ब्यौरा

यूनिट-अवस्थिति	रिएक्टर की किस्म	क्षमता (मेगावाट)	वाणिज्यिक रूप से प्रचालन की तारीख
1	2	3	4
मद्रास परमाणु बिजलीघर-1, कलपाक्कम, तमिलनाडु	दाबित भारी पानी रिएक्टर	220	27.01.1984

1	2	3	4
मद्रास परमाणु बिजलीघर-2, कलपाक्कम, तमिलनाडु	दाबित भारी पानी रिएक्टर	220	21.03.1986
नरोरा परमाणु बिजलीघर-1, नरोरा, उत्तर प्रदेश	दाबित भारी पानी रिएक्टर	220	01.01.1991
नरोरा परमाणु बिजलीघर-2, नरोरा, उत्तर प्रदेश	दाबित भारी पानी रिएक्टर	220	01.07.1992
ककरापार परमाणु बिजलीघर-1, ककरापार, गुजरात	दाबित भारी पानी रिएक्टर	220	06.05.1993
ककरापार परमाणु बिजलीघर-2, ककरापार, गुजरात	दाबित भारी पानी रिएक्टर	220	01.09.1995
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-3, रावतभाटा, राजस्थान	दाबित भारी पानी रिएक्टर	220	01.06.2000
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-4, रावतभाटा, राजस्थान	दाबित भारी पानी रिएक्टर	220	23.12.2000
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-5, रावतभाटा, राजस्थान	दाबित भारी पानी रिएक्टर	220	04.02.2010
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-6, रावतभाटा, राजस्थान	दाबित भारी पानी रिएक्टर	220	31.03.2010
कैगा-1, कैगा, कर्नाटक	दाबित भारी पानी रिएक्टर	220	16.11.2000
कैगा-2 कैगा, कर्नाटक	दाबित भारी पानी रिएक्टर	220	16.03.2000
कैगा-3, कैगा, कर्नाटक	दाबित भारी पानी रिएक्टर	220	06.05.2007
कैगा-4, कैगा, कर्नाटक	दाबित भारी पानी रिएक्टर	220	20.01.2011
तारापुर परमाणु बिजलीघर-3, तारापुर, महाराष्ट्र	दाबित भारी पानी रिएक्टर	540	18.08.2006
तारापुर परमाणु बिजलीघर-4, तारापुर, महाराष्ट्र	दाबित भारी पानी रिएक्टर	540	12.09.2005

त्रिवेन्द्रम इन्टरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल

3623. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम न्यू इन्टरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा त्रिवेन्द्रम इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अविलम्ब अतिरिक्त कार्य शुरू किये जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में लंबित कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ङ) नये टर्मिनल के निर्माण हेतु व्यय की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त परियोजना पर कार्य में तेजी लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये तथा इसके लिये क्या समय-सारणी निर्धारित है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए यह लागू नहीं होता।

(ग) और (घ) घरेलू यात्रियों को प्रचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), पुराने अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन

को रूपांतरित कर चुका है। अगस्त, 2011 के अंत तक चेक-इन काउन्टरों के लिए स्वचालन कार्य अनुसूचित है।

(ङ) 289 करोड़ रुपये।

(च) उपरोक्त (ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए यह लागू नहीं होता।

परिवर्तित पेंशन अवधि

3624. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की परिवर्तित पेंशन को स्टाफ की तरफ से दी गई गणना एवं छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा प्रयुक्त गणना के आधार पर भी जांच करने वे बाद 15 वर्ष की बजाय 12 वर्ष के बाद पुन: शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पहले '15 वर्ष के बजाय 12 वर्ष के बाद परिवर्तित पेंशन को पुन: शुरू' करने के मुद्दे की व्यय विभाग के परामर्श से जांच की गई थी। छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में, पेंशन के परिवर्तित हिस्से को पुन: शुरू करने की अवधि को वर्तमान 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करना उचित नहीं पाया गया है।

राज्यों को राजसहायता अनुदान

3625. श्री राजू शेट्टी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को आदान राजसहायता/अनुदान सहायता जारी कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो चालू पंचवर्षीय योजना के गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक मांग और राज्यों को जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) योजना स्कीमों/कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग पूर्व में जारी संसाधनों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए स्कीमों/कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान जारी करते हैं। योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 (19.08.2011 तक) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई निधियां निम्नानुसार है:

स्कीम/कार्यक्रम	2009-10	2010-11	2011-12 (19.08.2011 तक)
केन्द्र प्रयोजित स्कीमें	123444.50	160990.07	59008.60
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता	78264.92	87157.63	20282.93
कुल	201709.42	248147.70	79291.53

जारी की गई राशि के संबंध में स्कीम-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I एवं II पर दिए गए हैं।

विवरण-I

केन्द्र प्रयोजित स्कीमों के तहत जारी विस्तृत निधियां

(करोड़ रुपये में)

क.सं.	स्कीम का नाम	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	केन्द्रीय प्रायोजित भूसा एवं चारा विकास स्कीम	11.00	42.44	4.80
2.	लुप्त प्राय पशुधन नसलों का संरक्षण	3.56	1.38	0.63
3.	आंतरिक मात्स्यिकी एवं जलीय जन्तुओं का विकास	20.75	22.94	9.63
4.	समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना एवं फसल कटाई पश्चात संचालनों का विकास	62.10	77.71	5.10
5.	मुर्गी पालन फार्मों की स्थापना	3.05	4.29	0.00
6.	ग्रामीण बूचड़खाना की स्थापना/आधुनिकीकरण	0.00	0.20	0.00
7.	खुरपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	29.76	47.13	0.00
8.	उत्तर पूर्व एवं हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन	333.07	399.98	210.60
9.	एकीकृत तिलहन, पामतेल, दालें एवं मक्का विकास (आईसोपोम)	45.29	708.77	219.58
10.	सघन दुग्ध विकास कार्यक्रम	31.81	24.39	20.51
11.	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण	105.65	81.48	91.84
12.	पशुधन बीमा	24.32	22.63	15.75
13.	कृषि का वृहत प्रबंधन (एमएमए) स्कीम	921.41	999.82	391.22
14.	राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली	0.00	1.37	0.00
15.	राष्ट्रीय कीटनाशक पीईटीआईटीएस रोमन्थक नियंत्रण कार्यक्रम	0.00	27.39	0.00
16.	राष्ट्रीय बरूसलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम	0.00	8.20	0.00
17.	राष्ट्रीय ई-अभिशासन कृषि योजना	0.00	7.00	0.00
18.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1007.16	1247.24	452.76
19.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	800.00	986.21	467.71
20.	राष्ट्रीय बांस मिशन	49.90	89.67	36.40
21.	राष्ट्रीय अतिसुक्ष्म सिंचाई मिशन	480.00	997.25	397.93

1	2	3	4	5
22.	राष्ट्रीय मवेशी एवं भैंस संकरीकरण परियोजना	116.10	121.99	38.33
23.	राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उपजाऊपन की प्रबंधन परियोजना	37.96	16.90	1.16
24.	राष्ट्रीय पोंकनी निवारण परियोजना	4.02	2.83	0.00
25.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण स्कीम	36.08	41.90	14.75
26.	मुर्गी पालन विकास	7.65	5.83	8.25
27.	व्यावसायिक कुशलता विकास	4.15	3.46	0.00
28.	ग्रामीण पिछवाड़ा के आंगन में मुर्गी पालन विकास	5.59	33.31	0.00
29.	गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण	21.76	19.26	0.00
30.	विद्यमान अस्पतालों, औषद्यालयों का सुदृढ़ीकण	0.00	96.97	0.00
31.	विस्तारण सुधारों हेतु राज्य विस्तारण कार्यक्रम को सहायता	178.59	239.23	53.14
32.	कॉटन प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी)	53.96	18.09	7.57
33.	एएसआईडीई (निर्यात अवसंरचना और संबद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए राज्यों को सहायता)	349.01	0.00	0.00
34.	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी)	0.00	238.34	35.40
35.	कॉटन प्रौद्योगिकी मिशन	50.00	80.93	0.00
36.	प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थतिकी तंत्रों का संरक्षण	73.17	78.56	49.33
37.	वन्य जीवन आवासों का एकीकृत विकास	73.09	73.22	0.00
38.	वन प्रबंधन का सघनीकरण (पूर्ववर्ती एकीकृत वन संरक्षण)	69.34	55.99	0.00
39.	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	317.57	309.99	0.00
40.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)	376.23	694.44	42.89
41.	हाथी परियोजना	19.27	22.14	0.00
42.	बाघ परियोजना	203.56	193.02	0.00
43.	ट्रोमा केयर में क्षमता निर्माण हेतु राज्य को सहायता	0.00	84.09	2.49
44.	मानवीय रेबीज़ नियंत्रण	0.00	0.00	0.00
45.	बधिरता	5.02	8.68	0.00
46.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	410.05	511.00	0.00

1	2	3	4	5
47.	संस्थान विकास	21.70	44.17	0.00
48.	जिला अस्पताल	16.00	225.00	0.00
49.	औषधी गुणवत्ता नियंत्रण	0.36	3.99	0.00
50.	टेली मेडिसन सहित ई-स्वास्थ्य	0.00	0.55	0.00
51.	फ्लूरोसिस	3.53	16.84	0.00
52.	बुजर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल	0.00	41.15	12.99
53.	अस्पताल और औषधालय (एनआरएचएम के तहत)	223.06	234.02	0.00
54.	स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन	17.23	252.60	0.31
55.	लेप्टोस्पीरोसिस नियंत्रण	0.00	0.00	0.00
56.	चिकित्सा पुनर्वास	1.12	4.08	0.08
57.	एसटीडी नियंत्रण सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण	530.03	832.11	471.19
58.	राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	10.72	25.33	0.00
59.	राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य कार्यक्रम	42.00	81.99	1.70
60.	राष्ट्रीय चिकित्सीय पौधा मिशन	69.25	47.77	5.82
61.	राष्ट्रीय मधुमेह कार्डियोवेस्कुलर रोग एवं स्ट्रॉक रोकथाम तथा नियंत्रण कार्यक्रम	0.52	28.67	3.37
62.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) केन्द्र प्रायोजित	11211.41	12532.87	5193.16
63.	विशेषज्ञता क्लीनिक/आईपीडीएस स्थापित करने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी	1.32	0.00	0.00
64.	तंबाकू नियंत्रण	1.63	2.64	0.53
65.	सामुदायिक पॉलिटेक्निक	48.14	30.57	0.00
66.	आईसीटीसी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	270.88	459.96	1.29
67.	मौजूदा पोलिटेक्निकों का सुदृढ़ीकरण	461.32	545.40	0.00
68.	पोलिटेक्निकों में महिला छात्रावास	38.60	106.70	0.00
69.	अपराध और अपराधिक ट्रेकिंग नेटवर्क तथा सिस्टम (सीसीटीएनएस)	115.40	1091.11	0.00
70.	पुलिस शिक्षा तथा प्रशिक्षण सीएसएस	1050.00	9.00	3.64
71.	वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अवसंरचना	30.00	130.00	76.30

1	2	3	4	5
72.	एनईआईआईपीपी, 2007	0.00	75.01	0.00
73.	विशेष श्रेणी राज्यों (पूर्वोत्तर के अतिरिक्त) के लिए पैकेज	49.50	63.20	177.63
74.	पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में कौशल विकास अवसंरचना में वृद्धि करना	13.72	2.42	0.00
75.	सुधारों हेतु बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार)	236.20	179.69	38.50
76.	असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों हेतु स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना)	262.51	509.74	257.92
77.	बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास	0.80	0.90	0.00
78.	कौशल विकास पहल	94.28	137.45	72.46
79.	पीपीपी के माध्यम से 1396 आईटीआईज का उन्नयन	763.76	300.91	120.05
80.	न्याय पालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	175.70	136.14	0.00
81.	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु मैरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति	97.41	108.64	1.20
82.	अल्पसंख्यक सघनता जिलों में चुनिंदा अप्लसंख्यकों हेतु बहुक्षेत्रकीय विकास कार्यक्रम	971.93	913.03	18.02
83.	अल्पसंख्यक हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृति	144.96	228.84	67.64
84.	अल्पसंख्यक हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृति	202.72	446.18	122.06
85.	ई-पंचायत	22.07	21.29	0.00
86.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	44.22	67.77	13.46
87.	स्थानीय स्तर हेतु मूल सांख्यिकियां (बीएसएलएलडी)	0.00	2.58	4.26
88.	भारतीय सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना (आईएसएसपी)	0.00	14.78	20.79
89.	सीआरएफ से राज्यों हेतु ईएण्डआई	104.35	208.23	0.00
90.	जैव ईंधन	0.00	0.09	0.00
91.	केन्द्रीय ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम	1050.76	1522.12	777.45
92.	डीआरडीए प्रशासन	389.83	485.00	223.17
93.	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	1795.34	2440.50	445.19
94.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	33578.82	35793.00	11632.39

1	2	3	4	5
95.	राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)	190.19	148.91	2.81
96.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	8089.28	9368.90	538.08
97.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	11339.80	22404.11	4683.27
98.	ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी सुविधाओं हेतु प्रावधान (पीयूआरए)	0.00	66.20	0.00
99.	ग्रामीण आवास-आईएवाई	8802.78	10329.45	3947.54
100.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)	2204.11	2634.26	1039.03
101.	पहुंच एवं समता	0.52	0.57	0.05
102.	प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास स्कीम	335.29	370.60	64.55
103.	स्कूल शिक्षा में भाषा अध्यापकों की नियुक्ति	9.96	6.13	0.00
104.	माध्यमिक विद्यालयों में विकलांगों हेतु समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस)	54.33	86.50	6.49
105.	स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	184.60	385.89	21.17
106.	महिला सामाख्या	41.75	45.73	24.47
107.	प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन स्कीम)	6860.57	8846.32	4491.52
108.	माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन स्कीम	27.32	72.45	12.16
109.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	546.48	1481.97	626.64
110.	सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)	12804.56	19605.57	14290.34
111.	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों हेतु बालिका छात्रावासों के निर्माण एवं संचालन हेतु स्कीम	65.15	56.04	0.00
112.	उत्कृष्टता के मानदण्ड के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल विद्यालयों को स्थापित करने हेतु स्कीम	251.71	480.12	412.09
113.	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	389.92	355.58	38.34
114.	अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) स्कीम	4.48	35.98	0.00
115.	मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (एसपीक्यूईएम) प्रदान करने हेतु स्कीम	46.23	88.48	24.30
116.	अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु निशुल्क कोचिंग	2.72	9.37	0.08
117.	अनुसूचित जातियां अन्य पिछड़ा वर्गों के बालकों हेतु छात्रावास	49.42	103.99	8.25

1	2	3	4	5
118.	नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 की रक्षा अधिनियम एवं अनुसूचित जातियों एवं अनुसचित जनजातियों (नृशंसता रूकावट) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन	68.06	69.32	8.39
119.	अनुसूचित जातियों के छात्रों हेतु मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति एवं पुस्तक बैंक	1015.96	2096.21	876.57
120.	अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु मैट्रिक-पश्चत छात्रवृत्तियां	172.96	365.52	134.17
121.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	4.00	75.58	0.00
122.	अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	31.68	44.49	7.92
123.	अस्वच्छ कार्यों में संलिप्त लोगों के बच्चों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	79.74	58.48	20.43
124.	अनुसूचित जाति विकास निगम	0.00	20.00	0.00
125.	अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन	2.00	2.89	0.00
126.	टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना	41.00	65.00	0.00
127.	शोध सूचना एवं सामूहिक शिक्षा, आदिवासी त्यौहार	7.03	5.98	0.00
128.	अनुसूचित जनजातियों के बालिका एवं बालकों हेतु छात्रावास स्कीम	64.00	78.00	0.37
129.	पीएमएस, पुस्तक कोष एवं जनजातीय छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन स्कीम	299.47	556.75	288.53
130.	एकीकृत अल्प लागत स्वच्छता (आईएलसीएस)	49.85	100.66	5.73
131.	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस)	0.96	4.28	0.00
132.	संग्रहित वित्त विकास निधि (पीएफडीएफ)	0.00	0.00	0.00
133.	एमजेएसआरवाई (स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना)	426.94	586.44	11.60
134.	आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास सेवाएं)	8141.32	9749.00	4549.49
135.	आईसीपीएस (एकीकृत बाल रक्षा स्कीम)	42.63	114.98	8.65
136.	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)-सीएमबी स्कीम	0.00	115.92	139.02
137.	किशोरावस्था बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम	0.00	329.29	288.39
138.	राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एनएसएस)	57.09	68.12	42.92
139.	पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान (पीवाईकेकेए)	134.54	348.39	54.90
140.	केंद्रीय पूंजी निवेश उपदान स्कीम (डीआईपीपी)	31.15	0.00	0.00
141.	केंद्रीय ब्याज उपदान स्कीम (डीआईपीपी)	40.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
142.	राष्ट्रीय साधन सह-प्रतिभा छात्रवृत्ति स्कीम	0.00	0.00	0.00
143.	अंग प्रत्यारोपण	0.29	0.00	0.00
144.	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार खाद्यान्न घटक	9.67	0.00	0.00
145.	अवयस्क सामाजिक कुव्यवस्था रूकावट एवं नियंत्रण स्कीम	7.93	0.00	0.00
	कुल याग	123444.50	160990.07	59008.60

विवरण-II

राज्यों/संघ राज्यों के योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी निधियों के ब्यौरें

(करोड़ रुपये)

क.सं.	स्कीम का नाम	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	झूम खेती	38.20	40.00	25.00
2.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	3759.56	6718.91	3258.10
3.	बुंदेलखंड में सूखा शमन हेतु एसीए	0.00	1107.62	0.00
4.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	8524.39	9010.22	182.40
5.	अन्य परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	4157.74	1604.65	10.00
6.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंदीय सहायता (ईएपी के लिए एसीए)	11746.03	13888.29	2925.17
7.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)	1130.00	2130.00	710.00
8.	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)	6124.02	5285.38	492.64
9.	राष्ट्रीय ई-गवर्नेस कार्य योजना (एनईजीएपी)	117.69	131.44	1.20
10.	अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	5109.24	5110.00	1999.94
11.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	17442.05	20018.86	7269.57
12.	विशेष केन्द्रीय सहायता सीमा क्षेत्र (बीएडीपी)	635.00	701.64	318.84
13.	विशेष केन्द्रीय सहायता पर्वतीय क्षेत्र	253.81	271.19	0.00
14.	विशेष योजना सहायता	9219.73	7128.50	0.00

1	2	3	4	5
15.	संसाधनों के केन्द्रीय पूल से सहायता	622.54	805.78	289.28
16.	सामान्य सहायता, संघ राज्य क्षेत्र योजना	0.00	90.69	151.96
17.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	448.62	593.26	326.75
18.	बोडोलैंड क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज	3.15	50.00	15.09
19.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पंचायती राज	3669.97	6549.96	995.19
20.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम एमपीलैड	1531.50	1529.32	534.53
21.	केन्द्रीय सड़क निधि यूटी योजना से अनुदान	0.00	63.72	0.00
22.	सड़क एवं पूल	1337.44	2396.57	385.63
23.	जनजातीय उप योजना	475.69	931.73	236.87
24.	टीपीएस 2 सहायता अनुदान	397.61	999.88	154.77
25	वन कवर के पुन:स्थापन एवं पुन: सृजन के त्वरित कार्यक्रम हेतु एसीए	81.66	0.00	0.00
26.	अनुसूची 5 क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जनजातीय बच्चों के शिक्षा विकास हेतु एसीए	524.83	0.00	0.00
27.	त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीआरपी)	156.06	0.00	0.00
28.	वृहन्त मुंबई स्टार्म वाटर ड्रेन परियोजना (बीआरआईएमएसटीओडब्ल्यूए)	500.00	0.00	0.00
29.	किशोर बालिकाओं हेतु पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी)	49.55	0.00	0.00
30.	सूनामी पुनर्वास कार्यक्रम (टीएसपी)	208.84	0.00	0.00
	कुल योग	78264.92	87157.63	20282.93

स्रोत: केन्द्रीय योजना स्कीम मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीएसएमएस)

एयर इंडिया स्टाफ को पीएलआई

3626. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष के हर महीने में अलग-अलग एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और इसकी सहायक कंपनियों के ग्राउन्ड एवं फ्लाईंग स्टाफ को भुगतान किये गये औसत पैसेन्जर लोडिंग इन्सेंटिव (पीएलआई) का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पीएलआई एवं अन्य विशेष सुविधाएं देने के क्या कारण हैं जबकि ये एयरलाइंस भारी हानि में चल रही हैं एवं सरकार को इन्हें चलाते रहने के लिये करोड़ों रुपये लगाने पड़े थे?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

[हिन्दी]

विमानन सुरक्षा परीक्षण

3627. श्रीमती ऊषा वर्मा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) के कर्मचारियों सहित विभिन्न अधिकारी नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा अप्रैल/मई 2011 में आयोजित विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण में असफल हो गये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त अधिकारियों को सुरक्षा नियमों/विनियमों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये; और

(च) सुरक्षा अधिकारियों की उक्त परीक्षण में असफलता के संदर्भ में विमानन सुरक्षा की चुनौती का सामना करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा अप्रैल/मई, 2011 में आयोजित मूलभूत विमानन सुरक्षा (एवीएसईसी) परीक्षाओं के परिणाम के अनुसार, डायल से 59 कार्मिक इन परीक्षाओं में उपस्थित हुए (जिनमें स्पाइसजेट के 3 कार्मिक शामिल हैं), जिनमें स 10 उत्तीर्ण हुए। सभी संगठनों की ओर से कुल 771 कार्मिक परीक्षाओं में उपस्थित हुए जिनमें से 548 उत्तीर्ण हुए।

(ग) और (घ) नीति के अनुसार, जो कार्मिक मूलभूत एवीएसईसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे, उन्हें विमानन सुरक्षा ड्यूटी संबंधी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ङ) और (च) प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को कठोर एक्सपोजर दिए जाने के प्रयास किए जाते हैं। बीसीएएस ने द्विभाषी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन भी आरंभ किया है। अनुत्तीर्ण कार्मिकों को भावी एवीएसईसी परीक्षाओं में पुनः बैठने की अनुमति भी दी जाती है।

[अनुवाद]

रीडर और प्रोफेसर की पदोन्नति

3628. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के रीडर एवं प्रोफेसर की पदोन्नति से संबंधित नियमों एवं विनियमों में कोई परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सभी राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अहर्ताओं एवं उच्चतर शिक्षा 2010 में स्तरों को बनाए रखने हेतु उपायों संबंधी यूजीसी विनियमों को अधिसूचित किया है जो यूजीसी की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/policy/revised_finalugc regulationfinal10.pdf पर उपलब्ध है। इन विनियमों का पैरा 6.40 शिक्षकों की पदोन्नति से संबंधित है।

(ग) से (ङ) ये विनियम, केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके तहत स्थापित या शामिल किए गए प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रत्येक संस्था जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से और आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त घटक अथवा सम्बद्ध कॉलेज तथा उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रत्येक सम विश्वविद्यालय संस्था शामिल है, पर लागू होंगे। उक्त विनियमों के पैरा 7.40 के अनुसार विश्वविद्यालय/राज्य सरकारें इन विनियमों को अपनाने के 6 माह के भीतर संबंधित विश्वविद्यालयों के संगत अधिनियम/संविधियों में सुधार या संशोधन कर सकती हैं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

3629. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) जिससे भ्रष्टाचार रोकने की अपेक्षा की जाती है के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या/वास्तविक संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दोषी अधिकारियों पर अभियान चलाने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कितने दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया गया?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की 10.08.2011 को समूहवार स्वीकृत/वास्तविक कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:-

	कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या	पदस्थ कर्मचारी
समूह क	53	43
समूह ख	99	83
समूह ग	71	53
समूह ग (संशोधन-पूर्व समूह घ)	73	67
	296	246

(ख) और (ग) जी, नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को शक्तियां एवं कार्य सीवीसी अधिनियम, 2003 (2003 का 45) की धारा 8 के अंतर्गत सौंपे गए हैं सीवीसी अधिनियम, आयोग को, केंद्रीय सरकार, किसी केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए निगमों, केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों तथा स्थानीय प्राधिकरणों में कुछ श्रेणी के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किए गए कथित अपराधों में पूछताछ करने या जांच कराने या जांच-पड़ताल करने का अधिकार देता है। सीवीसी अधिनियम की धारा 8(1) (छ) के अनुसार, आयोग, केंद्रीय सरकार, किसी केंद्रीय अधिनियम के द्वारा या अंतर्गत स्थापित किए गए निगमों, केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों को ऐसे सभी मामलों में सलाह देता है जो उस सरकार, केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रण वाली कथित सरकारी कंपनियों, सोसाईटियों तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अथवा अन्यथा उसे संदर्भित किए जाएं।

(घ) सीवीसी द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान तथा जून, 2011 तक आयोग की सलाह के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दी गई सजा संबंधी ब्यौरे निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रमुख शास्ति	गौण शास्ति	कुल
2008	909	1173	2082
2009	876	947	1823
2010	994	1269	2263
जून, 2011 तक	420	491	911

परमाणु इंजीनियरी में नया परास्नातक कार्यक्रम

3630. **श्री निलेश नारायण राणे:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बाम्बे ने परमाणु इंजीनियरी में विशेषज्ञता के साथ नया परास्नातक कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम द्वारा परमाणु इंजीनियरी क्षेत्र में श्रमशक्ति की कमी की समस्या किस प्रकार हल की जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई ने अकादमिक वर्ष 2011-12 में परमाणु इंजीनियरी में विशिष्टता के साथ नया स्नातकोत्तर कार्यक्रम आरंभ किया है। कार्यक्रम में आरंभ में प्रत्येक वर्ष 8 छात्रों को दाखिला देने की परिकल्पना की गई है जिनमें से अधिकतर को परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा प्रायोजित किए जाने की संभावना है। छात्रों को प्रायोजकों के साथ संयुक्त रूप से चुना जाएगा और स्नातक के पश्चात वे अपने संबंधित प्रायोजक संगठनों को ज्वाइन करेंगे। शेष छात्रों को नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, लारसन एंड ट्यूबरो, रिलायंस एर्जी, वालचंद टेक्नोलॉजी सेंटर आदि जैसे परमाणु ऊर्जा में कार्यरत कंपनियों में रोजगार मिलने की संभावना है। कुछ छात्रों के भारत और विदेश, दोनों में, डाक्टोरल कार्यक्रम करने की भी उम्मीद है।

डाकघरों की स्थिति

3631. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डल झील में बोट डाकघर सहित देश के अनेक डाकघर जर्जर स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां। तथापि, डल झील में कार्यरत नेहरू पार्क बोट डाकघर का हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया है।

(ख) जर्जर डाकघरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) रख-रखाव का कार्य एक सतत प्रक्रिया है और इसे जब भी जहां भी उपेक्षित हो, शुरू किया जाता है। विभाग ने इस आशय के निदेश दिए हैं कि प्रत्येक विभागीय भवन की पांच वर्षों में कम से कम एक बार मरम्मत की जानी चाहिए। किराए के भवनों के संबंध में, भू-स्वामी से मरम्मत का कार्य करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, विभाग की लागत से छोटे-मोटे मरम्मत कार्य भी किए जाते हैं।

विवरण

जर्जर स्थिति वाले डाकघरों की सूची

क्र.सं.	सर्किल का नाम	जर्जर स्थिति वाले डाकघरों की संख्या	जर्जर स्थिति वाले डाकघरों का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	17	इब्राहिमपटट्नम उप डाकघर
			दारूल शफा उप डाकघर
			सहिफा उप डाकघर
			शंकरपल्ली उप डाकघर
			ओल्ड टाउन एलएसजी उप डाकघर अनन्तपुर
			वेंकटागिरी उप डाकघर
			पपुल्ली उप डाकघर
			नन्दीकोटकुर एलएसजी उप डाकघर
			श्रीसेलम दाम पूर्वी एलएसजी उप डाकघर
			जाम्मलामदुगू उप डाकघर
			पीएसडी गुन्ताकल
			भैनसा उप डाकघर
			गढवाल प्रधान डाकघर
			मुथुकुर उप डाकघर
			वेन्कटारावपेट उप डाकघर
			वेन्कटागिरि टाउन उप डाकघर
			मुसताबाद उप डाकघर

1	2	3	4
2.	असम	25	पांडू रेलवे कालोनी उप डाकघर
			अमिनगांव उप डाकघर
			दिकरोंग उप डाकघर
			धकुआखाना उप डाकघर
			लुलुक उप डाकघर
			बामुनबाडी उप डाकघर
			पथलीपहाड़ उप डाकघर
			अम्बागन उप डाकघर
			छापरमुख उप डाकघर
			छापनल्लाह उप डाकघर
			सिलघाट उप डाकघर
			दोंकमोकाम उप डाकघर
			जोगिजान उप डाकघर
			नोनोई उप डाकघर
			तेतेनबाड़ी उप डाकघर
			हवाजन उप डाकघर
			अमगुडी उप डाकघर
			नुमलीगढ़ उप डाकघर
			नाजिरा एमडीजी
			बोरहाट उप डाकघर
			सफ्फरी उप डाकघर
			सपेखाटी उप डाकघर
			तिहू उप डाकघर
			मन्डिया उप डाकघर
			मुस्सलपुर उप डाकघर

1	2	3	4
3.	छत्तीसगढ़	5	गढ़घोरा (रायगढ़)
			भाटपाड़ा (रायपुर)
			पन्डरी (रायपुर)
			नोयोरा (रायपुर)
			रवीग्राम (रायपुर)
4.	दिल्ली	1	पहाड़गंज
5.	गुजरात	109	असरवा चकला
			असरवा एक्स. दक्षिणी
			अम्बावाडी
			अमरावाडी
			आन्नद नगर
			बोडकदेव
			आजाद सोसायटी
			बापूनगर
			भैरवनाथ रोड
			कैलिको मिल्स
			सिविल हास्पिटल
			दरियापुर
			दक्षिणी सोसायटी
			डीटी पुरा
			डी केबिन
			गीता मंदिर रोड
			गोटीपुर
			घाटलोदिया
			गुजरात यूनिवर्सिटी

1	2	3	4
			ईशनपुर
			जमालपुर
			जवाहर चौक
			जूहापुरा
			कबीर चौक
			कालूपुर चकला
			खोकरा मेहमदावद
			एम डी मार्ग
			कृष्णा नगर
			कुबेर नगर बीए
			नगर निगम मेमनगर
			मेघनी नगर
			नारायण नगर
			नया वडाज
			रायखड़
			रेलवे कालोनी
			रायपुर
			रखियाल
			सरसपुर
			सरखेज रोड
			एस. ए. रोजा
			शारदा नगर
			एम ए मिल्स
			सुखरामपुर
			थलतेज रोड

1	2	3	4
			टी बी रोड
			खोडियार नगर
			सरदानगर
			कठवाड़ा एम पी
			मेमनगर
			कलोल देसाईवाड़ा
			दभोड़ा
			धोलेड़ा
			रनपुर
			वतवा
			चांदलोदिया
			बरवाला घेलासा
			जलीला
			ललोल
			विजय नगर
			भान्डू
			कादा
			कहोदा
			उनावा
			झोंटना
			गोजरिया
			तलाला
			अकोलावाड़ी
			गधशीसा
			घन्टवाड

1	2	3	4
			जूनागढ़ गिरनार रोड
			जूनागढ़ जोशीपुरा
			जूनागढ़ उद्योग नगर
			वेरावल उद्योग नगर
			वडाल
			कांदला पोर्ट
			मधापर
			कोडे
			नखतराना
			पटड़ी
			मयूरनगर
			दुधरेज
			अदरियाना
			हदलाभाल
			बजाना
			चूडा
			धंकी
			चोटिला
			खरगोदा
			बामनगांव
			उच्चल
			देदियापाड़ा
			दहेज
			राजपदरी

1	2	3	4
			उमल्ला
			किलापाडी
			वन्सदा
			अथावा
			आगनवाड़ा
			भेसतान
			फतेहनगर
			लाजपोर
			नवयुग कालेज
			नवयुग कालेज
			पंडेसरा
			रान्दर
			सचिन
			वरियावी भागल
			वेलाछा
			वंकल
6.	हरियाणा	3	रोहतक मंडी
			मंडी पी ओ, पानीपत
			सफदों मंडी पीओ
7.	जम्मू और कश्मीर	14	जम्मू कैंट
			नौशेरा (राजौरी)
			शोपियां
			यारीपोरा
			कोर्ट रोड
			बिजबेहरा

1	2	3	4
			रामबाग
			उरी
			मोहरा
			करीरी
			सफापोरा
			हन्दवाड़ा
			कुपवाड़ा
			डांगीवाचा
8.	झारखंड	8	सिमरिया
			तोरपा
			बसिया
			बिरू
			कुरु
			नवागढ़
			महुआडांड
			नवाडीह
9.	केरल	32	इजुमतूर
			इरावीपेरूर
			अइरूर उत्तरी
			इदाथुआ
			तलवाड़ी
			कोन्नी
			पाथनापुरम
			कुन्नीकोड
			रन्नी

1	2	3	4
			तेनमला
			कुलाथूपूजा
			कोषनचेरी
			इलांतूर
			आसरामोम
			पल्लीथोट्टम
			चावरा
			एषुकोन
			ओचीरा
			कोल्लम बाजार
			कुट्टिक्कल
			फेयरफील-थेक्कडी
			पेरूमनूर ओल्ड पीओ
			चेरूथुरूती
			इडप्पाल
			कोलाचेरी
			चालिसेरी
			वेंगरा एम एल पी
			नदुवन्नूर
			गणेशगिरी
			पेरूवन्नमुषी
			मेप्पाड़ी
10.	मध्य प्रदेश	2	बाग उप डाकघर
			मगरौनी उप डाकघर
11.	महाराष्ट्र	46	करजात

1	2	3	4
			सिन्धी (वर्धा)
			शिवाजी चौक (मनमाड़)
			सुरगना
			मुकरमाबाद
			येरमाला
			धारावी रोड पीओ
			हेन्स रोड पीओ
			कामतीपुरा पीओ
			सेन्चुरी मिल्स पीओ
			बांगूर नगर पीओ
			दौलतनगर पीओ
			जोगेश्वरी (पूर्व)
			विलेपार्ले (पश्चिम) पीओ
			माधौबाग पीओ
			अरनाला पीओ
			दहानू पीओ
			भयन्दर (पूर्व) पीओ
			थाणे (पूर्व) पीओ
			मनपाड़ा पीओ
			थाणे बाजार पीओ
			पनवेल सिटी पीओ
			वर्धागंग पीओ
			करंजा पीओ
			सराफा पीओ
			उमराना पीओ
			तेहराबाद पीओ

1	2	3	4
			देगलूर टाउन पीओ
			इतवारा (नान्देड) पीओ
			अमरी पीओ
			फैजपुर पीओ
			सेन्दूरनी पीओ
			सायोलिम पीओ
			परनेम पीओ
			कुनकोइम पीओ
			संगेम पीओ
			अष्टा पीओ
			कादेपुर पीओ
			खानपुर पीओ
			वातेगांव पीओ
			डब्ल्यू वसाहत पीओ
			वीटे पीओ
			मिराज एसआर पीओ
			संख पीओ
			उमड़ी पीओ
			बुरोंदी पीओ
12.	पूर्वोत्तर	1	तलबंग उप डाकघर
13.	पंजाब	18	धोदियां
			जवाला फ्लोर मिल्स
			कच्चा पक्का
			सराय अमानत खां
			विजय नगर

1	2	3	4
			उत्तर रेलवे कार्यशाला
			कांगड़ा कालोनी
			धारीवाल
			नेहरू गेट बटाला
			अपरा
			पारा पिन्ड
			फेनटोनगंज
			खानखाना
			माहिल गैंला
			सहलोन
			गालिब कलां
			हलवारा
			अहमदगढ़
14.	तमिलनाडु	18	कुझीथुराई एसओ-कन्याकुमारी
			अलापक्कम एसओ-कुड्डालोर
			नेल्लीकुप्पम एसओ-कुड्डालोर
			नेल्लीकुप्पम बाजार एसओ-कुड्डालोर
			करूर आरएस एसओ-करूर
			पामनी एसओ-तन्जावुर
			वी ओ सी नगर एसओ-तन्जावुर
			गंगाईकोंडापुरम एसओ-त्रिची
			चिन्नासेलम एसओ-वृद्धाचलन
			मोगाईयूर एसओ-वृद्धाचलम
			इराईयूर एसओ-वृद्धाचलम
			उलन्दूरपेट बस अड्डा एसओ-वृद्धाचलम

1	2	3	4
			आर एस पुरम ईस्ट क्लास III एसओ-कोयम्बटूर डिवीजन
			होसूर ईस्ट क्लास III एसओ-कृष्णा गिरि
			मथागोडापल्ली क्लास III एसओ-कृष्णा गिरि
			पल्लिपालयम अग्रहारम क्लास II एसओ-नामक्कल
			सीफोर्थ क्लास III एसओ-नीलगिरि
			स्प्रिंग फील्ड क्लास III एसओ-नीलगिरि
15.	उत्तर प्रदेश	49	रवनाह
			मिलकीपुर
			गुसाई गंज
			जलालपुर
			टांडा
			दादरी
			गोविंद्पुरी
			महर्षि नगर
			कौशांबी
			मुरादनगर
			हापुड़ मंडी
			किशनगंज
			पिलखुआ
			बाबूगढ़ी
			सिम्भौली
			चिकम्बरपुर
			गढ़ टाउन
			फतेहगढ़
			जौनपुर

1	2	3	4
			प्रतापगढ़
			इटमादपुर
			बरहन
			शू मार्केट
			मालवीय कुज
			बी.एम. खान पीओ आगरा
			टी.पी. नगर पीओ आगरा
			हाथरस आइएन आरएस अलीगढ़
			सुभाष रोड अलीगढ़
			टप्पल अलीगढ़
			गोमत अलीगढ़
			केजीडब्ल्यू सासनी अलीगढ़
			एनजी कासिमपुर अलीगढ़
			मडार दरवाजा अलीगढ़
			बिलराम एटा
			निओली एटा
			पिलस एटा
			सिकन्दराबाद बुलन्दशहर
			जहांगीराबाद बुलन्दशहर
			मंडी जहांगीराबाद बुलन्दशहर
			ऊंचागौस बुलन्दशहर
			सहकारी नगर बुलन्दशहर
			इंडिस्ट्रियल इस्टेट्स सिकन्दराबाद बुलन्दशहर
			नरोरा बुलन्दशहर
			गुरुकुल सिकन्दराबाद बुलन्दशहर

1	2	3	4
			लहसिल बुलन्दशहर
			पन्नी नगर बुलन्दशहर
			सराय छबीला बुलन्दशहर
			सुभाष रोड खुर्जा बुलन्दशहर
			संकट मोचन मथुरा
16.	पश्चिम बंगाल	219	ऐसे डाकघरों की सूची जो जर्जर अवस्था में हैं केन्द्रीयकृत रूप से डाक सर्किल में उपलबध नहीं है।
	कुल	567	

सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)

3632. डॉ. कृपारानी किल्ली: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बीच में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष अभियान/योजना चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को विशेष सहायता देने का है जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को अंतिम रूप कब तक दिया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो दिनांक 01.04.2010 से प्रभावी हुआ है, के अधिनियम के परिणामस्वरूप स्कूल में आयु-अनुरूप कक्षा में बच्चों के दाखिले तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवासीय अथवा गैर-आवासीय पाठ्यक्रमों के माध्यम से स्कूल बाह्य बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गैर-आवासीय पाइयक्रमों के लिए 6000/- रुपये और आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए 20,000/- रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है

(ग) से (ग) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के मानकों और राज्यों के कार्यक्रमों को आवश्यकतानुसार राज्यों को वार्षिक परिव्यय संस्वीकृत किया जाता है।

अवसंरचना को आगे बढ़ाने के लिये तकनीकीविद्

3633. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में अवसंरचना को आगे बढ़ाने हेतु तकनीकीविदों को शामिल करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी, हां। अवसंरचना के विकास से संबद्ध कार्य विभिन्नों मंत्रालयों द्वारा किया जाता है जो तकनीकी कार्य हेतु तकनीकीविद्ों एवं तकनीकी कार्मिकों को भर्ती करते हैं। सरकार ने तकनीकीविद्ों की संख्या को बढ़ाने के लिए कई नए उपाय भी शुरू किए हैं। इनमें आठ नए आईआईटीज, चार नए आईआईएमज एवं दस नए एनाईटीज को स्थापित करना शामिल है। बीस नए आईआईटीज को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) माध्यम से स्थापित किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जम्मू एवं कश्मीर का मुद्दा उठाना

3634. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक पाकिस्तान ने जम्मू एवं कश्मीर के मुद्दे को कितनी बार तथा किन-किन मंचों पर उठाया है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) पाकिस्तान ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को बार-बार उठाया है। जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर सरकार का सैद्धांतिक और स्थायी दृष्टिकोण यह है कि समूचा जम्मू और कश्मीर राज्य भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग है। राज्य के भूक्षेत्र के एक हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत पाकिस्तान के साथ द्विपीक्षय संवाद के माध्यम से जम्मू और कश्मीर सहित सभी मुद्दों को हल करने के लिए वचनबद्ध है।

आई.जी.आई. एयरपोर्ट पर प्रणाली में खराबी

3635. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री शफीकुर्रहमान बर्क:
श्री उदय सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आई.जी.आई. एयरपोर्ट पर सिस्टम/कंप्यूटर में खराबी आने की घटनाओं से यात्रियों को असुविधा होने की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके घटना-वार क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप रद्द की गई उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यात्रियों को उड़ान में होने वाले संभावित विलंब के बारे में पहले ही सूचना दी गई थी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) दिनांक 29.06.2011 को चैक-इन प्रणाली के फेल हो जाने की एक घटना हुई थी जिसमें कुछ चैक-इन काउंटर काम नहीं कर रहे थे। तथापि, एअर इंडिया, जेट एयरवेज तथा किंगफिशर एयरलाइंस आदि जैसे प्रमुख विमान वाहकों की चैक-इन प्रणाली में मैनुअल तरीके से काम किया जिससे यात्रियों की असुविधा में कमी आई।

(ग) 29.06.2011 को चैक-इन प्रणाली की विफलता के कारण कोई उड़ान रद्द नहीं हुई।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए डायल के साथ विप्रो और एयरोनॉटिकल रेडियो, इन-कॉर्पोरेशन (एआरआईएनसी) ने निम्नलिखित उपाय किए हैं: (i) दो सर्वरों को उच्च उपलब्धता (हाई अवेलेबिलिटी) मोड में री-कंफीगर किया गया और रीस्टोरेशन टाइमलाइन को 15 मिनट तक स्पोर्ट करने के लिए एक नया तीसरा सर्वर कोल्ड स्टेण्डबाई के रूप में संस्थापित किया गया। (ii) एआरआईएनसी, विप्रो, आईटी और डायल आईटी के वरिष्ठ प्रबंधन को मिलाकर आपदा प्रबंधन दल का गठन किया गया है। (iii) सभी प्रणालियों पर स्वास्थ्य और स्वच्छता जांच की गयी है। (iv) सर्वर के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस की सुरक्षा मजबूत की गई। (v) क्लोज सर्किट टेलीविजन और एक्सेस कंट्रोल से साक्ष्य सुरक्षित किए गए। (vi) स्थानीय अवसंरचना और घटना के संबंध में विप्रो द्वारा तकनीकी विश्लेषण और जांच पूरी की गयी। (vii) रिमोट एक्सेस, लॉग्स, स्क्रिप्ट फाइल्स के संबंध में विप्रो द्वारा तकनीकी विश्लेषण और जांच पूरी की गयी।

[अनुवाद]

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की चिकित्सा

3636. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में चिकित्सा उपचार हेतु निरुत्साहित/इंकार किया जाता है जबकि अन्य रोगियों को उक्त सुविधा दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा अब तक गैस पीड़ितों के कितने मामलों का पंजीकरण हुआ है;

(ग) इन व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधायें नहीं दिये जाने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) गैस पीड़ितों को पूरी चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं। भोपाल स्मारक अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र (बीएमएचआरसी) में उन व्यक्तियों का इलाज भुगतान के आधार पर किया जाता है, जो गैस से पीड़ित नहीं होते हैं, जबकि गैस से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। गैस से न पीड़ित हुए व्यक्तियों का इलाज भुगतान के आधार पर करने की नीति के परिणामस्वरूप, किसी भी गैस से पीड़ित व्यक्ति को इलाज से मना नहीं किया गया है।

(ख) भोपाल स्मारक अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र (बीएमएचआरसी) में गैस से पीड़ित व्यक्तियों की आज की तारीख तक दर्ज संख्या 3.77 लाख है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर, यह प्रश्न नहीं उठता।

भ्रष्टाचार से निपटने हेतु मंत्रिसमूह की सिफारिशें

3637. श्री पूर्णमासी राम: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भ्रष्टाचार से निपटने हेतु गठित मंत्रिसमूह ने भ्रष्टाचार से निपटने एवं अधिक पारदर्शिता लाने के लिये अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मंत्रिसमूह द्वारा उसकी पहली रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) मंत्रिसमूह द्वारा अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) मंत्रिसमूह ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, इसने सरकार को अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की दी है जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है। अपनी प्रथम रिपोर्ट में मंत्रिसमूह द्वारा की गई कुछ मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:-

(i) विभागों/मंत्रालयों को सेवारत अधिकारियों की मुख्य रूप से आईओ और पीओ के रूप में सेवाएं लेनी चाहिएं तथा महत्वपूर्ण मामलों में, वे आईओ के रूप में उनका सीडीआई नियुक्त करने का सीवीसी से अनुरोध कर सकते हैं।

(ii) संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श को जारी रखा जाए जबकि सीवीसी के साथ द्वितीय स्तर के परामर्श को छोड़ जा सकता है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श अपेक्षित नहीं है, सीवीसी से द्वितीय स्तर पर परामर्श ले लिया जाएं।

(iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति की भारी शास्ति में संशोधन किया जाए ताकि पेंशन में 33 प्रतिशत तक कटौती किए जाने का प्रावधान किया जा सके। किसी अधिकारी की अधिवर्षिता मात्र, लघु शास्ति की कार्यवाहियां समाप्त करने का आधार नहीं बन सकती। इस प्रकार की लघु शास्ति में पेंशन में 20 प्रतिशत तक की कटौती लगाई जा सकती है। सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 का नियम 9 और अन्य समान उपयुक्त नियमों को तदुसार संशोधित किया जाए।

(iv) उन सभी मामलों में, जहां जांचकर्ता अभिकरण ने अभियोजन हेतु स्वीकृति का अनुरोध किया है और अनुरोध के साथ आरोप पत्र का मसौदा और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं तो सक्षम प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अनुरोध प्राप्त होने के 3 माह की अवधि के भीतर निर्णय ले तथा अपने निर्णय का कारण बताते हुए स्पष्ट आदेश पारित करे।

(v) दस वर्ष से अधिक के लम्बित सीबीआई के पुराने मामलों की उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा समीक्षा की जाए।

(vi) जहां कहीं मंत्रियों को उनके सरकारी कृत्य के निर्वहन में, अर्थात् विभिन्न निकायों में नामांकन करने हेतु विवेकाधिकार प्राप्त है, वहां उपयुक्त दिशा-निर्देशों को

मंत्रालयों द्वारा प्रतिपादित कर पब्लिक डोमेन में रखा जाए।

(च) मंत्रिसमूह को प्रथमतः अपनी सिफारिश प्रस्तुत किए जाने हेतु 60 दिन का समय दिया गया था तथापि, इस समय-सीमा को समय-समय पर बढ़ाया गया है।

विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारतीय विद्यार्थियों के साथ धोखा

3638. श्री एल. राजगोपाल:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री यशवीर सिंह:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री नीरज शेखर:
श्रीमती रमा देवी:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री बिभू प्रसाद तराई:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ नादर्न वर्जिनिया सहित कुछ गैर-प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा अनेक भारतीय विद्यार्थियों को धोखा देने की घटना की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यूनिवर्सिटी ऑफ नार्दन वर्जिनिया की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन विश्वविद्यालयों से राज्य-वार कितने भारतीय विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं;

(घ) क्या भारत सरकार और अमरीकी प्राधिकारी इस स्थिति से निपटने एवं विद्यार्थियों को अन्य विश्वविद्यालयों में स्थानान्तरित करने हेतु उपाय करने के लिए समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

च) उन विद्यार्थियों जो विदेशी विश्वविद्यालयों की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं को राहत देने और उनके हितों की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) जी, हां। अभी तक, संयुक्त राष्ट्र अमरीका में छात्र वीजा आदि से संबंधित धोखाधड़ी में संलिप्त विश्वविद्यालयों के बारे में दो मामले सामने आए हैं। प्रथम मामला कैलिफोर्निया स्थित ट्राई वैली यूनिवर्सिटी से संबंधित है जिसे अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा जनवरी, 2011 में बद कर दिया गया था और इस धोखाधड़ी के कारण 1800 से भी अधिक भारतीय छात्र प्रभावित हुए थे। दूसरा मामला नार्दर्न यूनिवर्सिटी से जुड़ा है जहां विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई 28 जुलाई, 2011 को प्रारंभ की गई थी। इस विश्वविद्यालय में लगभग 2000 भारतीय छात्र नामांकित थे परन्तु छात्रों का राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है। ट्राईवैली यूनिवर्सिटी के मामले में सरकार ने भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक तथा राजनीतिक माध्यमों से हस्तक्षेप किया है। सरकार ने भारतीय दूतावास के माध्यम से अमरीकी प्राधिकारियों से अनुरोध किया था कि वे भारतीय छात्रों के साथ धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों की तरह ही व्यवहार करें और वह प्रभावित छात्रों के लिए परामर्श सेवा भी प्रदान करती रही है। इस मामले को विदेश मंत्री द्वारा भी 13 फरवरी, 2011 को अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ हुई बैठक के दौरान और हाल ही में दिनांक 19 जुलाई, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-अमरीका सामरिक विचार-विमर्श के दौरान भी उठाया गया था। जहां तक नार्दर्न वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के विरूद्ध अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का संबंध है, सरकार को भारतीय छात्रों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

विवरणिका हेतु कठोर दिशानिर्देश

3639. श्री मानिक टैगोर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार विद्यार्थी समुदाय के लाभ के लिये उच्च शिक्षण संस्थाओं के आवेदन एवं विवरणिका में यूजीसी/विश्वविद्यालय/सरकारी स्वीकृति संख्या की निगरानी करने के लिये कोई कठोर दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने जुलाई, 2009 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सभी विश्वविद्यालयों को उनकी वित्तीय स्थिति, भौतिक परिसम्पत्तियों, प्रत्यायन दरों, प्रवेश मानदण्डों, संकाय स्थितियों, संकाय और शैक्षिक पाठ्यचर्या के ब्यौरों से संबंधित मूलभूत जानकारी को सर्व-साधारण की सूचनार्थ जारी

करने का परामर्श दिया था, जिससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और अन्य स्टेकहोल्डरों को उनकी पसंद का विषय चुनने का विकल्प हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन किया है और सभी विश्वविद्यालयें को एक विस्तृत परामर्शी जारी की है।

राष्ट्रीय बजट को लोकप्रिय बनाना

3640 **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राज्य बजटों को बजटीय रूझानों के मामले में शायद ही कभी राष्ट्रीय तवज्जो मिलती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा राज्यों के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय राज्यों के साथ परामर्श से राज्यों के संसाधनों और व्यय के बजटीय रूझानों का आकलन किया जाता है। वार्षिक राज्य योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले योजना आयोग में संसाधन संबंधी विचार-विमर्शों में राज्यों के संसाधनों, व्यय और राजकोषीय संकेतकों पर भी नियमित रूप से चर्चा की जाती है।

[हिन्दी]

कोयला कंपनियों के साथ समझौता

3641. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार इस बात से अवगत है कि राज्य सरकारों तथा कोयला कंपनियों के बीच किसी समझौते के अभाव में राज्य सरकारों को स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क आदि के मामले में अत्यधिक वित्तीय हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के निरसन/संशोधन या उक्त अधिनियम में पंजीकरण का उपबंध करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार उक्त उपबंधों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन संस्वीकृत कोयला खदानों पर भी लागू करन का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) कोयलाधारी भूमि का अधिग्रहण केन्द्र सरकारी द्वारा मुख्य रूप से कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 (सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत किया जाता है तथा उक्त अधिनियम के सभी प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद कोयला परियोजनाओं के लिए सरकारी कंपनियों को हस्तांतरिक किया जाता है राज्य सरकार को पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क के कारण राजस्व की किसी हानि का प्रश्न नहीं उठता। राज्य सरकारें हटाए गए कोयले और कोयला कंपनियों द्वारा खपत किए गए कोयले पर रॉयल्टी के रूप में राजस्व अर्जित करती हैं।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कोई कोयलाधारी भूमि का अधिग्रहण नहीं करती है। जैसाकि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में ऊपर उल्लिखित है, कोयलाधारी भूमि का अधिग्रहण सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत किया जाता है और वर्तमान में सरकार के समक्ष सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 को निरस्त करने/संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ताकि उक्त अधिनियम में पंजीकरण का प्रावधान किया जा सके।

गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता

3642. **श्री भूदेव चौधरी:**
श्रीमती मीना सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में केन्द्रीय विद्यालयों में 'गरीब श्रेणी' के बच्चों को दी जा रही विभिन्न रियायतों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2008-09 में राष्ट्रीय साधन-व-योग्यता आधारित छात्रवृत्ति नामक केन्द्रीय

प्रायोजित स्कीम शुरू की है जिसके तहत प्रत्येक वर्ष कक्षा IX के 1 लाख नए छात्रों को 500 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाएंगी जो कुछ शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन कक्षा XII तक जारी रहेंगी। स्कीम के अनुसार वे छात्र जो सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा VIII में अध्ययनरत हैं तथा जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से आय 1.5 लाख रु. प्रति वर्ष तक है, स्कीम के तहत चयन पीरक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं। छात्रवृत्ति की राशि को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चयनित छात्रों के खातों में तिमाही आधार पर सीधे जमा किया जाता है।

(ख) केन्द्रीय विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें विकलांगों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे लाभवंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। ऐसे छात्रों को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करने का प्रावधान है जिनके माता-पिता गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के हैं।

उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति तथा शिक्षा ऋण

3643. श्री ओम प्रकाश यादव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की उच्च शिक्षा पा रहे छात्रों को छात्रवृत्ति तथा बैंक ऋण प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषक बिहार में छात्रवृत्ति तथा बैंक ऋणों से लाभान्वित अजा/अजजा/अपिव श्रेणी सहित छात्रों की कुल संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का उच्चतर शिक्षा विभाग, "कॉलेज तथा विश्वविद्यालय छात्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना" संचालित करता है। इस योजना के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग सहित उन गरीब परिवारों जिनकी वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये या उससे भी कम है, के मेधावी छात्रों के लिए प्रत्येक वर्ष 82000 नई छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं ताकि वे उच्चतर अध्ययन/व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकें। इन छात्रवृत्तियों में से 50% छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं। इस छात्रवृत्ति की दर स्नातक स्तरीय अध्ययन के प्रथम तीन वर्ष के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष और स्नातकोत्तर स्तरीय अध्ययन के लिए तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चौथे एवं पांचवें वर्ष के लिए 20,000 रुपये प्रतिवर्ष है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित अभ्यर्थी के रूप में उच्चतर अध्ययन अथवा व्यावायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले कक्षा बारहवीं अथवा समकक्ष परीक्षा में किसी विशेष परीक्षा बोर्ड हेतु प्रासंगिक विषय में 80वें पर्सेन्टाइल से ऊपर के छात्र इस योजना के तहत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के पात्र हैं। आंतरिक निर्धारण के अध्याधीन भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण की व्यवस्था है।

इस विभाग के पास उच्चतर अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए कोई ऋण योजना नहीं है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

'कॉलेज तथा विश्वविद्यालय छात्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना' के तहत लाभार्थियों की संख्या (अ.जा./अ.जा./अ.पि.वर्ग सहित)

चालू वर्ष (2011-12) के लिए छात्रवृत्तियां अभी संवितरित नहीं की गई हैं

राज्य/बोर्ड	2008-09 (नई)	2009-10 (नई+2008-09 से नवीकृत)	2010-11 (नई+2008-09 तथा 2009-10 से नवीकृत)
1	2	3	4
सी.बी.एस.ई.	4835	11685	14972
आई.सी.एस.ई.	291	648	648

1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	5246	10504	16601
असम	128	404	571
बिहार	2	53	256
छत्तीसगढ़	201	201	712
गोवा	80	163	256
गुजरात	3883	7280	10408
हरियाणा	1591	3014	4533
हिमाचल प्रदेश	230	691	1109
जम्मू और कश्मीर	6	43	107
झारखंड	19	19	1123
कर्नाटक	3794	7358	10190
केरल	1536	3860	6184
महाराष्ट्र	911	1916	3081
मध्य प्रदेश	2558	5201	7722
मणिपुर	21	43	43
मेघालय	26	44	44
मिजोरम	3	4	15
नागालैंड	2	13	27
ओडिशा	157	239	836
पंजाब	678	1510	2673
राजस्थान	1167	5145	9123
तमिलनाडु	4883	8469	11697
त्रिपुरा	75	218	218
उत्तर प्रदेश	39	1516	6836
उत्तराखंड	158	187	374
पश्चिम बंगाल	2088	5671	11383

ऊपर शामिल न किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत शामिल हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता संबंधी रूपरेखा

3644. श्री वैजयंत पांडा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को शामिल करते हुए किसी समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिखा अर्हता संबंधी रूपरेखा बनाने तथा इसके क्रियान्वयन हेतु खाका बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां।। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता कार्य ढांचे की सिफारिश करने हेतु तथा इसके कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और मिजोरम से राज्य शिक्षा मंत्रियों के एक समूह (व्यावसायिक शिक्षा का प्रभारी) का गठन किया है।

(ग) राज्य मंत्रियों के समूह द्वारा अपनी रिपोर्ट 30 अगस्त, 2011 तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार

3645. श्री गणेश सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मीडिया अध्ययन केन्द्र सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं में अत्यधिक भ्रष्टाचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने भ्रष्टाचार के मामले सामने आए; और

(घ) इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया अध्ययन केन्द्र द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के सर्वेक्षण से यह पता चला है कि 2005 से लोक सेवा के लिए रिश्वत देने वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या का समग्र प्रतिशत सर्वेक्षण के पहले के वर्ष के दौरान 56 से कम हो कर 28 हो गया है। यह संख्या छत्तीसगढ़ (55%), बिहार (52%), केरल (46%) तथा महाराष्ट्र (40%) में अधिक थी।

(ग) और (घ) भ्रष्टाचार के आंकड़े संबंधित राज्य सरकार द्वारा रखे जाते हैं और उन्हें केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

विमान किरायों की निगरानी के लिए एजेंसी

3646. श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारी:**
श्री राम सुंदर दास:
श्री पी.के. बीजू:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किराए निर्धारित करने के लिए एयरलाइनों की नीति और उसके आधार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार अवगत है कि कुछ एयरलाइनों विभिन्न मार्गों पर अनुचित किराए प्रभारित कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार/नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने किराए की अत्यधिक दरों के संबंध में घरेलू एयरलाइनों को कोई चेतावनी जारी की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;

(च) क्या सरकार ने विमान किरायों की निगरानी के लिए कोई एजेंसी नियुक्त की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) एयरलाइनों के टैरिफ बाजार निर्धारित होते हैं तथा प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशेषताएं तथा एयरलाइनों के युक्तिसंगत लाभ सहित सुसंगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) और (ग) सामान्यत् अनुसूचित एयरलाईनें विश्व के अन्य भागों में अनुसरण की जा रही पद्धतियों की तर्ज पर प्रत्येक उड़ान के लिए भिन्न फेयर बकेट उपलब्ध कराती हैं। निम्न किराए बकेट की पूर्ण बिक्री हो जाने के पश्चात यात्रियों को सीटों की मांग बढ़ने के साथ उच्चतर किरायों को भुगतान करना होता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) नियमति आधार पर टैरिफ की मॉनीटरिंग करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा एक टैरिफ विश्लेषण इकाई की स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

रेल डाक सेवा

3647. श्री के. शिवकुमार उर्फ **जे.के. रितीशः** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेल डाक सेवा के कर्मचारियों की शिकायतों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार रेल डाक सेवा कर्मचारियों/परिवारों के लिए फिर से रेल पास जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) अपने कर्मचारियों की शिकायतों को निपटाने के लिए विभाग की एक सु-स्थापित प्रक्रिया एवं प्रणाली है। ऐसे अभ्यावेदनों के प्राप्त होने के आधार पर, कर्मचारियों की निजी शिकायतें, संबंधित प्रशासनिक इकाइयों द्वारा निपटाई जाती हैं। प्रचालनात्मक शिकायतों को निपटाने के लिए सेवा-संघों के साथ डिवीजन, क्षेत्रीय एवं सर्किल स्तरों पर नियमित बैठकें करने की प्रणाली है। प्रचालनात्मक मामलों पर चर्चा करने के लिए संघों के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ निदेशालय स्तर पर भी आवधिक बैठकें की जाती हैं।

(ख) विभाग अभ्यावेदनों के आधार पर तथा नियमित बैठकों के माध्यम से कर्मचारियों की शिकायतों के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) डाक विभाग रेल डाक सेवा कर्मचारियों/परिवारों के लिए रेल पास जारी नहीं करता है। डाक विभाग, डाक ले जाने हेतु रेल गाड़ी में सफर करने वाले रेल डाक सेवा कर्मचारियों को पहचान के प्रमाण के रूप में धातु का टोकन प्रदान करता है।

[हिन्दी]

विमानों की खरीद में अनियमितताएं

3648. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्लाः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया द्वारा 111 विमानों की खरीद में कोई अनियमितता पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एअर इंडिया को अपने पायलटों की हड़ताल के कारण हुई हानि का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हड़ताल के कारण एअर इंडिया को लगभग 200 करोड़ रुपए का अनुमानित राजस्व घाटा हुआ है।

[अनुवाद]

हैंगर सुविधा रहित उड़ान प्रशिक्षण संगठनों को अनुमोदन

3649. श्री अम्बिका बनर्जीः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक हैंगर सुविधा रहित कंपनियों द्वारा उड़ान प्रशिक्षण दिए जाने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक हैंगर सुविधा के बिना उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के लिए अनुमति प्रदान किए गए कंपनियों के नाम क्या हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री

वायालार रवि): (क) और (ख) नागर विमानन अपेक्षाओं के खंड-7-उड़ान क्रू मानदंड, प्रशिक्षण एवं लाइसेंसिग सीरीज 'घ', भाग-1 के अनुसार, उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों के पास अनुरक्षण के लिए विमान को खड़ा करने हेतु पर्याप्त हैंगर स्थान अथवा उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) हैंगर सुविधा के बिना किसी भी विमानन अकादमी का संचालन नहीं हो रहा है।

[हिन्दी]

नकली कोयला कंपनियां

3650. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कुछ नकली कोयला कंपनियों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ग) सरकार को कोयला क्षेत्र में किसी फर्जी कंपनी के होने की जानकारी नहीं है। तथापि कुछ लिंकड उपभोक्ताओं द्वारा कोयले के डायवर्जन/बिक्री की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सीबीआई द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

कोयला मजदूरी करार

3651. शेख सैदुल हक: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एनसीडब्ल्यूए)-आठ ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आगामी मजदूरी करार को अंतिम रूप दिए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार-III (एनसीडब्ल्यूए-III) पर पांच वर्ष की अवधि अर्थात 1.07.2006 से 30.06.2011 तक के लिए 24 जनवरी, 2009 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) से (ङ) एनसीडब्ल्यूए-IX पर समझौता करने के लिए कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति-IX (जेबीसीसीआई-IX) को 01 अगस्त, 2011 को गठित किया गया था। चूंकि जेबीसीसीआई सामूहिक बातचीत के माध्यम से एनसीडब्ल्यू-IX पर समझौता करती है, अत: इसे अंतिम रूप दिए जाने के लिए कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं है। तथापि, एनसीडब्ल्यू-IX को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप दिए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

नियमित शिक्षकों की नियुक्ति

3652. श्री एम.बी. राजेश: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के संबंध में देश में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या अंशकालिक शिक्षकों के स्थान पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी अंशकालिक शिक्षकों के स्थान पर नियमित शिक्षकों को प्रतिस्थापित किए जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का देश में शिक्षक शिक्षा की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23(1) में केन्द्र सरकार द्वारा

अधिसूचना के जरिए प्राधिकृत किसी शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित, किसी एक शिक्षक के रूप में भर्ती हेतु किसी व्यक्ति के पात्र होने के लिए न्यूनतम अर्हता की व्यवस्था की गई है। तद्नुसार केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करने के बाबत एक शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने दिनांक 23 नवम्बर, 1010 को अधिसूचना जारी करके शिक्षक अर्हताओं को अधिसूचित किया है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक अर्हताओं के रूप में वरिष्ठ माध्यमिक को बुनियादी शैक्षिक अर्हता और डी.एड, बी.एल.एड., डी.एड, (विशेष शिक्षा) को व्यावसायिक अर्हताओं के रूप में निर्धारित किया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक अर्हताओं के रूप में स्नातक को बुनियादी शैक्षिक अर्हता और डी.एड, बी.एड, बी.एल.एड., बी.ए./बी.एस.सी. एड., बी.एड (विशेष शिक्षा) को व्यावसायिक अर्हताओं के रूप में निर्धारित किया गया है। डी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा बी.एड. (विशेष शिक्षा) अर्हताधारी किसी व्यक्ति को नियुक्ति के पश्चात् एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में छः माह के विशेष कार्यक्रम में भाग लेना होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्रता हासिल करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए अनिवार्य अर्हताओं में यह शामिल है कि उसे समुचित सरकार द्वारा संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) को उत्तीर्ण करना चाहिए। इन अर्हताओं के जरिए भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी राष्ट्रीय मानक तथा बेंचमार्क परिलक्षित होंगे और ये शिक्षक शिक्षा संस्थानों और इन संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को अपने कार्य निष्पादन स्तरों को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों को अपेक्षित व्यावसायिक अर्हताएं प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता दी जाती है। इसके तहत नवनियुक्त शिक्षकों को 30 दिवसीय प्रवेश प्रशिक्षण और शिक्षकों के लिए 20 दिवसीय वार्षिक सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु भी सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

(ख) से (ङ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत इस अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था है और साथ ही उन स्कूलों में जहां 100 से अधिक छात्र नामांकित हैं में उच्च प्राथमिक स्तर पर (i) कला शिक्षा (ii) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और (iii) कार्यशिक्षा के लिए अंशकालिक अनुदेशकों के रूप में नियुक्ति की भी व्यवस्था है। राज्यों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति राज्य भर्ती नियमावली के अनुसार की जाती है।

(च) और (छ) सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहा है कि देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा, 2005 के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यविवरण कार्यढांचा तैयार किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने डी.एड. तथा बी.एड. पाठ्यक्रमों के लिस एक मॉडल पाठ्यविवरण तैयार किया है।

उच्च तकनीकी संस्थाओं के लिए प्रस्ताव

3653. श्री पी.के. बीजू:
डॉ. कृपारानी किल्ली:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री विश्व मोहन कुमार:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न हिस्सों में नए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए चयनित स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितनी निधि निर्धारित/आबंटित की गयी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को देश के विभिन्न हिस्सों में नए भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए राज्य सरकारों, जन प्रतिनिधियों तथा निजी क्षेत्र से अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रत्येक प्रस्ताव की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) इन संस्थानों को कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार 11वीं योजना अवधि के दौरान और भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही हैं।

सरकार ने 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। तथापि आज की तारीख तक बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल से प्राप्त हुए प्रस्ताव सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के अंतर्गत अपेक्षित तीन औद्योगिक भागीदारी के अनिवार्य मानदण्ड को पूरा नहीं करते हैं।

गुजरात और उत्तर प्रदेश में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए संसद-सदस्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सरकार की नए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खोलने की कोई योजना नहीं है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र और संसद सदस्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय

3654. श्री प्रदीप माझीः
डॉ. मुरली मनोहर जोशीः
श्री दिनेश चन्द्र यादवः
श्री किशनभाई वी. पटेलः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और इसके तीन नयाचारों तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की पुष्टि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक अभिसमय की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) इन अभिसमयों में से प्रत्येक की अब तक जिन अन्य देशों ने पुष्टि की है उनके नाम क्या हैं; और

(ङ) सदस्य देशों में इसके बाद अपराध तथा भ्रष्टाचार को किस सीमा तक नियंत्रित किया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनटीओसी) के लिए भारत के अनुसमर्थन दस्तावेज 5 मई, 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास जमा किए गए थे। भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीएसी) के अनुसमर्थन दस्तावेज 9 मई, 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास जमा किए गए थे। यह अभिसमय अनुसमर्थन दस्तावेज जारी करने की तारीख के 30 दिनों के बाद लागू हुआ था।

(ग) यूएनटीओसी तथा इसके प्रोतोकालों का मुख्य उद्देश्य संगठित अपराध के विरुद्ध कारगर लड़ाई लड़ने तथा उसकी रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धित करना है। यूएनटीओसी की मुख्य विशेषता यह है कि यह विभिन्न देशों में विभिन्न अर्थों के साथ प्रयोग की जाने वाली शब्दावली का मानकीकरण करता है तथा उसे परिभाषित करता है; तथा राज्यों से कुछ विशेष अपराधों को अपराध के रूप में स्थापित करने की अपेक्षा करता है तथा पीड़ितों एवं गवाहों की सुरक्षा जैसे विशेष नियंत्रण उपायों को लागू करने की अपेक्षा करता है; अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्पण, कानूनी सहायता एवं संयुक्त अन्वेषण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धित करता है तथा प्रशिक्षण, शोध तथा सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित उपायों के लिए व्यवस्था करता है।

यूएनसीएसी के प्रावधानों में निम्नलिखित मुख्य क्षेत्र शामिल हैं: सामान्य उपाय, उपचारात्मक उपाय, आपराधीकरण व कानून लागू करने से संबंधित उपाय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, परिसम्पत्ति की रिकवरी, तकनीकी सहायता एवं सूचना का आदान-प्रदान तथा कार्यान्वयन के तरीके। इस अभिसमय में सदस्य पक्षकार देशों के लिए अनिवार्य तथा परामर्शदायी, दोनों प्रकार के तथा वैकल्पिक उपाय शामिल हैं। इस अभिसमय में:

(i) विभिन्न देशों में विभिन्न अर्थों के साथ प्रयोग की जाने वाली शब्दावली के मानकीकरण एवं उसे परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है।

(ii) इसके लिए सदस्य पक्षकार राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे भ्रष्टाचार रोधी नीतियां तैयार करें, सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के संबंध में भ्रष्टाचार निषेध उपायों का विकास करें, तथा भ्रष्टाचार की रोक-थाम तथा उससे संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए भ्रष्टाचार रोधी निकाय एवं संस्थान स्थापित करें।

(iii) इसके सदस्य पक्षकार राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कुछ विशेष अपराधों को अपराधी कृत्यों के रूप में स्थापित करें तथा अन्य के लिए ऐसा

करने पर विचार करे और इन अपराधों के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था करें।

(iv) सदस्य पक्षकार राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्यर्पण, पारस्परिक कानूनी सहायता तथा संयुक्त अनुवेषण इत्यादि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धित करने वाले उपाय स्थापित करें।

(v) इससे सदस्य पक्षकार राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपराध से प्राप्त प्रतिफल एवं परिसम्पत्तियां जब्त करने तथा धन शोधन से निपटने के लिए अपने घरेलू कानून के अंतर्गत व्यवस्था करें।

(vi) इससे प्रशिक्षण शोध तथा सूचना के आदान-प्रदान के लिए व्यवस्था की जाती है।

(घ) यूएनटीओसी तथा यूएनसीएसी का अनुसमर्थन करने वाले अन्य देशों के नाम क्रमशः विवरण-I एवं II में संलग्न हैं।

(ङ) हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि इन अभिसमयों पर हस्ताक्षर करने के बाद सदस्य देशों में किस हद तक अपराध एवं भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया गया है फिर भी मादक पदार्थ एवं अपराध से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) ने नोट किया है कि यूएनटीओसी अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों के विरुद्ध लड़ाई में एक मुख्य अग्रगामी प्रतिनिधि है तथा इसने सदस्य देशों को इस अपराध से उत्पन्न समस्याओं की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए तैयार किया है। यूएनओडीसी ने यह भी नोट किया है कि यूएनसीएसी लागू होने के बाद भ्रष्टाचार के विरुद्ध बढ़ती असहिष्णुता के लक्षणों सहित भ्रष्टाचार पर दृष्टिकोणों में परिवर्तन हो रहा है।

विवरण-I

12. अंतर्राष्ट्रीय सगंठित अपराधों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय न्यूयार्क, 15 नवंबर, 2000

लागू होना: 29 सितंबर, 2003, अनुच्छेद 38 के अनुसार

पंजीकरण: 29 सितंबर, 2003, सं. 39574

स्थिति: हस्ताक्षरकर्ता: 147, पक्षकार: 163

दस्तावेज: ए/55/383; डिपोजिटरी अधिसूचनाएं सी.एन. 488. 2004, संधियां-18 मई, 2004 का 10

(रूसी परिसंघ: मूल अभिसमय में प्रस्तावित संशोधन (अभिप्रमाणित रूसी पाठ तथा सी.एन 619.2004, संधियां-21 जून, 2004 का 23)
(रूसी परिसंघ: मूल अभिसमय का अभिसन (रूसी अभिप्रमाणित पाठ तथा संबद्ध प्रोसेस वर्वल का प्रेषण संयुक्त राष्ट्र, संधि श्रृंखला खंड 2225 पृष्ठ 209)

टिप्पणी: यह अभिसमय संयुक्त राष्ट्र महासभा के 55वें सत्र में 15 नवंबर, 2000 के संकल्प ए/आारईएस/55/25 द्वारा पारित किया गया था। इसके अनुच्छेद 36 के अनुसार सभी राज्यों तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि ऐसे संगठन के कम से कम एक सदस्य राज्य ने पालाजी डी गुइस्टिजीया, पालेरमो, इटली में 12-15 दिसंबर तक तथा उसके बाद न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 12 दिसंबर, 2002 तक इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किया हो।

सहभागी	हस्तक्षार	अनुमोदन (एए) स्वीकृति (ए), अधिमिलन (ए), अनुवर्ती (डी) अनुसर्मथन
1	2	3
अफगानिस्तान	14 दिसंबर, 2000	24 सितंबर 2003
अल्बानिया	12 दिसंबर 2000	21 अगस्त 2002
अल्जीरिया	12 दिसंबर 2000	7 अक्तूबर 2002
अंडोर्रा	11 नवंबर 2001	
अंगालो	13 दिसंबर 2000	

1	2	3
एंटीगुआ एवं बरमुडा	26 सितंबर 2001	24 जुलाई 2002
अर्जेंटीना	12 दिसंबर 2002	19 नवंबर 2002
अर्मेनिया	15 नवंबर 2001	1 जुलाई 2003
ऑस्ट्रेलिया	13 दिसंबर 2000	27 मई 2004
ऑस्ट्रिया	12 दिसंबर 2000	23 सितंबर 2004
अजरबैजान	12 दिसंबर 2000	30 अक्तूबर 2003
बहामास	9 अप्रैल 2001	26 सितंबर 2008
बहरीन		7 जून 2004 ए
बांग्लादेश		13 जुलाई 2011 ए
बारबाडोस	26 सितंबर 2001	
बेलारूस	14 दिसंबर 2000	25 जून 2003
बेल्जियम	12 दिसंबर 2000	11 अगस्त 2004
बेलीज		26 सितंबर 2003 ए
बेनीन	13 दिसंबर 2000	30 अगस्त 2004
बोलीविया	12 दिसंबर 2000	10 अक्तूबर 2005
बास्निया एवं हर्जेगोविना	2 दिसंबर 2000	24 अप्रैल 2002
बोत्स्वाना	10 अप्रैल 2002	29 अगस्त 2002
ब्राजील	12 दिसंबर 2000	29 जनवरी 2004
ब्रुनेई दारे सलाम		25 मार्च 2008 ए
बुल्गारिया	13 दिसंबर 2000	5 दिसंबर 2001
बुर्किना फासो	15 दिसंबर 2000	15 मई 2002
बुरुंडी	14 दिसंबर 2000	
कम्बोडिया	11 नवबर 2001	12 दिसंबर 2005
कैमरून	13 दिसंबर 2000	6 फरवरी 2006

1	2	3
कनाडा	14 दिसंबर 2000	13 मई 2002
केप वर्डे	13 दिसंबर 2000	15 जुलाई 2004
मध्य अफ्रीकी गणराज्य		14 सितंबर 2004 ए
चाड		18 अगस्त 2009 ए
चिली	13 दिसंबर 2000	29 नवंबर 2004
चीन	12 दिसंबर 2000	23 सितंबर 2003
कोलम्बिया	12 दिसंबर 2000	4 अगस्त 2004
कॉमरोस		25 सितंबर 2003 ए
कांगो	14 दिसंबर 2000	
कूक आइलैंड		4 मार्च 2004 ए
कोस्टा रिका	16 मार्च 2001	24 जुलाई 2003
कोर्ट डी आइवरी	15 दिसंबर 2000	
क्रोएशिया	12 दिसंबर 2000	24 जनवरी 2003
क्यूबा	13 दिसंबर 2000	9 फरवरी 2007
साइप्रस	12 दिसंबर 2000	22 अप्रैल 2003
चेक गणराज्य	12 दिसंबर 2000	
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य		28 अक्तूबर 2005 ए
डेनमार्क	12 दिसंबर 2000	30 सितंबर 2003
जिबूती		20 अप्रैल 2005 ए
डोमिनिकन गणराज्य	13 दिसंबर 2000	26 अक्तूबर 2006
इक्वेडोर	13 दिसंबर 2000	17 सितंबर 2002
मिस्र	13 दिसंबर 2000	5 मार्च 2004
अल सल्वाडोर	14 दिसंबर 2000	18 मार्च 2004
इक्वेटोरियल गिनीया	14 दिसंबर 2000	7 फरवरी 2003

1	2	3
एस्टोनिया	14 दिसंबर 2000	10 फरवरी 2003
इथोपिया	14 दिसंबर 2000	23 जुलाई 2007
यूरोपीयन संघ	12 दिसंबर 2000	21 मई 2004 एए
फिनलैंड	12 दिसंबर 2000	29 अक्तूबर 2002
गेबन		15 दिसंबर 2004 ए
जाम्बिया	14 दिसंबर 2000	5 मई 2003
जार्जिया	13 दिसंबर 2000	5 सितंबर 2006
जर्मनी	12 दिसंबर 2000	14 जून 2006
ग्रीस	13 दिसंबर 2000	11 जनवरी 2011
ग्रेनाडा		21 मई 2004 ए
ग्वाटेमाला	12 दिसंबर 2000	25 सितंबर 2003
गुनीया		9 नवंबर 2004 ए
गिनीया बिसाऊ	14 दिसंबर 2000	10 सितंबर 2007
गुयाना		14 सितंबर 2004 ए
हैती	13 दिसंबर 2000	19 अप्रैल 2011
होंडूरास	14 दिसंबर 2000	2 दिसंबर 2003
हंगरी	14 दिसंबर 2000	22 दिसंबर 2006
आइसलैंड	13 दिसंबर 2000	13 मई 2010
भारत	12 दिसंबर 2002	5 मई 2011
इण्डोनेशिया	12 दिसंबर 2000	20 अप्रैल 2009
ईरान (इस्लामिक गणराज्य)	12 दिसंबर 2000	
इराक		17 मार्च 2008 ए
आयरलैंड	13 दिसंबर 2000	17 जून 2010

1	2	3
इजराइल	13 दिसंबर 2000	27 दिसंबर 2006
इटली	12 दिसंबर 2000	2 अगस्त 2006
जमैका	26 दिसंबर 2001	29 सितंबर 2003
जापान	12 दिसंबर 2000	
जोर्डन	26 नवंबर 2002	22 मई 2009
कजाखस्तान	13 दिसंबर 2000	31 जुलाई 2008
कीनिया		16 जून 2004 ए
किरीबाती		15 सितंबर 2005 ए
कुवैत्	12 दिसंबर 2000	12 मई 2006
कीर्गिस्तान	13 दिसंबर 2000	2 अक्तूबर 2003
लाओ पिपुल्स लोकतांत्रिक गणराज्य		26 सितंबर 2003 ए
लात्विया	13 दिसंबर 2000	7 दिसंबर 2001
लेबनान	18 दिसंबर 2001	5 अक्तूबर 2005
लेसोथो	14 दिसंबर 2000	24 सितंबर 2003
लाइबेरिया		22 सितंबर 2004 ए
लीबियन अरब लिचेनस्टिन		
जमाहिरीया	13 नवंबर 2001	18 जून 2004
लिचेनस्टिन	12 दिसंबर 2000	20 फरवरी 2008
लिथुआनिया	13 दिसंबर 2000	9 मई 2002
लक्जमबर्ग	13 दिसंबर 2000	12 मई 2008
मेडागास्कर	14 दिसंबर 2000	15 सितंबर 2005
मलावी	13 दिसंबर 2000	17 मार्च 2005
मलेशिया	26 सितंबर 2002	24 सितंबर 2004
माली	15 दिसंबर 2000	12 अप्रैल 2002

1	2	3
माल्टा	14 दिसंबर 2000	24 सितंबर 2003
मार्शल आइलैंड		15 जून 2011 ए
मारीतानिया		22 जून 2005 ए
मॉरीशस	12 दिसंबर 2000	21 अप्रैल 2003
मैक्सिको	13 दिसंबर 2000	4 मार्च 2003
माइक्रोनेशिया (संघीय राज्य)		24 मई 2004 ए
मोनाको	13 दिसंबर 2000	5 जून 2001
मंगोलिया		27 जून 2008 ए
मोटेनेग्रो		23 अक्तूबर 2006 डी
मोरक्को	13 दिसंबर 2000	19 सितंबर 2002
मोजाम्बिक	15 दिसंबर 2000	20 सितंबर 2006
म्यांमा		30 मार्च 2004 ए
नामीबिया	13 दिसंबर 2000	16 अगस्त 2002
नार्वे		12 नवंबर 2001
नेपाल		12 दिसंबर 2002
नीदरलैंड	12 दिसंबर 2000	26 मई 2004
न्यूजीलैंड	14 दिसंबर 2000	19 जुलाई 2002
निकारागुआ	14 दिसंबर 2000	9 सितंबर 2002
नाइजर	21 अगस्त 2001	30 सितंबर 2004
नाइजीरिया	13 दिसंबर 2000	28 जून 2001
नार्वे	13 दिसंबर 2000	23 सितंबर 2003
ओमान		13 मई 2005 ए
पाकिस्तान	14 दिसंबर 2000	13 जनवरी 2010
पनामा	13 दिसंबर 2000	18 अगस्त 2004

1	2	3
परागुए	12 दिसंबर 2000	22 सितंबर 2004
पेरू	14 दिसंबर 2000	23 जनवरी 2002
फिलीपींस	14 दिसंबर 2000	28 मई 2002
पोलैंड	12 दिसंबर 2000	12 नवंबर 2001
पुर्तगाल	12 दिसंबर 2000	10 मई 2004
कतर		10 मार्च 2008 ए
कोरिया गणराज्य	13 दिसंबर 2000	
मोल्दोवा गणराज्य	14 दिसंबर 2000	16 सितंबर 2005
रोमानिया	14 दिसंबर 2000	4 दिसंबर 2002
रूसी परिसंघ	12 दिसंबर 2000	26 मई 2004
रवांडा	14 दिसंबर 2000	26 सितंबर 2003
सैन मेरिनो	14 दिसंबर 2000	20 जुलाई 2010
साओ टोम एवं प्रिंसिप		12 अप्रैल 2006 ए
सऊदी अरब	12 दिसंबर 2000	18 जनवरी 2005
सेनेगल	13 दिसंबर 2000	27 अक्तूबर 2003
सर्बिया	12 दिसंबर 2000	6 सितंबर 2001
सेशेल्स	12 दिसंबर 2000	22 अप्रैल 2003
सियरा लियोन	27 नवंबर 2001	
सिंगापुर	13 दिसंबर 2000	28 अगस्त 2007
स्लोवाकिया	14 दिसंबर 2000	3 दिसंबर 2003
स्लोवेनिया	12 दिसंबर 2000	21 मई 2004
दक्षिण अफ्रीका	14 दिसंबर 2000	20 फरवरी 2004
स्पेन	13 दिसंबर 2000	1 मार्च 2002
श्रीलंका	13 दिसंबर 2000	22 सितंबर 2006

1	2	3
सेंट कीट्स एवं नेवीस	20 नवंबर 2001	21 मई 2004
सेंट लुसिया	26 सितंबर 2001	
सेंट विंसेंट एवं ग्रेनाडिनेस	24 जुलाई 2002	29 अक्तूबर 2010
सुडान	15 दिसंबर 2000	10 दिसंबर 2004
सूरीनाम		25 मई 2007 ए
स्वाजीलैंड	14 दिसंबर 2000	
स्वीडेन	12 दिसंबर 2000	30 अप्रैल 2004
स्विट्जरलैंड	12 दिसंबर 2000	27 अक्तूबर 2006
सीरियन अरब गणराज्य	13 दिसंबर 2000	8 अप्रैल 2009
ताजीकिस्तान	12 दिसंबर 2000	8 जुलाई 2002
थाइलैंड	13 दिसंबर 2000	
पूर्व यूगोस्लाव	12 दिसंबर 2000	12 जनवरी 2005
मेसेडोनिया गणराज्य		
तिमोर-लेस्ट		9 नवंबर 2009 ए
टोगो	12 दिसंबर 2000	2 जुलाई 2004
त्रिनिदाद एवं टोबेगा	26 सितंबर 2001	6 नवंबर 2007
ट्यूनीशिया	13 दिसंबर 2000	19 जून 2003
तुर्की	13 दिसंबर 2000	25 मार्च 2003
तुर्कमेनिस्तान		28 मार्च 2005 ए
युगांडा	12 दिसंबर 2000	9 मार्च 2005
यूक्रेन	12 दिसंबर 2000	21 मई 2007
संयुक्त अरब अमीरात	9 दिसंबर 2002	7 मई 2007
ग्रेट ब्रिटेन संयुक्त साम्राज्य एवं		
उत्तरी आयरलैंड	14 दिसंबर 2000	9 फरवरी 2006
तंजानिया संयुक्त गणराज्य	13 दिसंबर 2000	24 मई 2006

1	2	3
संयुक्त राज्य अमेरिका	13 दिसंबर 2000	3 नवंबर 2005
उरुग्वे	13 दिसंबर 2000	4 मार्च 2005
उज्बेकिस्तान	13 दिसंबर 2000	9 दिसंबर 2003
वानुआतू		4 जनवरी 2006 ए
वेजेजुएला (बोलिवेरियन गणराज्य)	14 दिसंबर 2000	13 मई 2002
वियतनाम	13 दिसंबर 2000	
यमन	15 दिसंबर 2000	8 फरवरी 2010
जाम्बिया		24 अप्रैल 2005 ए
जिम्बाब्वे	12 दिसंबर 2000	12 दिसंबर 2007

विवरण-II

14. भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय
न्यूयार्क, 31 अक्तूबर 2003

लागू होना: 14 दिसंबर, 2005 अनुच्छेद 681 के अनुसार

पंजीकरण: 14 दिसंबर, 2005, सं. 42146

स्थिति: हस्ताक्षरकर्ता: 140, पक्षकार: 154

दस्तावेज: संयुक्त राष्ट्र संधि श्रृंखला खंड 2349, पृष्ठ 41, दस्तावेज ए/58/422

टिप्पणी: इस अभिसमय को न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 31 दिसंबर, 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया गया था। इस अभिसमय के अनुच्छेद 67 (1) के अनुसार सभी अन्य 9-11 दिसंबर, 2003 तक मेरिडा, मैक्सिको में तथा उसके बाद 9 दिसंबर, 2005 तक न्यूयार्क स्थिति संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वतंत्र है। क्षेत्रीय, आर्थिक एकीकरण संगठन भी इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वतंत्र होने बशर्ते कि ऐसे संगठन का कम से कम एक सदस्य राज्य अनुच्छेद 67 (2) के अनुसार इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करे।

सहभागी	हस्ताक्षर	अनुमोदन (एए) स्वीकृति (ए), अधिमिलन (ए), अनुवर्ती (डी) अनुसमर्थन
1	2	3
अफगानिस्तान	20 फरवरी 2004	25 अगस्त 2008
अल्बानिया	18 दिसंबर 2003	25 मई, 2006
अल्जीरिया	9 दिसंबर 2003	25 अगस्त 2004

1	2	3
अंगोला	10 दिसंबर 2003	29 अगस्त 2006
एंटीगुआ एवं बरबुडा		21 जून 2006 ए
अर्जेंटीना	10 दिसंबर 2003	28 अगस्त 2006
अर्मनिया	19 मई 2005	8 मार्च 2007
ऑस्ट्रेलिया	9 दिसंबर 2003	7 दिसंबर 2005
ऑस्ट्रिया	10 दिसंबर 2003	11 जनवरी 2006
अजरबैजान	27 फरवरी 2004	1 नवंबर 2005
बहामास		10 जनवरी 2008ए
बहरीन	8 फरवरी 2005	5 अक्तूबर 2010
बांग्लादेश		27 फरवरी 2007ए
बारबाडोस	10 दिसंबर 2003	
बेलारूस	28 अप्रैल 2004	17 फरवरी 2005
बेल्जियम	10 दिसंबर 2003	25 सितंबर 2008
बेनीन	10 दिसंबर 2003	14 अक्तूबर 2004
भूटान	15 सितंबर 2005	
बोलीविया	9 दिसंबर 2003	5 दिसंबर 2005
बोस्निया एवं हर्जेगोविना	16 सितंबर 2005	26 अक्तूबर 2006
बोत्स्वाना		27 जून 2011ए
ब्राजील	9 दिसंबर 2003	15 जून 2005
ब्रुनई दारेसलाम	11 दिसंबर 2003	2 दिसंबर 2008
बुल्गारिया	10 दिसंबर 2003	20 सितंबर 2006
बुर्किना फासो	10 दिसंबर 2003	10 अक्तूबर 2006
बुरुण्डी		10 मार्च 2006ए
कम्बोडिया		5 सितंबर 2007ए

1	2	3
कैमरून	10 दिसंबर 2003	6 फरवरी 2006
कनाडा	21 मई 2004	2 अक्तूबर 2007
केप वर्डो	9 दिसंबर 2003	23 अप्रैल 2008
मध्य अफ्रीकी गणराज्य	11 फरवरी 2004	6 अक्तूबर 2006
चिली	11 दिसंबर 2003	13 सितंबर 2006
चीन	10 दिसंबर 2003	13 जनवरी 2006
कोलम्बिया	10 दिसंबर 2003	27 अक्तूबर 2006
कोमोरोस	10 दिसंबर 2003	
कांगो		13 जुलाई 2006ए
कोस्टा रिका	10 दिसंबर 2003	21 मार्च 2007
कोट डी आइवरी	10 दिसंबर 2003	
क्रोएशिया	10 दिसंबर 2003	24 अप्रैल 2005
क्यूबा	9 दिसंबर 2005	9 फरवरी 2007
साइप्रस	9 दिसंबर 2003	23 फरवरी 2009
चेक गणराज्य	22 अप्रैल 2005	
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य		23 सितंबर 2010ए
डेनमार्क	10 दिसंबर 2003	26 दिसंबर 2006
जिबूती	17 जून 2004	20 अप्रैल 2006
डोमिनिका		28 मई 2010ए
डोमिनिकल गणराज्य	10 दिसंबर 2003	26 अक्तूबर 2006
इक्वाडोर	10 दिसंबर 2003	15 सितंबर 2005
मिस्र	9 दिसंबर 2003	25 फरवरी 2005
अल सल्वाडोर	10 दिसंबर 2003	1 जुलाई 2004
एस्टोनिया		12 अप्रैल 2010ए

1	2	3
इथोपिया	10 दिसंबर 2003	26 नवंबर 2007
यूरोपीय संघ	15 सितंबर 2005	12 नवंबर 2008एए
फिजी		14 मई 2008ए
फिनलैंड	9 दिसंबर 2003	20 जून 2006ए
फ्रांस	9 दिसंबर 2003	11 जुलाई 2005
गाबोन	10 दिसंबर 2003	1 अक्तूबर 2007
जार्जिया		4 नवंबर 2008ए
जर्मनी	9 दिसंबर 2003	
घाना	9 दिसंबर 2004	27 जून 2007
ग्रीस	10 दिसंबर 2003	17 सितंबर 2008
ग्वाटेमाला	9 दिसंबर 2003	3 नवंबर 2006
गीनिया	15 जुलाई 2005	
गीनिया बिसाऊ		10 सितंबर 2007ए
गुयाना		16 अप्रैल 2008ए
हैती	10 दिसंबर 2003	14 सितंबर 2009
होंडूरास	17 मई 2004	23 मई 2005
हंगरी	10 दिसंबर 2003	19 अप्रैल 2005
आइसलैंड		1 मार्च 2011ए
भारत	9 दिसंबर 2005	9 मई 2011
इण्डोनेशिया	18 दिसंबर 2003	19 सितंबर 2006
ईरान (इस्लामिक गणराज्य)	9 दिसंबर 2003	20 अप्रैल 2009
इराक		17 मार्च 2008ए
आयरलैंड	9 दिसंबर 2003	
इजराइल	29 नवंबर 2005	4 फरवरी 2009

1	2	3
इटली	9 दिसंबर 2003	5 अक्तूबर 2009
जमैका	16 सितंबर 2005	5 मार्च 2008
जापान	9 दिसंबर 2003	
जोर्डन	9 दिसंबर 2003	24 फरवरी 2005
कजाखिस्तान		18 जून 2008ए
कीनिया	9 दिसंबर 2003	9 दिसंबर 2003
कुवैत	9 दिसंबर 2003	16 फरवरी 2007
कीर्गितस्तान	10 दिसंबर 2003	16 सितंबर 2005
लाओ लोक लोकतांत्रिक गणराज्य	10 दिसंबर 2003	25 सितंबर 2009
लात्विया	19 मई 2005	4 जनवरी 2006
लेबनान		22 अप्रैल 2009ए
लेसोथो	16 सितंबर 2005	16 सितंबर 2005
लाइबेरिया		16 सितंबर 2005ए
लीबियन अरब जमाहिरीया	23 दिसंबर 2003	7 जून 2005
लिस्टेनस्टीन	10 दिसंबर 2003	8 जुलाई 20140
लिथुआनिया	10 दिसंबर 2003	21 दिसंबर 2006
लक्जमर्ब	10 दिसंबर 2003	6 नवंबर 2007
मेडागास्कर	10 दिसंबर 2003	22 सितंबर 2004
मलावी	21 सितंबर 2004	4 दिसंबर 2007
मलेशिया	9 दिसंबर 2003	24 सितंबर 2008
मालदीव		22 मार्च 2007ए
माली	9 दिसंबर 2003	18 अप्रैल 2008
माल्टा	12 मई 2005	11 अप्रैल 2008
मॉरीतानिया		25 अक्तूबर 2006ए

1	2	3
मॉरीशस	9 दिसंबर 2003	15 दिसंबर 2004
मैक्सिको	9 दिसंबर 2003	20 जुलाई 2004
मंगोलिया	29 अप्रैल 2005	11 जनवरी 2006
मेंटेनेग्रो		23 अक्तूबर 2006 डी
मोरक्को	9 दिसंबर 2003	9 मई 2007
मोजाम्बिक	25 मई 2004	9 अप्रैल 2008
म्यांमा	2 दिसंबर 2005	
नामीबिया	9 दिसंबर 2003	3 अगस्त 2004
नेपाल	10 दिसंबर 2003	29 मार्च 2011
नीदरलैंड	10 दिसंबर 2003	31 अक्तूबर 2006ए
न्यूजीलैंड	10 दिसंबर 2003	
निकारागुआ	9 दिसंबर 2003	15 फरवरी 2006
नाइजर		11 अगस्त 2008ए
नाइजीरिया	9 दिसंबर 2003	14 दिसंबर 2004
नार्वे	9 दिसंबर 2003	29 जून 2006
पाकिस्तान	9 दिसंबर 2003	31 अगस्त 2007
पलाऊ		24 मार्च 2009ए
पनामा	10 दिसंबर 2003	23 सितंबर 2005
पापुआ न्यू गिनीया	22 दिसंबर 2004	16 जुलाई 2007
प्राग	9 दिसंबर 2003	1 जून 2005
पेरू	10 दिसंबर 2003	16 नवंबर 2004
फिलीपींस	9 दिसंबर 2003	8 नवंबर 2006
पोलैंड	10 दिसंबर 2003	15 सितंबर 2006
पुर्तगाल	11 दिसंबर 2003	28 सितंबर 2007

1	2	3
कतर	1 दिसंबर 2005	30 जनवरी 2007
कोरिया गणराज्य	10 दिसंबर 2003	27 मार्च 2008
मोल्दोवा गणराज्य	28 सितंबर 2004	1 अक्तूबर 2007
रोमानिया	9 दिसंबर 2003	2 नवंबर 2004
रूसी परिसंघ	9 दिसंबर 2003	9 मई 2006
रवांडा	30 नवंबर 2004	4 अक्तूबर 2006
साओ टोम एवं प्रिंसिपिया	8 दिसंबर 2005	12 अप्रैल 2006
सऊदी अरब	9 जनवरी 2004	
सेनेगल	9 दिसंबर 2003	16 नवंबर 2005
सर्बिया	11 दिसंबर 2003	20 दिसंबर 2005
सेशेल्स	27 फरवरी 2004	15 मार्च 2006
सियरा लियोन	9 दिसंबर 2003	30 सितंबर 2004
सिंगापुर	11 नवंबर 2005	6 नवंबर 2009
स्लोवाकिया	9 दिसंबर 2003	1 जून 2006
स्लोवेनिया		1 अप्रैल 2008ए
दक्षिण अफ्रीका	9 दिसंबर 2003	22 नवंबर 2004
स्पेन	16 सितंबर 2005	19 जून 2006
श्रीलंका	15 मार्च 2004	31 मार्च 2004
सूडान	14 जनवरी 2005	
स्वाजीलैंड	15 सितंबर 2005	
स्वीडेन	9 दिसंबर 2003	25 सितंबर 2007
स्विट्जरलैंड	10 दिसंबर 2003	24 सितंबर 2009
सीरियाई अरब गणराज्य	9 दिसंबर 2003	
ताजिकिस्तान		25 सितंबर 2006ए

1	2	3
थाइलैंड	9 दिसंबर 2003	1 मार्च 2011
पूर्व यूगोस्लाव गणराज्य		
मेसोडोनिया	18 अगस्त 2005	13 अप्रैल 2007
तिमोर लेस्टे	10 दिसंबर 2003	27 मार्च 2009
टोगो	10 दिसंबर 2003	6 जुलाई 2005
त्रिनिदाद एवं टोबेगो	11 दिसंबर 2003	31 मई 2006
ट्यूनीशिया	30 मार्च 2004	23 सितंबर 2008
टर्की	10 दिसंबर 2003	9 नवंबर 2006
तुर्कमेनिस्तान		28 मार्च 2005ए
यूगांडा	9 दिसंबर 2003	9 सितंबर 2004
यूक्रेन	11 दिसंबर 2003	2 दिसंबर 2009
संयुक्त अरब अमीरात	10 अगस्त 2005	22 फरवरी 2006
ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम		
एवं उत्तरी आयरलैंड	9 दिसंबर 2003	9 फरवरी 2006
संयुक्त गणराज्य तंजानिया	9 दिसंबर 2003	25 मई 2005
संयुक्त राज्य अमरीका	9 दिसंबर 2003	30 अक्तूबर 2006
उरुग्वे	9 दिसंबर 2003	10 जनवरी 2007
उज्बेकिस्तान		29 जुलाई 2011ए
वनुआत्		12 जुलाई 2011ए
वेनेजुएला (बोलिवेरियन गणराज्य)	10 दिसंबर 2003	2 फरवरी 2009
वियतनाम	10 दिसंबर 2003	19 अगस्त 2009
यमन	11 दिसंबर 2003	7 नवंबर 2005
जाम्बिया	11 दिसंबर 2003	7 दिसंबर 2007
जिम्बाब्वे	20 फरवरी 2004	8 मार्च 2007

मार्गदर्शी परामर्शक

3655. श्री वरुण गांधी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रत्येक विद्यालयी छात्र को एक मार्गदशी परामर्शक तक पहुंच उपलब्ध कराए जाने पर विचार कर रही हैं जो छात्रों को उच्च विद्यालय के बाद शैक्षणिक तथा कैरियर विकल्पों की रेंज को समझने में सहायता करेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत हाई स्कूलों (IX-X) में मार्गदर्शन और परामर्श कार्य हेतु एक प्रावधान मौजूदा है जो छात्रों को बढ़ते शैक्षिक तथा सामाजिक दवाबों से निबटने में मदद देगा। इसमें परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक स्कूल में कम-से-कम एक शिक्षक और अधिमानत: दो शिक्षक (एम पुरुष तथा एक महिला) होने चाहिए जो मार्गदर्शन तथा परामर्श कार्य शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यो/उप-प्रधानाचार्यो हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। इस योजना में सभी शिक्षकों और राज्य सरकार के माध्यमिक स्कूलों तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के प्रमुखों के लिए प्रत्येक वर्ष पांच दिनों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

उर्दू भाषा का संवर्धन

3656. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां उर्दू को विद्यालयों में दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उर्दू भाषा के विकास के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बावजूद भी राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा उर्दू भाषा के संवर्धन के लिए राज्यों को जारी निदेशों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उर्दू भाषा के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी राशि संस्वीकृत की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा विद्यालयों में उर्दू के संवर्धन के लिए आगे क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय पासपोर्ट की अवैध बिक्री

3657. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका जैसे देशों से भारतीय पासपोर्ट की अवैध बिक्री के मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें संलिप्तता के लिए कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया है; और

(ग) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है या किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) दिल्ली में आप्रवासन एवं पुलिस प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय पासपोर्टो के बारे में तथाकथित धोखाधड़ी के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं। संबंधित प्राधिकारियों ने दोषियों को पकड़ने के लिए इस मामले की जांच करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

[अनुवाद]

ए.ए.आई. द्वारा हैंगर का आबंटन

3658. श्री अशोक अर्गल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किस उद्देश्य के लिए हैंगर आबंटित किए जाते हैं;

(ख) क्या आबंटित हैंगरों के अंदर विमानों के अनुरक्षण के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों की अनुमति है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) विमान रख-रखाव के उद्देश्य से हैंगर आबंटित किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए यह लागू नहीं है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

3659. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार/सर्किल-वार पृथक-पृथक कार्यरत सार्वजनिक टेलीफान बूथों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का देश में ऐसे और बूथों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मौजूदा टेलीफोन बूथ संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत टेलीफोन को छोड़कर सार्वजनिक टेलीफोन बूथों (पब्लिक कॉल ऑफिस (पी.सी.ओ.) से संबंधित आंकड़े राज्य-वार नहीं बल्कि सर्किल-वार रखे जाते हैं। दिनांक 31.07.2011 की स्थिति के अनुसार कार्यरत सार्वजनिक टेलीफोन बूथों (पीसीओ) की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) बीएसएनएल द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान पीसीओ के प्रावधान के लिए निर्धारित किए गए सर्किल-वार लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने दिल्ली तथा मुंबई के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं क्योंकि इन शहरों में पीसीओ मांग पर उपलब्ध हैं।

(घ) से (च) पीसीओ सामान्यत: संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। तथापि, पीसीओ के कार्यकरण में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:-

(i) पीसीओ के उपयुक्त रख-रखाव और कार्यकरण के लिए उनकी नियमित रूप से जांच की जाती है।

(ii) पीसीओ के संबंध में दर्ज हुई शिकायतों की नियमित रूप सेमानीटरिंग की जाती है और दोषों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाता है।

(iii) पुराने और दोषपूर्ण उपकरणों को प्राथमिकता के आधार पर बदल दिया जाता है।

(iv) दोष उत्पन्न होने की घटना को कम करने के लिए डी.पी. और लाइन प्लांट का पुनरुद्धार किया जा रहा है।

(v) वायरलेस पीसीओ शुरु किए गए हैं।

(vi) पीसीओ से संबंधित शिकायतों की बुकिंग के लिए नि:शुल्क नम्बर की शुरुआत की गई है।

विवरण-I

कार्यरत पीसीओ का सर्किल-वार ब्यौरा

क.सं.	सर्किल का नाम	दिनांक 31.07.011 की स्थिति के अनुसार ग्राम पंचायत टेलीफोन को छोड़कर पीसीओ की संख्या	
		शहरी	ग्रामीण
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	263	226

1	2	3	4
2.	आंध्र प्रदेश	44722	71744
3.	असम	21841	5444
4.	बिहार	34732	29173
5.	छत्तीसगढ़	4005	1516
6.	गुजरात	40640	13115
7.	हरियाणा	7653	5383
8.	हिमाचल प्रदेश	2583	5351
9.	जम्मू और कश्मीर	7940	2550
10.	झारखंड	7491	6164
11.	कर्नाटक	112951	65283
12.	केरल	33959	46999
13.	मध्य प्रदेश	32286	11167
14..	महाराष्ट्र	99405	67610
15.	पूर्वोत्तर-I	4115	3323
16.	पूर्वोत्तर-II	6433	1171
17.	ओडिशा	10737	6102
18.	पंजाब	7481	8625
19.	राजस्थान	19672	20021
20.	तमिलनाडु	96430	43984
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	58012	51311
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	18333	4523
23.	उत्तराखंड	5527	3414
24.	पश्चिम बंगाल	17044	22991
25.	कोलकाता टेलीफोन्स	52932	0
26.	चेन्नै टेलीफोन्स	72378	2270
27.	एमटीएनएल दिल्ली	61997	0
28.	एमटीएनएल मुंबई	101173	0

विवरण-II

वर्ष 2011-12 के दौरान पीसीओ की संख्या में निवल वृद्धि के लिए बीएसएनएल के लक्ष्य

क्र.सं.	दूरसंचार सकिल का नाम	पीसीओ की संख्या में निवल वृद्धि के लक्ष्य
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	10
2.	आंध्र प्रदेश	4850
3.	असम	1000
4.	बिहार	1950
5.	छत्तीसगढ़	200
6.	गुजरात	2300
7.	हरियाणा	700
8.	हिमाचल प्रदेश	300
9.	जम्मू और कश्मीर	300
10.	झारखंड	550
11.	कर्नाटक	6550
12.	केरल	3250
13.	मध्य प्रदेश	1600
14.	महाराष्ट्र	6500
15.	पूर्वोत्तर-I	250
16.	पूर्वोत्तर-II	250
17.	ओडिशा	600
18.	पंजाब	600
19.	राजस्थान	1450
20.	तमिलनाडु	5950
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	3550
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1350
23.	उत्तरांचल	240
24.	पश्चिम बंगाल	1600
25.	चेन्नै टेलीफोन्स	1800
26.	चेन्नै टेलीफोन्स	2300
	कुल	50000

[अनुवाद]

नई "बैगेज स्क्रीनिंग" प्रणाली

3660. श्री किशनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नई इन लाइन बैगेज सक्रीनिंग प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) नई प्रणाली की स्थापना के लिए पहचान किए गए विमानपत्तनों के नाम क्या हैं;

(घ) उन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं जहां पर अब तक उक्त प्रणाली स्थापित की गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान विमानपत्तनों पर इस प्रकार की प्रणाली की स्थापना में हुए व्यय का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, हां।

(ख) इन-लाइन बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली की विस्तृत विशिष्टताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) यह प्रणाली दिल्ली, बंगलौर, मुंबई, कोचीन, हैदराबाद, चेन्नै, कोलकाता, अहमदाबाद, कालीकट तथा श्रीनगर में संस्थापित की गई हैं।

(ङ) हवाईअड्डों पर इस प्रणाली के संस्थापन की अनुमानित लागत इस प्रकार है: दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड-360 करोड़ रुपए; मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड -94.14 करोड़ रुपए; कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड-10.11 करोड़ रुपए; हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड-43.38 करोड़ रुपए; चेन्नै 9.20 करोड़ रुपए; कोलकाता 14.17 करोड़ रुपए; अहमदाबाद 6. 45 करोड़ रुपए; कालीकट 6.40 करोड़ रुपए; श्रीनगर 7.94 करोड़ रुपए।

विवरण

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

बैगेज तथा कार्गो के लिए एक्स-बीआईएस की विशिष्टताएं

1. मशीन 230वी एसी 50 एच जैड बिजली आपूति पर होगी और उसमें 170वीं से 260वी की रेंज में वोल्टता के उतार-चढ़ाव को सहने की क्षमता होनी चाहिए।

2. मशीन का टर्नल आकार उस उद्देश्य के अनुरूप होगा जिसके लिए मशीन का प्रयोग किया जा रहा है।

3. पैनीट्रेशन: पैनीट्रेशन इस्पात की 24 मि.मी. मोटाई से अधिक होना चाहिए।

4. रेजोलूशन : मशीन में 38 एसडब्ल्यूजी की एकल गैर इंसुलेटेड तांबे की तार को प्रदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए।

5. इस प्रणाली में न्यूनतम 1024 × 768 पिक्सल के मोनोक्रोम या रंगीन मॉनीटरों पर स्पष्ट छवियां उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए।

6. छवि के चुने गए क्षेत्र को चार बार (X4) या अधिक बड़ा करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। छवि विशेषताएं की-बोर्ड द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए।

7. मशीन फिल्म सुरक्षित होनी चाहिए। अन्य शब्दों में एक्स-रे जांच के कारण फोटोग्राफिक फिल्मों को क्षति नहीं होनी चाहिए।

8. मशीन में बहु ऊर्जा एक्स-रे इमेजिंग सुविधा होनी चाहिए जहां विभिन्न अणु संख्या की सामग्रियां भिन्न रंगों में प्रदर्शित हों ताकि जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच में अंतर किया जा सके। इस पद्धति से विस्फोटकों सहित उच्च घनत्व वाली जैविक सामग्रियों का पता लगाना संभव हो पाएगा। मशीन में गहन संवीक्षा के लिए जैविक सामग्रियों की छवियों की मॉनीटरिंग के लिए प्रचालक को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विविध रंग या सामग्री स्ट्रिपिंग होनी चाहिए। ब्लैक स्कैटर सिद्धांत पर प्रचालित होने वाली मशीन के अतिरिक्त भविष्य में ब्लैक एंड वहाइट मशीन नहीं खरीदी जाएगी।

9. विकिरणन स्तर स्वीकार्य स्वास्थ्य मानक (बाहरी आवासन से 5 से.मी. की दूरी पर 0.1 मी. आर/घंटा) से अधिक नहीं होना चाहिए।

10. टनल के किसी भी छोर पर लीड इम्परीगनेटेड सुरक्षा स्क्रीन उपलब्ध होनी चाहिए। इनपुट तथा आउटपुट बिन्दुओं पर बैगेज को रखने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु टर्नल के किसी भी छोर पर अतिरिक्त रोलर उपलब्ध कराने चाहिए।

11. एक्स-रे बीम डाइवर्जन्स इस प्रकार का होना चाहिए कि बैग के अधिकतम आकार की छवि नजर आये और उसके कोने कटे नहीं।

12. छवि के हल्के तथा गाढ़े भाग को संवर्धन प्रदान करने के लिए वैरीयबल कंट्रास्ट की सुविधा शामिल की जानी चाहिए।

13. यदि मशीन किसी विशिष्ट वस्तु को देख पाने में विफल रहती है, तब अलार्म (दश्य या श्रव्य) अत्पन्न होना चाहिए ताकि प्रचालक को उसका पता चल सके।

14. सभी एक्स-रे बीआईएस प्रचालनों में जोखिम छवि प्रोजेक्शन प्रणाली सॉफ्टेयर शामिल किया जाना चाहिए।

15. सिक्युरिटी हाउसिंग तथा लॉकिंग सहित नियंत्रण डेस्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए। की-बोर्ड के माध्यम से प्रचालक व्यक्तिगत पहचान संख्या इंटर किया जा सकता है। द्वि-दिशा एटोनल स्कैनिंग सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

16. छोर संवर्धन की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

17. हाथ तथा पंजीकृत बैगेज के लिए एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली हेतु कन्वेयर बेल्ट की गति 0.18 तथा 0.3 मी./से. होनी चाहिए। इससे कम गति कार्गो स्क्रीनिंग के लिए स्वीकार्य है।

18. प्रचालन तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए तथा भंडारण तापमान-20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए।

19. एंटी रोडेट तथा डस्ट प्रूफ कवरिंग उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

20. उपकरण का विनिर्माण करने वाली कंपनी के पास एक्स-रे स्क्रीनिंग मशीनों के विनिर्माण तथा सर्विसिंग के लिए आईएसओ प्रमाणन होना चाहिए।

21. मशीन इस प्रकार से अभिकल्पित होनी चाहिए ताकि इमेज प्रोसेसिंग तथा पैटर्न पहचान में नई प्रौद्योगिकी को आसानी से लागू किया जा सके।

22. हाथ के सामान तथा चेक बैगेज के लिए 300 बैग प्रति घंटे तथा कार्गो मशीनों के लिए 150 बैग प्रति घंटे की क्षमता होनी चाहिए।

23. **सुरक्षाः**

मशीन को यांत्रिकीय, विद्युत्तीय तथा विकिरणन खतरों के संबंध में स्वास्थ्य तथा सुरक्षा विनियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए। मशीनों के संस्थापन से पूर्व आपूर्तिकर्ता/विनिर्माताओं द्वारा विकिरणन सुरक्षा के संबंध में भारतीय अणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

24. प्रत्येक मशीन के साथ एक प्रचालक मैनुअल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

25. **संयुक्त जांच पाइस (सीटीपी)**

प्रचालक द्वारा मशीन की सेवाप्रदत्ता की जांच करने के लिए प्रति मशीन सीटीपी का एक सेट विनिर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात

3661. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री गणेश सिंह:
श्री धर्मेन्द्र सिंह:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 18-24 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन का सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) जनसंख्या का कितने प्रतिशत है;

(ख) क्या जनसंख्या में उच्च शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने की आधारसंरचना देश में पर्याप्त रूप से उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक आधारसंरचना उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) वर्ष 2008-09 में 18-23 वर्ष आयु वर्ग में जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में उच्चतर शिक्षा में नामांकित छात्रों का सकल नामांकन अनुपात 13.8 है।

(ख) से (घ) वर्ष 2008-09 में देश में 409 विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थाएं, 25990 कालेज तथा 1742 पॉलीटेक्निक हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कई नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पॉलीटेक्निक तथा अन्य उच्चतर अध्ययन संस्थाए स्थापित की गई हैं। सरकार द्वारा एक नई स्कीम अनुमोदित की गई है, जिसके तहत 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े निर्धारित जिलों, जहां पर उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से कम है, में से प्रत्येक जिले में एक मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना हेतु राज्य सरकारों/राज्य विश्वविद्यालयों को हिस्सेदारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

केन्द्रीय विद्यालयों का कामकाज

3662. श्री निशिकांत दुबे:
श्रीमती जे. शांता:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों के दौरान देश में केंद्रीय विद्यालयों के कामकाज की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार केंद्रीय विद्यालय संगठन, भारतीय माध्यमिक शिक्षा सर्टिफिकेट (आई.सी.एस.ई.) तथा ऐसे अन्य निकायों के कामकाज तथा काम में देरी, आलस्य तथा त्रुटि करने के नौकरशाही रवैये-जिससे देश भर में विद्यार्थियों का नुकसान होता है, में सुधार करने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्थानों के प्रमुखों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु कार्यरत तंत्र का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) भारतीय प्रबंधन संस्थान को वर्ष 2009 में केन्द्रीय विद्यालयों (केवीएस) की समीक्षा का कार्य सौंपा गया था और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों, भारतीय माध्यमिक शिक्षा सर्टिफिकेट (आईसीएसई) और ऐसे अन्य निकायों के कार्य की समीक्षा तथा निष्पादन को सुधारने के लिए अपेक्षित उपायों का कार्यान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) सभी अन्य कर्मचारियों की तरह इन संस्थाओं के सभी प्रमुखों के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन पद्धति निर्धारित है।

एन.सी.आर.टी. का बजट आबंटन

3663. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वित्त वप्र के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) को कुल कितना बजट-परिव्यय उपलब्ध कराया गया तथा उसका कुल व्यय कितना रहा;

(ख) एन.सी.ई.आर.टी. ने पुस्तकों की बिक्री से कितनी आय अर्जित की;

(ग) राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्डों द्वारा पुस्तकों के मुद्रण से प्राप्त रायल्टी से एन.सी.ई.आर.टी. को कितनी आय हुई; और

(घ) एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों का अनुमानित राज्य-वार मूल्य कितना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को प्रदान किया गया बजट परिव्यय और कुल व्यय नीचे दिया गया है।

(करोड़ रुपए में)

	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
बजट आबंटन	40.00	65.05	40.00	97.41	40.00	107.30	25.00	145.00
संशोधित आबंटन	29.00	78.21	25.00	97.41	40.00	119.17	-	-
व्यय	20.61	199.77	31.60	260.68	34.77	244.84	3.15 (जुलाई, 2011 तक	98.00

योजनेतर शीर्ष के तहत अधिशेष व्यय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रकाशनों की बिक्री से जुटाए गए राजस्व से पूरा किया गया था।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अपनी पुस्तकों की बिक्री के माध्यम से और राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड द्वारा पुस्तकों के मुद्रण की रॉयल्टी द्वारा जुटाया गया राजस्व नीचे दिया गया है:

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (30 जून, 2011 तक)
पुस्तकों की बिक्री के जरिए जुटाया गया राजस्व	131.17	124.88	132.29	29.42
राज्यों से रॉयल्टी के माध्यम से जुटाया गया राजस्व	0.91	0.42	5.40	शून्य

(घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पाठ्यक्रम पर राज्यों द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों का अनुमानित मूल्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पास उपलब्ध नहीं है।

विमान यात्राओं में दृष्टिहीन व्यक्ति

3664. डॉ. मन्दा जगन्नाथ: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियों के विपरीत, भारत में अधिकांश विमान सेवाएं (दृष्टिहीन व्यक्तियों को अकेले विमान यात्रा नहीं करने देती;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में दोषी पाई गई विमान सेवाओं के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) आशक्तता तथा/या निम्न सचलता वाले व्यक्तियों को विमान द्वारा वहन पर नागर विमानन अपेक्षा के खंड-3 श्रृंखला-3, भाग-1 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी एयरलाइन अशक्तता वाले व्यक्ति या निम्न सचलता वाले व्यक्ति को विमान में यात्रा करने से इंकार नहीं कर सकती है।

(ग) इस संबंध में जून, 2011 में नागर विमानन महानिदेशालय के समक्ष दो मामले आए हैं।

एक मामले में, किंगफिशर एयरलाइन ने मुंबई में एक नेत्रहीन यात्री को विमान में प्रवेश करने से मना किया जो कि एक शिशु के साथ यात्रा कर रही थी। दूसरे मामले में, किंगफिशर एयरलाइंस से यात्रा कर रहे एक अकेल नेत्रहीन यात्री को पटना हवाईअड्डे पर उनके ग्राउंड स्टाफ द्वारा परेशान किया गया। तथापि, यात्री को इन्डेमिनिटी बॉड पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् यात्रा की अनुमति दी गई थी।

(घ) यह मामला किंगफिशर एयरलाइन के समक्ष उठाया गया था जिन्होंने आवश्यक निवारक कार्रवाई की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अशक्त यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। किंगफिशर एयरलाइन ने सभी हवाईअड्डों को एक विस्तृत परिपत्र भी जारी किया है जिसमें अशक्त व्यक्तियों की व्यवस्था की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है विशेष रूप से उनके साथ व्यवहार करते समय संवेदनशीलता की बात को दोहराया गया है।

(ङ) नागर विमानन महानिदेशालय ने अशक्त व्यक्तियों तथा नेत्रहीन व्यक्तियों सहित निम्न सचलता वाले व्यक्तियों की व्यवस्था के लिए विस्तृत नीति तैयार करने तथा उन्हें अपनी संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को निर्देश जारी किए हैं। सभी एयरलाइनों को इन्हें विभिन्न हवाईअड्डों पर उपलब्ध कराने तथा इस संबंध में अपने कर्मचारियों को भी संवेदी व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं।

चेन्नै विमानपत्तन पर बैक-अप रडार प्रणाली

3665. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नै विमानपत्तन पर कोई बैक-अप रडार प्रणाली नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चेन्नै विमानपत्तन पर व्यस्ततम समय के दौरान कितने विमानों का आवागमन होता है;

(घ) क्या चेन्नै विमानपत्तन पर स्थित वर्तमान रडार प्रणाली बार-बार विफल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारमूलक कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत लागू नहीं।

(ग) व्यस्ततम घंटों के दौरान चेन्नै हवाईअड्डा प्रति घंटा 28 विमान तक के आवागमन को हैंडल कर सकता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के दृष्टिगत लागू नहीं।

ब्रॉडबैण्ड उपभोक्ता

3666. श्री अनंत कुमार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों के कितने उपभोक्ताओं ने हाई-डेफिनिशन टेलीविजन व वीडियो हित ब्रॉडबैंड इण्टरनेट की संयुक्त सेवाओं वाला विकल्प चुना है;

(ख) इस संदर्भ में विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकारी दूरसंचार कंपनियों के उपभोक्ताओं की संख्या कितनी बढ़ी;

(ग) क्या उक्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली निजी दूरसंचार कंपनियों की तुलना में सरकारी दूरसंचार कंपनियों के उपभोक्ता आधार में कम वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियां अर्थत् भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड हाई डेफिनिशन टेलीविजन, वीडियो और ब्रॉडबैंड इंटरनेट के संयुक्त पैकेज की पेशकश नहीं कर रही हैं।

[हिन्दी]

सूचना आयोगों के भवन निर्माण का वित्तपोषण

3667. श्रीमती अश्वमेध देवी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का बिहार सूचना आयोग सहित विभिन्न राज्यों के राज्य सूचना आयोगों के कार्यालय भवन-निर्माण का आंशिक वित्तपोषण करने को प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार अथवा किसी अन्य राज्य की सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) सरकार ने सूचना आयोगों के कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु राज्यों को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक स्कीम बनाई। कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, नागालैंड और हरियाणा ने इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया है। तथापि, इस स्कीम को अनुमोदित नहीं किया गया है और जिन राज्यों ने सहायता हेतु अनुरोध किया है, उन्हें तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

मानव विकास संबंधी रिपोर्ट

3668. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 25 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के व्यक्ति औसतन कितने वर्ष शिक्षा प्राप्त करते हैं;

(ख) क्या वर्ष 2010 की मानव विकास संबंधी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में एक बच्चा औसतन 4.4 वर्ष की विद्यालय में शिक्षा पाता है; और

(ग) यदि हा, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) मानव विकास संबंधी रिपोर्ट, 2010 के अनुसार 25 वर्ष तथा उससे ऊपर के आयु समूह के लोगों द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा के वर्षों की औसत संख्या 4.4 है। इसकी गणना के प्रयोजनार्थ जनसंख्या की शिक्षा प्राप्ति के स्तरों

के आधार पर 25 वर्ष तथा उससे ज्यादा उम्र के लोगों द्वारा अपने जीवन काल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा के वर्षों की औसत संख्या को शिक्षा प्राप्ति के प्रत्येक स्तर के अनुमानित अवधियों पर आधारित स्कूली शिक्षा के वर्षो में परिवर्तित किया जाता है। इसमें किसी बच्चे द्वारा स्कूल में बिताए गए औसत समय का उल्लेख नहीं किया जाता है।

(ग) कम शैक्षिक उपलब्धि में शिक्षा के सभी स्तरों-प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक की सुलभता में उल्लेखनीय विस्तार करके सुधार किए जाने की परिकल्पना है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 पहले से ही मौजूद है और शिक्षा का अधिकार अनुकूलित सर्व शिक्षा अभियान के जरिए 6-14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को आठ वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित किए जाने की उम्मीद है। मुख्य ध्यान गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिए जाने पर है। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के साथ ही माध्यमिक शिक्षा की मांग बढ़ी है और माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ कराने के प्रयोजनार्थ पहले से ही उपक्रम तैयार है। सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की सुलभता का विस्तार करने हेतु पहले ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरूआत कर दी है। प्रत्येक ब्लॉक में उच्च गुणवत्ता युक्त गति निर्धारक स्कूल की स्थापना करने हेतु मॉडल स्कूल योजना शुरू की गई है। इसके अलावा, केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों के दायरे का भी विस्तार किया गया है। तृतीयक स्तर पर 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, 07 भारतीय प्रबंधन संस्थानों, 05 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं शोध संस्थानों, 02 योजना एवं वास्तुकला विद्यालयों तथा 10 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अलावा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के जरिए 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना करने की योजना शुरू की गई है। कौशल विकास हेतु समन्वित कार्रवाई के तहत पॉलीटेक्निक संबंधी उप-मिशन का उद्देश्य 1000 नए पॉलीटेक्निक संस्थानों की व्यवस्था करना है। 11वीं योजना के तहत यह भी परिकल्पना की गई है कि उच्चतर शिक्षा की सुलभता में वृद्धि करने हेतु राज्य विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को सुदृढ़ बनाया जाए। केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 सहित समावेशी नीतियों एवं कार्यक्रमों के साथ इस त्रिआयामी कार्यनीति ने शिक्षा के औसत वर्षों में वृद्धि करने के बावत उल्लेखनीय रूप से मार्ग प्रशस्त किया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में शिक्षा का स्तर

3669. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी. सी.आर.) ने तीखी रिपोर्ट देते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में शिक्षा के कमजोर होते स्तर का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में कितने स्कूलों/छात्रावासों में सुरक्षा बलों के कर्मी काबिज हैं जिससे इस क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है;

(ग) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में उनके मंत्रालय से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपनी रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) वर्ष 2007 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 102 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रत्युत्तर में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बच्चों को पूर्वोत्तर राज्यों से दक्षिणी राज्यों में ले जाए जाने के बारे में जांच की है और माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में एनसीपीसीआर ने पूर्वोत्तर राज्यों के दुर्गम दूरस्थ इलाकों/जिलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अभाव को उन कारणों में से एक कारण के रूप में उल्लेख किया है जिससे माता पिता अपने बच्चों को दक्षिणी राज्यों में स्थित दूरदराज के इलाकों में भेजते हैं।

(ख) से (ङ) उच्चतम न्यायालय में गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 को दायर एक हलफनामे के अनुसार त्रिपुरा में तीन स्कूल/छात्रावास भवन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अस्थाई कब्जे में थे।

माननीय न्यायालय में गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2011 को दायर हलफनामे के अनुसार यह कहा गया है कि नागालैण्ड में जोटसोमा स्थित "ओल्ड बॉयज होस्टल", जो गवर्नमेंट हाई स्कूल, जोटसोमा से संबद्ध है, को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित किसी भी शैक्षिक संस्थान का कोई भी भवन इस प्रकार के किसी भी कब्जे में नहीं है। हालांकि महानिदेशक, असम राइफल्स ने सूचित किया है कि दिनांक 15.03.2011 को असम राइफल्स द्वारा इस भवन को खाली कर दिया गया है।

(च) सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसे प्रारंभ किए जाने से लेकर पूर्वोत्तर क्षेत्र स्थित राज्यों के लिए जो सहायता प्रदान की गई वह इस प्रकार है:-

ईजीएस का प्राथमिक स्कूलों के रूप में स्तरोन्नयन	4225
नए प्राथमिक स्कूल खोला जाना	11440
नए उच्च प्राथमिक स्कूल खोला जाना	4853
अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों का निर्माण	72,221
शिक्षकों की नियुक्ति	61765

वर्ष 2011-12 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के वार्षिक परिव्यय के रूप में 3453.42 करोड़ रुपये की राशि-संस्वीकृत की गई है।

कोयले का परिवहन

3670. श्री पी. करूणाकरन: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारेवाही रेल-डिब्बों की कमी की वजह से कोयला काफी मात्रा में खान क्षेत्र में ही पड़ा हुआ है और उसका परिवहन नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कोयला उठाने की सुविधाओं की कमी की वजह से भारत द्वारा उत्पादित कोयले की 10 प्रतिशत मात्रा अप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, हां। 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सहायक कंपनियों के पास लगभग 69.17 मिलियन टन के पिटहेड स्टॉक थे। सीआईएल ने सूचित किया है कि पिटहेड स्टॉक के संचय के प्रमुख कारण, झारखंड और उड़ीसा में बार-बार कानून और व्यवस्था की समस्याएं, पिटहेड स्टॉक से रेलवे साइडिगों तक कोयले की ढुलाई में अड़चने तथा 2010-11 की तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान रेलवे रेकों की कम उपलब्धता थीं।

सीआईएल/कोयला कंपनियों तथा रेलवे के बीच, 2011-12 के दौरान कोयले की ढुलाई की योजना बनाने के लिए 30.05.2011 को एक रेल कोल इंटर-फेस बैठक आयोजित की गयी और रेलवे ने कोयले की अधिक निकासी को सुकर बनाने के लिए और अधिक रेक मुहैया कराने का आश्वासन दिया है।

माननीय कोयला मंत्री ने अपने दिनांक 01.06.2011 के पत्र के माध्यम से अधिकतम सीमा तक पिटहेड स्टॉक को समाप्त करने तथा स्थिति को व्यक्तिगत तौर पर मानीटर करने के लिए अध्यक्ष, सीआईएल तथा सीआईएल की सहायक कंपनियों को लिखा है। संबंधित राज्य सरकारों से, कोयला निकासी में सुधार करने के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने का अनुरोध किया है। पिटहेडों से रेलवे साइडिंग तक कोयले की निकासी के लिए कोयला कंपनियों को अपनी परिवहन सुविधाओं में सुधार करने की सलाह दी गयी है।

(ग) और (घ) जहां 2010-11 के दौरान अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 533.076 मिलियन टन था, कुल प्रेषण और अन्त्य स्टॉक क्रमश: 523.247 मिलियन टन तथा 71.468 मिलियन टन था।

(ङ) कोयला कंपनियों को कुछ भंडार बनाए रखना अपेक्षित होता है ताकि आपात स्थितियों में कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पिटहेड से रेलवे साइडिंग तक कोयले को ढुलाई के लिए निकासी सुविधाओं में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और सीआईएल कोयला कंपनियों तथा रेलवे के बीच समय-समय पर रेल-कोल इंटर फेस बैठके कोयले की सुचारू रूप से निकासी की योजना बनाने के लिए आयोजित करती है। संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी उपसमूह भी नियमित रूप से बैठकें आयोजित करता है ताकि विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार की स्थिति का पता लगाया जा सके और यह अन्य बातों के साथ-साथ भंडारों को समाप्त करने के लिए उपाय सुझाता है। परिणामत: सीआईएल की सहायक कोयला कंपनियां 01.04.2011 से 15.08.2011 तक के दौरान 17.74 मिलियन टन के अपने पिटहेड भंडारों को समाप्त करने में समर्थ रही है।

[हिन्दी]

वेबसाइटों पर आपत्तिजनक सामग्री

3671. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ इंटरनेट वेबसाइटें अश्लील/आपत्तिजनक सामग्री प्रस्तुत कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी वेबसाइटों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या ऐसी वेबसाइटों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार का साइबर कानूनों को सबल बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) विभिन्न अनुप्रयोगों और किसी भी किस्म की सूचना सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक मूलसंरचना/सेवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। वेब की मूलसंरचना सूचना सामग्री की किस्म को श्रेणीबद्ध नहीं करती हैं। इसलिए, प्रौद्योगिकी का जो इस्तेमाल किया जता है वह समाज के एक वर्ग द्वारा किया जा सकता है तथा अन्य वर्गों द्वारा नहीं। कई ग्रुपों ने विभिन्न प्रयोजनों से इंटरनेट पर अश्लील/आपत्तिजनक सूचना सामग्री वाली वेबसाइटें उपलब्ध कराई हैं। ऐसी साइटें प्रयोक्ताओं के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध हो सकती हैं। ऐसी अधिकांश वेबसाइटों का देश में बाहर निर्माण किया जाता है।

(ग) ऐसी अश्लील/आपत्तिजनक सामग्री वाली वेबसाइटों को फिल्टर करना एक तकनीकी चुनौती है। ये वेबसाइटें समय-समय पर नाम, डोमेन पता और होस्टिंग प्लेटफॉर्म बदलती रहती है और इस प्रकार ऐसी वेबसाइटों को बाजार में उपलब्ध तकनीकी टूल्स के इस्तेमाल से फिल्टर अथवा ब्लॉक करना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त, टूल्स के द्वारा सीमित सीमा तक ही फिल्टर उपलब्ध होता है। इस प्रक्रिया में सूचना सामग्री को भी फिल्टर कर देते हैं जिससे सिस्टम के कार्यनिष्पादन का दर्जा गिर जाता है।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 सहित दिनांक 27.10.2009 से सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा यथासंशाधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनिमय, 2000 में बाल अश्लीलता सहित अश्लील/आपत्तिजनक सामग्री वाली साइटों का सामना करने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67क तथा 67ख में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्रियों के प्रकाशन या संप्रेषण के लिए तथा वेबसाइट पर ऐसी कोई भी सूचना होस्ट करने के लिए कारावास और जुर्माने के रूप में कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है जो कामुक हों या जिसमें यौन कृत्य अथवा आचरण की सामग्री दर्शाई गई हो या जिसमें बच्चों को यौन कृत्य में लिप्त दर्शाया गया हो। धारा 67 में प्रथम अभियोग के लिए तीन वर्ष के कारावास और पांच लाख रुपए तक के जुर्माने और परवर्ती अभियोगों के लिए पांच वर्षों के कारावास और दस लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया हैं धारा 67क तथा 67ख में प्रथम अभियोग के लिए पांच वर्षो तक के दण्ड और दस लाख रुपए तक के जुर्माने तथा परवर्ती अभियोगों के लिए सात वर्षों तक के कारावास और दस लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बायोमैट्रिक पंजीकरण

3672. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नागरिकों के बायोमैट्रिक पंजीकरण को भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक को अंतिम रूप दिए जाने तक रोकने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण बिल 2010 के पास होने तक आधार संख्या जारी करने पर रोक से संबंधित मामला विशेष उल्लेख के रूप में श्री रामा जायस, संसद सदस्य (राज्य सभा) द्वारा दिनांक 18. 03.2011 को राज्य सभा में उठाया गया था। इस संबंध में माननीय सदस्य ने स्थायी वित्त समिति तथा प्रधान मंत्री कार्यालय को भी हवाला दिया है। इस विषय में बंगलौर के एक निवासी से विधिक नोटिस प्राप्त हुआ है।

(ग) राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक के अधिनियमन से पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का संचालन शुरू करने के बारे में मामले की विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई है। महान्यायवादी (एजी) ने यह राय दी है कि यूआईडीएआई इस विधेयक का अधिनियमन होने तक अपना कार्य जारी रख सकता है।

लैटिन अमरीका के साथ संबंध

3673. श्री राधे मोहन सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान भारत ने लैटिन अमरीका तथा कैरेबियन देशों के साथ आर्थिक तथा रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कोई नई पहलें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पहलों के परिणामस्वरूप अब तक क्या लाभ हुआ है;

(ग) अप्रैल, 2010 में भारत के प्रधान मंत्री की ब्राजील यात्रा के उद्देश्य और लक्ष्य क्या थे;

(घ) उनकी यात्रा से भारत और ब्राजील के बीच द्विपीक्षय संबंधों में किस प्रकार से सुधार हुआ है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) लातिन अमरीकी एवं कैरिबियाई देशों के साथ भारत के संबंध बढ़ रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में इस क्षेत्र में सभी स्तरों पर हमारी ओर से चर्चा तेज किए जाने के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में हमारा व्यापार वर्ष 2000 में 2 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2010 में 23 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया।

(ग) और (घ) भारत की ब्राजील के साथ कूटनीतिक साझीदारी है, इस देश के साथ कई क्षेत्रों में हमारे संबंध बढ़ रहे हैं। दोनों ही देश ब्रिक्स और आईबीएसए के सदस्य हैं और दोनों देश बहुपक्षीय मंत्रों पर घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं। आईबीएसए, ब्रिक और द्विपक्षीय शिखर बैठक स्तर की चर्चाओं में भाग लेने के लिए अप्रैल, 2010 में प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा से ब्राजील के साथ हमारे बहुआयामी संबंध प्रगाढ़ हुए हैं।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर के राज्यों में सर्वशिक्षा अभियान

3674. श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री विश्वमोहन कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में चाय-बागान प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्कूलों को सर्वशिक्षा अभियान के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त असमानता को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार का इन स्कूलों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत लाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) चाय बागान में प्राथमिक स्कूलों के लिए राज्यों ने विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं। पश्चिम बंगाल में चाय बागान में स्थित सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दी गई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं परंतु निजी/चाय बागान प्राधिकरण स्कूलों को शामिल नहीं किया जाता। असम राज्य सरकार ने चाय बागान क्षेत्र में स्थित स्कूलों को स्कूल अनुदान, अध्यापक अनुदान आदि जैसी सुविधाएं भी दी हैं।

(ग) से (ङ) सर्व शिक्षा अभियान सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता प्रदान करता है। यह संबंधित राज्य सरकार का कार्य है कि वह उपरोक्तानुसार स्कूलों को वर्गीकृत करे।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति

3675. श्री यशवीर सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखबारों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार, सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक भूतपूर्व नौकरशाहों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् एक वर्ष की विश्रामावधि पूरी करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक सरकार को इस सिलसिले में वर्ष-वार कितने अनुरोध प्राप्त हुए और उनमें से कितने स्वीकार किए गए हैं; और

(ग) उक्त आवेदनों को किन शर्तों के अधीन स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए अनुमति मांगने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों पर विश्रामावधि लागू नहीं होती है। सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 10 के उप नियम (1) के अनुसार, यदि कोई पेंशनभोगी जो सेवानिवृत्ति के समय समूह 'क' पद धारण किए हुए था, सेवानिवृत्ति के पश्चात् एक वर्ष के भीतर कोई वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार करने का इच्छुक है तो उसे सरकार से पूर्व मंजूरी लेनी होगी। ऐसे प्रावधान अखिल भारतीय सेवा (डीसीआरबी) नियमावली, 1958 के नियम 26 में, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए भी मौजूद हैं। ऐसी अनुमति मांगने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या से संबंधित आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते।

(ग) ऐसे आवेदक को अनुमति देने अथवा नहीं देने के समय, सक्षम प्राधिकारी सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 10 वे उप नियम (3) तथा अ.भा.से. (डीसीआरबी) नियमावली 1958 के नियम 26 के उप नियम (3) में उल्लिखित तथ्यों, जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखेंगे।

समवर्ती मूल्यांकन प्रणाली

3676. श्री प्रेमदास राय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, स्कूलों में समवर्ती मूल्यांकन प्रणाली का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कोई मानक तय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर सिक्किम राज्य के संदर्भ में, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसी समवर्ती मूल्यांकन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इसके परिणामों के बारे में कोई आकलन किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का समवर्ती मूल्यांकन प्रणाली के मानक तथा परिणाम सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (छ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षका अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है। सर्व शिक्षा अभियान में व्यापक मूल्यांकन और अनुवीक्षण व्यवस्था है, जिसमें निम्नलिखित है:-

(i) छात्रों की शिक्षण उपलब्धी स्तरों के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा शिष्य उपलब्धी नमूना सर्वेक्षण आयोजित करना। आज की तारीख तक कक्षा III, V और VII, VIII में सभी विषयों के लिए राष्ट्रीय उपलब्धी सर्वेक्षणों के दो चक्र पूरे हो गए हैं और तीसरा चर्क आरंभ हो गया है।

(ii) छात्रों, शिक्षकों और स्कूल से संबंधित परिवर्तनों को शामिल करते हुए व्यापक सूचना प्रदान करने के लिए स्कूल रिपोर्ट कार्ड बनाए जाते हैं। स्कूल रिपोर्ट कार्डो में व्यक्तिगत स्कूलों के बारे में मात्रात्मक और गुणात्मक सूचना प्रदान की जाती है, और वे वेबसाइट www.schoolreportcards.in पर उपलब्ध है।

(iii) कम्प्यूटरीकृत ई-एमआईएस सिस्टम प्रांरभिक शिक्षा आंकड़े देता है। सम्पूर्ण डाटाबेस जो वेबसाइट www.dise.in पर उपलब्ध है, राज्य, जिला और स्कूल द्वारा विश्लेषण प्रदान करता है।

(iv) 40 राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निष्पादन का अनुवीक्षण करने हेतु स्वतंत्र और नियमित क्षेत्रीय दौरे करने के लिए सम्बद्ध किए गए हैं। इन निगरानी संस्थानों की रिपोर्टे वेबसाइट www.ssa.nic.in पर उपलब्ध है।

(v) बाह्य विधियन अभिकरणों के साथ स्वतंत्र संयुक्त समीक्षा मिशन, सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की वर्ष में दो बार समीक्षा करता है। 14वां संयुक्त समीक्षा मिशन 18-28 जुलाई, 2011 तक हुआ था। संयुक्त समीक्षा मिशन की रिपोर्ट वेबसाइट www.ssa.nic.in पर देखी जा सकती है।

(vi) सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के बारे में फीडबैक के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन/अध्ययन किए जाते

हैं। इनमें स्कूल से बाहर के बच्चे, छात्र और शिक्षक उपस्थिति, पेरा-शिक्षक, टाइम-ऑन-टॉस्क, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) तथा प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं हेतु राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) का राष्ट्रीय मूल्यांकन, ब्लॉक और कलस्टर संसाधन केन्द्रों की प्रभावशीलता, सिविल कार्यो इत्यादि का तृतीय पक्ष से मूल्यांकन कराना शामिल है।

(vii) मंत्रालय द्वारा भारतीय लोक लेखापरीक्षक संस्थान के माध्यम से स्वतंत्र समवर्ती वित्तीय समीक्षाएं भी चालू की जाती हैं।

(viii) सिविल कार्यो का राष्ट्रीय तृतीय पक्ष मूल्यांकन 2008-09 में 11 राज्यों और 2011-12 में 12 राज्यों के संबंध में पूरा किया गया।

आरटीई अधिनियम, में शिक्षण के निरन्तर और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) की व्यवस्था की गई है। सीसीई का अर्थ है कि शिक्षक कार्य, बच्चे के प्रत्युत्तर द्वारा और क्लास रूप क्रियाकलापों से लगातार निर्देशित होता है और इस प्रकार मूल्यांकन को उस प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जिसके माध्यम से शिक्षक बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करता है जिससे वह उसे बेहतर पढ़ा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के ढांचे को उसमें सीसीई दृष्टिकोण शामिल करने के लिए, संशोधित किया गया है। एनसीईआरटी ने प्राइमरी ग्रेडों के लिए मूल्यांकन पर संसाधन पुस्तिका विकसित और प्रचारित की है जिसे राज्य अपनी सीसीई कार्यनीति का विकास करने, कार्यान्वित करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। सिक्किम राज्य ने आरंभिक चरण में सीसीई पर दिशा-निदेशों को विकसित एवं प्रचारित किया है जिसमें प्रगति रिपोर्ट कार्ड शामिल है। इसने सभी संस्थाओं के प्रमुखों और ब्लाक व कलस्टर समन्वयकों के लिए सीसीई पर प्रशिक्षण आयोजित किया है।

[हिन्दी]

स्पीड-पोस्ट केंद्र

3677. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तारीख तक राज्य-वार कितने स्पीड पोस्ट केंद्र कार्यरत हैं;

(ख) गत पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार कितने स्पीड-पोस्ट केंद्र खोले गए; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार कितने स्पीड-पोस्ट केंद्र खोले जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) आज की तारीख तक, देश में 314 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र एवं 986 राज्य स्पीड पोस्ट केंद्र कार्य कर रहे हैं। राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 25 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र खोले गए। राज्य राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) स्पीड पोस्ट केंद्र उनकी मांग, औचित्य एवं व्यवसाय की क्षमता को ध्यान में रखते हुए खोले जाते हैं। तथापि, किसी नए राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र को खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित या विचाराधीन नहीं है।

विवरण-I

भारत में राज्य-वार राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्रों तथा राज्य स्पीड पोस्ट केंद्रों की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	राष्ट्रीय स्पीड केंद्रों की संख्या	राज्य स्पीड केंद्रों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	26	52
अरुणाचल प्रदेश	1	12

1	2	3
असम	8	14
बिहार	12	49
छत्तीसगढ़	6	30
दिल्ली	1	0
गोवा	2	0
गुजरात	9	49
हरियाणा	16	2
हिमाचल प्रदेश	5	17
जम्मू और कश्मीर	2	17
झारखंड	5	75
कर्नाटक	25	9
केरल	14	28
मध्य प्रदेश	13	77
महाराष्ट्र	10	73
मणिपुर	1	22
मेघालय	2	21
मिजोरम	1	18
नागालैंड	2	12
ओडिशा	6	38
पंजाब	17	13
राजस्थान	8	36
सिक्किम	1	9
तमिलनाडु	46	107
त्रिपुरा	2	13

1	2	3
उत्तर प्रदेश	43	32
उत्तराखंड	15	14
पश्चिम बंगाल	11	125
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1	17
दादरा एवं नगर हवेली	0	1
दमन व दीव	0	2
पुडुचेरी	1	1
कुल	312	986
सेना डाक सेवा	02	0
सकल योग	314	986

विवरण-II

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए नए स्पीड पोस्ट केंद्रों की सूची

राजरू/केंद्र शासित प्रदेश	राष्ट्री स्पीड पोस्ट केंद्रों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	3
असम	2
बिहार	1
गोवा	1
गुजरात	2
झारखंड	1
कर्नाटक	2
केरल	1
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	1
मेघालय	1
ओडिशा	1
राजस्थान	1
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	3
उत्तराखंड	1
पश्चिम बंगाल	1
सकल योग	25

[अनुवाद]

भारतीय प्राध्यापकों का पलायन

3678. श्री के. सुगुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों के शिक्षाप्रदाता संस्थानों द्वारा योग्य तथा अनुभवी प्राध्यापकों की तलाश में भारतीय संस्थानों में सेंध लगाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की घुसपैठ को रोकने के लिए सी.एन. आर. राव समिति ने विभिन्न उपाय सुझाए थे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त समिति की सिफारिशों पर अमल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जबकि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय विश्वविद्यालयों से विदेशी विश्वविद्यालयों में कुछ संचलन हो सकता है परंतु ऐसे किसी संचलन के स्वरूप एवं सीमा का अनुमान लगाना मुश्किल है। वर्तमान में भी, एक अध्यापक द्वारा परिलब्धियों, अनुसंधान एवं शिक्षण स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा या अवस्थिति सुविधा जैसे कारणों की वजह से एक संस्थान को छोड़कर दूसरे संस्थान में जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। संकाय का निर्गमन, यदि किंचित भी ऐसा होता है, तो कम से कम देश के भीतर ही होगा न कि देश के बाहर। अब भी, हम यह देखते हैं कि प्रतिभाशाली अध्यापक विभिन्न कारणों की वजह से संस्थानों को छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है और अंततः कम किया जा सकता है। इसी प्रकार विदेशी शिक्षा प्रदाताओं (एफईपी) द्वारा आकर्षित किए जा रहे तथा वर्तमान में विदेशों में तैनात अध्यापकों द्वारा भारत में शिक्षण के लिए वापस आने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है।

(ग) और (घ) प्रो. सीएनआर राव समिति ने सिफारिश की थी कि विदेशी शिक्षा प्रदात्ताओं द्वारा स्थापित भारतीय संस्थाओं के संकाय में लगाई जाने वाली सेंध पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता है। विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश एवं संचालन का विनियमन) विधेयक, 2010 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनियम बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा आयोग को दिशा-निर्देश दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। समिति इस तथ्य के लिए भी सचेत थी कि अध्यापकों के पलायन पर रोक लगाए जाने से उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा और इसलिए इस दिशा में सावधानी भरा दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश एवं संचालन का विनियमन) विधेयक, 2010 व्यापक तौर पर सी.एन. राव समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

[हिन्दी]

विस्थापित परिवारों को मुआवजा

3679. श्री सुरेंद्र सिंह नागर:
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न कंपनियों द्वारा विगत तीन वर्षों व चालू वर्ष के दौरान उन व्यक्तियों को प्रदत्त मुआवजे, उनके लिए किए गए पुनर्वास कार्य तथा उन्हें उपलब्ध कराए गए रोजगार का वर्ष-वार, कंपनी-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनकी भूमि कोयला खनन अथवा अन्य प्रयोजनार्थ ली गई;

(ख) क्या ऐसे कई मामले अभी भी लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं; और

(घ) मुआवजे/पुनर्वास/रोजगार प्रदाय के लंबित मामलों के निपटान के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डब्ल्यूएलएल तथा एमएआरआर सेवाएं

3680. श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के किन-किन क्षेत्रों डब्ल्यूएलएल तथा मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) सेवाएं अब तक उपलब्ध कराई गई हैं तथा इन सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या अलग-अलग कितनी है;

(ख) कितने उपभोक्ताओं ने इन सेवाओं का कनेक्शन हटवा लिया है और किन-किन स्थानों पर ये सेवाएं बंद कर दी गई हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार अधिशेष उपकरणों का इस्तेमाल किस प्रकार करने का विचार रखती है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने 2612 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) सेवा प्रदान की है। 31.07.2011 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल के कुल 52,56,161 डब्ल्यूएलएल कनेक्शन कार्य कर रहे हैं। मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) के मामले में, 31.05.2011 की स्थिति के अनुसार, 306 कनेक्शन कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (घ) वर्ष 2011-12 के दौरान 31.07.2011 तक कुल मिलाकर 5,09,276 उपभोक्ताओं ने डब्ल्यूएलएल कनेक्शन वापिस किए हैं बीएसएनएल ने किसी भी स्थान पर डब्ल्यूएलएल सेवा बंद नहीं की है। डब्ल्यूएलएल कनेक्शन वापिस करने का कारण ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बीएसएनएल की अपनी जीएसएम मोबाइल सेवा और अन्य प्रचालकों की मोबाइल सेवाओं का प्रसार है। ग्राहक मोबाइल सेवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। बीएसएनएल द्वारा सुविधायुक्त एसडीसीए में डब्ल्यूएलएल सेवाएं मांग कर प्रदान की जा रही हैं। बीएसएनएल के पास अधिशेष उपस्कर नहीं हैं और उपलब्ध क्षमता का इष्टतम प्रयोग किया जा रहा है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाए।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): मैं, श्री वायालार रवि की ओर से निम्नलिखित पत्र सभ पटल पर रखता हूं:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4575/15/11]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग अनिधिनिमय, 2003 की धारा (14) की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4576/15/11]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसायटी (सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथारिटी), शिमला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसायटी (सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथारिटी), शिमला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4576/15/11]

(3) (एक) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4577/15/11]

(5) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रोन्टिसशिप ट्रेनिंग (नार्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4578/15/11]

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4579/15/11]

(9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्ष की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4580/15/11]

(11) (एक) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आइजोल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आइजोल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4581/15/11]

(13) (एक) गोवा सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी, पणजी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोवा सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी, पणजी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4582/15/11]

(15) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (सदर्न रीजन), चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (सदर्न रीजन), चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4583/15/11]

(17) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी इंदौर, इंदौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/**देखिए** संख्या एल.टी. 4584/15/11]

अपराह्न 12.0$^{1}/_{4}$ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

14वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.0$^{1}/_{2}$ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन के स्थिति*

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): मैं यह विवरण माननीय लोकसभा अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुसरण में स्थायी वित्त समिति (15वीं लोक सभा) की 28वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में प्रस्तुत कर रहा हूं।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिये संख्या एलटी. 4985/15/11

स्थायी वित्त समिति (15वीं लोक सभा) की 28वीं रिपोर्ट लोकसभा में 10.12.2010 को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2010-11 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच के संबंध में है।

समिति की 13वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी विवरण योजना मंत्रालय द्वारा स्थायी वित्त समिति को 21.3.2011 को भेजा गया था।

मेरे विवरण के अनुलग्नक में यथाइंगित किये गए समिति द्वारा विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति सभा पटल पर रख दी गई है। मैं इस अनुलग्नक की पूर्ण सामग्री को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 12.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जायें।

आज जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने की इच्छुक हैं वे स्वयं 20 मिनट के अन्दर सभा पटल पर पर्ची दे सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जायेगा जिनके बारे में पर्चियां दिये गये समय के अन्दर सभा पटल पर प्राप्त होगी, शेष को व्यपगत माना जायेगा।

(एक) देश में सर्राफा बाजार को विनियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिण्डीगुल): 1960 के दौरान एक पाउण्ड सोने का मूल्य दो बोरे धान के मूल्य के बराबर था। किन्तु 1960 के बाद बिना किसी वैध कारण के सोने के मूल्यों में असामान्य वृद्धि हुई है। सोने का मूल्य डालर या पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों द्वारा नियंत्रित होता है।

अब सोना उच्च मध्यम वर्ग की पहुंच से भी बाहर है। कालाबाजारी करने वालों और नकली नोट बनाने वालों ने इसकी जमाखोरी की है। सोने में इतनी भारी धनराशि का निवेश पूंजी व्यर्थ

*सभा पटल पर रखें माने गए।

रखे रहने के समान है। यदि इस धनराशि का निवेश उद्योग और कृषि में किया जाता है तो इससे देश का विकास हो सकता है।

सोने की बिक्री और सोने के कारोबार को सुचारू बनाने के लिये सरकार को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए:

(1) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम पुन: अधिनियमित किया जाना चाहिये और इसके द्वारा

(क) प्रत्येक नागरिक को अपने स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य सामग्री का प्रकटन करना चाहिये और इसकी प्रभावी जांच कर सील किया जाना चाहिये।

(ख) बिना वैध बिलों के सोने की बिक्री बहुत आम है। अत: ऐसे विक्रेताओं पर सख्त नियंत्रण होना चाहिये।

(ग) प्रत्येक बहुमूल्य सामग्री चाहे कच्चे माल के रूप में हो अथवा आभूषण की खरीद पर उसका प्रकटन किया जाना चाहिए।

मैं सरकार से आन लाइन ट्रेडिंग समाप्त करने का आग्रह करता हूं।

(दो) कालीकट और बंगलुरू के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 212 पर स्थित वायानाड पास को चौड़ा किए जाने तथा वायनाड को केरल के अन्य भागों से जोड़ने वाली विद्यमान वैकल्पिक सड़कों को खोजे जाने की आवश्यकता

श्री एम.आई. शानवास (वायनाड): वायनाड पास महत्वपूर्ण कालीकट बैंगलुरू राष्ट्रीय राजमार्ग 212 पर स्थिति ब्रिटिशों द्वारा निर्मित है, और वर्ष 2009 में भारी भूस्खलन सहित बार-बार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से इसकी ढ़ांचागत कठोरता खतरे में है। केरल राज्य, सुदूर संवेदी एजेंसी और जल संसाधन और प्रबंधन केंद्र सहित कई राज्य एजेंसियों ने वायनाड दर्रे के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और पाया है कि यह कमजोर हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 212 पर रात के दौरान ट्रेफिक पर प्रतिबंध होने के कारण कई बड़े कर्षक और हैवी ड्यूटी कंटेनर कैरियर वायनाड दर्रे में से 36,000 किलो से अधिक वजन ले जाते हैं जिससे उसके ढहने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, यदि ऐसा हुआ तो वायनाड के लोगों का सम्पर्क शेष केरल, से कट जाएगा। केरल सरकार ने धन का आबंटन कर कुछ वैकल्पिक रूटों का प्रस्ताव किया है लेकिन केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की मंजूरी अभी मिलनी बाकी है, फलस्वरूप प्रस्तावित वैकल्पिक सड़क बनाने में कठिनाई आ रही है। अत: मैं वायनाड दर्रे को चौड़ा करने और सड़क के यूटर्न्स को जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करने का अनुरोध सरकार से अनुरोध करता हूं। मैं मौजूदा वैकल्पिक सड़कों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक स्वीकृतियों को देने में सभी प्रशासनिक विलम्बों को यथाशीघ्र दूर करने और केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय का सभी आवश्यक स्वीकृतियां देने में तेजी लाने का सरकार से अनुरोध करता हूं ताकि वायनाड के लोग शेष केरल से कटे न रहें।

(तीन) हरियाणा के भिवानी में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती श्रुति चौधरी (भिवानी-महेन्द्रगढ़): मैं सम्मानीय सभा का ध्यान भिवानी (हरियाणा) में राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की महती आवश्यकता की ओर दिलाना चाहती हूं।

राष्ट्रमण्डल खेल-2010 में, हरियाणा विशेषतौर से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भिवानी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हरियाणा के 48 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी भिवानी के थे और तीन ने स्वर्ण पदक जीता है। समर ओलम्पिक्स 2008 में पांच बॉक्सरों में से चार भिवानी के थे। भिवानी को खिलाड़ियों की नर्सरी ठीक ही कहा जाता है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे खिलाड़ी देने के कारण इसे भारत का 'छोटा क्यूबा' कहा जाता है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित 'प्रतिभा खोज' में भिवानी के खिलाड़ी पूरे हरियाणा राज्य के अन्य जिलों से अधिक थे। गुआंगझोऊ (चीन) एशियाई खेल-2010 में भिवानी के खिलाड़ियों ने चार स्पर्ण पदक, 1 रजत पदक और दो कांस्य पदक जीते हैं। हिसार, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, नारनौल, जींद और रेवाड़ी जिले सीधे भिवानी से जुड़े हुए हैं।

हरियाणा की सुदूर ग्रामीण झोंपड़ियों में छिपी पड़ी युवा खेल प्रतिभा को तराशने के लिए मैं सभापति के माध्यम से खेल व युवा मामले मंत्री से पुरजोर अनुरोध करती हूं कि ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में भिवानी में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए जिसके लिए हरियाणा के लोग हमेशा आभारी रहेंगे।

(चार) आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में एक और केन्द्रीय विद्यालय खोलने तथा इस जिले में विद्यमान केन्द्रीय विद्यालय के लिए पूर्णकालिक शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम): विजयनगरम् देश की साक्षरता 74.4 और आंध्र प्रदेश की साक्षरता 67.6 की तुलना में सबसे पिछड़ा जिला है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि विजयनगरम 59.98 प्रतिशत पर स्थिर है। देश से तुलना करने पर यह 15 प्रतिशत कम है। बालिका शिक्षा के संदर्भ में यह चार प्रतिशत कम है। विजयनगरम् जिले में निरक्षरता का मुख्य कारण शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है।

मैं विजयनगरम में केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर सरकार को धन्यवाद देती हूं। हालांकि सरकार ने भारतीय पृष्ठभूमि वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 1965 में की थी। फिर भी विजयनगरम में केन्द्रीय विद्यालय खोलने में 45 वर्ष लग गये। हालांकि देश में 1085 केन्द्रीय विद्यालय हैं, जबकि विजयनगरम जिले में तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में केवल एक केन्द्रीय विद्यालय ही है।

केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए जिसमें स्तर बहुत ऊंचा होता है, माता-पिता सीटों की कमी के कारण एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। एकल बालिका कोटा के तहत माता-पिताओं को अपनी पुत्रियों के प्रवेश की कोशिश की लेकिन अकादमी वर्ष 2011-12 में 320 लड़कियां भी प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकीं। केवी विजयनगरम में हाल ही में दूसरी पारी स्कूल की शुरूआत हुई जहां 17 संविदा शिक्षक शिक्षण व्यवस्था संभाल रहे हैं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह पूर्णकालिक शिक्षक दें और माता-पिता की मांग पूरी करने के लिए एक और केन्द्रीय विद्यालय को मंजूरी दें।

(पांच) राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन का एक विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): 2009-10 के रेल बजट के समय यह घोषणा की गई थी कि देश में 50 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तर के स्टेशनों का दर्जा देकर विश्व स्तर के रेलवे स्टेशन की तरह का ढांचा एवं सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 2010-11 में विश्व स्तर की तरह के स्टेशनों का उल्लेख भी किया गया, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा का कोटा स्टेशन भी शामिल किया गया था। अभी तक इस दिशा में घोषित किसी रेलवे स्टेशन पर एक प्रतिशत भी कार्य नहीं हुआ है। कहा जाता है कि इस कार्य को पूरा करने हेतु विदेशों से सलाहकार का चयन किया जाना था। कुछ कारणों से यह नहीं होने से कार्य प्रभावित हो रहा है। विदेशी सलाहकार की जगह देश के इस कार्य में विशेषज्ञ लोगों का चयन करके इस कार्य को तत्काल सम्पन्न कराया जाये।

मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि देश की बढ़ती विकास गति को ध्यान में रखते हुए कोटा रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तर के स्टेशन का ढांचा तैयार किया जाए और सुविधाएं प्रदान की जाये, क्योंकि यह स्टेशन उत्तर से पश्चिम एवं दक्षिण जाने वाला रेल सेवा का एक केन्द्र बिन्दु है और पर्यटकों को इससे आकर्षित किया जा सकता है एवं इस संबंध में हो रही देरी की जानकारी दी जाये।

(छह) राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए इस प्रांत में पेयजल परियोजनाओं पर कार्य शुरू किए जाने आवश्यकता

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): मेरा संसदीय क्षेत्र बाड़मेर रेगिस्तान का इलाका है। यहां पेयजल के स्थानीय स्रोत बहुत कम हैं। सरकार द्वारा उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी योजना, मोहनगढ़ लिफ्ट केनाल योजना एवं पोकरण फलसूण्ड योजनाओं के माध्यम से पेयजल की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन योजनाओं के प्रथम चरण से पानी सिर्फ बाड़मेर मुख्यालय एवं बड़े कस्बों तक पहुंचेगा परन्तु गांवों एवं ढ़ाणियों में इसे दूसरे चरण की योजनाओं में ही पहुंचा सकेंगे। इसलिए इन महत्वपूर्ण योजनाओं हेतु दूसरे चरण के लिए सरकार राशि स्वीकृत कराये।

इन योजनाओं के अलावा भी जिले में बहुत बड़ा भू-भाग पेयजल से वंचित हैं। इसके लिए नर्मदा नहर से योजना स्वीकृत करवाई जाये। एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के गड़रारोड़ तक की योजना के लिए मरू उद्यान क्षेत्र के कारण जो पाबंदी है उसे हटाया जाये। इन पांचों योजनाओं के कराने से मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर जिले में पेयजल समस्या का हल निकल सकता है।

(सात) मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में डाबरा ब्लॉक से गुजरने वाली चार लेन वाली सड़क पर उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (ग्वालियर): मेरे संसदीय क्षेत्र जिला ग्वालियर के ग्राम जौरासी में ग्राम के अधिंकाश किसानों की कृषि भूमि सड़क के उस पार है। किसानों को कृषि कार्य हेतु सड़क पार करके जाना पड़ता है। वर्तमान में भी इस सड़क पर यातायात का भारी दबाव है। चार लेन सड़क निर्माण के उपरांत यातायात

का दबाव और बढ़ेगा। यदि जौरासी गांव में ब्रिज नहीं बनाया गया तो सदैव दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी।

राष्ट्रीय राजर्माग प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा बनायी जा रही इस सड़क पर ग्राम जौरासी में यदि ओवर ब्रिज बना दिया जाये तो ग्रामीणों को एवं क्षेत्र के प्रसिद्ध जौरासी हनुमान मंदिर पर आने वाले दर्शनार्थियों को रोड़ पार करने में सुविधा होगी।

ग्रामीणों एवं दर्शनार्थियों की आवागमन सुविधा हेतु मेरे संसदीय क्षेत्र ग्वालियर के ब्लॉक डाबरा में आने वाले ग्राम जौरासी में एक ओवर ब्रिज बनाये जाने हेतु माननीय केन्द्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, भारत सरकार से आग्रह है।

(आठ) राजस्थान के झालावाड़ बारां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अफीम उत्पादकों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): झालावाड़ एवं बारां जिले में अति ओलावृष्टि के कारण वर्ष 2006-07 में 60 से 65 प्रतिशत तक अफीम की फसल खराब हुई थी। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक रिपोर्टों की वैधता को न मानते हुए नारकोटिक्स विभाग ने लगभग 4000 कृषक पट्टे समाप्त कर दिये थे। इस संबंध में निरन्तर संवाद जारी है। पिछली सरकारों ने शून्य प्रतिशत औसत होने पर भी पट्टे जारी किये थे।

पिछले वर्षों में वर्षों आंधी, तूफान एवं शीत लहर के कारण जो भी कृषकों के पट्टे रोके गये उन्हें उसी जिले की दूसरी तहसीलों में 15 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर पर पट्टे दिये गये थे। तहसील अकलेरा, छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में औसत कम करके पट्टे दिये गये थे जबकि झालरापाटन, पिडावा को 54 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर के हिसाब से पट्टे दिये गये थे। अत: सभी तहसीलों को समान रूप से पट्टे दिलाये जाने की अनुमति प्रदान करें, जिस प्रकार तहसील छबड़ा छीपाबड़ौद एवं अकलेरा में 15 से 25 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर पर पट्टे दिये गये उसी प्रकार झालरापाटन एवं पिडावा में भी नुकसान मानकर पट्टा जारी किया जाये। झालरापाटन एवं पिडावा में फसल को हुए नुकसान से कृषकों द्वारा विभाग को समय पर अवगत कराया गया था।

उन गांवों को जिन गांवों में कृषक हैं उन्हीं गांवों में अफीम काश्त करने की इजाजत दी जाये, चाहे उस गांव में एक कृषक हो या दो। एक-एक दो-दो कृषकों के गांवों को नये लाइसेंस जारी किये जायें या उन गांवों के कृषकों की संख्या बढ़ा दी जाये।

मैं आभार मानूंगा यदि आप संदर्भित मामले पर व्यापक जनहित के आलोक में अतिशीघ्र समुचित कार्रवाई करवाने का कष्ट करेंगे।

(नौ) गुजरात में वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): गुजरात को गत वर्षो में चांदीपुरा वायरस, क्रिमीयन कोन्गो हैमरोजिक फीवर इत्यादि वायरस जन्य रोगों का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से राज्य में लेबोरेटरी कन्फर्मेशन की कोई व्यवस्था न होने से खून के सैम्पल नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वाइरोलोजी, पूना अथवा एन.सी.डी.सी. दिल्ली को भेजने पड़ते हैं। परिणाम के विलंब से मृत्यु का भय मंडराता रहता है।

इस प्रकार की सुविधा राज्यों में होने वाले संसर्गजनक रोगों पर अंकुश लगाके इस प्रसारण को कम कर सकती है। गुजरात राज्यों में इस प्रकार की संस्था की स्थापना से सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र में गुजरात के अलावा निकट के राज्यों को भी मदद मिलती रहेगी।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि शीघ्र ही गुजरात में वाइरोलोजी इंस्टिट्यूट की स्थापना करें।

(दस) ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत): मौसम परिवर्तन एवं वैश्विक गर्मी आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए देश में हो रहे प्रयासों को और तेज करने की आवश्यकता है। अगर अल्द ही इस हेतु ठोस योजना बनाकर उसके क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा भविष्य खतरे में होगा।

इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 125 वर्षो का घाटी का तापमान एवं ठंड का जायजा लिया जाए तो तापमान में हर साल बढ़ोतरी होती जा रही है और ठंड में कमी दिखाई दे रही है। अमरनाथ यात्रा का शिवलिंग हिन्दुओं का श्रद्धा केन्द्र है जो शिवलिंग आमतौर पर अगस्त तक वैसा का वैसा रहता था एवं इस बार 16 फीट का शिवलिंग बना था वो अगस्त के शुरू होने से पहले पिघल गया है। गंगोत्री यमनोत्री एवं हिमालय के बर्फ की पिघलने की मात्रा बढ़ती जा रही है। यहां तक कि रोहतांग पास जहां लोग घूमने एवं खासतौर पर बर्फ देखने पूरे देश से जाते हैं वहां भी अगस्त की शुरूआत से पहले ही बर्फ पिघल रही है।

देश का मौसम अगर देखा जाये तो बारिश के आकड़ों में जो उतार-चढ़ाव है उसी से यह समस्या किस तरह से हमें चैलेंज

कर रही है, यह पता चलता है। अगर पिछले कुछ वर्षों में देश में अलग-अलग जगह पर आयी बाढ़ के आंकड़ों पर गौर किया जाए, तो पता चलेगा कि किस तरह से और कितने समय में कितना पानी बारिश के माध्यम से अपनी जमीन पर आ रहा है। देश के कई भाग ऐसे हैं जहां पर साल भर में जितनी बारिश होती थी वो एक सप्ताह या कई बार एक दिन में हो जाती है। सूखा प्रदेश या गुजरात का सौराष्ट्र जैसा प्रदेश, जहां साल की बारिश आज से 10 या 20 साल पहले 15 से 25 इंच के बीच में होती थी आज मौसम की शुरूआती समय में ही बारिश रही है। कई बार आधी से ज्यादा बारिश एक दिन या एक सप्ताह में ही हो जाती है।

यह समस्या अपनी सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। अगर बर्फ पिघलती है तो यह सीमा पार से घुसपैठियों को भी फायदा पहुंचा सकती है।

मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वह कोई ठोस योजना बनाकर मौसम परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु उस पर शीघ्र कार्य करे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए कार्य को सारे देश में चलाया जाए।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत पत्राचार पाठ्यक्रम और सतत शिक्षा संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन का नियमित भुगतान किए जाने की आवश्यकता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा प्रायोजित पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सतत् शिक्षा संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 की धारा 44 के अंतर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभिन्न अंग के रूप में 1976 में हुई।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 में वर्णित सुस्पष्ट प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में संस्थान को विकसित, व्यवस्थित एवं नियंत्रित संचालन हेतु उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया गया और न ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनिमय, 2005 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत संस्थानों के मौलिक रूप में पुनर्स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजा गया।

पत्राचार संस्थान के प्रति विश्वविद्यालय के नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण संस्थान का वित्तीय कोष इतना जर्जर हो गया कि संस्थानकर्मी विगत चार वर्षों से नियमित वेतन प्राप्त करने हेतु संघर्ष रहत हैं तथा विगत 6 माह से वेतन विहीन कर्मचारी विगत 3 सप्ताह से अनवरत लोकतांत्रित तरीके से आंदोलनरत हैं।

अत: आग्रह है कि उपर्युक्त तथ्यों को अतिशीघ्र संज्ञान में लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को कर्मियों के हित में समुचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(बारह) बिहार में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को अन्य राज्यों में कार्यरत शिक्षकों के बराबर मानदेय का भुगतान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अश्वमेध देवी (उजियारपुर): मैं सरकार का ध्यान कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव की ओर दिलाना चाहती हूं। सरकार अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मानदेय दे रही है। बिहार में ये मानदेय सात हजार रुपये है तो अन्य राज्यों में बारह हजार है।

मैं सरकार से मांग करती हूं कि सरकार बिहार में भी मानदेय की राशि सात से बढ़ाकर बारह हजार रुपये करे।

(तेरह) पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में नौका बनाने वालों के कल्याण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (हुगली): मैं माननीय श्रम मंत्री के ध्यान में पश्चिम बंगाल में छोटी नौका बनाने वालों की दयनीय स्थिति को लाना चाहती हूं। नौका बनाने वाले ये लोग बालागढ़ ब्लॉक, हुगली जिला, पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। छोटी नौकायें जो ये लोग बनाते हैं उससे लोगों को नदियां पार करने तथा मौसम के दौरान मछली पकड़ने में सहायता मिलती है। ये लोग किसी अन्य श्रमिकों की तरह है जो देश की अर्थव्यवस्था तथा विकास में योगदान देते हैं। परन्तु छोटी नौका बनाने वाले लोगों के पास अपने व्यवसाय में बने रहने के लिये मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। बीड़ी कामगारों की तरह जिनके पास पहचान पत्र, आवासीय स्वास्थ्य लाभ, अस्पतालों आदि जैसी सुविधायें हैं, वे भी अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। मैं दृढ़ता से माननीय मंत्री से यह आग्रह करती हूं कि वे उन्हें पहचान पत्र प्रदान करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि उनके पास वास्तविक तथा रहने की उचित स्थितियां स्वास्थ्य लाभ, अस्पताल आदि हो सकें।

(चौदह) तमिलनाडु के कोयम्बटूर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अर्जन प्रक्रिया में निवासियों और आम जनता के हितों का ध्यान रखे जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर. नटराजन (कोयंबटूर): कोयम्बटूर विमानपत्तन में अवसंरचना सुविधाओं में विस्तार हाल ही में शुरू की गई 6.12 एकड़ के भू-अधिग्रहण प्रक्रिया के साथ हो रहा है। एक नया समेकित टर्मिनल भवन विद्यमान रनवे के पूर्व की ओर बनेगा। राजस्व विभाग के दल द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और मालिकाना संबंधी ब्यौरों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है:

जहां तक नये विमानपत्तन के वर्तमान रूप में एलायंमेंट किये जाने का काम शुरू किये जाने का सवाल है, के संबंध में यह नोट किया जाये कि चिन्नीयमपलयम नीलम्बूर तथा इरूगुर की आम जनता से अभ्यावेदनों मिल रहे हैं जिनमें अधिग्रहण हेतु और अधिक प्रस्तावित भूमि के संबंध में शिकायतें की गई हैं।

विमानपत्तन रन-वे की लंबाई को बढ़ाने से चिन्नीयमपलयम को अवनशी सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-47) से जोड़ने पर महत्वपूर्ण लिंक रोड़ पर समस्या आयेगी जिसके परिणामस्वरूप अधिकृत न की गई भूमि पर रह रहे हजारों लोगों के सामने अपने आवागमन के मामले में समस्या आयेगी। अधिग्रहण की गई भूमि में इरु गुर सड़क के पुन:निर्माण की संभावना का पता लगाना होगा और जनता को परेशानी से बचाते हुए भूमि अधिग्रहण करना होगा।

विद्यमान रन-वे के दक्षिणी तरफ नये विमानपत्तन टर्मिनल हेतु प्रस्तावित नये एप्रोच रोड के संबंध में अधिकृत न की गई भूमि पर रहने वाले लोग जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। दोनों तरफ सर्विस लेन के साथ चार लेनों वाली सड़क इस समस्या से निपटने हेतु आदर्श तरीका होगा तथा इससे विमानपत्तन में यातायात का सहज आना जाना भी सुनिश्चित हो सकेगा।

एक नई संपर्क सड़क बनाने में यह देखा गया है कि काफी ज्यादा आवासीय भूमियों को अधिग्रहण किये जाने का प्रस्ताव है। आवासीय भूमि के अलावा अन्य भूमि को वरीयता देते हुए एक वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। प्रारंभिक समय में जब 612 एकड़ से ज्यादा भूमि के अधिग्रहण की घोषणा की गई थी तो आम लोगों ने काफी हो-हल्ला किया था। राज्य सरकार के अधिकारियों तथा राजनैतिक दलों द्वारा काफी प्रयास किये गये थे। इसलिये, यह अनुरोध किया गया है कि आम जनता की उपर्युक्त वास्तविक शिकायत पर पुन:विचार किये जाने की आवश्यकता है तथा इससे स्थानीय लोगों की भावनाओं को काफी सम्मान मिलेगा।

(पंद्रह) उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में 'धनगर' अनुसूचित जाति का हिन्दी भाषा में नाम ठीक किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1951 के तहत धनगर जाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में क्रम संख्या 27 पर 1950 से ही अधिसूचित चली आ रही है, जो 1950, 1956, 1976 एवं 2002 के समस्त अधिनियमों में विद्यमान है। उक्त धनगर अनुसूचित जाति का अंग्रेजी में नाम धनगर है। लेकिन उसका हिन्दी अनुवाद धंगड कर दिया है जो कि गलत है और धनगर का शुद्ध हिन्दी अनुवाद धनगर है न कि धंगड।

उत्तर प्रदेश की ही अनुसूचित जाति की सूची में 17 जातियों के नाम के अन्तिम अक्षर "आर" आया है जिसका 16 जातियों के नाम में "आर" का हिन्दी अनुवाद "र" किया गया है जबकि धनगर में "आर" का अनुवाद "ड" कर दिया गया है, यह ठीक नहीं है। आगे पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की सूची में क्रम संख्या 17 पर धंगड़ शब्द की अंग्रेजी अनुवाद धंगड़ अधिसूचित है तथा मध्य प्रदेश में क्रम संख्या 35 एवं महाराष्ट्र की सूची में धंगड़ शब्द की अंग्रेजी धंगड़ अधिसूचित है।

अत: सरकार से अनुरोध है कि धनगर का शुद्ध हिन्दी अनुवाद धंगड़ की जगह पर "धनगर" करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।

(सोलह) तमिलनाडु की इंटीगरल कोच फैक्ट्री, पेरम्बुर में प्रशिक्षित शिक्षुओं की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. लिंगम (तेनकासी): इंटीग्रल कोच फैक्टरी (आई. सी.एफ.) पैराम्बूर, चेन्नई की स्थापना वर्ष 1955 में रेलवे की मांगों को पूरा करने के लिये की गई थी तथा इसने यात्री कोचों का निर्माण शुरू कर दिया था। देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त यह फैक्टरी रेल कोचों का भी निर्यात कर रही है। इस फैक्टरी के विभिन्न हिस्से (शाखाओं) में लगभग दो हजार प्रशिक्षार्थी हैं। यह आशा करते हुए कि उनकी भर्ती प्रशिक्षण अवधि के पश्चात् की जायेगी, ये नवयुवक धैर्यपूर्वक विगत कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु प्रबंधन उनकी भर्ती नहीं कर रहा है तथा उन प्रशिक्षित नवयुवकों की आशाओं पर पानी फिर गया है। विभिन्न शाखाओं में जब कभी आवश्यकता हो धीरे-धीरे भर्ती करना अवश्य होना चाहिये। आई.सी.एफ. को प्रशिक्षार्थियों को खपाने में दक्षिणी रेलवे द्वारा अपनाई गई पद्धति का अवश्य ही अनुसरण करना चाहिये।

अत: मैं माननीय रेल मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि वे संगठन के हित में इस प्रकार के प्रशिक्षार्थियों की सेवाओं को

नियमित करे जिससे उनके अपने हाथों में प्रशिक्षित निपुण श्रमशक्ति प्राप्त हो सके।

(सत्रह) पूर्वी रेलवे सियालदाह-लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना, सियालदाह-डायमंड हार्बर और सियालदाह-केनिंग लाइनों पर रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने तथा सियालदाह दक्षिण खंड में रेल लाइनों के आमान परिवर्तन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): सियालदाह मंडल के अंतर्गत पूर्वी रेलवे के सियालदाह साउथ सैक्शन में स्थानीय रेलगाड़ी सेवायें अविकसित दक्षिण 24 परगना जिले जिसमें मेरा निर्वाचन-क्षेत्र जयनगर शामिल है के दैनिक यात्रियों हेतु रोडवेज तथा पब्लिक बस सेवाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक यातायात के मुख्य साधन हैं। इसलिये, मैं रेल मंत्रालय से यह आग्रह करूंगा कि वह इन क्षेत्रों के नागरिकों की आशाओं को पूरा करने हेतु दोहरी लाइन तथा रेलवे ट्रेकों के विस्तार संबंधी कार्य में तेजी लाये। स्थानीय रेलगाड़ियों की आवृत्ति (निरन्तरता) को विशेषकर सियालदाह-लक्ष्मीकांतापुर-नमखाना लाइन, सियालदाह-डायमंड हार्बर लाइन तथा सियालदाह-कैनिंग लाइन पर दैनिक रेलगाड़ी यात्रियों की परेशानियों को कम करने के लिये बिना किसी विलंब के बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

अपराह्न 12.02 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: डॉ. मुरली मनोहर जोशी।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आज सदन में आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी है और मुझे इस विषय को प्रारंभ करने का आदेश दिया है। हम आज जिस परिस्थिति में सदन में विचार कर रहे हैं, वह सामन्य नहीं है। देश के कोने-कोने से, गांवों से, गलियों से हजारों-लाखों की संख्या में लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हो कर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की सरकार के कानों में शंखनाद कर रहे हैं कि जागो। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि शंखनाद का असर कितना स्थायी होगा या कितना अस्थायी होगा। मैं पहले भी कई बार इस सदन में निवेदन कर चुका हूं और दूसरे सदन में भी निवेदन कर चुका हूं कि जो नीतियां और आचरण सरकार तथा सरकारों की तरफ से पिछले वर्षों में इस देश में रहा है, उससे यह देश एक ज्वालामुखी के ऊपर जा बैठा है। वह ज्वालामुखी कब फटेगा और कितनी दूर तक इसकी ज्वाला जाएगी, उसका लावा कितनी दूर तक जाएगा, इसका अंदाज हम पिछले कुछ दिनों से राजधानी और देश के अनेक भागों में देख रहे हैं। यह सबके लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए, सरकारों के लिए, पार्टियों के लिए राजनेताओं के लिए चेतावनी है, खतरे की घंटी है कि वे इस संबंध में अति गंभीर और त्वरित कार्यवाही करें। आज तो ऐसा लगता है कि सरकार के इकबाल को लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। सरकार इकबाल से चलती है, भरोसे से चलती है। आज लोगों का विश्वास सरकार से हट गया है और धीरे-धीरे सारी राजनैतिक प्रक्रिया से हटने की कोशिश हो रही है, हटाए जाने की कोशिश हो रही है। यह गंभीर खतरे हैं इसलिए हमें इसकी तरफ बहुत ध्यान से और गंभीरता से साथ राष्ट्रीय संकट के निवारण की दृष्टि से विचार करना चाहिए। इसमें हठधर्मिता की जरूरत नहीं है। इसमें पहल की जरूरत है। देश को विश्वास दिलाने की जरूरत है। यह नेताओं की नेकनीयती पर संसदीय और न्यायिक प्रक्रियाओं की प्रभावकारी क्रियाशीलता की बात है। हम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बदल सकते हैं, इसका भरोसा जनता को रहना चाहिए। जनता के मन में हमारे ऊपर भरोसा रहना चाहिए। मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले चार-पांच सालों में यह भरोसा देश की जनता के मन से उठ गया है। आप गौर करें कि पिछले पांच सालों में विशेषकर वर्ष 2005 से 2011 तक इस देश में केंद्रीय और राज्य स्रों पर विभिन्न स्थानों पर बड़े नेताओं, अफसरों उद्योगपतियों और न्यायपालिका के भ्रष्ट आचरण और भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आई हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखें कि 2005 में ऑयल फार फूड प्रोग्राम का स्कैम हुआ। वर्ष 2006 में नेवी वार रूम स्पाई स्कैंडल, स्कार्पिन डील स्कैम और स्टैम्प पेपर स्कैम हुआ। वर्ष 2008 में सत्यम स्कैम, पुणे बिलिनियर हसन अली खान टैक्स डिफाल्ट, कैश फार वोट स्कैंडल हुआ। वर्ष 2009 में सत्यम स्कैम चलता रहा और मधुकौड़ा माइनिंग स्कैम हुआ। वर्ष 2010 में इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्कैंडल, खेल में हुआ और फिल्म में भी स्कैम हुआ। इसरो देवास ऐस बैंड स्पेक्ट्रम स्कैम, लावासा स्कैंडल, हाउसिंग लोन स्कैम एलआईसी वर्ष 2010 में हुआ। कॉमन वैल्थ गेम्स स्कैम, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, टूजी स्कैम, राडिया टेप कन्टोवर्सी स्कैम हुआ। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)... **

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: 2011 में इंडियन ब्लैक मनी इस स्विस बैंक्स, देवास एन्थ्रैक्स डीज स्कैंडल और हसन अली खान स्कैम बराबर चलते रहे। मैं केवल बहुत महत्वपूर्ण घोटालों की लिस्ट बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप शांत हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: महोदया, मैं इस प्रवृत्ति के बारे में बहुत चिंतित हूं कि जब भ्रष्टाचार का सवाल उठते है तब शासक दल के लोगों द्वारा, आवाज़ दबाने की, बंद करने की कोशिश हो रही है। मैं आपके माध्यम से सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों को चेतावनी देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार विरोधी आवाज को दमन करने, दबाने की या घोंटने की कोशिश की गई तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप क्या बात कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* आपको सुनना चाहिए। आप किधर जाना चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)... **

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: महोदया, इसके अलावा हमारे देश का अरबों-खरबों रुपया विदेशी बैंकों में जमा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)... **

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: आप देखें कि हमारे देश का सालाना बजट लगभग चार लाख करोड़ है और एस्टिमेटिड कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 परसेंट लगाएं तो करीब 60,000 करोड़ रुपए होता है। 15 सालों में जो स्कैम्स हुए हैं, उनमें लगभग 5,00,000 लाख करोड़ लगा और एवजेर एन्युअल स्कैम प्रति वर्ष 33,000 करोड़ हुआ। इस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर 60,000 करोड़ रुपया सालाना है और उसका 55 परसेंट स्कैम एक्सपेंडिचर है, स्कैम में जा रहा है। क्या करें, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हमें नो प्रतिशत की ग्रोथ प्राप्त करनी है और वर्ष 2025 तक विश्व की बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है। लेकिन उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इनवैस्टमेंट की जरूरत है, आप बार-बार कह रहे हैं, परंतु स्कैम्प के अगर ये हालात रहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आयेंगे। डैवलपिंग कंट्रीज के हिसाब से यदि आपको फुल्ली डैवलप्ड कंट्री बनना है तो दो सौ बिलियन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने पड़ेंगे, ये पैसे आप कहां से लायेंगे? इतना तो हर साल स्कैम में जा रहा है। अगर आप सिर्फ स्कैम्स को रोक लें तो यह देश आर्थिक शक्ति बन सकता है। मगर सवाल यह है कि आप इन स्कैम्स को रोकना नहीं चाहते। अब आप जरा गौर करें...*(व्यवधान)* अभी तो मैंने आपके सामने स्कैम्स का एक बड़ा खुलासा रखा है।

महोदया, अब मेरे सामने 'इंडिया करप्शन स्टडी, 2005' है। जो कहता है-

[अनुवाद]

"अध्ययन के अनुसार, देश के आम नागरिक एक वर्ष में 11 सरकारी सुविधाओं में से एक अथवा अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 21,068 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हैं। 62 प्रतिशत नागरिक सोचते हैं कि भ्रष्टाचार जनश्रुति नहीं होती है, परन्तु वस्तुत: उन्हें ही किसी सरकारी कार्यालय में काम कराने के लिए रिश्वत देने अथवा किसी संपर्क का इस्तेमाल करने का व्यावहारिक अनुभव होता है।"

[हिन्दी]

ये 21068 करोड़ रुपये जो बाजार में जाते हैं, ये अनअकाउन्टेबल हैं ये महंगाई बढ़ाते हैं। यह एक तरफ गरीब आदमी की जेब से

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

निकलता है और दूसरी तरफ महंगाई की मार डालता है। 21068 करोड़ रुपये हर साल गरीब आदमी दे रहा है। छोटे दफ्तरों में, छोटे-छोटे इंकम टैक्स के कार्यालयों में पुलिस के कार्यालयों में कोई बड़ा अमीर आदमी घूस देने नहीं जाता। वहां गरीब आदमी जाता है, आम आदमी जाता है। आम आदमी की जेब पर आप डाका डाल रहे हैं। इस स्टडी में हर दफ्तर में कहां, कितनी घूस दी जाती है, उसका पूरा खुलासा है।

मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल करप्शन परसैप्शन इनडैक्स में हमारे देश की 87वीं रैंक है, हमारे देश का...*(व्यवधान)* गुजरात हो या अन्य कोई जगह हो, जहां भ्रष्टाचार है, वहां खत्म होना चाहिए।...*(व्यवधान)* चाहे वह किसी भी देश में हो, किसी भी स्तर पर हो, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)* *

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: अगर भ्रष्टाचार किसी भी जगह, किसी भी स्तर पर है, किसी भी संस्था में है, उसे नष्ट करना है, उसे समाप्त करो। सवाल यह नहीं है कि वह मेरे यहां है कि आपके यहां हैं, सवाल यह नहीं है कि वह इनके यहां है या उनके यहां हैं। सवाल यह है कि यह भ्रष्टाचार है, जिसका नमूना हमने देखा है। हर राज्य से लोग आये हैं, वहां कोई बचा हुआ नहीं है। इसे यदि आप इस रूप में लेंगे तो मैं समझता हूं, प्रधान मंत्री जी, माफ कीजिए, जो लोगों को सरकार की नीयत पर संदेह है, वह पुष्ट होता है। इससे मजबूत होता है कि हम इसके मामले में सीरियस नहीं हैं। आप क्या बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर एक्शन होना चाहिए। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में जनता का नजरिया बदल रहा है। आप अपने सहयोगियों का नजरिया बदलवाइये।...*(व्यवधान)* वे भ्रष्टाचार को समझने की कोशिश करें न कि उसे ढंकने और दबाने की कोशिश करें। कुछ सम्मानित सदस्य लोग जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में जाकर टोपी पहन लेते हैं, वे यहां आकर भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह क्या बात है, यह क्या हो रहा है? आप इस बात को गम्भीरता से लीजिए।...*(व्यवधान)* यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हम कितने गम्भीर हैं। आज देश हमारी गम्भीरता को देखना चाहता है। करप्शन परसैप्शन इंडैक्स, 2010 ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनली इंडिया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

भारत अब भी भ्रष्ट है। 0 से 10 के पैमाने पर भारत के सत्यनिष्ठा आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है। 2010 में यह 3.3 था, जबकि 2007 में यह 3.3 तथा 2008 और 2009 में यह 3.4 था। ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशानल के भ्रष्टाचार अनुमान सूचकांक में 178 देशों में से भारत का 87वां रैंक है।

[हिन्दी]

यह हमारी हालत है। उस दिन लालू जी बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वह कह रहे थे कि यह भारत माता है, ऋषियों, मुनियों, संतों और सदाचारियों का यह देश है। लेकिन वह देश आज भ्रष्टाचार के मामले में 87वें नम्बर पर है। जिसके बारे में विदेशी पर्यटकों ने यहां आकर लिखा है कि यहां भ्रष्टाचार नहीं है। यहां कैदी नहीं है, यहां लोग जेलों में बैठे हुए नहीं हैं। यहां के जज यहां के न्यायमूर्ति खाली बैठे हुए हैं, क्योंकि यहां अपराध नहीं है। आज उस देश की यह हालत हो गई है कि हम 87वें नंबर पर पहुंच गये हैं। फिर जब आप यह कहते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि भ्रष्टाचार पर जनता का नजरिया बदल रहा है।

लेकिन वह मुझे प्रतिबिंबत नहीं हो रहा है। वह रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वह हमारे काम, विचारधारा और हमारे काम करने के तरीके में प्रकट होना चाहिए। अब मैं इसके बारे में बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता, यह इंटरनेट पर उपलब्ध है। वहां से लेकर कोई भी देख सकता है।

भारत का रुपया बाहर गया, उसके बारे में क्या कहना है? कितने बिलियन है या कितने ट्रिलियन है? सरकार के पास इसका कोई आंकलन है। कभी हम सुनते हैं कि कोशिश कर रहे हैं। कभी हम सुनते हैं कि उस कन्वेंशन को रेक्टीफाई करेंगे। फिर उसके बाद कहा कि हमने कर दिया है। कब कर दिया है? कैसे कर दिया है? उसका क्या मतलब है? सदन को तो आपने कभी विश्वास में नहीं लिया? आप यह क्या कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा यहां से बाहर जा रहा है। मैं आपको बताता हूं कि वह कैसे बाहर जाता है। वह पैसा बाहर बहुत गया है लेकिन उसका सही आंकलन किसी के पास नहीं है। कितने लाख करोड़ से लेकर कितने खरब करोड़ तक है, यह कोई नहीं जानता है। अगर सरकार गंभीर है तो क्या यह बताएगी कि भारत के किन लोगों का और कितना पैसा विदेशों में है और उसमें से कितना टैक्स अवॉयड करके किस रास्ते से गया है? यह आज तक नहीं पता लग सका है। हरेक सरकार के सामने यह कठिनाई आती है। यह क्या बात है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले भ्रष्टचार के बारे में भारत गंभीर

क्यों नहीं है? इतना पैसा बाहर गया है कि अगर उसका आंकलन करें तो आपको सारे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है और गांवों में विकास की गंगा बह जाएगी। इस देश को 2025 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है बल्कि 2015 और 2020 तक विश्व की आर्थिक शक्ति बन सकता है। आप उस पैसे को क्यों नहीं लाते हैं? उसके बारे में अगर हमारी मदद की जरूरत हो तो हम सब मदद करने के लिए तैयार हैं। बासुदेव जी मदद करेंगे, शरद जी मदद करेंगे, मुलायम सिंह जी मदद करेंगे, लालू जी मदद करेंगे, सब लोग मदद करेंगे। मगर सरकार में ईमानदारी होनी चाहिए। हम सब इसके लिए तैयार हैं कि भारत का काला धन जो विदेशों में जमा है, वह वापस लाया जाना चाहिए और उनको दण्डित किया जाना चाहिए। हालात यह है कि हिंदुस्तान में घूसखोरी सिर्फ यहीं तक नहीं है बल्कि विदेशी कंपनियां हमारे यहां घूस दे रही हैं और हमारे अफसर घूस ले रहे हैं। मेरे पास उसकी भी पूरी सूची उपलब्ध है। मैं आपको बता सकता हूं-

[अनुवाद]

"अमरीका की कंपनी ने सीमा-शुल्क न्यायाधीकरण न्यायाधीश को रिश्वत दी थी। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि प्राइड फोरासोल के अधिकारियों और सीगेट (सीईजीएटी) न्यायाधीश के विरूद्ध आरोपों की सत्यता की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है।"

[हिन्दी]

पूरा विस्तार है कि कैसे-कैसे किया गया। अनेक विदेशी कंपनियां यहां काम कराने के लिए घूस दे रही हैं। कुछ व्यापार में प्रतिस्पर्धा के लिए घूस दे रही हैं। बहुत जगह उसको बिजनेस प्रमोशन माना जा रहा है। शिक्षा में भी यही हो रहा है। विदेशी कंपनियां यहां आकर कंपनियां खोलती हैं लेकिन पैसा वहीं बाहर का बाहर भेज देती हैं। इन विदेशी कंपनियों का घूस का पैसा डॉलर में या किसी और करंसी में हिंदुस्तान में नहीं यह वहीं का वहीं बाहर जमा हो रहा है। क्या आप इसे रोकेंगे? क्या आप अपने उन कर्मचारियों को, जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की है, उनको दण्डित करेंगे? क्या आप शीघ्रता से उनकी जांच करवाएंगे? अगर आप यह कहते हैं कि जनता की निगाह बदली हुई है, अगर आप यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर फौरन और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे तमाम केसेज को, जो विदेशी कंपनियों ने हमारे देश के अफसरों को घूस देकर अपना काम करवाया है, और हो सकता है कि यह हमारे देश के विरूद्ध हुआ हो, उसके बारे में आप पूरी ताकीद करेंगे? नहीं होंगे, छोड़ दिए जाते हैं।

भोपाल गैस पीड़ित लोग आज तक त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और वे सब लोग छूटे हुए हैं।...*(व्यवधान)* क्योंकि बहुत वर्षों तक आपने शासन किया है, इसलिए ये तमाम चीजें आपके शासन काल से संबंधित आती हैं। मैं समझता हूं कि हमें इसमें किसी प्रकार से उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। गलतियां हुई हैं तो उसे स्वीकार कर के सुधारना चाहिए। हम मिल कर उसको सुधारेंगे और आपकी मदद करेंगे, बशर्ते कि आप सुधारना चाहें। इंडिया रिजुवीनेशन इंजीशिएटिव द्वारा आपको चिठ्ठियां लिखी गई हैं।

पुराने चीफ जस्टिस, पुराने पुलिस के अधिकारी जिनकी प्रामाणिकता निःसंदिग्ध है, पुराने इलेक्शन कमिश्नर जिनकी प्राणमिकता निःसंदिग्ध है, उन्होंने आपको चिट्ठियां लिखी हैं, अफसरों की सूचियां दी हैं और बताया है कि इसमें-इसमें एक्शन लीजिये, लेकिन उनका जवाब तक नहीं गया। इस पर कोई गंभीरता नहीं है। आप उन्हें देखें, चिट्ठियां आपके कार्यालय में आती हैं, वे आपको एड्रेस्ड हैं, मैं चिट्ठियों की कॉपी दे सकता हूं। तारीख ब तारीख आपको चिट्ठियां दी गयी हैं, सरकार को भ्रष्ट अधिकारियों की सूची दी गयी और 21 जुलाई 2005 को जो चिट्ठी गयी चिदम्बरम साहब से, उसके जवाब में 7 अगस्त 2005 को चिट्ठी दी गयी,

[अनुवाद]

"जैसी कि आपने इच्छा व्यक्त की थी, उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे भ्रष्ट अधिकारियों की एक सूची अलग से संलग्न की गई है ताकि जो भी कार्यवाही आवश्यक समझी जाए वह की जा सके।"

[हिन्दी]

तमाम सूचियां आपको दी गयीं, आप उन पर क्या करवा रहे हैं? जो सरकारी अधिकारी हैं, वे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वे लोगों से मिले हुए हैं और आप उस पर आंख बंद करके बैठे हुए हैं। यह ठीक नहीं है। आपने हसन अली वाले मामले में क्या एक्शन लिया?

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उसकी जमानत हो गयी।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: वह तो बाद की बात है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत ज्यादा आग्रह के बाद, स्ट्रिक्चर्स के बाद आपके यहां जांच शुरू हुई और जांच के बाद आज नतीजा यह है कि उस जांच पर लोगों को शंका हो रही है कि जो तथ्य वहां कोर्ट के सामने रखे गये, वे इतने कमजोर थे कि उससे एक ऐसे अपराधी को जमानत मिल गयी। हजारों करोड़ रुपये का टैक्स इवेजन, साठ-साठ हजार करोड़ रुपये का टैक्स इवेजन...*(व्यवधान)*। वह तो मैंने कहा है कि जीवन के हर क्षेत्र में है, जज साहब का

इंपीचमैंट आप यहां करोगे, वह इसी बात का नमूना है कि कहां क्या हो रहा है, वह आपके सामने आयेगा, वह राज्य सभा में हो चुका है और यहां आप करेंगे तो इसलिए इसमें कौन सा क्षेत्र बचा हुआ है।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इन बातों पर बहुत गहराई से ध्यान देने की जरूरत है। हिन्दुस्तान में तमाम ऐसे लोग हैं, जो लगे हुए हैं, आजकल एक और तरीका आ गया है। अभी मेरे एक मित्र ने लोक सभा के प्रश्नों के उत्तर दिखाये, जिसमें विदेशी संस्थानों से लोगों को, एसोसिएशंस जो धन मिला है, वह तीन साल में 28 हजार आठ सौ उन्यासी करोड़ रुपया है। यह कहां गया है, यह भी बाजार में जाता है, यह कहां लग रहा है, इससे क्या काम हो रहे हैं, क्या इसकी कोई जांच-पड़ताल है? क्या रिजर्व बैंक को पता है, क्या आपको पता है कि ये कौन से एनजीओ हैं? अकेले दिल्ली में पांच हजार चार सौ छप्पन करोड़ रुपया गया है। यह आपके ही यहां पर है। क्या आपके कान खड़े नहीं हुए कि यह रुपया कहां आ रहा है, यह रुपया कौन सी विदेशी संस्थाएं दे रही हैं और यह धन कहां जा रहा है? वित्त मंत्रालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट, रिजर्व बैंक आदि इन सब संस्थाओं के क्रिया-कलापों का यह एक नमूना है कि आप क्या कर रहे हैं। अब आप देखिये। यह तो मैंने आपके सामने सामान्य बातें, जो हुई हैं रखी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच देखिये, उसमें आप खुद कह रहे हैं-

[अनुवाद]

"पिछले कुछ माह में, भ्रष्टाचार के कई मामले प्रकाश में आए हैं। कुछ मामलों में, केन्द्र सरकार के पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अन्य मामलों में, विभिन्न राज्य सरकारों के पदाधिकारियों पर ऐसे आरोप हैं। स्वयं भ्रष्टाचार के कई रूप हैं। कुछ मामलों में, आम आदमी के कल्याण संबंधी योजनाओं की धनराशि सरकारी अधिकारियों की जेब में चली जाती है"

इसमें एक बात यह जोड़ दीजिए कि विदेशी स्रोतों तथा इन फाउंडेशनों से आने वाली धनराशि भी भ्रष्टाचार की भूल-भुलैया में चली जाती हैं। वह भी इसमें जोड़ दीजिए।

"कुछ अन्य मामलों में चुनिंदा लोगों के पक्ष में सरकार के विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाता है। ऐसे मामले भी हैं जहां गलत लोगों को सरकारी अनुबंध गलत तरीके से दिए जाते हैं। हम ऐसी गतिविधियों को बेरोक-टोक चलने नहीं दे सकते हैं।"

मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस प्रकार से इन गतिविधियों को जानबूझकर तथा अपने संरक्षण में बेरोक-टोक चलने की अनुमति दी है।

"हमें अपनी न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली में सुधार करना होगा।"

यह बिलकुल सही बात है। हम सभी सहमत हैं।

"प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि भ्रष्ट लोगों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही की जाएगी तथा उन्हें दंडित किया जाएगा।"

[हिन्दी]

आप करप्ट को आइडेंटिफाई करने में क्यों हिचकते हैं? आप ऐसा इन्तजाम क्यों नहीं करते कि करप्ट का आइडेंटिफिकेशन हो और पनिशमेंट हो जाये? जब कुछ लोग उसको आइडैन्टिफाइ करने के लिए चलते हैं तो आपके मंत्री और आपके सहयोगी उस जांच को दबाने की कोशिश करते हैं। यह क्यों हो रहा है? आइडैन्टिफाइ करने में भी आपको मुसीबत है? पनिशमेंट तो बाद की बात है।

[अनुवाद]

यदि हमारी व्यवस्था प्रभावी तरीके से न्याय प्रदान करे तो सरकारी अधिकारी अपराध करने से पहले दो बार सोचेंगे।

[हिन्दी]

बिल्कुल सही है। बार-बार आप कहते हैं कि हम एक समिति बना रहे हैं। कितनी समितियां बनी हैं। फिर आप कहते हैं कि

"कोई जादू की छड़ी नहीं है।" बिल्कुल सही है। आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन ये जो लाखों लोग 16 तारीख से आ रहे हैं इनके हाथ की छड़ी अगर सबको लग गई तो पता नहीं हम लोग कहां जाएंगे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह कहने से अब काम नहीं चलेगा। अगर मैजिक वैन्ड नहीं है तो मैजिक वैन्ड को ईजाद करना होगा। यह रास्ते लाने पड़ेंगे, जिससे यह काम जल्दी से जल्दी हो। आज साइंस ने बहुत तरक्की की है, मैजिक वैन्ड्ज़ आ सकते हैं। प्रधान मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि अर्थशास्त्र के भी मैजिक वैन्ड्ज़ आ सकते हैं, वैज्ञानिक मैजिक वैन्ड्ज़ भी आ सकते हैं, ई-गवर्नेन्स भी आ सकती है, सब आ सकता है।...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पहली बार आपके श्रीमुख पर मुस्कुराहट आई है। मैं इस मुस्कुराहट को

देखने के लिए तरह रहा था। आज का दिन बहुत धन्य है। इस संसद में हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की मुस्कुराहट देखने को मिली है।...*(व्यवधान)* मैं ऐसा नहीं मानता। वह भ्रष्टाचार का निर्मूलन करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के बाद ही जाने की सोचेंगे। उसके पहले कैसे सोच सकते हैं?

अब आप देखिये कि 2जी, केजी, सीडब्ल्यूजी और आदर्श. ..*(व्यवधान)* आज के इंडियन एक्सप्रैस में एक समाचार है-

[अनुवाद]

"कानीमोझी ने कहा है कि वह चाहेगी कि प्रधान मंत्री मुकदमें में गवाह बने।"

"जेल में बंद डीएम के पार्टी की संसद सदस्य कानीमोझी ने मंगलवार को विशेष न्यायाधीश से यह कहा कि अगर न्यायालय ने "काल्पनिक घाटे" के आधार पर आधारित मामले में उन पर मुकदमा चलाया तो वह प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह को गवाह के कटघरे में देखना चाहेंगी।"

वह कहती हैं कि-"प्रधानमंत्री तथा चिदंबरम, 2जी लाइसेंसों के आबंटन के तौर-तरीकों में संलिप्त थे।"

[हिन्दी]

यही हम भी कह रहे हैं यही हमने भी कहा है और बार-बार कह रहे हैं। अब यह आज की बात नहीं है। राडिया टेप्स छपे थे, इसमें पूरी कहानी है।...*(व्यवधान)* उसमें यहां तक है और मुझे बताने में आपत्ति नहीं है। यह उसका नीरा भजन, उनके पेज 34 पर है और यह इनका नवंबर 29 का है।*(व्यवधान)*...*" फिर आगे कहते हैं कि*(व्यवधान)*...* इस पर क्या कार्रवाई की गई, कोई एक्शन हुआ, कोई मुकदमा हुआ, कोई जांच हुई कि यह सच है या गलत है? ये सवालात हैं जिन पर आज जनता जानना चाहती है कि यह क्या हो रहा है।*(व्यवधान)*...* मैं विस्तार से बता सकता हूं कि आपने किस दिन क्या कहा, वहां कितना आपको मिसगाइड किया गया। अगर आपने जान-बूझकर किया जो मैं अभी तक मानने को तैयार नहीं हो रहा हूं, लेकिन जो तथ्य आ रहे हैं, वे ऐसे हैं कि जो कुछ बयान आपने दिये हैं, वे कई जगह परस्पर विरोधाभासी हैं या सत्य के केन्द्र से मीलों दूर हैं आपने 24 अक्तूबर 2009 को प्रैस कॉन्फ्रैन्स की और वह आपने थाईलैन्ड में की। वहां आपने कहा कि

[अनुवाद]

यह आवश्यक नहीं कि विपक्ष द्वारा राजा के विरुद्ध लगाए जा रहे आरोप सही हों। वे सही हो सकते हैं, परन्तु जरूरी नहीं कि वे सही हों।

[हिन्दी]

मगर यह तो आपकी सीबीआई... फिर आपने उसको रिजाइन करवा दिया, फिर वे पकड़े गए, वे जेल में हैं, मुकदमा हो रहा है।...*(व्यवधान)* वहां कंट्रैडिक्शन है, लेकिन वह नैसेसरिली करैक्ट नहीं है, माने, व सही नहीं है। आप जानते थे कि थोड़ बहुत तो सही हैं मगर आप उसको छिपाकर कह रहे हैं कि आवश्यक नहीं वह सही हो। फिर आप देखिये आपने सीबीआई की एफआईआर को झुठला दिया।

विदेश में आपने कह दिया। वहां तो हम यह नहीं कह सकते कि हमारे प्रधानमंत्री को सच का पता नहीं है। लेकिन यहां हम बता सकते हैं कि श्रीमन आपने जो कहा था, वह ठीक नहीं कहा था, वह गलत था। इस एफआईआर में भी यह कहा गया कि 22 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हमारे स्वनाम-धन्य एक मंत्री जी कहते हैं कि जीरो लॉस है। सीबीआई तो सरकार की बनायी हुई एजेंसी है, हमने नहीं बनायी, वही 22 हजार करोड़ रुपए कह रही है। आगे चलकर और बढ़ जाता है और कहती है कि 60 हजार करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। इसी तरह से संवाददाता सम्मेलन के बाद संवाददाता सम्मेलन आप बराबर किए जा रहे हैं और कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था। राजा आपको चिट्ठी लिख रहे हैं और आप उसका जवाब दे रहे हैं। पार्लियामेंट के मैम्बर आपको चिट्ठी लिख रहे हैं, शायद आपमें से किसी ने चिट्ठी लिखी होगी। मैंने भी एक चिट्ठी लिखी थी कि सिक्योरिटी का इसमें कोई ध्यान नहीं है। इस तरह से पचासों चिट्ठियां हैं। आप स्वयं भी उससे कह रहे हैं, भाई जरा देखना, यह नीलाम का रास्ता ठीक होगा! आप ही की चिट्ठी है, मैं उसे कोट कर सकता हूं। लेकिन हिसाब से कीमत लगानी है और देनी है। गलत बयान किया जा रहा है। सारी पॉलिसी को उलट-फेर किया जा रहा है। "फर्स्ट कम फर्स्ट" में यदि कोई सामान्य बुद्धि का आदमी भी होगा, वैसे आपके गृह मंत्री जी के हिसाब से हम लोग सामान्य बुद्धि से कम हैं, बल्कि उससे भी कम हैं लेकिन हमारे जैसा कम बुद्धि का व्यक्ति भी यह समझ रहा है कि यदि आपके सामने तथ्य आ गए, चिट्ठियां आ गईं, पार्लियामेंट से आ गईं, बाहर से आ गईं, उद्योगपतियों से आ गईं और आप स्वयं कह रहे हैं, फिर भी आपके मंत्री कह रहे हैं कि जीरो लॉस है। उनको गृह मंत्री सपोर्ट कर रहे हैं, उनको संससदीय कार्यमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं और तीनों मिलकर इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि सच्चाई सामने

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आने न पाए। यह क्या हो रहा है? आपके ससंदीय कार्यमंत्री एक सम्मानीय सदस्य के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारी तरफ रहिए, जोशी जी की तरफ क्यों हैं। यानी आप ईमानदारी की तरफ क्यों हैं, भ्रष्टाचार की तरफ रहिए। यह क्या बात कही जा रही है कि आप उसका समर्थन कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मेरी उपस्थिति में वह...कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया, वह शायद अपनी बात समाप्त नहीं करेंगे, मैं बैठ जाता हूं। परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वह...*(व्यवधान)* के पीछे नहीं छिप सकते। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनकी बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: वह पीएसी के सभापति हैं वह यहां पीएसी से संबंधित मामले का हवाला दे रहे हैं...*(व्यवधान)* वह कर क्या रहे हैं?

[हिन्दी]

मेरे ऊपर यह जो इल्जाम लगा रहे हैं, यदि यह यिल्ड नहीं करते तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं जिद नहीं करूंगा कि मैंने कहना है। यह हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन पीएसी के अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने पीएसी में क्या किया, वह बातें यहां लाना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: यह इंटरफियरैंस है। यह गलतबयानी कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: पीएसी के अध्यक्ष ने पीएसी की मीटिंग में क्या किया था, यह बात यहां लाना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: यह पीएसी के सभापति द्वारा विशेषाधिकार हनन का स्पष्ट मामला है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यहां वह यह बात कर रहे हैं और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: सच और सच्चाई को, जांच को छिपाने और दबाने की यह जो नापाक साजिश की जा रही है, इसे देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।...*(व्यवधान)* आप देखना अभी लाखों लोग बाहर फिर इकट्ठे हो जाएंगे।...*(व्यवधान)* सरकार को अपनी नेकनीयती का सुबूत देना होगा।...*(व्यवधान)* आपको यह साबित करना होगा कि भ्रष्टाचार चाहे जहां हो, आप उसको दबाने के पक्ष में नहीं हैं। आप उसको सामने लाकर दंडित करने के पक्ष में हैं।...*(व्यवधान)* यह नहीं होगा, यह नहीं दबने दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): पीएसी के सभापति के तौर पर डॉ. जोशी इस विषय पर नहीं बोल सकते क्योंकि मर्यादा की यही मांग है। सदस्य की मर्यादा है कि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी के सभी वक्तव्यों में कितनी सच्चाई से दूरी है...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: ये समझते हैं कि मैंने कोई ऐसी बात की थी।...*(व्यवधान)* मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रीविलेज का मामला वहां कमेटी में लेकर आएं।...*(व्यवधान)* आप मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रीविलेज का नोटिस देंगे कि मैंने कमेटी के प्रीविलेज को ब्रीच किया है। मैं उसका सामना करूंगा और इस बात का जवाब दूंगा।...*(व्यवधान)* वह आप लाएं और वहां ये बातें उठेंगी कि आपने क्या किया था?...*(व्यवधान)* आपने क्या फायदा उठाने की कोशिश की।...*(व्यवधान)* मैं चुनौती देता हूं कि मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रीविलेज लाइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठिए। मेरा अनुरोध है कि बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ऐसा है कि मेरा आपसे अनुरोध है क्योंकि पीएसी का मामला है, उसको आप बचाकर बात रखें। आप स्वयं पीएसी के अध्यक्ष हैं, उस पर बात न करिए। आपने बंसल जी

का नाम लिया था इसलिए हमने उन्हें बोलने की अनुमति दी थी। क्याआपने अपना पक्ष रख लिया?

श्री पवन कुमार बंसल: उनको मालूम होना चाहिए कि क्या-क्या बातें यहां होनी चाहिएं। अगर कुछ बातें गलत हो रही हैं तो वे ब्रीच ऑफ प्रीविलेज मेरे खिलाफ लेकर आएं।...*(व्यवधान)* मैं उनका जवाब वहां दूंगा और मुझे भी मौका मिलेगा इनसे प्रश्न पूछने का कि किस बात पर क्या इन्होंने किया और मैंने क्या कहा था?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: महोदया, मैंने जो बात कही है, जो सच है, वह कहा है।

श्री पवन कुमार बंसल: मैंने भी जो कहा है, सच कहा है। इन्होंने बतौर अध्यक्ष होते हुए क्या किया है? वह सब के सामने है, यह मैटर ऑफ रिकॉर्ड है।...*(व्यवधान)* इन्होंने किसको क्या फोन किया था, किस नम्बर से किसको फोन किया था, वह भी मुझे पता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: आपके लोगों ने खुशी जाहिर की थी कि अगर आप बीमार हैं तो अच्छा है, आप मत आइए। मुझे उन्होंने बताया था।...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: महोदया, मेरे सामने एक नोट है जिसमें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

श्री पवन कुमार बंसल: ये लोग सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं। इस सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: निरूपम जी, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदया, सन् 2008 में दस तारीख को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए। उसके पहले नौ तारीख को इकोनोमिक टाइम सके प्रथम पृष्ठ पर खबर छपी कि मिनिस्ट्री ऑफ डीओटी ने इन दस कम्पनियों को कल एलओआई इश्यु करने का तय किया है, इन दस कम्पनियों को नहीं दिया जाएगा। इकोनोमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, वहां सारे अखबार, सारी चीजें स्केन होती हैं। दस तारीख को सुबह वही दस कम्पनियों को लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया, जिनके नाम थे। उस पर क्यों नहीं इंक्वायरी की गई, उसे क्यों नहीं रोका गया, फाइनेंस मिनिस्टर क्यों चुप थे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप सब शांत हो जाइए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: वित्त मंत्रालय क्यों चुप्पी लगाए बैठा था, क्यों चुप बैठा था? ...*(व्यवधान)* मैं पीएसी से कुछ कोट नहीं कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: इकोनोमिक टाइम्स में जो खबर छपी, वह पब्लिक डोमेन में थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। इतने उत्तेजित मत होइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री निरूपम, आप भी अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदया, यही बात है, जब भी कभी किसी भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने का सवाल आता है तो सदन में भी सही दृश्य देखने को मिलता है और सदन के बाहर भी यही दृश्य देखने के लिए मिलता है। यह तो गनीमत है कि हमारे ऊपर लाठी नहीं चली।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: डॉ. जोशी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: वरना लाठी चलाई जा सकती थी कि आप सच क्यों बोल रहे हो।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मैंने रिपोर्ट का नाम भी नहीं लिया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप सब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदया, इन्हें बाहर निकालिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: श्री निरूपम, आपके दल के पास बोलने का अवसर इसके बाद होगा।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदया, मैं जो कुछ कह रहा हूं मैंने अभी तक जो बातें कही हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदया, वे या तो माननीय प्रधान मंत्री जी के वक्तव्यों से कही हैं या जो पब्लिक डोमेन में अखबारों में छप चुकी हैं, उस पर कही हैं या जो श्री जे. गोपी कृष्णन के द्वारा सीरिज ऑफ आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उसमें से कही हैं। मैने अभी तक किसी रिपोर्ट का नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं और मुझे प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना है कि अगर आप वाकई भ्रष्टाचार को निर्मूल करना चाहते हैं और केवल कॉस्मेटिक चेंज नहीं करना चाहे हैं तो इस प्रवृत्ति को बदलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी, आप चेयर को एड्रेस करिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: भ्रष्टाचार चाहे मेरे ऊपर हो तो उसे उजागर कीजिए, दंड दीजिए, मैं उसे कब रोकता हूं।...*(व्यवधान)* हम नहीं रोकते, आप उसे साबित कीजिए, दिखाइए, दंड दीजिए, देश में कहीं भी हो, किसी भी स्तर पर हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: डॉ. जोशी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: डॉ. जोशी आप वरिष्ठ सदस्य हैं कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके मार्फत प्रधान मंत्री जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप कृपा करके इस मनोवृत्ति से सारे सदन को छुटकारा दिला दीजिए। अगर आपकी तरफ से ऐसा होगा, आज ये सारा दृश्य लोग देख रहे हैं।

उनको यह लगेगा कि इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। आप जो उनसे बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में उनको भरोसा नहीं रहेगा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं, उस पर लोगों को आपकी नेकनीयती पर शक न हो तो कृपा करके यह काम करें।

अध्यक्ष महोदया, और आज सदन के नेता अभी नहीं हैं, उनसे मेरा निवेदन है, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं कि इनको जरा शांत रखिये, जरा सुनिये। गलतियां होंगी, भ्रष्टाचार हुआ होगा, लेकिन अब तो कम से कम उसको सामने लाकर निकाल दीजिए, ताकि जनता को पता लगे कि अब ईमानदारी की और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की प्रवृत्ति सीरियसली, गम्भीरता के साथ आ गई है, मेरा आपसे यही निवेदन है।

मैं वे सब बातें नहीं कहना चाहता, जिनमें पूरी जवाबदेही आपके कार्यालय पर आती है। मैं कह सकता हूं। आज पब्लिक डोमेन में वे सारी बातें हैं, लेकिन इन सब मित्रों को सुनकर बहुत तकलीफ होगी तकलीफ होगी, अगर हमारे शरीर में बीमारी है तो तकलीफ होगी। तकलीफ आपको भी होगी, मुझे भी होगी, सब को होगी। लेकिन यह क्या है? अब देखिये, इसमें के.जी. के बारे में आ गया। अब कहा जा रहा है, लेकिन मुझे आश्चर्य है, जब गोपीकृष्ण ने 2007 में निकाला था तो कोई एक्शन नहीं लिया, न आपने लिया, न सी.बी.आई. ने लिया, न ज्यूडीशियरी ने लिया। सी.वी.सी. ने जब लिखा कि इसमें जांच होनी चाहिए तो एक साल तक सी.बी.आई. बैठी रही, जांच नहीं हुई। क्यों? वह कह रहा है कि 2जी में घपला है, यह सी.वी.सी. कह रहा है, हम नहीं कह रहे थे, हमारी तो तब जांच भी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन वुछ एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा लगाया तो जांच चालू हो गई और फिर उसके बाद पता नहीं, क्या होगा, मैं नहीं जानता। अगर नेकनीयती है तो उन सारे अपराधियों को दंडित कराइये, उन उद्योगपतियों को दंडित कराइये, जिन्होंने लूट की है। किसी को भी छोड़िये मत।

अब यह देखिये, आपके सामने यह सब इसके अन्दर निकला हुआ है। यह के.जी. के बारे में है। अभी पिछले दिनों अखबारों में एक खबर निकली, खबर यह निकली की सी.ए.जी. की ड्राफ्ट रिपोर्ट के कुछ अंश छपे। अब यह ड्राफ्ट रिपोर्ट कैसे गयी, वहां क्या किया, इसकी जांच होनी चाहिए। सी.ए.जी. को भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए, लेकिन इसमें यह कहा गया था कि के.जी. बेसिन, बाद में पन्ना-मुक्ता-ताप्ति के बारे में उन्होंने जांच की और यह बताया कि इसके अन्दर उद्योगपतियों ने एक हेराफेरी इस तरह की कि जो पहले उनके प्रोजेक्ट में उनकी डैवलपमेंट कॉस्ट थी, वह दोगुनी-चौगुनी बढ़ा दी गई और उसके कारण से उनको करीब-करीब 31 हजार करोड़ से 40 हजार करोड़ रुपये तक का फायदा हुआ।...*(व्यवधान)* वे तो डायरैक्टर हाइड्रोकार्बन हैं। अब सवाल यह उठता है, इस रिपोर्ट को तो छोड़िये, यह ली हुई या क्या हुआ, लेकिन मेरे सामने यह ओपन का एक 18 अप्रैल, 2011 का है और इसमें वे यह कहते हैं कि इसके अन्दर क्या-क्या हुआ। आज से नहीं...*(व्यवधान)* नहीं, मैं ज्यादा लम्बा नहीं हो...*(व्यवधान)* आपको वह भी बताता हूं। जिसमें पूरी डिटेल्स हैं, वह 'रियल पोलिटी' है। यह सितम्बर, 2007 में छपी है और रिपोर्ट के लीक होने का सवाल 2011 में आया। यह 2007 में क्या कह रहा है और आपने क्या किया, इसको पढ़कर बहुत ही आश्चर्य होता है:

[अनुवाद]

> "कृष्णा-गोदावरी बेसिन से एक घन मीटर प्राकृतिक गैस निकालने से पहले ही इस बारे में प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्राकृतिक गैस के 80 एमएमएससीएमडी के उत्खनन के लिए पूंजी व्यय 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 36000 करोड़ रुपए क्यों कर दिये।"

[हिन्दी]

और नतीजा यह हुआ कि इसकी वजह से गैस की प्राइस बढ़ गई। मैं पूरी डिटेल्स में बताऊं कि यह कैसे बढ़ी, लेकिन गैस की प्राइस बढ़ गई, जब इनीशिल प्राइस बढ़ गई तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई। गरीब आदमी के चूल्हे की आग को ठंडा करके आप उद्योगपतियों के घर के चूल्हें गर्म करना चाह रहे हैं। यह क्या हो रहा है? आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने क्या लिखा है?

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी, जिन्होंने प्रधानमंत्री को कई पत्र लिखे हैं जिनमें आईआईएल के गैस मूल्य और पूंजी व्यय में वृद्धि पर सवाल उठाये गये हैं, और यह मांग की गई है कि सरकार ठेकेदारों के द्वारा निवेशों को नियंत्रित करे और स्वतंत्र और स्वायतशासी प्राधिकरण से इसकी संवीक्षा करवाये ताकि कीमतें अनुचित रूप से न बढ़े, जैसा कि आरआईएल के मामले में अभी आरोप लगे हैं, जिसने निवेश की लागत को रातो रात 16000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया, जबकि 20,000 करोड़ रुपए का मूल पूंजी व्यय अपने आप में बहुत अधिक होने के कारण संदेहास्पद है।

[हिन्दी]

कोई जवाब नहीं है।

[अनुवाद]

उन में से एक पत्र दिनांक 29 जून 2007 में उन्होंने लिखा था "यह तो स्वाभाविक है कि पूंजी व्यय जितना अधिक होगा ठेकेदारों का लाभ उतना ही अधिक होगा और आखिरकार देश की गरीब जनता को ही भुगतना पड़ेगा। पूंजी व्यय के सत्यापन के लिए एक सशक्त तंत्र होना आवश्यक है।"

[हिन्दी]

क्या यह किया गया है? इनको क्या उसी तरह से काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कहा जाएगा कि मामला अभी कोर्ट में गया हुआ है, कोर्ट का काम कोर्ट करे, मगर मैकेनिज्म को स्थापित करने का काम आप क्यों नहीं करते हैं? उसमें क्या नहीं आगे ट्रांसपेरेंसी आती?...*(व्यवधान)* कैबिनेट सेक्रेटरी गैस की...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): क्या आप ऑथेंटीकेट करेंगे?...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: कृपा करके आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार: निगम से चला जाए।...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: हां-हां, नियम से ही चलेगा। आपको क्यों तकलीफ हो रही है, क्या आप इसमें शामिल थे? ...*(व्यवधान)* तमाशा यह है कि जब यह प्राइस बढ़ी तो फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री और पॉवर मिनिस्ट्री ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को एप्रोच किया कि भाइयों दाम मत बढ़ाओ। अगर गैस का दाम बढ़ेगा, तो पॉवर का दाम बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी, आपके जितने भी काम हैं, महाशक्ति बनने के, महापावर बनने के, वह सब ठंडे हो जाएंगे। पॉवर तो 'की' है, आप बार-बार कह रहे हैं न्यूक्लियर मिली नहीं, गैस वाली का यह हाल है, तो कहां जाएंगे? यह क्या हो रहा है? वह उनस कहते हैं कि भाई आपकी बात तो ठीक है, मगर मिनिस्ट्री का इस बात में कोई रोल नहीं है जो प्राइस शेयरिंग वाला मैकेनिज्म है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वह उनको लिखते हैं-

[अनुवाद]

इस मंत्रालय के मामले के संदर्भ में गैस आपूर्ति खरीद समझौता को अंतिम रूप देने में शीघ्रता बरते जाने में आरआईएल को प्रभावित करने में हस्तक्षेप से आप समझेंगे कि उत्पादन शेयरिंग संविदा के उपबंध साधारणतः क्रेता और विक्रेता के बीच वाणिज्यिक संव्यवहार परिणाम निर्धारित करने के लिए सरकार के लिए प्रावधान नहीं करते। पीएससी यह उपबंध किया गया है कि संविदाकार गैस बेचने के लिए स्वतंत्र है और गैस मूल्य निर्धारण का आधार। सूत्र को सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

[हिन्दी]

जब तक कंपनी हमसे एप्रूवल नहीं मांगेगी, हम एप्रूवल नहीं देंगे। कंपनी एप्रूवल क्यों मांगेगी? कंपनी ने तो प्राइस बढ़ा दिया। गैस का दाम बढ़ गया, पॉवर का दाम बढ़ गया। तमाशा यह है कि इस सबके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक ईजीओएम बनाया। उस ईजीओएम की एक मीटिंग 27 अगस्त, 2007 को हुयी, उसमें अवनि राय जी ने, जो आरएसपी के सदस्य थे, उन्होंने प्रणव दादा को एक चिट्ठी लिखी।

[अनुवाद]

"अपने पत्र में राय ने मुखर्जी का ध्यान पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईजीओएम को प्रस्तुत प्रतिवेदन की ओर दिलाया है जिसमें प्रधानमंत्री की ईएसी और मंत्रिपरिषद सचिव की सिफारिशों पर आपत्ति की गई है। पत्र में मुखर्जी से, पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रतिवेदन की सामग्री और इसी मुद्दे पर कुछ समय पहले आरआईएल द्वारा दिये गये एक अभ्यावेदन में असाधारण समानता को नोट करने के लिए भी कहा गया है।

[हिन्दी]

उन्होंने पूरा कोट किया है कि कौन-कौन पैराग्राफ इस प्रेजेंटेशन का है, यह ईजीओएम के सामने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट रखी। उन्होंने यह सवाल किया है कि क्या यह रिपोर्ट जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की है, उन्होंने बनायी है या आरआईएल के अधिकारियों ने बनायी है? कितना नेक्सस है बिटवीन दी इंडस्ट्री एंड आफिस। हाईड्रोकार्बन मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कहां तक जाएगी? ईजीओएम, उसके ऊपर आप, कैबिनेट यह कहां पर रूकना चाहिए? रोज बताया जाता है कि तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ गए, इसलिए गैस के दाम बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय दाम ही नहीं बढ़े, शुद्ध राष्ट्रीय दाम बढ़ाए जा रहे हैं

यह क्या हो रहा है? यह जब तक होता रहेगा, अब आप देखिए कि आप के सम्माननीय मंत्री जी ने कहा था, वे बड़े कानून विशारद हैं मुझे सुन कर बड़ा दुःख हुआ, कि सीएजी को यह क्या हो गया है? सीएजी इधर-उधर करता रहता है। सीएजी यह

जांच करता है, वह जांच करता है। उस के पास कौन-सी अथॉरिटी है? यह कभी पॉलिसी जांच करता हैं यह सिर्फ खाता-बही देखे बाकी कुछ न देखे। मै। आज इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यह लंबी बात होगी। सीएजी के क्या अधिकार हैं? सीएजी के क्या और अधिकारी होने चाहिए, इस पर अगर सदन जिस दिन चर्चा करेगी तो मैं आप को उस दिन बताऊंगा आप ने सीएजी की क्या हालत कर रखी है? आप उसे अधिकार नहीं देना चाहते हैं। आप के अधिकारी फाइल्स छिपा लेते हैं, डिले करते हैं। यह सब रूकना चाहिएं ट्रांसपैरेन्सी अगर है तो सब जगह होनी चाहिए। अब कहा जा रहा है कि वे कैसे चले गए? कैसे वे इधर-उधर जांच कर रहे हैं? अब आप देखें-

[अनुवाद]

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निष्पादन लेखा परीक्षा। महालेखा परीक्षक तीन लेखा परीक्षा करते हैं। महा लेखा परीक्षा वित्त, अनुपालना और निष्पादन लेखा परीक्षा करते हैं। यह कार्यालय ज्ञापन 13 जून 2006 का है। एफ.सं. 65 वीआर 199 द्वारा पी. आर. देवी प्रसाद, विशेष कार्यधिकारी एफ.आर.बी.ए.: क्या निष्पादन लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के तहत पीएंडएजी द्वारा लेखा परीक्षा परिधि में आता है।

सरकार ने मामले पर विचार किया है। डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 23 के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास जहां तक लेखा परीक्षा के क्षेत्र और विस्तार का संबंध है, अधिनियम के कुप्रबंधों के आशय वाले विनियम बनाने की शक्तियां है। इन कुप्रबंधों के अनुसरण में, सीएंडएजी, आश्य के लिए बनाये गये दिशा-निर्देश, सिद्धांतों विनियमों पर आधारित वित्तीय लेखा परीक्षा और अनुपालन लेखा परीक्षा के अलावा निष्पादन लेखा परीक्षा भी कर रहा है। सीएंडएजी की सभी लेखा प्रतिवेदनों को संसद और राज्य विधान मंडल, जैसा भी मामला हो, जैसा संवैधाानिक अधिदेशित हो, में रख दी जाती है। अत: यह स्पष्ट है कि निष्पादन लेखा परीक्षा जो सार्वजनिक निधियों की प्राप्ति और अनुप्रयुक्ति में आर्थिक, क्षमता और प्रभावकारिता की लेखा परीक्षा से सम्बद्ध है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के दायरे में माना जाता है जिसके लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार निष्पादन लेखा परीक्षा दिशा-निर्देश पहले से ही मौजूद है।

[हिन्दी]

मैं आप के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने सहयोगियों को यह बताएं कि वे सरकारी आदेशों को भी पढ़ लिया करें। सरकार की क्या नीति है, वे उसे भी पढ़ लिया करें। उसके बाद सार्वजनिक कमेंट करें। यह अजीब बात है। आप ऑडिटर पर कमेंट कर रहे हैं। आपके वित्त मंत्री हनोई में कहते हैं कि हिन्दुस्तान में स्कैम्स जरूर हुए हैं मगर दो संस्थाएं हैं जो निगाह रखती हैं। इनसे हम फॉर्टफायड हैं-एक है एीएजी और दूसरा है पीएसी। आपके मंत्रीगण सीएजी पर अटैक करते हैं और सदस्यगण पीएसी पर अटैक करते हैं।...*(व्यवधान)* फिर एक चिट्ठी है, एम.एस. श्रीनिवासन, सेकेट्री जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रिय श्री कौल

जैसा कि आप जानते हैं सरकार ने नेल्प-पूर्व (एनईएलपी) और नेल्प क्षेत्र के तहत हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए ईएनपी संचालकों के साथ पीएससी हस्ताक्षर किया है। कुछ खंड सम्पत्ति अर्जित कर रहे हैं और रॉयल्टी लाभ पेट्रोलियम आदि के रूप में सरकार के बड़े हिस्सों में शामिल है। हाल ही में, नेल्प के अधीन निर्धारित विकास परियोजना में कुछ ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे पूंजी व्यय के बारे में कुछ भागों में चिंताएं व्यक्त की गयी हैं।

खंडों के उत्पादन प्रकोष्ठ लागत को नियंत्रित करने तथा मान्यता प्राप्त सनदी लेखाकार के अर्हक स्वतंत्र फर्म से लेखा परीक्षा की कार्य प्रणाली प्रदान करता है। तथापि, मैं बताना चाहता हूं कि हाली ही में केबीनेट सचिव ने सरकार को प्रस्तुत गैस मूल्य निर्धारण मामले संबंधी अपनी रिपोर्ट में सरकार की अनुवीक्षण और लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली को सशक्त बनाने की सिफारिश की थी।

उपर्युक्त सिफारिशों रॉयल्टी लाभ, पेट्रोलियम आदि के रूप में सरकार के बड़े भागीदारों के मद्देनजर तथा मामले की संवेदनशीलता पर विचार करते हुए हम अनुरोध करते हैं कि सीएंडएजी अनुबंध में शामिल खंडों की विशेष लेखा परीक्षा उन वर्षों की जाए जिनकी नियमित लेखा परीक्षा पहले ही हो चुकी है। यह नियमित लेखा परीक्षा कार्य प्रणाली के अलावा प्रस्तावित है।"

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण यदि सदन सहमत हो तो, मध्याह्न भोजन का अवकाश न लें।

कई माननीय सदस्य: जी, हां।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। हम मध्याह्न भोजन अवकाश छोड़ रहे हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: ये छह स्थान कौन से हैं? ये हैं: रव्वा; पन्ना-मुक्ता; ताप्ती; केजी-डीडब्ल्यूएन 98/3; आरजेओएल 901; हजीरा; केजी-ओएसएन 201/3; पीवाई-3।

[हिन्दी]

सरकार को मंत्री ने लिखा, उन्होंने ऑडिट किया। आप ऑडिट की रिपोर्ट दबाए बैठे हैं तो इसमें वे क्या करें। आपके पास कब आई, यह कब शुरू हुआ, आपके पास फर्स्ट पैरा कब आया, आपके साथ उनकी फर्स्ट बातचीत कब हुई, ड्राफ्ट कब आया, आपने वैटिंग कब की, कब वापिस किया, क्यों नहीं रिपोर्ट आई। आपकी खुद की बात है, आपको इसे जल्दी चाहिए था। आपने वर्ष 2007 में किया और अब 2011 हो गया है। क्यों नहीं आ रही है रिपोर्ट? यह सवाल है। फिर वही बात आती है कि चूंकि यह बड़े आदमियों से जुड़ा हुआ सवाल है, इसमें भारी मात्रा में राशियों का हेर-फेर है, 12-15 हजार करोड़ रुपये से 30-32 हजार करोड़ रुपये तक का हेर-फेर है, इसलिए यह नहीं आएगा। यह मेरा सवाल है, आप इसे देखिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मुरली मनोहर जोशी जी, अनंत कुमार हेगड़े जी को भी बोलना है।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब सिर्फ पांच मिनट रह गए हैं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है।..*(व्यवधान)* बस, थोड़ा सा ही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अभी आप ही के एक और सदस्य को बोलना है।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मैं सीडब्ल्यूजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।...*(व्यवधान)* सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपने वर्ष 2009 में एक ऑडिट करवाया था जिसमें आपने सीएजी से कहा था कि तैयारियों के बारे में बताइए कि क्या चल रहा है? आपने उसकी रिकमैंडेशन पढ़ी है। उसके बाद यह क्या हो गया? वे बार-बार कहते हैं कि यह कमी है, वह कमी है। उसके अंदर कैसे प्राइस के एसक्लेशन्स होते चले गए, तीन-तीन गुना, चार-चार गुना हो गए। हर केबिनेट में नोट के अंदर बढ़ा-बढ़ाकर एस्टीमेट्स आ रहे हैं।

अपराह्न 1.02 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

क्या हो रहा है? रिपोर्ट कह रही है कि कमिया हैं। यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है। फिर भी वही का वही है।...*(व्यवधान)* शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। वह भी आप ही ने बनवाई। इसलिए मैं कहता हूं कि यह सब आपकी जानकारी में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। आप यह कहकर नहीं निकल सकते कि मैं क्या जानूं, मुझे पता नहीं है। आपको पता है और पता होने के बाद हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक करेंगे।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं। यह सरकार भ्रष्टाचार से पैदा हुई। वर्ष 2008 में कैश फॉर वोट हुआ था, जिसकी वजह से आप बाद में जीतकर आए। समय का अभाव है। सब जानते हैं, क्या कहा गया है।* न्यूक्लियर डील में आपकी सरकार जीते, इसके लिए ये कोशिशें हुईं।...*(व्यवधान)*

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): देश की जनता ने वर्ष 2009 में हमें मैनडेट देकर जिताया था।...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मैं वही कह रहा हूं। देश की जिस जनता ने आपको वर्ष 2009 में जिताया, देश की वही जनता वर्ष 2011 में आपको उतार फेंकने के लिए खड़ी हुई है।...*(व्यवधान)*

इसे समझ लीजिए।...*(व्यवधान)* आज रामलीला मैदान में कहा जा रहा है-भ्रष्टाचार मिटाओ वर्ना जाओ। वे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। देश की जनता कह रही है, जनतंत्र कह रहा है, जन कह रहा है।...*(व्यवधान)* इसे याद रखिए।...*(व्यवधान)* आप उससे बच नहीं सकते।...*(व्यवधान)* यह सरकार भ्रष्ट है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आप कृपया चेयर को ऐड्रैस कीजिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: यह पाप से पैदा हुई सरकार है। यह भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचार के लिए सरकार है, भ्रष्टाचार के वास्ते सरकार है।...*(व्यवधान)* यह जनतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: यह माफिया...*(व्यवधान)* से घिरी हुई है। *[अनुवाद]* भ्रष्टों के लिए, भ्रष्टों के द्वारा तथा भ्रष्टों की...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मैं आपको फिर बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

रहिमन आह गरीब की कबहु न खाली जाए। मरे चाम के सांस ते लौह भस्म होई जाए। गरीब आदमी, आम आदमी, अगर उसकी सांस और हुंकार आ गई तो कोई नहीं बचेगा। उस दावानल में कोई नहीं बचेगा। यह सारी जनतांत्रिक प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा।

आप संभलिए और ईमानदारी से कहिए कि ये गलतियां हुई हैं और इन्हें हम सुधारने के लिए तैयार हैं। मुझे याद है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश से कहा था कि मेरे से गलती हुई है और देश ने उन्हें माफ कर दिया था। आपमें क्या इतनी हिम्मत है कि आप यह कह सकें कि हमसे गलतियां हुई हैं, हम माफी चाहते हैं।...*(व्यवधान)* अगर है, तो सामने आइये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: यह क्या बात है कि आप भ्रष्टाचार करते चले जायें?...*(व्यवधान)*

देश के गरीब आदमी को आप समाप्त करते चले आयें।...*(व्यवधान)* मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप बहुत सुधारों की बात करते हैं, विदेशी पूंजी की बात करते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: डॉ. जोशी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: एक बात और है जो करप्शन की तरफ ले जाती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अधिक विदेशी निवेश तथा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से निपटना, जीवन को बदलना-एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास को बढ़ावा देना। यह यूएनडीपी की रिपोर्ट है, पृष्ठ 227। इसमें लिखा है:

''एफडीआई, ओडीए का महत्व। अधिक विदेशी निवेश के कारण किसी भी देश में भ्रष्टाचार विशेषकर 'बड़े भ्रष्टाचार' की आशंका बढ़ जाएगी जिसमें व्यापार समूह तथा राजनीतिज्ञ संलिप्त होंगे। वस्तुत: जिन देशों में केन्द्रीकृत भ्रष्टाचार तथा राज्य का नियंत्रण हैं, वहां भ्रष्टाचार तथा एफडीआई के बीच अधिक गहरा संबंध है...भ्रष्टाचार एफडीआई के लिए इस आधार पर प्रोत्साहन का कार्य करता है कि भ्रष्टाचार नियामक तथा प्रशासनिक प्रतिबंधों के परिवंचन में लाभकारी होता है...पारदर्शिता हो या नहीं जो बहु राष्ट्रीय कंपनियां रिश्वत देने में लगी हैं, वे ऐसा करती हैं।''

[हिन्दी]

इस रास्ते से भी बचें। करप्शन के जितने सोर्सेज हैं, उन्हें बंद कीजिए। जितने भी विदेशी, स्वदेशी, घरेलू, बाहरी आदि सोर्सेज को बंद कीजिए और हिम्मत के साथ कहिए कि अब हिन्दुस्तान करप्शन फ्री होगा। भ्रष्टाचार को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइये, एक भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनायें और उससे पहले अपने आपको भ्रष्टाचार से मुक्त करें। इस मानसिकता को, कि अगर कोई भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, तो आप उसका दमन कर दें, उस पर अवसर दीजिए और जनतंत्र को सुधारिए।

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव (एलूरु): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने आज देश को प्रभावित कर रहे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी है। मैं इस संबंध में नोटिस देने के

लिए विपक्ष के नेता तथा भ्रष्टाचार के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए श्री मुरली मनोहर जोशी को भी धन्यवाद देता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि यहां उपस्थित प्रत्येक संसद सदस्य तथा इस देश का प्रत्येक दल भ्रष्टाचार के विरूद्ध है। इसमें से हरेक व्यक्ति जानना है कि इस देश में भ्रष्टाचार है तथा किसी न किसी समय सभी दल सत्ता में रह चुके हैं।

जैसा कि माननीय मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि, इसे किसी सरकार विशेष तथा दल विशेष से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि आज जितना भ्रष्टाचार है उसके लिए सभी सरकारें किसी न किसी रूप से जिम्मेदार हैं इसलिए मुझे उनकी यह निष्पक्ष टिप्पणी अच्छी लगी। परंतु बहुत ही जिम्मेदार सभी संसद सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे किसी वैज्ञानिक विश्लेषण अथवा परिकलन के बिना ऐसे वक्तव्य न दें जिनका उद्देश्य केवल सत्तारुढ़ दल पर कीचड़ उछालना हो।

मैं माननीय प्रोफेसर जोकि बहुत ही विद्वान हैं, के द्वारा उठाए गए बहुत से प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जहां उनके आंकड़े गलत हैं आरंभ में मैं उसका एक उदाहरण दूंगा। माननीय सदस्य के.जी. बेसिन के संबंध में कह रहे थे कि आरआईएल नाथ की एक कंपनी है, जिसने 40,000 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। इसके अगले ही वाक्य में, उन्होंने कहा कि उन्होंने उत्पादन तथा अन्वेषण के दौरान पूंजीगत व्यय को 25,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 31,000 करोड़ रुपए कर दिया। इसका अर्थ यह है कि कुल 31,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। माननीय सदस्य ने कहा कि 40,000 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया।

महोदय, क्या एक भी सदस्य कह सकता है कि इसमें कोई सच्चाई है।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मैंने यह नहीं कहा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव: उन्होंने यह भी कहा है कि 25,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। क्या आप सब इसमें विश्वास करते हैं? मैं आरआईएल का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं इससे बहुत दुखी हूं क्योंकि इस देश में विशेषतौर से राजनीतिज्ञों में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ही कानून बनाते हैं और हमें देशवासियों को यह दिखाना होता है कि हम स्वच्छ छवि के लोग हैं। केवल तभी हम जनता अथवा अधिकारियों या सरकार के किसी अन्य क्षेत्र में इसे लागू कर सकते हैं। लेकिन जब हम ही कमजोर होंगे तो हम इस पर नैतिक आधार पर नहीं बोल पायेंगे।

दुर्भाग्यवश, बहुत सारे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वे न केवल सदन के बाहर बल्कि सदन के अंदर भी भ्रष्टाचार पर लम्बे-लम्बे भाषण देते हैं। मैं यह किसी व्यक्ति अथवा दल विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूं। इसलिए मैं यहां इस बात का उल्लेख कर रहा हूं। डॉ. मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज जी की प्रशंसा करता हूं यदि उनकी इस देश से भ्रष्टाचार पूर्णतः मिटाने के उनके इरादे नेक है जैसा कि उनकी इच्छा है, लेकिन उन्हें इससे राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए या सत्तारूढ़ सरकार पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। यदि उनकी यह मंशा है तो हम इस देश से भ्रष्टाचार मिटाने के अपने उद्देश्य में बिल्कुल सफल नहीं हो पायेंगे।

मैं पहले उस पर बोलूंगा जो कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने एक के बाद दूसरे ने कहा है। उन्होंने कहा कि किसी बाह्य व्यक्ति के द्वारा इस संबंध में आह्वान किया गया है। विपक्षी दल को क्या हो गया है? वे भी आह्वान कर सकते थे। इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचार पर आह्वान के लिए उन्हें अन्ना या रामदेव की जरूरत है, जहां वे माने वहीं भ्रष्टाचार हैं। उन्होंने यह भी अजीब कहा कि इस सरकार के सत्ता में आने का मूल कारण भ्रष्टाचार है। यह सरकार सत्ता में कब आयी। संप्रग-1 2004 में सत्ता में आया। अतः यह भ्रष्टाचार की वजह से सत्ता में आया। यह भ्रष्टाचार किसका है? किस अवधि का है? उन्होंनें कहा कि 2004 में जब सप्रंग सत्ता में आया उस समय भी भ्रष्ट था। इसका मतलब यह हुआ कि भ्रष्टाचार पहले से ही अर्थात् राजग सरकार के कार्यकाल से ही है। उसी भ्रष्टाचार की वजह से यह गठबंधन सत्ता में आया है। उन्होंने अपने आप ही यह कहा है। यदि माननीय सदस्य ने किसी दूसरे संदर्भ की तरह यह कहा होता कि इन छह सालों में भ्रष्टाचार बढ़ा है तो मैं समझ गया होता। यह बिल्कुल सही है। वे सरकार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं मैं उसे समझ सकता हूं।

लेकिन यदि आप यह कहते कि यह सरकार 2004 में भ्रष्टाचार के कारण सत्ता में आयी थी तो संभवतया अनजाने में और गैर इरादतन रूप से आप यह स्वीकार कर लेते कि 2004 से पहले राजग सरकार के भ्रष्टाचार के कारण यह सरकार सत्ता में आयी...*(व्यवधान)*

उन्होंने कुछ मुद्दें उठाये हैं। मैं प्रत्येक बात का नहीं केवल कुछ ही मुद्दों का उल्लेख करूंगा। उन्होंने घोटालों की बात कही है। उन्होंने कहा कि इन घोटालों से 5,00,000 करोड़ रुपए का

नुकसान हुआ है। यह किस प्रकार की गणना है? मैं प्रेस रिपोर्टो पर भी बात कर रहा हूं। मैं किसी समिति या इस प्रकार की अन्य किसी रिपोर्ट के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। समाचार पत्रों में यह बताया गया है कि 2जी घोटाले में सरकार को 1,73,000 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा हुआ है। समाचार पत्रों में ऐसा प्रकाशित हुआ है। इसका इतना प्रचार प्रसार हुआ है जैसे कि इस सरकार में लाखों-करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ हो। 1,73000 करोड़ रुपए की राशि का आंकलन किस आधार पर किया गया है? इसके लिए क्या कोई वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है?

वैज्ञानिक विश्लेषण यह है कि 2008 में लाइसेंस ऐसे समय दिये गये जब इस देश में टेलीफोनों की संख्या न्यूनतम थी और उस समय पदासीन प्रौद्योगिकीविद सहित हमारे देशवासियों को प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी नहीं थी। जब लोगों को यही पता नहीं था कि उस समय उस क्षेत्र में वास्तविक क्या संभावनाएं हैं उससे 5000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा या 10,000 करोड़ रुपए या 10,00,000 करोड़ रुपए का। इसलिए उन्होंने वही नीति अपनायी जो पूर्ववर्ती सरकार ने अपनायी थी। पूर्ववर्ती सरकार ने क्या नीति अपनायी थी? उन्होंने पहले आओ-पहले पाओ की नीति अपनाई। यह नीति इस सरकार ने नहीं बनाई यह नीति राजग सरकार ने बनायी। असली कमी उस नीति की है। पहले आओ-पहले पाओ नीति क्या है? क्या उन्हें उस व्यक्ति के बारे में गुणों व अवगुणों के आधार पर विचार नहीं करना चाहिए जो इसके लिए आवेदन कर रहा है? यदि कोई व्यक्ति दूर संचार का कारोबार कर रहा है, जिसका इसके बारे में कोई इतिहास है जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ है और उसे इसमें प्रवेश की अनुमति दी जाती है तो मैं कुछ समझ सकता हूं। एक रिक्शे वाला इस क्षेत्र में प्रवेश करे और उसका आवेदन पहला हो तो वे उसे इसका लाइसेंस दे देंगे। वे इस बात की गहराई में नहीं जाते कि क्या वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में समर्थ है, और क्या उसे प्रौद्योगिकी की जानकारी है। उन्होंने ही पहले आओ पहले पाओ की नीति की शुरूआत की है।

यह आंकलन वर्ष 2007 और 2008 की स्थिति पर आधारित है। इसका आंकलन 3जी, जो वर्ष 2010 में आया है, के आधार पर किया गया था। वर्ष 2010 में जब 3जी की नीलामी की जानी थी तो सचिव, सहित इस देश के विशेषज्ञों तथा मंत्रालय ने कुल 35,000 करोड़ रुपये का आकलन किया था। विशेषज्ञ इसकी गहराई में गए और उन्होंने यह कहा कि हम इस नीलामी से 35,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि सरकार को राजस्व के रूप में 1,10,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। आंकलन के आधार पर तथा 2010 में की गई नीलामी से प्राप्त हुए राजस्व के आधार पर जिस संस्थान ने इसकी लेखा परीक्षा की थी उसने यह अनुमान लगाया था कि यदि इसकी नीलामी की जाती तो वर्ष 2008 में भी इतना राजस्व प्राप्त हो सकता था। उनकी गणना को ठीक मानते हुए मैं इस बात से सहमत हूं। कल हम 4जी अपनाएंगे। तीन वर्ष पश्चात् सरकार को 10 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। इसका कारण यह है कि तब तक प्रौद्योगिकी का प्रसार हो जाएगा। आज इस देश में 780 मिलियन टेलीफोन और मोबाइल फोन है। दो वर्ष के पश्चात् यदि 4जी की नीलामी से दस लाख करोड़ रुपये की प्राप्त होंगे तो यह लेखा परीक्षा एजेंसी कहेगी कि 3जी की नीलामी में घोटाला हुआ है। क्योंकि वर्ष 2010 में दस लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं और वर्ष 2010 में केवल 1,10,000 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं। आप क्या समझते हैं? इसका तात्पर्य है यह सरकार कहती है कि घोटाला हुआ है। क्या आप इस बात से सहमत हैं?

मान लीजिए पृथ्वीराज रोड़ की तरफ वर्ष 2007 में एक लाख रुपये प्रति वर्ग गज के बाजार भाव से एक संपत्ति बेची गयी थी। यदि कोई सरकार निष्पक्षता और ईमानदारी से सरकार के स्वामित्व वाला प्लाट बेचना चाहती है तो उसे एक लाख रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से प्राप्त हुआ होगा। यदि आज सरकार कोई दूसरा प्लाट बेचना चाहती है तो उसे आठ लाख रुपये प्रति वर्ग गज प्राप्त होगा। क्या लेखा परीक्षा एजेंसी कहेगी कि वर्ष 2007 में पृथ्वीराज रोड़ पर एक लाख करोड़ रुपये में प्लाट बेचने में घोटाला हुआ है? यह कैसा विश्लेषण है? यह कैसा अनुमान है? यह कैसा वैज्ञानिक आंकलन है? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राजस्व का घाटा हुआ है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसमें धोखेबाजी नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने प्रत्येक नियम का सावधानीपूर्वक पालन किया है। लेकिन देश में और उसके बारह ऐसी छवि बन गयी है कि सारा देश भ्रष्ट है, सारे सांसद भ्रष्ट हैं, सारा मंत्री समूह भ्रष्ट है और सारी सभा भी भ्रष्ट है। यदि सारे भ्रष्ट हैं, तो क्या देश जिन्दा रह सकता है? आपका क्या कहना है कि सब लोग भ्रष्ट हैं? हम इस बात से सहमत हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में कुछ भ्रष्ट लोग हैं परंतु इसका अर्थ क्या यह है कि हम इस प्रकार के वक्तव्य सभा में दे सकते हैं। प्रत्येक देश निर्बाध रूप में यह स्वीकार करता है कि सभा में कही गयी सारी बाते सत्य हैं।

हमें इस सभा में वक्तव्य देते समय कुछ संयम रखना चाहिए। हममें से प्रत्येक व्यक्ति यह कह सकता है कि इसमें चूक है, सिद्धांत के तौर पर या कार्य निष्पादन के तौर पर उल्लंघन हुआ है। परंतु आप किस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं? मेरा सरकार में शामिल अथवा विपक्ष के सभी सदस्यों से विनम्र सुझाव है कि आप सत्ताधारी दल की गलती का पता लगा सकते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि यह आपका कर्त्तव्य है। यदि यह सरकार ने कोई गलती अथवा चूक की तो आप इसे इंगित कर सकते हैं।

आप कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री ने कोई कार्यवाही नहीं की है। परंतु यह वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोक लेखा समिति के सामने साक्षी के रूप में आने की बात अपने आप कही थी। हमने उनसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। ऐसा कोई नियम या प्राधिकारी नहीं है जो उन्हें साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए कहे। हम संबंधित मंत्री को भी लोक लेखा समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए नहीं कह सकते हैं। जब लोक लेखा समिति संबंधित मंत्री को साक्षी के रूप में नहीं बुला सकती है लेकिन प्रधान मंत्री ने समिति के समक्ष उपस्थित होने की बात अपने आप कही थी। आप उनसे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते थे और जो कुछ प्रश्न पूछना चाहते वे पूछ सकते थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

माननीय प्रधान मंत्री ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में लाल किले से भी वक्तव्य दिया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि देश में भ्रष्टाचार है। किस प्रधान मंत्री में इतना साहस है कि वे यह कहें कि देश में भ्रष्टाचार है। मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं। माननीय सदस्य ने यह कहा है कि 2जी या 3जी मामले में दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आप ऐसा कह सकते हैं? क्या एनडीए सरकार के शासनकाल में कोई ऐसा दृष्टांत है जब किसी केंद्रीय मंत्री को जेल भेजा गया हो? कोई एक दृष्टांत तो बताएं। प्रधान मंत्री महोदय में ऐसा करने का साहस है। हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि किसी मंत्री को जेल भेज देने से गठबंधन की सरकार होने के कारण इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी सरकार गिर सकती है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को जेल भेजने के लिए सीबीआई को अनुमति दी है या सीबीआई के सुझाव को स्वीकार किया है या न्यायालय के आदेश का पालन किया है। इतना ही नहीं गठबंधन दल के एक राज्य सभा सदस्य और एक पूर्व सचिव, जो कि एक आईएएस अधिकारी था और अनेक निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा लोकसभा के एक और सदस्य को भी जेल भेजा गया है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इस सरकार ने भ्रष्ट लोगों या दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है।

इस सरकार में साहस है कि इसने इस सभा के कुछेक सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही की है जिन्होंने गलती की थी। न केवल उन्हें निलंबित किया गया था बल्कि उनको अपनी सीटों से भी हाथ धोना पड़ा था। इससे स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए यह सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। इसके एक या दो दृष्टांत भी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम सुस्पष्ट है या हम पूर्णतया स्वच्छ हैं अथवा हम में से कोई भी भ्रष्ट नहीं है। मेरा यह कहना है कि आपके कीचड़ उछालने और प्रचार करने से इस देश का भविष्य बर्बाद करने में मदद मिलेगी।

कल तक यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश जाता था तो समस्त विश्व उसका आदर करता था। उनका यह विचार हुआ करता था कि भारत वह स्थान है जहां उन्हें आना है और निवेश करना है। भारत एक ऐसा स्थान है जहां प्रगति होगी। भारत 21वीं शताब्दी का देश है...*(व्यवधान)* मैं सरकार की गलती का पता लगाने के लिए आपके प्रयासों का न तो खंडन कर रहा हूं और न ही इनका विरोध कर रहा हूं।

आप समझदारी से ऐसा करें। नेक नियति तथा समर्पित भाव कि साथ यह कहें कि आप वास्तव में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहते हैं तो मैं इसकी सराहना करूंगा और इसका समर्थन भी करूंगा। मैं इस तथ्य का समर्थन करता हूं कि आज आपने इस मुद्दे को उठाया है। मैं इस बारे में प्रसन्न हूं परन्तु यदि आप सभी इस बारे में ईमानदार हैं तो चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री को यह सुझाव दें कि सभी जिम्मेदार पार्टियां एक साथ बैठेंगी और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कतिपय नीतियां तैयार करेंगी। कोई मायने नहीं रखती है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी।

आप सुझाव दें। यह आपके हाथ में है। आप एक ऐसा कानून बनाएं जिसके तहत कड़ी कार्रवाई की जाए और अपराधी, एक भ्रष्ट व्यक्ति चाहे वह मंत्री हो अथवा कोई अन्य व्यक्ति हों, उसके विरूद्ध कार्रवाई करने में कोई विलंब न हो।

माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने प्रधान मंत्री पद को लोकपाल के दायरे में लाने की स्वयं पहल की है। उन्होंने स्वयं यह बात कही है। आप ऐसे प्रधानमंत्री में कैसे कमी ढूंढ सकते हैं? यदि वह यह कहते कि उन्हें लोकपाल के दायरे में नहीं जाना चाहिए तो मैं इस बात को समझ सकता हूं। यदि कुछ लोगों ने इसे सरकार की कमजोरी माना तो यह सही नहीं है। जब अन्ना हजारे अथवा उनके समूह के कुछ सदस्यों ने 'दीक्षा' आरंभ किया तो माननीय प्रधान मंत्री ने सोचा होगा कि वे हो हल्ला क्यों कर रहे हैं। चूंकि वह भी भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहते हैं इसलिए वह इस मुद्दे पर उनके साथ चर्चा करना चाहते थे। क्या कोई प्रधान मंत्री अन्ना हजारे समूह के पांच सदस्यों को प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में स्वीकार करेगा? क्या आप इस बात से सहमत होंगे? आप देखें कि किसी अजनबी को प्रारूप समिति में शामिल करने के लिए किसी प्रधान मंत्री के पास कितना साहस होना चाहिए। यह इस सभा का विशेषाधिकार है। यह सिविल समाज का विशेषाधिकार नहीं है। आप निर्वाचित संसद सदस्य है। यदि कोई कोई गलती हुई है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। यदि कोई कानून बनाया जाना है तो आप इसे बना सकते हैं। क्या आप इस

बात को स्वीकार करेंगे? यह उनके सद्‌भाव, स्पष्टता और उन्हें अपने साथ लेकर चलने के कारण है कि उन्होंने उन्हें प्रारूप समिति में शामिल किया। संभवत: उन्होंने यह समझा कि यह उनकी कमजोरी है।

महोदय, मेरा आपसे पुन: सादर अनुरोध है कि यह उनकी सोच की स्पष्टता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के कारण ही है कि उन्होंने लोक लेखा समिति में साक्षी के तौर पर प्रस्तुत होने और लोकपाल विधेयक में प्रधान मंत्री पद को उसके दायरे में लाने की स्वयं पहल की।

मैं कल यह कह रहा था कि हमें इस मंच को अन्ना हजारे के लिए क्यों छोड़ देना चाहिए। आप सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं करते? आप सभी नेताओं को क्यों नहीं बुलाते? यदि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया जाना है तो सभी दलों को कहना चाहिए कि उन्हें लोकपाल के दायरे में लाया जाए। यदि न्यायपालिका को भी लोकपाल के दायरे में लाया जाना है तो आप उसे लोकपाल के दायरे में ला सकते हैं। यदि एनजीओ को लोकपाल के दायरे में लाया जाना है जो आप उसे लोकपाल के दायरे में ला सकते हैं। अन्य सदस्य जो विरोध कर रहे हैं वे एनजीओ को इसके दायरे में लाने के लिए सहमत नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि एनजीओ को 1.38 लाख करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त हुआ है और वे एनजीओ को इसके दायरे में लाने का विरोध कर रहे हैं। आपने भी यह कहा है। जब एनजीओं द्वारा इतनी धनराशि एकत्रित की जा रही है तो उन्हें लोकपाल के दायरे में क्यों नहीं लाया जाए।

महोदय, आप कानून बनाएं एक निष्कर्ष निकालें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप सत्ता में है अथवा हम सत्ता में हैं अथवा कोई और सत्ता में है। इस बारे में सहमति होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसके लिए राजनीतिक इच्छा नहीं है कृपया इस बात को समझिए कि इस सरकार की राजनीतिक इच्छा है या नहीं अपने आपने स्विसं बैंकों में काले धन के बारे में कहा है। मैं इसे अस्वीकार नहीं कर रहा हूं। वहां कुछ धन हो सकता है। आप भी सरकार में रहे हैं। अपने शासनकाल में आपने क्या किया था? इस सरकार ने दोहरे कराधान के परिहार्य संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं और गुप्त नामों को सार्वजनिक करने की बात भी कही है। सरकार ने यह भी कहा है कि अप्रैल में यह समझौता किया गया है और उन्हें सूचना प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। सरकार यह सूचना आपके समक्ष रखने के लिए तैयार है। इस बारे में आप निर्णय ले सकते हैं।

इसके अलावा इस सरकार ने अपने शासनकाल में एक, दो अथवा तीन नहीं अपितु अनेक विधेयक प्रस्तुत किए हैं। क्या आपके पास सूचना का अधिकार जैसे कानून लाने का साहस है? यह किस प्रकार का कानून है? यहां तक कि प्रधान मंत्री को भी यह बताना पड़ा है कि सचिव और मंत्री के बीच किसी फाइल के संबंध में क्या विचार विमर्श हुआ। आम नागरिकों को इसे जानने का अधिकार है। यह केवल इस अधिकार के कारण ही जो बहुत सारे लोग, न्यायालय जाते हैं, उन्हें समस्त गोपनीय जानकारी मिल जाती है और वे सरकार की आलोचना करते हैं।

यदि सूचना का अधिकार नहीं होता तो कोई फाइल बाहर नहीं आती और न कि सच्चाई का पता चलता। सूचना का अधिकार अधिनियम लाने के लिए किसी सरकार के पास कितना साहस और कितनी स्पष्टता होनी चाहिए।

ऐसे एक अथवा दो दृष्टांत नहीं हैं अपितु मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसे कितने विधेयक प्रस्तुत किये गये हैं उनमें सूचना का अधिकार और व्हिसलब्लोवर प्रोटेक्शन बिल हैं। यदि कोई व्यक्ति सरकार को यह जानकारी देता था कि अमुक लेने-देने में भ्रष्टाचार हुआ है तो उस व्हिसलब्लोवर के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। ऐसे अनेक मामले हुए जिनमें उनकी हत्या कर दी गई। इस सरकार के पास उन लोगों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का साहस है...*(व्यवधान)*

इस सरकार ने बेनामी ट्रांजेक्शंस बिल भी प्रस्तुत किया है। किस प्रकार का बेनामी ट्रांजेक्शन? इसमें कोई नेता, मंत्री, संसद सदस्य अथवा कोई अधिकारी भी शामिल हो सकता है। यदि ऐसा कोई बेनामी ट्रांजेक्शन होता है तो सरकार इस कानून के अंतर्गत उस संपत्ति को अपने अधिकार में ले सकती है। ऐसा कड़ा कानून इस सरकार द्वारा लाया गया है और आप इस कानून को लाने के लिए इस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं जबकि आप अपने शासनकाल में इस प्रकार के कानून के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे और न ही इसके बारे में सोचा होगा।

आपने यह भी कहा है कि एमएनसी के पास घूस देने की क्षमता है। यह सत्य है क्योंकि हमारी तुलना में उनके पास ज्यादा धन है। इस सरकार द्वारा वर्ष 2011 में फॉरेन ब्राइबरी बिल लाया गया है। यह बिल न केवल पुर:स्थापित किया गया था अपितु इसे स्थायी समिति को भेजा गया था। संसद सदस्य ऐसे विधेयकों पर शीघ्र विचार करें और उन्हें संसद को वापस भेजें। जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं यदि वे ही इसमें विलंब करेंगे तो हम किन पर आरोप लगायेंगे? स्थायी समिति में केवल सत्ताधारी दल के ही सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसमें सभी दलों के सदस्य होते हैं। आप इसके लिए सरकार पर ही कैसे आरोप लगा सकते हैं?

इसके अतिरिक्त केवल दूसरी सरकार ने विशेष रूप से भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया और आप पूछते हैं कि इसके लिए हमने क्या कदम उठाए हैं। आपने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्टों में विलंब हुआ है। इसी कारण से न केवल सीबीआई की इकहत्तर विशेष कोर्ट का गठन किया गया है अपितु, 54 कोर्टों का गठन पहले ही किया जा चुका है और यही कारण है कि ये कोर्ट अपना निर्णय दे रहे हैं और लोग जेल जा रहे हैं।

आप के जी बेसिन में उत्पादित की जा रही गैस के मूल्य को नियंत्रित करने के बारे में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए 40-50 पत्रों का भी हवाला दे रहे थे। बिल्कुल ठीक है, परन्तु अब कुछ भी गुप्त नहीं है क्योंकि यह सूचना के अधिकार का युग है। आपने प्रारंभ में 2001 अथवा 2002 में किए गए लाभ बांटने संबंधी समझौते को भी पढ़ा होगा। समझौते में क्या कहा गया है? गैस अथवा तेल की बिक्री के संबंध में समझौते में यह कहा गया है कि जो भी निकलेगा उसकी मुक्त बिक्री होगी। यह इतना सरल नहीं है; यह उनके संबंधी अथवा परिजनों हेतु मुक्त नहीं है।

आज कच्चे तेल की क्या कीमत है। इसकी कीमत 20 अमरीकी डालर प्रति बैरल से बढ़कर 140 अमरीकी डालर अथवा उससे भी अधिक हो गई है, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज गैस का मूल्य 8 अमरीकी डालर प्रति स्टेन्डर्ड यूनिट है। आपने कहा कि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। सरकार ने समझौते के विपरीत जाकर देश और नागरिकों के हित में, उद्योग के हित में तथा उर्वरकों का उत्पादन करने हेतु कृषि के हित में कार्यवाही की है। उन्होंने मूल्य को नियंत्रित किया है क्योंकि सरकार के पास ऐसा खण्ड है जिसके अंतर्गत वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है और सरकार ने इसे घटाकर 4.3 अमरीकी डालर कर दिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की ...*(व्यवधान)*

आपने ई. खरीद का भी उल्लेख किया था, तथा कहा था कि निविदाओं के निपटान अथवा सरकार या सरकारी विभागों द्वारा की गई खरीद के संबंध में काफी अन्याय हो रहा है। यही कारण है कि हमने ई-खरीद प्रणाली आरंभ की है। कोई भी निविदा प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में सहमति बनती है तथा वे चार या पांच लोगों का सिंडीकेट बनाते हैं और गठजोड़ कर एक, दो अथवा तीन निविदाएं प्रस्तुत करते हैं। यदि पांच अथवा दस लोग एक बक्से में निविदाए डाल रहे हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति इसे ई-खरीद के माध्यम से भेज सकता है। वे दिल्ली, लखनऊ अथवा इलाहाबाद से इसे भेज सकते हैं और किसी को इसका पता भी नहीं चलेगा। इसके बावजूद यदि कोई किसी प्रकार की क्षति पहुंचाता है तो वह व्यक्ति विशेष के खराब चरित्र का प्रदर्शन होगा। यह कोई अधिकारी अथवा कोई और या एक राजनीतिज्ञ हो सकता है, जिसका संबंध, किसी राजनीतिक दल से हो सकता है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि उसका संबंध कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी अथवा किसी अन्य पार्टी से है। हम सभी यह बात जानते हैं। हम स्वयं अपने साथ धोखा क्यों करेंगे? कम से कम हमें कुछ मंचों पर तो ईमानदार होना चाहिए।

इसी प्रकार मंत्री समूह द्वारा कार्यवाही सारांश तैयार कर लिया गया था जो यह दर्शाता है कि इसमें कोई विलंब नहीं होगा। वह कड़ी कार्यवाही कर सकते हैं। केवल एक, दो अथवा तीन विधेयक नहीं हैं। यह न्यायिक जवाबदेही विधेयक है। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हम विधि निर्माता है तथा हम विधान बनाते हैं। इनमें कुछ खामयां हो सकती है। न्यायपालिका का कर्त्तव्य उन कानूनों की व्याख्या करता है। यदि आप संविधान अथवा किसी कानून के उपबंधों का उल्लंघन कर कोई गलती करोगे तो वह सदा ही अपना निर्णय सुना सकती है। दुर्भाग्यवश, जहां विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपलिका के बीच एक संतुलन होना चाहिए, वहीं आज हम यह देख रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र भ्रष्टाचार से प्रदूषित हो चुका है। मान लीजिए यदि कोई संसद सदस्य अथवा कोई मंत्री गलती करता है तो उसके लिए न्यायालय मौजूद है, परन्तु यदि न्यायालय ही गलती करेगा तो हमारा क्या होगा?

आपने लोकपाल के बारे में बात की। ठीक है, हम लोकपाल की परिकल्पना से सहमत हैं हो सकता है कि आज लोकपाल में एक ईमानदार सदस्य हो, परन्तु कल क्या होगा? मान लीजिए, यदि वह ईमानदार नहीं है तो वह हम सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ मनमानी करेगा। यदि हम भ्रष्ट हैं तो, कम से कम हमें यह भय तो है कि हम अगली बार पुनः निर्वाचित नहीं होंगे और जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाएंगे तो लोग हम पर थूकेंगे और इसलिए हम पर जिम्मेदारी है। उनकी क्या जिम्मेदारी होगी? आप ऐसे लोगो को कानून लाने अथवा हम सभी पर कानून थोपने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। यह बहुत ही अपमानजनक है। मैं यह नहीं कह रहा कि जो लोग हड़ताल कर रहे हैं अथवा आंदोलन चला रहे हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उन्हें अधिकार है, वे निश्चित रूप से प्रदर्शन तथा यह सभी चीजें कर सकते हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि एक व्यक्ति प्रदर्शन करता है तो हमें उसकी हर बात स्वीकार करनी पड़ेगी। तब हम यहां किस लिए बैठे हैं? तब तो चुनाव की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चुनाव की आवश्यकता कहां है? उन्हें मानमानी करने दीजिए, कानून बनाकर हमारे पास भेजने दीजिए। हम उस पर हस्ताक्षर करेंगे, मोहर लगाएंगे तथा उसे भेज देंगे।

महोदय, मंत्री समूह ने भी कहा है कि प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक सदस्य को अपना संपत्ति रिटर्न केवल कार्यालय को ही नहीं भेजना चाहिए बल्कि उनका संपत्ति रिटर्न सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यदि मैं अपनी संपत्ति के बारे में गलत घोषणा करता हूं तो इसे समाचार-पत्र में प्रकाशित कीजिए, कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है और मुझे अयोग्य ठहरवा सकता है। आज लोगों में जागरूकता बढ़ी है। इन परिस्थितियों में, सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हर चीज सार्वजनिक कर रही है।

आपने भ्रष्ट अधिकारियों की सूची के बारे में भी बात की। हम भी इससे सहमत हैं उन्होंने तीन प्रकार की सूचियां बनाई हैं: वे अधिकारी जिन्हें भ्रष्ट माना गया है; वे अधिकारी जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध हैं, और केवल वही अधिकारी नहीं, जो बिचौलिए उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, वे भी इसके अंतर्गत आएंगे तथा उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। यह दर्शाता है कि मंत्री समूह ने कितने विस्तार से इन सब बातों के बारे में सोचा है। मैं यह नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार नहीं है। यह बात समझ लीजिए कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो कहे कि इस देश में भ्रष्टाचार नहीं है। परन्तु इस बारे में हम सभी को ईमानदार होना चाहिए। यदि हम भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो हमें कम से कम ऐसे कानून बनाने चाहिएं जिनसे हम इसे कम कर सकें, इसे समाप्त कर सकें, और एक निश्चित अविध में हम इससे मुक्त हो सकें। जब तक सभी दलों तथा संसद सदस्यों का हटाया, सत्तारूढ़ दल पर आरोप मढ़ना नहीं होगा, तब तक इसका अंत नहीं हो सकता। इसमें से कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। यह केवल सभा में चर्चा तक ही सीमित हो जाएगा।

आप कह रहे हैं कि सीबीआई ने कोई कार्यवाही नही की है। आज, आश्चर्य की बात यह है कि जब सीबीआई ने आंध्र प्रदेश में बहुत से स्थानों पर छापे मारे हैं तो उन्होंने पाया कि भ्रष्टाचार सब जगह है, हमने देखा कि ऐसे विधायक हैं, जिन्होंने त्यागपत्र दिए हैं। विधायकों ने त्यागपत्र क्यों दिए हैं? सीबीआई छापे क्यों मार रही हैं? सीबीआई इन कमियों का क्यों पता लगा रही है? हां, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार है तो क्या हुआ? यही तर्क है और ऐसे दल हैं जो उन्हें समर्थन देने को तैयार हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

सरकार ने पहले ही 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर दिया है। उसने स्थायी समितियों से कार्यपालिका के कार्य निष्पादन की निगरानी करने को कहा है। यदि वह अपने कार्य निष्पादन में गड़बड़ी करेगी तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हम भी कॉर्पोरेट गवर्नेस के संबंध में दिशानिर्देश लेकर आये थे। वह सत्यम कम्प्यूटर्स तथा श्री राम लिंग राजू के बारे में उद्धत कर रहे थे। तीन वर्षो से जेल में ने उसके पास चाहे कितना भी धन हो परन्तु वह जेल से बाहर नहीं आ सके थे। यह कैसे संभव है? यह केवल तभी संभव है जब सरकार ने हठ पकड़ लिया हो और वह यह चाहती हो कि इस प्रकार की बातों को दोहराया जाये। केवल तभी यह हो सकता है। इसके लिये जी.ओ.एम. ने सीरियस फ्रॉड डिटेक्शन ऑफिस का गठन किया है। इसने उसके ब्यौरों का अध्ययन करके इसे प्रकाशित करवाया है क्या आप सरकार में दोष निकाल रहे हैं? आप दोष तो निकाल सकते हैं। लेकिन गलत बात के लिए नहीं। आप तिल का ताड़ मत बनाइये।

माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि कोई राजनैतिक इच्छा नहीं होती है। जाहिर है कि भले ही सरकार के पास राजनैतिक इच्छा हो अथवा नहीं हो परन्तु उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता के बारे में बात की है। वह भ्रष्टाचार के बारे में उसके द्वारा किये गये सर्वेक्षण को उद्धत कर रहे थे। यह सर्वेक्षण कब हुआ? यह वर्ष 2005 में हुआ था। क्या वर्ष 2005 का सर्वेक्षण वर्ष 2009 के भ्रष्टाचार को उजागर करता है? क्या यह वर्ष 2007 के भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करता है? एक माननीय सदस्य सर्वेक्षण को उद्धत कर रहे थे जिसमें 21,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का पता चला है। मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं कि कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है। मैं इस बात से सहमत हूं। यहाँ मेरी बात यह है कि जब आप कोई बात कहते हैं तो कृपया यह भी बताये कि इसका अभिप्राय क्या है। वर्ष 2005 के सर्वेक्षण को उद्धत कर रहे थे कि लोक सेवा और कार्यक्रमों में 21,268 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। वह यह भी उद्धत कर रहे थे कि सरकार को अपनी नीयत साफ रखनी होगी और उसे कार्यवाही करनी होगी और यह देखना होगा कि किन्हें दण्डित किया जाना चाहिये। तिहाड़ जेल आपके सामने है। आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? आप यह कहते हैं कि कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आपने यह भी कहा कि भ्रष्ट लोगों की पहचान करने में विलंब क्यों हो रहा है। विलंब कहा हो रहा है? लोगों की पहचान कर ली गई है और कार्यवाही हो रही है। वह माननीय प्रधानमंत्री से कह रहे थे कि उन्होंने यह कहा है कि जादू की कोई छड़ी नहीं है और उन्होंने देखा है कि आज उनके चेहरे पर मुस्कान है। उन्हें आश्चर्य है। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कान देखी है जो कि बहुत ही कम दिखाई देती है जिसे हमने नहीं देखा है। हो सकता है वह अच्छी तरह से यह बात जानते हुए मुस्कुरा रहे हैं कि एनडीए सरकार के दौरान जो भी कुछ हुआ है उस बारे में ही लोग सोच रहे हैं वह यह कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री ने अपने किसी एक सम्मेलन में यह टिप्पणी की है कि राजा जी पर लगाये गये आरोप आवश्यक रूप से सही हो ऐसा नहीं है। उन्होंने स्वयं यह कहा है कि वह स्वतंत्र नहीं है। इसमें गलत क्या है? फिर यह कहते हैं कि 1,73,000 करोड़ रुपये की राशि सही हो ऐसा नहीं है। वे यह कह सकते हैं कि इस सरकार ने इन

बातों के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। सभी दलों, सभी संसद सदस्यों से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि वे सरकार की आलोचना करें। जहां कहीं भी सरकार गलती करे वे उसमें दोष निकालें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं इसकी तारीफ करता हूं। इसकी सराहना करता हूं तथा इसका समर्थन करता हूं। परन्तु जब बात में कोई सच्चाई न हो और एक बात का इसकी बात से कोई संबंध न हो तो इस प्रकार का प्रचार, इस प्रकार की टिप्पणियों न करें। वे खगोलीय आंकडे (आंकड़े) दे रहे हैं और इस संदेश को देश के बाहर भेज रहे हैं। वे यह सोच रहे हैं कि हम सभी भ्रष्ट हैं। क्या हम सभी लोग भ्रष्ट हैं? क्या संपूर्ण देश भ्रष्ट है? वे किस प्रकार की तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय संसार के समक्ष दिखाना चाहते हैं। कृपया अपने आपको आलोचना करने से रोकिये। यह सभा सरकार की आलोचना करने के लिए है यदि वह गलत काम करती है और यह सभा गलती का सुधार करने का सुझाव का देने वाली भी है। हम एक साथ हो सकते है और इकट्ठे बैठ सकते हैं तथा कुछ तौर तरीकों कुछ नीतियों को ईजाद कर सकते हैं और कुछ ऐसे विधान ला सकते हैं जिनसे यह भ्रष्टाचार खत्म हो सकता हो। आज हम सभी तीन बजे बैठक कर रहे हैं जिसमें विपक्ष के नेता तथा सरकार भी सम्मिलित होगी। माननीय प्रधानमंत्री को लोकपाल में शामिल किया जाये। मीडिया को लोकपाल में शामिल किया जायें, न्यायपालिका को लोकपाल में शामिल किया जाये। वे निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते हैं कि कोई विशिष्ट दल ही आने वाले सैकड़ों वर्षों में सरकार में होगा। जो कुछ हम पर लागू होता है वह सभी पर लागू होगा। कृपया हम यह नहीं कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी का एक व्यक्ति हमारे सिर पर बैठेगा। सिविल सोसाइटियां हैं कितनी? कौन सी सिविल सोसाइटी होगी? कृपया अपने अधिकार को खत्म मत कीजिये। हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। हम चाहते हैं कि लोग फैसला करें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): सिविल सोसाइटी का कोई भी मेंबर सदन में नहीं है। उनके ऊपर, उनकी इंटिग्रिटी के ऊपर डाउट करके इस प्रकार की बात पार्लियामेंट में करना ठीक नहीं है। सिविल सोसायटी के मेंबर्स को बात करने के बाद इन्होंने इन्वाइट किया।...*(व्यवधान)* इन्होंने सिविल सोसायटी के मेंबर्स पर जो बताया, उसे कामकाज से निकाल दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदयः उन्होंने किसी का नाम नहीं किया है। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री गोपीनाथ मुंडेः ये सिविल सोसायटी के बारे में क्यों बोल रहे हैं? वे यहां जवाब नहीं दे सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. रावः अंत में, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं क्योंकि गलतियां इस तरफ तथा उस तरफ भी होती हैं उन्हें ईमानदारी से कहने दीजिये कि उन्होंने कितना समय लिया है। जब यह बात जन अधिकार-क्षेत्र में आ ही गई है कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार हुआ है और किसी व्यक्ति विशेष को उसके पद से हटा दिया जाये क्योंकि भ्रष्टाचार होने की बात पुख्ता हो गई है।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः किसी की भी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी। सिर्फ के.एस.राव जी की बात रिकॉर्ड में जायेगी।

...*(व्यवधान)* *

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. रावः राजस्थान में कितने आरोप लगे हैं? मध्य प्रदेश में कितने आरोप लगे हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः मिस्टर राव के अलावा किसी की भी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः किसी और सदस्य की बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

उपाध्यक्ष महोदयः मैंने मना कर दिया है कि किसी की बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी। सिर्फ राव साहब की बात रिकार्ड पर जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव: इस सरकार में कार्यवाही करने की हिम्मत है जो आप में नहीं है। इस सरकार में आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय के आदेशों पर सी.बी.आई को छापा मारने की अनुमति देकर कार्यवाही करने का साहस है तथा इसे जन अधिकार क्षेत्र में लाते हुए तथा यह बात अच्छी तरह से जानते हुए कि राज्य सरकार में अस्थिरता हो सकती है जो कि कांग्रेस के हाथ में है, यह भी साहस है...*(व्यवधान)* जो इस सरकार की ईमानदारी तथा रूचि को इंगित करता है। इतना ही नहीं किस प्रकार के दिशानिर्देश यह लेकर आयी है?...*(व्यवधान)* कुछ दिन पहले हमने देखा कि उच्च न्यायालय के एक जज पर इस सरकार द्वारा यह महाभियोग चलाया जा रहा था। कुछ ही दिनों में जो इस सभा में आ रहा है। क्या इस प्रकार के उदाहरण पहले भी थे? क्या इसका यह अभिप्राय है कि देश के सभी जज बहुत ही ईमानदार हैं और देश में केवल हम ही भ्रष्ट हैं? सरकार में इतना साहस तो अवश्य होना ही चाहिये कि वह उनमें से एक व्यक्ति को संसद में लाकर उस पर महाभियोग चला सके।...*(व्यवधान)*

जहां तक विधान के दायित्व का प्रश्न है, विधान में यह सुनिश्चित करने के लिये संशोधन किया गया था कि प्रमाण का यह दायित्व है कि दोषी पर जो दोष लगा है वह दोषी नहीं है और अधिकारी को इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। यह जाहिर है।

इस सरकार की कार्यविधि के दौरान वर्ष 2010 में एक सर्वेक्षण हुआ था। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि वर्ष 2005 में 70% जनसंख्या का यह विश्वास था कि भ्रष्टाचार बढ़ा है तथा छ: प्रतिशत लोगों का यह विश्वास था कि भ्रष्टाचार में कमी आई है। यह सर्वेक्षण वर्ष 2005 में हुआ था। वर्ष 2010 में हुए सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि 45% लोगों का यह विश्वास है कि भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है तथा 29% लोगों का यह विश्वास है कि इसमें कमी आई है। इसका अभिप्राय यह है कि लोगों का यह विश्वास था कि वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2005 से पहले और ज्यादा भ्रष्टाचार था...*(व्यवधान)*

माननीय सदस्य ने यह कहा है कि यह सरकार भ्रष्ट लोगों की है, यह सरकार भ्रष्ट लोगों द्वारा बनाई गयी है। परन्तु ईश्वर की कृपा है कि उन्होंनें यह नहीं कहा है कि यह सरकार भ्रष्ट लोगों के लिये है। कम से कम मैं प्रसन्न हूं कि वे कम से कम उस बात को लेकर तो उनका मन साफ है। हैरानी तो मुझे यह है कि कई बार मैंने इस सभा में यह कहा है कि बीजेपी आम जन के बारे में सोच रही है। यह पूरे देश को मालूम है कि बीजेपी ट्रेडर्स की है, बीजेपी कॉर्पोरेट सेक्टर की है, बीजेपी कारोबारियों की है, बीजेपी पूंजीवादियों की है। उन्होंने सभा में ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद स्थिति के बारे में ग्रामीण लोगों के बारे में, आम जन के बारे में कभी भी चर्चा नहीं की है।...*(व्यवधान)* परन्तु मैं इसके बारे में अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को बता रहा था कि हम यह नहीं जानते है कि कल बीजेपी कितना काम करेगी, परन्तु कम से कम वह इस नारे को लेकर आमजन के बारे में अब सोच तो रही है। यह देश तथा आमजन के लिये अच्छा संकेत है। यदि आप वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों तथा आम जन के बारे में सोचने में गंभीर है तो हम भी आपको समर्थन देने के लिये तैयार हैं।

जबकि मैं विशेषकर 'भ्रष्टाचार' के विषय के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत इस चर्चा को आगे लाने की प्रशंसा करता हूं जो कि निश्चित तौर पर किसी भी बात से ज्यादा बड़ी बुराई है। यदि हम सभी ईमानदार हों-अपना स्वार्थ साधने के लिए नहीं अन्य राजनैतिक दलों में नुक्ताचीनी करके उसका राजनैतिक लाभ उठाने के लिए नहीं तो मैं आपका आभारी रहूंगा और मुझे प्रसन्नता होगी तथा इस संबंध में आप जो कुछ कह रहे हैं उसका मैं समर्थन भी करूंगा।

परन्तु मेरा सभी नेताओं-श्री शरद यादव, श्री आडवाणी, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री लालू प्रसाद अथवा कम्युनिस्ट नेताओं से विनम्र निवेदन यह है कि आप सभी कृपया एक साथ बैंठे तथा ऐसा कुछ ईजाद करें जो प्रत्येक सरकार को स्वीकार्य हो तथा जिसे विधान में लाया जा सके। आप भी एक ऐसा लोकपाल विधेयक लायें जिसमें प्रत्येक वर्ग गैर-सरकारी संगठन, मीडिया तथा अन्य-को लोकपाल विधेयक में शामिल हो। ताकि हम अपनी ईमानदारी को व्यक्त कर सकें तथा लोगों के दिमाग में किसी भी दल के राजनेताओं से घृणा करने के विचार का दूर कर सकें।

आइये हम लोगों के उस विचार को ही बदल डालें कि सभी राजनेता बेईमान है तथा उनसे घृणा की जाये। मैं यह कहूंगा कि हमेशा ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूचि त्याग करने और राष्ट्र तथा लोगों की सेवा करने तथा विशेषरूप से देश में गरीब तथा आम जन की सेवा करने की होती है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में दो भाषण हुए हैं, जो कि उच्च स्तर के भाषण थे। उनकी बात करना चाहते हैं, जो कि इस भ्रष्टाचार के कारण सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हैं और सबसे ज्यादा परेशान हैं। किसान की फसल में जब कीड़ा लग जाता है तो उन्हे कीटनाशक दवाइयां दी जाती हैं, जिसे वे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें भी नकली और मिलावट

है। इसकी वजह से कीड़े मरने की बजाय फसल को और बर्बाद करते हैं। इस मिलावट की वजह से, इस भ्रष्टाचार की वजह से सबसे ज्यादा मार गरीब और किसान को हो रही है। वही सबसे ज्यादा परेशान हैं गरीब आदमी के पास अपना इलाज करवाने के लिए दवाइयां नहीं हैं, यदि हैं भी तो, सदन में पहले भी यह सवाल उठ चुका है, दावाइयों में मिलावट है। मरीज को फायदा पहुंचाने की बजाय बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है। नकली दवाइयों की बात इस सदन में कई बार उठ चुकी है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस ओर क्या कदम उठाए हैं? जब जवाब दिया जाए तो इस बारे में बताया जाना चाहिए।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि क्या-क्या नकली है? दूध नकली है। आज यह साबित हो चुका है कि दिल्ली में भी नकली दूध बिक रहा है।

अपराह्न 2.00 बजे

दूध नकली है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? ये उच्च कोटि के भाषण तो हो गए। घी नकली है, तेल नकली है, इस पर विचार करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि खाद नकली है। जो किसान देश की बुनियाद है, वह पूरा का पूरा किसान आज बर्बाद हो रहा है। किसान जो पैदावार बढ़ाता है, उसका अन्न हम लोग खाते हैं, फौज को भी वही अन्न जाता हैं लेकिन उस पर मुसीबत है कि कीटनाशक दवाइयां नकली हैं ओर उन्हें काफी घाटा हो रहा है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आप देखेंगे कि किस तरह भ्रष्टाचार है?

आप छोटे-छोटे बच्चे के एडमिशन के बहाने जाइए। किसी बच्चे को अच्छे स्कूल में बिना पैसा दिए दाखिला नहीं हो सकता। डोनेशन के नाम पर अलग से पैसा आपसे लिया जाता है। जो संपन्न लोग हैं, बड़े लोग हैं, वे डोनेशन देकर बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, लेकिन गरीब कैसे दिलाएगा? आज जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में गरीबी और अमीरी के बीच की खाई मिटने के बजाय बढ़ रही है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, जो शिक्षित ज्यादा हो रहे हैं, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आज स्कूलों में इतना पैसा लिया जा रहा है कि किसी गरीब का बेटा पैसा देकर यहां दिल्ली में भी और जिलों में भी अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं करा सकता। इससे पूरा सदन सहमत होगा कि एडमिशन में कितना पैसा लिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं। आज आप देख रहे हैं कि हम लोगों से संबंधित जो कॉलेज हैं, उधर एडमिशन के लिए इतनी भीड़ हो जाती है कि जगह ही नहीं होती। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि एडमिशन के नाम पर एक रुपया भी नहीं लिया जाता है और न कोई ले सकता है। हमारे गांव में 1500-2000 लड़के पी.जी. में दाखिला लेते थे, पर इस साल मजबूरी में 5500 को दाखिला देना पड़ा और कम से कम तीन हजार लड़के लौट गए। यह भ्रष्टाचार कहां नहीं है? हम यह नहीं कह सकते कि इसके लिए ये जिम्मेदार हैं, वे जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं यह सही है कि सदन को अगर ईमानदारी से भ्रष्टाचार को मिटाना है तो सबको एक होना पड़ेगा और एक होकर कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी दलों के लोग हों।

अब यह जो लोकपाल बिल बन रहा है, क्या इस लोकपाल बिल में सभी लोग लिए जाएंगे? लोकपाल बनने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): एक भी मंत्री नहीं है यहां। यह संजीदगी है आपकी? अपनी गंभीरता दिखाएं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: दो-दो मंत्री बैठे हुए हैं। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: मैं कहना चाहता था कि बच्चों के एडमिशन को लेकर इतनी धांधली हो रही है।

लोकपाल बिल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि लोकपाल बनने से पहले सूची जारी किया जाए कि लोकपाल बिल में कौन-कौन लिए जा रहे हैं जिससे जनता को जानकारी हो, हमें भी जानकारी हो, सबको जानकारी हो। जब जनता की, आम लोगों, सदन की प्रतिक्रिया और विधान सभा के लोगों की प्रतिक्रियाएं आ जाएंगी तो एक अच्छा लोकपाल बिल बनेगा। ये अपने दफ्तर में बैठ कर, केबिनेट वे कुछ लोग या पूरे केबिनेट के लोग मिल कर लोकपाल बिल बनाएंगे तो उससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि उससे कोई भला होने वाला नहीं है। उसमें सभी दलों के लोग हों, लोकपाल बिल पर कौन-कौन से लोग लिए जाएंगे, उन्हें सबसे पहले अखबार और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखा दीजिए, तब लोकपाल बिल सफल होगा, वरना ऐसे ही बैठ कर लोकपाल बिल बना लिया, ऐसे कमेटियां नहीं बनती हैं। इसी तरह से मैं भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं, आपको भी पता होगा कि एमसी एमडी बनाने के लिए एक करोड़ रुपया लिया जा रहा है, आप कहीं भी जांच करा लीजिए। इस बात को हम सब लोग जानते

हैं, इसके लिए आप क्या सोचेंगे? इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। एक-एक करोड़ रुपया देने वाले डिग्री ले लेंगे और एमडी बन जाएंगे, यह हो रहा है। गरीबों को न्याय कहां से मिल जाएगा? यहां दो बड़े-बड़े वकील हैं, इनसे पूछिए कि पांच मिनट, दस मिनट या आधे घंटे की बहस के लिए कितना रुपया लेते हैं। ये दो लाख से लेकर तीन लाख रुपए लेते हैं तो आदमी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कैसे जाएगा?...*(व्यवधान)* 25 लाख भी लेते हैं, हम कह रहे हैं कि मामूली दो लाख, तीन लाख, चार लाख, पांच लाख वाले तो यहीं बैठे हैं। मैंने एक दिन कह भी दिया था कि हमारे वकील आप रह चुके हैं। यह जरूर है कि हम पर थोड़ी रियायत कर दी थी। यह भी हमने बता दिया था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया चुप रहे, मुलायम सिंह जी को बोलने दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, इलैक्ट्रानिक मीडिया पैसे ले करके भी न्यूज देते हैं। ये पूरी जानकारी सब को है, हमें भी है और आपको भी है। इलैक्ट्रोनिक मीडिया पैसे ले करके एक ही बात दिन भर बोलता रहता है, यह बात मेरी जानकारी में है। जब चुनाव होता है, जिस व्यक्ति ने इलैक्ट्रानिक मीडिया को रुपया दे दिया, उसी का पूरा प्रचार होता है, उसी का जनता समर्थन कर रही है, ये सब हो रहा है। असली तो यहां है, बुनियादी जो भ्रष्टाचार है, इस पर हपले हमला होना चाहिए। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि हम सब इलैक्ट्रानिक मीडिया के भुक्तभोगी हैं। बड़े-बड़े घोटाले हैं, कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं, इन्हें क्यों दोहराएं? कुछ घोटालों को जोशी जी ने दोहरा दिया, कुछ घोटालों को शरद यादव जी ने भी बहुत मजबूती के साथ उठाया, अब यही हम कह सकते हैं कि घोटाला ही घोटाला है। श्री शरद यादव जी ने जो भाषण दिया, उसका जवाब ठीक से लिखित में देना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि शरद यादव जी आपने जो भाषण दिया, चिट्ठी लिखिए कि हमारी चिट्ठी है, जवाब दे दिया, ऐसा नहीं है। हम, आप और कई लोग मिल करके प्रमाण दे सकते हैं, उसका जवाब सरकार दे कि घोटाला करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है, उसमे चाहे इधर के लोग हों या उधर के हों, आप यह करके देखिए। अगर हम लोगों में कोई घोटाला करने वाला है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही कीजिए। जब तक निष्पक्ष और निर्भीक सरकार नहीं होगी, तब तक ये घोटाला या भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। जिस सरकार में इच्छाशक्ति और साहस होगा, वही सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकती है। हम लोगों के पास तो पावर है नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं है, जो हम लोगों को गिरफ्तार करवायें और हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवायें, यह तो आपकी जिम्मेदारी है और आपकी इसलिए जिम्मेदारी है कि आप बहुत समय से राज कर रहे हो। दिल्ली में कुछ वर्षो को छोड़कर लगातार आपका ही तो राज है। हम लोग तो थोड़े दिन के लिए आये थे, मुश्किल से 8-10 साल हम लोगों को राज करने का मौका मिला है। अटल जी को जरूर 6 साल का मिल गया था। हम लोगों को तो ढाई साल या 31 महीने ही 11-11 महीने करके मिल पाये थे। हम लोग तो राज कर ही नहीं पाये। आपने बहुत तिकड़म और साजिश की कि हम लोगों की सरकार चलने ही नहीं दी। हां, यह साजिश थी, इतनी बड़ी साजिश थी कि यह सरकार न चलने पाये। हम लोग तीन बार सरकार में आये भी।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)**:** अगर रहते तो मजबूत लोकपाल बना देते।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हम बिल्कुल बना देते। लोकपाल बने तो मजबूत बने। जो मैंने कहा कि सभी दलों की राय से बने, सभी दलों के नेताओं को साथ लेकर आप प्रचार कर दीजिए... *(व्यवधान)* मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप प्रचार कर दीजिए कि ये-ये इस कमेटी में जा रहे हैं, जो लोकायुक्त को बनाएंगे, लोकपाल बिल बनाएंगे। यह बात बड़े अखबारों में, मीडिया में आ जानी चाहिए और प्रतिक्रिया में आ जाना चाहिए कि कौन-कौन जा रहा है, कौन ठीक है, कौन ठीक नहीं है। इससे आपको भी मौका मिलेगा, हमें भी मिलेगा, जनता को भी मिलेगा और आम आदमी को मिलेगा।

इसी तरह से राष्ट्रमंडल खेल में घोटाला हुआ, अब उसको भी दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि, सारे विश्व के खिलाड़ी यहां आये और बाद में पता चला कि हम लोग तो खेल कर चले गये और खेल में भी घोटाला हुआ है तो इतने कितने घोटाले होंगे। उन घोटाला करने वालों में, ठीक है कि 1-2 को जेल में भेज दिया या तीन को भेज दिया, लेकिन यह चर्चा आज भी अखबारों में और सब जगह है कि तीन लोग ही जिम्मेदार नहीं, और भी जिम्मेदार हैं। आज भी अखबार में है, मीडिया में आ चुका है कि और भी जिम्मेदार हैं। तीन को तो जेल भेज दियाऔर असली और भी जिम्मेदार हैं, उनको? उनसे तो कतई पूछताछ भी नहीं की गई। अखबारों में पता चला कि पूछताछ होगी, लेकिन फिर पूछताछ नहीं हुई। लोकपाल बिल में तो मैंने पहले ही कह दिया था, अब फिर कह रहा हूं कि लोकपाल बिल में दलित हों, पिछड़े हों, मुस्लिम हों और सब वर्गों के लोग हों, वह लोकपाल बिल असली बिल माना जायेगा। यह मामले में है कहीं वहीं के वहीं छांट लें। हमें पता चल गया कि इनकी कुछ बातें हो रही हैं कि कौन-कौन जायेगा तो मैंने बता दिया कि मुस्लिम, पिछड़े और दलित भी इस लोकपाल बिल में होने चाहिए, तब सब तरह के विचार आएंगे और इसका सही इस्तेमाल होगा।

दूसरी तरफ, हम आपसे कहना चाहते हैं कि लोकपाल के आधार पर ही राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति हो। राज्यों में अगर वास्तव में भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं और सही जांच करना चाहते हैं तो राज्यों में इसी तरह से, जिस तरह से यहां लोकपाल बिल आया है, इसी तरह से सरकार इसे सदन में पास करे कि राज्यों में भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि असली बुनियाद भ्रष्टाचार की वहां है, बल्कि वहीं, सूबों में ज्यादा है तो उन सूबों में कम से कम यह होगा तो शायद दहशत में भ्रष्टाचार कम होगा।

भ्रष्टाचार की वजह से किसी गरीब को तो न्याय मिल नहीं सकता। यह मिलेगा नहीं, मैंने शुरू में ही कह दिया। अगर वह कोर्ट में जायेगा तो वे वकील बैठे हैं, कितना लेते हैं, यहां के वकील लोगों के नाम हम जान-बूझकर दे रहे हैं तो कौन गरीब जा पाएगा। गरीब को न्याय कैसे मिले, यह सबसे बड़ा प्रश्न है, चाहे लोकपाल बिल बनाइये या कोई बिल बनाइये, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता इसमें होनी चाहिए कि जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनकी वकील करने की क्षमता नहीं है, उनकी तरफ क्या ध्यान दिया जा रहा है? उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो जितना भी बड़ा वकील खड़ा करना चाहता है, या तो उसके लिए आप कोई प्रावधान इसमें कीजिए या सरकार को वकील करना पड़ेगा। जो दुखी है, गरीब है उसकी मदद के लिए वह जिसे चाहता है, वही वकील होगा, यह नहीं कि सरकार स्वयं वकील नियुक्त कर दें, जो बहस करेगा, उनकी पैरवी करेगा।

दूसरी बात, अभी रक्षा सौदों के बारे में बताया गया कि ठेकों के आबंटन पर नौ हजार करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा सीएजी ने लगाया है। अब बताइए, रक्षा मंत्रालय में ऐसा हुआ। पहले भी रक्षा मंत्रालय में एक बड़ा गंभीर मामला हुआ था। उसकी वजह से सरकार चली गयी थी। तब तो मामूली बात थी, कुल पैंसठ करोड़ रुपए का मामला था। जब मैं रक्षा मंत्री बना तो मैंने यह फाइल जानबूझकर मंगायी और उसे पढ़ा, तो उसमें सिर्फ पैंसठ करोड़ रुपए का मामला था और अब तो नौ हजार करोड़ रुपए का मामला है। यह सीएजी की रिपोर्ट है और वह भी एसीएजी की रिपोर्ट थी।...*(व्यवधान)* महंगाई से भी ज्यादा है। सन 1965 से बढ़कर नौ हजार महंगाई से बहुत आगे निकल गए। महंगाई कहां इतने गुना बढ़ी है? यह एसीएजी की रिपोर्ट है, यह हम नहीं कह रहे हैं सीएजी किसने गठित की-सरकार ने। सरकारी संस्था स्वयं कह रही है कि रक्षा सौदों में नौ हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है।

हमारे यहां ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 71 फीसदी जिलों में मिशन नहीं पहुंचा है। वहां की मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है और केन्द्र सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला, तब तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश के 71 फीसदी जिलों में मिशन नहीं पहुंचा है। केंद्र सरकार ने थैली खोल दी कि हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन यह पैसा कहां पहुंच रहा है? हम लोग सब के सब बैठे हैं, वह पैसा कहां पहुंचा और उस पैसे से क्या काम हुआ? घोषणा कर दी लेकिन बहुत से सूबों में पैसा पहुंचा ही नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुलायम सिंह यादवः हम आपकी आज्ञा मानेंगे।...*(व्यवधान)* मनरेगा कहां है? मनरेगा को अभी तक हम देख ही नहीं पाए। हम गांव में ज्यादा रहते हैं, मनरेगा है कहां? पता नहीं मनरेगा कहां है और कितना रुपया जा चुका है? एक-एक जिले में करोड़ों रुपये जा चुके हैं? कोई माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों, यह बतायें कि मनरेगा का क्या काम हुआ है? कितनी नालियां साफ हो गयीं, कितनी नहरों की सफाई हो गयी, अभी तक यही नहीं तय हुआ। जो छोटे-छोटे बंबा हैं, छोटी-छोटी नहरें हैं,वहां कम से कम पानी किसी तरह से पहुंचता, अगर कहीं गदंगी हो तो उस गदंगी को दूर करते, कई गड्ढो में गंदगी भरी पड़ी है, उसको ठीक करते, तो कम से कम सफाई ही हो जाती। बता दें कि कितने गड्ढे गंदे पड़े हुए हैं, बता दें कि मनरेगा का पैसा कहां गया? मनरेगा का पैसा पता नहीं कहां है? किसी के सूबे में बहुत ज्यादा लग गया हो, बहुत तब्दीली आ गयी हो तो बता दे कि हमारे सूबे में तब्दीली आ गयी है, जब से मनरेगा लागू हुआ। आप क्यों ऐसी योजना बना रहे हैं? भ्रष्टाचार को क्यों मौका दे रहे हैं? अगर मनरेगा ही देना था, तो आज मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को रुपए दे देते तो वह इस्तेमाल होता, क्योंकि डीएम उसे खर्च करता। एमपी लोग तो खर्च करते नहीं, डीएम खर्च करता और डीएम से कहते कि हमारा प्रतिनिधि है, लोकसभा का मेंबर चाहता है, आप मेरा यह काम करिए, यह रुपया उसके पास भेजिए, मेंबर के पास नहीं जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा, डीएम के पास जाएगा। डीएम खर्च करेगा, एसडीएम खर्च करेगा, तो हम लोग उस पर निगरानी रख सकेंगे कि इतना रुपया आयाथा, वह इस्तेमाल हुआ या नहीं। आम जनता जान जाएगी कि रुपए का इस्तेमाल हुआ या नहीं। आप ऐसा तरीका ढूंढिए। हम लोग जानते ही नहीं कि रुपया कहां पहुंचा है? हमें पता ही नहीं है कि रुपया कहां पहुंचा और किसके पास पहुंचा? रुपया कितना खर्च हुआ? हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि यह बहस तो करा दिए। यह अच्छा काम हुआ है लेकिन इसका पालन कैसे होगा? हम यह जरूर जाना चाहते हैं इसका पालन करने के लिए हम सब लोगों को एक हो जाना चाहिए। अगर सरकार पालन नहीं करती है तो हम लोगों को दूसरा कदम उठाना भी चाहिए। हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हम सरकार को अधिकार दे रहे

हैं। हम सरकार को सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद पैसा इस्तेमाल हो। अगर पैसे का दुरूपयोग होगा तो खामियाजा देर से ही सही उठाना ही पड़ेगा। इसमें देर हो सकती है। क्योंकि देर है अधेर नहीं है। देर हो सकती है लेकिन रुपया का इस्तेमाल होना ही चाहिए। यह जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार के जो मंत्री हैं उनको अपने विभाग में एक हफ्ते के अंदर, 15 मिनट के लिए अधिकारी को बुला लें और पूछे कि इतना रुपया गया है वह कहां है? अगर मंत्री की छवि अच्छी है तो इतने में अधिकारी डर जाएगा। अगर मंत्री खुद अधिकारी से मिला हुआ है तो इस का कोई मतलब नहीं है।...*(व्यवधान)* अगर अधिकारी को पता चला जाएगा कि मंत्री छोड़ेगा नहीं। यह मुझे सजा देगा। जब तक आप कहेंगे कि फला तारीख को इसकी समीक्षा करेंगे तब तक रुपये इस्तेमाल हो चुकेगा। आप तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं हम भी मुख्यमंत्री रहे हैं। केवल मीटिंग बुला लेते थे और रुपये खर्च हो जाता था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री मुलायम सिंह यादव: यह सही है कि हम लोग भ्रष्टाचार के पहरेदार हैं, दो करोड़ या तीन करोड़ रुपया दे दिया। जनता समझती है कि दो करोड़ रुपया या तीन करोड़ मिला है वह कहां गया है? आप बताइए कि दो करोड़ में कितना किलोमीटर सड़क बना है?

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुलायम सिंह यादव: इतने रुपये में मुश्किल से 4 किलोमीटर सड़क बनेगी। हमारे क्षेत्र में लगभग 4, 6 या 8 विधानसभा हैं मजाक क्यों कर रहे हैं? इसलिए या तो इस करोड़ रुपया कीजिए या वापस ले लीजिए।...*(व्यवधान)* अगर वापस ले लेंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (घाटल): महोदय, मुझे एक बात कहनी है। श्री अन्ना हजारे के व्रत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने हेतु 3.30 बजे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सभी दलों की एक बैठक होनी है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि सरकार सभी दलों से परामर्श करना चाहती है। महोदय, अब समय 2.25 हुआ है और हम सभी को बोलना है। हमारे लिये यहां पर बोलना किस प्रकार से संभव है? हम वह बैठक भी नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिये, विनम्रता के साथ, मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि कृपया इस चर्चा को कल 3.00 बजे तक स्थगित कर दिया जाये।

[हिन्दी]

यादव जी, आचार्या साहब, लालू बाबू हैं और हम सभी लोग हैं। यह कैसे होगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, कृपया मेरी बात सुनिये। आप मुझे क्यों बैठने के लिये कह रहे हैं? मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि आप सभा की भावना को देखे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हाउस को पोस्टपॉन कीजिए। क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय आप विधायी कार्य को ले सकते हैं। आप 3.00 बजे तक चर्चा को स्थागित कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री ने साढ़े तीन बजे मीटिंग बुलाई है। अभी समय है इसलिए हम उसका उपयोग कर लें। जो नेता लोग हैं वे जाएंगे, कुछ बच जाएंगे तो वे बाद में बोलेंगे। मीटिंग के बाद बाकी सदस्य बोलेंगे। हाउस को क्यों एडजर्न करना है?

श्री गुरुदास दासगुप्त: सर, यह कैसे होगा? *[अनुवाद]* यह इस तरह से नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: 3:30 के बाद होगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, हम 3.00 बजे तक जारी रखेंगे तथा उसके बाद आप इसे स्थगित कर दें। इस मुद्दे के संबंध में आपका क्या सुझाव है?...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आप 3.00 बजे तक चर्चा को स्थगित करें और उसके बाद आप विधायी कार्य करें...*(व्यवधान)*

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: आप जानते हैं कि तब क्या कठिनाई आयेगी...*(व्यवधान)*। आप जानते हैं कि कल क्या हुआ ...*(व्यवधान)* कल, जैसाकि आप जानते हैं, हमने इस पर झगड़ने मात्र में एक दिन गंवा दिया कि इस मामले को लिया जाये अथवा श्रीलंका के तमिल लोगों से संबंधित मामले को लिया जाये। अत:, हमें ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिये जहां ऐसी ही बात कल दुबारा हो। दोनों चर्चाओं को करना संभव नहीं होगा। अत: मैं यह सुझाव दूंगा कि 3.30 बजे तक हम चर्चा जारी रख सकते हैं। 3.30 बजे विभिन्न दलों के माननीय नेताओं से बैठक के लिये जाना अपेक्षित होगा...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: 3.30 बजे नहीं, हमें 3.15 बजे बैठक के लिये जाना है।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: जी हां, 3.15 बजे। अन्य माननीय सदस्य भी हैं जो बोलना चाहते हैं तथा महोदय, आप उन्हें बोलने के लिये अनुमति दें। इसी दौरान यदि वे वापिस आ सकते हैं तो वे वापिस आ जायें। हम निश्चित तौर पर यह चाहेंगे कि माननीय नेता इस वाद-विवाद पर बोलें क्योंकि माननीय नेता इस वाद-विवाद पर बोलना चाहेंगे। उस मामले में, आप अन्य विधेयक ले सकते हैं। हम आज एक विधेयक का निपटारा कर सकते हैं। परन्तु उस मामले के लिये भी मैं सभी माननीय सदस्यों के समक्ष इसे तुरंत ही लाऊंगा कि सूचीबद्ध पहला विधेयक वित्त से संबंधित है तथा माननीय वित्त मंत्री का भी वहां पर उपस्थित होना जरूरी होगा। इसलिये, माननीय वित्त राज्य मंत्री यहां पर उपस्थित रहेंगे। हम एक विधेयक ले सकते हैं। उसके बाद जब आप आते हैं तो कृपया हमें आज वाद-विवाद को समाप्त करने दीजिये। आज प्रत्येक सदस्य को बोलने दीजिये। अन्यथा, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं केवल समस्या को देख रहा हूं जिसका सामना आप कल करेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम कल 12 बजे तक जारी रह सकते हैं। उसके बाद इस वाद-विवाद का निष्कर्ष निकलने के पश्चात् हम श्रीलंका के तमिल लोगों संबंधी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करुर): नहीं, नहीं। हमें 12 बजे श्रीलंका के तमिल लोगों के मुद्दे पर चर्चा करनी है। इस पर पहले से ही कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा कर ली गई है। अत: इसे कल 12.00 बजे लिया जाना है...*(व्यवधान)*। उसके पश्चात् यदि आप इस चर्चा को जारी रखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: इसलिये हम सभी को अवश्य ही उसके अनुसार समायोजित करना चाहिये। यह बैठक महत्वपूर्ण है जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने बुलाया है। तत्पश्चात्, मैं अन्य माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे संक्षिप्त भाषण दे। नेता जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है वापिस आये तथा बोले। वे उसके बाद बोल सकते हैं...*(व्यवधान)* हम थोड़ा ज्यादा समय के लिये बैठ सकते हैं...*(व्यवधान)*। हमने सत्र का लगभग आधा समय गवां दिया है। इसलिये हमें अवश्य ही कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिये जब हमें उस कार्य को करने का मन हो...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): बंसल जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है। दोनों मेजर पार्टी के सदस्यों ने बोल लिया है। यह गलत तरीका है। आप इसे कल कंटीन्यू कीजिए। दिनभर जिन सदस्यों को बोलने का मौका मिले, वे बोलें और उसके बाद कल कटीन्यू कीजिए। हर पार्टी का अपना-अपना स्टैंड हैं...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: हमें इसमें एतराज नहीं है। आपके सामने साथी बैठे हुए हैं। कल उस वक्त आप यहां नहीं थे। उस वक्त आपस में एक समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि इससे पहले तमिल, श्रीलंका का ईशू लिस्ट में लगा हुआ था।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: उनका ईशू कल लीजिए। इसके बाद उसे कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: देखिए, वे सामने हैं। आप सुन लीजिए कि वे क्या कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई: हमें कल 12.00 बजे श्रीलंका के तमिल लोगों के मुद्दे पर चर्चा करनी है...*(व्यवधान)*। इस पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में पहले से ही निर्णय ले लिया गया है... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: पहले इसे कनक्लूड कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: यह एक वाजिब बात होगी।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: आप आज भ्रष्टाचार पर मत बोलिए। हमारे दल को बोलने के लिए बुलाइए।

श्री पवन कुमार बंसल: ठीक है, उनसे बुलवाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री उदय सिंह: नेताओं को सभी पार्टी की बैठक से वापिस आना चाहिये तथा बोलना चाहिये तथा उसे आज समाप्त करना चाहिये...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: वे इसे कर सकते हैं। वे इसे करेंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: शरद जी, आप संक्षेप में बढ़िया-बढ़िया बात बोल दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, जोशी जी, कांग्रेस पार्टी के श्री के.एस. राव और भाई मुलायम सिंह जी ने जो बात कही है, मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। लेकिन गजब की बात यह है कि सदन नीचे और ऊपर खाली है।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): पूरा हाउस भ्रष्टाचार पर कितना गंभीर है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नो क्रॉस टॉकिंग। आप उन्हें बोलने दीजिए। अगर आपस में बातचीत होगी, तो यह बहुत समय लेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: हम सपोर्ट कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): आप तीन बजे तक अपना भाषण खत्म कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: नहीं, तीन बजे नहीं, आप सवा तीन बजे बोल लीजिए।...*(व्यवधान)* उसमें कोई दिक्कत नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: साढ़े तीन बजे सर्वदलीय मीटिंग है।. ..*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: ठीक है, पहले आप बोल लीजिए। मैं आपके बाद बोल लूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: नहीं, आप बोल रहे हैं, इसलिए पहले आप बोल लीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: शरद जी, आप चेयर को ऐड्रैस करके बोलिये।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल पर, जब भ्रष्टाचार पर बहस हुई थी, तब मैं काफी बोल चुका हूं।...*(व्यवधान)* हां, सीडब्ल्यूजी पर बोला हूं।...*(व्यवधान)* मैं आज ऐसे सवाल पर बोल रहा हूं, जिसका वास्ता भी भ्रष्टाचार से है। देश में भ्रष्टाचार पर एक बहस बहुत गहमा-गहमी से चल रही है। पिछले 15-20 वर्षों से, जब 1991 में लिब्रलाइजेशन की पालिसी आयी, तब से निरंतर राजनैतिक लोगों को, उनकी तस्वीर को, छवि को एक तरह से...*(व्यवधान)* अरे क्या करें?...*(व्यवधान)* एक तरह से भारी कैम्पेन चला हुआ है। यह आज से नहीं है। अभी सिविल सोसायटी के आंदोलन में यह बहुत ज्यादा सामने आ गया है। इसका इतना प्रचार है, क्योंकि यह हजारों वर्षों की बीमारी है। हजारों वर्षों के बाद आजादी मिली, तो 50 वर्ष आपके हिस्से में हैं। अभी मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि दस-एक वर्ष हम लोगों के हिस्से में हैं। हमारे हिस्से में ग्यारह महीने, पांच-पांच, छ:छ: महीने ही हैं। हमें कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिलता। आज जो सब चल रहा है, इसमें इस सदन का पूरा पुरूषार्थ है। अभी श्री के. एस. राव बोल रहे थे।...*(व्यवधान)* केजी बेसिन है।...*(व्यवधान)* वह सदन से चले गये हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श सोसायटी, 2जी स्पेक्ट्रम स्कैम्स हैं। हमाने सबसे पहले केजी बेसिन का मुद्दा उठाया था। इस सदन में नहीं, बाहर उठाया।

एक बात जान लेनी चाहिए कि जो सरकारी पक्ष है, वह चाहे हमारा हो या आपका हो, वह एक्शन तभी लेता है जब विपक्ष एक आवाज में बोलता है। सम्पूर्ण विपक्ष, कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई लेफ्ट या समाजवादी पार्टी या बीएसपी नहीं बल्कि सम्पूर्ण विपक्ष दो वर्ष से इस पर बोल रहा है। खासकर पिछले डेढ़ वर्ष से, जब से टूजी स्कैम हुआ है, भारत बंद हुआ। भारत बंद ऐसे नहीं होता, यदि जनता के मन में अफसोस और रंज नहीं है, तो भारत बंद कभी नहीं होता। भारत बंद हुआ और सभी लोग जो इस तरफ बैठे हैं, उन्होंने किया। जो टूजी स्कैम है, इसको मैंने तीन बार उठाया। जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसने सिर्फ पैसे काउण्ट करके बताया कि 1,76,000 करोड़ रुपये हैं, लेकिन इसके पहले टूजी स्कैम जिस तरह से उठाया गया, वह यहीं और इन्हीं दीवारों के भीतर उठाया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे साथी रहे सुरेश कलमाड़ी जी को अगर इस सदन में हम लोगों ने नहीं घेरा होता, तो आज वह जेल के अंदर न होते। हम लोगों ने ही उनको अंदर करा दिया। उनके साथ में बहुत लोग बंद हैं, जो उनके बगलबच्चा थे, वे भी बंद हैं...*(व्यवधान)* जो उनके साथी थे, बगलगीर थे, वे भी बंद हैं।...*(व्यवधान)* मैं आज भी मानता हूं

कि कॉमनवेल्थ गेम्स में चार दिन में बकौल सरकार 75,000 करोड़ रुपये चले गए। सूबे तरस रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं इस 75,000 करोड़ रुपये के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि उपाध्यक्ष जी का आदेश हो गया है कि जल्दी खत्म करो, उपाध्यक्ष जी कभी दया करते हैं और कभी नहीं करते हैं। हमारे बिहार का बजट 24,000 करोड़ रुपये है और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए दिल्ली को सजाने में आपने 75,000 करोड़ रुपये खर्च कर दिए।...*(व्यवधान)* यह एक जुर्म है।...*(व्यवधान)* हम लोग जहां रहते हैं, हम लोगों के लिए थोड़ा सा इलाका रखा है।...*(व्यवधान)* लुटियन्स जोन में हम कहां रहते हैं, अब उसमें सारे जज घुस गए हैं और हम जहां रहते थे, वहां से हमको निकालकर दूसरी जगह रख दिया गया है। माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि दिल्ली पूरी उजड़ी हुई है। 75,000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी उजड़ी हुई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इतना पैसा फूंक दिया। उसमें एक गुब्बारा लाए थे जिसे सिर्फ दिल्ली के लोगों ने देखा। बाकी लोग जो सड़कों पर निकले, वे मौजदार लोग हैं, उनका जन्म ही यहां हो गया। जन्म के साथ ही पढ़ाई-लिखाई और इनवायरनमेंट उनका बड़ा भारी प्रिविलेज है। खासकर फारुख अब्दुल्ला जी जिस इलाके में रहते हैं, उसमें क्या कहना है, मौज ही मौज है। स्वर्ग है यह। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के मामले में हाथी की सिर्फ पूंछ बंद है, हाथी बाहर है। लेकिन अभी हाथी बाहर है। बाबा रामदेव आए, फिर अन्ना जी भी आए। इनके चलते ही कई लोग चाहे कामनवैल्थ गेम्स हो, चाहे टू जी मामला हो या केजी बेसिन का मामला हो या अन्य कोई मामला हो, जेलों में बंद हैं इन लोगों द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी गई और वह लड़ाई यहां से शुरू हुई थी, जो कि आजकल ठंडी पड़ गई है या बंद हो गई है। परिस्थिति ऐसी बन गई है कि सदन में बोलना आवश्यक हैं जब बाबा रामदेव दिल्ली आए तो इनके ही पांच लोग उनकी आरती उतारने गए थे। इन्हीं लोगों ने राई का पर्वत बना दिया। अब कह रहे हैं कि हम लोग माथा मार रहे हैं और ये लोग माथा पकड़कर यहां बैठे हुए हैं इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। समझ में आता तो ज्यादा संख्या में मेरी बात सुन रहे होते। इन्हें अक्ल आ जाती अगर मेरी बात सुन लेते। प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं, सिर्फ दो-तीन मंत्री बैठे हैं, जिनकी वहां कोई चलती ही नहीं है ये बेचारे यहां बैठे हैं और सुन रहे हैं अब आप ही बताएं फारुख साहब बैठे हैं वह सौर ऊर्जा का विभाग सम्भालते हैं, जिसका कि बजट ही बहुत कम होता है।

आज देश में बड़ी बहस चली हुई है और सारा देश एक जगह खड़ा हुआ है और सब इसे सही मानते हैं। आज आम आदमी समाज का अगुवा बना हुआ है और इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। यह समाज के इसी अगुवा वर्ग यानि रूलिंग क्लास ने किया है। रानजैतिक लोग एक तरफ हो गए हैं, अकेले हो गए हैं। कई राजनैतिक लोग अंदर बंद हैं। बड़े-बड़े पूंजीपति नहीं हैं, लेकिन 27 राजनैतिक लोग बंद हैं। बाबा रामदेव आए थे, जब वह गए, उसके बाद एक बंद नहीं हुआ। लेकिन उससे भी पहले विरोधी दलों ने सब तरह से मेहनत करके यह काम किया था और उसी का परिणाम है कि 27 लोग बंद है।

संसद और विधान सभाओं से बड़ा कोई नहीं है, यहां लोगों की पोल खुलती रहती है, क्योंकि पोल खोलने का इससे बड़ा कोई दूसरा स्थान नहीं है। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, कुछ अखबार भी कह रहे हैं कि लोक सभा में 153 लोग आपराधिक प्रवृत्ति के आ गए हैं। हम पर भी चोरी का केस चला। हम काफी समय से, करीब 37 साल से यहां हैं। हमने पैसा भी नहीं छुआ और कहते हैं कि घड़ी ली थी। इसलिए उन 153 में हमारा नाम भी लिखा हुआ है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह ठीक तरह से बताए कि राजनैतिक केसेज में कितने लोग बंद रहे। हम साढ़े चार बरस जेल में रहे, तो हम लोगों की तकलीफ और दर्द के लिए बंद रहे। जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध समाज के भले के लिए अनवरत लड़ाई लड़ते रहे, वे राजनैतिक केसेज में बंद रहे। हमारे ऊपर 27 केस चले और कहा जा रहा है कि यहां अपराधी बैठे हुए हैं, हैं कुछ अपराधी, मगर उन्हें छांटकर अलग करके कहें कि ये हैं। जिस दिन यह सदन बंद हो गया, तो कहीं जगह नहीं रहेगी जहां जनता की आवाज उठाई जा सके। यह सदन आइना है देश की शक्ल देखने का और यह संसद तथा विधान सभाएं वह जगह है, वह आइना है, जिनमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। और कहीं नही देख सकता है। आप सुप्रीम-कोर्ट चले जाइये, 80 प्रतिशत लोगों का कहीं नाम नहीं लिखा है। आप यूपीएससी चले जाइये, 80 प्रतिशत लोगों का कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है। आदिवासी का तो यहां नामोनिशान नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में, हिंदुस्तान का एक आदमी, माताप्रसाद जो उत्तर प्रदेश के थे, वे 60-63 वर्ष में सैक्रेट्री बने थे। भारत सरकार के मंत्रालय में, पिछड़ी जाति, दलित का एक सैक्रेट्री बना।...*(व्यवधान)* मुस्लिम तो कैबिनेट सैकेट्री भी रहा है। लेकिन जो शुद्र या अति-शुद्र हैं इनका तो सैक्रेट्री भी नहीं बना है। मीडिया में भी इनका कहीं नाम नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री रमेश बैस (रायपुर)**:** जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें भी कोई नहीं है।

श्री शरद यादव: नहीं उसमें लोग है और एक अच्छे सवाल को उठा रहे हैं हम लोग तो हजारों वर्षों से धूल में लिपटे हुए हैं, हजारों वर्ष से पीड़ित हैं लेकिन इंसाफ की लड़ाई में हम शामिल हैं। हम तो वैसे ही हजारों वर्ष से पीड़ित हैं, लेकिन बाबा साहेब और महात्मा जी के आशीर्वाद और मौहब्बत से हम यहां खड़े हैं, नहीं तो हम लोग तो यहां घास भी नहीं काट सकते थे।

जिस इलाके में आज मैं बोल रहा हूं यहां तो हमारी बकरी, गाय, भैंस आ भी नहीं सकती थी। यह सदन ही है जिसमें पूरे देश का चेहरा देखा जा सकता है, वर्ना और कहीं आप पूरे देश का चेहरा एक साथ नहीं देख सकते हैं। यहां दलित भी हैं। उपाध्यक्ष जी, यहां नाम से भी लोगों को जाना जा सकता है, जैसे यहां घुरऊ राम, गरीब राम, पकौड़ी लाल, यह सब महात्मा गांधी और लोकतंत्र की आजादी के चलते हुआ है नहीं तो यहां पकौड़ी लाल आ नहीं सकता था, हजारों वर्षों से इसके बाप-दादा नहीं आये, लेकिन पकौड़ी लाल यहां आया है। यह जो साफा वाला पीछे खड़ा है, इसके चेहरे पर किसान की हर तरह की इबारत लिखी हुई है।

यह भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ सवाल है और भ्रष्टाचार बाहर भी वैसा ही मिलेगा जैसा यहां पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट के बाहर सुप्रीम कोर्ट है। जस की तस ब्यूक्रेसी है, जस राजा तस प्रजा। इसका पलटकर जस प्रजा तस राजा है। पार्लियामेंट की तरह सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, हाई-कोर्ट होना चाहिए, यूपीएससी होनी चहिए, इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, केवल पार्लियामेंट में ही है। मीडिया में भी ऐसा नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, मैं बोल रहा हूं यह तो भाई दारा सिंह की कृपा हुई है नहीं तो मैं अभी बोलता ही नहीं और मुझे मीटिंग में जाना पड़ता। जरुरत इस सदन में यह है कि मुझे ज्यादा वक्त मिलता।

मैं विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन इस देश की नस-नस से वाकिफ हूं कि हमारा देश कैसा है। कैसे देश में भ्रष्टाचार है और कहां से भ्रष्टाचार हैं। मन चंगा, तो कटौती में गंगा है, हिंदुस्तान की सदियों पुरानी यह संस्कृति है। इसमें अच्छी भी है, लेकिन खराबी भी हैं मन किसका चंगा रहेगा। कृष्णा साहब का मन चंगा रहेगा, मेरा मन चंगा रहेगा, जिनका घर ठीक है, उसी के घर गंगा है। रिक्शा चला रहा है, खेत में काम कर रहा है, उसके घर गंगा आ जाएगी। उसे पुण्य मिल जाएगा। मैंने चार दिन पहले कहा था और देश भर में कहा गया था कि बहुत अच्छा कहा है, लेकिन अच्छा कहने वाले लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोकपाल बिल भी आ रहा है। लोकपाल बिल जरूर आए, लेकिन कानून से हिंदुस्तान नहीं बदल रहा है, यह हम पिछले 63 वर्षों से देख रहे हैं। हिंदुस्तान को बदलना है तो लम्बा समय ले लो, 10 वर्ष से लो, 20 वर्ष ले लो।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था कभी बहुत अच्छी रही है, लेकिन आज यह व्यवस्था बहुत दुख दे रही है। जाति व्यवस्था का जो भूरा है, गारबेज है, उसी में हर तरह की बीमारी का कीड़ा पल रहा है। भ्रष्टाचार, विषमता, बेईमानी आदि बीमारियां अगर पलती हैं, तो वह जाति व्यवस्था का भूरा है। डॉ. लोहिया ने कहा है कि हिंदुस्तान में जिस दिन क्रांति होगी, तो सामाजिक विषमता जिसने जाति व्यवस्था को जकड़ रखा है, उसे जिस दिन तोड़ोगे, उसी दिन देश की व्यवस्था बदलेगी। हम जब जाति व्यवस्था की बात कहते हैं, तो कहा जाता है कि हम जात-पात कर रहे हैं आप बताओ कि हमें जात-पात से क्या लाभ है? आप हमें फांसी दे दो, लेकिन यदि जात-पात हट जाए, तो हम ज़हर चाट कर मर जाएंगे, इस सकून के साथ कि यह देश अब बनने वाला है। जाति व्यवस्था मुसलमान में भी है, ईसाई में भी है, हिंदू में भी है। जाति व्यवस्था के भूरे पर, कूड़े पर गारबेज पर तरह की विषमता पलती है। हर बीमारी की जड़ जाति व्यवस्था है। जात तब चलती है, जब महतारी को गुलाम करना होता है। जात तब चलती है, जब बच्ची पैदा होती है और बाप, भाई जिंदगी भर रखवाली करता है, क्योंकि उसे जाति में परोसना है। हिंदुस्तान की मां अगर आजाद होती, तो हिंदुस्तान दुनिया में किसी से हार नहीं सकता था। मां, बहन, बेटी, देश की महतारी ने परिवार बना कर खड़ा किया है। हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति रहता है, उसकी पहली लायलटी परिवार है। इसके बाद महौल्ला और उसके बाद देश व्यक्ति की लायलटी होती हैं आप सभी लोग अपने मन में सोचिए कि हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, तो अपने परिवार के मामले में होती है, क्योंकि हम लोग इसी समाज से आए हैं।

महोदय, जो पुरानी सभ्यता रही है, वह अच्छी रही है, लेकिन आज हर तरह की बीमारी इसी जाति व्यवस्था में पल रही है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह व्यवस्था कल मिट जाएगी। मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि यदि हिंदुस्तान में से भ्रष्टाचार को सम्पूर्ण खत्म करना है, तो जाति व्यवस्था को खत्म किए बिना, बरबाद और तबाह किए बगैर चाहे कितने ही कानून बना लो, आप कभी भी भ्रष्टाचार से निपट नहीं सकते, कभी नहीं निपट सकते, कभी नहीं निपट सकते हो। अगर नाली गंदी होगी, तो मच्छर पैदा होंगे और हम कहेंगे कि यहां मच्छर मरने के लिए डीडीटी स्प्रे करो। आपने ऐसा समाज बना दिया कि हर आदमी जकड़ गया हैं। जब आपातकाल था और लोग जेलों में बंद थे। वे माफी मांगने जाते थे, तो मैं उनसे पूछता था कि भाई क्यों जा रहे हो, क्या बात है? मैंने कम से कम दो सौ लोगों से पूछा। हर आदमी आपातकाल के लिए तैयार था, लेकिन वह कहता था कि मेरा घर बरबाद हो रहा है, मेरी दुकान बरबाद हो रही है। मेरा ये हो रहा है, मेरी पत्नी रो रही है, मेरी अभी शादी हुई है। वह माफी लिख रहा था, माफी घर के लिए लिख रहा था। आप जिस यूरोप की नकल बोली, उठने, बैठने में 24 घंटे करते हैं, उस यूरोप की इस बात को भी तो लें कि वहां परिवार और समाज के बीच ऐसे स्वार्थ का अंतर नहीं है जैसा इस देश में है। हम परिवार के लिए 90 फीसदी लॉयल्टी रखते हैं जबकि समाज और देश के लिए 10 फीसदी रखते हैं इसलिए हमारा देश पीछे है। आप रोज 21वीं शताब्दी की बात कहते हैं लेकिन कौन 21वीं शताब्दी में जा

रहा है? क्या ये मुट्ठी भर लोग? जब बादशाह अकबर थे तब भी ये राज कर रहे थे, जब बाबर आया तब भी ये थे। आज भी आजादी के बाद सिर्फ ये सदन है, जिसमें हैं। चाहे कोई कानून आए, मैं आज यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों से ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई माई का लाल नहीं लड़ा जितना हम जिंदगी भर लड़े हैं। हमारे नेता जय प्रकाश लोहिया लड़े। आचार्य नरेंद्र देव, जय प्रकाश नारायण, राज नारायण, मधु लिम्ये, मधु दंडवते, कर्पुरी ठाकुर, अनवरत एक पीढ़ी है। यहां बाजू में जो लोग बैठे हैं, जिन्हें लोग कह रहे हैं कि ट्रेडर्स की पार्टी है, इनमें सैंकड़ों लोग हैं, इनके नेता पंडित दीन दयाल उपाध्याय का सबसे बड़ा नाम है। कबीर जी ने कहा है-

साई इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाय,

मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भुखा जाय।

ऐसे थे इनके नेता, जो अब चले गए। इस सदन में कांग्रेस पार्टी में एक से एक आदमी है और थे। आज भी अच्छे लोग हैं, मैं नहीं कहता कि सब लोग खराब हैं, सब नहीं खा रहे कुछ लोग हैं जो जेल में हैं और कुछ जाने वाले हैं। हमारी तरफ से भी कई लोग जेल में गए, उन्हें इसी सदन ने किया था। जब आप हमारे विरोध में थे तो जो हमारे पास जो गड़बड़ थे, उनको अंदर कराया। यह सदन है, भ्रष्टाचार में जितने लोग आज बंद हैं, इसी सदन के चलते हैं, राजनीतिक पार्टियों के चलते हैं। अब जो मामला लोकपाल का आएगा वह सिविल सोसाइटी के चलते है और हम उनका स्वागत करते हैं। हम जिस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं इसमें शरीक हो रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। सच और अच्छाई के लिए लड़ाई हमेशा अच्छी होती है, संघर्ष अच्छा होता है। लेकिन एक लगातार षडयंत्र चल रहा है कि राजनीतिक लोगों की साख को बर्बाद करो, तबाह करो, किनारे करो। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन राज करेगा यदि यूनियन को हटा दिया, साख को बिगाड़ दिया? कौन कहता है हमारी साख बिगड़ी है? हम हिन्दुस्तान के तीन इलाकों से चुने गए हैं। क्या कोई है जो हमारे इलाके में टोपी पहना दे? संजय निरुपम जी, आपने टोपी पहन ली। हम आपकी जगह होते तो सर कटा देते लेकिन टोपी नहीं पहनते। टोपी गांधी जी की है, बहुत अच्छी है हम उसे ले सकते हैं लेकिन कोई आदमी कहे, सीख दे और टोपी पहनाए तो मैं कहना चाहता हूं कि हम टोपी नहीं पहन सकते, हम तो भ्रष्टाचारियों को टोपी पहनाते रहे हैं, हम तो टोपी लगाते रहे हैं। मैंने अभी विस्तार से बताया कि कितनी टोपी पहनाई। इसी सदन में मुंदला कांड में टोपी पहनाई। इसी सदन में मालवी को टोपी पहनाई। चीथड़ा कांड में पहनाई। इससे पहले, चाहे इनके लक्ष्मण हों, चाहे राजा हों, सबको टोपी इसी सदन ने पहनाई, आपने पहनाई, हमने पहनाई। जो टोपी पहना रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एमपीज का घेराव करो, मैं उनके साथ लगातार हूं और मेरी पूरी सिम्पेथी है और मेरी यहीं से विनती है सारे देश में जितनी एमपीज की वार्तालाप लाइव है उसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, कोई आदमी जरा गड़बड़ करे तो पोल खुल जाती है।

अपराह्न 3.00 बजे

क्या और कोई इतना अकाउंटेबल है? हमारा तो सारा विवरण वेबसाइट पर पड़ा हुआ है कि हमारे पास कितनी सम्पत्ति और सम्पदा है। हमें हर बार चुनाव में जाना है। हो सकता है कि यह लोक सभा भंग हो जाए तो हमें दो साल धक्के खाने पड़ें। हमें पेड़, गाय और भैंस को नमस्कार करना है। इससे ज्यादा इंसान और समाज की मार खाने वाला दूसरा कोई आदमी दुनिया में नहीं है और यदि इससे छेड़खानी करके आगे बढ़ना चाहते हो तो हम ऐसा क्यों चाहेंगे, हम जनता के सामने हमेशा नतमस्तक हैं, उसे मालिक मानते हैं लेकिन यदि मान लो हमें आप यह कहो कि आप सब बेईमान हो तो श्री नारायणसामी जी यह सरकार का काम है, कौन बेईमान है, किसके ऊपर केस हैं, कितने राजनीतिक केस हैं, उनके विवरण जल्दी दो, नहीं तो देश में ऐसा संग्राम हो जायेगा, जिसका आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा। सीधी बात है कि आप उनके विवरण निकाल कर दो।

महोदय, हमारे ऊपर घड़ी चुराने का केस है। हमने अपनी जिंदगी में रुपया नहीं पकड़ा है। हमारे घर से हमें निकाल दिया। मैं ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहता। श्री मुलायम सिंह जी जानते हैं, हमने कितने तरह के संघर्ष किये हैं। हमारे पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी, हम पार्टी के ऑफिस में सोफासैट पर सोते थे। इन्होंने हमें एम.पी. बनाया। लेकिन आज कोई आदमी हमें टोपी पहनाने लगे कि तुम टोपी पहनो, टोपी हमारे पिता जी पहनते थे, जो आजादी की लड़ाई में गये। टोपी गांधी जी और इस देश के गांव के लोगों का प्रतीक है और महाराष्ट्र और वैस्टर्न यूपी में टोपी इज्जत और सम्मान की चीज है।

अपराह्न 3.03 बजे

*[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** पीठासीन हुए]*

हमारे पिता जी भी टोपी पहनते थे। लेकिन गांधी जी, जवाहर लाल नेहरू और सारे नेता...*(व्यवधान)* आप ऐसा क्यों मजाक उड़ा रहे हो, वह आपके मुंबई शहर में हैं, वहां हम लोग नहीं हैं, वहां क्या हालत है, इसलिए उसने टोपी पहन ली, कोई बात नहीं है। लेकिन वह यहां टोपी पहन कर नहीं चिल्लाये, यह अच्छा रहेगा। इसलिए उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अच्छा आप बदल गये हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आपको और थोड़ा टाइम दे दूंगा।

श्री शरद यादवः मेरे भाषण के दौरान आप जैसा तगड़ा सभापति आकर बैठ गया...*(व्यवधान)* मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार 63 वर्ष में इस देश को सबसे ज्यादा ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला सवाल है।

महोदय, हमारे यहां बिहार में एक आदमी अभी मुख्य मंत्री बना है। जितनी श्री अन्ना हजारे ने मांगे रखी हैं, वे सब हमने कानून में डाल दी हैं।...*(व्यवधान)* जो बिहार के लोगों को जानते हैं। मेरे पास समय नहीं है, अन्यथा मैं पढ़कर बताता कि बिहार में क्या-क्या कर दिया। जो सिविल सोसाइटी के लोग...*(व्यवधान)* यानी जो अफसर बेईमान हैं, उनकी सम्पत्ति जब्त हो जायेगी। सारी अदालतें बनाई गई हैं। स्कूल बन गये हैं...*(व्यवधान)* बड़ी मुश्किल है, दिल तो बहुत भरा हुआ है। हम बहुत पढ़े-लिखे आदमी नहीं हैं, लेकिन इस देश की नस-नस से वाकिफ हैं। हम उड़ती चिड़िया को पहचान सकते हैं। लेकिन क्या करें, समय नहीं मिलता है, इसलिए आपको भी तंग नहीं करेंगे।

जो संपूर्ण समाज है, उसमें वकील है, चाहे जज है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे दुकान चलाने वाले हैं, चाहे व्यापारी हैं, कार्पोरेट्स का तो गजब है, लोकपाल में कार्पोरेट्स का तो कोई जिक्र ही नहीं है।...*(व्यवधान)* एनजीओ का जिक्र नहीं है।...*(व्यवधान)* परसों मीडिया जब हमारे यहां आया था तो 20-25 कैमरे वाले थे। हमने उनसे कहा कि इन कैमरों को बाहर कर दो। फिर हमने उनसे बोल कर अपनी वेदना बताई कि आप सात दिन से हमारा बयान ले जा रहे हो, लेकिन कहीं भी दिखाते नहीं हैं।...*(व्यवधान)* अरे भाई! जब अकेला एक साज बजता है तो वह कान को फाड़ देता है। कई साज मिलकर बजते हैं तो फिर संगीत निकलता है। वह संगीत हिंदुस्तान का क्लासिकल संगीत है जो कई साजों के मेल से बनता है। इसी तरह से यह देश भी कई साजों से बनेगा। उस साज में यदि सबसे ज्यादा गाना गाने वाला है, मध्य में बैठने वाला है, चाहे सितार हो, गिटार हो या चाहे सरोद हों, वह यह पार्लियामेंट है। इसके आस-पास संगीत बज सकता है, अगर इससे बाहर बजेगा तो फिर फौज आएगी या कोई और आएगा। जो लोग रोज यह कह रहे हैं कि इनको हटाओ, इनको इनको निकालो, ये बेकार हैं, वे कोई तरीका बताएं। घेराव भी कर सकते हो, लेकिन वाजिब बात तो होनी चाहिए अब यदि पकोड़ी लाल का घेराव कर के क्या करना चाहते हैं? इसमें पकौड़ी लाल के जैसे 70 फीसदी लोग हैं। लोगों को नहीं मालूम है।...*(व्यवधान)* ये इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, यह पगड़ी वाला है, यह कैसे आया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः शरद यादव जी, आपने अपनी बातें बहुत अच्छे से कही हैं। कृपया समाप्त कीजिये।

[हिन्दी]

श्री शरद यादवः मैं तो आपके हम में ही बोल रहा हूं...*(व्यवधान)* रामचन्द्र डोम, ये डोम जिनको कोई छूता नहीं है। ये कभी आ सकते हैं? ये तो यहीं आते हैं इसलिए कोई कानून बने, इसको कोई न छूए। मान लो यदि यह बिगड़ गया तो देश को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा।...*(व्यवधान)* फौज तो आ नहीं सकती लेकिन बात बिगड़ेगी। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार खून में नहीं है, हड्डियों में है। अफसोस यह है कि आजादी के बाद भी है। भ्रष्टाचार का इलाज जरूर निकलना चाहिए, लेकिन संविधान और बाबा साहब का जो संतुलन है, उसके भीतर रख कर। उस संतुलन के भीतर चाहे जितना कड़ा कानून बनाइए। हमने बिहार में बनाया हुआ है, उसको मंगवा लीजिए। मध्य प्रदेश और पंजाब में है। अभी मैं रमन सिंह का बयान पढ़ रहा था, वे कह रहे थे कि वे लाएंगे। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मुझे कहा कि वे लाएंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिये।

[हिन्दी]

श्री शरद यादवः मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष जी, चले गए उनका भी धन्यवाद और आपका तो क्या कहना है। जय हो गोवा की, और जय हो आपकी भी।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब डॉ. रत्ना डे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया बैठ जाइये। मैं उनका नाम बुलाने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहानः सभापति जी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मैं आपका नाम बुला रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहानः सभापति जी...*(व्यवधान)*

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मैं उनका नाम बुला रहा हूं। कृपया बैठ जाईयें मैं उनका नाम बुला रहा हूं। आप बैठ जाइये।

श्री दारा सिंह चौहान, अब आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, सुबह से ही भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है। न जाने कितनी बार इस सदन में भ्रष्टाचार पर चर्चा हुई है। मैं देख रहा था कि खासकर दो बड़ी पार्टियां पक्ष और विपक्ष इस तरीके से आपस में भ्रष्टाचार को लेकर उद्वेलित थीं, ऐसा लगता था कि वे भ्रष्टाचार को हाईजैक कर लेंगी।

महोदय, भ्रष्टाचार आज पूरे देश में फैला हुआ है। भ्रष्टाचार की परिभाषा अलग-अलग तरीके से है। जो अन्याय है, जो गैर-बराबरी है, अन्याय भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जैसा अभी मेरे साथ हुआ। जो मेरा बोलने का हक था, वह मुझे नहीं मिल पाया।...*(व्यवधान)* मैं माननीय शरद जी की बात का समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: किसके द्वारा?? आपको भी बुलाया जाएगा। आप सभा में हैं। कृपया, कोई बात न करें। मैंने अन्य सदस्य को बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान: नहीं, नहीं, आपके लिए नहीं, दूसरी बात हो रही है। इस देश में भ्रष्टाचार केवल 2जी, सीडब्ल्यूजी का ही नहीं है। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी इस मुल्क में भ्रष्टाचार चला आ रहा है। यह भ्रष्टाचार की ही देन है कि आज यह देश दो भागों में विभाजित हो गया है। एक वह भारत जो गांवों में रहता है, जो गरीब है, मजलूम है, बेबस और लाचार है, वह भारत में रहता है और एक वह है, जिसे इंडिया कहते हैं। जो अमीर घराने के लोग हैं, जो बड़े-बड़े राजमहलों में रहते हैं, यह भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ने इस देश को दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ भारत है और एक तरफ इंडिया है। आज भ्रष्टाचार से अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित है, दुखित है तो वे भारत के लोग हैं, वे 80 फीसदी लोग हैं, जो गांव में बसते हैं उन्हें सबसे ज्यादा इंसाफ और न्याय की जरूरत है। चाहे कोई भी हो, चाहे किसी के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है तो बहुजन समाज पार्टी का उसमें पूरा समर्थन है। इसीलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* यह सब आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते हैं...*(व्यवधान)*

महोदय, किसी के बोलने पर अवरोध पैदा करना भी भ्रष्टाचार है। यह भी अन्याय है और इसी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में लड़ रही है। इस देश में गैर-बराबरी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का नाम है। आज मैं दल का नेता हूं। जो माननीय शरद जी कह रहे थे, वह सच्चाई है कि मैं जिस पिछड़े समाज का समाज का रहने वाला हूं, शायद मुझे देश की पार्लियामेंट में पहुंचने का मौका नहीं मिलता, अगर बाबा साहब का संविधान न होता, अगर बहुजन समाज पार्टी न होती।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें। कृपया उचित व्यवहार करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान: महोदय, आज भ्रष्टाचार से पूरे देश की व्यवस्था चरमरा गयी है। आज जो गांव का किसान है, जो गरीब है, वह खाने के लिए परेशान है ओर उसे रोटी नहीं मिलती है। इस दे में जो किसान हैं, जो बुनकर हैं या जो देश में आम लोग हैं, मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार ने आज इस दो भागों में बांट दिया है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि भ्रष्टाचार की आड़ में संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने संविधान को जो दस्तावेज हमें सौंपा है, सारे उपाय उन्होंने दिये हैं, लेकिन यह भी साजिश हो रही है उस संविधान को बदलने की, जिसमें गरीब को इंसाफ मिला है, बराबरी से जीने का हक-हकूक मिला है। इसलिए संविधान की जो मूल अवधारणा है और भ्रष्टाचार के नाम पर भ्रष्टाचार की आड़ में हम संविधान को बदलने और उसे बदलने की इजाजत कभी नहीं दे सकते। यहां हमारे पूर्व के वक्ता काफी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं समय का ध्यान रखना चाहता हूं चूंकि मुझे मीटिंग में भी जाना है। इसलिए मेरी अपील है कि आज आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कोई भी लोकपाल हो, अगर सर्वसम्मति से तय होता है तो बहुजन समाज पार्टी उस मजबूत लोकपाल के पक्ष में है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आज किसी पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का वक्त नहीं है। आज हम सारे लोगों को मिलकर इस पर ईमानदारी से सोचने की जरूरत है। देश की जनता जो भ्रष्टाचार से कराह रही है, पीड़ित है..।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): एक मजबूत लोकपाल बिल लाने के लिए यदि संविधान की मूल अवधारणाओं में भी कुछ बदलाव लाना पड़ता है तो क्या आपकी पार्टी उसके भी पक्ष में है?

श्री दारा सिंह चौहान: कतई नहीं है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि संविधान बदलने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती।...*(व्यवधान)*

सभापति जी, हम किसी पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। देश में आजादी से पहले भी जो भ्रष्टाचार के शिकार लोग थे, जो आज भी सबसे ज्यादा पीड़ित और उपेक्षित हैं, यह सही है कि जो सामाजिक भ्रष्टाचार इस देश में आजादी से पहले और अब तक है, उसको भी दूर करने का इस संसद को विचार करना चाहिए और गंभीरता से इस पर चर्चा करनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि आज हम सबको संसद में बिना किसी आरोप-प्रत्यारोप के गंभीरता से विचार करके इस भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय करने चाहिए। यह भी सही है कि इतनी बड़ी आबादी कैसा लोकपाल बिल चाहती है, कैसा लोकपाल बिल आएगा, मैं समझता हूं कि इस देश में दलित समाज बहुत बड़े पैमाने पर है। इस देश की आधी-चौथाई जनता का एक भी प्रतिनिधि उसमें नहीं है। पिछड़ा समाज जो देश की आधी आबादी है मुझे नहीं लगता कि उसकी इसमें कहीं चर्चा हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आर्थिक-सामाजिक भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो बिल में भी संतुलन को बनाए रखना होगा, तब जाकर इस देश से भ्रष्टाचार दूर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सभापति महोदय, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के विरूद्ध वर्तमान विरोध सामने आ रहे विभिन्न घोटालों के प्रति भारी आक्रोश को दर्शाता है। हमारे देश में आज समस्या यह है कि सरकार पर से लोगों का विश्वास समाप्त हो चुका है। एक अविश्वास की भावना पैदा हो गई यह भावना एक दिन अथवा एक वर्ष में विकसित नहीं होती। हम एक के बाद एक बड़ा घोटाला देख रहे हैं; यह कोई सामान्य घोटाला नहीं है।

आज नहीं, 2009 अथवा 2010 में नहीं बल्कि 2008 में जब 2जी घोटाला सामने आया था तो हमने प्रधानमंत्री को कई पत्र लिखकर बताया था कि किस प्रकार से अनिमितिताएं हो रही है और 2002 में अपनाई गई पहले आओ-पहले पाओ नीति के आधार पर कई कंपनियों को 2002 के मूल्य स्तर पर स्पैक्ट्रम किस प्रकार आबंटित किया जा रहा है, आवेदन जमा करने की तारीख भी अचानक किस प्रकार बदल दी गई तथा किस प्रकार कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री महोदया मंत्री महोदय को पत्र लिखा और मंत्री जी ने उन्हें उत्तर दिया। तब तत्कालीन वित्त मंत्री महोदय ने तत्कालीन दूरसंचार मंत्री श्री राजा जो इस समय जेल में हैं के साथ बैठक की। अत: सरकार को इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस मामले में अनियमितताएं हो रही हैं तथा प्रधानमंत्री महोदय को भी इस तथ्य की पूरी जानकारी थी कि इस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं।

जब लोगों को इस बात का पता चला कि देश को 1,76,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, तो प्रधानमंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया थी? उनकी प्रतिक्रिया इस प्रकार की थी कि मानो कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है अथवा राजस्व की कोई हानि ही नहीं हुई है। नए संचार मंत्री कपिल सिब्बल का कहना है कि लेखा में गड़बड़ी थी राजकोष को कोई नुकसान नहीं हुआ, उनकी प्रतिक्रिया ऐसी थी कि जैसे कोई घोटाला ही नहीं हुआ। जब हमने यह मामला उठाया, जब देश के लोगों ने यह मामला उठाया तो पूरे शीतकालीन सत्र में संसद एक दिन भी कार्य नहीं कर पायी। जब पूरा विपक्ष एक जुट होकर संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहा था तो सरकार का क्या उत्तर था? उसका उत्तर था कि जेपीसी की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत सी एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है। अंतत: सरकार को जेपीसी के गठन पर सहमत होना पड़ा।

राष्ट्रमंडल खेलों के मामले में, अचानक अनुमान बढ़ा दिया गया। मूल अनुपात 1,235 करोड़ रुपये का था, जिसे बाद में बढ़ाकर 16,000 करोड़ रुपये तथा फिर 70,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। क्या प्रधानमंत्री महोदय को इसकी जानकारी नहीं थी? उस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई जिसे स्वयं प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का दायित्व सौंपा था? उसे क्यों आजाद छोड़ दिया गया? इस मामले में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप तथा निदेश देने के बाद ही कार्यवाही की गई, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

केजी बेसिन डी6 के मामले में भी सरकार की ऐसी प्रतिक्रिया थी मानो कोई नुकसान ही न हुआ हो, जबकि विकास लागत में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। इसमें 100 गुणा बढ़ोत्तरी हुई। एनटीपी

सी की मूल कीमत पर 1.43 अमरीकी डालर की आपूर्ति की जानी थी तथा यह मूल्य बढ़ाकर 2.34 अमरीकी डालर कर दिया गया तथा विकास लागत 2.4 बिलियन से बढ़ाकर 8.65 बिलियन कर दी गई। अतः आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी बढ़ोत्तरी की गई। रिलायंस कंपनी को विकास लागत बढ़ाने की अनुमति दी गई तथा मंत्री समूह ने गैस की आपूर्ति के बढ़े हुए मूल्य को मंजूरी दी। इसके परिणामस्वरूप, आरआईएल को 40,000 करोड़ रुपये का अप्रत्याशित लाभ हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे देश में एक के बाद दूसरा इतने घोटाले क्यों हो रहे हैं? इसका अन्तर्निहित संबंध उस नीति से है, जिसे भारत सरकार ने 1991 में अपनाया था। 1991 में, हमने उदार आर्थिक नीति अपनाई थी। हमने देखा है कि जिस देश ने भी उदार आर्थिक नीति अपनाई है, वहां इतने बड़े घोटालों तथा भ्रष्टाचार हो रहा है।

1991 से पूर्व भी भ्रष्टाचार था। हम बोफोर्स तोप की खरीद के मामले में 67 करोड़ रुपये का घोटाला देख चुके हैं...*(व्यवधान)* इसके पश्चात् हमने दूरसंचार में भ्रष्टाचार देखा तथा 1993 में, जब हम श्री नरसिंहा राव सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए, क्योंकि वह अल्पमत में थे तब भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के छह संसद सदस्यों को एक पेट्रोल पंप तथा एक फ्लैट देने के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को 1-1 करोड़ रुपये की रिश्वत देकर हमारे अविश्वास प्रस्ताव को विफल किया था...*(व्यवधान)* इसके साथ ही भ्रष्टाचार की शुरूआत हुई और एक के बाद एक कई मामले सामने आए। इस भ्रष्टाचार के कारण तथा भारत सरकार द्वारा 1991 से अपनाई जा रही इस नव उदार आर्थिक नीति के कारण हमारे देश में संगठित पूंजीवाद विकसित हुआ। क्रोनी पूंजीवाद क्या है? कॉर्पोरेट घरानों/कॉर्पोरेट क्षेत्र को वोटों के बिना तथा धनराशि का निवेश किए बिना ही भारी मुनाफा होता है। यदि आप 1991 से पहले तथा 1991 के बाद काले धन में बढ़ोतरी की तुलना करें तो आप इसमें 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखेंगे।

कालेधन के संबंध में ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी (जीएफआई) ने कितनी धनराशि की जानकारी दी है? उसने बताया है कि हमारे देश की विदेशी बैंकों/कर अपवंचन देशों में 16 लाख करोड़ की राशि जमा हैं हमारे संसाधनों और लोगों को लूट कर विदेशी बैंकों में 16 लाख करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। यह लोगों का पैसा है और लोगों की परिसंपत्ति हैं यह 120 करोड़ लोगों की परिसंपत्ति है। उन्हें लोगों की परिसंपत्तियों को लूटाने की अनुमति दी गई और उन्होंने विदेशी बैंकों में अवैध रूप से भारी धनराशि जमा कर रखी है। हम यह मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके नाम क्यों नहीं बताना चाहती? इसमें समस्या क्या है? सरकार के पास उनके नाम हैं और वह उनके नाम जानती है। इसका क्या कारण हो सकता है? वह इन लोगों के नाम क्यों नहीं बता रही जिससे कि देश के लोगों को पता चले कि इस देश के नागरिकों के दुश्मन कौन हैं? वे इस देश के लोगों के शत्रु हैं।

हमारे देश की एक चौथाई जनसंख्या भूखे पेट सोती है। हमारे देश में भूखे लोगों की संख्या सबसे अधिक है। हम अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन प्रदान नहीं कर सकते, हम सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ नहीं कर सकते तथा रियायती दर पर उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा सकते क्योंकि सरकार का उत्तर है कि उसके पास इसके लिए धनराशि नहीं है। आज भारत धर्म अथवा जाति के आधार पर नहीं बंटा हुआ है, बल्कि भारत धनी और निर्धन के आधार पर बंटा हुआ है।

'भारत उदय' का एक पक्ष यह है कि-10 प्रतिशत जनसंख्या ने बहुत सा धन जमा कर लिया है और दूसरी ओर 80 प्रतिशत लोगों का केवल 20 रुपये प्रतिदिन पर निर्भर रहना पड़ता है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह इस समिति की रिपोर्ट है, जिसका गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, तथा जिसके अध्यक्ष डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता थे। अपनी पिछली रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 63 वर्ष के बाद भी हमारे देश की 77 जनसंख्या को केवल 20 रुपये पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यदि ऐसी स्थिति है तो लोग इस सरकार में विश्वास कैसे रखेंगे? यदि सरकार यह सब कुछ जानते हुए भी कि यह सबकुछ हो रहा है कोई कार्रवाई नहीं करती है तो क्या किया जाए?

22 जुलाई 2008 को जो कुछ हुआ उसे हमने देखा है। दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण ही पुलिस बहुत सक्रिय हुई और उन्होंने ऐसे दो लोगों को गिरफ्तार किया जो विश्वास मत जितने के लिए संसद सदस्यों को रिश्वत देने में संलिप्त थे। महोदय, देश सरकार से ऊपर है। उन्होंने सरकार बचाने के लिए संसद सदस्यों को रिश्वत देने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में हमारे देश के संसदीय लोकतंत्र क्या होगा?

महोदय आज हमारे समक्ष चुनावों में धन बल का प्रयोग एक दूसरी समस्या है। एक दिन ऐसा आयेगा जब गरीब लोग चुनाव नहीं लड़ पायेंगे और लोकतंत्र संकुचित हो जाएगा। आज आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। विधान सभा का एक चुनाव लड़ने के लिए यदि एक आदमी को 10 या 15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो गरीब आदमी चुनाव कैसे लड़ सकता है? इस पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है और चुनाव सुधारों की आवश्यकता है। चनुाव के लिए सरकारी धन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। आपने राजनीतिक दलों को कंपनियों द्वारा दिये जाने वाले दान को भी वैध बना दिया है। आप इसे काम निधि बताकर क्यों नहीं रोक सकते? चुनावों के लिए सरकारी वित्त पोषण शुरू

करने के लिए वे उम्मीदवारों को निधि उपलब्ध करवा रहे हैं। कई बार हमने कहा है कि लोकपाल की जरूरत है। हम केवल लोकपाल ही नहीं बल्कि एक सशक्त और प्रभावी लोकपाल की मांग 1986 से कर रहे हैं। इस सरकार का इरादा क्या है? प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। हम भी उसमें उपस्थित हुए। हमने सुझाव दिए। मैं जानना चाहता हूं क्या उस बैठक का कोई सुझाव उस मौजूदा प्रारूप में शामिल किया गया है जिसे इस सदन में पेश किया गया है। विधेयक में एक भी सुझाव स्वीकार या शामिल नहीं किया गया है। हमें न केवल लोकपाल की जरूरत है बल्कि एक ऐसे लोकपाल की जरूरत है जो भ्रष्टाचार को प्रभावी और सशक्त नियंत्रित कर सके। यही कारण है कि हमने इसकी मांग की है। लोकपाल की परिधि में प्रधानमंत्री को शामिल क्यों नहीं किया जाना चाहिए? अब वे इस पर सहमत हो गये हैं लेकिन शुरू में वे सहमत नहीं थे। हम यह भी ध्यान में लाये हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। भारतीय संसद के इतिहास में, पहलीबार 1993 में हमारे सदन में कोई दूसरे सदन में अभियोग प्रस्ताव पास हुआ था। हम भ्रष्ट न्यायधीश के विरूध अभियोग प्रस्ताव लाये लेकिन हम प्रस्ताव पास नहीं कर सके क्योंकि सत्तारूढ़ दल के सदस्य अनुपस्थित रहे।

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्यः लोकपाल के साथ-साथ राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की भी आवश्यकता है। न्यायिक उत्तरदायित्व विधेयक आने वाला है। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन भी शामिल होना चाहिए। हमारा सुझाव है कि आज न्यायधीशों की नियुक्ति जजों के कालेजियम किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग भ्रष्टाचार के अनेक मामलों की जांच करेगा और वे न्यायधीशों की नियुक्ति की भी जिम्मेदारी लेगे। इस सरकार की नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। यह ऐसी नयी उदार नीति है जिसमें इस देश में मित्र पूंजीवाद (कौनी कैपीटलिज्म) विकसित किया जा रहा है और प्रधान मंत्री महोदय ने भी इस प्रकार के पूंजीवाद को ठीक किया है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। इस प्रकार की विचारधारा को रोके जाने की आवश्यकता है।

मैं गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक कविता का उल्लेख करके अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। हमने 8 अगस्त 2011 को उनकी पूण्यतिथि मनायी। जूते के आविष्कार पर एक कविता है। जूतें का आविष्कार किस प्रकार हुआ? एक राजा अपने पैरों की सुरक्षा चाहता था। उसने अपने मंत्रियों की एक बैठक बुलायी। मंत्री आये और उन्होंने घंटो विचार-विमर्श किया लेकिन वे इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाये। फिर उसने उस राज्य के सभी विद्वानों को बुलाया। वे आये और उन्होंने सुझाव दिया कि धूल हटा दो। तो धूल हटाना शुरू कर दिया गया। इससे पूरा शहर धूल से ढक गया। दिन में दोपहर को ही रात हो गयी। राजा नाराज हो गया। लेकिन एक मामूली सा मोची वहां आया और उसने कहा "आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? अच्छा होगा कि यदि आप अपने पैर चमड़े से ढक ले।"। इस सरकार की नीतियों के कारण कीमतों में वृद्धि हो रही है। इस सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के कारण हर जगह भ्रष्टाचार है। बेरोजगारी है, गरीबी है, भूखमरी है, कृषि क्षेत्र में संकट है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस समस्या को हल करने के लिए इस देश की जनता तय करेगी कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। जैसे मोची ने राजा को पैर ढकने का सुझाव दिया उसी प्रकार मैं आशा कतरा हूं कि जनता इस सरकार के बारे में निर्णय लेगी जो भ्रष्टाचार, महंगाई, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी के लिए जिम्मेदार हैं।

डॉ. रत्ना डे (हुगली): महोदय, हम तृणमूल कांग्रेस के सदस्य भ्रष्टाचार का पूर्णतः विरोध करते हैं। हमारा उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। सरकार को भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े उपाय करने चाहिए। ये आरोप सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे अच्छे कार्यो का महत्व कम कर रहे हैं।

हमें भ्रष्टाचार के इस महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे से फायदा उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए इससे विश्व में हमारे देश की छवि और खराब होगी। हम भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में आपके साथ हैं। इस बारे में दो मत नहीं हो सकते हैं। भले ही हमारी सोच अलग हो कसती है परंतु दोनों पार्टियों के विचार एक जैसे हैं। हमें इस सच्चाई से दूर नहीं भागना चाहिए।

हमारी नेता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कुमारी ममता बनर्जी की ओर से मैं पुरजोर आग्रह करती हूं कि सरकार को भ्रष्टाचार जो कि हमारे देश के महत्वपूर्ण अंगों को खोखला कर रहा है से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ निपटना चाहिए।

काले धन की समस्या से कड़ाई से निपटा जाए। यदि हम सत्तापक्ष तथा विपक्ष एक दूसरे के साथ सहयोग करें तो किसी अन्य व्यक्ति को हमारे संसदीय कार्यकरण में हस्तक्षेप करने और भ्रष्टाचार को दूर करने के तरीके के बारे में आदेश देने की जरूरत नहीं होगी। हमें इस पर विचार करना चाहिए और तदनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

अंत में मैं इस सभा के सभी सदस्यों से आग्रह करती हूं कि हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने

के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि हम अपनी व्यवस्था से इसे पूर्णतया मिटा सकें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, को धन्यवाद देती हूं। वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, मैं यहां पर एक बहुत ही जटिल मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो कि छह दशकों से भी अधिक समय से इस देश को परेशान कर रहा है। शायद इस चर्चा की शुरूआत का कारण श्री अन्ना हजारे को मिल रहा जनसमर्थन है जो कि दिन-प्रतिदिन तेजी से बढ़ता जा रहा है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि एक संस्था के रूप में लोकपाल के गठन से भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी, तथापि इससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। व्यवस्था में सुधार लाने के लिए शासन पद्धति और प्रक्रियाओं की व्यापक पुनर्संरचना किए जाने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि "सीमित संसाधनों के आबंटन में सरकार के विवेकाधिकार के कारण कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार हुआ है" विवेकाधिकार को कम करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को यथासंभव पारदर्शी बनाने के लिए सरकारी प्रक्रिया में पूर्ण रूप से सुधार करने की आवश्यकता है बेहतर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आयोग का अनुकरण करना चाहिए जिसने अपने खरीद संबंधी कानून के पूर्ववर्ती मण्डल में हाल ही में संशोधन किया है।

यह सरकार आज जिस सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है वह यह नहीं है कि वह भ्रष्ट है। परंतु लोग लंबे समय से भ्रष्टाचार को देख रहे हैं। सबसे बड़ा संकट यह नहीं है कि सरकार प्रशासन नहीं चल सकती है। दशकों से जनता प्रशासन के अभाव में रही है। अब सबसे बड़ा संकट यह है कि जब सरकार कोई बात दावे के साथ कहती है तो लोग यह नहीं समझ पाते कि किस पर विश्वास किया जाए। आज सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का है। यदि इसे सहजता से अविश्वसनीय माना जाता है तो इससे स्वयं सरकार पर आरोप लगता है। इस विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? आप जनता का विश्वास कैसे प्राप्त करेंगे? आज हमारे समक्ष यह सबसे बड़ा प्रश्न है।

मुझे यहां पर यह उल्लेख करने की अनुमति दी जाए कि लोक लेखा समिति एक ऐसी संस्था है जो संसदीय लोकतंत्र की सहमति से कार्य करने के तरीके को दर्शाती है। स्वतंत्र भारत में उन लोगों जिनके मन में तानाशाही की यादें अभी भी कायम हैं, को यह दिखाने की परिपाटी रही है कि लोकतंत्र में सत्तापक्ष विपक्ष को अपना शत्रु नहीं मानता है बल्कि उसे शासन में अपना भागीदार और एक संभावित उत्तराधिकारी मानता है। परंतु, इस संस्था की पहले कभी इतनी अधिक बदनामी नहीं हुई जितनी कि हाल ही में हुई है। इस बात को समझना कठिन है कि सत्तारूढ़ गठबंधन को इस रवैये से क्या मिला परंतु संस्था को बहुत नुकसान हुआ है।

यदि पीएसी का एजेंडा 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले में दोषियों को सजा दिलाना है तो कुछ लोग रिपोर्ट में बाधा पैदा करने पर क्यों तुले हैं? पीएसी और जेपीसी एक मामले पर कार्रवाई कर रही है और उनकी मंशा दोषी को पकड़ कर सजा दिलाने की है तो आशंका क्यों होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे के उद्देश्यों के विपरीत कार्य क्यों कर रही हैं?

काले धन का मुद्दा भी एक चिंता का विषय है जिस पर बहुत अधिक सार्वजनिक बहस हुई है हालांकि बहुत से लोग इसके बारे में बहुत कम समझते हैं। इस आर्थिक अपराध में संलिप्त विभिन्न तत्वों पर अभी रहस्य बरकरार है। आर्थिक सुधारों के बाद इस देश के शासन में आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन को प्राथमिकता नहीं दी गई है।

सरकार का रवैया बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रति काफी नरम रहा है। कानून को लागू करने वाली एजेंसियों को लगातार यह संकेत दिया जा रहा है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि कानून को लागू करने से विकास में बाधा न आए।

उदाहरण के लिए बीसीसीआई और आईपीएल का मुद्दा लें। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने इस माह की 2 तारीख को इस सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। हममें से कितने सदस्यों ने इसका अध्ययन किया है? क्या इस पर मीडिया का ध्यान गया है? क्या मुझे इस बात को इस प्रकार कहना चाहिए-इस पर मीडिया या जनता या समाज के उच्च वर्गों का ध्यान क्यों नहीं गया? क्या यह सत्य नहीं है कि आर्थिक कानूनों को लागू करने वाली एजेंसिया-आयकर विभाग, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशालय, आरबीआई या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को कानून के कड़ाई से लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है? वे इसे कैसे बरदाश्त करती रही हैं? उन्होंने सरकारी खजाने की कीमत पर से विगत तीन आईपीएल किए गए गलत कार्यों को क्यों बरदाश्त किया है? प्रतिवेदन इस सभा की संपत्ति है।

मैं "ट्रकिंग ऑपरेशंस इन इंडिया" के संबंध में चार वर्ष पूर्व वर्ष 2007 में किए गए 'ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल स्टडीज' का उल्लेख

करते हुए दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एक ट्रक ने एक वर्ष में लगभग एक लाख किलोमीटर की दूरी तय की और एक वर्ष के दौरान उसे विभिन्न विभागों को रिश्वत के रूप में 70 पैसे प्रति कि.मी. अथवा 79,220 रुपये देने पड़े।

विदेश में जमा काले धन के मुद्दे से सभी अवगत हैं। लिचेटेंसटाइन में जमा धन के संबंध में जो बात सामने आई है वह बड़ी दुखदायी है परंतु यह 'ऊंट के मुंह में जीरा' लोकोक्ति जैसा है। भ्रष्टाचार हमारी राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंगों को खोखला कर रहा है। कोई भी संस्थान इससे अछूता नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भ्रष्टाचार के बारे में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी विचलित करने वाली है। ये सभी रिकार्ड में हैं। उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका में अत्यधिक सुधार किया जाना अनिवार्य हो गया है इस सभा में प्रस्तुत मानक और जवाबदेही विधेयक का स्वागत योग्य है परंतु इसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और दोषारोपण को रोका जाये।

हम दशकों से देख रहे हैं कि भ्रष्ट लोग सरकारी खजाने को लूट रहे हें। अब व्यवस्था में सुधार करने का समय आ गया है। मुझे याद है कि 50 वर्ष पूर्व 1961 में श्री अशोक मेहता, एक प्रसिद्ध समाजवादी नेता ने एक ज्ञानप्रद पुस्तक प्रकाशित की थी तब वे कांग्रेस में शामिल हो गये थे। इस पुस्तक के मध्य में लिखी उसकी 2-3 पंक्तियां मुझे स्पष्ट रूप से याद हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि कोई भी व्यक्ति कॉर्पोरेट घरानों से कोई पैसा नहीं लेगा परंतु यह सरकारी धन को इस्तेमाल करने का सर्वोत्तम तरीका है ताकि हमारी पार्टी चलती रहे। आज हमारा पत्तन हो चुका है। इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार की अधिक भूमिका की आवश्यकता नहीं है, अपितु एक कम व्यक्तियों वाली संस्था से भी यह काम किया जा सकता है। मैं लाइसेंस राज के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन इसका यह भी तात्पर्य नहीं है कि सरकार को कानून को लागू करने से पीछे हट जाना चाहिए। पिछले दो दशकों में जब भ्रष्टाचार में असाधारण वृद्धि हुई और एक के बाद दूसरे घोटालों में बड़ी-बड़ी हस्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई तो यह स्वाभाविक प्रश्न लोगों के दिमाग में उठने लगा कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधान दोषी व्यक्ति को सजा देने के लिए पर्याप्त हैं और क्या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों में इच्छा शक्ति की कमी है? जहां तक सीबीसी के सृजत संबंध हैं। एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई थी जिसका मैं भी एक सदस्य था। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि जैन हवाला मामले के फैसले में उच्चतम-न्यायालय के निदेश के बाद सीबीआई के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने हेतु सीवीसी पद को सृजन के बाद भी भ्रष्टाचार के मामलों निपटने में सीबीआई की क्षमता के संबंध में जनता का विश्वास बहाल नहीं हुआ। मेरे विचार से दस वर्षों से अधिक समय से विचारण न्यायालयों में लंबित सीबीआई के लगभग 2400 मामलों की समीक्षा करने हेतु जीओएम का गठन किया है। क्या आप उनमें दोष सिद्धि की उम्मीद करते हैं? यदि नहीं, तो क्या आप उन मामलों को वापस लेने जा रहे हैं? क्या आप उनकी समीक्षा करने जा रहे हैं और यह पता लगाने जा रहे हैं कि क्या उनमें दोष सिद्धि संभव है? यह आवश्यक है कि हमें इन पहलुओं पर विचार करना चाहिए।

यहां मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि उड़ीसा सरकार ने पहले ही लोकपाल कानून बना दिया है और जब भी सरकार का कोई अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है और उसकी नीलामी की जाती है। बिहार द्वारा इस कानून को लागू करने से पांच वर्ष पूर्व उड़ीसा ने इसे लागू किया था। बीजद सरकार पिछले 11 वर्षों से जिहाद की तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं विदुर नीति का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि यहां पर उपस्थित लोगों में से अधिकांश को यह मालूम होगा कि व्यास जी ने महाभारत में क्या लिखा है। उन्होंने भ्रष्टचार के बारे में लिखा क्योंकि वह धृतराष्ट्र के दरबार में मंत्री थे। महाभारत में उन्होंने कहा है कि किसी शासक की कार्रवाई के निर्णय की परख उसके परिणामों से होती हैं यदि इससे लोगों को फायदा होता है तो यह धर्म का कार्य है और यदि इससे लोगों को नुकसान पहुंचता है तो यह अधर्म है। हमें इसी मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है जिससे लोगों का नुकसान होता है वह अधर्म है। आज भ्रष्टाचार से इस देश के अधिकांश लोगों का नुकसान हो रहा है और इसलिए यह अधर्म है इसका हमें समूल नाश करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): सभापति महोदय, धन्यवाद। हम भ्रष्टाचार से उत्पन्न समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर न केवल हजारों अपितु लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पिछले आठ दिनों ने समस्त देश को हिला दिया है। इस घटना की पृष्ठभूमि में ही हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।

अपराह्न 3.59 बजे

[श्री सतपाल महाराज पीठासीन हुए]

महोदय, आज हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह किसी एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। यह राजनीति, कार्यपालिका, औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा खेलकूद, लोक सेवा, न्यायपालिका में व्याप्त है और यह कहां व्याप्त नहीं है! यह हर जगह व्याप्त है। यह हर क्षेत्रों में विद्यमान है। लोग इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और स्थिति यह हो गई है कि हमें मजबूर होकर इस मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ रही है। लोगों का उत्तरोत्तर आने वाली सरकारों पर से विश्वास उठ गया है। राजनीतिक दलों को सिविल सोसायटी अथवा इसका जो भी नाम हो, के नाम पर कार्रवाई करनी पड़ी है। प्रश्न यह नहीं है। जन लोकपाल विधेयक में क्या है?

अपराह्न 4.00 बजे

लोकपाल विधेयक में क्या है? मुद्दा भ्रष्टाचार का है। लोग आंदोलन कर रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं ताकि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जा सके और लोकपाल विधेयक अधिनियमित किया जा सके। यह लोकपाल सशक्त और प्रभावी होना चाहिए। संस्कृत में यह कहा गया है "कि त्वया क्रियते धेन्वा, या न सुते न दुग्धते।" उस गाय का क्या फायदा जो बछड़े को जन्मन दे अथवा दूध न दे? अत: ऐसे लोकपाल विधेयक की क्या आवश्यकता जो प्रभावी नहीं है? क्या वह निवारक का कार्य करेगा? इसलिए लोग यह समझते हैं कि इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिए। यह केवल दिखाने के लिए ही नहीं अपितु यह प्रभावी होना चाहिए जो कि निवारक के रूप में कार्य कर सके। लोगों का रवैया ऐसा होना चाहिए। इसलिए प्रश्न यह है कि देश में अनेक कानून है परंतु वे इतने प्रभावी नहीं हैं। यह सब जनता के समक्ष है। हमारे पास सीवीसी है। हमें मालूम है सीवीसी की नियुक्ति के बारे में क्या स्थिति है, हमारे पास सीबीआई है। यह कैसे पंगु है? हमारे पास सीआरपीसी, आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीसीएस कन्डक्ट रूल्स है तथा इसी तरह के और भी कानून हैं। परन्तु इन सभी कानूनों का एक सख्त निवारक को बनाने में कोई सरोकार नहीं है। इसलिये, लोगों का इस प्रकार के विधानों, अधिनियमों, सरकारों के कार्य निष्पादन में तथा राजनैतिक दलों की भूमिका में विश्वास नहीं रहा है।

मैं घोटालों का विवरण देने नहीं जा रहा हूं। इनके बारे में पहले ही मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं द्वारा पर्याप्त रूप से विवरण दिया गया है। हमारे देश तथा सोसाइटी में अनेक घोटाले हो रहे हैं संपूर्ण देश को इन सभी घोटालों के बारे में जानकारी है जैसे कि एलआईसी शेयरों का मुंधरा स्कैन्डल, चारा घोटाला, बोफोर्स घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला, लाखुभाई पाक धोखाधड़ी स्कैन्डल, केतन पारिख स्कैन्डल, अब्दुल करीम तेलगी स्कैन्डल तथा अब 2जी स्पेक्ट्रम, सी.डब्ल्यू.जी., आदर्श हाऊसिंग सोसाइटी, अबासनध के.जी बेसिन तथा अन्य घोटाले। लोग यह सोच रहे हैं कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। मंत्रियों तथा पूर्व मंत्रियों को जेल भेजा गया हैं वे जेल में हैं परन्तु इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने यह कहा है कि उनका इससे कोई सरोकार है तथा यह गठबंधन की सरकार है। वे न केवल किसी विशेष दल के गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं परन्तु वे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें स्थिति से निपटना होगा तथा उन्हें कुछ सिद्धांतों के आधार पर उत्तर देना होगा। उनकी सरकार एक गठबंधन सरकार है इसलिए उनका यह कहना उचित नहीं है। इससे कोई सरोकार नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री जी द्वारा दिये गये इस प्रकार के उत्तर ने आम लोगों को निराश किया है।

मेरा यह कहना है कि ऐसी स्थिति में सरकार एक विधेयक ला रही है तथा एक अन्य विधेयक पर पहले ही संसद के बाहर चर्चा की गई है। मैं नहीं जानता हूं कि दो दिन की सर्वदलीय बैठक का क्या परिणाम निकलेगा। उसके बाद क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी तथा प्रधानमंत्री स्वयं क्या वक्तव्य देंगे? परंतु मेरा यह कहना है कि यह कानून कितना भी सख्त अथवा प्रभावी हो यह भ्रष्टाचार को रोकने के लिये पर्याप्त नहीं है। हमारे देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये यह रामबाण नहीं है। यह प्रत्येक क्षेत्र में रामबाण नहीं है।

अत:, हमें इस दिशा में किस प्रकार शुरूआत करनी चाहिये? इस बारे में कौन मिसाल कायम करेगा? संसद को राष्ट्र के समक्ष मिसाल कायम करनी चाहिये। सरकार को जीरो टालरेन्स के आधार पर मिसाल कायम करने हेतु साहस के साथ सामने आना चाहिये तथा यह कहना चाहिये कि वह ऐसा नहीं होने देगी। हमारे माननीय नेता श्री बसुदेव आचार्य ने श्री रबिन्द्रनाथ टैगोर का उल्लेख किया तथा मैं भी श्री रविन्द्रनाथ टैगोर का उल्लेख कर रहा हूं। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कहा है:

"अन्याय जो करे, और अन्याय जो सहे, ताबो घृन्ना तारे जेनो, तिनो समोदये"

जो लोग पाप करते हैं तथा गलत काम करते हैं तथा जो लोग पाप को सहन करते हैं दोनों ही एक जैसे हैं। अत:, संसद को कानून बनाना चाहिये। संसद को मिसाल कायम करनी चाहिये।

आज, मैं शुरू किये गये वाद-विवाद तथा सत्तापक्ष तथा विपक्ष दोनों के सदस्यों द्वारा दिये गये तर्क से बहुत ही निराश हूं। वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कौन कम भ्रष्ट है। ऐसी स्थिति

नहीं होनी चाहिये। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार परेशानी में है। सरकार को राष्ट्र के समक्ष एक मिसाल कायम करनी चाहिये तथा यह दर्शाना चाहिये कि वह भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी। मंत्रिमंडल तथा गठबंधन में जो लोग भ्रष्ट हैं उन्हें सरकार से बाहर कर देना चाहिये। अन्यथा, लोगों का सरकार पर विश्वास नहीं रहेगा। अतः, अनुशासन होना चाहिये तथा उपाय किये जाने चाहिये।

मेरे विचार से जब वह विधेयक सभा में पेश किया जाएगा तब उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी। हम उसका सावधानीपूर्वक अध्ययन करेंगे तथा उस पर चर्चा करेंगे। परन्तु आज सरकार को सबके सामने अपनी गलतियों को मानना चाहिये। सरकार में शामिल लोगों को ऐसे वक्तव्य देने बंद करने चाहिए जो लोगों को भ्रमित अथवा निराश करने वाले हों।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे चर्चा में भाग लेने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 4.07 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

29वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 29वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 4.08 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण जो सदस्य अपने भाषाणों को सभा पटल पर रखना चाहते हैं, उन्हें अपने भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है।

***श्री शेर सिंह घुबाया** (फिरोजपुर): माननीय सभापति महोदय, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे अनुमति देने के लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 64 वर्ष बीत गये हैं। यद्यपि, अंग्रेजों ने अपने निहित स्वार्थों के लिये भारत में भ्रष्टाचार के बीज बोये थे फिर भी हम इस बुराई को दूर नहीं कर पाए हैं। उपनिवेशी देश उन भारतीय लोगों, जिन्होंने उनकी मदद की थी, को पुरस्कार दिया करता था। अंग्रेजों द्वारा ऐसे लोगों को जमीन दी गयी तथा अन्य फायदे पहुंचाये गये। वह भी भ्रष्टाचार का एक रूप था, यद्यपि वह एक अलग तरह का भ्रष्टाचार था।

महोदय, स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने ब्रिटिश दासता से छुटकारा पाने हेतु लड़ाई लड़ी थी उन्होंने एक स्वच्छ एवं भ्रष्टाचार-मुक्त भारत का सपना देखा था। उन्होंने यह सोचा था कि स्वतंत्र भारत में कानून सर्वोपरि होगा तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान रूप से व्यवहार किया जायेगा। तथापि, सरकारों ने शहीदों तथा स्वतंत्रता सेनानियों की अच्छी भावनाओं की उपेक्षा की। अंततः, देश में अत्यधिक भ्रष्टाचार फैल गया।

महोदय, खाद्यान्नों की कमी के दौरान देश को संकट से उबारने के लिये पंजाब जैसे राज्य ने हरित क्रांति का सूत्रपात किया। तथापि, ऐसे राज्यों को प्रोत्साहित करने की बजाए केन्द्र द्वारा उनकी पूर्णतया उपेक्षा की गई तथा ऐसे राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। केन्द्र द्वारा प्रति की गई उपेक्षा तथा अन्याय के कारण पंजाब जो कि धान्य बहुल राज्य है, दयनीय स्थिति में है। समय के अभाव के कारण मैं इस विषय पर विस्तारपूर्वक नहीं बोलना चाहता हूं।

महोदय, इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने विभिन्न घोटालों पर प्रकाश डाला है जिन्होंने राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया जैसे बोफोर्स घोटाला, चारा घोटाला, 1,75,000 करोड़ रुपये का सीडब्ल्यूजी घोटाला आदि। अतः इस पर विचार विमर्श करना जरूरी है कि इस समस्या को जड़ से किस प्रकार समाप्त किया जाये। भ्रष्टाचार हमारे देश को खोखला कर रहा है। यह समस्या गहरे तक जड़ जमा चुकी है और आने वाली पीढ़ियों को इसका परिणाम झेलना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि हम इस समस्या का शीघ्र निदान करें।

महोदय, श्री अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन शुरू किया है। वे देश में एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी कानून की मांग कर रहे हैं और इसलिये वे आमरण अनशन पर बैठे हैं पूरा देश उनका समर्थन कर रहा है। विदेशों में बसे भारतीय और पंजाबी उनके भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल हो गये हैं और वे श्री अन्ना हजारे को पूरा समर्थन दे रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त करें और जनता की इच्छाओं के अनुरूप मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी कानून तैयार करें।

महोदय, संसद भ्रष्टाचार रोकने के लिये एक मजबूत विधान

*मूलतः पंजाबी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

बनाने में पूरी तरह सक्षम है। दोषी व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिये। उनके विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जानी चाहिये। दुर्भाग्यवश जो बड़े लोग इन घोटालों में शामिल हैं उनके पास सत्ता है। इन दागी लोगों का सिक्का चल रहा है और वे आजाद घूम रहे हैं जबकि गरीब लोगों को छोटी-छोटी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ती है। राजा और कलमाड़ी जैसे कुछ ही दागी नेता गिरफ्तार किए गये हैं नहीं तो कानून की मार गरीब लोगों पर पड़ रही है। ऐसे पक्षपात से भ्रष्टाचार और पनपता है। महोदय कृपया मुझे थोड़ा और समय दें।

सभापति महोदय: अनेक माननीय सदस्य अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री शेर सिंह घुबाया: महोदय, पंजाब जैसे राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यद्यपि पंजाब ने कई बार अतिरिक्त खाद्यान्नों का उत्पादन कर पूरे देश को उबारा है। फिर भी केन्द्र सरकार का व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं है। केन्द्र सरकार और भारतीय खाद्य निगम पंजाब से समय पर खाद्यान्न नहीं खरीदते जिस वजह से अनाज सड़ने लगता है और किसानों की कठिनाइयां बढ़ती है। अधिक मूल्यों पर खाद्यान्नों का आयात कर सरकार उनके प्रति और अन्याय करती है। हमने कई बार यह मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठाया है पर इसका कोई लाभ नहीं हुआ। सरकार ने इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

महोदय, आरक्षण के मुद्दे ने भी भारत की जनता को आंदोलित किया है। संविधान के निर्माता बाबा साहिब भीम राव अम्बेडकर ने समाज के कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण का प्रावधान किया था। तथापि आरक्षण की नीति का उपयुक्त कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। अजा/अजजा के लिये विभिन्न नौकरियों में आरक्षित सीटों को अनारक्षित कर दिया जाता है और सीट सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को दे दी जाती है। यह एक और प्रकार का भ्रष्टाचार है जो देश में व्याप्त है।

महोदय, भोपाल गैस त्रासदी और 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को कोई सुविधा नहीं दी गई है। 1984 के दंगों और नियोजित ढंग से सिखों की हत्या करने के लिये किसी को सजा नहीं दी गई है। हत्यारे आजाद घूम रहे हैं। यह सिक्खों के प्रति घोर अन्याय है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री शेर सिंह घुबाया: इसलिये यह आवश्यक है कि हमारे राजनेता परिस्थिति का सामना करें और आत्मचिंतन करें। सरकार को इस देश की जनता को न्याय और समान अवसर प्रदान करने चाहिये।

सभापति महोदय: महोदय, कृपया समाप्त करें।

श्री शेर सिंह घुबाया: महोदय, पंजाब ने एक सर्विस एक्ट पारित किया हैं बिहार ने भी ऐसा ही अधिनियम पारित किया है। मैं सभी राज्यों से ऐसा ही कानून पारित करने और लागू करने का आग्रह करता हूं।

महोदय सरकार लोकपाल विधेयक पारित करना चाहती है किन्तु इसके उपबंधों को और मजबूत बनाना चाहिये और नाराज जनता की मांगों को देखते हुए सरकार को इस विधेयक में कई और प्रावधान जोड़ने चाहिये ताकि इस विधेयक को और सख्त बनाया जा सके।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री शेर सिंह घुबाया: महोदय मनरेगा और मध्याह्न भोजन योजना जैसी केन्द्र द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अमीर और अमीर हो रहे हैं जबकि गरीब हौर गरीब हो रहे हैं। महोदय, इस स्थिति के लिये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। अत: जनता ने श्री अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरूद्ध आंदोलन शुरू किया है। यदि सरकार भ्रष्टाचार हटाने में सफल नहीं रहती तो इसे हजारों अन्ना हजारे का आक्रोश झेलना पड़ेगा।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री शेर सिंह घुबाया: महोदय, ऐसा लगता है सरकार गहरी नींद में थी। श्री अन्ना हजारे के जन आंदोलन ने इसे नींद से जगा दिया है। सरकार को एक सख्त भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाना चाहिये। महोदय, पंजाब के साथ भी न्याय किया जाना चाहिये। इसकी उचित मांगे पूरी की जानी चाहिये।

[हिन्दी]

***डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा): महोदय, हमारे देश की जो समस्या है इनमें भ्रष्टाचार प्रमुख है। आजादी के बाद हमारे देश में राम राज्य की एवं कल्याण राज्य की कल्पनाएं की गई थीं वो आज नजर नहीं आती । देश का आम आदमी दुखी व परेशान है। अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और चौड़ी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हो रही है। आज ऐसी मान्यता बन गई है कि बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। पूरा देश आज भ्रष्टाचार से ग्रस्त है।

भ्रष्टाचार भी दो प्रकार के होते हैं मेगा करप्शन और मिनी करप्शन। सरकारी खाजने में से पदाधिकारियों व अधिकारियों द्वारा जो बड़ी लूट हो रही है, जिसे लिखने में भी दिक्कत होती है कि संख्या के पीछे कितने शून्य लगाए जाए, ऐसे बड़े घोटाले, जैसे कि 2जी सपेक्ट्रम, सीडब्ल्यूजी का घोटाला और एयर इंडिया का घोटाला, ये सब मेगा-करप्शन हैं, इसमें करोड़ों अरबों का घोटाला होता हैं दूसरा मिनी करप्शन जो आम आदमी को जब भी किसी सरकारी ऑफिस में काम हेतु जाना पड़ता है तो बिना घूस दिए इसकी बात सुनी नहीं जाती। हर कदम पर भ्रष्टाचार का अनुभव हो रहा है। एक वक्त था जब हमारा देश अपने आदर्शों के लिए नैतिकता व प्रामाणिकता के लिए सुविख्यात था। आज अपने देश की गिनती भ्रष्टाचारी देशों में की जाती है, जो हमारे लिए शर्मनाक है।

भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा या बहस करने से भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा। इसके लिए हम जैसे जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए, भ्रष्टाचार हटाने हेतु नेतृत्व लेना चाहिए। आज अन्ना हजारे के आंदोलन को जन समर्थन मिल रहा है, उसका कारण भ्रष्टाचार से पीड़ित लोगों की वेदना एवं आक्रोश व्यक्त हो रहा है। हर कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो।

भ्रष्टाचार हटाने की शुरूआत अपने से करनी चाहिए। सांसदों को इसका नेतृत्व लेना चाहिए। अगर देश का विकास हो ऐसा हम चाहते हैं तो पहले भ्रष्टाचार को हटाना पड़ेगा। बाद में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण इत्यादि समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी।

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (महेसाणा): भ्रष्टाचार रूपी दीमक और रिश्वत रूपी कीड़ों ने हमारे भारत देश को अंदर से खोखला बना दिया है। आज भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार का रूप ले लिया है। आज भारत देश में भ्रष्टाचार का "राष्ट्रीयकरण" हो गया है। गांव से देश तक आज भ्रष्टाचार की बेल पूरी तरह फैल गई है। आज भ्रष्टाचार के अजगर ने पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया है।

भारत देश आजाद हुआ और जिप कांड से लेकर 2जी स्पेक्ट्रम और कॉमन वेल्थ के स्कैंडल तक भ्रष्टाचार का सिलसिला फैलता ही जा रहा है। मुझे कहना पड़ता है कि...

डेमोक्रेसी चली ग्रीक से,

भारत में चल रही ठीक से।

ये पुख्ता है, ये अटूट है,

क्योंकि लूट की खुली छूट है।

भ्रष्टाचार के चलते यूपीए सरकार नाकार और भ्रष्टाचार बेलगाम हो गया है। महंगाई और भ्रष्टाचार के बीच चोली दामन का संबंध बन गया है। गठबंधन, राजनीतिक मजबूरी और सामान्य जनता के शब्दों में कहा जाए तो नैतिकता का अभाव है।

70 हजार करोड़ रुपयों का कॉमन वेल्थ का घोटाला हुआ है, इसे कहा जाता है कि कॉमन वेल्थ गेम्स कांग्रेस वेल्थ गेम्स बन गया है। आज भी घोटालों के मास्टर अथवा घोटाला करने वाले गरीब और मध्य वर्गीय लोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करों का भुगतान करके जो राष्ट्रीय संपत्ति अर्जित करते हैं उस राष्ट्रीय संपत्ति को सरेआम व्यय कर रहे हैं। उनका जल्दी से जल्दी निपटारा करके सजा देनी चाहिए, जिससे सामान्य पब्लिक की लोकतंत्र में श्रद्धा टिकी रहे।

मेरा सुझाव है कि पिछले कुछ समय से देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो जनाक्रोश साामने आया है, उससे साफ है कि भारत की जनता भ्रष्टाचार मुक्त समाज में जीना चाहती है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध महाअभियान तेज हो चुका है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक का जन सैलाब उमड़ पड़ा है।

विदेशी बैंकों में जमा पड़ा कालाधन वापिस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो रुलिंग दिए हैं, इसके तहत केन्द्र सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए।

कालाधन जितना भारत के बाहर है उससे कहीं गुना देश के भीतर चलन में है जिसे रोकने का एक ही तरीका है कि आयकर कानून को व्यवहारिक और प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए, जिससे आम आदमी को भी काल धन सृजन करने की कोई आवश्यकता न पड़े।

देश में बहुसंख्यक समाज जो किसान और मजदूर हैं वह न तो भ्रष्ट है ओर न ही इसके पास भ्रष्ट हाने का कोई अवसर है, लेकिन वह महंगाई और बेरोजगारी के दोनों पत्थरों की चक्की में पिस गए हैं भ्रष्टाचार केवल रिश्वत या कमीशन लेना ही नहीं, खाद्यान्न, दूध, फल, सब्जी, तेल, दवाइयां, ईंधन आदि में मिलावट करना भी समाज के लिए घात हो रहा है। और भ्रष्टाचार का वीभत्स नमूना है। उन पर रोक लगाई जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जो आए थे रोड़ा बनके,

उन्हें भगाया घोड़ा बनके।

आई काम पुरानी ट्रेनिंग,

हॉर्स ट्रेनिंग हॉर्स ट्रेनिंग।

उद्योग जगत की कार्यप्रणाली में पारदर्शी प्रतिस्पर्धा लाने में उदार शासन प्रणाली अपनानी चाहिए।

भ्रष्ट नौकरशाही जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके ऊपर कड़े कदम उठाए जाएं और ईमानदार नौकरशाही को काम करने की सुविधा प्रदान की जाए।

भ्रष्टाचार में लिप्त खाद्य चीजों में मिलावट करने वालों पर कड़े कदम उठाए जाएं।

न्यायिक प्रक्रिया में भी भाई-भतीजाबाद देश में भारी भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है। उन पर रोक लगाई जाए और ऐसे केसों का निपटरा जल्द से जल्द किया जाए।

भ्रष्टाचारी को कड़ी सजा न मिलना और मुकदमों का लम्बा खिंचना भी बढ़ते भ्रष्टाचार का कारण बन गया है।

मेरा मानना है कि लोकतंत्र की संस्थाओं की स्वायत्तता और कार्यक्षेत्र को देखते हुए न्यायपालिका की जवाब के लिए एक 'न्यायिक जवाबदेही आयोग' का गठन किया जाना चाहिए।

कार्यपालिका के भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' का दायरा व्यापक कर उसे पूरी स्वायत्तता देनी चाहिए, जैसाकि सर्वोच्च न्यायालय के विनीत नारायण बनाम भारत सरकार फैसले के तहत निर्देश दिए गए थे। विधायिका के सदस्यों के आचरण की जांच के लिए 'लोकपाल' होना चाहिए और बड़े औद्योगिक घरानों, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों व सिविल सोसाइटी के भ्रष्टाचार को जांचने के लिए 'वित्तीय जवाबदेही आयोग' का गठन किया जाना चाहिए, जिससे हर क्षेत्र का पहरेदार स्वतंत्रता से काम कर सके। फिर संविधान के मौजूदा ढांचे में जो जांच करने और सजा देने की प्रक्रिया है, उसे समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए।

चुनाव में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार की प्रक्रिया को रोकने के लिए चुनाव सुधार की प्रक्रिया को तेज किया जाए। मेरा सुझाव है कि चुनावों के लिए धन मुहैया कराने की पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जाए। स्टेट फंड की प्रक्रिया को बहाल किया जाए। जिससे प्रत्याशी बिना किसी दबाव के स्वतंत्र आचरण कर सके और सफल होने पर जनता के हक में संसद/विधान सभाओं में अपनी भूमिका निभा सके। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर कड़ा नियंत्रण हो व उनके दोहन के निर्णय में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

***श्रीमती पुतुल कुमारी** (बांका): भ्रष्टाचार का दीपक अब देश को खा रहा है। आज आप हम उसी भ्रष्टाचार की चर्चा देश की सबसे बड़ी पंचायत में कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार की मुहिम ने देश को झकझोर कर रख दिया है किन्तु हम सबको भी सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप जनप्रतिनिधि बनकर आज यहां आई हूं। मुझे काफी लोगों से मिलने का मौका मिला है। इस बार लोगों का आक्रोश मैंने देखा है कि किस प्रकार हम सभी जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच अपना विश्वास खोया है। भ्रमण यात्रा में बहस में मैंने लोगों का आक्रोश देखा है। मैं सबको बताती हूं कि कोई एक मापदण्ड ऐसा नहीं हो सकता जिससे हम सबको नाप सकें। मैं आज संसद आती हूं, यहां मैंने कितने सांसदों को सादगी से, सादे वस्त्रों के साथ देखा है, उनके रहन-सहन में, विचारों में अनुरूपता देखी है किन्तु आज जनता की नजर में हम सभी दोषी हैं।

आज स्थिति की गंभीरता को समझना पड़ेगा। आरोप-प्रत्यारोप को हटाकर निष्पक्षता और पारदर्शिता का रास्ता अपनाना होगा अन्यथा हम लोगों का विश्वास कभी भी जीत नहीं पाएंगे।

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति महोदय, आपने मुझे भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने की इजाजत देने के लिए आभारी हूं। भ्रष्टाचार हमारे देश में प्रमुख रूप से फैली हुई बीमारी है मगर पिछले कई सालों से प्रमुख रूप से कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के कार्यकल में इस बीमारी ने कैन्सर का रूप धारण कर लिया है। आजाद भारत के इतिहास में इस सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार का दर्जा दिया जा सकता है। इस सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। मैं बोर्फास कांड की याद दिलाता हूं, 64 करोड़ के भ्रष्टाचार के कारण सरकार को शर्मनाक तरीके से जाना पड़ा था। अब यह सरकार है जिसमें कई भ्रष्टाचार के केस उजागर हुए हैं जिसमें लाखों करोड़ों की धनराशिक का आंकड़ा है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अन्ना जी की अगुवाई में समस्त देश आगे आया है और लाखों लोगों की वेदना उजागर हुई है। मेरा यह भी मानना है कि यूपीए सरकार के कुशासन एवं भ्रष्ट आचरण के सामने जन आक्रोश उभर कर सामने आया है। भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा और प्रतिकूल असर गरीबों, दलितों, वनवासियों एवं श्रमजीवियों पर पड़ता हैं जो राजस्व सरकार की तिजौरी में आना चाहिए वह भ्रष्टाचार की वजह से भ्रष्ट लोगों के जरिए कालाधन के रूप में विदेशी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बैंकों में जमा होता है, इससे देश को नुकसान होता है। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई थी और अब विदेशी बैंकों में कालेधन की बात उजागर होती दिख रही है। मैं इसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मेरा मानना है कि इसके लिए एक मजबूत और ठोस लोकपाल बिल भारतीय संविधान के प्रावधान के जरिए लाया जाए।

***श्री कमल किशोर 'कमांडो'** (बहराइच): देश में करप्शन का जो वहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है, उसे बहुत ही समझदारी से हल करना होगा। साथ ही साथ मुझे यह कहना है कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी तथा उनके अन्य सहयोगियों द्वारा संविधान की जो संरचना की गयी है, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं होनी चाहिए। परन्तु लोकपाल बिल जो पार्लियामेंट में लाया जा रहा है, वह मजबूत और प्रभावी होना चाहिए, जिसमें हर समाज तथा जाति विशेष को फायदा पहुंच सके। गरीबों को विशेषकर फायदा हो सके। यह देश हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा पारसी का देश है। इसे ध्यान में रखकर ही लोकपाल विधेयक लाना होगा।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह** (मुंगेर): हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है, जिसने आज पूरे देश को आंदोलित किया है। यह एक ऐसा विषय है जिसने समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रखा है। आज चाहे जहां चले जाएं, सरकारी दफ्तर में चले जाएं, वहां नीचे के कर्मचारी से लेकर ऊपर तक के किसी अधिकारी के पास चले जाएं, किसी भी दफ्तर में चल जाएं, कहीं भी बिना घूस के बात नहीं होती है। आज बाजार में सब्जी खरीदने के लिए चले जाएं, सब्जी को ताजा करने के लिए उनमें कैमिकल्स इंजैक्ट किये जा रहे हैं आप फल खरीदने के लिए चले जाएं, उन्हें भी आज रंगा जा रहा है। आप बाजार में अनाज खरीदने के लिए चले जाइये, वहां भी चावल और गेहूं में मिट्टी मिलाकर बेची जा रही है। आप मसाला, तेल या कुछ भी खरीदने जाइये, सबमें मिलावट है। आखिर भ्रष्टाचार कहां नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार आज एक राजनीतिक विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह एक सामाजिक विषय हो गया है और सामाजिक विषय को हम तब तक समाप्त नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हम उसके लिए पूरे देश में एक जन-जागरण अभियान चलाकर लोगों के मन में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत पैदा नहीं करते हैं।

सभापति महोदय, मैं एक साधारण सा उदाहरण देना चाहता हूं कि हम टायलेट जाते हैं, टायलेट का दरवाजा बंद रहता है और हमें वहां कोई नहीं देखता है। लेकिन जब हम टायलेट से उठते हैं तो हम अपने हाथ साबुन से धोते हैं। आखिर हम हाथ क्यों धोते हैं, जबकि हमें कोई देख भी नहीं रहा है। यदि हम हाथ न भी धोयें तो भी हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यह अंतरात्मा की आवाज होती है कि यदि हम टायलेट से उठकर आये हैं तो हमें हाथ धोने चाहिए। उसी तरह से जब तक अंतरात्मा से यह आवाज नहीं उठेगी कि भ्रष्टाचार और घूस लेना और घूस देना दोनों पाप हैं, तब तक यह समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि आज जन अभियान चलाए जाने की बहुत जरूरत है।

महोदय, हम अन्ना हजारे साहब को साधुवाद देते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं और इसलिए अभिनंदन करते हैं कि भ्रष्टाचार इस देश में एक मुद्दा है और उन्होंने इस मुद्दे को खड़ा किया है। लेकिन भ्रष्टाचार पर आज जो बहस हुई है, हम क्षमा चाहते हैं, उसमें सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगे हैं। यदि हम आरोप और प्रत्यारोप पर चलते रहेंगे तो हम कभी भी भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते हैं। देश में भ्रष्टाचार दिन-दोगुना और रात-चौगुना बढ़ता जायेगा, जैसे अमरबेल होती है, जो दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ती हैं उसी तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा।

वर्ष 1974 में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था और हमारे जैसे सैकड़ों, हजारों लोग उस आंदोलन के गर्भ से पैदा हुए। उस आंदोलन के गर्भ से पैदा हाने पर मुझे इस सदन का सदस्य होने का गर्व प्राप्त है। हम कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते थे। हम एक छात्र थे। उस आंदोलन की मुख्य लड़ाई भ्रष्टाचार मिटाना है, महंगाई दूर करनी है और बेरोजगारी घटानी है। उस आंदोलन के बाद सरकारें बदल गईं, लेकिन न बेरोजगारी दूर हुई, न महंगाई खत्म हुई और न भ्रष्टाचार खत्म हुआ। अगर हम राजनीतिक स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ते रहें, आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलाते रहेंगे तो भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं होगा, सरकार इधर से उधर चली जायेगी, हम इधर से उधर चले जायेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार जस का तस बना रहेगा।

भ्रष्टाचार क्या है?, भ्रष्टाचार की परिभाषा अलग-अलग नहीं हो सकती। हम आरोप लगायें कि 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला, कॉमनवैल्थ घोटाला और ये सब घोटाले भ्रष्टाचार हैं और उधर से आप आरोप लगायें कि एनडीए के शासनकाल में सारे फायदे वाले पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स बेच दिये गये। कर्नाटक में जो कुछ हुआ, यह भ्रष्टाचार है कि नहीं है तो इस आरोप-प्रत्यारोप से हम भ्रष्टाचार का निराकरण नहीं कर सकते, हम आरोप-प्रत्यारोप लगाकर अपनी- आत्म-संतुष्टि को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम उसे दूर नहीं कर सकते हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इसलिए मेरा कहना है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, अगर हम इस देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो सभी को मिलकर एक बार दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर, पार्टियों की राजनीति से ऊपर उठ कर, हर पार्टियों को एक साथ मंच पर खड़ा हो कर पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाना होगा। जनजागरण करना होगा, लोगों के मन में भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत पैदा करनी होगी। तब भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। खाना-पूर्ति करने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। सदन में, हर सत्र में हम महंगाई पर चर्चा कर लेते हैं। सरकार का उत्तर आ जाता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। कल से हम घूमने लगते हैं और महंगाई उसी रफ्तार से बढ़ती रहती है।

सभापति महोदय, हम याद दिलाना चाहते हैं और उदाहरण देना चाहेंगे कि इस देश में सक्युलरिज्म और कम्युनिलिज्म वर्षों से चला आ रहा है। इसलिए कि उसका समाधान भी हम सामाजिक स्तर पर नहीं ढूंढना चाहते हैं। हम उसका भी राजनीतिक इस्तेमाल वोट के लिए करना चाहते हैं। इसलिए उसका भी आज तक समाधान नहीं हुआ है। आज अगर सामाजिक स्तर पर उसके खिलाफ भी हम अभियान चलाएं तो वह दूर हो सकता है। उसी तरह आज इस बात की जरूरत है कि हम भ्रष्टाचार को एक राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा बनाएं। हम सरकार और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो इस सदन की सारी पार्टियां, सारे दल जिनका इस सदन में प्रतिनिधित्व नहीं भी है, वैसे सारे लोग या वे संगठन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उन सब को एक साथ बिठाइए। अन्ना हजारे जी को भी बुला लीजिए। उन्हें बिठाइए और कहिए कि हम सब लोग देश से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, चलिए एक मंच से देश भर में हम सब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण चलाते हैं। गांव-गांव और घर-घर में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत पैदा करें।

अंत में हम सरकार से सिर्फ एक अपील करना चाहते हैं कि आज लोकपाल जनलोकपाल के बिल के बीच में एक गतिरोध कायम है। सरकार का दायित्व है कि सरकार सभी पार्टियों को साथ बिठाए। शायद अभी सर्वदलीय बैठक हो रही है। अगर आम सहमति नहीं बनती है तो कल फिर बैठिए। उसी बैठक में अन्ना हजारे जी और उनकी टीम को भी बुलाइए और चाहे यह पक्ष हो या वह पक्ष हो, हठधार्मिता छोड़ कर लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को अक्षुण्य रखते हुए उसके अंतर्गत जो भी रास्ता हो सकता है, उसे निकालें। अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं जीवित हैं तभी हमारा लोकतंत्र भी मजबूत है। अगर हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करेंगे तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं की व्यवस्था को अक्षुण्ण रखते हुए यह करें। हम अगर इसमें चूक गए तो एक नहीं कल सैकड़ों अन्ना हजारे पैदा हो सकते हैं इसलिए हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को गंभीरता से लें और भ्रष्टाचार पर सभी दलों के आरोप-प्रत्यारोप का झंझट छोड़ कर सभी दलों को साथ लेकर पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाएं और जन जागरण चलाए।

***श्री पन्ना लाल पुनिया** (बाराबंकी): मैं आभारी हूं कि मुझे देश में भ्रष्टाचार की बीमारी पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि देश में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला है। बिना रिश्वत कोई काम नहीं हो रहा है। यह बंद होना चाहिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और लोगों के काम सरलता से होने चाहिए। कानून बनाने की बात हो रही है, उसे शीघ्र बनाया जाना चाहिए। यह जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भी कानून बने, वह बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप होना चाहिए। इस संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान कानून को भी कठोरता से लागू किया जाए। जन लोकपाल बिल बनाने की बात हो रही है। हम उसका स्वागत करते हैं। इसका प्रावधान किया जाए कि लोकपाल की टीम के सदस्यों में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिले।

[अनुवाद]

***श्री ए. सम्पत** (अटिंगल): क्या हमें सराहना तथा प्रशंसा जैसी टिप्पणियों ओर आलोचनाओं का स्वागत करना चाहिए इस मुद्दे पर हम सभी को विचार करना पड़ेगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिरीक्षण अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति आगे देखता है पीछे नहीं, इसलिए यह कैसे कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने अतीत को देखता अथवा जनता है?

अब हम 'जी' की सरजमी में है जिसमें अनेक घोटाले हुए हैं-मैं इसे इस सम्माननीय सभा पर छोड़ता हूं। चाहे यह 2जी, केजी अथवा सीडब्ल्यूजी घोटाला हो, इसमें अनेक 'जी' शामिल हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हम वर्तमान स्थिति की तुलना में इतनी दुखदायी स्थिति से नहीं गुजरे हैं। उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई जिसके परिणामस्वरूप उन कुछेक लोगों ने देश को लूटा जो सतत और जोरदार ढंग से भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद अर्थात् सरकारी क्षेत्र के अधिकाधिक निजीकरण की मांग कर रहे थे। सरकारी धन की लूट को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इन दिनों 'नव-उदारवाद' के कट्टर समर्थकों में उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण की नीति की 20वीं वर्षगाठ मनाने का साहस भी नहीं है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भारत में भ्रष्टाचार ऑक्टोपस की तरह नहीं बल्कि एक कैंसर रोग जैसा है जिसके लिए यदि शल्य चिकित्सा नहीं तो कम से कम (दर्दनाक) इलाज की तत्काल जरूरत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा बीमा कंपनियों सहित सुदृढ़ सरकारी क्षेत्र जिसने हाल ही की वैश्विक मंदी के दौरान राष्ट्र को बचाया है, वह लालची कसाई के हाथों में 'सोने की मुर्गी' जैसा बन गया हैं वे व्यक्ति जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर की प्रशंसा करते हें वे इस बात को भूल गए हैं कि हम ऐसे विकास की स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं'' और समाज में असमानताएं बढ़ रही है। बड़े कॉर्पोरेट-सत्ताधारी राजनीतिज्ञों-उच्च नौकरशाहों की आपसी सांठगांठ संदेहास्पद 'डील' के लिए जिम्मेदार हैं जिससे काले धन में वृद्धि हुई है और इसलिए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में समानान्तर अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्थान बन गया हैं सारा काला धन विदेशी बैंकों में गुप्त खातों में जमा है जो समानान्तर अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा है। काले धन से कालाधन ही कमाया जाता है जिस प्रकार ''मदर वाइपर से चाइल्ड वाइपर बनता है। यदि हममें भ्रष्टाचार से लड़ने और काले धन को रोकने के लिए साहस नहीं है तो यह समानान्तर अर्थव्यवस्था शीघ्र ही वास्तविक अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देगी। यह बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक तिहाई भाग समानान्तर अर्थव्यवस्था है और भ्रष्टाचार ने संस्था का रूप ले लिया है।

ऐसी रिपोर्ट मिली है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का कारोबार जो 1990 के दशक में 1000 करोड़ रुपये था, 2000 के पहले दशक में बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यूपीए-II के आरंभिक दिनों में ही आईपीएल विवादों में रहा, इस मुद्दे को भुलाया नहीं जा सकता है। खिलाड़ियों के लिए खेल नहीं, बल्कि पैसा अधिक महत्वपूर्ण बन गया है।

19वें राष्ट्रमंडल खेलों का दिल्ली में आयोजन करना इस राष्ट्र के लिए गर्व की बात थी, हालांकि राष्ट्र की आधी आबादी या तो पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से भूखी रहती है। परंतु पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि ये भ्रष्टाचार वेल्थ गेम्स बन गये हैं। यहां तक कि सीएजी की रिपोर्ट के आने से पहले सामान्य वृद्धि वाले छोटे बच्चें भी दिन-दहाड़े लूट के बारे में जानते थे। (जो केवल व्यक्तियों द्वारा नहीं की जा सकती थी)

आने वाले दिनों में 2जी स्पेक्ट्रम डील यूपीए के उच्च पदों पर आसीन लोगों की रातों की नींद उड़ा देगी। तीन माननीय संसद सदस्य (एक पूर्व केबिनेट मंत्री सहित) और कुछ नौकरशाह कुछ दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद रहे और सांठगांठ में शामिल कुछ लोगों को दिन में बुरे स्वप्न आ रहे होंगे। ''सभी घोटालों की जननी'' से हम और अधिक ''जटिल घोटालों और बदनामी'' के युग में जा रहे हैं। यह इसरों के एस-बैंड स्पैक्ट्रम डील को भूलने का उचित समय नहीं है। कई बार चुप्पी शब्दों से अधिक ताकतवर हो सकती है, परंतु यह जनता के जिम्मेदार प्रतिनिधियों की ओर से 1.21 बिलियन नागरिकों के लिए सटीक उत्तर नहीं हैं लोगों को उत्तर देना सरकार का कर्त्तव्य है क्योंकि भारत की जनता द्वारा संविधान को अपनाया गया था, अधिनियमित किया गया था और स्वयं को समर्पित किया गया था और संविधान सर्वोच्च है।

मूल्य वृद्धि के लिए किसको दोषी ठहराया जाये? क्या यह लोगों द्वारा अधिक खाने के कारण है? भारत सरकार की नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वयं इस बात को स्वीकार किया गया है कि आम आदमी द्वारा दैनिक उपभोग की वस्तुएं गम्भीर मुद्रास्फीति के दबाव में है। कामगार लोगों ओर गरीबों के लिये खाद्य पदार्थ, ईंधन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि, किराया, बच्चों की शिक्षा आदि पर व्यय आसमान छू रहा है जिसे समझने के लिये अर्थशास्त्री की सहायता कतई आवश्यक नहीं है। बड़ा हिस्सा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जीतोड़ प्रयास कर रहा है तथा सत्तारूढ़ लोगों की सांगठगांठ से विभिन्न प्रकार के माफिया और बड़े निगमित घरानों द्वारा बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जा रहा है आदिवासियों, दलितों, किसानों और कृषि कामगारों की भूमि और उनके भूमि संबंधी अधिकारों को उनसे छीना जा रहा है। उनके द्वारा ही कानून बनाने जैसी स्थिति है। बहुत सारे लोगों के लिए कानून उनका रक्षक नहीं है।

मुंबई का आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के घोटालों ने ''युद्ध के अर्थशास्त्र'' की कुछ काली छवि का पर्दाफाश किया है। कारगिल युद्ध विधवाओं के नाम पर शासकों और भारतीय सशस्त्र बलों सभ्रान्त तत्त्वों ने जो कुछ भी किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। यह आश्यर्चजनक बात नहीं है कि भ्रष्टाचार विश्व की चौथे सबसे बड़ी सशस्त्र सेनाओं में पैठ कर चुका है। भारत अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र बाजार में सबसे बड़ा खरीददार बन गया है। हम एक बार पुन: शांति कायम रहने की प्रार्थना करते हैं।

न्यायपालिका भी साफ सुधरी नहीं है। यदि भ्रष्टाचार ने न्यायपालिका में वर्चस्व लाने की कोशिश की तो कौन लाभांवित होगा तथा किसे हानि होगी? इस ''संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र में न्यायपालिका संविधान का संरक्षक है और लोगों के मौलिक अधिकारों का अभिमानक है लेकिन जब ''कुछ सेब सड़ जाते हैं तो कोई भी पूरी टोकरी में बदबू महसूस कर सकता है। स्थानान्तरण, त्याग पत्र और महाभियोग लाने के लिए संसद पर दोषारोपण करने के बजाए आत्ममंथन करने के लिये यह बिल्कुल सही समझ है।

चौथा स्तंभ अर्थात् प्रचार माध्यम लोकतंत्र के रक्षक के रूप में उसकी खिसकती ईमानदारी, सत्यनिष्ठता और लोगों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण अपना नेबर और सम्मान खोना जा रहा है। प्रचार माध्यमों को कुछ "नव-उदारवाद के शासकों" द्वारा अपने व्यवसायिक प्रमुख के रूप में समझा जाता है। हमने 'पेड़ न्यूज के दिनों को अनुभव किया है। जनता अब चाटुकार लोगों और व्यावसायिक हित साधने वाले पिछलगुओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाली खबरों के दृष्टांत और खबरों का मृतप्राय हो जाने का पर्दाफाश हो चुका है। यह कहा जाता है कि यदि राजनीति व्यवस्था तो यह और भी दुःख पहुंचाने की बात है कि यदि हमारे लोकतंत्र के सभी चारों स्तंभ व्यवस्था हो गये हों और यदि व्यवसाय में कोई नैतिकता और आचार न हो तो यह फ्रैंकस्टाइन जैसा राक्षण ही जाएगा जो लोग भ्रष्टाचार को विकास का दुष्प्रभाव समझते हुए व्यर्थ में न्यायोचित ठहराने का प्रयास करते हैं तो उनका निश्चित रूप से गलियों में निर्वस्त्र राजा जैसा होगा।

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): सभापति महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आज हम लोग विशेष परिस्थिति में चर्चा कर रहे हैं। अभी रंजन जी ने कहा कि आरोप और प्रत्यारोप में चर्चाएं हो रही हैं। मैं सन् 1996 से देख रहा हूं। सन् 1996-97 में जब आजादी के 50वें साल में चर्चा हो रही थी, तब भी सदन में मैंने देखा था कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे। इन दो सालों में भी मैं यह देख रहा हूं कि हमेशा वही बात की जा रही है और आज भी वही बात हुई। मैं आदरणीय जोशी जी की बहुत इज्जत करता हूं। मैं उनसे उम्मीद करता था कि वे भारतवर्ष को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कुछ सुझाव देंगे, लेकिन उनके भाषण में शुरूआत से लेकर अंत तक सारे एलीगेशन भारत सरकार के खिलाफ थे। जन लोकपाल पर भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है, यह अभी तक हाउस में स्पष्ट नहीं हुई है कि जन लोकपाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उनकी पार्टी इसे समर्थन कर रही है या नहीं कर रही है, यह बात स्पष्ट रूप से नहीं आयी है। मैं देख रहा हूं कि कई दूसरी पार्टियों के नेता लोग भी अपने स्लोगन देते रहे कि कांग्रेस पार्टी या यूपीए सरकार ने यह किया, वह किया आदि, सारे एलीगेशंस लगाते रहे, लेकिन उन्होंने अपने अन्दर झांककर नहीं देखा। अगर मैं यह कहूं कि हमारी पार्टी के शासन के समय, यूपीए के शासन के समय अगर यह सब भ्रष्टाचार की जो बातें आज छेड़ी जा रही हैं कि यह हुआ तो चाहे बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, कर्नाटक हो, इन सबमें क्या हुआ, कितना जल, जमीन और जंगल पर एग्रीमेंट हुआ, एमओयू हुआ, डिस्क्रिशनरी पॉवर यूटिलाइज किया गया? ऋषिकेश जैसी प्रमुख जगह की चार सौ करोड़ रुपये की जमीन को तरह करोड़ रुपये में किस तरह से भाजपा से सम्पर्क रखने वाले सिम्पेथाइजर लोगों को लीज पर दे दिया गया। मैं उस शिष्टाचार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता हूं कि महताब जी ने हमारी उड़ीसा सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी बहुत से कदमों पर प्रशंसा की है। जल, जमीन और जंगल का सौदा किस तरह से उड़ीसा में हुआ है विदआउट टेंडरिंग में, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूं। अगर आज उस पर सीबीआई का काम होता, अगर आज उस पर देश सख्ती से पेश होता तो कर्नाटक में आज कितनी भयंकर स्थिति होती, मैं उस पर भी बोलना नहीं चाहता हूं। दूसरे लोगों ने बार-बार जैसी बात की है, मैं उस बात को उछालना नहीं चाहता हूं या मैं उस बात को भी यहां पर नहीं बोलना चाहता हूं कि आपने बहुत किया, हमने नहीं किया।

[अनुवाद]

सरकार का इरादा बहुत स्पष्ट है। भारत सरकार अर्थात् संप्रग सरकार ने राष्ट्र का समग्र विकास करने, मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए कई उपाय अपनाए हैं

[हिन्दी]

उसमें ब्लैक मनी भी एक बात है।

[अनुवाद]

काले धन पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपनाए हैं। भारत ने जानकारी के आदान-प्रदान से संबंधित अनुबंध को व्यापक बनाने के लिए 65 देशों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की है।

[हिन्दी]

विदेश से पैसा लाने के लिए उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए *[अनुवाद]* सरकार विदेश में आठ आयकर एकक स्थापित कर प्रशासनिक मशीनरी सुदृढ़ कर रही हैं विदेश कर प्रभाग के सुदृढ़ीकरण के लिये उसे दुगुना कर दिया गया है। आय कर विभाग द्वारा केन्द्रित तलाशी अभियान के कारण गत 18 महीने में लगभग 15000 करोड़ रुपए की अप्रकट आय की पहचान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कराधान निदेशालय ने 34,601 करोड़ रुपए के कर का संग्रहण किया है। भारत ने भी यूरेशाई समूह (ईएजी) की सदस्यता हासिल की है। इसलिए सरकार ने कई उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

महोदय, जब भ्रष्टाचार की बात उठी, 2जी स्कैम की बात उठी तो एआईसीसी सेशन में हमारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बहुत मजबूती से कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और दंड दिया जायेगा। जिसका कारण यह हुआ कि सर कट गये हिमालय तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हमने सरकार को झुकने नहीं दिया। हमारे मंत्री एक-एक करके भीतर गये, आज आप चर्चा में कह सकते हो कि इस सदन की बात या सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया या नहीं किया। अगर सरकार की मानसिकता नहीं होती, अगर सरकार मजबूती से भ्रष्टाचार एड्रेस करने के लिए एटीट्यूट नहीं बनाती तो आज यह बात नहीं हुई होती। आज सरकार के ये कदम सराहनीय हैं, लेकिन आप चाहे जितने भी कदम उठायें, भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता। जब तक आदमी की मानसिकता, व्यक्ति के चरित्र का परिवर्तन नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। रंजन जी कह रहे थे कि अंदर की बात है। सब लोग अपने अंदर झांककर देखें। मैं जब सोचता हूं तो गरीबों के संबंध में सोचता हूं। मैं जब कहता हूं, अकड़ता हूं, लड़ता हूं तो गरीबों के बारे में कहता हूं। आज भी 8.8 लाख बच्चे कुपोषण से इस देश में मरते हैं। हर रोज ढाई लाख शिशुओं की मृत्यु हो रही है। आज गरीबी के कारण हमारे देश में ऐसी बुरी हालत है। आप कहेंगे कि केवल हम ही जिम्मेदार हैं, आप नहीं हैं आप इतने राज्यों में हैं, आपके राज्यों में देखिये, क्या स्थिति है, सबसे ज्यादा आपके राज्यों में है। सबसे ज्यादा आपके राज्यों में बच्चों के मरने का आंकड़ा आप लीजिए, आपको मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में आप भ्रष्टाचार को अगर ऐड्रैस नहीं करेंगे तो इस देश को मजबूत नहीं बना पाएंगे। भ्रष्टाचार एक बीमारी बन चुका है और इसके लिए बिल को कठोरता से लाना बहुत जरूरी है। आज अन्ना जी का आंदोलन चल रहा है। अन्ना जी आज आंदोलन में हैं। उनके बारे में बहुत सा अच्छा-बुरा मत लोगों ने दिया है। कुछ भी हो, लेकिन यह एक मुहिम है, एक प्रयास है, एक मोबिलाइजेशन है कि भ्रष्टाचार एक इश्यू है जिस पर हमेशा के लिए समाधान का रास्ता निकले। संसद सर्वोपरि है। आज भी हम गर्व से कहते हैं कि संसद सर्वोपरि है, संसद से ऊंचा कोई नहीं हो सकता है। सिर्फ कुछ लोगों को लेकर ही एक टीम नहीं कही जा सकती है, सोशल एक्टिविस्ट्स ग्रुप नहीं कहा जा सकता है। इस देश में बहुत सवालों पर बहुत से सोशल एकिटविस्ट्स ग्रुप काम कर रहे हैं हमारे देश में कई ऐसे संगठन हैं जो देश के हित में काम कर रहे हैं। इन सब लोगों की राय लेना जरूरी है। /

महोदय, जनलोकपाल में जो जिक्र किया गया है, इसमें अगर आप देखें तो छ: लाख गांव और 8500 शहरों की समस्याओं को एक जन लोकपाल ऐड्रैस नहीं कर सकता हैं एक चौकीदार या पियन से लेकर प्रधान मंत्री तक का समाधान या देखरेख करना, भ्रष्टाचार की देखरेख का काम एक जन लोकपाल से नहीं हो सकता है। महोदय, हमारे देश में गांवों के लोगों की राय लेना भी जरूरी है। जो लोग मोबाइल फोन पकड़ते हैं, फेसबुक ऑपरेट करते हैं, उनके बावजूद भी यह भारतवर्ष 120 करोड़ लोगों का देश है और छ: लाख गांवों का देश है। हमारे गांवों में ग्राम सभा है। ग्राम सभा को क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि किस तरह का जन लोकपाल बनना चाहिए? हर कलैक्टर को कहा जाए कि हर गांव में जनसभा करके लोकपाल बिल का प्रारूप बनाकर सरकार को भेजे। एक ऐसा स्ट्रांग लोकपाल बिल बने, जिससे भविष्य में हमारे देश को कमजोर करने का किसी तरह का भी प्रयास कामयाब न हो।

सभापति महोदय: अपनी बात संक्षेप में करें।

श्री भक्त चरण दास: महोदय, मुझे थोड़ा सा समय दें।

महोदय, आज जो स्थिति पैदा हुई है, इसमें आप देखेंगे कि सरकार हर समस्या से निपटने के लिए स्ट्रॉग ओपीनियन ले रही है। मैं मानता हूं कि शुरू में सरकार ने एक गलत कदम उठाया और एक पोलिटिकल एप्रोच या दृष्टिकोण से देखने के बजाय पुलिस कार्रवाई की, जिसके मैं खिलाफ हूं।, वह नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे नेता लोग, हमारे प्रधान मंत्री, संवदेनशील ढंग से शुरू से इसको देख रहे हैं, और आदरणीय राहुल जी शुरूआत से ही इस पर लगे हुए हैं कि किसी तरह की सख्ती का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आज ऐसी स्थिति आई है कि जन लोकपाल बिल हो या लोकपाल बिल हो या श्रीमती अरुणा राय जी का लोकपाल बिल हो, इन सब चीजों पर जांच करने के लिए समय चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यह जबर्दस्ती किसी पर थोपा जाए। आज गरीबी बहुत है और जल, जमीन और जंगल में बहुत से सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं कि कल दस एक्टिविस्ट्स आ जाएं और कहेंकि गांवों का विकास नहीं हुआ। पीने का पानी लोगों को नहीं मिला, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हुई, गांव का विकास नहीं हुआ और इसे लेकर गांव के लोग लाखों की संख्या में शहर में आ जाएं और कहने लगें कि हमारा दो साल में विकास करो, नहीं तो हम सरकार को चलने नहीं देंगे। ऐसा भी हो सकता है। गरीब और अमीर की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यह देश विकास कर रहा है तो वह विकास संतुलित होना चाहिए। यूपीए सरकार देश की इनक्लूसिव ग्रोथ करने के लिए कटिबद्ध हैं आरटीआई एक्ट को यूपीए सरकार लेकर आयी। यूपीए सरकार भूमि अधिग्रहण बिल और माइन्स एण्ड मिनरल्स एकट, जिसमें 36 प्रतिशत उस एरिया के विकास पर खर्च होगा और किसानों को भूमि अधिग्रहण बिल

से फायदा होगा, संसद में लाने जा रही है। फूड सिक्योरिटी बिल लाने जा रही हैं इससे देश के लोगों को फायदा होगा और देश की जीडीपी बढ़ेगी। देश को मजबूत करने में भ्रष्टाचार भी एक चुनौती है, जिसे एड्रैस करना जरूरी है। मैं इसलिए देश के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि देश के नौजवान इस विषय को समझें और देश को बनाने में अपना योगदान शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक तरीके से देने का काम करें। मैं आदरणीय अन्ना जी से अपील करना चाहता हूं कि उनका जीवन बहुत मूल्यवान है, उन्हें अपना अनशन समाप्त करना चाहिए।

महोदय, मैं देश के नौजवानों को एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं-

'नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है,

तेरे बल पर ही खुशी से चल रहा संसार है।

तेरी अपनी खामियों पर क्यों नहीं नजरें पड़ी,

तेरी खातिर कदम-कदम पर मौत मुहं बाए खड़ी।'

***श्री हर्ष वर्धन** (महाराजगंज, उ.प्र.) भ्रष्टाचार के संबंध में यह कहना सत्य होगा कि आज इसने संपूर्ण देश को अपने आगोश में ले लिया है। आम आदमी की व्यथा एवं भ्रष्टाचार के चलते उसकी छटपटाहट ही आज रामलीला मैदान में परिलक्षित हो रही है।

भ्रष्टाचार का यह मुद्दा आज दलों की सीमाओं को लांघ कर राजनीति से अधिक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। भ्रष्टाचार के संबंध में एक कटु सत्य को स्वीकार करने से ही इसके हल का उपाय निकालना ज्यादा कारागार होगा। हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि गांव से लेकर केन्द्र तक भ्रष्टाचार की जो जकड़न है, उसका केन्द्र बिंदु या खूंटा राजनेता ही है। इस खूंटे से बंधकर अफसरशाही एवं पूंजीपतियों ने मिलकर सारे समाज को लूटने का काम किया है। ये शब्द कटु हैं, लेकिन यथार्थ हैं। राजनेता यदि अपने को बदल लें तो अफसर और पूंजीपति किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार के फंदे में देश को नहीं डाल सकते। इस तथ्य का विलोम भी है। लूट में सबसे बड़ा हिस्सा पूंजीपतियों का, उससे कम अफसरशाही एवं सबसे कम हिस्सा राजनेता का होता है। परंतु राजनेता की संलिप्तता ही लूट का मार्ग प्रशस्त करती है। मेरा यह कथन उस दिन अवश्य सिद्ध हो जाएगा, जिस दिन विदेशी बैंकों में भारतीयों के धन का विवरण उपलब्ध होगा। मेरी निश्चित मान्यता है कि उस विवरण में राजनेता का हिस्सा न्यूनतम होगा। लेकिन आज विदेशी बैंकों में जमा धन के मामले में राजनेता को सर्वाधिक बदनाम किया जा रहा है। देश के आम जन में भ्रष्टाचार के प्रति भावना को समाप्त करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर सब मिलकर रास्ता निकालें वरना संसद की सर्वोच्चता एवं सार्वभौमिकता पर उंगली उठाने वालों की संख्या में वृद्धि ही होगी।

महादेय, अंत में भ्रष्टाचार के निवारण हेतु गैर सरकारी संगठनों व एनजीओज पर भी दृष्टिपात करना होगा। इन्हें भ्रष्टाचार की गंगा में बहने से पहले ही इन पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, जैसे शरीर में कैंसर की बीमारी होती है, उसी तरह देश में भ्रष्टाचार की बीमारी है। यह बीमारी अचानक देश में नहीं आई है, बल्कि यह पहले से ही है। पुराने जमाने में पंडित नेहरू के समय में मुद्रा कांड चिथ्रा कांड मुदगिल कांड आदि हुए हैं और कार्रवाइयां भी हुई हैं। सनथानम कमेटी भ्रष्टाचार के खिलाफ पंडित नेहरू जी ने बनाई थी। उनकी भी रिपोर्ट है। काले धन की समाप्ति के लिए के.एन. वांचू समिति बनाई गई। भ्रष्टाचार का आज ज्यादा बोलबाला हो गया है। इतिहास में ही नहीं वर्तमान स्थिति में भी भ्रष्टाचार का अनुसंधान किया जाए, तीन तरह की जड़ें हैं। जहां आमदनी से ज्यादा खर्चा होगा, वहां भ्रष्टाचार होगा। किसी गवाह आदि की जरूरत नहीं है, यदि आमदनी पांच हजार है और खर्चा दस हजार रुपए का है, वहां भ्रष्टाचार होगा। जहां एक आदमी के पास पावर होगी और दूसरा आदमी पावर से वंचित होगा, लाचार होगा, वहां भी भ्रष्टाचार होगा। भ्रष्टाचार की तीसरी जड़ जात-पात, भाई-भतीजावाद है। इन तीन वजहों के अलावा भ्रष्टाचार का कोई दूसरा कारण नहीं हैं आमदनी पर हम टैक्स लगाते हैं, लेकिन खर्चे पर कोई पाबंदी नहीं लगायी गई है। भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। अब खर्च पर पाबंदी लगाने की जरूरत है, नहीं तो देख रहे हैं कि कहां से कहां सब लोगों की आंखों के सामने खर्च हो रहा है। लोकतंत्र-माने वोट का राज। अगर वोट प्रणाली दूषित रहेगी तो भ्रष्टाचार मन्तर पढ़ने से खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। वोट में कैश का प्रभाव है कि नहीं, कैश का प्रभाव सबसे ज्यादा है कि नहीं, जाति का प्रभाव सबसे ज्यादा है कि नहीं, उसमें अपराध का प्रभाव सबसे ज्यादा है कि नहीं? कैश, कास्ट, क्राइम, तीन तरह से वोट प्रभावित है। सोने से बना हुआ स्वर्ण कलश और एक कहे कि मिट्टी से बना हुआ स्वर्ण कलश तो कैसे होगा। जहां वोट जाति, कैश, कॉस्ट, क्राइम से होगा, उससे चुना जाएगा, उससे राज बनेगा तो शुद्ध सरकार कहां से बनेगी, सही सरकार और सही लोग कैसे चुने जाएंगे। इसलिए चुनाव में पहले सुधार हो। पंचायती राज का वोट कर रहे हैं, दारू, पैसा, मांस पर वोट हो रहा है। असेम्बली में वोट और हमारे यहां निकाय का वोट होता है, उसमें सदस्य बिकते हैं, यह जानी हुई बात नहीं है क्या? लोग कहें कि साईं के नाम कहैंछी, हें-हें करईछी, सब लोग जानते हैं, सब के सामने

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

होता है, लेकिन उसके लिए उपचार नहीं हुआ तो कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा, इसलिए भ्रष्टाचार के खत्म करने के लिए यह संसद, जो जड़ है, उसकी जड़ पर हमला करना पड़ेगा, उसमें पांच सूत्री कार्यक्रम लागू करना पड़ेगा। लोगों का अवेयरनैस जैनरेशन, जानकारी, अगर जानकारी नहीं होगी तो गरीब आदमी गांवों में ठगे जा रहे हैं, गांवों मं इन्दिरा आवास, रोजगार गारंटी, बूढ़ा-बूढ़ी पेंशन सब में हर स्तर पर भ्रष्टाचार है।

शरद जी भाषण कर रहे थे कि बड़ा सुधार हो रहा है। बिहार में जितना भ्रष्टाचार है, देश में कहीं नहीं है। चाहे इन्दिरा आवास हो, बूढ़ा-बूढ़ी पेंशन हो, पानी का हो, पाखाना का हो, रास्ता का हो, निर्माण का हो, वे चले गये, बोले कि बहुत कानून सुधार के लिए बन रहे हैं, बड़ी सफाई दे रहे थे, लम्बा-लम्बा भाषण करके मुंह बना रहे थे, मैं सब भण्डाफोड़ कर दूंगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब संक्षिप्त करें, बहुत से वक्ताओं को बोलना है। अब समाप्त करिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः आमजन पीड़ित है। महोदय, बड़का वाला भ्रष्टाचार से अभी वातावरण...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः सुन लीजिए न। आप कहिये कि इन्दिरा आवास, रोजगार गारंटी, बूढ़ा-बूढ़ी पेंशन, ऑफिस-थाने में कोई सर्टिफिकेट बिना घूस के हो रहा है, कोई कहे?

सभापति महोदयः अब समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, अभी आंदोलन हो रहा है। पुराने जमाने में भी आंदोलन हुए। बाबू जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, जो बिहार से आये हैं, सब लोग उसमें थे, ज्यादातर लोग उसमें थे। उसमें चार मुद्दे थे, उनमें भ्रष्टाचार प्रमुख था और फिर श्री वी.पी. सिंह के समय में आंदोलन हुआ। भ्रष्टाचार पर छुटपुट आंदोलन बराबर होते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार घट नहीं रहा, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और वातावरण एकदम दूषित हो गया है, हर जगह प्रश्नचिन्ह है।

कहते हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, आपकी सुप्रीमेसी को कहां चेलैंज हो रहा है। सुप्रीमेसी को कौन चेलैंज कर रहा है, यह समझ का फेर है। पार्लियामेंट एक कड़ाही की तरह है, जैसे खेतों में सब्जी पैदा होती है तो सब्जी के खेत से लाकर काट-कूट कर, मिर्च, मसाला, तेल वगैरह मिलाकर कड़ाही में स्वादिष्ट सब्जियां बनाई जाती हैं, उसी तरह नई बातें पैदा होती हैं, जहां पर लोग रहते हैं। खेत हैं, खलिहान है, स्कूल है, कस्बा है तो सोसायटी वाले आंदोलन कर रहे हैं तो उस मुताल्लिक पार्लियामेंट यहां स्वादिष्ट सब्जी जैसे कड़ाही में बनती है, वैसे ही उसे कानून बनाना है, बनाना पड़ेगा।

वह कानून बनाना पड़ेगा। टैक्स देगा तो हम सुप्रीम हैं... *(व्यवधान)* तो क्या सड़क पर बैठक कानून बना लेंगे? उस आंदोलन के चलते असर हुआ कि सरकार की कमेटी बन गयी। कमेटी में फर्क हो गया, मतभेद हो गया। उसके बाद सरकार निश्चित हो गयी।

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः सरकार का पैसिवनेस, उदासीनता, निष्क्रियता और कुव्यवस्था के चलते यह वातावरण हुआ है। सरकार में घोर कुव्यवस्था है।

सभापति महोदयः अब आप अपनी बात खत्म करिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात खत्म कर रहा हूं। उस कुव्यवस्था के चलते वातावरण दूषित हुआ है। इसलिए सरकार का जो लोकपाल बिल है, उससे भी हम लोग सहमत नहीं हैं। वह सशक्त होना चाहिए। बीजीपी वाले लोग चार महीने से गुम मारे हुए हैं, वह कहते हैं कि हम बाद में पत्ता खोलेंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अपनी बात समाप्त करिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः संघ परिवार साथ दे रहा है।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)... *

सभापति महोदयः संजीव गणेश नायक जी बोलें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। संजीव गणेश नायक जी बोलना शुरू करें।

(व्यवधान)... *

सभापति महोदयः धन्यवाद, अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त करें। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)... *

सभापति महोदय: आप समाप्त करें। अब इनको बोलना है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: संजीव गणेश नाईक जी बोलें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप समाप्त करें। संजीव गणेश नाईक जी शुरू करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह रिकार्ड में नहीं जा रहा है, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)... *

सभापति महोदय: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

***श्रीमती संतोष चौधरी** (होशियारपुर): मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूं कि आज मुझे इस संवेदनात्मक मुद्दे पर अपने विचार करने का मौका दिया। कुछ ही दिन पहले 15 अगस्त को आजाद हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उन राष्ट्रनिर्माताओं, की याद ताजा कर दी जिन्होंने निस्वार्थ भावना का चोला पहनकर अपने खून, पसीने, त्याग तथा सेवा से इस भारत की धरती पर आजादी की लड़ाई लड़कर हिन्दुस्तानियों को गुलामी की जंजीरों से निजात दिलवाई तथा संविधान का प्रारूप तैयार किया। परन्तु संविधान की रचना करते समय उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि त्याग और बलिदान देने वालों के आजाद भारत में ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो सिद्धांतों एवं उद्देश्यों से भटकर अवसरवादिता तथा राजसत्ता में लिप्त हो जाएंगे।

आज आदरणीय अन्ना जी को लोकपाल बिल के विषय को लेकर अनशन पर बैठने का निर्णय लिया। यद्यपि अनशन पर न भी बैठते तब भी करप्शन का मुद्दा स्वयं में गंभीर मुद्दा है। हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने जब गरीब भारत वर्ष का कार्यभार संभाला था, उस समय भारत में सुई भी नहीं बनती थी। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा विकास गति को आगे बढ़ाया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने तथा इंदिरा गांधी जी ने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया तथा देश की एकता एवं अखण्डता के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। नौजवान प्रधानमंत्री राजीव जी, जो भारत को 21वीं सदी में ले जाना चाहते थे, वह भी राष्ट्र के लिए शहीद हो गए।

आज जिस करप्शन के विषय को लेकर आप ने सदन में बहस करवाने का समय दिया है, उसके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि विकास के नाम पर जो पैसा लोगों को भेजा जाता है, उसमें से 15 आने तो रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। हमें गौरव है कि आज हिन्दुस्तान का प्रधानमंत्री सबसे से ईमानदार व्यक्ति है, उन्होंने ईमानदार शब्द को आज भी बरकरार रखा हुआ है अन्यथा करप्शन दीमक की तरह रातोंरात इतना फैल गया है कि इसका विपरीतार्थक शब्द ईमानदार शब्दकोष में से भी गायब नजर आता है।

हमारे परिवार में पिता श्री रोशन लाल, एमएलए, मंत्री, सांसद (एचपी) के रूप में करीब 35 वर्ष, ससुर चौ, सुन्दर करीब 50 वर्ष, एमएलए, मंत्री, सांसद के रूप में, और मैंने स्वयं पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबर, चेयरपर्सन, एनसीएस के तथा सांसद के रूप में ईमानदारी का पहनावा पहन जिन्दगी के बीते हुए वर्षों में घोर प्रताड़ना सही है। धनबल ने हमारे जैसे परिवारों को पछाड़कर दूर फेंकने की कोशिश की। परन्तु हमने अपनी ईमानदारी से कोई समझौता नहीं किया। कानून तो जब चाहे बनवा लो, परन्तु उसे लागू कौन करेगा? आज दहेज प्रथा के लिए कानून तो बने है, परन्तु इन्साफ कहां है? अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटीज एक्ट, 1989 बना तो है, लेकिन कितनों को सजा मिली है?

मकान मालिक तथा किराएदार के लिए कानून तो हैं परन्तु इन्साफ कोसों दूर है। जो कुछ कह रही हूं, वह उच्च स्थान पर विराजमान रहते हुए हमारे जैसे परिवार ने शराफत तथा ईमानदारी की सजा पाई है। न तो हमारे परिवार को मुस्लिम लीग के प्रधान मो, जिन्नाह खरीद सके, न ही प्रिवि पर्सेस के बिल के समय राजे-महाराजे खरीद सके।

मेरा इस गौरवशाली सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि श्री अन्ना हजारे जी द्वारा उठाया हुआ तथा इस संसद में पेश किया गया लोकपाल बिल सहमति से तैयार कर लिया जाए तथा गतिरोध को दूर किया जाए। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग तथा बलिदान का प्रतीक सह सदन जो हमें विरासत में मिला है,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उसकी मर्यादा का ध्यान हम सबको रखना हैं इसी सदर्भ में कुछ पंक्तियां लिखी हैं:

"ये कुर्सी के झगड़े, ये वाद-विवाद, ये आपस की रंजिश, ये नफरत की आग।

बीते हुए कल पर लगे हुए दाग, इन सब बातों को आज न दोहरना।

आज लोकपाल बिल के अवसर पर, ऐ मेरी बहनों एवं भाइयों,

देश को यह संदेश भिजवाना कि करप्शन के मुद्दे पर सम्पूर्ण सदन एक है।"

[अनुवाद]

***डॉ. मिर्जा महबूब बेग** (अनंतनाग): राष्ट्र के लिये सबसे बड़ी चुनौती तथा भय 'भ्रष्टाचार' है। इसे 'टेरिस्टि ऑफ इकोनामिक्स' के रूप में माना जाना चाहिये तथा घोटालों में शामिल लोगों को लोगों का धन लूटने वाले देशद्रोहियों के रूप में मानना चाहिये। यदि भ्रष्टाचार नामक इस बुराई को बीजेपी अथवा कांग्रेस का भ्रष्टाचार कहा जाना और राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर पार्टी की तर्ज पर वकालत करने हेतु दोनों दलों के जूरिस्ट को रखना शर्म की बात है। श्री अन्ना हजारे के नेतृत्व में सिविल सोसाइटी ने भ्रष्टाचार से लड़ने का बीड़ा उठाया है क्योंकि लोग देखते हैं कि इस कार्य को पूरा करने के लिये यह प्रणाली विफल हो रही है। परन्तु यदि जन लोकपाल विधेयक को अपनाया जाता है और संपूर्ण रूप में इसे स्वीकार किया जाता है तो क्या इससे आम जन को जिसे प्रतिदिन सभी स्तरों पर 50 रुपये से 100 रुपये की रिश्वत देनी पड़ रही है, से मुक्ति मिलेगी? यदि ऐसा नहीं होता है तो इससे जो हताशा तथा निराशा होगी उसे कौन देखेगा?

चुनाव सुधार, पुलिस सुधार, प्रभावशाली लोकपाल विधेयक तथा उस पुरानी "आंतरिक-आवाज" को जगाना भ्रष्टाचार नामक तेजी से फैलते हुए कैंसर का उत्तर है तथा इसका उत्तर हो सकता है।

हमें प्रभावशाली न्यायिक आयोग बनाना होगा यह सब हमें कुछ समय के दौरान बनी तथा विकसित हुई संस्थानों की उपेक्षा नहीं करनी होगी और संसद उन संस्थानों में से एक है जिस पर हमें गर्व है।

हमने कर्नाटक में भ्रष्टाचार से निपटते हुए "दूसरों से एक भिन्न पार्टी" देखी है। यह बात उजागर हो गयी है और यह शर्मनाक बात है कि काफी बनाने के पश्चात् निवर्तमान माननीय मुख्यमंत्री ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पसंद के व्यक्ति का नाम नामांकित किया। यह आरोप लगाया गया है कि निवर्तमान माननीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2008 के राज्य चुनावों में राज्य पार्टी इकाई का वित्तपोषण किया था तथा बंगलौर में पार्टी मुख्यालय बनाने के लिये बेहिसाब किताब धन दान दिया था।

अब समय आ गया है कि हम सभी पार्टी से ऊपर उठें है, अपने अहम् को नियंत्रित करें और भ्रष्टाचार को उजागर करें और भ्रष्टाचार नामक इस बुराई को लगाम दें।

[हिन्दी]

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): नियम 193 के तहत देशव्यापी भ्रष्टाचार के संबंध में डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने जो चर्चा प्रारंभ की है उसके संबंध में मैं निम्नांकित सुझाव 'ले' करना चाहता हूं-

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार करना पड़ेगा। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा के समय से ही स्कूली पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित किया जाए कि भारत के नागरिकों में चरित्र निर्माण और संस्कार ज्यादा विकसित हो और भ्रष्टाचारियों को देशद्रोही की श्रेणी में रखे जाने से संबंधित पाठ्यक्रम में विषय सम्मिलित हो तभी कहीं जाकर सुसंस्कारित और अच्छे चरित्र के नागरिक बनेंगे, जिनके कंधों पर भविष्य में भारत का प्रशासन, राजनीति, मीडिया, व्यापारिक संस्थान, न्यायपालिका, अन्य निजी संस्थान आदि चलाने का भार लाने वाला हो।

भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है, इसलिए समाज के किसी भी क्षेत्र में भ्रष्ट आचरण के द्वारा यदि पैसा कमाया जाता है तो उसको दृष्टि से देखे जाने की प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए या उसका सामाजिक बहिष्कार किए जाने से संबंधित समाज में सामाजिक संस्कार विकसित होने चाहिए और यदि भ्रष्टाचार रहित जीवन व्यतीत करने वाला कोई नागरिक हो तो उसको सम्मान की दृष्टि से देखे जाने की प्रवृत्ति विकसित होनी चाहिए।

वर्तमान समय में प्रत्येक राजनीतिज्ञ को बेईमान समझने की जो प्रवृत्ति विकसित हुई उसमें सरकार को यह पहल करनी चाहिए कि जितने भी सांसद हैं उनकी खुफिया रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध ऐजेंसियों से प्राप्त करनी चाहिए और जो अच्छे चरित्र से जीवन व्यतीत कर रहे हैं या किसी भी भ्रष्ट आचरण में लिप्त नहीं हैं उनकी भी सारी सूचना सरकार को मंगवाकर संसद को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। ऐसी सूचना सरकार को प्राप्त करने

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सर्वेक्षण करने से उस क्षेत्र में रहने वाले राजनीतिज्ञ की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और उसकी एक वेबसाईट बनाकर क्षेत्र की लोकप्रियता के बारे में जो सरकार को रिपोर्ट प्राप्त होती है वो तथ्य अंकित होने चाहिए जिससे चरित्रवान सांसद या किसी राजनीतिज्ञ का मनोबल बढ़ेगा और वह हमेशा अच्छे चरित्र की ओर अग्रसर होने का ही प्रयास करेगा और जो सांसद या राजनीतिज्ञ उस वेबसाइट के पैरामीटर में खरे नहीं उतरते हैं उन्हें भविष्य में उस पैरामीटर की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी व अच्छा चरित्र निर्माण करने के प्रयास करेंगे।

भ्रष्टाचार समाप्त करने के संबंध में जो लोकपाल बिल प्रस्तावित है, वो बहुत सख्त व पारदर्शी होना चाहिए और उसमें समाज के कमजोर वर्गों का भी प्रतिनिधित्व सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के हितों की न्यायिक दृष्टिकोण से रक्षा हो सके।

भ्रष्टाचार चाहे किसी सेक्टर में हो-चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे मीडिया के क्षेत्र में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए एक ऐसा तंत्र विकसित होना चाहिए जो पारदर्शी हो, स्वतंत्र हो और निर्णय के लिए समयावधि निर्धारित होनी चाहिए।

***श्री शैलेन्द्र कुमार** (कौशाम्बी): मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो इस प्रकार हैं। लोकपाल के आधार पर ही राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति हो एवं लोकायुक्तों के अधिकार भी लोकपाल के समान हों जिन्हें लोकपाल नियुक्त किया जाना हो उनका नाम एवं विवरण समाचार पत्रों एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया के जरिए सार्वजनिक किया जाए तथा नियुक्ति से पूर्व जनता से राय ली जाए। लोकपाल की नियुक्ति करते समय यह ध्यान रखा जाए कि उसमें अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में स्थान मिलें लोकपाल एवं लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सभी छोटे बड़े अधिकारी, कर्मचारी, संसद सदस्य, विधायक, मंत्री एवं देश की बेंच के सभी सदस्य हों। प्रधानमंत्री को अगर लोकपाल की परिधि में लाना हो तब भी रक्षा एवं विदेश नीति से जुड़े मामलों को लोकपाल की परिधि से बाहर रखा जाए। सभी एजजीओ, ट्रस्ट, सभी कॉर्पोरेशन्स, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय, निजी मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रबंध तंत्र, इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया, दवा बनाने वाली कंपनियों एवं दवा विक्रेता, खादर एवं कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां, सभी तरह की शिक्षण संस्थाओं के अध्यापक, सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर, खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वाले सभी व्यापारी, लोकपाल या लोकायुक्त (जिसका भी क्षेत्र हो) के अधिकार क्षेत्र में लाए

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(2) जिसके द्वारा संसद के अंदर बोलने, वोट करने की संसद सदस्यों को आजादी है, पर कोई समझौता नहीं। लोकपाल के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रावधान है और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कोई आम आदमी इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि वकीलों की फीस होती है दो लाख से पांच लाख रुपए प्रतिदिन प्रति केस। इसलिए मेरी राय है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस अधिकतम दस हजार रुपया प्रतिदिन प्रति केस और हाई कोर्ट के वकील की फीस पांच हजार रुपया प्रतिदिन प्रति केस निर्धारित की जाए। उपरोक्त सुझावों में जो मामले केंद्र सरकार से संबंधित हैं उन्हें लोकपाल की परिधि में और जो राज्यों से संबंधित हैं। उन्हें लोकायुक्त की परिधि में रख जाए।

***श्री प्रेमदास** (इटावा): आज सदन में भ्रष्टाचार पर जो चर्चा हो रही है, वह देश के लिए गम्भीर मामला है। इसको ठीक नहीं किया गया तो हम पर और हमारे देश के लोगों का विश्वास उठ जाएगा। निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत हैं-

1. लोकपाल बिल लाया जा रहा है, इसमें आप जो शामिल करने जा रहे हैं, इसके अलावा मीडिया, बड़े होटल एवं बड़े शिक्षा व्यवसायी को भी शामिल किया जाए।
2. हर कार्य की समय सीमा निर्धारित की जाए।
3. जाति प्रथा को समाप्त करने के प्रभावी कार्यक्रम बनाए जाएं।
4. हर व्यक्ति को व्यवसाय से जोड़ जाए।
5. शिक्षा एक समान हो, इसके लिए कार्यक्रम बनाया जाए।
6. रोटी, कपड़ा और रोजगार की गारंटी सरकार दे।
7. किसानों और कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए।
8. जनप्रतिनिधियों की विकास निधि बढ़ायी जाए या समाप्त की जाए।
9. जिसके पास आय से अधिक सम्पत्ति है, उस पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए।
10. प्राकृतिक सम्पदा को सुरक्षित रखने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह साहब से मैं माफी चाहूंगा, वह सदन के बहुत ही बुजुर्ग सदस्य हैं, ...*(व्यवधान)* बहुत बड़े राजपूत हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह देश ऐसे समय और वातावरण में आया है, जब इस सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य भी हैं और मेरे जैसे सदस्य जिनको इस सदन में आए केवल दो साल हुए हैं, वे भी हैं, यह प्रजातंत्र की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। मैं दो दिन से मुंबई में था, मेरे घर में लोग आए और कहा कि सांसद जी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। मैंने उनको कहा कि यह प्रजातंत्र है, इसमें सबको अधिकार है, आप दे दीजिए। उनका कहना है कि हमने आपको किसलिए भेजा है? आपने दो साल में क्या किया है? हमने कहा कि जो पैंसठ साल में नहीं किया, वह दो साल में करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि सदन के बाहर देश में जो हालत है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, जाति, धर्म, पंथ कोई भी हो, सभी लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। मेरे हिसाब से इस सदन में बैठे हुए कि कितने लोग होंगे, जो आम तौर पर छोटे-छोटे कबीले से आए होंगे, गांव या शहर से आए होंगे। आज भले ही आप सांसद हैं, लेकिन बहुत बार आपको इसका सामना भी करना पड़ा होगा। आज आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। हमको भी बहुत बार घूस दे कर काम कराना पड़ा होगा। लेकिन यह बात कोई बोलेगा नहीं। यह सच है। आज मुझे यह सुन कर दु:ख होता है। 15 अगस्त के दिन एक जगह 10वीं कक्षा का लड़का मुझे बोल रहा था कि सांसद जी यह भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म हो रहा है? मैं उसको क्या जवाब दूं? हमारे अन्ना जी वहां बैठे हैं और आप लोग इसे क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? उसे हम लोग क्या जवाब देंगे? वह बच्चा मुझसे जवाब मांग रहा था। मैं उसे जवाब नहीं दे पाया। मैं सदन से विनती करूंगा कि देश का यह सबसे बड़ा सदन है। 20-25 लाख लोगों के प्रतिनिधि यहा आए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों के प्रतिनिधि यहां आए हैं लोगों का विश्वास हमारे ऊपर से उठा रहा है। मैं जब आ रहा था तो मैं बोला कि सांसद हूं तो उनके देखने का नजरिया बदल गया। मैं समझता हूं कि अगर इसे मजबूती से रखना है तो देश की जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप चिंता मत करो, हम देश के हित की बात इस सदन में करेंगे। यह बोलने का समय आया है। मैं जरूर चाहूंगा कि चाहे लोकपाल बिल हो या जनलोकपाल बिल हो, यह ट्रेजरी बेंच का हो या अपोजिशन बेंच का हो, इतना मजबूत लोकपाल बिल बनना चाहिए, एक फिल्म में कहा गया है कि बच्चा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। भ्रष्टाचार करने वाले बच्चे नहीं, भ्रष्टाचार करने वाले बड़े लोगों से ऐसा बोलना चाहिए कि भ्रष्टाचार मत कर, लोकपाल आएगा। ऐसा डर पैदा होना चाहिए। सदन में मुझे बोलने का मौका दिया गया इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एस.एस. रामासुब्बू:** (तिरूनेलवेली): हमारी देश की स्वतंत्रता से भी पहले हमारे यहां भ्रष्टाचार था और यह भ्रष्टाचार उठकर ऊपर आ रहा था। यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात् हमने अपने समाज से उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये जो आज व्यापक रूप से फैल रहा है अनेक अधिनियम बनाये। कानून के माध्यम से सख्त दण्ड आवश्यक होता है। परन्तु यह अपर्याप्त है।

जिन लोगों के पास धन है वे आसानी से कानून को तोड़ मरोड़ रहे हैं तथा आसानी से कोई भी लाभ उठाने के लिये फायदा ले रहे हैं। परन्तु वे लोग जो गरीब तथा सुविधाओं से वंचित हैं कुछ भी प्राप्त करने में असक्षम है। अत: एक भ्रष्ट समाज में संतुलित विकास संभव नहीं है।

अन्ना हजारे अथवा कोई भी व्यक्ति लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर जाता है तो सभी व्यक्तियों के द्वारा इसका स्वागत किया जाता है यह एक आम समस्या है जो सभी जगह व्याप्त है।

राजनीति में स्थानीय निकायों को अधिकार दिये जाने के पश्चात् ग्रामीण स्तर पर राजनेताओं में और ज्यादा भ्रष्टाचार दिखाई देता है।

लोकतांत्रिक आस्ट्रेलिया, अमरीका, सिंगापुर तथा ब्रिटेन में भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये कुछ सख्त कानून है। उन देशों में सार्वजनिक सम्पदा होल्डिंग संबंधी लेखा-जोखा प्रणाली, वेतन का अर्जन, कॉर्पोरेट लाभ, रियल इस्टेट में अर्जन, शेयर मार्किट वित्तपोषण तथा अतिरिक्त लाभ का समुचित ढंग से हिसाब-किताब रखा जाता है।

हमारी यूपीए सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम की शुरूआत की और हमारी सरकार अपनी सरकार में उन भ्रष्ट लोगों के विरूद्ध विभिन्न कानूनी कार्यवाही करती है।

अधिकांश सभी विभागों में सरकारी कर्मचारियों को मध्यस्थता करने वाले विभाग द्वारा समुचित ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है। जब वे भ्रष्ट कार्यकलापों में शामिल होते हैं।

वे इसे फायदे के रूप में लेते हैं। विभिन्न विभागों के कार्य करने वाले बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं तथा भ्रष्ट कार्यकलापों में शामिल हो रहे हैं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

परन्तु सभी क्षेत्रों में चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों, अधिकारी हों, न्याय-प्रणाली के कर्मी हों अथवा राजनितज्ञों हों खरे लोग होते हैं। परन्तु इन खरे तथा ईमानदार लोगों का लोगों द्वारा सम्मान नहीं किया जाता है। इस सोसाइटी में इस प्रकार की संस्कृति का तेजी से विकास हो रहा है।

नैतिकता जवाबदेही, सत्यनिष्ठा तथा जिम्मेदारी के बारे में बच्चों को विद्यालय स्तर पर ही बताया जाना चाहिये। प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा को इस प्रकार से फेरबदल किया जाना चाहिये जिससे भ्रष्टाचार दूर होकर बच्चों को समुचित शिक्षा मिल सके। यह शिक्षा बच्चों को यह बता सके कि भ्रष्टाचार घोर पाप है।

प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह भ्रष्टाचार को खत्म करे तथा एक साथ मिलकर इस बुरी प्रथा को खत्म करे। इस बुरी प्रथा को खत्म करने का यही सही समय है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र नागपाल (अमरोहा): मान्यवर आज जो देश के हालात हैं, देश में चारों तरफ अन्ना ही अन्ना हो रही है। इसका क्या कारण है? इससे आप भलीभांति परिचित हैं। महोदय, पिछले दो वर्षों से हम देख रहे हैं कि जब से यह सरकार बनी है, नित्य नये दिन, नये घोटाले हम सब के सामने उजागर होते जा रहे हैं-चाहे वह आदर्श घोटाला हो, चाहे सीएजी घोटाला हो या छूटू-जी घोटाला हो, इन घोटालों के पीछे यह निष्क्रिय सरकार है, जिसकी मंशा पारदर्शिता बरतने की नहीं है। सीडब्ल्यूजी घोटाला होता है तो कलमाड़ी जी जिम्मेदार, टू-जी घोटाला होता है तो राजा जी जिम्मेदार, अन्ना जी को गिरफ्तारी होती है तो पुलिस जिम्मेदार होती हैं। इनसे सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। सरकार चारों तरफ से बेध्यान हैं यदि यही हालात रहे तो जो सांसद लोग हैं, जो इस देश का सर्वोच्च सदन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग बाहर निकलने लायक भी नहीं रहेंगे। आज जो सरकारी लोकपाल बिल पेश किया गया है जिसे लेकर अन्ना जी धरने पर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि इस सदन से सरकारी लोकपाल बिल वापस जाए और एक मजबूत लोकपाल बिल सदन में आए। ऐसा बिल जिससे हमारे सदन की गरिमा कम हुई है, संसद पर जो विश्वास है, कम हुआ है, वह वापस लेना चाहिए।

मान्यवर, मैं काफी समय से देख रहा हूं कि इस सदन के अंदर घोटाले आते हैं और चंद दिनों में फिर दूसरे घोटाले आते हैं। जनता इन्हें भूलते-भूलते परेशान हो गई। यही कारण है कि आज सड़कों पर युवा वर्ग उतरा हुआ है। हम सब को ऐसा नियम और कानून बनाना चाहिए जिससे कि जनता के अंदर हमारा विश्वास बन सके। उसके लिए सबसे पहले सरकार को कदम उठाने चाहिए। हमारे संविधान में जो धाराएं हैं, वे कम नहीं हैं, लेकिन उन्हें सख्ती से लागू करने की जरूरत है। चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो या सरकारी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, उस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही होनी चाहिए, अदालत में सुनवाई होनी चाहिए और उसमें समय सीमा तय होनी चाहिए। उस पर जो भी दोष लगा हो, उसमें पारदर्शिता बरती जानी चाहिए।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर 85 प्रतिशत जनता ग्रामीण है। किसान जो अपनी फसल उगाता है, वह कभी बाढ़ से घिरा रहता है, कभी सूखे से घिरा रहता है। कभी उसे खाद नहीं मिलती और अगर खाद मिलती है तो उस पर भी सुविधा शुल्क देना पड़ता है। वह फिर भी हमारा अन्नदाता कहलाता है, हमें अन्न देने का काम करता है, इस देश को चलाने का काम करता है। किन्तु इसके विपरीत छोटा सा साबुन बनाने वाला, साबुनदानी बनाने वाला या हवाई जहाज बनाने वाला व्यक्ति अपने प्रोडक्ट की कीमत खुद तय करता है। किसान को उसकी कीमत तय करने का हक नहीं दिया जाता है। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र नागपाल: मैं अनुरोध करता हूं कि किसान को उसकी फसल का वाजिब हक देने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।...*(व्यवधान)* मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दीजिए। मैं सुबह से बैठा हुआ हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जो भी बोलें, संक्षेप में बोलें।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र नागपाल: किसान को वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। उसे फसल के भाव लगाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जैसे आज जन-लोकपाल को लेकर सारा मीडिया उसे दिखा रहा है, ऐसे ही हमने पिछले हफ्ते देखा कि भूमि अधिग्रहण को लेकर तमाम मीडिया से रात-दिन समाचार चलते रहे। मैं चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण बिल जिसे राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी तरफ से आपके यहां सबमिट किया है, उस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही होनी चाहिए जिससे किसान को उसकी जमीन का वाजिब मूल्य मिले। मैं कुछ हफ्ते पहले देख रहा था, अदालतों ने यह निर्णय दिया कि प्राधिकरणों ने जो भूमि अधिग्रहण किया है, उसे रद्द कर दिया गया। उसके बाद प्राधिकरणों द्वारा किसानों के लिए ऐसा कोई माहौल नहीं बन पाया जिससे उसे मार्किट भाव मिल सके। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को मार्किट भाव मिलना चाहिए। भूमि

अधिग्रहण रद्द करने से कुछ नहीं होगा। उसे दुबारा अधिग्रहण कर लिया जाएगा। किसान वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि जिन बिल्डरों ने अधिग्रहण में कब्जे के बाद नीलामी पर भूमि ली है, उनका आबंटन रद्द नहीं होना चाहिए। किसान को उसका मार्किट भाव मिलना चाहिए। साथ ही जिन निवेशकों ने अपने घरों का सपना देखा है, उनका सपना भी साकार होना चाहिए।

सभापति महोदय (श्री एन. कृष्टप्प): उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

***श्री एम.बी. राजेश** (पालक्काड़): आज देश में भ्रष्टाचार सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दा है। मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइटों या गलीकूंचों में लोग इस गम्भीर विषय पर गहराई से चर्चा करते नजर आते हैं। वास्तव में, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों लोग खड़े हो गये हैं। हाल ही के भ्रष्टाचार के हुए खुलासों से जनता में भारी रोष और विरोध है। जनता का यह रोष श्री अन्ना हजारे के चल रहे अनशन में साफ-साफ झलक रहा है।

हालांकि भ्रष्टाचार इस पूंजीवादी व्यवस्था में हमेशा से ही रहा है लेकिन आजकल के समय में यह हमारी कल्पना से कुछ ज्यादा ही विस्तृत और लम्बा-चौड़ा हो गया है। 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले में देश के राजकोष को 1.76 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। यह देश के 2008 के हमारे सकल निर्धारित पूंजी संरचना (जीएफसीफ) का लगभग 10 प्रतिशत है। यह राशि घिनौने बोफोर्स घोटाले की राशि से 2600 गुना ज्यादा है। के.जी. बेसिन घोटाले में, सीएजी ने राष्ट्रीय राजकोष को हुए घाटे कौ "अपरिमेय" बताया। सीडब्ल्यूजी में, लगभग 70000 करोड़ का घाटा हुआ था।

ऐसा होने का कारण क्या है? क्यों भ्रष्टाचार हमारे मूल्यवान और सीमित संस्थानों की लूट बना गया है जिसे हमारे लोगों के कल्याण में लगाया जा सकता था। प्राचीन और अर्वाचीन भ्रष्टाचार में क्या फर्क रह गया है?

हम व्याप्त भ्रष्टाचार और नव-उदार नीतियों में घनिष्ठ संबंध देख सकते हैं। नव उदार नीतियों से भ्रष्टाचार के अनुकूल माहौल बना है। नव-उदार युग में, नीति निर्माण और निर्णायक स्तरों पर भ्रष्टाचार आ रहा है। 2जी, केजी और अन्य घोटालों के अंबार से यह स्पष्ट हो गया है। जन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों का निजीकरण करके क्रियान्वित की जा रही नव उदार नीतियों से लाभ कमाने के नये अवसर मिले हैं और भ्रष्टाचार आचरण के माध्यम से यह बड़ा व्यवसाय फलफूल रहा है। नव उदार नीतियों ने बड़े व्यवसाय, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और कॉर्पोरेट मीडिया के बीच की सांठगांठ को और मजबूत किया है।

इससे याराना पूंजीवाद बढ़ा है। इसे प्रधानमंत्रीजी ने तो पहले ही जता दिया था। तो क्या हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए वास्तव में गंभीर हैं? हमें उन नीतियों को निरस्त करना होगा जो हमें घोर भ्रष्टाचार की ओर ले जाती हैं। इन नीतियों की मूल समस्या को हल किये बिना हम भ्रष्टाचार की समस्या हल नहीं कर सकते।

यद्यपि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लोकपाल महत्वपूर्ण है लेकिन भ्रष्टाचार से निपटने के मुद्दे को लोकपाल तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। हां हमें भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक प्रहरी के रूप में सशक्त और प्रभावी लोकपाल की जरूरत है। इसकी परिधि में प्रधानमंत्री को भी लाया जाए। इसके अलावा, व्यावसायिक घरानों और मीडिया घरानों को भी लोकपाल के अधीन लाना होगा। हमने पेड न्यूज की घटनाएं देखी, और कैसे मीडिया के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहां तक कि न्यायपालिका भी अछूती नहीं रह गयी है। न्यायपालिका के भीतर के मुद्दों से निपटने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना की जाए। हमारी चुनावी प्रक्रिया बड़े स्तर धन-बल की शिकार हो गयी है। अतः इस मुद्दे को हल करने के लिए चुनाव सुधार तुरंत करना बहुत आवश्यक है। बड़े व्यवसाय और राजनीतिज्ञों के बीच की सांठगांठ को तोड़ने के लिए राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट जगत से मिलने वाले धन पर प्रतिबंध लगाना होगा। अतः भ्रष्टाचार एक बहुआयामी मुद्दा है और इससे निपटने के लिए विविध प्रयासों की जरूरत है। तथापि, सशक्त और प्रभावी लोकपाल इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मौजूदा विधेयक को वापस ले और एक नया अधिक प्रभावी लोकपाल विधेयक लाए।

[हिन्दी]

***डॉ. निर्मल खत्री** (फैजाबाद): आज देश का जनमानस, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र का मजदूर, किसान हो या शहरी क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हो, सभी भ्रष्टाचार के हर स्तर के फैलाव से परेशान हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ स्थानों पर इसे संस्थागत रूप दे दिया गया है व इस परम्परा को स्वीकार कर लिया गया है। समाज में अपने नेताओं, जनप्रतिनिधियों को एक आदर्श स्थान पर रखा गया है और उनसे सदैव आदर्श स्थापित करने की अपेक्षा की समाज करता है, लेकिन भ्रष्टाचार रूपी रोग से चूंकि समाज का हर वर्ग प्रभावित है, अतः राजनैतिक नेतृत्व में भी कहीं-कहीं हर दलों में यह रोग दिखता है। भ्रष्टाचार को

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

समाप्त करने के लिए पूरी विश्वसनियता के साथ हम सभी तभी लग पाएंगे, जब हम स्वयं आगे बढ़कर इससे लड़ते हुए दिखायी देंगे। राजनैतिक दलों, राजनैतिक नेतृत्व की साख को आज खत्म करने का भी जो प्रयास हो रहा है, वह देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आज आरोप-प्रत्यारोप के बजाय आगे आना होगा। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन भी सत्तर के दशक में भ्रष्टाचार, महंगाई के विरोध में हुआ था। कांग्रेस की सरकार को शिकस्त खानी पड़ी थी। लेकिन क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया, महंगाई रुक गई, ऐसा नहीं हुआ।

आज कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने भ्रष्टाचार के संदर्भ में कड़े कदम उठाए हैं। जिसका उदाहरण एक मंत्री व सदन के कई सदस्यों की गिरफ्तारी से सर्वसिद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार में हम सभी ने उनके कई नेताओं, मंत्रियों के कारनामों को टीवी पर लेनदेन करते हुए देखा। लेकिन कोई भी बीजेपी का नेता गिरफ्तार नहीं हुआ। वह साहस जो कांग्रेस ने आज दिखाया है, वह साहस बीजेपी ने उस समय नहीं दिखाया था।

भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता को भी सोचना पड़ेगा कि क्यों वह किसी भ्रष्ट व्यक्ति, माफिया का अपने बीच से चुनाव करती है, फिर वह चाहे पंचायत का चुनाव हो या विधान सभा, लोक सभा का चुनाव हो।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान में देश में जो परिस्थिति अन्ना हजारे जी के अनशन से बनी है, उसको गम्भीरता से सरकार को लेना चाहिए, हम उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं, और टीम अन्ना भी संसद, संसदीय प्रक्रिया की सर्वोच्चता को स्वीकार करे।

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला): सभापति महोदय, जिस मौजू पर सुबह से बात हो रही है, दोनों तरफ से मुखतलिफ ख्याल के जितने भी सियासी सोच के लोग इस सदन में हैं, इस हाउस में हैं, सबने परेशानी का इजहार किया, सबने तशवीश का इजहार किया, सबने इस बात पर जोर दिया कि यह एक ऐसी बीमारी इस मुल्क में फैल चुकी है जो आदमी को अंदर से घुन की तरह खाए जा रही है। रिश्वतखोरी, बदउनवानी और बदनीयती हमारी जिंदगी का पहलू बन गया है हर शोबे जिंदगी में। यह नहीं कि आप यहां आरोप लगाएं और ये आप पर आरोप लगाएं या हम आप पर आरोप लगाएं, आप हम पर आरोप लगाएं। आप सब लोगों को मिलकर, बैठकर इस पर सोचना चाहिए कि इस बीमारी का इलाज कैसे करेंगे। यह नहीं चलेगा। हम कहेंगे कि जहां-जहां बीजेपी सरकार है, वहां रिश्वतखोरी है और वे कहेंगे कि जहां कांग्रेस सरकार है वहां रिश्वतखोरी हे, बददयानती और बेईमानी है। मैं कहूंगा दोनों जगह पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

अपराह्न 05.00 बजे

अगर यह नहीं होता, तो आज लाखों लोग सड़कों पर नहीं होते। अगर यह बेईमानिया, बददयानतियां नहीं होती, तो आज हजारों लोग अन्ना हजारे जी के पास नहीं होते और इस लैवल पर दुनिया में आज यह नहीं किया गया होता। यह एक चीज है। इसे खत्म करते हुए आप लोकपाल बिल लायें, आप सख्त मजबूत बिल लायें, कानून बनायें। क्या इस देश में कानून नहीं है? क्या लॉ कानूनियत इस देश में है? क्या कत्ल के खिलाफ कानून नहीं है? फिर राजीव गांधी क्यों मारा गया, कत्ल किया गया? अगर यहां कानून मौजूद है, तो फिर इंदिरा गांधी का कत्ल क्यों हुआ? अगर कानून मौजूद है, तो इतने कत्ल, इतनी वारदातें, इतने रेप आदि चीजें क्यों हो रही हैं? मान लीजिए, आपके पास लोकपाल का एक और कानून आयेगा और आप चाहेंगे, दुनिया का कोई अंधा यह चाहेगा, समझ जायेगा कि क्या इससे करप्शन खत्म हो जायेगा। यह बात कानून से खत्म होने वाली नहीं है। जब तक हमारे जमीर बदल जायेंगे, हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारा लालच जिसने तबाही की, आज यह जंगल काटकर हम ही बेच रहे हैं। सरकारी जमीनों पर लूट हमारी ही हो रही है। सड़कों पर दुकानें हमारी बढ़ रही हैं ये ट्रैफिक पुलिस की धांधली हमारी हो रही है। ट्रैफिक पुलिस वाला चोर है, वह कहां का है? वह मेरा बेटा है, आपका बेटा है, इसका भांजा है और उसका भतीजा है। हम ही लोग हैं हमें अपने दामन में देखना चाहिए, अपने को टटोलना चाहिए। वहां से जोशी जी ने उठकर स्कैंडल्स की लिस्ट पढ़ दी। उससे कुछ नहीं होगा। आप इल्जाम किस पर लगायेंगे? यह तो हम पर लग रहा है। मुझे इस चीज़ की फिक्र पड़ रही है। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि यह जो हमारे असलाफ में, हमारे रहेनुमाओं ने एक सौ साल तक तरहीक चलाकर यह सदन हमें दिया है, इस सदन पर हरफ आ रहा है। इस सदन पर हमारी वजह से एक बेइज्जती हो रही है। एमपीज की बेइज्जती हो रही है, जिनको लोगों ने अपना वोट देकर यहां चुना है। हम खुद नहीं आये हैं, हमें लोगों ने चुना है। आज आपका सिर शर्म से नीचे हो रहा है। क्या आप इस

चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? आप डॉ. मनमोहन सिंह जी पर इल्जाम लगायेंगे और मनमोहन सिंह जी की जमात आप पर इल्जाम लगायेगी। यह ऐसे नहीं चलेगा और न ही चलने वाली बात है। मैं आप सबसे और अन्ना हजारे के साथियों से भी अपील करता हूं कि इस मुल्क को आग में मत झोंको, मत झोंकों इस देश को आग में, इस देश की सदन को, इस देश की पार्लियामेंट के अहतराम को खराब मत करो। इस देश के सिस्टम को तबाह मत करो। इसमें खामिया हो सकती हैं। इन खामियों को दूर करने के लिए सिर मिलाकर बैठो। यह बच्चों वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए कि अगर 31 तारीख तक नहीं हुआ तों मैं यहां बैठकर अपने को जला दूंगा। ये बच्चों वाली हरकतें मत करो। संजीदगी से काम करो, क्योंकि यह मसला बहुत संजीदा है। इस पर सोच विचार करने की जरूरत है। यह नासूर रग-रग में, नस-नस में घुस गया हैं इस नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए सबको मुत्तहिद होना है, प्रैस को मुत्तहिद होना है।...*(व्यवधान)* हम प्रैस वाले भी देखते हैं। एक अखबार वाले को दस हजार रुपये दे दो, और आपके मुखालिक को दस हजार गालियां सुननी पड़ेंगी। यह भी है। मीडिया में देखो, तो वहां भी करप्शन है। पार्लियामेंट में देखो, तो यहां आपने नोट गिने थे। आपके प्रेजीडैंट साहब को वहां पकड़ा गया, टेलीविजन पर दिखाया गया। हमारे लोग तो जेल में ही हैं। अब इस हमाम में सब नंगे है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरीफुद्दीन शारिक: कोई किसी को ताना नहीं दे सकता। सबको सोचना पड़ेगा, जहे इंसाफ करके सोचना पड़ेगा। हिन्दुस्तान की इज्जत का सवाल आपके सामने है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरीफुद्दीन शारिक: मैं आपको इस हिन्दुस्तान की आबरू का सवाल देता हूं। मैं आप सबको, प्रैस मीडिया, लीडर्स को हिन्दुस्तान की आईन की इज्जत का सवाल देता हूं कि खुदा अब इस मुल्क को बचाइये, अब इस सदन को बचाइये। आप इस आईन को बचाइये, जो बहुत मेहनत और बहुत वक्त की कुर्बानियों के बाद हमें मिला है। इसे आप बचाइये।

جناب شریف الدین شارق (بارہمولہ): چیرمین صاحب، جس موضوع پر صبح سے بات ہو رہی ہے، دونوں طرف سے مختلف خیالات کے لوگ، جتنے بھی سیاسی سوچ کے لوگ اس ایوان میں ہیں، اس ہاؤس میں ہیں سب نے پریشانی کا اظہار کیا، سب نے تشویش کا اظہار کیا، سب نے اس بات پر زور دیا کہ یہ ایک ایسی بیماری اس ملک میں پھیل چکی ہے جو آدمی کو اندر سے گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ رشوت خوری، بدعنوانی اور بددیانتی ہماری زندگی کا پہلو بن گیا ہے ہر شعبہ زندگی میں۔ یہ نہیں کہ آپ ان پر یہاں الزام لگائیں اور یہ آپ پر الزام لگائیں یا ہم آپ پر الزام لگائیں، آپ ہم پر الزام لگائیں۔ آپ سب لوگوں کو مل کر بیٹھ کر اس پر سوچنا چاہئے کہ اس بیماری کا علاج کیسے کریں گے۔ یہ نہیں چلے گا۔ ہم کہیں گے جہاں جہاں بی۔ جے۔ پی کی سرکار ہے وہاں رشوت خوری ہے اور وہ کہیں گے کہ جہاں جہاں کانگریس کی سرکار ہے وہاں رشوت خوری، بددیانتی اور بے ایمانی ہے۔ میں کہوں گا کہ دونوں جگہوں پر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتی تو آج لاکھوں لوگ سڑکوں پر نہیں ہوتے۔ اگر یہ بے ایمانیاں، بددیانتیاں نہیں ہوتیں تو آج ہزاروں لوگ انا ہزارے جی کے ساتھ نہیں ہوتے اور اس لیول پر آج دنیا میں یہ نہیں کیا گیا ہوتا۔ یہ ایک چیز ہے، اسے ختم کرتے ہوئے آپ لوک پال بل لائیں، آپ سخت مضبوط بل لائیں، قانون بنائیں۔ کیا اس ملک میں قانون نہیں ہے۔ کیا لاقانونیت اس ملک میں ہے؟ کیا قتل کے خلاف قانون نہیں ہے؟ پھر راجیو گاندھی کیوں مارے گئے، قتل کئے گئے۔ اگر یہاں قانون موجود ہے تو پھر اندرا گاندھی کا قتل کیوں ہوا؟ اگر قانون موجود ہے تو اتنے قتل، اتنی وارداتیں، اتنے ریپ وغیرہ کیوں ہو رہے ہیں۔ مان لیجئے آپ کے پاس لوک پال کا ایک اور قانون آئے گا اور آپ چاہیں گے، دنیا میں کوئی اندھا یہ چاہے گا، سمجھ جائے گا کہ کیا اس سے کرپشن ختم ہو جائے گا۔ یہ بات قانون سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جب تک ہمارے ضمیر بدل جائیں گے، ہماری بھوک، ہماری پیاس، ہمارا لالچ جس نے تباہی کی، آج یہ جنگل کاٹ کر ہم ہی بیچ رہے ہیں۔ سرکاری زمینوں پر لوٹ ہماری ہی ہو رہی ہے۔ سڑکوں پر دکانیں ہماری بڑھ رہی ہیں۔ یہ ٹریفک پولس کی دھاندلی ہماری ہو رہی ہے۔ ٹریفک پولس والا چور ہے، وہ کہاں کا ہے؟ وہ

میرا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا ہے، اس کا بھانجہ ہے اور اس کا بھتیجہ ہے۔ ہم ہی لوگ ہیں۔ ہمیں اپنے دامن میں دیکھنا چاہئے، اپنے کو ٹٹولنا چاہئے۔ وہاں سے جوشی جی نے اٹھ کر اسکینڈلس کی لسٹ پڑھ دی ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ الزام کس پر لگائیں گے؟ یہ تو ہم پر لگ رہا ہے۔ مجھے اس چیز کی فکر ہو رہی ہے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اسلاف میں، ہمارے رہنماؤں نے 100 سال تک تحریک چلا کر یہ ایوان ہمیں دیا ہے، اس ایوان پر ہماری وجہ سے ایک بے عزتی ہو رہی ہے، اہم۔ چیز کی بے عزتی ہو رہی ہے جن کو لوگوں نے اپنا ووٹ دے کر یہاں چنا ہے۔ ہم خود نہیں آئے ہیں، ہمیں لوگوں نے چنا ہے۔ آج آپ کا سر شرم سے نیچے ہو رہا ہے، کیا آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں؟ آپ ڈاکٹر منموہن سنگھ جی پر الزام لگائیں گے اور منموہن سنگھ جی کی جماعت آپ پر الزام لگائے گے۔ یہ ایسے نہیں چلے گا اور نہ ہی چلنے والی بات ہے۔ میں آپ سب سے اور انا ہزارے کے ساتھیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کو آگ میں مت جھونکوں، مت جھونکوں اس دیش کو آگ میں۔ اس ملک کے ایوان کو، اس ملک کی پارلیمنٹ کے احترام کو خراب مت کرو۔ اس ملک کے سسٹم کو تباہ مت کرو۔ اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں، ان خامیوں کو دور کرنے کے لئے سر ملا کر بیٹھو یہ بچوں والی حرکتیں نہیں ہونی چاہئے کہ اگر 31 تاریخ تک نہیں ہوا تو میں یہاں بیٹھ کر اپنے کو جلا دوں گا، یہ بچوں والی حرکتیں مت کرو، سنجیدگی سے کام کرو، کیونکہ یہ مسئلہ بہت سنجیدہ ہے، اس پر سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ناسور رگ رگ میں نس نس میں گھس گیا ہے۔ اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لئے سب کو متحد ہونا ہے، پریس کو متحد ہونا ہے، ہم پریس والے بھی دیکھتے ہیں۔ ایک اخبار والے کو 10,000 روپئے دے دو، اور آپ کے مخالف کو 10000 گالیاں سننی پڑھیں گے۔ میڈیا میں دیکھو وہاں بھی کرپشن ہے، پارلیمنٹ میں دیکھو تو یہاں آپ نے نوٹ گنے تھے، آپ کے پریسیڈینٹ صاحب کو پکڑا گیا تھا، ٹیلیویژن پر دکھایا گیا تھا۔ ہمارے لوگ تو جیل میں ہی ہیں، اب اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ کوئی کسی کو تانہ نہیں دے سکتا، سب کو سوچنا پڑے گا، ذہن صاف کر کے سوچنا پڑے گا، ہندوستان کی عزت کا سوال آپ کے سامنے ہیں۔ میں آپ کو ہندوستان کی آبروں کا سوال دیتا ہوں، میں آپ سب کو پریس، میڈیا، لیڈران کو

ہندوستان کے آئین کی عزت کا سوال دیتا ہوں کہ خدارہ، اب اس ملک کو بچایئے، اب اس ایوان کو بچایئے، آپ اس آئین کو بچایئے۔ جو بہت محنت اور وقت کی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ اسے آپ بچایئے۔ خدا حافظ۔۔۔

[अनुवाद]

***श्री पी. करूणाकरन** (कासरगोड): भारत में आजकल भ्रष्टाचार एक गम्भीर मुद्दा बन गया है। जिस प्रकार हमने मूल्य वृद्धि पर चर्चा की उसी प्रकार हमने सभा में इस मुद्दे पर भी बहुत बार चर्चा की। चर्चा विपक्षी सदस्यों द्वारा दिये गये संकल्प पर ही आधारित नहीं थी, यह उच्चतम न्यायालय के फैसले पर आधारित सीएजी रिपोर्ट पर भी आधारित थी। हम उस गम्भीर मुद्दे के साक्षी थे, जिसे इस सभा में इस मुद्दे को जब हमने उठाया तो सरकार ने उसे पूर्णत: अनदेखा किया। हम राष्ट्रमंडल खेल, आदर्श फ्लैट के व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप के साक्षी थे तथा कालेधन के मद्दे पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। भ्रष्टाचार को नये रूप और आकार में देखा गया है, यह न केवल किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे को धन देना है बल्कि यह नीतिगत निर्णयों का हिस्सा बन गया है, जिसे हम 2जी स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं। कुछ बड़े निगमित प्रबंधनों, कुछ नौकरशाहों और कुछ राजनीतिज्ञों के इसमें शामिल होने और उनके प्रभाव और दबाव में सरकार नीतिगत निर्णय लेती है जो भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे खोलती है। अब यह इस इतिहास की पराकाष्ठा हो गयी है। प्रधानमंत्री इस मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। भ्रष्टाचार के कई मुद्दों की जानकारी विधि मंत्री के कार्यालय, वित्त मंत्री के कार्यालय और यहां तक की प्रधानमंत्री कार्यालय को भी है। नियंत्रण करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। ऐसे में हजारे का संघर्ष और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने देखा कि कैसे सरकार इस मुद्दे से निपटी है। अब बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं। इस संघर्ष में मूलभूत मुद्दा भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने की राजनीतिक इच्छा व्यक्ति की मांग और जरूरत है। क्या यह सरकार सक्षम है, यह संदेहास्पद और समीक्षा योग्य है।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल शुरू किया है इस नारे से बड़ी संख्या में लोग आकर्षित हुये हैं। इसका कारण है कि भ्रष्टाचार आम लोगों के मन में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। स्वाधीनता से पूर्व भारत में मुद्रा घोटाला, बफर घोटाला पेट्रोल पम्प घोटाला जैसे अनुभव हो रहे हैं और अब भ्रष्टाचार संबंधी घोटालों यह स्तर दो पैमाने पर पहुंच गया है। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि भारत में 2जी स्पेक्ट्रम का मुद्दा सभी भ्रष्टाचार से बड़ा भ्रष्टाचार बन गया है। हममें कॉमन वेल्थ गेम्स आदर्श फ्लैट्स और खान से जुड़े मुद्दों को भी देखे हैं। कालाधन का मुद्दा अधिक गंभीर हो गया है क्योंकि यह वास्तव में सार्वजनिक धन की लूट हैं। इस स्थिति में एक मजबूत लोकपाल विधेयक की जरूरत और गम्भीर हो गई है। श्री हजारे द्वारा लगाई गई सारी शर्तों से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। इसमें कोई संदेह

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

नहीं कि संसद सर्वोपरि है। इस मुद्दे पर संसद में विस्तार से विचार किया जाना चाहिए और स्थायी समिति भी इस पर विचार कर सकती है। सिविल सोसायटी भी अपनी राय दे सकती है। इस मुद्दे पर संसद में और संसद के बाहर गहन चर्चा होनी चाहिए। जिसका परिणाम एक मजबूत लोकपाल विधेयक होना चाहिए।

न्यायापालिका के मामले में भी हमने भ्रष्टाचार के मामले देखे हैं। न्यायापालिका पर भी उसकी स्वयं की निगरानी के जगह उसकी निगरानी और नियंत्रण करने वाला एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग होना चाहिए। भ्रष्टाचार की परिभाषा को भी व्यापक बनाना चाहिए। यह किसी एक दो व्यक्तियों या कुछ व्यक्तियों से जुड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि यह नीतिगत निर्णय का विषय बन गया है। कुछ नौकरशाह बड़े निगमित घरानों और कुछ राजनीतिज्ञ लिप्त हैं। इन ताकतों के बीच मिली भगत है। अत: यह नई उदार नीति का परिणाम बन गया है। जहां तक साधारण नागरिकों की बात है। राज्य स्तर पर एक लोकायुक्त होना चाहिए। यहां तक कि संसद सदस्यों, विधायकों, जो सभा में बोलते हैं और मतदान करते हैं, उन पर भी नजर रखनी चाहिए। परमाणु मुद्दे पर मतदान के लिए सांसदों द्वारा बड़े रिश्वत लेने के अनुभव हमारे पास हैं। इसलिए भ्रष्टाचार की बहुत गम्भीर बुराई को दूर करने के लिए एक मजबूत और प्रभावी लोकपाल विधेयक की जरूरत है।

[हिन्दी]

***श्री संजय धोत्रे** (अकोला): आज सारा देश भ्रष्टाचार से चिंतित है। भ्रष्टाचार ने हमारे देश में एक अत्यंत भयानक स्थिति निर्माण कर दी है। इसके समर्थक कहते हैं कि भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता। यह सच भी है। भ्रष्टाचार पूरी तरह नहीं मिट सकता। जिस तरह हवा, पानी अन्य विषाणुओं से कुछ मात्रा में दूषित रहता है, हमारे शरीर में भी यही स्थिति रहती है। लेकिन यह मात्रा एक सीमा के ऊपर बढ़ती है तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसका इलाज नहीं किया गया तो संबंधित अंग जैसे कि किडनी, हृदय, लीवर इत्यादि और धीरे-धीरे सभी अंग बेकार हो जाते हैं जिसे मल्टी ऑर्गन फेल्योर कहते हैं, हो जाता है और व्यक्ति मर जाता है। आज भ्रष्टाचार हमारी सहन शक्ति से बाहर हो गया है। नीचे से लेकर ऊपर तक हम सभी जाने-अनजाने शामिल हो गए हैं और अब समय आ गया है। धीरे-धीरे सभी सिस्टम फेल हो रहे हैं, मल्टी ऑर्गन फेल्योर की स्थिति आ गयी है। यह कोई पार्टी का, दल का विषय नहीं है। हर दिन यह बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचारियों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति भ्रष्टाचार की राशि बढ़ गई है। 25 वर्ष पहले 65 करोड़ रुपए का बोफोर्स कांड हुआ। अभी हर साल 10,000 करोड़ रुपए से लेकर 2,00,000 करोड़ रुपए के कई स्कैम बाहर आ रहे हैं और वह भी सरकारी संस्था सी.ए.जी., सी.बी.आई., और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। आज कई राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, सरकारी अधिकारी जिनकी वैध कमाई सालाना 10-20 लाख रुपए के ऊपर नहीं जिनकी कमाई का कोई सोर्स नहीं है वे अपने पद का दुरुपयोग करके हजारों करोड़ के मालिक बने। आज यह स्थिति बन गयी है कि ये लोग पैसे के बल से सत्ता और सत्ता के बल से पैसे से पूरे देश को लूट रहे हैं। इनके पास पैसे रखने की जगह नहीं है, इसलिए विदेशों में स्विस बैंक, सिंगापुर में पैसे भर रहे है। हमें इसे रोकना होगा। आज यह स्थिति पैदा हुई कि कोई ईमानदारी से नहीं जी सकता। इसलिए अन्ना हजारे जी जो कह रहे हैं, वह पूरे देश की जनता की आवाज है, आक्रोश है। पहले चंद लोग स्कैम में शामिल होते थे। अभी सब मिल कर घोटाला करने लगे। आदर्श सोसायटी में यही हुआ। सी.ए.जी. रिपोर्ट में इसका जिक्र है। आज हमारा देश खतरे में है। भ्रष्टाचार एक महामारी है। एक सशक्त लोकपाल बिल तुरंत लाया जाए।

मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई में अन्ना जी का साथ दें और पूरा सदन अन्ना जी को आश्वासन दे कि हम सशक्त और प्रभावशाली लोकपाल बिल समय सीमा में पारित करेंगे और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनशन वापस लें। देश के लिए आप महत्वपूर्ण हैं।

श्री अनंत कुमार हेगड़े (उत्तर कन्नड़): महोदय, सदन में इससे पहले बहुत चर्चा हो चुकी है, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, बस यही कहना है मुझे कि कई सालों से यह चर्चा चलती आई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। कानून पर कानून हमने सदन में पेश किए, तो भी चर्चा चल रही है, आज भी चर्चा चल रही है, कुछ नहीं निकल पा रहा है, इसलिए लोग आज सड़क पर उतरे हैं, लोग फ्रस्ट्रेट होकर आज नारे लगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम कामयाब नहीं हो पाए अपनी ड्यूटी में। इस सदन में बैठकर हम सालों तक सिर्फ चर्चा करते आए हैं। मेरे सामने पूरा एविडेंस भी है। आज एक लोकपाल बिल को लेकर हम चर्चा में बैठे हैं। आज वैसे तो लाकपाल बिल पर चर्चा नहीं चल रही है, भ्रष्टाचार के मामले पर चर्चा चल रही है, तो उस दिन कहा गया था कि लोकपाल बिल एनडीए ने भी रखा था और यूपीए ने भी रखा है। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि लोकपाल बिल सिर्फ आज और कल का सवाल नहीं था, लोकपाल बिल बहुत पहले से इंदिरा गांधी जी के जमाने से इस सदन में पेश होता आया है। पहला बिल वर्ष 1968 में पेश हुआ था, उसके बाद वर्ष 1971 में पेश हुआ था, उसके बाद वर्ष 1977 में पेश हुआ था, उसके बाद वर्ष 1985 में पेश हुआ था, उसके बाद वर्ष 1989 में पेश हुआ था, वर्ष 1996 में पेश हुआ था, वर्ष 1998 में पेश हुआ था और उसके बाद अब चार अगस्त को पेश किया गया है। इससे पहले नौ बार लोकपाल बिल इस सदन

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में पेश किया गया है और सिर्फ बहस चली है, कुछ भी नहीं हुआ है। एक बहस के बाद दूसरी बहस, इसी का नतीजा हम आज भुगत रहे हैं कि लोग रास्ते पर हैं। हरेक सांसद चाहे वह यूपीए का हो या एनडीए का हो या अन्य किसी दल का हो, उनके घरों को लोग घेरे हुए हैं, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। यह हमारी नाकामयाबी की वजह से है। वैसे भ्रष्टाचार का मामला उठता है, तो इंदिरागांधी जी के जमाने का एक व्याख्यान याद आता है कि इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार सब जगह है अर्थात् यह सभी देशों में है और इसलिए इसे भारत में सामान्य माना जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उससे पहले जाने की कोई जरूरत नहीं है कि भ्रष्टाचार कब से शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, जैसा अभी शरद यादव जी कह रहे थे, भ्रष्टाचार इस देश में कभी था ही नहीं। अपनी नसों में जहर बहाना किसने शुरू किया? इसके लिए हमें इंदिरा जी से पहले झांकना पड़ेगा। वर्ष 1960 में जवाहर लाल नेहरू जी के खिलाफ राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को नौ करोड़ रुपए दिए तथा भारत को केवल उसकी अस्थिया दीं। यह बात राम मनोहर लोहिया जी ने इसी सदन में कही थी। वहां से शुरू हुआ जहर बहना अपनी नसों में। इस देश की नसों में भ्रष्टाचार का जहर उस जमाने से बहना शुरू हुआ।...*(व्यवधान)* बस उसी का नतीजा है।...*(व्यवधान)* जैसे बीज बोए हैं, उसी का नतीजा आज भुगत रहे हैं। उस वक्त एनडीए भी नहीं था, बीजेपी भी नहीं थी, आपका बोया हुआ बीज आज सभी भुगत रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनंत कुमार हेगड़ेः महोदय, यह पांच या दस मिनट का सवाल नहीं है, यह हकीकत है, इसे सदन को सुनना होगा। कोफी अन्नान जी ने एक बात कही है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव श्री कोफी अन्ना ने कहा था किः

"इंदिरा गांधी ने सही कहा था कि भ्रष्टाचार सभी देशों में है। परन्तु भारत में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि वह देश को बर्बाद कर देगा।"

[हिन्दी]

यह कहना है यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव श्री कोफी अन्नान का...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री अनंत कुमार हेगड़े के अलावा और किसी का रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री अनंत कुमार हेगड़ेः आज भ्रष्टाचार के मामले में हमारे सामने लोकपाल बिल पेश किया गया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया शांत रहें और इन्हें बोलने दें।

श्री अनंत कुमार हेगड़ेः इस बिल में कुछ भी खास नहीं हैं यह बिल एक प्रकार से बिना दांत के शेर के समान है। इससे भ्रष्टाचार को खत्म करने में कोई मदद मिलने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार अगर व्यवस्था हो तो हम व्यवस्था को कानून के द्वारा बदल कर, उसे दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर नीति में और नीयत में दोष है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। एक वेबसाइट 'आई पेड ब्राइब' में दिया गया है कि हमारे देश में 8500 करोड़ रुपए हर साल रिश्वत दी जाती है। हमारे देश में पांच प्रतिशत लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जबकि बाकी 95 प्रतिशत लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।

सभापति महोदयः माननीय सदस्य अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनंत कुमर हेगड़ेः इन पांच प्रतिशत लोगों में अधिकारी और राजनेता हैं। ये दोनों मिलकर इस देश को लूट रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया शांत रहें।

श्री अनंत कुमार हेगड़ेः दुनिया के 178 भ्रष्ट देशों की सूची एक पत्रिका में छपी है। उसके अनुसार हमारे देश का स्थान 87वां है। शायद यूपीए सरकार अपने एजेंडे में यह भी चाहेगी और कोशिश करेगी कि हम पहले स्थान पर आ जाएं।...*(व्यवधान)* वित्त मंत्री जी यहां अभी मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि इकोनॉमी बढ़ रही है। इसलिए इंफ्लेशन में मामूली बढ़ोत्तरी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वह यहां होते तो मैं उनसे कहता कि वह शायद यह भी कहेंगे आगे चलकर और तथ्य निकालकर कि बढ़ती हुई इकोनॉमी में भ्रष्टाचार का बढ़ना भी मामूली बात है।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें और अब बैठ जाएं।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: सभापति जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जवाहर लाल नेहरू जी के से समय से नौ करोड़ रुपए से शुरू हुआ भ्रष्टाचार आज लाखों करोड़ रुपयों तक पहुंच गया है और यह सब इन्हीं की वजह से हुआ है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। मैं अगले वक्ता श्री तरुण मंडल को पुकार रहा हूं कि वह अपनी बात कहें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप बैठ जाएं, क्योंकि आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

***श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट** (कच्छ): यह जानकर बहुत दुख हुआ कि पूरा भारत भ्रष्टाचार की चपेट में है। कुछ ऐसे कानून बनाना बहुत आवश्यक है, जिनसे न केवल भ्रष्टाचार पर रोक लगे, बल्कि भारत को एक नया जीवन भी मिले। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात करता है तो लोग यह कहना शुरू कर देते हैं कि मानो यह उनके जीवन में समा गया हो और लोग यह समझने लगते हैं कि रिश्वत दिए बिना कोई भी काम नहीं हो सकता और यह भारत के लोगों के जीवन की रीत बन चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को शुरू से ही बताया जाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, जिससे कि उन्हें बचपन से ही मालूम चल सके कि भ्रष्टाचार गलत है। भारत से भ्रष्टाचार तभी समाप्त हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक यह शपथ ले कि वह भ्रष्ट नहीं बनेगा और वह अपने ईमान पर रहेगा। भारत एक सांस्कृतिक देश के रूप में जाना जाता है और इसकी पहचान भ्रष्ट देश के तौर पर नहीं होनी चाहिए। हम भारतीयों को और अधिक सच्चा बनकर सिंगापुर की तरह भ्रष्टाचार को जड़ से खात्मा कर देना चाहिए और एक बेहतर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): महोदय, आज यह सबसे बड़ा लोकतंत्र भ्रष्ट देशों की सूची में आगे चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में हमारे देश का स्थान बहुत नीचे है, परन्तु भ्रष्ट देशों की सूची में अपने कुछ पड़ोसी देशों के साथ हम सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। अगस्त के इस पावन माह में हमारे देशवासियों के लिए यह बहुत ही शर्म की बात है, परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार के लिए यह शर्मनाक बात है ही नहीं।

हमारे देश में कानूनों, दांडिक उपायों तथा संहिताओं की कमी नहीं है, परन्तु प्रश्न यह है कि कौन नए कानून अथवा आचार संहिता का क्रियान्वयन अथवा पालन कराएगा? प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसी अर्थात पुलिस बल सबसे अधिक भ्रष्ट है या फिर पूरी तरह भ्रष्ट हैं। और तो और हमारे देश की न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार का अंश अथवा श्राप नजर आने लगा है। इसलिए सरकार को कोई तंत्र बनाना चाहिए चाहे वह लोकपाल हो अथवा जन लोकपाल हो, या जो भी हो और यह देखना चाहिए कि लोगों के लाभ के लिए इसका किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है।

साथ ही साथ मैं उन उपायों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनका प्रयोग सरकार, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने के लिए कर रही है, जब वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। वे कहां प्रदर्शन करेंगे, कितनी संख्या में प्रदर्शन करेंगे; कितने दिन तक प्रदर्शन करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों से सरकार उनके कार्य में बाधा डाल रही है। उचित प्रतिबंध के नाम पर भी धारा 144 लगाना लोकतंत्र में अस्वीकार्य है। यह लोकतंत्र का मजाक है। यह तानाशाही है जो फासीवाद की ओर जाती है। सरकार चाहती है कि लोग चूक दर्शक बने रहें तथा विपक्ष खामोशी से तंत्र को देखता रहे। जब भी किसी विकास कार्य के लिए संसाधनों की बात आती है तो हम सुनते हैं कि संसाधनों की कमी है, परन्तु यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि तत्परता से राजकोष में घपला किया जा रहा है। लाखों और करोड़ों रुपए की चोरी कर ठगों की तिजोरियां भरी जा रही हैं और सरकार अपंग लगती है और ऐसा लगता है कि हमारे दांडिक उपाय और तंत्र बेकार हो चुका है तथा प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय है।

मेरा मानना है भ्रष्टाचार का मूल कारण इस पूंजीवादी प्रणाली में है, जहां हम रह रहे हैं। इस प्रणाली ने आरंभ में जो प्रगतिगामी भूमिका निभाई थी, वह अब यह भूमिका नहीं निभा रही है। अब यह ह्रासवादी, बेजान और प्रतिक्रियात्मक बन गई है जैसाकि 160 वर्ष पूर्व कार्ल मार्क्स ने कहा था कि: ''पूंजीवाद के चरम पर पहुंचने पर धन भगवान की जगह ले लेगा और समाज पर धन ही राज करेगा।'' अब बेजान पूंजीवाद ने मानव को उस स्थिति में धकेल दिया है, जहां किसी भी कीमत पर धन अर्जित करना जीवन का उद्देश्य बन गया है। यहां तक कि मानवीय संबंध भी धन के आधार पर बनाए जा रहे हैं, और उसके लिए पूंजीवादी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रणाली और लोकतंत्र के आरंभ होने के समय जो भी मापदण्ड, सिद्धांत, नैतिकता थी तथा जो भी रक्षापाय इस प्रणाली में थे, अब यही प्रणाली इसके विरूद्ध हो गई है, वह इसे कुचल रही है और नष्ट कर रही है। इसीलिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा सीबीआई जैसे निकाय के संकेत/निदेश/टिप्पणियों हर प्रकार की सरकार, चाहे वह राज्य सरकार हो अथवा केन्द्र सरकार हो, परेशानी का सबब बन रही हैं।

मेरा मानना है कि लोगों की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, चाहे वह संसद हो या प्रधानमंत्री कार्यालय हो। लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और हमें और सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि तथाकथित लोकतंत्र लोगों के लोगों द्वारा ओर लोगों के लिए सिद्धांतों पर आधारित है। सरकार को इस उक्ति का सम्मान करना चाहिए तथा अपनी नीति तथा क्रियाकलापों को और कहीं नहीं बल्कि इसी दिशा में केन्द्रित रखना चाहिए। भ्रष्टाचार को केवल इसी तरीके से नियंत्रित तथा काबू किया जा सकता है, कठोर कानूनों अथवा प्रयासों द्वारा नहीं, जिनसे लोकतंत्र दिन-रात नष्ट हो रहा है।

[हिन्दी]

***श्री घनश्याम अनुरागी** (जालौन): जैसाकि विदित है, इन दिनों लोकपाल बिल अथवा जनलोकपाल बिल के द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात चल रही है। इसमें अभी तक बहस चल रही है। मैं भी समाज के सभी वर्गों से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के हित में हूं।

इस विषय पर मेरा मानना है कि यह सही है कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा में पहुंच चुका है। लेकिन क्या समाज में नेता या अभिनेता या आम आदमी या कोई वर्ग, सभी भ्रष्ट हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी सभी वर्गों में लोग ईमानदार हैं। यह अलग बात है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हमारा देश दुनिया के सभी देशों में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। समाज में बुराई को सुधारने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसाकि अन्ना जी ने जनलोकपाल बिल के जरिए भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की है, वह पूरी तरह पूर्ण व्यवस्था नहीं है। भ्रष्टाचार एक बहुत पुरानी बीमारी है, इसे जड़ से निकालना होगा।

आज देश में बहस छिड़ी हुई है भ्रष्टाचार को खत्म करने की। संसद और विधान सभाओं से बड़ा कोई नहीं है। अगर यह सदन बंद हो जाए तो कहां न्याय होगा। न्याय यहीं होगा, इसी सदन में होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है उसी के अनुसार आज तक नियम कानून एवं व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उन्हीं के आर्शीवाद से आज भारत देश का लोकतंत्र जिन्दा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है।

मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जाति व्यवस्था कभी बहुत अच्छी रही है लेकिन आज यह व्यवस्था दुख दे रही है। जाति व्यवस्था में कई तरह की कमियां हैं। भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि सभी इसी की देन हैं। यदि अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की सभी विभागों और सभी इकाइयों में समान भागीदारी होगी तभी यह व्यवस्था सामान्य होगी। सभी सरकारी संस्थाओं, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं, सुप्रीम कोर्ट, लोक सेवा आयोग इत्यादि में एससी/एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की भागीदारी होना अत्यंत आवश्यक है। जो विषमता सदियों पहले थीं, उसमें आज भी कोई खास अंतर नहीं आ सका है। ठोस निर्णय लेने होंगे। कड़े उपाय करने होंगे। समाज की भलाई के लिए कुछ भी हो, सख्त निर्णय लेने होंगे। एक तरफ लोग गरीबी के कारण भूख से तड़पकर मर रहे हैं। उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को उचित शिक्षा एवं दवाएं, तन पर कपड़े, रहने के लिए मकान नहीं है। बीस रुपए से पचास रुपए के बीच में अपने परिवार का लालन-पालन करते हैं तो दूसरी तरफ वे लोग भी हैं जो एक दिन में जिनका मेहनताना के नाम बीस लाख से पचास लाख रुपए तक एक दिन की आय है। क्या वह लोग भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आते हैं जो एक दिन में इतनी अकूत संपत्ति कमाते हैं। जो इस देश के औद्योगिक घराने, जिनको पूंजीपतियों की सूची में ऊपरी क्रम में गिना जाता है। तीस साल पहले उनके पास क्या जायदाद थी और आज उनके पास क्या हो गई है। क्या उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है? जो एनजीओ समाज सेवा के लिए बनाए गए हैं, गरीबों की मदद के लिए बनाए गए हैं, आज उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई है। वे भ्रष्टाचार के दायरे में क्यों नहीं आते हैं मीडिया जो आज देश में सबसे सशक्त साधन है, इनमें क्या भ्रष्टाचार नहीं फैला हुआ है? इनके पास कहां से इतना पैसा आया है। क्या इन्होंने संपत्ति बिना किसी भ्रष्टाचार के अर्जित की है? अतः इसीलिए मैं उन सभी बिन्दुओं पर नहीं जाना चाहता।

लोकपाल बिल के दायरे में और कई विभाग हैं, जिन्हें लाना चाहिए। चयन सेना आयोग, एनजीओ, एवं मीडिया इत्यादि ऐसे विभाग हैं, जिनको लोकपाल के दायरे में होना चाहिए। इन्हें क्योंकर बाहर रखा गया है?

भ्रष्टाचार की लड़ाई को हम सभी को मिलकर लड़ना है और इसके लिए जो भी बन पड़ेगा, हमारा पूर्ण सहयोग सदैव मिलता

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

रहेगा। औद्योगिक घराने, मीडिया एवं समाजसेवी संस्थाएं (एनजीओ) को भी लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए। भ्रष्टाचार किसी भी जगह का हो, उसे दूर करना ही चाहिए। केन्द्र सरकार भ्रष्टाचार के मामले में गंभीर नहीं है। विपक्ष और सत्ता पक्ष आपस में मिल हुए हैं। यह नहीं चाहते कि गरीबों को न्याय मिले और नौजवानों को रोजगार मिले। इनके बस मुट्ठभर लोग आका हैं।

अन्ना हजारे साहब ने जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम चलाई हैं, उसके लिए हमारा सदैव सहयोग मिलता रहेगा। मैं उनकी दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस हेतु कोई उचित रास्ता जरूर निकलेगा और अन्ना जी का परिश्रम सफल होगा। समाजवादी पार्टी हमेशा इस लड़ाई को लड़ती रही है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमेशा अग्रसर रही है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जो गरीबों, नौजवानों, एससी/एसटी, अल्पसंख्यकों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के हितों के लिए कार्य करती है ताकि हमारा समाज एक भ्रष्टयुक्त एवं व्यवस्थित समाज बन सके।

अत: मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार विरोधी एक मजबूत लोकपाल बिल बने, जिसमें सभी तरह के पहुलओं को संविधान के तहत लाया जाएगा भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई जा सके। मैं चाहता हूं कि इस लोकपाल बिल में भी सभी वर्गों, जैसे एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक इत्यादि की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे समाज के सभी वर्गों के लोगों को न्याय मिल सके।

[अनुवाद]

श्री प्रशांत कुमार मजूमदार (बलूरघाट): यह नोट करना खेदजनक है कि हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा भ्रष्ट देशों की सूची में 87वें देश के रूप में माना जा रहा है।

भारत में भ्रष्टाचार का इतिहास स्वतंत्रता के समय से रहा है। और इन साढ़े छह दशकों में कांग्रेस ने ज्यादातर देश में राज किया है। नि:संदेह यदि आज इतना जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके लिये किसी एकल पार्टी को दोषी ठहराना है तो वह अवश्य ही कांग्रेस है।

भ्रष्टाचार के मुद्दे को निश्चित तौर पर अलग से नहीं देखा जाना चाहिये। सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण हमारे देश के आम आदमी के लिये जीवन-निर्वाह करना भी असंभव है। कीमतों में वृद्धि के पीछे भ्रष्टाचार मुख्य कारक है। तथापि, भ्रष्टाचार की जांच के लिये हर संभव प्रयास करना चाहिये। इससे लोगों को उनके जीवन में कठिनाइयों से राहत मिलेगी।

जब से सरकार ने उदारीकरण को अपनाया है। प्रसंगवश तभी से भ्रष्टाचार घोटालों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ भ्रष्टाचार का भी उदारीकरण हुआ है। जबकि इसने न केवल राजनीतिज्ञों के न्यूनतम आधार को काफी हद तक खत्म किया है। अपितु सोसाइटी के अन्य वर्गों को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसका आज के आर्थिक विकास के साथ गहरा संबंध है।

हम गंभीरता से यह मांग करते हैं कि भारत सरकार को अवश्य ही जड़ से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिये क्योंकि ऊपरी (कासमेटिक्स) परिवर्तनों से हमारे देश की पहले से ही खराब छबि को सुधारने में राष्ट्र की कोई मदद नहीं मिलेगी।

एक सुदृढ़ तथा प्रभावशाली लोकपाल विधेयक एकमात्र उपाय (उपचार) नहीं है अपितु प्रशासन का सुदृढ़ तथा निर्धारित सकारात्मक रवैया सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अभी भी यह आशा करता हूं कि हम सभी की इच्छा तथा एक साथ किये गये प्रयास से हमें वर्तमान कठिन स्थिति से उबरने में मदद मिलेगी।

श्री सी. राजेन्द्रन (चेन्नई दक्षिण): धन्यवाद, सभापति महोदय। भ्रष्टाचार एक बुराई है जो हमारे समाज की मुख्य चीजों को प्रभावित (निगल) कर रही है। आज यह इतनी व्यापक हो चुकी है कि संपूर्ण भारत इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहा है। प्रत्येक सत्र में हम संसद में भी इस मुद्दे पर किसी न किसी रूप में चर्चा करते हैं।

भ्रष्टाचार क्या है और यह किस प्रकार से पनपता है? चपरासी से लेकर उच्च स्तर तक भ्रष्टाचार व्याप्त हैं चाहे फिर वह अफसर शाही हो, कार्य पालिका हो अथवा न्यायापालिका हो। यदि विद्यार्थी समुदाय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये तहसीलदार के पास जाता है तो उसे कम-से-कम 200 रुपये का भुगतान करना पड़ता है क्योंकि बिना पैसे दिये उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति अस्पताल जाता है तो उसका इलाज नहीं होगा जब तक कि वह कुछ पैसे नहीं दे देता। लोक कल्याण संबंधी संस्थान धन पाने के लिये रिश्वत देते हैं। तथा अपने आप को भी भ्रष्टाचार में लिप्त कर लेते हैं। गैर-सरकारी संगठन सरकार से निधियां पाने के लिये रिश्वत देते हैं तथा भ्रष्टाचार में लिप्त जाते हैं और सरकारी निधियों का दुरूपयोग करते हैं।

इसलिय हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार की बातों की हमारी प्रणाली में गहरी पैठ है। अत: ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, सोच-समझ कर अथवा बिना सोचे समझे रिश्वत को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम निम्न स्तर पर टिप्स (इनाम) आदि देते हैं। परन्तु उच्च स्तर पर इसने मांग और आपूर्ति का रूप ले लिया है, जिसका

विरोध हो रहा है और यह सब व्यापक स्तर पर फैल गयी है। यह सभी स्तरों पर देखने को मिल रहा है-चाहे वह अफसरशाही हो, न्यायपालिका हो या फिर राजनीति हो। राजनीतिक स्तर पर भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हैं माननीय मंत्री भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसका फैलाव इतना व्यापक है कि कुछ पूर्ववर्ती मंत्री तथा कुछ वर्तमान संसद सदस्य इसी को लेकर तिहाड़ जेल में है। जब लाखों करोड़ रुपयों की ठगी हो रही है तो लोग इस समस्या की व्यापकता को महसूस करने में लगे हैं। हमारे पास भ्रष्टाचार संबंधी लंबी सूची है-2जी, 3जी, कॉमनवेल्थ गेम्स तथा केजी तथा अन्य। अत: हर जगह भ्रष्टाचार है तथा एक ओर लोगों ने भ्रष्टाचार की व्यापकता तथा दूसरी ओर बढ़ती हुई कीमतों को महसूस करना शुरू कर दिया है। उनका लोकतंत्र से विश्वास उठना शुरू हो गया है। सरकार का किस प्रकार से भ्रष्टाचार से निपटने का प्रस्ताव है? सरकार ने इस बुराई को रोकने के लिये क्या कदम उठाये है? कुछ भी स्पष्ट (वास्तविक) नहीं हैं सरकार कुछ भी नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। सरकार न्यायपालिका को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। कार्यपालिका इसके नियंत्रण के तहत नहीं है। सरकार अपने संबंध रखने वाले, गठजोड़ भागीदारियों तथा राजनैतिक दलों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं यह सभी हालातों में स्वतंत्र है। तमिलनाडु में हाल ही के चुनावों में तमिलनाडु क्या हुआ? लोग अत्यधिक भ्रष्टाचार तथा परिवार नियम के कारण परेशान थे। लोगों ने डीएमके सरकार को सत्ता से बाहर निकाल फेंका। लोगों ने हमारे नेता को स्पष्ट बहुमत दिया और हमारी नेता माननीय अम्मा जी बहुत ज्यादा बहुत से तीसरी बार सत्ता में आयी। परन्तु यदि भ्रष्टाचार इतना ही रहा तो लोग सरकार को बाहर करने के लिये पूरे पांच वर्षो तक इतंजार नहीं करेंगे। लोगों के आंदोलन भ्रष्ट सरकार का विरोध करते हैं। यह केवल भारत में ही नहीं, अपितु पूरा एशिया इसकी चपेट में है। हमें यह अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। हमारे यहां भी वैसी ही हालात है। हमें भ्रष्टाचार श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। हमें यह बांग्लादेश तथा नेपाल में भी देखने को मिल रहा है। पूरा एशिया इस दु:खद हालात का सामना कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप सभी लोगों में घोर निराशा आ गई हैं परन्तु हम जानते हैं कि भारत में सरकार अभी तक भ्रष्टाचार से निपटने में विफल रही है। अत:, लोग दूसरों से यह आशा कर रहे हैं कि वे इस भ्रष्टाचार से निपटे।

जब श्री अन्ना हजारे ने इस मुद्दे को उठाया था तो पूरा भारत उनके साथ हो लिया था और उनका समर्थन किया था। यह चेतावनी है। यह सरकार के लिये संकेत है कि उसे भविष्य में चुप नहीं रहना चाहिये। अन्यथा, लोग इसके विरूद्ध विरोध जतायेंगे। इससे पहले कि स्थिति हाथ से निकल जाये सरकार को दृढ़ता से कार्यवाही करनी चाहिये। सरकार तथा राजनीतिक दलों को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिये। हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिये तथा इससे निबटना चाहिये। अन्यथा, लोकतंत्र एक मजाक बनकर रह जायेगा। घटना से देर भली है। मैं सरकार से यह आशा करता हूं कि वह राष्ट्र के लोगों का विश्वास जीतने के लिये भ्रष्टाचार के विरूद्ध दृढ़ता से कार्यवाही करे।

[हिन्दी]

***श्रीमती ज्योति धुर्वे** (बेतूल): आज का महत्वपूर्ण विषय भ्रष्टाचार पर चर्चा, देश की डेढ़ अरब की आबादी में रहने वाले सभी आम व्यक्तियों को न्याय एवं उनके कार्य की सीमा एवं पारदर्शिता को तय करने वाला विषय है। निश्चय ही इसकी मजबूती से संसद के सदन में तय करना होगा और हमें इस देश की आम जनता को विश्वास में लेना होगा।

आज देश भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है। आम व्यक्ति भ्रष्टाचार की लूट से त्राहिमाम कहता फिर रहा है। हमें उन्हें बचाना होगा। इस देश के लोकतंत्र को भ्रष्टतंत्र से बचाना होगा। आज इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई, उनके मेहनत की कमाई के 21 हजार 68 करोड़ रुपए रोज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं क्या देश की आम जनता के साथ यह अन्याय नहीं है। आज इसका जीता-जागता विस्फोटक स्वरूप हमारे सामने है और लोग सड़क पर उतर आए हैं क्या कारण है कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर आम जनता के साथ न्याय नहीं किया?

यह वही देश है जहां कितने ही महापुरुषों ने देश को जिंदा रखने एवं स्वतंत्र कराने के लिए अपने खून और अपनी जान की कुर्बानी देकर आजादी दिलाई। क्या इसी भ्रष्टाचार को जिंदा करने के लिए उन्होंने यह सब किया? आज आम जनता इसी का जवाब और न्याय मांग रही है। आज हमारा देश भ्रष्टाचार में 87वें स्थान पर है और देश की जनता सड़क पर है। आज भी इस देश का एक तिहाई हिस्सा भूखा सोता है। आज देश के युवा के हाथों में रोजगार नहीं बंदूक है या जीने के लिए कोई सही राह नहीं है। इसका क्या कारण है? ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार इस देश को धीरे-धीरे निगल रहा है।

आज हमें इसके लिए गंभीरता से सोचना होगा। इस डेढ़ अरब की आबादी वाले देश को बचाने के लिए कठोर कदम के साथ नीतियाँ बनानी होंगी और एक मजबूत कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। लोकपाल बिल को लाकर हमें आम जनता को विश्वास दिलाना होगा कि सरकार आम व्यक्ति के साथ उसके न्याय एवं कार्य सीमा और पारदर्शिता को सर्वप्रथम महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार कर एक मजबूत लोकपाल बिल को लाना चाहती है। आम व्यक्ति को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सरकार के प्रति उनका विश्वास अर्जित करना अति आवश्यक है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्री नारनभाई कछाड़िया** (अमरेली): एक समय हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। पूरे विश्व में भारत की एक ऐसा देश है, जहां पर खनिज सम्पदा का भंडार पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आजादी के बाद से भारत में जब से कांग्रेस की सरकार आयी है, तब से भारत का विकास करने के बजाय यह सरकार भारत को लूटने में लगी हुई है।

सच यह है कि यह देश आज भी सोने की चिड़िया है। बस फर्क इतना है कि वह चिड़िया फिलहाल हमारे देश में मौजूद नहीं है। कांग्रेसी राजनेताओं, नौकरशाहों, व्यापारियों की तिकड़ी ने इस सोने की चिड़िया को विदेशी बैंकों में कैद कर दिया है।

केन्द्र की यूपीए सरकार यह कभी नहीं चाहती है कि हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो। यह सरकार हमारे देश की मासूम जनता को विकास का आंकड़ा दिखाकर भ्रमित कर रही है। यह सरकारी नौकरशाहों के साथ मिलकर देश को लूटने का काम कर रही है।

अब यह स्पष्ट हो चुका है कि हमारे देश की जनता जाग चुकी है क्योंकि दिन-प्रतिदिन यूपीए सरकार के कारनामे जनता के सामने आ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, उसके बाद इस सरकार का दूसरा महाघोटाला 2जी स्पैक्ट्रम सामने आया, तीसरा महाघोटाला एस बैण्ड स्पैक्ट्रम, अलॉटमेंट घोटाला सामने आया, चौथा महाघोटाला आदर्श सोसायटी के रूप में सामने आया। इस तरह से यह सरकार हजारों, लाखों, करोड़ देश को आजादी के समय से ही लूटते आ रही है।

आज हमारे देश, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को खोखला करने में यूपीए सरकार का ज्यादा योगदान रहा है।

***श्री रमाशंकर राजभर** (सलेमपुर): हमारी पार्टी शुरू से ही भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ रही हैं। हजारे जी सहित सभी संगठनों और संस्थाओं द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का स्वागत करती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हर आवाज का बीएसपी समर्थन करती है। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार से सारी व्यवस्था चरमरा गई है, इससे गरीब आदमी बूरी तरह से प्रभावित है। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों से भ्रष्टाचार के कारण महंगाई चरम पर है। जिससे देश का चहुंमुखी विकास नहीं हो पा रहा है। लोकपाल बेहद सख्त होना चाहिए, ऐसा न हो कि बनने के बाद अप्रभावी हो, जो कि इस संसद द्वारा पारित होना चाहिए और बिल के सभी प्रावधान स्पष्ट आम आदमी की समझ में आने वाले हों। गरीब, दलित और वंचित को लाभ देने वाला हो। मुझे दुख है कि सिविल सोसायटी ने एससीएसटी का कोई सदस्य नहीं रखा, जिनकी आबादी 22 से 25 प्रतिशत है। इनकी उपेक्षा न हो, बहनजी इस मुद्दे पर जनता को कह चुकी हैं। मुझे लगता है कि भगवान भी अब इस देश से भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी एक छोटी कोठरी में रखकर खरबों रुपए कुंतलों सोना-चांदी, जवाहरात, जेवर आदि छिपाया गया है, जिस पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। ऐसा सभी धर्मो के धर्मालयों में है। जिसे आस्था के नाम पर नहीं खत्म किया जा सकता है और न कानून से कार्रवाई की जा सकती है। हमारे यहां एक कहावत है, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। भ्रष्टाचार को कानून से खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि घूस देने वाला कहता नहीं, लेने वाला कहता नहीं, देखने वाला विवाद नहीं लेता तो कितना भी बड़ा कानून हो, सूचना कौन दर्ज करवाएगा। आज भी विद्यमान कानून से प्रकाश में आने पर घूसखोर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। हत्या से संबंधित कानून है, फिर भी हत्याएं हो रही हैं। बाल-विवाह, दहेज उत्पीड़न आदि के कानून हैं, लेकिन ये फिर भी रुक नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार कानून बनाने से नहीं, चरित्र बनाने से रुकेगा। जब हमें आजादी मिली, उसके 30 सालों तक भ्रष्टाचार नहीं हुआ, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हुआ था। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता था। आजादी के बाद अब अगर भ्रष्टाचार बढ़ा है तो उसका उद्गम स्थान क्या है, यह देखना जरूरी है। क्या मजदूर ने भ्रष्टाचार प्रारंभ किया या मालिक ने। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार मालिकों की तरफ से शुरू हुआ। देश मानता है कि भ्रष्टाचार हर तरफ है। इसका मतलब है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, उद्योगजगत व धर्मालयों सहित मालिक जगत ने भ्रष्टाचार की जननी का कार्य किया है और 40 वर्षों में देश को आज इस मुकाम पर खड़ा कर दिया। अब यह देखना होगा कि इस पर किसका कब्जा है। मीडिया में 95 प्रतिशत, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और उद्योगजगत में 90 प्रतिशत, धर्मालयों में 95 प्रतिशत समर्थों एवं मालिकों का ही कब्जा है। इसमें कहीं भी इस देश का एससीएसटी और ओबीसी नहीं है, इसलिए वह जिम्मेदार भी नहीं है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार शुरू किया, उसे चरित्र निर्माण कर खत्म भी करना चाहिए। यदि एससीएसटी और ओबीसी का कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो मालिकों की देखादेखी है। देश में मीडिया कहती है कि पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो फिर कानून किसके लिए बनाना। क्या पेड़-पौधों को सुधारने के लिए कानून बनाना है। कानूना बना है तो उसमें ओबीसी, अल्पसंख्यक, एससीएसटी के प्रतिनिधियों को गौड़ न किया जाए। यह जरूर देखा जाए कि इंदिरा आवास का बजट 6-7 करोड़ रुपए है और अंबानी का घर 6 हजार करोड़ रुपए का है।

***श्री वीरेन्द्र कुमार** (टीकमगढ़): सदन में भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा हो रही है। भ्रष्टाचार ने आम आमदी को झकझोर दिया है। नागरवाला, बोफोर्स घोटाला, केजी, सीडब्ल्यूडी, 2जी स्पेक्ट्रम,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आदर्श सोसायटी घोटाला आज अगर घोटालों की चर्चा की जाये, तो नीचे से ऊपर भ्रष्टाचार सर्वव्यापी हो गया है। न अस्पताल में डॉक्टर न थानों में पुलिस, न ऑफिस में कर्मचारी है। बगैर इसके कोई कार्य नहीं कर रहा है। हमारे देश का जितना बजट होता है, उससे कहीं ज्यादा राशि का भ्रष्टाचार में लेन-देन हो जाता है यही कारण है कि आज सारे देश में बच्चे से लेकर बूढ़े तक जाति भाषा, प्रांत, धर्म की बाधाओं को तोड़कर सभी एक साथ भ्रष्टाचार के विरूद्ध एकजुट होकर खड़े हो गये हैं। इस भ्रष्टाचार के कारण विदेशों में भी देश की छवि धूमिल हो रही है। भ्रष्टाचार के कारण बहुत ज्यादा विवाद होने के कारण आज कई विभागों, यहां तक कि रक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में कोई सुरक्षा उपकरणों की खरीद के सौदों में हाथ डालने से पीछे हट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति और भी गंभीर है। हमने एमसीआई तो खत्म कर दी किंतु उससे स्थिति में सुधार नहीं आया बल्कि मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद आदि की स्वीकृति और भी कठिन हो गयी है।

अत: भ्रष्टाचार के विरूद्ध कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

***डॉ. थोकचोम मैन्या** (आंतरिक मणिपुर): सर्वप्रथम, मैं चाहूंगा कि यह सभा भ्रष्टाचार के भिन्न-भिन्न प्रकारों का वर्णन करने में मेरा साथ दे:

मोटे तौर पर भ्रष्टाचार को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है तथा ये आपस में अलग अलग नहीं हैं:

छोटा-मोटा भ्रष्टाचार: यह छोटे पैमाने पर किया जाता है। इसे सरकारी सेवा उपलब्ध कराते समय निजी लाभ हेतु सरकारी पद के दुरूपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें प्राय: रिश्वत (ग्रीस मनी अथवा स्पीड पेमेंट) सहित थोड़ी अपेक्षाकृत थोड़ी धनराशि होती है। सरकारी कर्मचारी अपने दैनिक संव्यवहार अथवा स्वीकृति के लिए लाभ प्राप्त करके अपने पद का दुरूपयोग करता है। अधिकार के इस दुरूपयोग का प्रत्यक्ष पीड़ित नागरिक है।

बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार: यह भ्रष्टाचार का सबसे अधिक नुकसान देह और गुप्त तरीका है। उदाहरणार्थ जहां नीति-निर्माण इसकी रूपरेखा और कार्यान्वयन पर भ्रष्ट पद्धतियों से समझौता किया जाता है, यह भ्रष्टाचार उच्च पदों पर आसीन सरकारी अधिकारी (जैसे काउंसिलर) पाए जाते हैं, महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्यों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में, यह सुनिश्चित करने के लिए सामान्यत: रिश्वत अथवा घूस की मांग की जाती कि निविदाएं अथवा ठेके विशिष्ट ठेकेदारों को दिए जाएंगे। यह भ्रष्टाचार वित्तीय, राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता के केंद्रों में होता है।

व्यावसायिक भ्रष्टाचार: इसे प्राय: अपराध नहीं माना जाता है बल्कि इसे व्यवसाय को बढ़ावा देने के साधन के रूप में माना जाता है। प्रस्तावक यह दावा करते हैं कि परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ता है परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रयोग किए गए तंत्र में सामान्यत: तेजी लाई जाती है। सार रूप में अधिकारी तंत्र की अनदेखी की जाती है और समय का उपयोग किया जाता है। इसमें रिश्वत इनसाइडर ट्रेडिंग, धन-शोधन, गबन का अपवंचन और लेखाकरण संबंधी अनियमितताएं सम्मिलित हैं।

राजनीतिक भ्रष्टाचार: मुख्यत: विकासशील और कम विकसित देशों में होता है। यह प्राय: चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा होता है। इसमें मतदान संबंधी अनियमितताएं भाई-भतीजावाद और क्रोनिज्म, कुछ लोगों का शासन, झूठे राजनीतिक वायदे, चुनाव के उम्मीदवारों और दलों के पक्ष में प्रसारण करने वाले पत्रकारों को धन देकर धन खाद्य और अथवा पेय के वितरण द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करना तथा जनता की इच्छा के विरूद्ध सत्ता में रहना।

संगठित भ्रष्टाचार यह भ्रष्टाचार का एक सुसंगठित तंत्र है जिसमें स्पष्ट विधान होता है कि किसे रिश्वत देनी है, कितनी रिश्वत देनी है, कितनी पेशकश की जानी चाहिए और यह पक्का होता है कि उन्हें इसके बदले में कुछ लाभ मिलेगा। संगठित अपराध प्राय: आपराधिक गिरोहों और सिडिकेट द्वारा जाता है और इसमें सफेदपोश एवं अपनी पहचान छुपाने वाले अपराध सम्मिलित है।

अव्यवस्थित भ्रष्टाचार: यह असंगठित तरीका है जिसमें इस बारे में यह स्पष्ट नहीं होता है कि किसे रिश्वत दी जाएगी और कितनी पेशकश की जानी चाहिए, इसमें यह नहीं स्पष्ट होता है कि अन्य अधिकारियों को और रिश्वत नहीं दी जाएगी, ऐसा कोई उचित आश्वासन नहीं होता है। किसी के पक्ष में कार्रवाई की जाएगी, लाभ पाने वालों के बीच समन्वय नहीं होता है।, जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार की कीमत प्राय: बढ़ जाती है।

इन सभी का कोई भिन्न मूल्य नहीं है। भ्रष्टाचार का कोई भी रूप किसे से बेहतर अथवा बुरा नहीं है।

राजनीतिक भ्रष्टाचार: सरकारी अधिकारियों द्वारा गैर-कानूनी निजी लाभ हेतु विधानी शक्तियों का प्रयोग है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के दमन और सामान्य पुलिस करता जैसे अन्य प्रयोजकों हेतु सरकारी शक्ति के दुरूपयोग को राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं माना

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जाता है। निजी व्यक्तियों अथवा निगमों द्वारा गैर-कानूनी कार्य जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़े नहीं होते हैं। वह अवैध नहीं होते हैं। एक पदाधिकारी द्वारा गैर-कानूनी कार्य केवल तभी राजनीतिक अपराध होता है यदि वह कार्य प्रत्यक्ष रूप से उसके सरकारी कर्त्तव्यों से जुड़ा हो।

भ्रष्टाचार के अनेक प्रकार हैं परंतु इसमें रिश्वत, जबरन वसूली, घनिष्ठता दिखाना, भाई-भतीजावाद, संरक्षणवाद और गबन सम्मिलित हैं। जबकि भ्रष्टाचार के कारण दवाइयों का दुर्व्यवहार धन-शोधन और मानव दुर्व्यवहार जैसे अपराधिक कार्यकलापों को बढ़ावा मिल सकता है परंतु यह इन कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं है।

अवैधानिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आने वाले कार्यकलाप देश अथवा क्षेत्राधिकार पर निर्भर होने के कारण भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, राजनीतिक वित्त पोषण पद्धतियां एक स्थान पर वैध हो सकती हैं और अन्य स्थान पर अवैध। कुछ मामलों में सरकारी अधिकारियों के पास व्यापक अथवा अति सीमित शक्तियां होती है जिससे वैध और अवैध कार्रवाई के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है। पूरे देश में केवल रिश्वत के रूप में 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर से अधिक की धनराशि ली जाती है। अनियंत्रित राजनीतिक भ्रष्टाचार को चौरवृत्ति कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ "चोरों का राज" है।

रिश्वत एक सरकारी अधिकारी को उसकी शासकीय शक्तियों के दुरूपयोग के बदले में व्यक्तिगत रूप से किया गया भुगतान है। रिश्वत के लिए दो भागीदार होते हैं, एक वह जो रिश्वत देता है और दूसरा वह जो उसे लेता है। इनमें से कोई भी रिश्वत की शुरूआत कर सकता है, उदाहरण के लिए एक सीमाशुल्क अधिकारी अनुमति प्राप्त (अथवा गैर-अनुमति प्राप्त) समान को जाने देने हेतु रिश्वत मांग सकता है अथवा एक तस्कर सामान को जाने देने हेतु रिश्वत की पेशकश कर सकता है। कुछ देशों में भ्रष्टाचार जनजीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा है जिससे लोगों का रिश्वत दिए बिना अपना काम चलाने में अत्यंत कठिनाई होती है। किसी अधिकारी द्वारा कुछ कार्य कराने के लिए रिश्वत की मांग की जा सकती है जिसका उसे पहले ही वेतन के रूप में भुगतान किया जाता है। वे विधियों और विनियमों की अनदेखी करने के लिए भी रिश्वत मांग सकते हैं। निजी वित्तीय लाभ प्राप्त करने हेतु रिश्वत का सहारा लेने के अतिरिक्त उनका इरादा किया अन्य को (अर्थात कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं) हाने पर दुर्भावना से नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ विकासशील राष्ट्रों में, आधी जनसंख्या तक गत 12 महीनों में रिश्वत दी जा चुकी है।

***श्री मोहन जेना** (जाजपुर): किसी अन्य देशभक्त भारतीय की तरह मुझे इस अत्यधिक भ्रष्टाचार के कारण गहरा दुख है जो कि अपनी जड़ें फैला रहा है और हमारे समाज को खोखला कर रहा है। भ्रष्टाचार मानवता, लोकतंत्र और सभ्यता के विरूद्ध जघन्य अपराध है। अत: हम सभी को अपने लोकतंत्र और कानून के शासन बचाने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बुराई के विरूद्ध एकजुट होना होगा। संविधान की उद्देशिका में वर्णित मूल्यों और लक्ष्यों को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि भ्रष्टाचार का सामना नहीं किया जाता है।

मौजूदा भ्रष्टाचार असामान सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है जैसे अमीर और सामाजिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त जातियों और वर्गों द्वारा इस व्यवस्था में से अधिकांश हिस्सा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। रिश्वत देना अथवा लेना या हमारे ईद-गिर्द होने वाले व्यवहार के प्रति बने रहना हमारी मन:स्थिति बन गई है। यह किसी ऐसी लोकतांत्रिक देश के लिए अति खतरनाक स्थिति है जहां न्याय, समान अवसर और इन सबसे ऊपर पारदर्शिता को पीछे धकेल दिया जाता है। इस पृष्ठभूमि में पल्ली (गांव) से दिल्ली तक श्री अन्ना हजारे द्वारा चलाया गया वर्तमान ऐतिहासिक जन आंदोलन ही इस कैंसर का इलाज करने के लिए एकमात्र रामबाण है। यह एक लोकतांत्रिक आंदोलन है जो लोगों में जागरूकता उत्पन्न करता है और असंवदेशील व्यवस्था को इस पर ध्यान देने और कार्रवाई करने के लिए बाध्य करने हेतु जनता को सशक्त बनाता है। इसलिए अन्ना के नेतृत्व वाला आंदोलन बहु-प्रतीक्षित आंदोलन है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसने इतना जनसमर्थन जुटाया है कि जहां लोगों के बारे में अपने प्राण-न्यौछावर करने के बारे में पढ़ा गया है। गत छह दशकों में जनता में केवल भ्रष्टाचार को तेजी से बढ़ते देखा है। उन्हें इससे घृणा होने लगी है और इससे दम घुटने लगा है। इसी कारण लाखों की संख्या में लोग इस आंदोलन में भाग लेते आ रहे हैं।

अब उन्हे अन्ना के आंदोलन में आशा की एक किरण नजर आई है अत: सरकार के साथ सभी जन प्रतिनिधियों को इस आंदोलन से सबक लेना होगा और भ्रष्टचार को जड़ से मिटाने के लिए एक सख्त एवं प्रभावी कानून लाना होगा। भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है और यह राजनीति से ऊपर है। सरकार को चुनाव सुधार हेतु ऐसा कानून लाना चाहिए जिसके अंतर्गत चुनावों में काले धन का इस्तेमाल न किया जा सके भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दूसरी तरफ प्रत्येक राजनीतिक दल को यह शपथ लेनी होगी कि वह भ्रष्ट व्यक्तियों अथवा अपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों को टिकट नहीं देंगी।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्री चार्ल्स डिएस** (नामनिर्देशित): इस समय पूरा देश भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के तरीकों की बात कर रहा है। यह बहुचर्चित विषय है और अब भ्रष्टाचार के बारे में खुलकर बोलने तथा सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार को रोकने हेतु उपाय करने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भ्रष्टाचार को राजनीतिज्ञों, अधिकारियों अथवा पेशेवरों के किसी एक विशेष वर्ग में नहीं देखा जाता है। यह समाज का सहज स्वभव है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि हमारा समाज अचानक ही भ्रष्ट हो गया है।

हमें भ्रष्टाचार को रोकने हेतु पर्याप्त और प्रभावी कानून बनाने होंगे। ऐसे लोग हैं जो आंदोलन करते हैं और वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार की कहानियां गढ़ते हैं। इससे जनता व्यावहारिक रूप से गुमराह होती है। संसद पहले से ही लोकपाल विधेयक पर चर्चा कर रही है। कड़े उपाय करके और ऐसा तंत्र सुझाकर भ्रष्टाचार रोकने हेतु प्रभावी खंडों का समावेश करके कठोर उपाय लाग करना समय की आवश्यकता है जहां भ्रष्टाचार की संभावना से बचा जा सके।

देश के सभी राजनीतिक दलों को प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु विधेयक को कार्यान्वित करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार रहना होगा जिससे देश के आम आदमी को न्याय मिले और उनका राजनेताओं, अधिकारियों अथवा अन्य बिचौलियों द्वारा शोषण न हो सके।

श्री लक्ष्मण टुडु (मयूरभंज): निःसंदेह, पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से सभी विधायिकाओं कार्यपालिका और नीति निर्माताओं की भौहें तनी है। संसद सभी वर्गों के लोगों के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सड़कों पर उतरने से वाकई रोमांचित है। इस देश में सभी के लिये भ्रष्टाचार असहनीय हो चुका है। श्री अन्ना हजारे पिछले 10 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हमें इस अवसर पर आगे आना चाहिए और तत्काल एक भ्रष्टाचार विरोधक विधेयक का प्रारूप लाना चाहिए। हमें सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार का मुकाबला करना चाहिए। हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रगतिशील भारत का सपना देखना चाहिए।

मेरा यह विचार है कि पिछले 65 वर्षों से भ्रष्टाचार ने सभी स्तरों पर हमला किया है। दिनों-दिन उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार सामने आया है जहां उच्च स्तरीय नौकरशाह, राजनीतिज्ञ और निगमित घरानों का इसमें संलिप्त होने का पता चला है। पिछले 45 वर्षो में कई घोटाले सामने आए हैं परंतु किसी को भी दंडित नहीं किया गया। यह केवल एक परिपक्व भ्रष्टाचार निरोधक कानून और विधिक प्रवर्तन तंत्र जैसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो पुलिस, केन्द्रीय आयोग तथा न्यायपालिका के प्रभावी नहीं हाने के कारण हुआ है। अतः यह उचित है कि एक सार्थक भ्रष्टाचार-निरोधक कानून और विधिक प्रर्वतन तंत्र बनाया जाए अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा संविधान और संसद हमारे देश के लोगों का विश्वास खो देंगे।

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण नियम 193 के अधीन चर्चा समाप्त हो चुकी है और इस चर्चा का उत्तर कल दिया जाएगा। अब हम 'शून्य काल' शुरू करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): महोदय, भारत सरकार जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए कृतसंकल्प है तथा विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से पूरे देश में संचालित भी कर रही है। इन योजनाओं में अधिकांश योजनाएं शत प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। मैं इस संदर्भ में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन हेतु दिए जाने वाली छात्रवृत्ति राशि की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों की जांच जिला स्तर पर ही कर छात्रवृत्ति के चेक बना दिए जाते हैं व छात्रों को समय पर वितरण भी कर दिए जाते हैं। परंतु यहीं पर अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र विद्यार्थियों की सूची राज्य शासन को भेजी जाती है, जहां से काफी इंतजार के बाद विद्यार्थियों को उस छात्रवृत्ति की राशि के चेक डाक के माध्यम से सीधे उनके घर के पते पर रवाना किए जाते हैं, जिसे प्राप्त होने में काफी समय लग जाता है जिसके कारण इन अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र विद्यार्थियों को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना का समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से यह अनुरोध है कि मध्य प्रदेश शासन को यह स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि जिस प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु केंद्रीय बजट, जो कि राज्य शासन के माध्यम से संबंधित जिले को आबंटित किया जाता है एवं संबंधित विद्यार्थियों को शालाओं में ही छात्रवृत्ति राशि के चेक वितरित किए जाते हैं, उसी प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को भी दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि के बजट को राज्य शासन सीधे संबंधित जिलों को आबंटित करें ताकि इन विद्यार्थियों को भी भुगतान में विलंब न हो व भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का समय से लाभ प्राप्त हो सके।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से केन्द्र में बैठी यूपीए सरकार से कहना चाहता हूं कि वह गुजरात के साथ सौतेलेपन का व्यवहार और उसे परेशान करने के काम कर रही है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि गुजरात में स्वर्ण जयंती साल के पचास साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गुजरात सरकार ने स्वर्ण जयंती उत्सव मनाने के लिए केन्द्र सरकार के पास कुछ राशि का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। यह बहुत खुशी की बात है कि केन्द्र सरकार ने गोवा जैसे छोटे राज्य को स्वर्ण जयंती उत्सव मनाने के लिए दो सौ करोड़ रुपये की राशि दी, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह अत्यंत खेद की बात है कि गुजरात जैसे बड़े राज्य के इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली और यह सरकार उल्टे गुजरात सरकार को तंग और परेशान करने के अन्य तरीके ढूंढ रही है। गुजरात के औद्योगिक विकास को अवरुद्ध करने के लिए केन्द्र की यूपीए सरकार ने वॉयब्रेन्ट गुजरात में जो वहां के उद्योगों में भागीदार बिजनेसमैन हैं, उन्हें बदनाम और परेशान करने के लिए इंकम टैक्स का उपयोग करके नोटिस भेजे हैं। जबकि आजादी के बाद अभी तक किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। यदि केन्द्र सरकार गुजरात सरकार के प्रति ऐसा रवैया अपनायेगी तो गुजरात के विकास और वहां के युवाओं को मिलने वाली रोजी-रोटी पर संकट उत्पन्न हो सकता है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि गुजरात सहित सभी राज्यों के प्रति एक समान नीति अपनाये और भेदभाव न रखे, ताकि उनके विकास में कोई बाधा उत्पन्न न हो, बल्कि विकास की गति तेज हो। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

अपराह्न 5.10 बजे।

*[श्रीमती सुमित्रा महाजन **पीठासीन हुईं**]*

[अनुवाद]

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): महोदया, मैं माननीय मंत्री का ध्यान महाराष्ट्र राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े खंडों में एक महिला छात्रवास की स्थापना के प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूं।

केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के 43 शैक्षिक रूप से पिछड़े खंडों में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रही 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की छात्राओं के लिये छात्रावास की सुविधा में प्रदान करने के लिये योजना आरंभ की है। यह योजना 90:10 की हिस्सेदारी पद्धति पर आधारित है। केन्द्रीय सरकार ने 42.50 लाख प्रति छात्रावास की दर से धनराशि आबंटित की है। राज्य सरकार ने लगभग 39. 26 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। कुछ तकनीकी कारणों से यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। इसके बाद इसमें कुछ तकनीकी समस्यायें आ रही हैं। पुन: 4 जून 2011 को विद्यालय शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने केन्द्रीय सरकार को 66.54 करोड़ रुपए का वही प्रस्ताव भेजा। केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 5.89 करोड़ रुपए है।

माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे इस प्रस्ताव पर विचार करें और इसे महाराष्ट्र राज्य सरकार के पास भेज दें।

[हिन्दी]

श्रीमती मीना सिंह (आरा): सभापति महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान की। यह सदन इस बात से अच्छी तरह से अवगत है कि विगत करीब तीन वर्षों से बिहार का आधा हिस्सा सुखाड़ तथा आधा हिस्सा भयंकर बाढ़ से तबाह हो रहा है। इस वर्ष भी अभी तक बिहार के करीब बीस जिलों के 18 लाख से ज्यादा आदमी बाढ़ से प्रभावित हैं। वहां करीब 70 हजार हैक्टेयर क्षेत्र के बाढ़ में डूबने के कारण लगभग 47 करोड़ रुपये की फसल बर्बाद हुई है तथा इस दस हजार से ज्यादा घरों को नुकसान होने के कारण करीब 76 करोड़ की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है।

अभी भी नेपाल से आने वाली नदियों-गंडक, कोसी, और बूढ़ी गंडक तथा बिहार की प्रमुख नदी गंगा कई जगह पर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही हैं, जिससे बाढ़ की विनाश लीला देखने को मिल रही है।

मैडम, अभी तक पूरे बिहार में करीब 38 लोगों की मौत बाढ़ के कारण हो चुकी है जिसमें सर्वाधिक 10 लोगों की मौत सिर्फ मरे संसदीय क्षेत्र में हुई है।

मैडम, हमारा क्षेत्र आरा जो भोजपुर जिला है, वहां करीब डेढ़ सौ गांवों में भयंकर बाढ़ आई हुई है। मैंने स्वयं विगत रविवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नाव से निरीक्षण किया है।

मैडम, बाढ़ के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पशुओं का बुरा हाल है, उन्हें चारा नहीं मिल रहा है। लोगों में बाढ़ का पानी पीने के कारण तरह-तरह की बीमारियां हो रही है। लोगों की फसल बाढ़ में डूब गई हैं। घरों का नुकसान हुआ है।

मैडम, मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं जिसके द्वारा प्रभावित इलाकों में वृहद पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है, साथ मृतकों के आश्रितों को राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री राहत कोष के डेढ़ लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

मैडम, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि यथाशीघ्र केन्द्रीय टीम भेजकर बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करवाया जाए तथा राहत एवं पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग दिया जाए। साथ ही साथ मेरी मांग है कि सभी मृतकों के आश्रितों को प्रधानमंत्री राहत कोष से पांच-पांच लाख रुपये का अनुदान दिया जाए।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): आदरणीय महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उत्तराखंड के असकोट स्थित मृग बिहार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए वर्ष 1986 में 600 वर्ग किलोमीटर के दायरे में मृग बिहार का निर्माण किया गया। जिसके दायरे में पिथौरागढ़, डिडीहाट, मनुस्यारी और धारचला का क्षेत्र आता है। सेन्चुरी के नियमों के चलते वहां विकास कार्य बिलकुल ठप्प पड़ा हुआ है। इस मृग विहार के कारण विकास कार्य न होने के कारण 111 गांव के 55 हजार से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। वर्ष 2010 में सेन्ट्रल एम्पावरमेंट कमेटी ने इस मृग विहार का दायरा 600 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 2200 वर्ग किलोमीटर करने की सिफारिश की है। इस मृग विहार के चलते वहां 5 जल विद्युत योजनाएं एवं 22 सड़कें जो चीन व नेपाल बार्डर तक बननी हैं वह भी लंबित पड़ी हैं। महोदया, यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कस्तूरी मृग 8000 मीटर की उंचाई पर ही रहता है। जबकि यह मृग विहार 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण स्नो लाइन और ऊपर चली गई है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह 55 हजार लोगों, 5 जल विद्युत परियोजनाओं एवं 22 सीमान्त सड़कों को दृष्टिगत रखते हुए वहां विकास कार्यो को रूकने न दे तथा उन्हें प्रमुखता से शुरू करवाए।

मेरे वतन की बहार जवान होने दो,
महान है मेरा भारत, महान होने दो।
किसी को सींच रहे हो, किसी पर पानी बंद,
तमाम खेतों की फसले समान होने दो।
गुब्बार दिल से ख्यालों से गर्द दूर करो,
नई जमीन नया आसमान होने दो।
सुभाष, गांधी, जवाहर की रूह भी कहती है कि
तमाम देश को एक खानदान होने दो।

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी): सभापति महोदया, मैं शून्यकाल में माननीय खाद एवं कृषि मंत्री का ध्यान महाराष्ट्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बरसात होने के नाते महाराष्ट्र की ओर खाद आपूर्ति की जो मांग की गई है, वह केंद्र सरकार पूरी नहीं कर पाई है।

महोदया, में मेरा मतदाता क्षेत्र आता है, मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में आज किसानों को खेती के लिए खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यहां के किसानों ने बार-बार खाद के लिए आपूर्ति की मांग केंद्र से की है। लेकिन आज तक इसकी सुनवाई नहीं हुई और किसानों को खाद की आपूर्ति नहीं होने के कारण मराठवाड़ा सहित पूरे महाराष्ट्र के किसानों की हालत काफी खराब है। यदि उन्हें खाद की आपूर्ति नहीं की गई तो उनकी फसलों का नुकसान होगा।

अत: सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र परभणी के साथ-साथ समस्त मराठवाड़ा सहित पूरे महाराष्ट्र में किसानों की मांग के आधार पर खाद की आपूर्ति करना जरूरी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): सभापति महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदया, कृषि उत्पादन में उर्वरक की आपूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यूरिया डी.ए.पी. जैसे महत्व के खाद उर्वरकों की आपूर्ति समुचित ढंग से नहीं होने के कारण खेतीबाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। केन्द्र सरकार खाद उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ी-बड़ी बातें करती है, परन्तु गुजरात में जहां कृषि विकास दर 10.8 प्रतिशत तक रहती है, जो अन्य राज्यों से ज्यादा है। वहां पर डी.ए.पी. खाद की मांग 2,90,000 मीट्रिक टन के सामने केवल 1,75,514 मीट्रिक टन एवं यूरिया की मांग 5,15,000 मीट्रिक थी, जबकि आपूर्ति सिर्फ 3,39,600 मीट्रिक टन हुई। किसानों को कृषि उत्पादन के लिए जरूरी खाद की आपूर्ति में कमी से किसानों पर अन्याय हो रहा है।

केन्द्र सरकार सांसदों को पत्र लिखकर बताती है कि खाद की आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आज

देखा जाये तो उर्वरक की कमी से किसान परेशान हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा (गुजरात) आदिवासी, दलित एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का क्षेत्र है। वे कृषि एवं पशुपालन आधारित जीवनयापन कर रहे हैं। पूरा क्षेत्र बिखरा व पिछड़ा हुआ है। अभी बुआई का वक्त चल रहा है। किसान एवं महिलाएं उर्वरक की एक थैली प्राप्त करने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन खाद न मिलने पर उन्हें निराश होकर खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। कभी-कभी लाइन में खड़े किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज तक करती है। किसान हैरान-परेशान और मुसीबत में है।

महोदया, मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा के किसानों को उनकी मांग के आधार पर उर्वरक की कमी को त्वरित पूर्ण किया जाये। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रहमान (वेल्लोर): बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं रेल मंत्री का ध्यान बिल्लूपुरम और वेल्लोर जो मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है के बीच जनहित में एक रेल सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं। वेल्लोर-बिल्लूपुरम के बीच बड़ी लाइन परियोजना के पूरा होने के बावजूद आम यात्रियों को रेल सेवाएं नहीं आरंभ किए जाने से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सामान्यत: इस प्रकार के आमान परिवर्तन निधियों का निर्धारण, परियोजना को पूरा किए जाने के लिए निधियां प्रदान करने आदि के लिए मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। परंतु यह वेल्लोर-बिल्लुपुरम आमान परिवर्तन परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की गयी है। इसके बावजूद जनता के लिए यात्री रेल सेवायें अभी तक शुरू नहीं की गयी हैं जोकि खेदजनक है।

वेल्लोर-विल्लूपुरम मार्ग एकमात्र ऐसा रेलमार्ग है जो तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से के सभी शहरों, को समुचित रूप से जोड़ेगा जैसे तिरूची, मदुरई, तिरूनेलवेली, कराईकुडी, रामनाथपुरम, रामेश्वरम आदि। परंतु अब इस समय यह ही लाइन केवल मालगाड़ी के लिए उपयोग की जा रही है और केवल एक यात्री रेलगाड़ी अर्थात् तिरूपति एक्सप्रेस इस मार्ग पर सप्ताह में दो दिन चलती हो गई। एकमात्र यात्री रेलगाड़ी जोकि उपलब्ध है और यह सप्ताह में दो दिन चलती है...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय है। मैं इसको संक्षेप में बता रहा हूं।

मेरा अनुरोध है कि जब इस मार्ग का मालगाड़ी के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है तो रेल मंत्रालय जनहित में यात्री रेल सेवाएं शुरू करने पर समुचित ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? जून के महीने के दौरान तिरूपति एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन के आधार पर शुरू की गयी परंतु यह जनता की भारी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लोगों को इस रेलगाड़ी से तब तक कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा जब तक कि दैनिक यात्रियों के लिए नियमित रेल सेवाएं नहीं शुरू की जाती हैं। रेल विभाग को वेल्लोर-बिल्लूपुरम रेलमार्ग पर यात्री सेवाएं शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर इस शिकायत को दूर करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): माननीय सभापति महोदया, किसी भी देश में उसके विकास के लिए सड़कें उसकी रीढ़ की और प्रमुख आधार होती हैं, लेकिन अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में एक ओर जहां ऊंची विकास दर के आंकड़ों के साथ यह बताने का प्रयास होता है कि हमने कितना विकास किया है, हवीं दूसरी ओर सड़कों की दुर्दशा वास्तविक स्थिति को उजागर करने के साथ-साथ हमारे विकास की गति को भी रोक रही है।

महोदया, मध्य प्रदेश जो हमारे देश के मध्य स्थित है, यहां से 10 राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं। इन राजमार्गों की हालत आज अत्यंत चिन्ताजनक है। इनके रखरखाव और उन्नयन की जिम्मेदारी एनएचएआई के पास है। हालत यह है कि कुल मिलाकर 3827 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों में से 2393 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बहुत खराब स्थिति में हैं। मध्य प्रदेश में अपने गंतव्य तक जाने के लिये यदि किसी के पास नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों विकल्प मौजूद हों, तो यह बेहतर विकल्प के रूप में स्टेट हाईवे को चुनता है क्योंकि अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी मध्य प्रदेश ने अपनी सभी सड़कों को बहुत अच्छा बना दिया है। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि या तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को तत्काल ठीक किया जाए अथवा केन्द्र सरकार इन्हें डीनोटिफाई कर दे ताकि मध्य प्रदेश की सरकार स्वयं इनका निर्माण कर सके।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहूंगा। मेरा संसदीय क्षेत्र जबलपुर जो महाकौशल के साथ-साथ पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश का मुख्यालय है, यहां से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं-एन.एच. 12 और एन.एच. और तीनों ही दुर्दशा का शिकार हैं। एन.एच. 7 में कटनी से जबलपुर, एन.एच. 12ए में जबलपुर से मंडला-चिल्पी तथा एन.एच.12 में जबलपुर से भोपाल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जबलपुर-भोपाल राजमार्ग अर्से से अपने उन्नयन की प्रतीक्षा कर रहा है। पिछले दिनों इस राजमार्ग को टू लेन से फोर लेन में बदलने का निर्णय केन्द्र सरकार के द्वारा लिया गया था। 289 किलोमीटर की यह सड़क जबलपुर से शहपुरा-बिलखेड़ा होकर भोपाल जाती है जो बीओटी

मोड से निर्मित होना है। इसके लिए रिक्वैस्ट और प्रपोजल सबमिट किये जा चुके हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एप्रेजल कमेटी द्वारा क्लियरैन्स भी दिया जा चुका है। इसके लिए मात्र कैबिनेट मंजूरी कमेटी ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर के द्वारा मिलना शेष है।

महोदया, आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव बंद करते हुए तत्काल कैबिनेट कमेटी इस प्रोजैक्ट को स्वीकृति प्रदान करे तथा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की उखड़ी हुई सड़कों को ठीक करे अथवा उन्हें डीनोटिफाइ करे ताकि मध्य प्रदेश सरकार स्वयं इनका रखरखाव एवं उन्नयन कर सके।

सभापति महोदया: श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र एवं श्री वीरेन्द्र कुमार का नाम श्री राकेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किया जाता है।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): माननीय सभापति जी, भारतमाता ग्रामवासिनी है। 76 से 86 प्रतिशत आबादी की जीविका खेती है। देश में 24 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि है जो आवासीय और औद्योगिक निकायों की भेंट चढ़ गई है। देश की 120 करोड़ की आबादी जो अगले वर्षों में 130 करोड़ हो जाएगी, उससे आने वाले दिनों में आबादी के भरण-पोषण के लिए तीन गुना उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। देश में आज खाद कारखाने केन्द्र सरकार द्वारा बंद कर दिये गये हैं। प्रत्येक खाद कारखाने से कम से कम 11 लाख टन यूरिया प्रतिवर्ष उत्पादित हुआ करता था। लेकिन अब केन्द्र सरकार विदेश से ऊंची कीमत पर खाद की आपूर्ति करने को बाध्य हो रही है। खाद कारखाने को पुनर्जीवित करने के लिए उसके गठित बोर्ड ने 50 हजार करोड़ रुपये पूंजी निवेश का प्रस्ताव किया था जिसे वित्त विभाग ने अस्वीकृत कर दिया। सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के पूंजी निवेश के आधार पर कारखाने को जीवित करने के लिए केन्द्र सरकार से अभी तक कोई गंभीर प्रयास नहीं हुए। देश के किसानों में कृषि एवं उसके मूल्य को लेकर हताशा ओर निराशा की स्थिति व्याप्त हो रही है। जिसकी प्रतिक्रिया में लाखों किसान आत्महत्या करने लग गए हैं, जो कि शासन के दामन को दागदार करता है। भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए और उसे समृद्धि प्रदान करने के लिए, इन खाद कारखानों को पुनर्जीवित करने के लिए 50 हजार करोड़ रुपए का पूंजीनिवेश भारत सरकार अविलम्ब करे। मैं इस ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदया: श्री हंसराज गं. अहीर, श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण डॉ. भोला सिंह द्वारा उठाए गए मामले से स्वयं को संबद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

***डॉ. डी. वेणुगोपाल** (तिरुवन्नामलाई): शिक्षा और शिक्षा में सुधार राष्ट्र की समृद्धि और विकास में योगदान देता है। यही एक कारण है कि सरकार विशेषकर गरीब परिवारों और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए छात्रों की सहायता हेतु अनेक कदम उठा रही है। केन्द्र ने अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक पिछड़ेपन और सामाजिक-आर्थिक समस्याओं पर ध्यान देने हेतु न्यायमूर्ति सच्चर समिति की नियुक्ति की है। इस समिति द्वारा अनेक सिफारिशें की गई हैं और इन्हें लागू करने की प्रक्रिया जारी है। इसके परिप्रेक्ष्य में मैं यह दोहराना चाहता हूं कि गरीब मुस्लिम छात्रों और युवाओं को शिक्षा तथा प्रशिक्षण के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिये उनकी सहायता करने की सरकार की बाध्यकरण जिम्मेदारी है। यह सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि उन्हें दिशाहीन नहीं होने दिया जाए। इसलिए अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ हेतु सरकार की विभिन्न स्कीमों के बारे में जागरूकता पैदा करना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा एक स्कीम लागू की जाती है। हमें इस बात को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी राज्यों के छात्र समान रूप से इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मुझे इस बात को इंगित करते हुए काफी दुख होता है कि तमिलनाडु से छात्रवृत्ति का आवेदन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को सकारात्मक उत्तर और प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है और उन्हें अधिकांशत: इस छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाता है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से प्रणालीबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने की मांग करता हूं ताकि जरूरतमंद गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के विशेषकर इस्लामिक समुदाय के छात्रों को लाभ प्राप्त हो सके।

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): मैं सभा का ध्यान कर्नाटक और देश के अन्य भागों में काफी मुश्किलों का सामना कर रहे रेशम कीट पालन किसानों की दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे वस्त्र मंत्री भी यहां सभा में उपस्थित हैं। पहले रेशम कोया का मूल्य 300 रुपये प्रति किलोग्राम था। लेकिन अब इसका मूल्य अचानक घटकर 120 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। कर्नाटक राज्य में भारी आंदोलन हो रहा है क्योंकि पिछली बजट सत्र में वित्त मंत्री ने कच्चे रेशम के आयात शुल्क में 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया था। चीन के रेशम का यहां भारी मात्रा में आयात होता है और इस कारणवश हमारे रेशमकीट पालन किसान भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वे रेशम कोया हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात् 300 रुपए प्रति किलो ग्राम तय करने

---

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपातंरण

हेतु अनिवार्य कदम उठाए और कच्चे रेशम का आयात शुल्क बढ़ाकर 5 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कर दें। इसी के कारण हमारे राज्य में काफी आंदोलन हो रहा है।

इसलिए मैं अपने माननीय मंत्रीजी जो यहां बैठे हैं, से सविनय अनुरोध करूंगा वे हमारे किसानों के हितों की रक्षा करने तथा कच्चे रेशम के आयात शुल्क में 5 प्रतिशत से वृद्धि कर 30 प्रतिशत करने तथा किसानों को यथासंभव शीघ्र न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने हेतु अनिवार्य कदम उठाएं।

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। हमें यह जानकर खुशी हो रही है कि भारत के प्रधान मंत्री 6 सितम्बर को बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं वे बांग्लादेश सरकार के साथ विभिन्न मामले उठायेंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे भारत और बांग्लादेश के बीच तीप्ता जल के बटवारे के बारे में बात करें।

हम सभी जानते है कि तीप्ता नदी हिमालय से निकलती है सिक्किम से होकर बहती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और बांग्लादेश पहुंचती है। यह सच है कि बंगाल का उत्तरी भाग अभी भी पिछड़ा है और औद्योगिक विकास में पीछे है। इस क्षेत्र की प्रमुख अर्थव्यवस्था चाय उद्योग है। लेकिन अधिकांश चाय बागान बंद है और श्रमिक बहुत मुश्किल में हैं। तीप्ता नदी का जल इस क्षेत्र के लिए जल का प्रमुख स्रोत है जिसे सिंचाई प्रयोजनों हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तर बंगाल के पांच जिले अर्थात उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर कूचबिहार, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। इस जल पर काफी निर्भर है जो कृषि और फल के खेती में भी मदद करता है। तीप्ता बराज परियोजना एक राष्ट्रीय परियोजना है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि पानी के बंटवारे का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है लेकिन 50:50 की हिस्सेदारी अव्यवहारिक है। यद्यपि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और इस देश के साथ हमारा सौहार्द्रपूर्ण संबंध है लेकिन अच्छे जल के बंटवारे की अवधारणा अव्यवहार्य प्रतीत होती है। यदि ऐसा होता है तो भारी मात्रा में जल बांग्लादेश चला जाएगा और हम सूखे रह जाएंगे। मैं जल के बंटवारे के विरोध में नहीं हूं लेकिन मेरी चिंता यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में जल हमारे पड़ोसी को नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र के विकास पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। तीप्ता उत्तर बंगाल की जीन रेखा है। यदि वहां रह रहे डेढ़ करोड़ लोगों को पर्याप्त जलापूर्ति नहीं की जाती है तो वे भूखे मरने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

*मूलतः बांग्ला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण

इसलिये मै माननीय प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को बांग्लादेश सरकार के साथ उठाएं और यथासंभव बेहतर समाधान निकालने का प्रयास करें। मैं केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी को विश्वास में ले और इस संबंध में उनसे परामर्श करें। यह हमारे राष्ट्र और संपूर्ण उत्तर बंगाल के हित में है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे राज्य के लोगों के साथ उचित और न्यायोचित व्यवहार करें।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं तथा अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरुदासपुर): मैं सभा का ध्यान एक बहुत ही गंभीर और विचलित करने वाली घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अगस्त के शुरूआत में गोविंदपुरा, जिला मनसा पंजाब में एक निजी विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए लगभग 800 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का किसानों के एक समूह द्वारा विरोध किया जा रहा था। जब वे गोविदपुरा की ओर जा रहे थे तो बरनाला जिले के आस-पास में कोट दूना गांव में पंजाब पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। पुलिस ने निसहाय किसानों के विरूद्ध घातक प्रहार किया जिसके कारण एक किसान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मैं यह जानकर स्तब्ध रह गया कि राज्य सरकार जो स्वयं को पंजाब के किसानों के हितों की प्रतिनिधि होने के बड़े-बड़े दावे करती है उसने उन किसानों के विरूद्ध अत्यधिक बल का प्रयोग किया जो अपनी जमीन के अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे।

मैं साफ शब्दों में पंजाब पुलिस के इस शर्मनाक कृत्य का जोरदार शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मैं उसे सावधान करता हूं कि वह इस प्रकार के अमानवीय और बर्बर कृत्य से अपने को रोके जो सभी प्रकार के स्वीकार्य नागरिक मानकों के खिलाफ है।

सभापति महोदया: वास्तव में यह राज्य का विषय है लेकिन मैं आपको इसकी अनुमति देती हूं। आप लंबा भाषण नहीं देंगे।

श्री प्रताप सिंह बाजवा: महोदया, मैं पूरे विषय पर चर्चा करता हूं। न केवल यही राज्य बल्कि बहुत से अन्य राज्य भी हैं जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि मैं इस मुद्दे को माननीय गृहमंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

जो बात विचलित करती है वह यह है कि यह कोई अलग घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और यहां तक कि बिहार में

भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। इस प्रकार के मामलों में पुलिस का अत्यधिक संवेदनशीलता रहने की जरूरत है। यह स्पष्ट है कि मौजूदा तंत्र जो पुलिस तंत्र के अत्याचारों पर नियंत्रण के लिए है उसका अपेक्षित असर नहीं हो रहा है। इस प्रकार के मामलों में सामान्य तौर पर न्यायिक जांच और विभागीय कार्रवाई की जाती है उसमें उन परिवारों के साथ न्याय नहीं किया जाता जो इस प्रकार की कार्रवाई से पीड़ित हैं।

इन पीड़ितों को दिए गए मुआवजे पर विचार करने के अतिरिक्त मैं गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह मौजूदा उपायों की समीक्षा करे और भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध किसानों के विरोध जैसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस के लिए प्रभावी दिशा निर्देश जारी करे।

सायं 6.00 बजे

गृह मंत्रालय को इस प्रकार के अत्याचार करने वाले पुलिस कर्मियों को सख्त दंड देने के लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन करने पर विचार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदया:

श्री सुवेन्दु अधिकारी-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदया, महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान के लिए जंगल की रोटी खाई थी, ठीक उसी तरह से इतिहास में जानी जाने वाली एक राजभर जाति है, जो विदेशी आक्रमणकारियों से तबाह होकर पूर्वांचल में बसी है। 22 तारीख को हमारे संसदीय क्षेत्र के सियर तहसील के कुभावं थाना अंतर्गत एक गांव उस्मानपुर अवायं है। गाजीपुर जनपद के एकअमुआं गांव में सती माई का स्थान है, ऐसा अंधविश्वास है कि वहां जो आदमी जाएगा, सांप काटने से वह ठीक हो जाएगा। आठ बजे सुबह राजभर जाति के लोग ट्राली पर सवार होकर चलते हैं, वे अभी आठ-दस किलोमीटर तक गए हैं कि ट्राली उलट जाती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: माननीय सदस्यगण, 6 बज चुके हैं यदि आप सभी सहमत हो तो हम 'शून्य काल' समाप्त होने तक कार्रवाई को जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रमाशंकर राजभर: सभापति महोदया, ट्राली पर 60 लोग चलते हैं और वह उलट जाती है। मैं मौके पर था, छः महीने, एक साल, तीन साल के 11 बच्चे, 13 बच्चियां और 18 महिलाएं, 42 तो ऑन द स्पॉट मर गईं। एक घंटा, बीस मिनट भी नहीं लगे, जहां ट्राली उल्टी थी, उसके नीचे पानी था, उस पानी से लोग उठ नहीं पा रहे थे, वे लोग उसी में डूब कर मर गए। 18 लोग घायल हैं। हम लोग मौके पर पहुंचे, उत्तर प्रदेश की सरकार बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत ही मृतक परिवार के जो लोग थे, उन्हें एक-एक लाख रुपया, जो अति घायल हैं, उन्हें 50 हजार रुपए और जो कम घायल हैं, उन्हें 25 हजार रुपए दिए। आपको जानकार ताज्जुब होगा कि कुल 42 लोग मरे, जिनमें 38 राजभर जाति के थे। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो जाति कभी राजा रही और जो जाति विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ कर आज नदी-नालों के किनारे जादू-टोने पर विश्वास करती है, आज उसके अस्तित्व पर खतरा हो गया है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं, उन्हें यह लगे कि देश मेरे साथ है, इसके लिए मृतकों को पांच लाख रुपए, ज्यादा घायलों को दो लाख रुपए और कम घायलों को एक-एक लाख रुपए भारत सरकार दे ताकि उन्हें यह विश्वास हो कि देश मेरे साथ खड़ा है। धन्यवाद।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। रहिम का एक दोहा है कि रहिमन वे नर मर चुके, जे कहीं मांगन जाई, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाई। मैं झारखंड के जिस राज्य से आता हूं...*(व्यवधान)* हम आपसे मांगने के लिए आए हैं, केन्द्र सरकार से मांगने आए हैं और समस्या यह है कि हम मांगने आए हैं, आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हम इतना माइंस और मिनरल्स प्रोड्यूस करते हैं, यदि झारखंड इस देश में न हो तो मुझे लगता है कि जो नौ परसैंट ग्रोथ है, वह कभी पूरी नहीं हो सकती है, चाहे कोयला, ऑयरन-ओर या बाक्साइट का सवाल हो। वहां की विडम्बना यह है कि 24 जिलों में से 14 जिले इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में है, इसका मतलब पूरा का पूरा नक्सलाइट है। आठ जिले ऐसे हैं, जोकि राज्य सरकार मांग रही है कि हमें आप इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में डाल दीजिए। इसका मतलब संपूर्ण झारखंड इंटीग्रेटेड प्लान में है। 70 परसैंट महिलाएं एनेमिक हैं और 60 परसैंट बच्चे जो तीन साल से छोटे हैं, वे माल.न्यूट्रीशन के शिकार हैं, आप समझ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है कि इनका डेवेलपमेंट तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि आप उन्हें कनेक्टीविटी न दें और कनेक्टीविटी यह है कि हम सबसे ज्यादा रेलवे, माइंस और मिनरल्स के लिए रेवेन्यू देते हैं। यदि रेलवे को सबसे ज्यादा पैसा आता है तो हमारे राज्य से आता है। यदि नेशनल हाईवे ऑथोरिटी सबसे ज्यादा पैसा कमाती है तो हमारे से कमाती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधान मंत्री

सड़क योजना का रोड नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं है। अभी जो दस हजार किलोमीटर ये नेशनल हाईवे बनाने वाले हैं, उसमें राज्य को केवल ये तीन सौ किलोमीटर देने वाले हैं।

सभापति महोदया, आपको आश्चर्य होगा कि हमने छ: प्रोजेक्ट में, बिहार और बंगाल जो हमारे बगल में सटा हुआ है, उसका सारा का सारा प्रोजेक्ट का फंडिंग रेलवे अपने पैसे से कर रही है। लेकिन हमारे जैसे राज्य से, जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू रेलवे को दे रहा है, 6 ऐसे प्रोजैक्ट्स हैं, जिनमें कि 60-70 परसेंट पैसा हम दे रहे हैं, वे प्रोजैक्ट्स भी 5-6 साल डिले चल रहे हैं।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि हमारे चूंकि 26 परसेंट गांव ही अभी तक कनैक्ट हो पाये हैं, इसलिए आप प्रधानमंत्री सड़क योजना से हमारे राज्य को रोड दीजिए। नेशनल हाईवे में हमारी जो स्थिति है, उसको बढ़ाइये और रेलवे के जो प्रोजैक्ट्स पैडिंग हैं, जिनमें कि 67 परसेंट पैसा हमारा है, उसके एम. आयू. को आप 50 परसेंट पर करिये और नये रेलवे प्रोजैक्ट्स करिये, इसी से भला होगा।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदया, मैं आपकी इजाजत से प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि यह बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इसमें आप भी और सारे एम.पीज. भी कुछ दिक्कतें महसूस करते होंगे कि इसमें फेज़वाइज पैसे दिये जाते हैं, जो सबसे बुरी बात है। जब एक कच्चा काम होता है तो उसके बाद यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके बाद वे पैसे मांगे जाते हैं इतनी देर में आपकी जो कच्ची बनी हुई सड़क है, वह सारी तबाह और बर्बाद हो जाती है। उसके लिए कोई पैसे नहीं होते, इसलिए वह सड़क नहीं बन पाती। मैंने अपने इलाके में देखा है, जो पहाड़ी इलाका है, अभी पिछले दिनों जितनी सड़कें बनी थीं, वे सारी सड़कें बारिश की वजह से खत्म हो गईं और उसकी नैक्स्ट किश्त का पैसा नहीं आया। उसके कारण क्या हुआ कि जब पैसा नहीं होगा तो हमारा वह काम नहीं हो पाएगा।

मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि गवर्नमेंट के जो प्रधामंत्री सड़क योजना के पैसे हैं, वे एकमुश्त दिये जायें, एक ही किश्त में पैसे दिये जायें, जिससे कच्चे और पक्के काम हों, सिंगल हों, मैटल हों और प्री-मिक्स होकर वह पैसा सारा खत्म हो, उसके बाद यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट बने।

मैं यह भी इसके साथ जोड़ूंगा कि जो पैसे फौरेस्ट्री क्लियरेंस के फोरेस्ट डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, जिसकी वजह से हमारा रास्ता बनता है, वह फौरैस्ट क्यिलरेंस के पैसे से क्या करते हैं, उससे उस सड़क पर जो ग्रीन पेड़ लगाने हैं, मैंने आज तक कोई भी सड़क नहीं देखी, जिस पर फौरैस्ट्री की वजह से कोई एक भी पेड़ उन पैसों से लगा हो। वे पैसे कहां जाते हैं? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहता हूं कि प्लीज़ इसको मोनीटर करें और उस सड़क को 6 महीने में ठीक करायें।

सायं 6.08 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में व्यापक भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति-जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदया: श्री देवेगौडा ने बोलने के लिए मुझसे अवसर मांगा है क्योंकि वे सर्वदलीय बैठक में भाग लेने चले गए थे। इसलिए एक विशेष स्थिति के रूप में मैं उनको नियम 193 के अधीन चर्चा पर बोलने की अनुमति देता हूं। लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है कि वे संक्षेप में बोलें।

श्री एच.डी. देवेगौडा (हसन): सभापति महोदया, प्रधान मंत्री के अपराह्न 3.30 बजे एक बैठक बुलाई थी। कल से ही मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं और मैंने स्थगण प्रस्ताव और नियम 193 के अधीन चर्चा का नोटिस दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से कल सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई और मुझे खेद है कि जब तक सभा में पूरी व्यवस्था न हो मैं इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता। इसलिए मैं थोड़ा ही सही अपना योगदान विशेषकर नियम 193 के अधीन वर्तमान समय में भ्रष्टाचार की स्थिति पर की गई चर्चा में देना चाहता हूं।

सामान्यत: हम भ्रष्टाचार या किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा 'अविश्वास प्रस्ताव' के तहत करते हैं। लेकिन हमने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इसे नियम 193 के अधीन शुरू किया है।

मुझे कल बोलने के लिए अनुमति दी गई है लेकिन कल अन्य मुद्दे होंगे और हमें बोलने की या उसी मुद्दे को जारी रखने की अनुमति नहीं होगी। मैं समझता हूं सरकार कल जवाब दे। इसलिए बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए है जहां हमें एक मेज पर बैठ कर आपस में चर्चा करनी चाहिए और भ्रष्टाचार के मौजूदा समस्या का समाधान खोजना चाहिए। सिविल सोसायटी के प्रतिनिधित्व करने वाले श्री अन्ना हजारे और सरकार के बीच टकराव की स्थिति है। मैं इस टकराव के गुण-दोष की चर्चा नहीं कर रहा हूं। कल

कम से कम प्रधानमंत्री ने स्वयं इस स्थिति को शांत करने का प्रयास किया था और उनके मंत्रिमंडल के तीन सहयोगी जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी कर रहे थे और अन्य ने सिविल सोसायटी के सदस्यों के साथ बात चीत की थी।

कुछ उम्मीद की किरण है कि मामले को आसानी से सुलझाया जा सकता है। इस परिस्थिति में मुझे उम्मीद है कि हर बात का समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से हो जाएगा।

इस बीच भ्रष्टाचार आज का मामला नहीं है। मुझे इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। यह कई सरकारों द्वारा की गई गलतियों का समेकित प्रभाव है। मैं यह कहने नहीं जा रह हूं कि डां. मनमोहन सिंह जी की सरकार इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। यह विगत सरकारों का अमेकित प्रभाव है। मैं जब विगत सरकारेां की बात कहता हूं तो मेरे मित्रों को हमें गलत नहीं समझना चाहिए कि मेरा अर्थ राजग सरकार से है। मैं वर्ष 1962 और इससे पूर्व की स्थिति पर बोलना चाहता हूं कि मैं इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूं। एक जीप घोटाला, हरिदास मुद्रा घोटाला हुआ था और उन दिनों श्री टी.टी. कृष्णामचारी और श्री प्रताप सिंह कैरो ने इस्तीफा दिया था जिसकी हत्या कर दी गई थी। मैं उन सभी ब्यौरों के बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। अनेक घटनाएं है जो अंततोंगत्वा अपने चरम पर पहुंची और बिना किसी कारण के मौजूदा सरकार बहुत मुश्किल में फंसी है किसी तरह मामला माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बुद्धिमता के प्रयोग के कारण सुलझाया जा रहा है। मैंने प्रधान मंत्री की अनुमति यह सोचते हुए ली कि यह चर्चा अभी भी सभा के विचाराधीन है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को एक बात यह बताना चाहता हूं जो अभी सभा में उपस्थित हैं। 1984 में कर्नाटक सरकार लोकायुक्त विधेयक लायी थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सहकारी समितियों सहित राज्य विधान मंडल की विधि के अंतर्गत या उनके द्वारा स्थापित निगमों या मंत्रियों नौकरशाहों, राज्य विधान मंडलों के सदस्यों, राज्य सरकार के सभी अधिकारियों, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, स्थानीय प्राधिकारी, सांविधिक निकायों के बारे में जांच करने के लिए सक्षप प्राधिकारी थे। इन सभी को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार लाया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने किन-किन चीजों को शामिल करने के लिए कहा। उन दिनों में मुख्यमंत्री थे और आज प्रधानमंत्री संसद सदस्य और अन्य अधिकारी है। उस समय श्री हेगड़े मुख्यमंत्री थे जब यह विधान लाया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही सख्त विधान है और आज इसे कर्नाटक में भंग किया जा रहा है। अब कुछ नहीं बचा है। मुझे इस बारे में ईमानदार होना चाहिए। श्री आडवाणी जी ने पूर्व लोकायुक्त श्री संतोष हेगड़े को अपना इस्तीफा वापस लेने हेतु यथासंभव भरसक प्रयास किये। मैं इसके इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं।

महोदया, आज भ्रष्टचार 'क' राज्य या 'ख' राज्य या केन्द्र सरकार तक सीमित नहीं है। भ्रष्टाचार आज पूरे देश में फैला हुआ है। मैं पूरे विश्व के बारे में नहीं बोलने जा रहा हूं और यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि न्यायधीशों का आधार न केवल संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए बल्कि आचरण संबंधी नैतिकता भी होनी चाहिए। भारत के मौजूदा प्रधान न्यायधीश का पद-ग्रहण करने के बाद देश में स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया है। मेरा तात्पर्य है कि लोगों का न्यायपालिका पर कुछ विश्वास जागा है। अन्यथा विगत में न्यायपालिका की नैतिकता में गिरावट भी एक प्रमुख मुद्दा था जिस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की गई। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यह मेरी चिंता नहीं है। मुद्दा यह है कि वर्तमान प्रधान न्यायधीश ने न्यायपालिका की साख और इज्जत को पुनः कायम करने का प्रयास किया है।

मैं एक चीज को लेकर बहुत प्रसन्न हूं। हमारे व्यक्तिगत संपर्क नहीं है लेकिन हम केवल उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही देख रहे हैं। आज भी 2जी स्पैक्ट्रम या सीडब्ल्यूजी मामले पर मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय ने क्या किया है। इसने केग रिपोर्ट पर निर्णय लिया है। कैग की भूमिका प्रशंसनीय है। ये ऐसे दो मुद्दे हैं जिसने हम सभी की आंखे खोल दी हैं। प्रधानमंत्री ने भी सीबीआई को पूरी स्थिति पर जांच करने तथा कार्रवाई करने के लिए भी कहा है मैं इसे इस स्थिति पर छोड़ दूंगा।

केवल एक बात है। किसी को भी मुझे ऐसा कहते हुए गलत नहीं समझना चाहिए। मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूं। यह बताया गया है कि जब संयुक्तशील प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने बोफोर्स के पिटारा को दफन कर दिया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत का एक पत्र कुछ और परेशानी पाने वाला है। वाशिंगटन में भारतीय राजदूत श्री मीरा शंकर का पत्र प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रधान सचिव श्री टी.के. नैयर को मई, 2009 में लिखा गया था। राजदूत ने सात मामलों को सूचीबद्ध किया है कि किस प्रकार भारत में सरकारी अधिकारियों को अमेरिकी कंपनियों द्वारा रिश्वत दी गई। माननीय वित्तमंत्री ने भी इसका उत्तर दिया।

यह भी बताया गया है कि जनवरी, 2009 को कंट्रोल कंपनी नायक एक फर्म के मारियो सिविनो ने महाराष्ट्र राज्य निगम को गैर कानूनी रूप से 1 मिलियन डालर और इसी तरह का भुगतान करने की बात को स्वीकार करते हुये अपने को दोषी कहा है। इसी तरह का मामला रेलवे के साथ हुआ है। जहां एक कंपनी ने भारतीय दल के कर्मचारियों को 137400 डालर का भुगतान

किया। जब यह मामला उठाया गया तो केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। विदेश मंत्री श्री एस.एन. कृष्णा ने कहा कि "अमेरिका में हमारे राजदूत ने एक रिपोर्ट भेजी होगी। हम इस मामले की निश्चित रूप से जांच करेंगे।" इस मामले को अब टालने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को भेज दिया गया है। संप्रग सरकार कहती है कि यदि विश्वसनीय साक्ष्य तथा अन्य बातें हो तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करेगी। वे इसी तरह की बात कर रहे हैं।

मैं यही कहना चाहता हूं। संप्रग सरकार ने वर्ष 2004 में सत्ता संभाली। मैं इस भ्रष्ट व्यवसाय के बारे में बताने जा रहा हूं। श्री अन्ना हजारे क्यों सड़कों पर आये हैं? ऐसा इसलिए है कि वहां मीडिया का बहुत सारा प्रचार है। इन दोनों मामलों के बारे में प्रतिदिन सभी राष्ट्रीय प्रचार माध्यम चाहे वह हिन्दी हो या अंग्रेजी में हमेशा इसे बहुत प्रचार दिया है। उन्होंने किसी अन्य मसले को नहीं लिया है। यही कारण है कि हर दिन पूरे देश में आज हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करने जा रहा है। यह "एक्स" दल या 'वाई" दल या "जेड" दल का प्रश्न नहीं है। राजनीतिक दल के नेताओं या राजनीतिक दल पर पूरा देश संदेह कर रहा है। यह मेरी विनम्र राय है। मैं एक गांव का रहने वाला हूं। यद्यपि आप किसी बस में यात्रा करते हैं तो हम राजनेताओं के बारे में लोगों की खराब राय को सुन सकते हैं। जब तक कि हम सभी मिल जुलकर सांसदों की विश्वसनीयता और लोकतंत्र की सर्वोच्चता कायम नहीं करते हैं तब तक हममे से किसी को भी लाभ मिलने नहीं जा रहा है। यह मेरी विनम्र राय है।

मैं सभा का ध्यान एक मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कल प्रेस वालों ने मुझसे पूछा है और मैंने यह कहा है। लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर श्री संतोष हेगड़े, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश ने स्वयं यह कहते हुए रिपोर्ट दी है कि कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं अंतिम पैरा पढ़ूंगा। कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम, 19 की धारा 12(3) के अंतर्गत उपरोक्त सिफारिश की गई है। कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12(4) के अनुसार अपेक्षित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना इस प्राधिकरण को दी जा रही है। कर्नाटक लोकायुक्त अधिनमय की धारा 12(4) कहती है-

"(4) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (3) के अंतर्गत उसे प्रेषित प्रतिवेदन की प्रतिवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन महीनों के भीतर जांच करेगा और प्रतिक्रिया के आधार पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त को देगा अथवा सूचना दी जाएगी। (5) यदि लोकायुक्त अथवा उपलोकायुक्त उप धाराओं (1) और (3) में संदर्भित सिफारिशों अथवा निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई से सहमत हैं तो वह शिकायतकर्ता, लोक सेवक और संबद्ध प्राधिकारी को सूचना के अंतर्गत मामले को बंद कर सकता है, परंतु जहां वह संतुष्ट नहीं है और वह यह समझता है कि मामले में ऐसा आवश्यक है तो वह मामले के बारे में राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन दे सकता है। और वह संबद्ध सक्षम प्राधिकारी तथा शिकायतकर्ता को भी सूचित कर सकता है। लोकायुक्त इस अधिनियम के अंतर्गत अपने और उपलोकायुक्त के कार्य निष्पादन संबंधी प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा।"

यदि इसकी सिफारिश लोकायुक्त द्वारा की गई है तो धारा 12(4) के अंतर्गत अभियोजन चलाया जाना चाहिए। यह अधिनियम है। अत: इस आधार पर राज्यपाल ने स्वीकृति जारी की है।

यहां मैं जो व्यक्त करना चाहूंगा वह यही है मैं अपने अति वरिष्ठ नेता श्री आडवाणी जी का दिल से आभारी हूं। हमारे मित्र यहां बैठे हैं। उन्होंने तीखा हमला किया है इसकी सूचना है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। मैं समुचित संदर्भों के बिना यह नहीं कह रहा हूं। आडवाणी जी ने कहा है- मैं कन्नड़ शब्द इस्तेमाल कर-एक अति कटु शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। यहां मेरे मित्रों को इसका अर्थ समझ नहीं आएगा। "आडवाणी जी का मानना है कि येद्दुरप्पा द्वारा समर्थित उम्मीदवार के नाम पर मुख्यमंत्री पद के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।"

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई की है। मैं स्पष्ट कहूंगा मैं जानता हूं कि वह आज के सबसे अधिक विशिष्ट व्यक्तियों में से है। अन्य मुद्दे कुछ भी है-यह पार्टी का आंतरिक मामला है-मैं इन मुद्दों पर विचार नहीं करूंगा मैं उनका आदर करता हूं। हम डेढ़ वर्ष तक जेल में एक साथ रहे। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है। कन्नड़ भाषा में यह बहुत भयंकर शब्द है। उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है यह मेरे लिए उचित नहीं है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि इससे मुझे पीड़ा होती है। एक अधिकारी जिसकी सिफारिश लोकायुक्त द्वारा की गई हो उसे परेशान अथवा उसका उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए।

उड़ीसा से डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी श्री प्रणब मोहंती का प्राथमिकी दर्ज करने के तीन घंटों के भीतर स्थानांतरण कर दिया जाता है। कोई उनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह नहीं कर सकता और वह राज्य में वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक है। परंतु वर्तमान मुख्यमंत्री ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने के तीन घंटों के भीतर स्थानांतरण कर दिया है और वहां किसी अन्य अधिकारी की तैनाती नहीं की गई है और वह पद इस समय रिक्त रखा गया है।

सभापति महोदयाः एक बुजुर्ग व्यक्ति के तौर पर आपने बहुत अच्छा कहा है कि हम सभी को एकजुट होकर भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ना चाहिए। कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौडाः महोदया, जनलोकपाल विधेयक जो कहता है वह यह है कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि सभी राज्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, मैं यह पूछना चाहूंगा कि यदि भ्रष्टाचार से निपटने हेतु अपने कर्त्तव्य का अति प्रभावी ढंग से एवं निष्ठापूर्वक निर्वहन करने वाले ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा नहीं की जाएगी तो कैसे चलेगा।

महोदया, इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि जिस अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज की है उसका तीन घंटों के भीतर पद से स्थानांतरण कर दिया जाता है। वर्तमान मुख्यमंत्री स्वयं को नियंत्रण में नहीं रख पाए और दबाव में आकर कार्य किया। कन्नड़ भाषा के सभी समाचार-पत्रों और अंग्रेजी समाचार पत्रों में इसके बारे में बंगलौर से संपादकीय लिखे हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो जांच कैसे की जा सकती है?

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार समाप्त करने से हम सभी जुड़े हुए हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है। वास्तव में, वर्ष 1986 से जब मैंने श्री रामकृष्ण हेगड़े के साथ कई मुद्दों पर संघर्ष किया तो मेरे विरूद्ध अनेक मामले दर्ज किए गए। लोकायुक्त के सामने उपस्थिति होने वाला मैं पहला व्यक्ति था। उसके बाद अधिनियम में संशोधन किया गया। संभवतः लोकायुक्त के समक्ष उपस्थित होने वाला मैं एकमात्र मंत्री था। जब लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा तो मैंने कहाः देश का कानून सबसे ऊपर है और मैं कानून के समक्ष सिर झुकाता हूं। परंतु जब लोकायुक्त के समक्ष अन्य लोगों के उपस्थित होने की बारी आई तो उन्होंने कानून में संशोधन कर दिया। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में, एईजी द्वारा टाइपीडो की आपूर्ति के मुद्दे को श्री राजीव गांधी द्वारा सीबीआई को सौंपा गया था। उस मुद्दे को कर्नाटक के नेताओं द्वारा उठाया गया था और उन्होंने मामले को लोकायुक्त को सौंप दिया। उस समय वे लोकायुक्त के समक्ष उपस्थित नहीं होना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अधिनियम में संशोधन कर दिया।

यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह निर्णय करना बहुत कठिन है कि प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री अथवा मुख्यमंत्रियों को लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए। यदि हम गलती करते है तो हमें अपना सिर झुकाकर इसे स्वीकार करना चाहिए। मैंने यहां आने से पहले इन सभी प्रक्रियाओं पर अध्ययन किया। मैंने सीआई जांच, लोकायुक्त जांच और व जनहित वादों का सामना किया तथा मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। मजाक में कहूं तो मेरे विरूद्ध एक किताब लिख दी गई। मैंने दिनांक 1 जून, 1996 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं जानता हूं कि मेरे विरूद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? हमारे अति वरिष्ठ नेता वाजपेयी जी ने कहा कि कर्नाटक के कुछ नेता सभा में इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे। उस पुस्तक का शीर्षक-किंग ऑफ करप्शन वह पुस्तक केवल मेरे विरूद्ध लिखी गई थी। इस ओर बैठे कुछ मित्र इस मुद्दे को उठाना चाहते थे परंतु वाजपेयी ने उन्हें बताया कि वह जानते हैं कि इसके पीछे कौन है, हमें इस स्तर तक नहीं मिटना चाहिए क्योंकि यदि कोई ऐसे निराधार आरोप लगाना चाहता है तो प्रधानमंत्री का बचाव किया जाना चाहिए। मैं यह निर्णय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यदि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया जाता है तो उसमें कतिपय स्थितियां होंगी, अधिनियम मे ही कतिपय संरक्षण देना होगा।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, मैं केवल यह चेतावनी देता हूं कि कर्नाटक में कैसा चल रहा है। हमारे अति वरिष्ठ नेता आडवाणी जी को और कदम उठाने होंगे। यह किसी राजनीतिक शत्रुता से प्रेरित नहीं है, अपितु जो मैं बता रहा हूं वह उनके अपने हित में ही है कि किस प्रकार से ईमानदारी से अपना सरकारी कर्तव्य निभाने वाले अधिकारियों को हटाया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं यह अवसर देने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदयाः लोक सभा कल पूर्वाह्न 25 अगस्त, 2011 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.31 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरूवार, 25 अगस्त, 2011/3 भाद्रपद, 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री भूदेव चौधरी श्री रायापति सांबासिवा राव	301
2.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	302
3.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी श्री ओम प्रकाश यादव	303
4.	श्री मानिक टैगोर श्री भर्तृहरि महताब	304
5.	श्री वैजयंत पांडा श्री नित्यानंद प्रधान	305
6.	श्री रामसिंह राठवा श्री पी.के. बिजू	306
7.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी श्री राम सुन्दर दास	307
8.	श्री के. शिव कुमार उर्फ जे.के. रितीश श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	308
9.	श्री यशवंत लागुरी श्री एस. अलागिरी	309
10.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला डॉ. क्रुपारानी किल्ली	310
11.	श्री अशोक कुमार रावत श्री जी.एम. सिद्देश्वर	311
12.	श्री आर. थामराईसेलवन	312
13.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी श्री एस. पक्कीरप्पा	313
14.	शेख सैदुल हक डॉ. बलीराम	314
15.	श्री एम. बी. राजेश श्री पी. कुमार	315
16.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	316
17.	श्री सतपाल महाराज श्री ए. सम्पत	317
18.	श्री धर्मेन्द्र यादव	318
19.	श्री प्रदीप माझी श्री किसनभाई वी. पटेल	319
20.	डॉ. शशी थरूर	320

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं. 1	सदस्य का नाम 2	प्रश्न संख्या 3
1.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	3519, 3532, 3549, 3661
2.	श्री आनंदराव अडसुल	3532, 3549, 3661
3.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	3506, 3634
4.	श्री बदरुद्दीन अजमल	3545
5.	श्री अनंत कुमार	3543, 3666
6.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	3586
7.	श्री अशोक अर्गल	3515, 3520, 3658
8.	श्री कीर्ति आजाद	3516
9.	श्री गजानन ध. बाबर	3532, 3549, 3597, 3612, 3661
10.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	3465
11.	श्री कामेश्वर बैठा	3584
12.	डॉ. बलीराम	3542, 3609
13.	श्री अम्बिका बनर्जी	3520, 3649
14.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	3635
15.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	3554
16.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	3611
17.	श्री सुदर्शन भगत	3564
18.	श्री पी.के. बिजू	3646, 3653
19.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	3641
20.	श्री सी. शिवासामी	3616
21.	श्रीमती विजया चक्रवर्ती	3545
22.	श्री हरीश चौधरी	3535, 3567, 3576, 3598

1	2	3
23.	श्री जयंत चौधरी	3474
24.	डॉ. महेन्द्र सिंह पी. चौहाण	3567
25.	श्री दारा सिंह चौहान	3592
26.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	3451, 3613
27.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	3531
28.	श्री भूदेव चौधरी	3595, 3642
29.	श्रीमती श्रुति चौधरी	3492, 3619
30.	श्री बंस गोपाल चौधरी	3507
31.	श्री राम सुन्दर दास	3646
32.	श्री गुरुदास दासगुप्त	3561, 3596
33.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	3517, 3607, 3653, 3674
34.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	3547, 3668
35.	श्रीमती अश्वमेध देवी	3546, 3667
36.	श्रीमती रमा देवी	3638
37.	श्री के.पी. धनपालन	3555
38.	श्री आर. ध्रुवनारायण	3594, 3598
39.	श्री चार्ल्स डिएस	3526
40.	श्री निशिकांत दुबे	3537, 3662
41.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	3553
42.	श्रीमती प्रिया दत्त	3458
43.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	3572
44.	श्री गढ़वी मुकेश भैरवदानजी	3483, 3550
45.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	3606, 3638
46.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	3596
47.	श्री वरुण गांधी	3518, 3655
48.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	3600
49.	श्री ए. गणेशमूर्ति	3539, 3596
50.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	3534, 3603

1	2	3
51.	श्री राजेन गोहैन	3567, 3574, 3597
52.	श्री एल. राजगोपाल	3490, 3542, 3601, 3638
53.	श्री शिवराम गौडा	3554
54.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	3500
55.	शेख सैदुल हक	3651
56.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	3513, 3542, 3601, 3671
57.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	3562, 3638
58.	श्री बलीराम जाधव	3506
59.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	3541, 3664
60.	डॉ. संजय जायसवाल	3569
61.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	3524, 3535, 3596, 3604
62.	श्री बद्रीराम जाखड़	3454, 3656
63.	श्रीमती पूनम बेलजीभाई जाट	3578
64.	श्रीमती जयाप्रदा	3558, 3608, 3638
65.	श्री नवीन जिन्दल	3456, 3620
66.	श्री महेश जोशी	3536, 3567
67.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	3601, 3654
68.	श्री प्रहलाद जोशी	3461, 3600, 3653
69.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	3459, 3679, 3680
70.	डॉ. ज्योति मिर्धा	3528
71.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	3647
72.	श्री पी. करुणाकरन	3551, 3670
73.	श्री कपिल मुनि करवारिया	3585
74.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	3458, 3605

1	2	3
75.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	3602
76.	श्री चंद्रकांत खैरे	3522
77.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	3632, 3653
78.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	3510
79.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	3482
80.	श्री विश्व मोहन कुमार	3517, 3607, 3653, 3674
81.	श्री पी. कुमार	3616
82.	श्रीमती चन्द्रेश कुमारी	3544
83.	श्री पी. लिंगम	3599
84.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	3464, 3614
85.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	3476, 3657
86.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	3512, 3602
87.	श्री नरहरि महतो	3463
88.	श्री भर्तृहरि महताब	3544
89.	श्री प्रदीप माझी	3599, 3654, 3660
90.	श्री प्रशांत कुमार मजूमदार	3531, 3609
91.	श्री जोस के. मणि	3481
92.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	3457, 3557, 3621
93.	श्री महाबल मिश्रा	3557
94.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	3604
95.	श्री सोमेन मित्रा	3573, 3604
96.	श्री गोपीनाथ मुंडे	3453
97.	श्री विलास मुत्तेमवार	3495, 3501, 3635
98.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	3508, 3565, 3679
99.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	3522, 3535, 3566, 3610

1	2	3
100.	श्री जफर अली नकवी	3525
101.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	3497, 3498
102.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	3460, 3605, 3669
103.	श्री पी.आर. नटराजन	3577
104.	श्री वैजयंत पांडा	3644
105.	श्री प्रबोध पांडा	3530
106.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	3540, 3663
107.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	3564
108.	श्री जयराम पांगी	3479
109.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	3606, 3638
110.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	3626
111.	श्री बाल कुमार पटेल	3555, 3591
112.	श्री किसनभाई वी. पटेल	3599, 3654, 3660
113.	श्री हरिन पाठक	3589
114.	श्री सी.आर. पाटिल	3488
115.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	3606
116.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	3575, 3604, 3608
117.	श्रीमती कमला देवी पटले	3473, 3493
118.	श्री पोन्नम प्रभाकर	3471, 3511, 3594, 3598, 3619
119.	श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू	3611
120.	श्री प्रेमदास	3505
121.	श्री एम. के. राघवन	3496
122.	श्री अब्दुल रहमान	3500
123.	श्री प्रेम दास राय	3491, 3676
124.	श्री रमाशंकर राजभर	3572
125.	श्री एम.बी. राजेश	3652

1	2	3
126.	श्री पूर्णमासी राम	3498, 3503, 3637
127.	श्री रामकिशुन	3602, 3533
128.	श्री जगदीश सिंह राणा	3527, 3659
129.	श्री निलेश नारायण राणे	3455, 3542, 3630
130.	श्री रायापति सांबासिवा राव	3656
131.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	3580
132.	डॉ. रत्ना डे	3593
133.	श्री अशोक कुमार रावत	3650
134.	श्री अर्जुन राय	3586
135.	श्री विष्णु पद राय	3470, 3618
136.	श्री रुद्र माधव राय	3459, 3486, 3636
137.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	3633, 3672
138.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	3552
139.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	3509, 3525, 3551, 3640
140.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	3463
141.	श्री एस. सेम्मलई	3529, 3601
142.	श्री एस. पक्कीरप्पा	3542, 3629
143.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	3475, 3622
144.	श्री राकेश सचान	3538
145.	श्री ए. संपत	3555
146.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	3568
147.	श्रीमती सुशीला सरोज	3494
148.	श्री तूफानी सरोज	3462
149.	श्री तथागत सत्पथी	3587
150.	श्री हमदुल्लाह सईद	3452, 3460, 3624
151.	श्री एम.आई. शानवास	3581

1	2	3
152.	श्रीमती जे. शांता	3462, 3466, 3662
153.	श्री जगदीश शर्मा	3501
154.	श्री नीरज शेखर	3558, 3608, 3638
155.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	3499
156.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	3582, 3594
157.	श्री राजू शेट्टी	3478, 3625
158.	श्री एंटो एंटोनी	3570
159.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	3648
160.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	3628
161.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू	3493
162.	श्री भूपेन्द्र सिंह	3467, 3653, 3680
163.	श्री दुष्यंत सिंह	3519
164.	श्री गणेश सिंह	3500, 3600, 3645, 3661
165.	श्री इज्यराज सिंह	3527, 3567
166.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	3458
167.	श्रीमती मीना सिंह	3595, 3642
168.	श्री पशुपति नाथ सिंह	3583
169.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	3539, 3559
170.	श्री राकेश सिंह	3548
171.	श्री रवनीत सिंह	3549, 3588
172.	श्री उदय सिंह	3494, 3502, 3635
173.	श्री यशवीर सिंह	3558, 3608, 3638, 3675
174.	चौधरी लाल सिंह	3472
175.	श्री राधे मोहन सिंह	3556, 3673
176.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	3560
177.	राजकुमारी रत्ना सिंह	3524, 3598
178.	श्री उदय प्रताप सिंह	3590

1	2	3
179.	श्री विजय बहादुर सिंह	3571, 3594
180.	डॉ. संजय सिंह	3567, 3576
181.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	3511
182.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	3487
183.	श्री ई.जी. सुगावनम	3485, 3489, 3631, 3653
184.	श्री के. सुगुमार	3563, 3678
185.	श्रीमती सुप्रिया सुले	3566, 3610
186.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	3477, 3605, 3623
187.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	3469, 3544
188.	श्री मानिक टैगोर	3596, 3639
189.	श्री बिभू प्रसाद तराई	3603, 3638
190.	श्री जगदीश ठाकोर	3484
191.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	3458, 3523, 3605
192.	श्री आर. थामराई सेलवन	3617
193.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	3542, 3665
194.	श्री पी.टी. थॉमस	3579
195.	श्री मनोहर तिरकी	3531, 3609

1	2	3
196.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	3646
197.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	3508
198.	श्री लक्ष्मण टुडु	3521
199.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	3494
200.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	3567, 3609
201.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	3616
202.	श्री सज्जन वर्मा	3504, 3506, 3527, 3611
203.	श्रीमती ऊषा वर्मा	3485, 3494, 3627
204.	श्री पी. विश्वनाथन	3468, 3524, 3611, 3615
205.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	3480, 3677
206.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	3562, 3596, 3609
207.	श्री धर्मेन्द्र यादव	3532, 3597, 3612, 3661
208.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	3560, 3601, 3654
209.	श्री ओम प्रकाश यादव	3643
210.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	3514
211.	योगी आदित्यनाथ	3493

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	301, 306, 315
नागर विमानन	:	302, 312, 317
कोयला	:	307, 309, 311, 314, 319
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	304, 308, 313
विदेश	:	316
मानव संसाधन विकास	:	303, 305, 310, 318, 320
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	
अंतरिक्ष	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	3601, 3620, 3622, 3636
नागर विमानन	:	3453, 3454, 3459, 3465, 3469, 3471, 3775, 3476, 3477, 3479, 3486, 3487, 3491, 3492, 3494, 3495, 3502, 3504, 3505, 3515, 3520, 3522, 3524, 3527, 3541, 3542, 3555, 3565, 3578, 3582, 3599, 3605, 3606, 3621, 3623, 3626, 3627, 3635, 3646, 3648, 3649, 3658, 3660, 3664, 3665
कोयला	:	3451, 3507, 3510, 3533, 3552, 3591, 3607, 3641, 3650, 3651, 3670, 379
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	3461, 3462, 3478, 3483, 3489, 3493, 3511, 3512, 3525, 3549, 3550, 3564, 3567, 3572, 3573, 3576, 3577, 3586, 3590, 3594, 3597, 3619, 3631, 3647, 3659, 3666, 3671, 3677, 3680
विदेश	:	3452, 3456, 3472, 3490, 3496, 3506, 3514, 317, 3530, 3554, 3556, 3557, 3575, 3592, 3595, 3608, 3634, 3654, 3657, 3673

मानव संसाधन विकास	:	3458, 3463, 3466, 3467, 3468, 3470, 3474, 3480, 3481, 3482, 3484, 3485, 3503, 3513, 3521, 3526, 3528, 3529, 3531, 3532, 3534, 3535, 3536, 3538, 3539, 3540, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3551, 3553, 3558, 3559, 3562, 3563, 3566, 3568, 3570, 3571, 3574, 3579, 3581, 3583, 3584, 3585, 3589, 3593, 3598, 3602, 3603, 3610, 3611, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3628, 3630, 3632, 3638, 3639, 3642, 3643, 3644, 3652, 3653, 3655, 3656, 3661, 3662, 3668, 3669, 3674, 3676, 3678
प्रवासी भारतीय कार्य	:	3501, 3609
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	3455, 3460, 3497, 3498, 3519, 3537, 3560, 3569, 3588, 3596, 3600, 3624, 3629, 3637, 3645, 3667, 3675
योजना	:	3464, 3473, 3499, 3500, 3508, 3509, 3516, 3518, 3523, 3561, 3580, 3587, 3612, 3613, 3625, 3633, 3640, 3672
अंतरिक्ष	:	3457, 3488, 3604

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/18/16/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।